दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

मार्च, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **11**

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम 11
- उच्चतम न्यायालय का नॉन-स्पीकिंग आदेश 12
- डीप फ्रीज़र और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर हेतु स्टार रेटिंग कार्यक्रम 14
- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 15
- लोकपाल के समक्ष शिकायत संबंधी नियम 16
- निर्वाचन आयोग का निर्णय 18
- गुजरात उच्च न्यायालय का नियम 151 19
- नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी 20
- विशेष ग्राम सभा, महिला सभा का आयोजन 21
- उच्चतम न्यायालय का फैसला और चुनाव सुधार 22
- भूमि अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 24
- हिंद महासागर आयोग 25
- राजनीतिक संगठन और विदेशी धन 26
- बजटीय वित्त पोषण और उपयोगिता में कमी 27
- चुनावी प्रक्रिया में सुधार हेतु दिशा-निर्देश 29
- कानूनी बचाव का अधिकार 30
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान 31
- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग 32
- निजी संपत्ति का अधिकार 33
- महामारी अधिनियम, 1897 34
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) 35
- बोडो समझौता: संभावित समस्याएँ 36
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 38
- रेल विकास प्राधिकरण 40
- राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना 41
- स्पेनिश फ्लू- एक महामारी 42
- रक्षा बजट के अनुमान और आवंटन में अंतराल 43
- SAARC Covid-19 इमरजेंसी फण्ड 44

नोट :

दृष्टि The Vision

- वन हेल्थ मॉडल: आवश्यकता 45
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 47
- विनियोग विधेयक 2020-21 49
- कोरोनावायरस का सामुदायिक प्रसारण 50
- विदेशी अधिकरण 51
- COVID-19 के उपचार हेतु HIV-रोधी दवाएँ 53
- सार्क क्षेत्र में भारत की भूमिका 54
- प्रस्तावना से 'समाजवाद' शब्द को हटाने का प्रस्ताव 55
- अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ 56
- वैश्विक रोज़गार पर COVID-19 का प्रभाव 58
- हर्ड इम्युनिटी 59
- राज्यसभा के लिये मनोनयन 60
- पारंपरिक चिकित्सा हेतु विनियामक निकाय 62
- सदन में बहुमत 63
- COVID-19 अधिसूचित आपदा 64
- स्कूल बंद के दौरान छात्रों के लिये खाद्य सुरक्षा भत्ता 65
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम 66
- सक्रिय दवा सामग्री' के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश 68
- आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 69
- वित्त विधेयक 2020 70
- NRC और केंद्र का मत 72
- औषध निर्माण को बढ़ावा देने के लिये स्वीकृत योजनाएँ 73
- IPC की धारा 188 74
- हंतावायरस 76
- खेलों को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक नवाचार 77
- टोक्यो ओलंपिक 2020 स्थगित 77
- COVID-19 के लिये इस्तेमाल हो सकता है MPLADS कोष 78
- COVID-19 के लिये राहत पैकेज 80
- कोरोना के कुछ मामलों में घ्राण इंद्रियों का नष्ट होना 81
- COVID-19 टेस्टिंग किट 82
- राष्ट्रीय दूरभाष-परामर्श केंद्र (कॉनटेक) 85
- फाइट कोरोना आइडियाथॉन 86
- फोर्स मेजर' के तहत रेलवे शुल्क पर राहत 87
- COVID-19 की निगरानी हेतु जीपीएस का प्रयोग 88
- पीएम-केयर्स फंड 90
- ईपीएफ खातों से निकासी 91

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम **92**

- कोरोना वायरस का आर्थिक प्रभाव 92
- वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध समाप्त 93
- प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन 95
- COVID-19 और करेंसी स्वैप 96
- कोकून उत्पादन 97
- मुद्रा विनिमय और COVID-19 98
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली 99
- भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन संबंधी दिशा-निर्देश 100
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स का भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अनुमान 101
- WTO पैनल की सिफारिश को लागू करने के लिये बाध्य नहीं भारत 102
- भारत: विद्युत का तीसरा बड़ा उत्पादक 103
- प्रकटीकरण मानदंडों में सेबी की छूट 104
- पाम ऑयल: आत्मनिर्भरता के लिये सतत् दृष्टिकोण 105
- एनआरआई विदेशी मुद्रा जमा तथा COVID- 19 107
- कोरोनावायरस के लिये विशेष आपातकालीन ऋण 108
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण 109
- COVID-19 महामारी में RBI की भूमिका 111
- कॉरपोरेट दिवालियापन से निपटने हेतु प्रारंभिक सीमा में बढ़ोतरी 112
- NRIs के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ 113

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **115**

- इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का मत 115
- भारत- यूरोपीय संघ एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणाली 116
- भारत-बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि 117
- G- 20 वर्चुअल समिट 119
- अफगानिस्तान की आर्थिक सहायता में कटौती 120
- जुबा शांति वार्ता 122
- COVID- 19 तथा G- 20 वर्चुअल समिट 123

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **125**

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिखर सम्मेलन 125
- हंटिंगटन रोग 126
- एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया 127
- नए ग्रहों की खोज 128
- इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस, 2020 सम्मेलन 128

नोट :

The Vision

➢ अनगॉर्डेड एक्स हाइपोथिसिस 130
➢ क्वांटम सिक्कों एवं कंप्यूटर के साथ नया परीक्षण 131
➢ गर्भ ब्लड-बैंकिंग की अवधारणा 132
➢ कैंसर कारक जीन उत्परिवर्तन 133
➢ कृषि और जल प्रौद्योगिकियों के लिये सेक्टोरल एप्लीकेशन हब 135
➢ राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 135
➢ यकृत के कार्यों को विनियमित करने में ग्लूकोज़ की भूमिका 137
➢ लैब में RBCs का सृजन 138
➢ सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग 139
➢ एक्सोमार्स मिशन 140
➢ स्टार्च आधारित हेमोस्टैट का विकास 141
➢ घर्षण को कम करने वाले नैनोकॉम्पोज़िट कोटिंग्स 142
➢ रेडियोधर्मी कचरे की डंपिंग 144
➢ कीट प्रतिरोधी कपास 146
➢ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 147
➢ इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण संवर्द्धन की योजना 149
➢ COVID- 19: स्वास्थ्य कर्मियों के लिये निवारक दवा को मंज़ूरी 150
➢ आंतरिक दहन इंजन की ईंधन दक्षता में सुधार 151
➢ संक्रामक रोगों में लिपिड की भूमिका 153
➢ COVID-19 के लिये एंटीबॉडी किट 154
➢ क्वांटम प्रौद्योगिकी 155

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 157

➢ भारत में प्रवासी प्रजातियों की सूची 157
➢ ब्लैक कार्बन 158
➢ डॉल्फिन जनगणना 159
➢ दिल्ली में जल गुणवत्ता 161
➢ रेड-स्नो: कारण और चिंताएँ 162
➢ उर्वरकों द्वारा प्रदूषण 164
➢ ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण 165
➢ जंगली मांस क्षेत्रों का विनियमन 166
➢ भारत में लाल पांडा के शिकार के मामलों में कमी 167
➢ विषाक्त पदार्थों से संदूषित स्थल 168
➢ जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा 170
➢ हिम पर निर्भर प्रजातियाँ 171
➢ मीथेन शमन और मूल्यवर्द्धन 172

नोट :

दृष्टि The Vision

- जगुआर (Jaguar) को यूएन समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण 173
- COVID-19: पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा 175
- पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक: रणनीति 176
- प्रदूषण निगरानी के लिये स्टार रेटिंग कार्यक्रम 177
- समुद्री जैव विविधता के पोषण करने वाले 'वंडर ट्री' 178
- सिक्किम के ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन 180
- कोरोनावायरस: 21 दिन की लॉकडाउन अवधि ही क्यों? 182
- भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस 183
- फिंस का मानव हाथों में रूपांतरण 184
- COVID- 19 के लिये प्रयोगात्मक थेरपी 185
- हिमालयन आईबेक्स 187

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 189

- हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र में जल संकट 189
- आपदा प्रबंधन के लिये फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी 190
- सौर कलंक सिद्धांत 192
- हिमालयी क्षेत्र और भू-जल 193
- खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 194
- परिवहन लागत को कम करने के लिये जलमार्ग का उपयोग 195
- संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र 197

सामाजिक मुद्दे 199

- उड़ीसा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र 199
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 200
- सुपोषित माँ अभियान 202
- वृद्ध कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता 203
- फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट 204
- शिक्षा में लैंगिक असमानता 206
- सतत् विकास लक्ष्यों में शामिल किये गए नए संकेतक 207
- दवा प्रतिरोधी तपेदिक का सफल इलाज 209
- पर्यावरण संरक्षण और महिलाएँ 210
- ROTTO-SOTTO: संगठन 211
- प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम 212
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 214
- वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट- 2020 215
- एकलव्य मॉडल आवासीय तथा डे बोर्डिंग विद्यालय 216

दृष्टि The Vision

➢ दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश 218

कला एवं संस्कृति **220**

➢ सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित योजनाएँ 220

आंतरिक सुरक्षा **222**

➢ भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का स्थापना दिवस 222
➢ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड: 2019 रिपोर्ट 223
➢ नौसेना में महिलाएँ 225
➢ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई अध्यादेश -2020 226
➢ तेजस लड़ाकू विमान 227
➢ रक्षा खरीद प्रक्रिया मसौदा 229

चर्चा में **230**

➢ एकम उत्सव 230
➢ द्वार प्रदाय योजना 230
➢ प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के नाम पर पीठों की स्थापना 230
➢ फिशिंग कैट एंड ओटर्स 231
➢ गिर राष्ट्रीय उद्यान 231
➢ फ्लो डायवर्टर स्टेंटस टेक्नोलॉजी 232
➢ व्हेल शार्क 233
➢ डोगरा वंश 233
➢ लेस्बोस आईलैंड 234
➢ जीडीपी के एक हिस्से के रूप में रक्षा व्यय 234
➢ जनौषधि सप्ताह 235
➢ विश्व वन्यजीव दिवस 235
➢ सुखना झील 235
➢ नौसेना अभ्यास मिलन- 2020 236
➢ बाई-ल्यूमिनसेंट सुरक्षा स्याही 236
➢ ललित कला अकादमी पुरस्कार 237
➢ प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 237
➢ गौरा देवी 238
➢ गैरसैण 238
➢ ब्लैक रेडस्टार्ट 238
➢ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 239
➢ जीवन कौशल पाठ्यक्रम 239

नोट :

- भरतनाट्यम 240
- सोलर चरखा मिशन 240
- नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 241
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र 242
- आयुष ग्रिड 243
- किशोरी हेल्थ कार्ड 243
- कत्चाथीवु आईलैंड 243
- अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या ह्रास 244
- पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन 244
- महिला उद्यमी सशक्तीकरण सम्मेलन 2020 245
- किरण योजना 246
- बंजारा समुदाय 246
- वारली आदिवासी विद्रोह 247
- नामदा पारंपरिक कला 247
- फूडबैंक इंडिया 247
- केरल ब्लॉकचेन अकादमी 248
- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 248
- महुआ न्यूट्रिबेवरेज 249
- पोंगल महोत्सवम 250
- सोनेरीला सुल्फेई 250
- सह्याद्रि मेघा 250
- मिशन ज़ीरो एक्सीडेंट 251
- दिव्य कला शक्ति 251
- सफेद जिराफ 252
- हुबली-अंकोला रेल-लाइन परियोजना 252
- क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर 253
- निधि कंपनियाँ 253
- गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय 253
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष 254
- बियर और बुल मार्केट्स 255
- भूमि राशि पोर्टल 255
- पाई (π) डे 255
- जोसेर का पिरामिड 256
- चैत्र जात्रा उत्सव 257
- ज़ोजिल ला 257
- रोपैक्स सेवा 258

नोट :

दृष्टि The Vision

- डब्लूएएसपी-76बी 258
- कृष्णराजा सागर जलाशय 258
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 259
- वेरिली योजना 259
- शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती 260
- उन्नत भारत अभियान 2.0 260
- बोको हराम 261
- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 261
- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान 262
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 262
- शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश 263
- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ 264
- ओपन मार्केट ऑपरेशन 265
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 265
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना 266
- रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम 266
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 267
- नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम 268
- भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम 268
- नवरोज़ 269
- महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 269
- टेक फॉर ट्राइबल्स 270
- एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग 271
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 271
- तीस्ता नदी 272
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना 272
- विश्व जल दिवस 273
- कैरिसा कोपिली 274
- मिशन रक्षा ज्ञानशक्ति 274
- रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार 275
- यक्षगान लिपि 276
- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना 276
- डॉ. राम मनोहर लोहिया 277
- निर्माण उपकर निधि 277
- चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुडी पड़वा, चेती चाँद, नवरेह एवं साजिबु चेरोबा 278
- कुरील द्वीप 279

नोट :

दृष्टि The Vision

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र 279
- इन्वेस्ट इंडिया बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म 280
- एमएसीएस 4028 280
- राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवीज़ की छूट 281
- मामल्लपुरम 281
- फीवर क्लीनिक 282
- डॉ. इग्नाज़ सेम्मेल्वेईस 283
- रेपो दर और रिवर्स रेपो दर 283
- इल्युशिन (IL) 38 SD 284
- अर्र-रिनाम 285
- COVID-19 से निपटने के लिये सार्क का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म 285
- विश्व स्वास्थ्य संगठन का सॉलिडेरिटी ट्रायल 286
- भारत VIX सूचकांक 286
- गोंड जनजाति 287
- रेड फ्लैग हवाई अभ्यास 288
- COVID-19 समाधानों को मापने एवं प्रोत्साहित करने हेतु देशव्यापी प्रयास 288
- अर्थ ऑवर-2020 289
- पोर्टेबल यूवी सैनिटाइज़र 289
- ऑपरेशन नमस्ते 290
- केकियांग सूचकांक 290

विविध **292**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों के प्रदर्शन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, समय पर मज़दूरी के भुगतान, ग्रामीण स्तर पर शिकायत निवारण, कौशल-निर्माण और बेहतर बाज़ार कनेक्टिविटी आदि देश में देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों केंद्र में होने चाहिये।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2018-19 में मुख्यत: निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है:
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
  - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
  - श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- ज्ञात हो कि इन सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् और समावेशी विकास के लिये राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

कार्यक्रमों का विश्लेषण

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)**
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
  - मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोज़गार, दैनिक बेरोज़गारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है।
  - रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य मनरेगा को ग्रामीण गरीबों के लिये एक सफल कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयासों के कारण ही मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 69,809 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खर्च किया गया, जो कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सबसे अधिक है।
  - हालाँकि स्वतंत्र विश्लेषकों द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2018-19 में मनरेगा देश के सूखाग्रस्त ज़िलों में किसी भी तरह की मदद करने में विफल रहा। ध्यातव्य है कि सरकार ने वर्ष 2020-21 में मनरेगा के बजट को भी घटा दिया है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर-लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा (BPL) से नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना है।

नोट :

- ◆ रिपोर्ट के अनुसार, PMAY-G के तहत लक्षित एक करोड़ घरों में से करीब 7.47 लाख घरों का निर्माण पूरा होना अभी शेष है। इसमें से अधिकतर घर बिहार (26 प्रतिशत), ओडिशा (15.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (8.7 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (आठ प्रतिशत) में हैं।
- ◆ रिपोर्ट के अंतर्गत राज्यों को समय-सीमा में सभी घरों को पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिये कहा गया है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)**
  - ◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे लागू करने की ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को दी गई है। इसे वर्ष दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था।
  - ◆ इसका उद्देश्य निर्धारित आकार (2001 की जनगणना के अनुसार, 500+मैदानी क्षेत्र तथा 250+ पूर्वोत्तर, पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र) को सभी मौसमों के अनुकूल एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है ताकि क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।
  - ◆ रिपोर्ट के अनुसार, PMGSY ने अपना 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब तक, 668,455 किमी. सड़क की लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से 581,417 किमी. पूरी हो चुकी थी।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना**
  - ◆ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मज़दूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मज़दूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिये की गई पहलों में से एक है।
  - ◆ रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत 1.87 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है अर्थात् केवल 59 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका है।
  - ◆ रिपोर्ट में राज्यों को ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने तथा लाभकारी रोज़गार तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी चिंताजनक है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्त्व काफी बढ़ जाता है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के स्तर पर अभी कई खामियाँ मौजूद हैं, जिन्हें जल्द-से-जल्द संबोधित किया जाना आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय का नॉन-स्पीकिंग आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सबरीमाला समीक्षा याचिका से उपजे प्रारंभिक मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों वाली बेंच ने एक नॉन-स्पीकिंग आदेश (Non-Speaking Order) का सहारा लिया। इसे भारतीय न्यायपालिका के परिवर्तनकारी रूप के तौर पर देखा जा रहा है। इसने परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद (Transformative Constitutionalism) की अवधारणा को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

नॉन-स्पीकिंग आदेश क्या है?

- एक नॉन-स्पीकिंग आदेश में व्यक्ति अदालत द्वारा दिये गए निर्णय के कारणों को नहीं जान पाता है और न ही यह जान पाता है कि निर्णय तक पहुँचने में अदालत ने क्या-क्या विचार किया है?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालतें कुछ मामलों में ही नॉन-स्पीकिंग आदेश पारित कर सकती हैं। उच्चतम न्यायालय भी इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करता है।

मुख्य बिंदु:

- उच्चतम न्यायालय के नॉन-स्पीकिंग आदेश को उचित नहीं माना जाता है। संवैधानिक लोकतंत्र में विधि के शासन के तहत एक 'तर्कपूर्ण निर्णय' अधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

- विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्पीकिंग आदेश 'न्यायिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता' को बढ़ावा देते हैं और ये 'न्यायिक प्रशासन के प्रति लोगों के विश्वास' को बनाए रखता है। स्पीकिंग आदेश से अदालतों के निर्णयों में स्पष्टता आती है और निरंकुशता की संभावना कम-से-कम होती है।
  - न्यायिक पारदर्शिता: पारदर्शिता आधुनिक लोकतंत्रों की एक मूलभूत विशेषता है। यह सार्वजनिक मामलों में नागरिकों के नियंत्रण एवं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने में मदद करती है। न्यायिक प्रणालियों के खुले संचालन से न्यायपालिका से लेकर समाज तक सूचनाओं का प्रवाह बढ़ता है जिससे लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन एवं फैसलों के बारे में जानने में मदद मिलती है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका के लिये विशेषकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्याय प्रशासन के संबंध में पारदर्शिता का मुद्दा प्रमुख है।
- जो संस्थाएँ भारत के संविधान के तहत दूसरों पर संवैधानिक नियमों का प्रयोग करती हैं उन सभी के लिये एक वैध अनुशासन होने के अलावा उनके द्वारा दिये गए फैसलों के कारणों की रिकॉर्डिंग को सर्वोच्च न्यायालय ने 'प्रत्येक निर्णय का मुख्य बिंदु', 'न्यायिक निर्णय लेने के लिये जीवन रक्त' और 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' के रूप में वर्णित किया है।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Principle of Natural Justice):

- भारत के संविधान में कहीं भी प्राकृतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि भारतीय संविधान की उद्देशिका, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मज़बूती से रखा गया है।
  - उद्देशिका: संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास एवं पूजा की स्वतंत्रता शब्द शामिल हैं और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता जो न केवल लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है बल्कि व्यक्तियों के लिये मनमानी कार्रवाई के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु ढाल का कार्य करती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का आधार है।
  - अनुच्छेद 14: इसमें बताया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर लागू होता है।
  - अनुच्छेद 21: वर्ष 1978 के मेनका गांधी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड केस (Madhya Pradesh Industries Ltd. Case)

- मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मामले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव के. ने कहा है कि 'किसी भी निर्णय में कारण बताने की शर्त अदालत के निर्णयों में स्पष्टता को दर्शाती है और किसी भी स्थिति में बहिष्करण या निरंकुशता को कम करती है। यह उस पक्ष को संतुष्टि देता है जिसके खिलाफ आदेश दिया जाता है और इस आदेश के द्वारा न्यायाधिकरण की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिये एक अपीलीय या पर्यवेक्षी अदालत को भी सक्षम बनाता है।'

परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद (Transformative Constitutionalism)

- 'परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल क्लारे (Karl Klare) ने किया था। कार्ल क्लारे बोस्टन में नॉर्थ-ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में श्रम एवं रोज़गार कानून तथा कानूनी सिद्धांत के प्रोफेसर हैं।
- हाल ही में संवैधानिक न्याय-निर्णयन में 'परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद' शब्द प्रचलन में आया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारणा के इस व्यापक सिद्धांत को स्पष्ट किया जाना अभी बाकी है किंतु इसे अन्य न्यायालयों में रद्द कर दिया गया है।
- भारत में अधिक न्यायसंगत समाज की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयोग किये जाने वाले एक साधन के रूप में परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद की अवधारणा प्रमुखता से उभर कर आई है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं- वर्ष 2014 का नालसा (NALSA) जजमेंट (जिसने थर्ड जेंडर के अधिकारों को मान्यता दी), नवतेज सिंह जौहर मामला, वर्ष 2018 का सबरीमाला फैसला (इसमें अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है)।
  - संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार के रूप में उच्चतम न्यायालय की भूमिका ने भारत के संविधान को एक अपरिवर्तनकारी दस्तावेज़ के बजाय एक परिवर्तनकारी दस्तावेज़ के रूप में भारतीय संविधान की बढ़ती मान्यता के साथ जोड़कर इन परिवर्तनों को लाने में सक्षम बनाया है।

नवतेज सिंह जौहर मामला और परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद:

- नवतेज सिंह जौहर मामले में विचार व्यक्त किया गया था कि न्यायालय की भूमिका समाज के कल्याण के लिये संविधान के मुख्य उद्देश्य एवं विषय को समझना है। हमारा संविधान 'समाज के कानून' की तरह एक जीवंत जीव है। यह तथ्यात्मक एवं सामाजिक यथार्थ पर आधारित है जो लगातार बदल रहा है। कभी-कभी कानून में बदलाव सामाजिक परिवर्तन से पहले होता है और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का प्रयोजन भी होता है और कभी-कभी कानून में बदलाव सामाजिक यथार्थ का परिणाम होता है।
- एक अन्य उदाहरण में दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पायस लांगा (Pius Langa) ने तर्क दिया कि 'परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद' कानूनी संस्कृति के एक 'प्राधिकार' के बजाय 'औचित्य' पर आधारित होती है।

आगे की राह

- उपरोक्त प्रकरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नॉन-स्पीकिंग आदेश जारी करने और उसके पश्चात् तर्क देने की प्रक्रिया संवैधानिक शासन के सिद्धांत का एक अंग है। न्यायिक फैसलों का 'कारण' देने का कर्त्तव्य न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

डीप फ्रीज़र और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर हेतु स्टार रेटिंग कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE) ने अपने स्थापना दिवस पर डीप फ्रीज़र और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर (Deep Freezer and Light Commercial Air Conditioners- LCAC) हेतु स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) के अंतर्गत स्थापित BEE ने अपने 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर ऊर्जा कुशल भारत के निर्माण के लिये एक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया।
- इस अवसर पर ऊर्जा दक्षता इनफॉर्मेशन टूल (Urja Dakshata Information Tool- UDIT) की भी शुरुआत की गई।

उदित (UDIT):

- BEE द्वारा 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' (World Resources Institute-WRI) के सहयोग से बनाए गए इस पोर्टल के ज़रिये विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी और आँकड़े हासिल किये जा सकेंगे।
- उदित एक उपयोगकर्त्ता अनुकूलित मंच है जो उद्योग, उपकरण, भवन, परिवहन, नगरपालिका और कृषि क्षेत्रों में भारत के ऊर्जा दक्षता परिदृश्य की व्याख्या करता है।
- उदित, ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में वृद्धि के लिये सरकार द्वारा उठाए गए क्षमता निर्माण संबंधी नई पहलों को भी प्रदर्शित करेगा।

क्या है डीप फ्रीज़र और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर हेतु स्टार रेटिंग कार्यक्रम?

- स्टार लेबलिंग कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत एक अधिदेश के रूप में BEE द्वारा प्रारंभ किया गया है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से डीप फ्रीज़र और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर को स्टार लेबलिंग अर्थात् स्टार रेटिंग कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है।

स्टार लेबलिंग:

- स्टार लेबलिंग के माध्यम से उपकरण विनिर्माता यह बताता है कि उसका कोई उपकरण बिजली खर्च के हिसाब से कितना किफायती है।
- डीप फ्रीज़र के लिये स्टार लेबलिंग कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया है और ऊर्जा खपत मानदंड 31 दिसंबर, 2021 तक प्रभावी होगा। वहीं हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लिये यह 2 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 तक स्वैच्छिक होगा।

डीप फ्रीज़र तथा लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर:

- डीप फ्रीज़र का उपयोग खाने-पीने का सामान, फल, सब्जी जैसे पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिये होता है। वहीं हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के तहत 3 टन से 5 टन तक की क्षमता के एसी आते हैं।

नोट :

- इस कार्यक्रम के तहत BEE ने अब तक 24 उपकरणों को कवर किया है, जिसमें 10 उपकरण अनिवार्य स्टार लेबलिंग के अधीन हैं।
- स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग के तहत इन दो नए उपकरणों के लॉन्च होने से अब इस कार्यक्रम में 26 उपकरण शामिल हो गए हैं।
- डीप फ्रीज़र्स की वार्षिक ऊर्जा खपत का ऊर्जा खपत मानक (किलोवाट.घंटा/वर्ष) पर आधारित है।
- डीप फ्रीज़र्स का उपयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक प्रशीतन क्षेत्र में किया जाता है और अगले दशक तक इनके 2 गुना हो जाने की संभावना है जिससे बिजली की खपत के बढ़ने की भी संभावना है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में चेस्ट और अपराइट डीप फ्रीज़र सेगमेंट (Chest and Upright type Deep Freezer Segment) के कुल संगठित बाज़ार का आकार लगभग 5-6 लाख यूनिट था। इसका बाज़ार पिछले 3 वर्षों में 28% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ दोगुना से अधिक हो गया है तथा इसके और बढ़ने की भी उम्मीद है। चेस्ट प्रकार के फ्रीजर का हिस्सा बाज़ार में लगभग 99% है, जबकि अपराइट प्रकार के फ्रीज़र्स का बाज़ार में हिस्सा लगभग 1% है।
- लगभग 3.72 लाख डीप फ्रीज़र यूनिटस का विदेश से आयात किया गया है जबकि शेष स्वदेशी तौर पर निर्मित हैं।
- डीप फ्रीज़र को स्टार रेटिंग कार्यक्रम में लाने से वर्ष 2030 तक 6.2 अरब यूनिट बिजली की बचत होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड के 5.3 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस की कमी के बराबर है। वहीं लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के मामले में 2.8 अरब यूनिट बिजली बचत का अनुमान है अर्थात् कुल मिलाकर इससे 9 अरब यूनिट बिजली की बचत होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड के 2.4 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस की कमी के बराबर है।

ऊर्जा कुशल भारत के विकास के लिये हितधारकों के साथ परामर्श:

- भारत के ऊर्जा क्षेत्र का निर्धारण सरकार की विभिन्न विकास संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं से निर्धारित होगा, जैसे- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता स्थापित करना, सभी के लिये 24X7 पॉवर, सभी के लिये वर्ष 2022 तक आवास, 100 स्मार्ट सिटी मिशन, ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना, रेलवे सेक्टर का विद्युतीकरण, घरों का 100% विद्युतीकरण, कृषि पंप सेटों का सोलराइजेशन, और खाना पकाने की स्वच्छ विधियों को बढ़ावा देना।
- भारत महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा दक्षता नीतियों के कार्यान्वयन से वर्ष 2040 तक 300 GW बिजली की बचत होगी।
- वर्ष 2017-18के दौरान ऊर्जा दक्षता उपायों के सफल कार्यान्वयन से देश की कुल बिजली खपत में 7.14% की बचत और 108.28 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी आई है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो:

- भारत सरकार ने इसकी स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को की थी।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढाँचे के अंदर स्व-विनियम और बाज़ार सिद्धांतों पर महत्त्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करने में सहायता प्रदान करना है जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 मार्च, 2020 को राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पेश किया।

मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था तथा अगले दिन इसे पारित किया गया।
- इस विधेयक का उद्देश्य भारत के तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बदलना है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित किये जाने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय:

- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (नई दिल्ली)

- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (नई दिल्ली)
- राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (तिरुपति)

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- **प्रस्तावित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के कार्य:**
  - संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को और उन्नत बनाना।
  - मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के एकीकृत पाठ्यक्रम के लिये विशेष प्रावधान करना।
  - संस्कृत भाषा और उससे संबद्ध विषयों के समग्र विकास और संरक्षण के लिये लोगों को प्रशिक्षित करना।
- **शक्तियाँ:**
  - अध्ययन के पाठ्यक्रम का वर्णन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  - डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान करना।
  - दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएँ प्रदान करना।
  - एक कॉलेज या संस्थान को स्वायत्त स्थिति प्रदान करना।
  - संस्कृत और संबद्ध विषयों में शिक्षा हेतु निर्देश प्रदान करना।
- **विश्वविद्यालय के प्राधिकार:**
  - **एक न्यायालय के रूप में:**
    - यह विश्वविद्यालय की नीतियों की समीक्षा करेगा और इसके विकास के लिये उपाय सुझाएगा।
  - **कार्यकारी परिषद:**
    - यह विश्वद्यालय का एक मुख्य कार्यकारी निकाय होगा।
    - केंद्र द्वारा नियुक्त इस 15-सदस्यीय परिषद में कुलपति को भी शामिल किया जाएगा, जो इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
    - इस समिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव, और संस्कृत या संबद्ध विषयों के क्षेत्र से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् शामिल होंगे।
    - यह परिषद शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का प्रावधान करेगी और विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंधन करेगी।
  - एक अकादमिक और गतिविधि परिषद (Academic and Activity Council) होगी जो अकादमिक नीतियों की निगरानी करेगी।
  - एक 'बोर्ड ऑफ स्टडीज़' होगा जो शोध के लिये विषयों को मंज़ूरी देगा और शिक्षण के मानकों में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा।

विज़िटर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ (Visitor of the universities):

- भारत का राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों का विज़िटर होगा।
- वह विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा और निरीक्षण करने के लिये व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
- निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर कार्यकारी परिषद कार्रवाई कर सकती है।

लोकपाल के समक्ष शिकायत संबंधी नियम

चर्चा में क्यों?

लोकपाल के गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training-DoPT) ने एक अधिसूचना जारी कर लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु नियम और प्रारूप को स्पष्ट किया है।

प्रमुख बिंदु

- विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एक शिकायतकर्त्ता को पहचान का वैध प्रमाण देना होता है। इसके अलावा विदेशी नागरिक भी लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसके लिये उन्हें पहचान के प्रमाण के रूप में केवल पासपोर्ट की एक प्रति देनी होगी।

- शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से दर्ज की जा सकती है। यदि शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है तो इसकी हार्ड कॉपी 15 दिनों के भीतर लोकपाल को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
- आमतौर पर शिकायत अंग्रेज़ी में दर्ज की जा सकती है, किंतु शिकायतकर्त्ता इस कार्य हेतु कन्नड़, हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती और तेलुगु जैसे आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है।
- आरोपी अधिकारी/अधिकारियों के विवरण, उन पर लगे आरोप और संबंधित साक्ष्यों के अतिरिक्त शिकायतकर्त्ता को एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा।
- नियमों के अनुसार, जाँच या अन्वेषण का निष्कर्ष प्राप्त होने तक लोकसेवक (जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है) की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी।
- लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020 के अनुसार कोई भी झूठी शिकायत दर्ज करना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर कारावास की सज़ा (जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) और (जुर्माना जिसे 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है) लगाया जा सकता है।
- निर्धारित नियमों के अनुसार, लोकपाल पीठ पहले चरण में प्रवेश स्तर पर शिकायत का फैसला करेगी और यदि आवश्यक हो तो लोकपाल अन्य विवरण भी मांग सकता है।
  - नियम के अनुसार, प्रधानमंत्री के विरुद्ध दायर शिकायत का फैसला प्रवेश चरण पर संपूर्ण लोकपाल पीठ द्वारा किया जाएगा, जिसमें उसके अध्यक्ष और सभी सदस्य शामिल होंगे।
  - नियमों के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज की जाती है और लोकपाल पीठ उसे खारिज कर देती है तो लोकपाल पीठ को इस संदर्भ कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - कई विश्लेषक लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020 के इस प्रावधान को लेकर अपनी असहमति दर्ज करा चुके हैं।
- ध्यातव्य है कि सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम और तटरक्षक अधिनियम के तहत आने वाले लोकसेवकों के विरुद्ध शिकायत नहीं दर्ज की जा सकती है।

भारत में लोकपाल

- लोकपाल की परिकल्पना स्वच्छ एवं उत्तरदायी शासन हेतु सरकारी प्रतिबद्धता के साथ भ्रष्टाचार को रोकने एवं दंडित करने वाले प्रभावी निकाय के रूप में की गई है।
- यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों में लोक शिकायतों के निवारण एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कई प्रकार की युक्तियाँ सृजित की गई हैं, जैसे- प्रशासनिक न्याय प्रणाली, ओम्बुड्समैन प्रणाली और प्रोक्यूरेटर प्रणाली। किंतु ओम्बुड्समैन या लोकपाल प्रणाली सबसे पुरानी संस्था है, जिसकी शुरुआत स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई थी।
- प्रसिद्ध ओम्बुड्समैन डोनल्ड सी. रॉबर्ट के अनुसार लोकपाल 'नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाइयों के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के लिये विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था है।'
- भारत में भी इसी तर्ज़ पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने हेतु संघ के लिये लोकपाल एवं राज्यों के लिये लोकायुक्त की स्थापना करने का उपबंध किया गया है।

वैश्विक स्तर पर लोकपाल

- दुनिया में सबसे सर्वप्रथम लोकपाल का गठन वर्ष 1809 में स्वीडन में किया गया था। स्वीडन समेत दुनिया के अन्य देशों में लोकपाल को ओम्बुड्समैन (Ombudsman) कहा जाता है। इसे नागरिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है और यह एक ऐसा स्वतंत्र तथा सर्वोच्च पद है जो लोकसेवकों के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करता है। साथ ही संबंधित जाँच-पड़ताल कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिये सरकार को सिफारिश भी करता है।
- स्वीडन के बाद धीरे-धीरे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्कैंडिनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व यूरोपीय देशों में भी ओम्बुड्समैन नियुक्त किये गए। भारत से पहले 135 से अधिक देशों में 'ओम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

नोट :

निर्वाचन आयोग का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान मिलने वाली सरकारी फंडिंग/मदद के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए, इसका विरोध किया है।

मुख्य बिंदु:

- आयोग का मानना है कि इससे यह तय करने में कठिनाई होती है कि चुनाव के दौरान किस राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया है।
- आयोग का यह भी मानना है कि इससे उम्मीदवारों के खर्च पर नियंत्रण रख पाने में मुश्किल उत्पन्न होती है।

सरकार के प्रयास:

चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिलने वाली नकद मदद में पारदर्शिता लाने तथा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल से बचने के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर कुछ कदम उठाए गए जो इस प्रकार हैं-

- सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने और नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिये आयकर कानून में बदलाव किया गया है।
- अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले चंदे की सीमा अब 2000 रुपए निर्धारित कर दी गयी है।
- वर्ष 2018 में चुनावी बॉण्ड स्कीम की शुरुआत की गई जो राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की ऑडिटिंग में आसानी होगी।
- आयकर विभाग द्वारा नॉन-फिलर्स मानीटरिंग सिस्टम (Non-Filers Monitoring System -NMS) को लागू किया गया है इसके तहत अन्य स्रोतों के माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है जिन्होंने कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन किया हो परंतु आय कर रिटर्न नहीं भरा हो।

इस दिशा में अन्य समितियाँ एवं रिपोर्ट्स :

- **इन्द्रजीत गुप्त समिति (1998)-**
  - चुनावी प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में इस समिति का गठन किया गया।
  - इस समिति द्वारा राजनीतिक दलों को सरकारी खर्च पर चुनाव लड़ने का समर्थन करने की बात कही गई।
  - समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए के योगदान से एक अलग चुनाव कोष का निर्माण किया जाए तथा कोष में सभी राज्यों की उचित भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
  - समिति द्वारा सरकारी खर्च पर चुनाव लड़ने के लिये राजनीतिक दलों के लिये दो सीमाएँ निर्धारित की गईं-
    1. चुनाव लड़ने के लिये सरकारी मदद (चंदा) उन्हीं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को प्राप्त हो जिन्हें चुनाव चिह्न आवंटित किया गया हो।
    2. अल्पकालीन स्टेट फंडिंग के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को यह मदद अन्य सुविधाओं के रूप में दी जाएगी।
  - समिति द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार को यह खर्च न देने की बात कही गई।
- **लॉ कमीशन की रिपोर्ट (1999)-**
  - वर्ष 1999 में प्रकाशित लॉ कमीशन की रिपोर्ट में राज्यों को आंशिक फंडिंग की बात कहीं गई।
  - रिपोर्ट में सरकारी खर्च पर चुनाव तभी करने की बात कही गई है जब राजनीतिक दलों की किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्ति पर पाबंदी हो।
- **संविधान समीक्षा आयोग (2001)-**
  - वर्ष 2001 में संविधान समीक्षा आयोग द्वारा सरकारी खर्च पर चुनाव के विचार को पूरी तरह नकार दिया गया।
  - आयोग द्वारा 1999 में प्रकाशित लॉ कमीशन की उस सिफारिश पर विचार करने की बात की गई जिसमें स्टेट फंडिंग पर विचार करने से पहले राजनीतिक दलों को उपयुक्त नियामक तंत्र के दायरे में लाए जाने का प्रावधान है।

नोट :

- **प्रशासनिक सुधार आयोग (2008)-**
  - वर्ष 2008 में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनैतिक एवं अनावश्यक फंडिंग को कम करने के उद्देश्य से आंशिक रूप से सरकारी खर्च पर चुनाव कराने की बात कही गई।

निर्वाचन आयोग:

निर्वाचन आयोग एक सवैधानिक निकाय है।

सविधान का अनुच्छेद-324 निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्यों का वर्णन करता है।

गुजरात उच्च न्यायालय का नियम 151

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा दिये गए एक निर्णय के अनुसार, न्यायिक दस्तावेज़ जैसे कि निर्णय की कॉपी और याचिकाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- जस्टिस भानुमती, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात उच्च न्यायालय व अन्य के मामले में कहा कि न्यायालय के दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये न्यायालय के नियमों के तहत आवेदन किया जाना चाहिये।
- पीठ ने नवंबर वर्ष 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के फैसले को आधार नहीं बनाया बल्कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2017 के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें अदालत ने एक याचिकाकर्त्ता को इस बात की जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि उसकी याचिका क्यों खारिज की गई।
- पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के नियम 151 की वैधता को बरकरार रखा।
- इस नियम के अनुसार, निर्धारित कोर्ट फीस के साथ आवेदन दाखिल करने पर वादी को दस्तावेज़ों/निर्णयों आदि की प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार है।
- तृतीय पक्षों को सहायक रजिस्ट्रार के आदेश के बिना निर्णय तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ नहीं दी जाएंगी एवं दस्तावेज़ों की मांग के उचित कारण से संतुष्ट होने पर प्रतियाँ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
- बॉम्बे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालय में तीसरे पक्ष के लिये सूचना या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के समान प्रावधान हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय का नियम 151:

- यह नियम केवल न्यायालय के एक अधिकारी के आदेश के तहत किसी तीसरे पक्ष को या जो किसी मामले में पक्षकार नहीं है, के निर्णयों, आदेशों और वादों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने की अनुमति देता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

- सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India-CJI) का कार्यालय सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।
- गोपनीयता का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण पहलू है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से जानकारी देने का निर्णय पारदर्शिता के साथ संतुलित होना चाहिये।

नोट :

नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिये एक प्राधिकरण गठित करने पर कार्य कर रही है जिसे नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी (National Interlinking of Rivers Authority-NIRA) के नाम से जाना जाएगाI

NIRA के बारे में:

- प्रस्तावित निकाय अंतर-राज्य (Inter-State) और अंतरा-राज्य (Intra-State) दोनों परियोजनाओं के लिये कार्य करेगाI
- यह परियोजनाओं हेतु आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से धन जुटाने का कार्य भी करेगाI
- इस निकाय की स्थापना के लिये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर (Interlinking of Rivers- ILR) परियोजना के तहत एक बैठक का आयोजन किया गयाI हालाँकि इसकी स्थापना हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं की गई हैI

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP):

- राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project- NRLP) के तहत देश में जल को इसकी अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है।
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाकर, ऐसे क्षेत्रों में पानी का अधिकाधिक वितरण सुनिश्चित करना है।
- यह परियोजना का प्रबंधन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (National Water Development Agency-NWDA) द्वारा किया जाना है।

NWDA-

- NWDA केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 17 जुलाई, 1982 को भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत की गई।
- NWDA पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- इसकी स्थापना विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों और हिमालयी नदी प्रणालियों में पानी की मात्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करने इत्यादि के उद्देश्य से की गई थी।

भारत में ILR परियोजनाएँ:

वर्तमान में भारत की छह ILR परियोजनाएँ परीक्षण के दौर में है जो इस प्रकार हैं-

- केन-बेतवा (Ken-Betwa)
- दमनगंगा-पिंजाल (Damanganga- Pinjal)
- पर-तापी-नर्मदा (Par-Tapi-Narmada)
- मनास-संकोश-तिस्ता-गंगा (Manas-Sankosh-Teesta-Ganga)
- महानदी-गोदावरी (Mahanadi-Godavari)
- गोदावरी-कावेरी (Godavari-Cauvery)

ILR परियोजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में महानदी- गोदावरी-कृष्णा-पेनार-कावेरी तथा गोदावरी-कावेरी लिंक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

ILR परियोजना का लाभ:

- पेयजल की समस्या का समाधान होगा।
- सूखे और बाढ़ की समस्या में कमी आएगी।

नोट :

- कृषि सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- जलविद्युत की उपलब्धता से सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
- नौवहन के विकास से परिवहन लागत में कमी आएगी।
- पर्यटन स्थलों के निर्माण से विकास का स्तर बढ़ेगा।
- वनीकरण को प्रोत्साहन।

ILR परियोजना से समबंधित चिंताए:

- इस परियोजना के अंतर्गत बड़े बाँधों का निर्माण किया जाना शामिल है जिसके चलते लोगों को विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ता है।
- पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि हर नदी का अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है, अत: दो नदियों के पानी के मिश्रण से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- साथ ही कृषि पैटर्न में बदलाव आता है जिसके चलते लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विशेष ग्राम सभा, महिला सभा का आयोजन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 8 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा और महिला सभा का आयोजन करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय ' पीढ़ी समानता: महिलाओं की अधिकार प्राप्ति' (Generation Equality: Realizing Women's Right) है।
- इसके अतिरिक्त सभी ग्राम पंचायतों से 8- 22 मार्च, 2020 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार पोषण पखवाड़ा आयोजित करने को भी कहा गया है।

ग्राम सभाओं और महिला सभाओं के आयोजन से संबंधित विषय:

- पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इन विशेष ग्राम सभाओं और महिला सभाओं का आयोजन 'कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन' (Community Resource Persons-CRPs) जैसे- आँगनवाड़ी, आशा, सखी तथा एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife-ANM) के सहयोग से किया जाएगा।
- ग्राम सभाओं में पोषण पंचायत, भूमि अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य तथा महिलाओं के लिये समान अवसर जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
- विशेष ग्राम सभाओं में लिंग निर्धारण जाँच पर पाबंदी, लड़की के जन्म को समारोह के रूप में मनाने तथा सभी महिलाओं के लिये प्रसवपूर्व देखभाल और नवजात देखभाल से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी।
- इन विशेष ग्राम सभाओं में प्रत्येक लड़की के लिये उचित देखभाल, पौष्टिक आहार तथा टीकाकरण, लड़कियों को स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहित करने और उनके लिये घर तथा स्कूल में सुरक्षित माहौल पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- बाल विवाह पर पाबंदी, महिलाओं तथा लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने, ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने में उनके योगदान तथा ग्राम सभाओं में भागीदारी के लिये महिलाओं को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।
- इन सभाओं के आयोजन के दौरान नवजात शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिये जन्म के बाद पहले 1000 दिनों तक स्तनपान करने तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भूमिका जैसे विषयों को चर्चा में शामिल किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका:

- सामुदायिक सक्रियता को बढ़ाने और समुदाय के व्यवहार परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में काम करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्वशासन को स्वायत्तता प्रदान की और शासन संचालन को आम जनमानस के निकट ला दिया।
- इस संशोधन से महिलाओं को पंचायतों में एक-तिहाई आरक्षण प्राप्त हुआ।
- अब तक 20 राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने हेतु कानून पारित किया है।
- इसके परिणामस्वरूप 30.41 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 13.74 लाख (45.2 प्रतिशत) महिलाएँ हैं।
- इनमें से कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों से भी हैं जो अब नेतृत्त्व प्रदान करने की स्थिति में हैं।

अन्य नवाचार:

- पंचायती राज मंत्रालय ने समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत विकास नियोजन के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan- GPDP) का ढाँचा तैयार किया है।
- GPDP संबंधी दिशा-निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किये जाने के बाद इन दिशा-निर्देशों के कुछ प्रमुख पहलू महिला सशक्तीकरण के लिये प्रासंगिक हो गए हैं।
- इन संशोधनों में बजट बनाने, नियोजन, जीपीडीपी की निगरानी तथा क्रियान्वयन सामान्य ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं का आयोजन कराना शामिल है।
- ये सभी पहलू पंचायती राज मंत्रालय के विज़न दस्तावेज़ 2024 का हिस्सा हैं।

आगे की राह:

- लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है।
- संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
- प्रकृति द्वारा किसी भी प्रकार का लैंगिक विभेद नहीं किया जाता है। समाज में प्रचलित कुछ तथ्य जैसे- महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा जैविक रूप से कमज़ोर होती हैं इत्यादि केवल भ्रांतियाँ हैं।
- दरअसल महिलाओं में विशिष्ट जैविक अंतर, विभेद नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त विशिष्टताएँ हैं, जिनमें समाज का सद्भाव और सृजन निहित हैं।

उच्चतम न्यायालय का फैसला और चुनाव सुधार

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 तथा अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सभी राजनीतिक दलों को अपने विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय वर्ष 2018 के 'पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ' (Public Interest Foundation vs Union of India) मामले में गठित एक संवैधानिक पीठ के फैसले के आधार पर दिया गया है जो कि राजनीतिक दलों द्वारा अपनी वेबसाइट और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण प्रकाशित करने तथा सार्वजनिक जागरूकता फैलाने संबंधी एक अवमानना याचिका पर आधारित था।
- इस फैसले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और नागरिकों के बीच इस तरह के अपराधीकरण के बारे में जानकारी की कमी बताई थी।

मुख्य बिंदु:

- उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन के कारणों में उम्मीदवार की योग्यता, उसकी उपलब्धियाँ होनी चाहिये न कि चुनाव में उसके जीतने की संभावना।
- उम्मीदवार से संबंधित सूचना को एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना तथा फेसबुक एवं ट्विटर सहित राजनीतिक दलों की आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
    - इन सूचनाओं को उम्मीदवार चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से कम-से-कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित करना होगा।
- संबंधित राजनीतिक दल उम्मीदवार चुनने के 72 घंटों के भीतर निर्देशानुसार अनुपालन रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेंगे।
- यदि कोई राजनीतिक दल ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो निर्वाचन आयोग निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने का संज्ञान आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाएगा।

अनुच्छेद 129:

- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना- उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

अनुच्छेद 142

- उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन कराना।

वर्ष 2002 एवं वर्ष 2003 में न्यायालय का आदेश:

- वर्ष 2002 एवं वर्ष 2003 में न्यायालय ने आदेश दिया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित स्व-शपथ पत्र (Self-Sworn Affidavits) किसी भी न्यायालय में दे सकते हैं।
- इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का वर्तमान निर्णय न्यायालय द्वारा पहले दिये गए (वर्ष 2002 एवं वर्ष 2003 में) आदेशों से भिन्न है।
- हालाँकि वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय महत्त्वपूर्ण थे और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) द्वारा चुनावी सुधार हेतु किये गए प्रयासों के बावजूद राजनीतिक पार्टियों या मतदाता पर इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वर्तमान लोकसभा में 43% सदस्यों के खिलाफ एक या अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- जबकि वर्ष 2004 में संसद के 24% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे जो कि वर्ष 2009 में बढ़कर 30%, वर्ष 2014 में 34% हो गए थे। इसमें लगभग आधे मामले कथित जघन्य अपराधों जैसे- हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार और अपहरण के थे। वहीं वर्ष 2019 में संसद के 88% सदस्य करोड़पति पाए गए।
    - उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है 'बाहुबल' और 'धनबल' हमारी राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बन गए हैं। वास्तव में 'धनबल' ने हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को 'धनिकतंत्र' की दिशा में आगे बढ़ाया है।
    - बेशक राजनीतिक उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज की गई FIR इरादतन आपराधिक नहीं होती है। नागरिक विरोध के परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन एक ऐसा ही उदाहरण है। मेधा पाटेकर या अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के मामले को शायद ही आपराधिक माना जा सकता है।

मतदाताओं का व्यवहार:

- मतदाता व्यवहार अक्सर अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार होता है। उदाहरण के लिये मुफ्त की वस्तुओं का वितरण, पैसा एवं उपहार आदि। मतदाता व्यवहार अब बदलना शुरू हो गया है क्योंकि मतदाता अब अक्सर पैसे और मुफ्त की मांग करते हैं।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (Lily Thomas vs Union of India)

- अब तक जो भी महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधार हुए हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर ही आधारित हैं। 10 जुलाई, 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था कि एक सांसद या विधायक जो अपराध के लिये दोषी पाया जाता है, उसे न्यूनतम दो वर्ष का कारावास दिया जाएगा और वह सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खो देगा तथा उसे जेल अवधि समाप्त होने के बाद छह वर्ष के लिये चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा।

आगे की राह:

- गौरतलब है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देते हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया में 'धनबल' और 'बाहुबल' को बढ़ावा मिलता है जिससे हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली 'धनिकतंत्र' की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन दोनों समस्याओं में तत्काल सुधार की ज़रूरत है और इसके लिये कार्यपालिका द्वारा ही प्रयास किया जाना चाहिये।

भूमि अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और इसके मुआवज़े के संदर्भ में वर्ष 2018 के अपने एक पूर्व निर्णय को पुनर्स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिये दिये जाने वाले मुआवज़े के राजकोष (Treasury) में जमा होने के बाद भूमि अधिग्रहण को अवैध नहीं माना जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- 6 मार्च, 2020 के अपने फैसले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय पीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण की वैधता से संबंधित समयसीमा के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की व्याख्या को स्पष्ट किया है।
- ध्यातव्य है कि 1 जनवरी, 2014 को लागू किया गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 ब्रिटिश काल के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को स्थानांतरित करता है।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अनुसार, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष या इससे पूर्व के भूमि अधिग्रहण मामलों में यदि भूमि अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत) के पाँच वर्ष के अंदर भूमि का उपयोग नहीं किया गया हो या मुआवज़े की राशि भू-मालिक को न प्रदान की गई हो, तो उस स्थिति में भूमि अधिग्रहण को अवैध माना जाएगा।
- गौरतलब है कि हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय की अलग-अलग पीठों द्वारा भूमि-अधिग्रहण के कई मामलों में मुआवज़े के जारी होने और मुआवज़े की प्राप्ति के संदर्भ अधिनियम की धारा 24(2) की व्याख्या में मतभेद पाए गए थे।
- हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 से संबंधित मामलों में अधिग्रहण की तिथि से पाँच वर्षों के अंदर (सरकार या निजी संस्थान) द्वारा मुआवज़े की राशि को सरकारी राजकोष में जमा करा दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण को अवैध नहीं माना जाएगा।

भूमि अधिग्रहण क्या है?

भूमि अधिग्रहण से आशय (भूमि खरीद की) उस प्रक्रिया से है, जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगीकरण या अन्य गतिविधियों के लिये नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती हैं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को उनके भूमि के मूल्य के साथ ही उनके पुनर्वास के लिये मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण के कानूनी प्रावधान:

- भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून की अवधारणा ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- भूमि अधिग्रहण 1894 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ब्रिटिश सरकार आसानी से भू-मालिकों की ज़मीन बिना उनकी अनुमति के ले सकती थी।
- भारत में स्वतंत्रता के बाद भी कई अन्य महत्त्वपूर्ण कानूनों की तरह ही लंबे समय तक (भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 लागू होने से पहले तक) भूमि अधिग्रहण के लिये ब्रिटिश शासन के दौरान बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 का अनुसरण किया गया।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिये विभिन्न समितियों के सुझावों के आधार पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 का मसौदा तैयार किया गया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013:

- इस अधिनियम को "भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) नाम से भी जाना जाता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के लाभ:

- इस अधिनियम के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिये निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) परियोजना हेतु क्रमशः कम-से-कम 80% और 70% भू-मालिकों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया, जबकि वर्ष 1984 के अधिनियम में ऐसा नहीं था।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 में भूमि अधिग्रहण के लिये 'सार्वजनिक उद्देश्य' की स्पष्ट व्याख्या की गई है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
- इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिये बाज़ार मूल्य का चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में बाज़ार मूल्य से दोगुनी कीमत अदा करने की व्यवस्था की गई।
- अधिनियम के अनुसार, यदि 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवज़े की राशि नहीं प्रदान की जाती है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी (धारा 25)।
- इसके साथ ही इस अधिनियम में कृषि के महत्त्व को देखते हुए बहु-फसलीय (Multi-Crop) भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा-10 के अनुसार,बहु-फसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों में और एक सीमा तक ही किया जा सकता है।

निष्कर्ष: भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 में भूमि अधिग्रहण से लेकर मुआवज़े तक की प्रक्रिया में स्पष्टता के अभाव में यह अधिनियम वर्षों से भू-मालिकों और सरकार के बीच तनाव का एक कारण बना रहा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के माध्यम से जहाँ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में सफलता प्राप्त हुई थी, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद अधिनियम की धारा 24(2) की व्याख्या के संदर्भ में व्याप्त मतभेद दूर करने में सहायता प्राप्त होगी, जिससे देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा।

हिंद महासागर आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'हिंद महासागर आयोग ' (Indian Ocean Commision) की सेशल्स में हुई मंत्रिपरिषदीय बैठक में भारत 'पर्यवेक्षक' के रूप में इस आयोग में शामिल हुआ।

हिंद महासागर आयोग :

- हिंद महासागर आयोग एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन (Maritime Governance) की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है।
- वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन (फ्राँस के नियंत्रण में) और सेशल्स शामिल हैं।
- वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के चार पर्यवेक्षक- चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ ला फ्रांसोफोनी (International Organisation of La Francophonie- OIF) हैं।

पश्चिमी हिंद महासागर:

- पश्चिमी हिंद महासागर (The Western Indian Ocean- WIO) हिंद महासागर का एक रणनीतिक क्षेत्र है जो अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट को न केवल हिंद महासागर से अपितु अन्य महत्त्वपूर्ण महासागारों से भी जोड़ता है।
- यह क्षेत्र हिंद महासागर के प्रमुख चोकपॉईंट्स (Chokepoints) में से एक मोजाम्बिक चैनल के पास अवस्थित है, जहाँ कोमोरोस मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी मुहाने पर तथा मेडागास्कर चैनल के पश्चिम सीमा पर अवस्थित है।

- यद्यपि स्वेज नहर के निर्माण के बाद इस चैनल का महत्त्व कम हो गया था लेकिन होर्मुज़ जलसंधि जो बड़े व्यावसायिक जहाज़ों (विशेष रूप से तेल टैंकरों के लिये) का प्रमुख मार्ग है, ने इस चैनल के महत्त्व को पुन: बढ़ा दिया है।

चैनल (Channel):

- यह जल के दो बड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से दो सागरों को जोड़ता है, परंतु इसके जल क्षेत्र की चौड़ाई जलसंधि (Strait) की तुलना में अधिक तथा वेग कम होता है।

मोजाम्बिक चैनल:

- मोजाम्बिक चैनल का विस्तार लगभग 12°N अक्षांश से मेडागास्कर के दक्षिणी सिरे पर 25°S अक्षांश तक है।
- मोजाम्बिक चैनल पूरी तरह से पड़ोसी देशों (मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कोमोरोस, तंजानिया और फ्राँस शासित द्वीप) के 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone- EEZ) में शामिल है।

भारत के लिये महत्त्व:

- भारत ने इस संगठन में शामिल होने का निर्णय इसकी बहुआयामी महत्ता को ध्यान में रखकर किया है। इससे भारत की पश्चिमी हिंद महासागर के इस प्रमुख क्षेत्रीय आयोग में आधिकारिक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
- भारत वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मज़बूत कर रहा है, ऐसे में ये द्वीपीय राष्ट्र भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुँच के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- यह कदम फ्राँस के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा क्योंकि फ्राँस की पश्चिमी हिंद महासागर में मज़बूत उपस्थिति है।
- यह भारत की 'सागर पहल'; क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (SAGAR- Security And Growth for All in the Region) नीति को और मज़बूत करता है।
- यह कदम पूर्वी अफ्रीका के साथ सुरक्षा सहयोग में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत के लिये चुनौतियाँ:

- चीन ने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में सैन्य केंद्र, ग्वादर (पाकिस्तान) और हम्बनटोटा (श्रीलंका) में बंदरगाह के निर्माण के साथ इस क्षेत्र में व्यापक उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसे में हिंद महासागर में चीन के दखल के बाद इस क्षेत्र की राजनीतिक व सामरिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है।
- हिंद महासागर के चोक पॉइंट्स दुनिया में सामरिक दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें होर्मुज़, मलक्का और बाब अल-मन्देब जलसंधि प्रमुख हैं। ऐसे में बाहरी शक्तियों की उपस्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।
- यह क्षेत्र सिर्फ व्यापार के लिये ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वर्तमान में दुनिया के आधे से अधिक सशस्त्र संघर्ष इसी क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। ऐसे में यह क्षेत्र न केवल भारत के लिये भू-राजनीतिक दृष्टि से बल्कि भू-सामरिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

हिंद महासागर में विभिन्न देशों की उपस्थिति:

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सबसे पहले भारत को अपनी आर्थिक, सामरिक और भू-राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करना चाहिये। इस क्षेत्र में चीन और अन्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना किसी अकेले देश के लिये संभव नहीं है। अत: भारत को सार्क, बिम्सटेक और आसियान के साथ मिलकर क्षेत्रीय एकता का निर्माण करना चाहिये।

राजनीतिक संगठन और विदेशी धन

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी संगठन को 'राजनीतिक' घोषित कर उसे विदेशी धन प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है।

पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए कई गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया।
- केंद्र सरकार के इस प्रतिबंध को लेकर इंडियन सोशल एक्शन फोरम (INSAF) नामक NGO ने एक याचिका दायर की जिसमें विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 और विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई।

FCRA के प्रावधान जिन्हें चुनौती दी गई

- FCRA की धारा 5(1)
  - यह प्रावधान केंद्र को यह तय करने की अनुमति देता है कि वास्तव में कोई गैर-राजनीतिक संगठन राजनीतिक प्रकृति का है या नहीं। INSAF का कहना है कि FCRA की धारा 5(1) काफी अधिक अस्पष्ट है, असंवैधानिक बनाता है।
- FCRA की धारा 5(4)
  - INSAF का तर्क है कि अधिनियम की इस धारा में उस प्राधिकरण को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है जिसके समक्ष एक संगठन सरकार द्वारा राजनीतिक घोषित होने पर इस निर्णय को चुनौती दे सके।

न्यायालय का निर्णय

- जस्टिस एल. नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा है कि 'कोई भी संगठन जो एक राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य के बिना अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत नागरिकों के समूह का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है।'
- हालाँकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संगठन अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संसाधनों का प्रयोग करता है तो उसकी विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई जा सकती है।
- न्यायालय ने अपने निर्णय में किसानों, श्रमिकों, छात्रों, युवाओं आदि के संगठनों या जाति, समुदाय, धर्म, भाषा आधारित संगठनों को समान वरीयता दी है।
- न्यायालय के अनुसार, 'यदि किसी संगठन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (Memorandum of Association) में संगठन के राजनीतिक उद्देश्यों को स्वीकृत किया गया है, तो उस संगठन को विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम

- भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनियमन के उद्देश्य से वर्ष 1976 में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) लागू किया।
- इसके तहत राजनीतिक प्रकृति का कोई भी संगठन, ऑडियो, ऑडियो विज़ुअल न्यूज़ या करेंट अफेयर्स कार्यक्रम के निर्माण और प्रसारण में लगे किसी भी संगठन को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है।

निष्कर्ष

किसी भी संगठन को मात्र इस आधार पर दंडित करना कि वह अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे लोगों के समूह का समर्थन करता है, किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। आवश्यक है कि नीति निर्माता इस संदर्भ में अपने निर्णय पर पुन: विचार करें और न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन किया जाए।

बजटीय वित्त पोषण और उपयोगिता में कमी

चर्चा में क्यों?

शिक्षा पर एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, देश के लगभग आधे सरकारी स्कूलों में बिजली सुविधा या खेल के मैदान नहीं हैं, साथ ही बजटीय वित्तपोषण और उसके उपयोग दोनों में कमी देखी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजटीय आवंटन में 27% की कटौती पाई, 82,570 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में केवल 59,845 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
- केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी 27% की कटौती देखी गई।
- पैनल ने सिफारिश की है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human Resource Development Ministry -HRD) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme-MGNREGS) के साथ मिलकर चारदीवारी का निर्माण करना चाहिये एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (the Ministry of New and Renewable Energy) के साथ मिलकर सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन करना चाहिये जिससे स्कूलों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा के लिये एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education-UDISE), 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार:

- भारत में केवल 56% स्कूलों में बिजली उपलब्ध है एवं मणिपुर और मध्य प्रदेश में 20% से भी कम स्कूलों में बिजली उपलब्ध है।
- 57% से कम स्कूलों में खेल के मैदान हैं, जिनमें ओडिशा, जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में 30% से कम खेल के मैदान हैं।
- लगभग 40% स्कूलों में चाहरदीवारी नहीं होने के कारण छात्रों और स्कूलों की संपत्ति की सुरक्षा को खतरा है।

संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार निराशाजनक प्रगति:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले नौ महीनों में स्वीकृत 2,613 परियोजनाओं में से केवल तीन ही पूर्ण हो पाए।
- 31 दिसंबर, 2019 तक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक भी अतिरिक्त कक्षा नहीं बनाई गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये 1,021 अतिरिक्त कक्षाएँ स्वीकृत की गई थीं।
- 1,343 प्रयोगशालाओं हेतु स्वीकृत कोष के बावजूद केवल तीन प्रयोगशालाओं -भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का निर्माण किया गया।
- 135 पुस्तकालयों और 74 कला/शिल्प/संस्कृति के लिये कक्षों को मंज़ूरी दी गई थी, लेकिन इनमे से एक का भी निर्माण नही हुआ।
- माध्यमिक विद्यालयों का रिकॉर्ड बेहतर है, जहाँ दिसंबर तक 70-75% तक सुविधाएँ पूर्ण की जा चुकी थीं, हालाँकि विकलांग छात्रों के लिये रैंप और विशेष शौचालय की सुविधा का कुल कार्य 5% पूर्ण हो चुका था।
- प्राथमिक स्कूलों में 90-95% अवसंरचना का काम पूरा हुआ।
- समग्र शिक्षा योजना के तहत विभाग ने 31 दिसंबर, 2019 तक संशोधित अनुमानों का केवल 71% खर्च किया।

समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme):

- इस योजना का लक्ष्य पूर्व-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- योजना का केंद्र बिंदु अंग्रेजी के टी शब्द – टीचर्स और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- शिक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण।
- प्रशासनिक सुधार।
- शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना।
- डिजिटल शिक्षा पर ध्यान देना।
- विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण।
- बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देना।
- समावेश पर ध्यान।

नोट :

- कौशल विकास पर ध्यान देना।
- खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना।

चुनावी प्रक्रिया में सुधार हेतु दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) के नौ कार्यकारी समूहों ने चुनावी प्रक्रिया में फेरबदल करने हेतु 25 मुख्य सिफारिशें प्रकाशित कर जनता से टिप्पणी या सुझाव मांगे हैं।

प्रमुख बिंदु:

कार्यकारी समूहों के बारे में:

- लोकसभा चुनाव के बाद ECI के अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के को शामिल करते हुए इन कार्यकारी समूहों का गठन किया गया था।
- इन समूहों ने कार्यक्षेत्र से आँकड़े जुटा कर मौजूदा कानून और संस्थागत ढाँचे के संदर्भ में इन आँकड़ों का विश्लेषण किया और चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु विकल्प सुझाए।

मुख्य सिफारिशें:

- मतदाताओं के लिये सभी सेवाओं जैसे- पंजीकरण, पते में परिवर्तन, नामों का विलोपन इत्यादि हेतु एकल फॉर्म।
- नागरिकों के लिये चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु नेटवर्क और इलेक्टोरल सर्विस सेंटर (Electoral Service Centres-ESC)/वोटर सुविधा केंद्रों (Voter Facilitation Centres-VFC) का विस्तार करना।
- दिव्यांग (PWD) एवं वरिष्ठ (+80 वर्ष) नागरिकों को घर पर चुनावी सेवाएँ प्रदान करना।
- 17 वर्ष की आयु वाले भावी मतदाताओं को स्कूलों/कॉलेजों में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- बूथ लेवल ऑफिसर (Booth Level Officer-BLO) प्रणाली में सुधार और डिजिटलीकरण हेतु तकनीकी सुविधाओं से लैस BLO को चरणबद्ध तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिये।
- मतदाताओं के लिये e-EPIC (Electors Photo Identity Card) का प्रावधान।
- मतदाताओं के पंजीकरण हेतु एक वार्षिक तिथि (1 जनवरी) के बजाय त्रैमासिक/अर्द्ध वार्षिक तिथियों का प्रावधान।
- अग्रिम तौर पर चुनावी रूप-रेखा तैयार करने के लिये ECI, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या जिला स्तरों पर एक "मॉडर्न ऑनलाइन इलेक्शन प्लानिंग पोर्टल (Modern Online Election Planning Portal) " लॉन्च करने का प्रावधान ।
- दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल।
- लोक सूचना के लिये संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों या मतदान केंद्रों के मानचित्रण हेतु भौगोलिक सूचना तंत्र (Geographic Information System-GIS) आधारित निर्वाचन संबंधी एटलस का उपयोग।
- निर्वाचन कैलेंडर और निर्वाचन कार्यक्रम हेतु डिजिटल पोर्टल।
- राजनीतिक दलों, समाजिक संगठनों और मीडिया कर्मियों के लिये दिशा-निर्देश कार्यक्रम।
- प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के लिये नियम।
- प्रत्याशियों का ऑनलाइन नामांकन।
- राजनीतिक पार्टियों का खर्च निर्धारित करना।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण:

- निर्वाचन संबंधी शिक्षा और जागरूकता के लिये सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी व्यापार/औद्योगिक संगठनों के साथ भागीदारी।
- सभी स्कूलों/कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) स्थापित करना।
- सभी सरकारी और निजी संगठनों में मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करना।
- मतदाता जागरूकता हेतु सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन पाठशाला की स्थापना करना।
- स्कूल के पाठ्यक्रमों में मतदाता-शिक्षा का समावेश।
- मतदाता शिक्षा और जागरूकता हेतु छह क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करना।
- जनसंचार माध्यम का सुदृढ़ीकरण:
- नई तकनीक का सक्रिय उपयोग।
- मतदाताओं और अन्य हितधारकों की शिक्षा हेतु वेब टीवी और वेब रेडियो की स्थापना करना।
- मतदाताओं के लिये दूरदर्शन या रेडियो पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू करना।
- मतदाता शिक्षा हेतु सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करना।

कानूनी बचाव का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिये अनैतिक और गैर-कानूनी है। ध्यातव्य है कि बीते महीने स्थानीय बार एसोसिएशन ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार 4 छात्रों के प्रतिनिधित्व पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया था।

संविधान में अभियुक्त के बचाव संबंधी अधिकार

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव के अधिकार से वंचित न रहे।
- वहीं संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्यक्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसके अनुसार किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण से न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये और राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

- वर्ष 2010 में ए. एस. मोहम्मद रफी बनाम तमिलनाडु राज्य वाद में जस्टिस मार्कण्डेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने इस प्रकार के प्रस्तावों की अवैधता के संबंध में टिप्पणी की थी। न्यायालय ने कहा था कि 'देश के प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में बचाव का अधिकार है और इसी के साथ उसका बचाव करना वकील का कर्त्तव्य है। ध्यातव्य है कि ए. एस. मोहम्मद रफी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का ज़िक्र कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में भी किया है।
- वर्ष 2006 में कोयंबटूर में एक वकील और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव से उत्पन्न हुए विवाद के पश्चात् वकीलों ने पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व न करने का प्रस्ताव पारित किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वकीलों के इस कृत्य को गैर-पेशेवर (Unprofessional) करार दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 'इस तरह के प्रस्ताव पूर्ण रूप से अवैध, बार की परंपराओं तथा पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध होते हैं।

वकीलों की पेशेवर नैतिकता

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पेशेवर मानकों को लेकर कुछ नियम हैं, जो कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत वकीलों द्वारा पालन किये जाने वाले व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों का हिस्सा हैं।
- नियमों के अनुसार, एक वकील न्यायालय या ट्रिब्यूनल में किसी भी मुकदमे को अपने निर्धारित शुल्क के अनुरूप स्वीकार करने हेतु बाध्य है।
- हालाँकि नियमों में वकीलों द्वारा किसी मुकदमे को न स्वीकार करने को लेकर कुछ 'विशेष परिस्थितियाँ' स्पष्ट की गई हैं।
- बीते वर्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि नियमों में उल्लिखित 'विशेष परिस्थितियाँ' एक व्यक्तिगत अधिवक्ता (Individual Advocate) को संदर्भित करती हैं, जो किसी विशेष मामले में प्रतिनिधित्व न करने का निर्णय ले सकता है, किंतु यह संभव नहीं है कि एक व्यक्तिगत अधिवक्ता बार एसोसिएशन से अपनी सदस्यता समाप्त होने के डर से किसी मामले में प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दे।

संबंधित मामले

- वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के पश्चात् अजमल कसाब का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रारंभ में जिस वकील को यह मामला सौंपा गया उसने मना कर दिया, जबकि एक अन्य वकील को जिसने कसाब का बचाव करने के लिये सहमति व्यक्त की, खतरों का सामना करना पड़ा।
  - इसके पश्चात् कसाब का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक वकील को नियुक्त किया गया और उसे पुलिस सुरक्षा भी दी गई।
- दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के पश्चात् साकेत कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों का बचाव नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया था।
- बीते वर्ष हैदराबाद में बार एसोसिएशन ने एक पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या में गिरफ्तार किये गए चार आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था।

आगे की राह

- भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्यक्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।
- ऐसे में बार एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने का निर्णय स्पष्ट तौर पर अनुचित दिखाई देता है, किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें किसी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं होता।
- ऐसे में आवश्यक है कि इस विषय पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पेशेवर मानकों का पालन किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाया जाए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (National Institute of Health & Family Welfare-NIHFW) के 43वें वार्षिक दिवस (Annual Day) की अध्यक्षता की गई।

मुख्य बिंदु:

- इस अवसर पर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिये संस्थानों के बीच तालमेल एवं सहयोग की आवश्यकता पर बल देने की बात कही गई।
- साथ ही निवारक (Preventive) और सकारात्मक स्वास्थ्य (Positive Health) पर ध्यान देने के लिये भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
- साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि आयुष्मान भारत के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मज़बूत करते हुए केंद्रों के लिये यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि वे बीपी (BP), मधुमेह (Diabetes), तीन प्रकार के कैंसर और कुष्ठ रोग (Leprosy) आदि जैसे रोगों की स्क्रीनिंग से लैस हों , क्योंकि इन रोगों के निवारण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में भी प्राथमिकता दी गई है।

- इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नए दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ नीतियों पर पुनर्विचार करने के आवश्यकता होगी, इसके अलावा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मुख्य भूमिका निभानी होगी।
- इस दौरान अकादमिक पुरस्कार प्रदान किये गए और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान:

- NIHFW दिल्ली में स्थित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई।
- NIHFW स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के माध्यम से कार्य करता है।
- यह स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों जैसे- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (Accredited Social Health Activist-ASHA), सहायक नर्स दाई (Auxiliary nurse midwife-ANMs), केंद्रीय एवं राज्य अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारीयों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमता निर्माण के लिये कार्य करने वाला प्रमुख संगठन है।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

चर्चा में क्यों?

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट कर दिया है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) के लिये वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर की गई सिफारिशों को सक्रियता से लागू किया जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर अधीनस्थ न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व का आधार है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समाज की हिस्सेदारी होती है और इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित किया जाना आवश्यक है।
- वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग का गठन करें तो न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढाँचे की अलग से समीक्षा की जाए।
- वर्ष 1993 में अपने समीक्षात्मक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि 'न्यायिक सेवा रोज़गार के अर्थ में कोई सेवा नहीं है और न ही न्यायाधीश कोई कर्मचारी हैं।'
- तब से यह मामला अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिये किये जा रहे निरंतर प्रयासों का आधार बन गया।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

- दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित रिपोर्ट के मुख्य भाग को प्रस्तुत कर दिया है।
- दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश का पालन करते हुए किया गया था।
- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 16 नवंबर, 2017 को आयोग के गठन के संदर्भ में अधिसूचना जारी की थी और आयोग ने वर्ष 2018 में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पी.वी. रेड्डी को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- इसके अलावा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. वसंत इस आयोग के सदस्य और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के ज़िला न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता आयोग के सदस्य सचिव हैं।
- ध्यातव्य है कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन 21 मार्च, 1996 को किया गया था।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें

वेतन

आयोग ने विभिन्न वैकल्पिक कार्य पद्धतियों पर विचार कर पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) अपनाने की सिफारिश की जिसे वर्तमान वेतन के 2.81 के गुणक को लागू करके निकाला गया है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के प्रतिशत के अनुरूप है। आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार, जूनियर सिविल न्यायाधीश/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिनका शुरूआती वेतन 27,700 रुपए है उन्हें अब 77,840 रुपए मिलेंगे। जबकि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का वेतन 1,11,000 रुपए से और ज़िला न्यायाधीश का वेतन 1,44,840 रुपये से शुरू होगा। ज़िला न्यायाधीश का अधिकतम वेतन 2,24,100 रुपए होगा। संशोधित वेतन और पेंशन 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी। अंतरिम राहत का समायोजन करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

पेंशन

प्रस्तावित संशोधित वेतनमानों के आधार पर पिछले वेतन के 50 प्रतिशत पर पेंशन की सिफारिश की गई। परिवार की पेंशन अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत होगी। अतिरिक्त पेंशन 75 वर्ष की आयु पूरा करने पर शुरू होगी और विभिन्न चरणों पर प्रतिशत बढ़ेगा। वर्तमान में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की वर्तमान सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी जब DA 50 प्रतिशत पर पहुँच जाएगा।

भत्ते

वर्तमान भत्तों को उपयुक्त तरीके से बढ़ाया जाएगा और कुछ नई बातों को शामिल किया गया है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और अदायगी की प्रक्रिया सरल बनाने की सिफारिशें की गई हैं। पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को चिकित्सा सुविधाएँ दी जाएंगी। कुछ नए भत्ते जैसे बच्चों की शिक्षा से जुड़े भत्ते, होम ऑर्डरली भत्ते का प्रस्ताव रखा गया है।

निजी संपत्ति का अधिकार

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कानून की प्रक्रिया का पालन किये बिना किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से ज़बरन बेदखल करना मानवीय अधिकार का उल्लंघन है।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस एस.के. कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को दोहराते हुए कहा कि निजी संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों है।
- न्यायालय द्वारा यह निर्णय वर्ष 1980 में सिक्किम में राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रोगेनी ऑर्चर्ड रीजनल सेंटर के निर्माण के लिये कुछ एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण पर दिया गया है।
  - सिक्किम द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि दो नामों में दर्ज थी- 1.29 एकड़ सिक्किम के महाराजा के नाम पर और 7.07 एकड़ मान बहादुर बसनेट के नाम पर, जो इस वाद में अपीलकर्त्ता के पिता थे।
- यह देखते हुए कि राज्य वर्तमान में भूमि का उपयोग कर रहा है और इस संदर्भ में मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल रहे हैं, न्यायालय ने राज्य को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये तीन महीने का समय दिया है।

निजी संपत्ति एक मानवाधिकार

- जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने 8 जनवरी, 2020 को अपने एक निर्णय में कल्याणकारी राज्य में संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया था।
- इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विधि द्वारा संचालित किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य विधि की अनुमति के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है।
- राज्य किसी भी नागरिक की संपत्ति पर 'एडवर्स पज़ेशन' (Adverse Possession) के नाम पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है।

नोट :

- यह एक विधिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 'प्रतिकूल कब्ज़ा' है। यदि किसी ज़मीन या मकान पर उसके वैध या वास्तविक मालिक के बजाय किसी अन्य व्यक्ति का 12 वर्ष तक अधिकार रहा है और अगर वास्तविक या वैध मालिक ने अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्ज़े से वापस लेने के लिये 12 वर्ष के भीतर कोई कदम नहीं उठाया है तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने 12 वर्ष तक कब्ज़ा कर रखा है, उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दिया जा सकता है।

संपत्ति का अधिकार

- संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था।
- 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद-31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के पश्चात् इस अधिकार को अनुच्छेद- 300(A) के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु इसके बावजूद राज्य उचित प्रक्रिया और विधि का पालन कर किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित कर सकता है।

महामारी अधिनियम, 1897

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में COVID-19 के प्रभाव को देखते हुए मंत्रियों के समूह (Group of Ministers-GoM) की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को महामारी अधिनियम, 1897 (Epidemic Disease Act, 1897) की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करना चाहिये ताकि मंत्रालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सभी सलाहों को उचित रूप से लागू की जा सके।

मुख्य बिंदु:

- भारत में COVID-19 की रोकथाम हेतु की गई तैयारियों और इससे निपटने के उपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिये मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था।

कोरोना: एक महामारी

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने COVID-19 को एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया है।
- WHO के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 114 देशों में 1,18,000 पॉज़िटिव मामले सामने आए हैं और 90% से अधिक मामले सिर्फ चार देशों में पाए गए हैं।
- 81 देशों में COVID-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और 57 देशों में 10 या उससे कम मामले सामने आए हैं।

भारत के प्रयास:

- भारत में COVID-19 के 60 मामलों की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी एक नई यात्रा एडवाइज़री के अनुसार, राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रोज़गार, परियोजना वीज़ा को छोड़कर सभी मौजूदा वीज़ा को 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया है और यह एडवाइज़री 13 मार्च से लागू होगी।
- भारत ने अब तक 948 यात्रियों को कोरोनोवायरस प्रभावित देशों से निकाला है। इनमें से 900 भारतीय नागरिक हैं और 48 विभिन्न राष्ट्रीयताओं से संबंधित हैं।
- केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी है।

महामारी अधिनियम, 1897 की धारा (2):

जब राज्य सरकार का किसी समय यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है, या होने की आशंका है तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिये पर्याप्त नहीं हैं, तो वह ऐसे उपाय

कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिये किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिये उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिये किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिये आवश्यक समझे तथा वह यह भी अवधारित कर सकेगी कि उपगत व्यय (इसके अंतर्गत प्रतिकर, यदि कोई हो तो) किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रस्ताव:

- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association-IMA) के अनुसार, संक्रमित लोगों के डेटा को दैनिक आधार पर जनता के साथ साझा करने से पूरे देश में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- IMA ने सरकार से महामारी संबंधी डेटा को वर्गीकृत करने और नैदानिक परिशुद्धता के साथ उचित कार्रवाई करने की अपील की है।

आगे की राह:

- अभी तक COVID -19 के विरुद्ध कोई निश्चित इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिये सरकार की प्रतिक्रिया रणनीति निस्संदेह जोखिम के संचार, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक गड़बड़ी और घर के अलगाव जैसे बुनियादी उपायों पर निर्भर करती है।
- प्राकृतिक या मानवजनित बड़ी आपदाओं से निपटने के लिये बनाए गए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee-NCMC) के माध्यम से सामाजिक संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।
- एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें प्रमुख संकेतक, रोग की पहचान संबंधी दिशा-निर्देश, जोखिम संचार सामग्री और उपायों की कार्ययोजना शामिल हो।
- सरकार को अधिक-से-अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस प्रयोगशालाओं को स्थापित करना चाहिये, ताकि व्यक्ति में संक्रमण की पूरी तरह से पुष्टि हो सके।
- सरकार को आइसोलेशन वार्ड की सुविधा के साथ सेपरेशन किट, मास्क इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिये।
- सरकार द्वारा सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों की गहन जाँच की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- कोरोना वायरस से बचाव न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है बल्कि सभी संस्थानों, संगठनों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को इससे बचाव हेतु आकस्मिक और अग्रिम तैयारी की योजनाएँ बनानी चाहिये।
- बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिला होगी। इसके लिये उचित जोखिम उपायों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति एक नवीन एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- सही जानकारी ही बचाव का बेहतर विकल्प है, इसलिये सरकार, सामाजिक संगठनों द्वारा लोगों को सही दिशा-निर्देशों का प्रसार करना चाहिये।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) ने केंद्र सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ (IL&FS) संबंधी मामले में सुझाए गए एक नए वितरण ढाँचे को स्वीकार किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस ढाँचे में सभी लेनदारों हेतु "उचित और न्यायसंगत" धन के वितरण का प्रावधान किया गया है।
- NCLAT के अनुसार, यह संकल्प प्रस्ताव केंद्र सरकार और SBI द्वारा सुझाए गए संशोधित ढाँचे के आधार पर 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये।

नोट :

क्या था IL&FS संकट ?

- इस संकट की शुरुआत तब हुई जब SIDBI से लिये गए अल्पावधि ऋण को चुकाने में IL&FS असफल रही। डिफॉल्टर होने की वजह से IL&FS की रेटिंग लगातार गिरने लगी।
- IL&FS की सहायक कंपनियाँ भी 46 करोड़ रुपए का ऋण चुकाने में असफल रहीं।
- IL&FS द्वारा 10 वर्षों से अधिक अवधि की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा लिया गया उधार कम अवधि का होता है, जो परिसंपत्ति-देयता अंतर को बढ़ा देता है।
- IL&FS का सबसे बड़ा शेयरधारक LIC है, जिसके पास 25.34% शेयर हैं। LIC के बाद ORIX के पास 23.54% शेयर हैं।

SBI और केंद्र सरकार का प्रस्ताव:

- केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि संशोधित वितरण ढाँचे में सभी सार्वजनिक लेनदारों, जैसे-पेंशन और भविष्य निधि, सैन्य कल्याण, कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा सुपरनेशन फंड को उनके बकाया राशि का कम-से-कम कुछ हिस्सा चुकाया जाए।
- केंद्र सरकार के अनुसार, यदि इन सार्वजनिक निधियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो ऋण संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर देश के वित्तीय बाज़ारों पर पड़ सकता है।
- इसके अलावा IL&FS की होल्डिंग कंपनियों के ऋणदाताओं के लिये रिज़ॉल्यूशन प्लान के अंतर्गत ब्याज घटक का भुगतान करने पर विचार किया जाना चाहिये।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 'रेड' और, एम्बर 'श्रेणी के तहत कंपनियों के लिये एक रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क का सुझाव दिया था, जिसे NCLAT ने भी स्वीकार कर लिया है।
- SBI ने यह सुझाव दिया है कि जिन कंपनियों में अब तक 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स' (Committee of Creditors- CoC) का गठन नहीं हुआ है, उनमें शीघ्र एक CoC का गठन किया जाए।
- ऐसी कंपनियाँ जहाँ CoC का गठन हो चुका है वहाँ रिज़ॉल्यूशन सलाहकार को नवीनतम निष्पक्ष बाज़ार और परिसमापन मूल्य रिपोर्ट (liquidation Value Reports) के साथ CoC से संपर्क करना चाहिये।
- SBI ने यह सुझाव दिया है कि एक पूर्व न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ता की देखरेख में एक केंद्रीय समन्वय टीम, जिसमें IL&FS के 7-8 प्रतिनिधि शामिल हों, को वरिष्ठ ऋणदाता बैंक, रिज़ॉल्यूशन कंसल्टेंट की निगरानी के लिये गठित किया जा सकता है।
- इस ढाँचे का कुछ अन्य लेनदारों द्वारा यह कहते हुए विरोध किया गया कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC) की धारा 53 का उपयोग इस ढाँचे के क्रियान्वयन के लिये किया जा सकता है, यह धारा परिचालन और अन्य सभी प्रकार के लेनदारों की तुलना में वित्तीय लेनदारों को वरीयता देती है।
- NCLAT ने लेनदारों की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यह सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा क्योंकि सार्वजनिक निधियों द्वारा निवेश किया गया धन शेयरधारकों का होता है।

बोडो समझौता: संभावित समस्याएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने बोडो समूहों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि यह समझौता बोडो आंदोलन को समाप्त करने में कारगर साबित नहीं हो पाएगा।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय 'संविधान की छठी अनुसूची' को 'सत्ता में साझेदारी एवं बेहतर शासन के प्रयोग के लिये संविधान में शामिल किया गया था तथा ऐसी कल्पना की गई थी कि यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों के जातीय-राष्ट्रवादी पहचान संबंधी सवालों का समाधान करने में रामबाण साबित होगा।
- परंतु हाल ही में हस्ताक्षरित 'तीसरे बोडो समझौते' के प्रति गुस्से एवं उत्साह वाली मिलीजुली प्रतिक्रिया एक साथ दिखाई दी है, ऐसे में इस समझौते की व्यावहारिकता को लेकर प्रश्न खड़े किये जा रहे हैं।

बोडो समझौता:

- ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (All Bodo Students' Union- ABSU), यूनाइटेड बोडो पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (United Bodo People's Organisation- UBPO) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (National Democratic Front of Boroland- NDFB) संगठन के सभी चार गुटों के बीच दिल्ली और दिसपुर में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस समझौते के अनुसार, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council- BTC) को छठी अनुसूची के तहत अधिक विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।
- इस समझौते में बोडोलैंड राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन BTC क्षेत्र का विस्तार किया गया है तथा इसमें बोडो वर्चस्व वाले गाँव जो वर्तमान में BTC क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें BTC क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।
- बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र ज़िला (Bodo Territorial Area District- BTAD) जो BTC द्वारा शासित स्वायत्त क्षेत्र है, संवर्द्धित क्षेत्र के सीमांकन के बाद इसे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (Bodoland Territorial Region- BTR) के रूप में जाना जाएगा।

पूर्ववर्ती बोडो समझौता:

- पूर्ववर्ती बोडो समझौते पर 10 फरवरी, 2003 को विद्रोही संगठन 'बोडो लिबरेशन टाइगर्स' (Bodo Liberation Tigers- BLT) द्वारा दिल्ली और दिसपुर में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रीय स्वायत्तता के एक नवीन प्रयोग के रूप में BTC का निर्माण किया गया था।
- हालाँकि BTC की विधायी शक्ति वास्तविकता में कम हो गई क्योंकि राज्यपाल ने BTC विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधान को स्वीकृति प्रदान नहीं की।

कमियाँ:

'कामतपुर '(Kamatapur) राज्य की मांग:

- बोडो समूहों ने राज्य में जारी आंदोलन को रोक दिया है, लेकिन कूच-राजबंशी (Koch-Rajbongshi) समुदाय के संगठन ने 'कामतपुर ' (Kamatapur) राज्य की मांग को लेकर बोडो समझौते के खिलाफ आंदोलन को तेज़ कर दिया है।
- कामतपुर राज्य की मांग का क्षेत्र वर्तमान BTAD, प्रस्तावित BTR तथा बोडोलैंड राज्य के मांग क्षेत्र की सीमाओं का अतिव्यापन करता है।
- इस नृजातीय-केंद्रित शक्ति साझाकरण मॉडल (Ethno-Centric Power Sharing Model) में अनेक दोष उत्पन्न होने की संभावना है क्योंकि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के साथ-साथ गैर-आदिवासियों को भी एसटी का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया है। ऐसे में BTC में आरक्षण सिर्फ बोडो समुदाय को प्रदान किया जाएगा या इसमें अन्य समूह भी शामिल किये जाएंगे, नए समझौते में ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।

कामतपुर (Kamatapur):

- ऑल कूच-राजबंशी स्टूडेंट यूनियन' (All Koch-Rajbongshi Students' Union- AKRSU) कामतपुर राज्य निर्माण तथा इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रही हैं।
- कूच-राजबंशी समुदाय की आबादी असम के 15 एवं पश्चिम बंगाल के 6 ज़िलों में फैली है।
- कूच-राजबंशी समुदाय की अलग राज्य की मांग कूच बिहार साम्राज्य की देन है। वर्ष 1949 में कूच बिहार को भारत में शामिल किया गया था।

नोट :

BTAD की जनसांख्यिकी संरचना:

कुल जनसंख्या	31,51,047
ST समुदाय	33.50%
ST में बोडो समुदाय	90%

- 'छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त ज़िला परिषदों' में BTAD के अलावा अन्य सभी 9 परिषदों में ST समुदाय बहुमत में हैं। BTAD की ऐसी जनसांख्यिकीय संरचना के कारण राजनेता गैर-बोडो समुदायों की राजनीतिक लामबंदी कर सकते हैं तथा इस बात को प्रचारित कर सकते हैं कि BTC एक दोषपूर्ण मॉडल है और यह अल्पसंख्यकों को बहुमत पर शासन करने की अनुमति देता है।

आयोग की नियुक्ति:

- नए समझौते के अनुसार संस्पर्शी (Contiguous: अविछिन्न रूप से) BTAD के निर्माण के लिये असम सरकार द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी ताकि ऐसे गाँव जहाँ बोडो जनसंख्या बहुमत में हो उनको BTAD में शामिल किया जा सके।
- हालाँकि BTAD के मुख्य क्षेत्र में बहुसंख्यक गैर-एसटी आबादी वाले कई गाँव, जिन्हें अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, आगे भी BTAD में शामिल रहेंगे।

संवैधानिक प्रावधान:

- छठी अनुसूची के अनुसार, "अगर एक स्वायत्त ज़िले में विभिन्न अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।"
- हालाँकि यह प्रावधान BTAD के संबंध में लागू न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये कि पिछले बोडो समझौते के बाद संविधान में संशोधन किये गए थे।

क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद:

- तत्कालीन पावी-लखेर (Pawi-Lakher) क्षेत्रीय परिषद देश की एकमात्र क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद थी।
- 1972 में पावी-लखेर क्षेत्रीय परिषद को तीन क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों (चकमा स्वायत्त ज़िला परिषद, लाई स्वायत्त ज़िला परिषद, मारा स्वायत्त ज़िला परिषद)में विभाजित किया गया। इन तीनों परिषदों को बाद में मिज़ोरम राज्य में छठी अनुसूची के तहत पूर्ण स्वायत्त ज़िला परिषद का दर्जा दिया गया।

राजनीतिक लामबंदी :

- बोडो समुदाय का उत्साह समझौते में NDFB के सभी चार गुटों को शामिल करने के साथ ही समाप्त हो गया। ये गुट दो खेमों में बँटे हैं: पहला, असम में सत्तारुढ़ भाजपा सरकार का एक सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (Bodoland People's Front- BPF) तथा दूसरा ABSU समर्थित यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (United Peoples Party Liberal- UPPL)।
- नया समझौता BTC चुनावों के दौरान BTAD में राजनीतिक लामबंदी को बढ़ाएगा।

सरकार और अन्य एजेंसियों को गैर-अनुसूचित क्षेत्र की आबादी का विश्वास जीतने एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही राजनीतिक दलों को लोकलुभावन राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) में संशोधन करते हुए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) और हैंड सैनिटाइज़र को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिये एक आदेश अधिसूचित किया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009) के तहत एक एडवाइज़री भी जारी की है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य, विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श कर उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति श्रंखला को सुचारु बनाने के लिये कह सकते हैं।

क्या है समस्या:

- विगत कुछ सप्ताहों के दौरान कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के चलते मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइज़र या तो बाज़ार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं हैं अथवा बहुत अधिक कीमतों पर काफी मुश्किल से उपलब्ध हो रहे हैं।

अधिनियम में शामिल करने से लाभ:

- इन दोनों वस्तुओं के संबंध में राज्य अपने शासकीय राजपत्र में अब केंद्रीय आदेश को अधिसूचित कर सकते हैं और इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं साथ ही संबंधित राज्यों में व्यापत प्रकोप के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियाँ वर्ष 1972 और 1978 के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले ही प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। अत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाज़ारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य न्यूनतम खुदरा मूल्य पर इन दोनों वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं।

क्या हैं दंडात्मक प्रावधान?

- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी उल्लंघनकर्त्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोरबाज़ारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उसे अधिकतम 6 माह के लिये नज़रबंद किया जा सकता है।

निर्णय का संभावित प्रभाव:

- यह निर्णय केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइज़र के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण आदि को विनियमित करने और इन वस्तुओं की बिक्री एवं उपलब्धता को सहज बनाने तथा आदेश के उल्लंघनकर्त्ताओं एवं इनके अधिमूल्यन, कालाबाज़ारी आदि में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाएगा।
- इससे आम जनता को दोनों वस्तुएँ उचित कीमतों पर उपलब्ध होंगी।
- राज्यों को उपरोक्त दोनों वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिये राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का प्रचार करने की सलाह भी दी गई है।

आगे की राह:

- कोरोनावायरस से बचाव की तैयारी करना न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है बल्कि सभी संस्थानों, संगठनों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को आकस्मिक और अग्रिम तैयारी योजनाएँ बनाना चाहिये।
- बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिला होगी। इसके लिये उचित जोखिम उपायों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति एक नवीन एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- सही जानकारी ही बचाव का बेहतर विकल्प है, इसलिये सरकार, सामाजिक संगठनों तथा लोगों को सही दिशा-निर्देशों का प्रसार करना चाहिये।

रेल विकास प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राज्यसभा में रेल विकास प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी दी।

मुख्य बिंदु:

- रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2017 में रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंज़ूरी प्रदान की थी।
- रेल विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में निर्णय लेने के लिये सलाह प्रदान करेगा-
  - लागत के साथ-साथ सेवाओं का मूल्य निर्धारण।
  - गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के उपाय।
  - सेवा गुणवत्ता और लागत अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की सुरक्षा।
  - प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
  - बाज़ार विकास और रेल क्षेत्र में हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा हितधारकों एवं ग्राहकों के बीच उचित सौदा समझौता सुनिश्चित करना।
  - निवेश के लिये सकारात्मक माहौल बनाना।
  - रेल क्षेत्र में संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा देना।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के खिलाफ सेवा मानकों की बेंचमार्किंग करना साथ ही उन्हें प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट और लागू करना।
  - भविष्य में समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना और सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण अवसर प्रदान करना।
  - वांछित दक्षता और प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने के लिये नई तकनीकों के संबंध में उपाय सुझाना।
  - किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मानव संसाधन विकास के संबंध में उपाय सुझाना।

रेलवे द्वारा किये जा रहे अन्य प्रयास:

गैर किराया राजस्व आय बढ़ाने हेतु प्रयास:

गैर-किराया राजस्व आय बढ़ाने के लिये भारतीय रेलवे ने मोबाइल आधारित कमर्शियल पब्लिसिटी, आउट ऑफ होम एडवरटाइज़िंग, रेल डिस्प्ले नेटवर्क, अनसॉलिटेड प्रपोज़ल और मांग आधारित प्रस्ताव जारी किये हैं।

- इसके अलावा गैर-किराया राजस्व आय बढ़ाने के लिये ज़ोनल रेलवे महाप्रबंधकों को पूर्ण अधिकार सौंपे गए हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर मंडल रेल प्रबंधकों/अतिरिक्त रेलवे प्रबंधकों को उप-प्रतिनिधि के रूप में शक्तियाँ सौंप सकते हैं।
- रेलवे के भूमि संसाधनों से गैर-किराया राजस्व जुटाने के लिये तत्काल परिचालन ज़रूरतों के लिये खाली रेलवे भूमि का वाणिज्यिक विकास, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है।
- समय-समय पर गैर-किराया राजस्व आय के प्रदर्शन की समीक्षा भी की जाती है।

भारतीय रेलवे की दक्षता और प्रदर्शन मानकों को बढ़ाने हेतु प्रयास:

- भारतीय रेलवे की दक्षता और प्रदर्शन मानकों को बढ़ाने तथा अधिक जवाबदेही तय करने के लिये रेलवे बोर्ड एवं प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के बीच वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं।
- इन समझौता ज्ञापनों के तहत सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयाँ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators-KPIs) के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करते हैं।
- ये KPIs अंतर-परिचालन, वित्तीय प्रदर्शन, बुनियादी ढाँचा निर्माण कार्य, क्षमता उपयोग, परिसंपत्ति के रखरखाव और विश्वसनीयता से संबंधित होते हैं।

- मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रदर्शन का मूल्यांकन और उसकी निगरानी नियमित रूप से की जाती है।
- प्रदर्शन के संबंध में क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों द्वारा मुद्दों और बाधाओं का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। जिनका प्राय: सामना किया जाता है।

भावी आवश्यकता:

- वर्तमान समय में रेलवे के लिये यह आवश्यक है कि वह माल-भाड़ा अथवा किराए की दरों में वृद्धि न करके नवीनतम कारोबारों के लिये इनके मूल्यों में कमी करे। इससे संगठन का निगमीकरण हो होगा तथा यह व्यावसयिक तरीके से कार्य करेगा। यदि भारत के पास उपयुक्त कॉर्पोरेट योजना है तो निस्संदेह ऐसा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना (National Creche Scheme) के तहत संचालित शिशुगृहों से संबंधित सूचना जारी की गई।

राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना के बारे में:

- राष्ट्रीय क्रेच योजना जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, को 1 जनवरी, 2017 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसे पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था।
- इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- बच्चों के लिये सोने की सुविधा सहित अन्य दैनिक सुविधाएँ।
- 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्री-स्कूल शिक्षा।
- बच्चों के सर्वांगीण विकास की निगरानी।
- स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण की सुविधा।

शिशुगृह के लिये दिशा-निर्देश:

- शिशुगृह एक महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन साढ़े सात घंटे के लिये खुला रहेगा।
- शिशुगृह के मुख्य कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं एवं सहायक कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता कक्षा 10वीं तक होनी चाहिये।

एक शिशुगृह में बच्चों की संख्या और कर्मचारियों की आवश्यकताओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	बच्चों की आयु	नामांकित बच्चों की संख्या	शिशुगृह में कर्मचारियों की संख्या	शिशुगृह में सहायक कर्मचारियों की संख्या
1.	6 माह से 3 वर्ष तक	10	01	01
2.	+3 से 6 वर्ष तक	15	-	-
	योग	25	01	01

- **शिशुगृह का निर्धारित शुल्क:**
    - गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line-BPL) जीवन यापन कर रहे परिवार के लिये 20/- रुपए प्रति माह प्रति बच्चा।
    - 12000/- रुपए प्रति माह तक की आय (माता-पिता) वाले परिवार के लिये 100/- रुपए प्रति माह प्रति बच्चा।
    - 12000/- रुपए प्रति माह से ऊपर की आय (माता-पिता) वाले परिवार के लिये 200/- रुपए प्रति माह प्रति बच्चा।

भौतिक मूल ढाँचा:

- शिशुगृह एक सुरक्षित स्थान पर स्थित एवं बच्चे के अनुकूल होना चाहिये।
- निम्नलिखित कारणों के चलते शिशुगृह को बच्चों के घरों के नज़दीक या माताओं के कार्य स्थल के पास होना चाहिये:
  - ताकि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिये शिशुगृह में आसानी से आ सके।
  - आपातकाल की स्थिति में माता-पिता से संपर्क किया जा सके।
  - घर से बच्चे को लाना या भेजना आसान हो।
  - यदि कोई बच्चा लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो शिशुगृह का कर्मचारी बच्चे के बारे में पूछताछ करने के लिये जा सके।

सामाजिक सहभागिता:

- स्थानीय महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG), स्थानीय निकायों के सदस्य इत्यादि को शिशुगृह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता हैं।

अन्य संबंधित तथ्य:

- 11 मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना के तहत देश भर में 6453 शिशुगृह संचालित हैं।
- केरल सरकार द्वारा, राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना के तहत 479 शिशुगृहों का संचालन किया जा रहा है।
- नीति आयोग इस योजना का मूल्यांकन तीसरे पक्ष से कराती है।

स्पेनिश फ्लू- एक महामारी

चर्चा में क्यों?

जिस प्रकार कोरोनावायरस (COVID-19) वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से फैलता जा रहा है उसे देखते हुए कई विद्वानों ने इसकी तुलना मौजूदा इतिहास की सबसे विनाशकारी महामारी स्पेनिश फ्लू (Spanish Flu-1918-19) से की है।

स्पेनिश फ्लू (Spanish Flu)- एक महामारी

- एक सदी पूर्व इस महामारी का केंद्रबिंदु भारत था, जहाँ तकरीबन 10-20 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। इस महामारी ने भारत को दो चरणों में प्रभावित किया जिसमें शुरुआती चरण अपेक्षाकृत काफी सीमित था, जबकि महामारी का दूसरा चरण काफी खतरनाक रूप में सामने आया।
- अनुमानत: प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान स्वदेश लौटने वाले सैनिकों के माध्यम से इस बीमारी ने भारत में प्रवेश किया था।
- स्पेनिश फ्लू को लेकर वर्ष 2014 में किये गए अध्ययन में निम्नलिखित तथ्य सामने आए-
  - समय के साथ महामारी की गंभीरता कम हो गई।
  - समय के साथ मृत्यु के औसत समय में कमी आई।
  - हालाँकि महामारी की अवधि काफी लंबी थी।
  - महामारी का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में सबसे अंत में देखने को मिला।

कैसे समाप्त हुआ स्पेनिश फ्लू

- स्पेनिश फ्लू की समाप्ति को लेकर विभिन्न विद्वान निम्नलिखित कारण बताते हैं:
  - सरकार के प्रयासों और अनौपचारिक संचार के माध्यम से समय पर लोगों को इस संदर्भ में सूचना प्राप्त हो गई थी और इस महामारी के कलकत्ता पहुँचने तक लोग विभिन्न निवारक उपायों का प्रयोग करने लगे थे, जबकि बॉम्बे और मद्रास में इसे नहीं रोका जा सका क्योंकि तब तक लोगों को इस संदर्भ में जानकारी नहीं थी।
  - एक सिद्धांत के अनुसार, जैसे-जैसे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो उसकी क्षमता में कमी आ जाती है और यह धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है।
  - शोध के अनुसार, गर्म मौसम में स्पेनिश फ्लू का प्रभाव काफी सीमित होता है।

- स्पेनिश फ्लू को लेकर लगभग एक शताब्दी बाद विभिन्न प्रकार के अध्ययन किये गए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी संभावित महामारी से निपटने हेतु रणनीति तैयार की जा सके।

आगे की राह

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोनावायरस (COVID-19) को महामारी घोषित कर दिया है ऐसे में एक त्वरित प्रारंभिक प्रतिक्रिया के महत्त्व को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
- स्पेनिश फ्लू पर हुए अध्ययनों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर महामारी को फैलने से रोकने को लिये काफी कम समय मिलता है, जिसके कारण एक आपातकालीन प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

रक्षा बजट के अनुमान और आवंटन में अंतराल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा क्षेत्र पर संसदीय स्थायी समिति ने इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले बजटीय अनुमानों और आवंटन के बीच बड़े अंतराल की भरपाई न करने पर चिंता व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु:

- इस समिति ने प्रतिबद्ध देनदारियों और अतिरिक्त रक्षा खरीद के लिये समर्पित एक कोष की सिफारिश की है।
- रक्षा बजट के आवंटन में कमी ने तीन त्रि-सेवा संगठनों की स्थापना तथा अंडमान और निकोबार कमांड की परिचालन तत्परता को भी प्रभावित किया है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समिति ने बताया कि वर्ष 2015-16 के बाद से तीनों सेवाओं में से किसी को भी अनुमान के अनुसार बजट का आवंटन नहीं किया गया है।

तीनों सेनाओं का बजटीय अंतराल:

- थलसेना के लिये बजटीय पूंजी अनुमान आयर आवंटन में अंतराल, जो वर्ष 2015-16 में 4,596 करोड़ रुपए था, वर्ष 2020-21 में बढ़कर 17,911.22 करोड़ रुपए हो गया (14% से 36%)।
- नौसेना के मामले में यह अंतराल वर्ष 2014-15 के 1,264.89 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 18,580 करोड़ रुपए हो गया (5% से 41%)।
- वायुसेना के मामले में यह अंतराल 2015-16 के 12,505.21 करोड़ रुपए से बढ़कर बढ़कर वर्ष 2020-21 में 22,925.38 करोड़ रुपए हो गया (27% से 35%)।

समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी:

- समिति का मानना है कि इस तरह की स्थिति देश को आधुनिक युद्ध के लिये तैयार करने हेतु अनुकूल नहीं है, क्योंकि पूंजी गहन आधुनिक मशीनों की आवश्यकता किसी भी युद्ध के परिणाम को न केवल अपने पक्ष में झुकाने के लिये आवश्यक है बल्कि सुरक्षा संबंधी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये भी अति आवश्यक है।
- समिति ने पूंजी आवंटन में काफी कमी का उल्लेख किया है जो कि अनुमानित पूंजी से औसतन 35% कम है।
- समिति का मानना है कि नौसेना की लड़ने की क्षमता विमानवाहकों, पनडुब्बी, विध्वंसक और युद्धपोतों जैसे उच्च मूल्य आधारित उपकरणों पर निर्भर करती है लेकिन नौसेना के लिये पूंजीगत बजट के आवंटन में सबसे तेज़ गिरावट दर्ज की गई है।
- अपर्याप्त पूंजी आवंटन निश्चित रूप से संविदात्मक दायित्वों के संदर्भ में कमी की स्थिति पैदा करेगा।
- समिति ने कहा कि यह सुझाव देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अगले बजट से प्रतिबद्ध देनदारियों और नई योजनाओं हेतु एक समर्पित फंड की स्थापना की जाए।
- नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों की ऐसी स्थिति है, जहाँ बजटीय पूंजी आवंटन के एक हिस्से से अधिक उनकी देनदारियाँ हैं।

नोट :

- इसे समान करने के लिये रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देनदारियों के भुगतान को अन्य सेवाओं से संबंधित देनदारियों से अलग करने हेतु मजबूर किया गया है।
- संयुक्त कर्मचारियों हेतु विविध व्यय के तहत अनुमानित बजट 4 660.94 करोड़ रुपए था, जबकि इसके लिये किया गया बजटीय आवंटन 294.00 करोड़ रुपए है स्थायी समिति को भी यह सूचित किया गया कि पिछले वर्ष का शेष बोझ केवल 32.14 करोड़ रुपए है।
- परंतु ये आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में बजटीय आवंटन उपलब्धता 261.86 करोड़ रुपए है और शुद्ध अंतराल 399.08 करोड़ रुपए है।
- विविध व्यय में बजटीय आवंटन की कमी के कारण रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency- DSA) रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency) और सशस्त्र बल विशेष परिचालन प्रभाग (Armed Forces Special Operations Division- AFSOD) के संचालन में असमर्थता सामने आ रही है।
- बजटीय आवंटन में कमी से अंडमान और निकोबार कमांड के सामने जहाज़ों की वार्षिक परिचालन योजनाओं, वार्षिक मरम्मतीकरण योजनाओं, सिग्नल इंटेलिजेंस के रखरखाव, प्रशिक्षण संस्थानों और परिचालन इकाइयों के प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव के कारण परिचालन संबंधी बाधाएँ आ रही हैं।

संसदीय स्थायी समिति:

- स्थायी समितियाँ अनवरत प्रकृति की होती हैं अर्थात् इनका कार्य सामान्यत: निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार की समितियों का पुनर्गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इनमें शामिल कुछ प्रमुख समितियाँ इस प्रकार हैं :
  - लोक लेखा समिति
  - प्राक्कलन समिति
  - सार्वजनिक उपक्रम समिति
  - एस.सी. व एस.टी. समुदाय के कल्याण संबंधी समिति
  - कार्यमंत्रणा समिति
  - विशेषाधिकार समिति
  - विभागीय समिति

SAARC Covid-19 इमरजेंसी फण्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने SAARC देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्र में Covid-19 की चुनौती से निपटने के लिये एक SAARC Covid-19 इमरजेंसी फंड बनाने का प्रस्ताव रखा।

मुख्य बिंदु:

- 15 मार्च, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर Covid-19 की चुनौती से निपटने की रणनीति पर विचार-विमर्श के लिये सार्क समूह के सदस्य देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

Covid-19:

- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या-19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करती है।
- कोरोना वायरस (COVID -19) के शुरुआती मामले दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से होने वाले निमोनिया के रूप में सामने आए थे।
- 31 दिसंबर, 2019 को चीन ने WHO को इस अज्ञात बीमारी के बारे में सूचित किया और 30 जनवरी 2020 को इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया।

- शीघ्र ही यह संक्रामक बीमारी चीन के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों में भी फैल गई।
- इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने Covid-19 की चुनौती और इसकी अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए इस समस्या से निपटने के लिये सार्क देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से Covid-19 की चुनौती से निपटने के लिये एक 'SAARC Covid-19 इमरजेंसी फंड' स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने इस फंड के लिये भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की।
- साथ ही प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के विदेश सचिवों व अन्य अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श से इस फंड के लिये रूप-रेखा तैयार करने का सुझाव दिया।
- इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भविष्य में दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऐसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने और उनकी रोकथाम के लिये आपसी सहयोग से एक चिकित्सा संस्थान की स्थापना किये जाने का सुझाव दिया।

सार्क (SAARC):

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका (बांग्लादेश) में हुई थी।
- 17 जनवरी, 1987 को सार्क मुख्यालय की स्थापना नेपाल की राजधानी काठमांडू में की गई।
- इस संगठन की स्थापना क्षेत्र के सात देशों (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका) के सहयोग से की गई थी।
- अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान आठवें सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ।
- यह संगठन सदस्य देशों में कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शिक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है।
- क्षेत्र में Covid-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 मार्च, 2020 को सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा था।
- इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी सदस्य देशों ने Covid-19 की चुनौती, अपने अनुभव और इसकी रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित 18वें सार्क सम्मेलन के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें सभी सार्क देशों ने सामूहिक रूप से एक साथ हिस्सा लिया।

कॉन्फ्रेंस के लाभ:

- वर्ष 2014 के बाद विभिन्न कारणों से सार्क सम्मेलनों का आयोजन नहीं किया जा सका था, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहल से संगठन को पुन: एक नई ऊर्जा मिली है।
- सार्क देशों की ज्यादातर आबादी के लोग निम्न आय वर्ग के ऐसे समूहों से आते हैं जिन तक पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच नहीं है, ऐसे में संगठन के सामूहिक प्रयासों से एक बड़ी आबादी को Covid-19 से निपटने में सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- सार्क देशों के बीच आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर Covid-19 के नकारात्मक प्रभावों को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

वन हेल्थ मॉडल: आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

COVID- 19 की भयावह स्थिति ने मानव तथा पशुओं (घरेलू एवं जंगली) के स्वास्थ्य के बीच के संबंधों को उजागर किया है, ऐसे में एकीकृत स्वास्थ्य फ्रेमवर्क- जिसे 'वन हेल्थ मॉडल' (Onehealth Model) के रूप में भी जाना जाता है, को देश में लागू करने का यह उचित समय है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2018 में 'निपाह वायरस' के प्रकोप से निपटने के लिये केरल सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन हेल्थ आधारित 'केरल मॉडल' का सफलतापूर्वक प्रयोग किया।
- यद्यपि 'वन हेल्थ मॉडल' का विचार हाल ही में सामने आया है, परंतु भारत में 'क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़' (Kyasanur Forest Disease- KFD) के कर्नाटक में प्रकोप के समय प्रयोग में लाया जा चुका है।

वन हेल्थ मॉडल:

- यह एक ऐसा समन्वित मॉडल है जिसमें पर्यावरण स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा मानव स्वास्थ्य का सामूहिक रूप से संरक्षण किया जाता है।
- यह मॉडल महामारी विज्ञान पर अनुसंधान, उसके निदान और नियंत्रण के लिये वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मॉडल है।
- वन हेल्थ मॉडल, रोग नियंत्रण में अंत:विषयक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है ताकि उभरते या मौजूदा ज़ूनोटिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके।
- इस मॉडल में सटीक परिणामों को प्राप्त के लिये स्वास्थ्य विश्लेषण और डेटा प्रबंधन उपकरण का उपयोग किया जाता है।
- वन हेल्थ मॉडल इन सभी मुद्दों को रणनीतिक रूप से संबोधित करेगा और विस्तृत अपडेट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

आवश्यकता:

- प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश, वैश्विक व्यापार में वृद्धि, लोगों द्वारा की जाने वाली अधिक यात्राएँ, औद्योगिक खाद्य उत्पादन प्रणाली आदि ने नवीन रोगजनकों के लिये 'जानवरों से मनुष्यों' में पहुँचना संभव बनाया है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि वन्यजीव आवासों की क्षति के कारण मनुष्यों में उभरते संक्रामक रोगों के प्रसार में वृद्धि हुई है। ये वन्यजीवों से मनुष्यों में फैलते हैं, जैसे- इबोला, वेस्ट नाइल वायरस, सार्स, मारबर्ग वायरस आदि।

केरल का वन हेल्थ मॉडल:

- केरल सरकार ने 'निपाह वायरस' प्रभावित लोगों की संख्या को 23 पर सीमित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन-हेल्थ आधारित 'केरल मॉडल' का सफलतापूर्वक प्रयोग किया।
- इस सफलता को मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा, राजनीतिक इच्छाशक्ति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, बहु-विषयक टीम आदि के सहयोग से प्राप्त करना संभव हो सका।

कर्नाटक सरकार का प्रयोग:

भारत में वन हेल्थ मॉडल का एक प्रचलित उदाहरण वर्ष 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में 'क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़' (Kyasanur Forest Disease-KFD) से निपटने में देखा गया था।

उस समय रॉकफेलर फाउंडेशन (Rockefeller Foundation), वायरस रिसर्च सेंटर (बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी) पुणे, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (Bombay Natural History Society) जैसी विभिन्न संस्थाओं/इकाइयों ने एक साथ मिलकर कार्य किया।

इकाई या संस्था	निभाई गई भूमिका
रॉकफेलर फाउंडेशन	• योगशाला सुविधाओं सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता
वायरस अनुसंधान केंद्र	• संभावित वाहक का पता लगाना, जाँच

- ◆ WH● WHO फंड द्वारा समर्थित 'बर्ड मैन ऑफ इंडिया'- सलीम अली ने इस बात का खंडन किया कि 'पार महाद्वीपीय प्रवासी पक्षी इस रोग के रोगजनकों के प्रसार के लिये ज़िम्मेदार हैं।'
- इस पार-क्षेत्रीय सहयोग (Cross-Sectoral Collaboration) का आगे बहुत कम प्रयोग देखने को मिला तथा भारत में कई दशकों बाद भी एक वास्तविक 'वन हेल्थ नीति' का संचालन करना अभी बाकी है।

नोट :

अनुमति संबंधी बाधाएँ (Permission Constraints):

- भारत में वन हेल्थ नीति के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अलावा अनेक विनियामक संस्थाओं के अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- अनुमति में देरी इन रोगों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने में बाधा उत्पन्न करती है, इन संस्थाओं में शामिल हैं-
  - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR)
  - विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय (Ministries of External Affairs and Finance)
  - सशस्त्र बलों के महानिदेशालय
  - राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority)
  - जानवरों पर नियंत्रण और परीक्षणों के पर्यवेक्षण के लिये समिति (Committee for the Purpose of Control & Supervision of Experiments on Animals)
  - राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Health Authorities)
  - राज्य के वन प्राधिकारी (State Forest Authorities)
  - जैव विविधता बोर्ड (Biodiversity Board)

सरकार की पहल:

- भारत सरकार ने हाल ही में जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Biodiversity and Human Well-being) शुरू किया है।

जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन:

- मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित आपदाओं के प्रभावों को कम करने की दिशा में स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन, आजीविका हेतु उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता विज्ञान एवं मानव कल्याण के बीच अब तक उपेक्षित किये गए संबंध का पता लगाना है।
- वन हेल्थ इस मिशन का एक घटक है, जिसका उद्देश्य एक स्पष्ट ढाँचे के माध्यम से मानव स्वास्थ्य एवं जैव विविधता के मध्य संबंध स्थापित करना है।

आगे की राह:

- ज़ूनोटिक रोगों से निपटने का भारत के पास अग्रणी ऐतिहासिक अनुभव तथा जैव चिकित्सा अनुसंधान में मज़बूत संस्थागत ढाँचे की उपलब्धता, भारत को उभरते संक्रामक रोगों से निपटने में वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता बनने का अवसर प्रदान करता है।
- जिस तेज़ी से रोगजनकों का हाल ही में उभार देखने को मिला है ऐसे में अधिक पारदर्शिता तथा अंतराष्ट्रीय सहयोग युक्त एक एकीकृत राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से वन हेल्थ माडल पर कार्य करने की तत्काल आवश्यकता है।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology) द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission-NBM) से संबंधित सूचना जारी की गई।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission-NBM)

- NBM देश के बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विकास हेतु एक उद्योग-अकादमिक सहयोग मिशन (Industry-Academia Collaborative Mission) है।
- इस मिशन के तहत सरकार ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक सक्षम तंत्र बनाने के लिये नवाचार-3 (i3) कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

नोट :

- इस मिशन का कार्यान्वयन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council-BIRAC) द्वारा किया जाता है।
- BIRAC एक 'प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (Program Management Unit-PMU)' के माध्यम से इस मिशन का संचालन करती है।
- मिशन की गतिविधियों का निरीक्षण जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) के सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालय संचालन समिति द्वारा किया जाता है।
- तकनीकी सलाहकार समूह (Technical Advisory Group-TAG) वैज्ञानिक प्रगति की स्वीकृति के साथ ही उसकी समीक्षा करता है।
- मिशन का प्रमुख केंद्रबिंदु:
  - **किफायती उत्पादों का विकास:**
    - सार्वजनिक और निजी संस्थानों, शोधकर्त्ताओं, स्टार्टअप कंपनियों तथा उद्यमियों की मदद से भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य ज़रूरतों की पूर्ति करने हेतु सस्ते एवं सुलभ बायोफार्मास्यूटिकल (टीका, बायोसिमिलर्स-Biosimilars और चिकित्सा संबंधी उपकरण) का विकास करना।
    - हैजा, इन्फ्लूएंज़ा, डेंगू, चिकनगुनिया और न्यूमोकोकल बीमारी हेतु टीके का विकास करना।
    - मधुमेह, सोरायसिस, आपातकालीन स्थिति और ऑन्कोलॉजी हेतु बायोसिमिलर्स उत्पाद का विकास करना।
    - डायलिसिस, एमआरआई और आणविक जीवविज्ञान उपकरणों के लिये मेडटेक उपकरण (MedTech Devices) का विकास करना।
  - **साझा बुनियादी ढाँचे की स्थापना और उसे मज़बूती प्रदान करना:**
    - मौजूदा साझा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना।
    - तकनीकी विकास हेतु सहभागिता को बढ़ावा देना।
    - साझा बुनियादी ढाँचे का अभ्युत्थान एवं उसे उत्पाद की खोज एवं विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना।
    - 15 साझा बुनियादी ढाँचों का वित्तपोषण किया गया है, जो इस प्रकार हैं-
    - बायोफार्मास्यूटिकल विकास- 7
    - मेडटेक उपकरण- 6
    - टीकाकरण- 2
  - **ज्ञान और प्रबंधन कौशल को मज़बूत करना:**
    - इस मिशन का उद्देश्य मौजूदा एवं अगली पीढ़ी में अनुशासनात्मक कौशल का विकास करना है।
    - उत्पाद विकास, बौद्धिक संपदा पंजीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नियामक मानकों जैसे क्षेत्रों में उत्पाद के विकास हेतु नई जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों को महत्त्वपूर्ण कौशल के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना भी इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है।
  - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विकास करना:**
    - टेक्नोलॉजी हस्तांतरण कार्यालयों की स्थापना करना।
    - टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण देना।
    - टेक्नोलॉजी के अधिग्रहण हेतु सहायता प्रदान करना।
    - शैक्षणिक क्षेत्र संबंधी उद्योगों को बढ़ाने में मदद करना एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादों के विकास हेतु शिक्षाविदों, नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को अवसर प्रदान करना।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council-BIRAC)

- BIRAC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) द्वारा स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार से उभरते बायोटेक उद्यम को मजबूत और सशक्त बनाना है।

विनियोग विधेयक 2020-21

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को मंज़ूरी देने के साथ ही वर्ष 2020-21 के लिये भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से सरकार को राशि की निकासी का अधिकार देने वाले विनियोग विधेयक 2020-21 (Appropriation Bill 2020-21) को पारित कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक में सरकार को उसके कामकाज और कार्यक्रमों तथा योजनाओं को अमल में लाने के लिये भारत की संचित निधि से 110 लाख करोड़ रुपए निकालने हेतु अधिकृत करने का प्रावधान है।
- अब अगले चरण में वित्त विधेयक पर चर्चा करके उसे मंज़ूरी दी जाएगी। वित्त विधेयक में कर प्रस्तावों का ब्योरा होता है।
- COVID-19 के चलते सत्र स्थगन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 3 अप्रैल की अपनी निर्धारित तिथि से पहले सत्र में कटौती की कोई योजना नहीं है।
- विनियोग विधेयक के पारित होने के साथ ही वर्ष 2020-21 के बजट को पारित करने की दो-तिहाई प्रक्रिया पूरी हो गई है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को पेश किये गए बजट पर लोकसभा और राज्यसभा ने बजट के प्रावधानों पर मौजूदा सत्र के पहले चरण में चर्चा की। सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा ने विनियोग विधेयक को पारित किया है।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न मंत्रालयों के लिये अनुदान मांगों को मंज़ूरी देने हेतु सदन में 'गिलोटिन' (Guillotine) का रास्ता अपनाया।

गिलोटिन

- अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये संसद के पास समय नहीं होता है।
- ऐसे में कुछ ही मंत्रालयों के खर्च या अनुदान मांगों को पहले से निर्धारित समय पर चर्चा के लिये रखा जाता है।
- इसके पूरा होने के बाद अन्य मंत्रालयों की अनुदान मांगों को एक साथ रखकर इसे पारित कराया जाता है जिसे गिलोटिन कहते हैं।
- लोकसभा में रेलवे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।
- पर्यटन क्षेत्र पर COVID-19 के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की गई और केंद्र सरकार से अन्य देशों की तरह राहत पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया गया।

विनियोग विधेयक:

- संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा कानून अधिनियमित किये बिना भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता।
- इसका अनुपालन करते हुए लोकसभा द्वारा संचित निधि पर भारित व्यय के साथ-साथ मतदान किये जाने वाले अनुदानों की सभी मांगों को सम्मिलित करने वाले विधेयक को लोकसभा में पुर:स्थापित किया जाता है।
- इस विधेयक को विनियोग विधेयक के रूप में जाना जाता है।
- इसके नाम के अनुसार इस विधेयक का प्रयोजन सरकार को संचित निधि से किये जाने वाले व्यय का विनियोजन करने हेतु विधिक प्राधिकार प्रदान करना है।

भारत की संचित निधि:

- इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है।
- भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन (कर से प्राप्त राजस्व तथा ऋण उधार से प्राप्त होने वाला राजस्व) इसी में जमा होता है।
- संसद द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी विधेयक पारित करने पर ही इस निधि से धनराशि निकाली जा सकती है।
- संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन-भत्ते इस निधि से दिये जाते हैं। ऐसे व्यय को भारित व्यय कहा जाता है, जिसके संबंध में लोकसभा में मतदान होता है।

नोट :

कोरोनावायरस का सामुदायिक प्रसारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने घोषणा की है कि वह ऐसे लोगों का परीक्षण भी करेगा जिनका किसी भी देश में कोई यात्रा इतिहास नहीं है अथवा जो प्रत्यक्ष रूप से कोरोनवायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया।

प्रमुख बिंदु

- ICMR के अनुसार, इस घोषणा का प्रमुख उद्देश्य देश में कोरोनावायरस के सामुदायिक प्रसारण (Community Transmission) को रोकना है।
- ध्यातव्य है कि विभिन्न देशों ने सामुदायिक प्रसारण को संबोधित करने अथवा इसे रोकने के लिये विभिन्न मॉडल अपनाए हैं।
- विद्वानों का मत है कि भारत अभी वायरस के प्रसार के दूसरे चरण में है और सामुदायिक प्रसारण (Community Transmission) इसका तीसरा चरण है, इस संदर्भ में ICMR का निर्णय काफी तर्कसंगत लगता है।

सामुदायिक प्रसारण क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के अनुसार, सामुदायिक प्रसारण (Community Transmission) किसी भी रोग या वायरस के प्रसारण का एक चरण होता है।
- सरल शब्दों में कहें तो सामुदायिक प्रसारण का अर्थ उस स्थिति से होता है जब वायरस समस्त समुदाय के स्तर पर पहुँच जाता है और इसके कारण वे लोग भी प्रभावित होते हैं जिन्होंने न तो इस अवधि में कोई यात्रा की है और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आए हैं जो कोरोनावायरस से संक्रमित हैं।
- इसके अलावा देश में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) पर भी काफी अधिक ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि सामुदायिक प्रसारण (Community Transmission) के खतरे को कम किया जा सके।
- विद्वानों के अनुसार, यदि एक बार सामुदायिक प्रसारण (Community Transmission) की शुरुआत होती है, तो संपर्कों को ट्रेस करना अधिक कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिये पूर्व में दक्षिण कोरिया की एक महिला, जिसने परीक्षण करने से इनकार कर दिया था, के कारण 160 से अधिक लोग संक्रमित हो गए।

देश में सामुदायिक प्रसारण की मौजूदा स्थिति

- अब तक भारत में पाए गए अधिकांश मामलों में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों का कोई-न-कोई यात्रा इतिहास था या फिर वे किसी ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में थे जो इस वायरस से संक्रमित था।
  - उदाहरण के लिये जयपुर में इटली के पर्यटक जिन्होंने भारतीय ड्राइवर सहित समूह के 17 लोगों को संक्रमित किया था।
- वहीं दूसरी ओर आगरा में कुछ मामलों में न तो विदेश यात्रा का कोई इतिहास था और न ही वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे।
- बीते सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि 'चूँकि यात्रा से संबंधित मामलों के अलावा कुछ मामले देखे गए हैं, इसलिये इस वायरस से निपटने के लिये इस कार्य में ज़िला कलेक्टरों और राज्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।"

निजी क्षेत्र की भूमिका

- हालाँकि सरकार निजी अस्पतालों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, ताकि मरीज़ों के इलाज और अलगाव के लिये मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जा सके, किंतु निजी क्षेत्र के लिये परीक्षण प्रक्रिया को खोलने हेतु अभी तक कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है।
- इस संदर्भ में मुनाफाखोरी का विषय एक बड़ी चिंता है। विशेषज्ञों के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिये परीक्षण प्रक्रिया को खोलना प्रौद्योगिकी का प्रश्न नहीं है; निजी क्षेत्र को इस विषय में अनुमति देने का अर्थ होगा बड़ी संख्या में मरीज़ों को ऐसे स्थान पर भेजना जहाँ संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये संक्रमण नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस का परीक्षण करने के लिये सरकार को 5000 रुपए का खर्च उठाना पड़ रहा है और देश में यह परीक्षण सभी मरीज़ों के लिये मुफ्त है।

- इस प्रकार यदि सरकार निजी क्षेत्र को वायरस के परीक्षण का अधिकार देती है तो इसका अर्थ होगा कि देश के सभी नागरिक यह परीक्षण करवाने में समर्थ नहीं होंगे।

वायरस से लड़ने में भारत के मॉडल की क्षमता

- चीन (80,000 से अधिक मामले), इटली (21,000 से अधिक) और दक्षिण कोरिया (8,000) जैसे देशों में सामुदायिक प्रसारण का चरण देखा जा रहा है।
- कुछ समय के लिये भारत ने नि:शुल्क परीक्षण वाले दक्षिण कोरियाई मॉडल के स्थान पर लॉकडाउन के इटली मॉडल को लागू किया है।
- यूरोप में प्रकोप के केंद्र इटली ने देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का मॉडल अपनाया है। इटली में स्टोर और रेस्त्रां बंद कर दिये गए हैं और लोगों के आने-जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  - विदित है कि स्पेन ने भी देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है, जबकि फ्राँस ने देश के कई स्थानों को बंद कर दिया है।
- इसके विपरीत दक्षिण कोरिया ने अपने देश में लाखों लोगों के निशुल्क परीक्षण और उपचार का मॉडल अपनाया है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के इस मॉडल के कारण वहाँ दर्ज होने वाले मामलों की संख्या में काफी कमी आई है।
- हालाँकि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में एक साथ सभी लोगों का परीक्षण करने के मार्ग में संसाधनों की कमी बाधा बन सकती है।
- भारत के पास वर्तमान में तकरीबन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता है और लगभग 6000 परीक्षण किये जा चुके हैं। इस प्रकार यदि बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाता है तो हमें काफी अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

निजी क्षेत्र को परीक्षण करने का अधिकार प्रदान करने के स्थान पर भारत ने सरकारी सहायता पर परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने का विकल्प चुना है। भारत में व्याप्त गरीबी को देखते हुए भारत सरकार का यह निर्णय काफी तर्कसंगत है, हालाँकि इस संदर्भ में सरकार को अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

विदेशी अधिकरण

चर्चा में क्यों?

वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' (Amnesty International) द्वारा 'डिजायन टू एक्सक्लूड' (Designed to Exclude) नामक शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार, असम सरकार ने 'विदेशी अधिकरण' (Foreigners' Tribunal- FT) के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण उनके द्वारा विदेशी घोषित किये गए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया है।

पृष्ठभूमि:

- प्रारंभ में 11अवैध प्रवासी निर्धारण अधिकरण (Illegal Migrant Determination Tribunals- IMDT) कार्यरत थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 को रद्द कर वर्ष 2005 में इसे FTs में परिवर्तित कर दिया।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में 21, वर्ष 2009 में 4 तथा वर्ष 2014 में शेष 64 FTs को स्थापित किया।

विदेशी अधिकरण:

- विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी किया गया था।
- विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 में प्रमुख संशोधन वर्ष 2013 में किये गए।
- ये सभी आदेश पूरे देश में लागू हैं तथा किसी भी राज्य के लिये विशिष्ट नहीं हैं।

नवीनतम आदेश:

- नवीनतम संशोधन 30 मई 2019 को किया गया, जो NRC (National Register of Citizens- NRC) के खिलाफ दायर दावों एवं आपत्तियों के विरोध में अपील संबंधी मामलों के निपटारे से संबंधित है।

- 30 मई, 2019 को जारी किया गया आदेश केवल असम राज्य से संबंधित है।
- असम में वर्तमान में 100 FTs हैं, जबकि 200 से अधिक FTs को स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
- ये FTs मुख्यत 31अगस्त, 2019 को प्रकाशित अद्यनत NRC से बाहर किये गए 19.06 लाख लोगों के मामलों से संबंधित मामलों का निपटान करेगी।

सदस्यों की नियुक्ति:

- FT सदस्यों की नियुक्ति 'विदेशी अधिकरण अधिनियम' 1941, (Foreigners Tribunal Act 1941) 'विदेशी अधिकरण आदेश' 1984, (Foreigners Tribunal Order 1984) तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत की जाती है।

सदस्यों की योग्यता:

- FT सदस्यों की नियुक्ति के लिये निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-
- वह असम न्यायिक सेवा का सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी रहा हो।
- न्यायिक अनुभव रखने वाला सिविल सेवक जो सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे सेवानिवृत्त नहीं हुआ हो।
- प्रैक्टिस करते हुए अधिवक्ता (Practising Advocate) जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो तथा कम से कम सात वर्ष के अभ्यास का अनुभव रखता हो।
- असम (असमिया, बंगाली, बोडो और अंग्रेजी) की आधिकारिक भाषाओं का अच्छी समझ हो।
- विदेशी मामलों का अनुभव रखता हो।

वेतन भत्ते:

- यदि सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सिविल सेवक की नियुक्ति FTs के सदस्य के रूप में की जाती है तो उसे वही वेतन तथा भत्ता दिया जाता है जो वेतन तथा भत्ता उसकी सेवानिवृत्ति के समय था।
- यदि एक वकील की नियुक्ति FTs के सदस्य के रूप में की जाती है, तो उसे 85,000 रुपए प्रति माह वेतन तथा भत्ता दिया जाता है।

FTs में अपील का तरीका:

- वे लोग जो अद्यतन NRC सूची से बाहर रह जाते हैं वे FTs से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि कोई सदस्य FT के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो वे इसके खिलाफ आगे अपील कर सकता है।

FTs की विश्वसनीयता:

- FTs की विश्वसनीयता पर अगस्त 2017 से सवाल उठने लगे हैं, जब असम के मोरीगाँव जिले के एक FT सदस्य ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
- सदस्य के अनुसार- "विदेशी मामलों को FTs सदस्य एक उद्योग के रूप में ले रहे है तथा उनका उद्देश्य ऐसे मामलों में केवल पैसा बनाना है।"
- मोरीगाँव FT सदस्य ने यह भी देखा कि अनुचित प्रथाओं तथा नकली दस्तावेज़ों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को विदेशी तथा विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है।

आगे की राह:

- व्यक्ति की नागरिकता एक बुनियादी मानवाधिकार है। न्यायिक रूप से अपनी पहचान को सत्यापित किये बिना जल्दबाजी में लोगों को विदेशी घोषित करना बहुत से नागरिकों को राज्यविहीन (Stateless) कर देगा, अत: जो लोग सूची में शामिल नहीं हो पाते हैं उन्हें पर्याप्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिये।

नोट :

COVID-19 के उपचार हेतु HIV-रोधी दवाएँ

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोनोवायरस से संक्रमित व्यक्ति की स्थिति की गंभीरता के आधार पर HIV-रोधी दवाओं के उपयोग की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- 'COVID-19' के 'क्लिनिकल मैनेजमेंट' पर अपने संशोधित दिशा-निर्देशों में मंत्रालय ने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिये इन दवाओं की सिफारिश की है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, विशेषज्ञों की एक समिति जिसमें एम्स के डॉक्टर, नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल (NCDC) के विशेषज्ञ और WHO के सदस्य शामिल थे, ने उपचार के दिशा-निर्देशों पर दोबारा गौर किया और कोरोनोवायरस संक्रमण से पीड़ित रोगियों के लिये सहायक उपचार की सिफारिश की है।

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

- मंत्रालय ने हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन, अंग की शिथिलता जैसे लक्षण वाले रोगियों के लिये लोपिनवीर/रितोनवीर (Lopinavir-Ritonavir) के संयोजन वाली HIV-रोधी दवाओं की सिफारिश की है।

लोपिनवीर/रितोनवीर (Lopinavir-Ritonavir) के संयोजन का उपयोग व्यापक रूप से HIV संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।

- संदिग्ध या पुष्टि किये गए COVID-19 के रोगियों के लिये किसी विशिष्ट उपचार की सिफारिश करने हेतु यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (Randomised Controlled Trial) से कोई प्रमाण नहीं मिला है।
- चिकित्सा विज्ञान से पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण श्वसन संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों के उपचार हेतु किसी विशिष्ट एंटी-वायरल की सिफारिश नहीं की गई है।
- मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि लोपिनवीर/रितोनवीर का उपयोग केवल गंभीर मामलों में पीड़ित की सहमति के आधार पर ही किया जाएगा।
  - विदित है कि दवाओं के इस संयोजन का प्रयोग सर्वप्रथम एक बुजुर्ग इतालवी दंपत्ति पर किया गया था जो वर्तमान में जयपुर में COVID -19 का इलाज करा रहे हैं।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामान्य लक्षण वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि उनकी हालत तेज़ी से बिगड़ने की आशंका न हो। इस प्रकार अस्पताल में भर्ती न हुए सभी रोगियों को बीमारी के किसी भी लक्षण की स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिये।
- समय पर प्रभावी और सुरक्षित सहायक चिकित्सा सहायता प्राप्त करना ही COVID-19 की महामारी को रोकने का एकमात्र उपाय है।
- रोगियों और परिवारों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करना और उन्हें यथासंभव जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

COVID-19 क्या है?

- COVID-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बना है। संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है।
- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करते हैं।
- कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप तब सामने आया जब 31 दिसंबर, 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया।
- ध्यातव्य है कि इस खतरनाक वायरस के कारण चीन में अब तक हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह वायरस धीरे-धीरे संपूर्ण विश्व में फैल रहा है।

नोट :

सार्क क्षेत्र में भारत की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये सार्क (SAARC) देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर 15 मार्च, 2020 को आयोजित इस बैठक में सार्क (SAARC) देशों ने COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये भारत की पहल का स्वागत किया।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये एक 'SAARC COVID-19 इमरजेंसी फंड' स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा और इस फंड के लिये भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की।
- इस बैठक में भारत ने सार्क देशों के विदेश सचिवों व अन्य अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श से इस फंड के लिये रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया।

सार्क (SAARC):

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका (बांग्लादेश) में हुई थी।
- विश्व की कुल आबादी के लगभग 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं।
- सार्क की स्थापना के समय इस संगठन में क्षेत्र के 7 देश (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका) शामिल थे।
- अफगानिस्तान वर्ष 2007 में इस संगठन में शामिल हुआ।

सार्क की असफलता के कारण:

- दक्षिण एशिया विश्व का सबसे असंगठित क्षेत्र है, सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का मात्र 5% ही है।
- वर्ष 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये किया गया 'दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र' (South Asian Free Trade Area-SAFTA) समझौता वास्तविकता में बहुत सफल नहीं रहा है।
- सार्क समूह की अंतिम/पिछली बैठक वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी।
- भारत के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद वर्ष 2016 में इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में प्रस्तावित सार्क के 19वें सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से सार्क के किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है।
- हाल के वर्षों में बिम्सटेक (BIMSTEC) में भारत की बढ़ती गतिविधियों के बाद सार्क के भविष्य पर प्रश्न उठने लगा था।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत-पाकिस्तान संघर्ष इस समूह की असफलता का एक बड़ा कारण है।
- भारत के लिये ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ सामान्य व्यापार को बढ़ावा देना बहुत कठिन है जब यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, जबकि पाकिस्तान समूह में उन सभी प्रस्तावों का विरोध करता है जिसमें उसे भारत का थोड़ा सा भी लाभ दिखाई देता है।

COVID-19 महामारी और सार्क देश:

- लगभग सभी सार्क देशों की एक बड़ी आबादी निम्न आय वर्ग से आती है और ज़्यादातर मामलों में इन समूहों तक पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच नहीं है।
- साथ ही ऐसे क्षेत्रों में COVID-19 जैसी संक्रामक बीमारियों के बारे में जन-जागरूकता का अभाव इस चुनौती को और बढ़ा देता है।
- बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ भारत खुली सीमा (Open Border) साझा करता है, ऐसे में यह संक्रमण बहुत ही कम समय में अन्य देशों में भी फैल सकता है।

- सार्क देशों में COVID-19 के प्रसार से स्वास्थ्य के साथ अन्य क्षेत्रों (व्यापार, उद्योग पर्यटन आदि) को भी भारी क्षति होगी, ऐसे में सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र में COVID-19 के प्रसार को रोकना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- वर्तमान में विश्व के किसी भी देश में COVID-19 के उपचार की दवा की खोज नहीं की जा सकी है, ऐसे में इस इस बीमारी से निपटने का सबसे सफल उपाय जागरूकता,बचाव और संक्रमित लोगों/क्षेत्रों से बीमारी के प्रसार को रोकना है।
- क्षेत्र में भारत ही ऐसा देश है जो इस परिस्थिति में बड़ी मात्रा में जाँच, उपचार और चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिये कम समय में आवश्यक मदद उपलब्ध करा सकता है।

नेतृत्व का अवसर:

- भारत सार्क के सभी देशों के साथ सीमाओं के अलावा भाषा,धर्म और संस्कृति के आधार पर जुड़ा हुआ है।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण देने के साथ ही भारत के लिये सार्क के महत्व को स्पष्ट किया था।
- भारत पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि भारत अपनी मज़बूत स्थिति का उपयोग कर क्षेत्र के देशों पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है।
- मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान आदि जैसे देश जहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, भारत इन देशों को आवश्यक मदद प्रदान कर सकता है।
- वर्तमान के अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में भारत के लिये एक ज़िम्मेदार पड़ोसी के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर क्षेत्र के देशों के बीच अपनी एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का यह महत्त्वपूर्ण अवसर है।

प्रस्तावना से 'समाजवाद' शब्द को हटाने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

सत्तारूढ़ दल के एक राज्यसभा सदस्य ने संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' शब्द हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यसभा सदस्य ने यह तर्क दिया है कि यह शब्द वर्तमान परिदृश्य में 'निरर्थक' है और इसे 'एक विशेष विचार के बिना आर्थिक सोच' के लिये जगह बनाने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि बीते कुछ समय से कई संगठनों द्वारा इस प्रकार की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सरकारी विज्ञापन में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' शब्द गायब थे।
- राज्यसभा सदस्य द्वारा तैयार किये गए विधेयक में दावा किया गया है कि आपातकाल लागू होने के कारण इस शब्द को संविधान में बिना किसी चर्चा के ही शामिल कर लिया गया है।

समाजवाद का अर्थ

भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है अर्थात् यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है। समाजवाद मुख्य रूप से जनकल्याण को महत्त्व देता है, यह सभी लोगों को राजनैतिक व आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ ही वर्ग आधारित शोषण को समाप्त करता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

- सामान्य अवधारणा के अनुसार, संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ है, जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है।
- यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब होता है।

नोट :

- इस संदर्भ में भारतीय संविधान का एक विशेष महत्त्व है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किये गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है।
- विदित है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें तीन नए शब्द (समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता) जोड़े गए।

42वाँ संविधान संशोधन

- 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ने के अलावा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए थे जो निम्नलिखित हैं-
  - सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई।
  - इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिये बाध्य का किया गया।
  - इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्त्वों को व्यापक बनाया गया।
  - शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।

प्रस्तावना में संशोधन

- वर्ष 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिये इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है।
- किंतु वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार है।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात् संसद ने 42वाँ संविधान संशोधन कर संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े।

अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया।

पृष्ठभूमिः

- वर्ष 2017 में उक्त मंत्री चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गए थे।
- 8 सितंबर, 2017 को इस मामले की सुनवाई के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के अनुसार, उच्च न्यायालय किसी मंत्री के अयोग्य ठहराए जाने या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की स्थिति में निर्णय लेने के लिये विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता।
- मणिपुर के मंत्री के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिकाएँ वर्ष 2017 के बाद से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित थीं।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य मंत्रिमंडल से उन्हें अगले आदेश तक विधान सभा में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है।
- 21 जनवरी को, न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीश की पीठ ने अध्यक्ष से अयोग्यता वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा है।

संविधान का अनुच्छेद 142:

- जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा।
- अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिये आवश्यक हों और इसके द्वारा दिये गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है।
- संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिये ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज़ अथवा स्वयं की अवमानना की जाँच और दंड को सुरक्षित करते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 212:

- न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जाँच न किया जाना-
  - राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
  - राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिकता के अधीन नही होगा।
- दल-बदल विरोधी कानून:
  - वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में 'दल-बदल विरोधी कानून' पारित किया गया। साथ ही संविधान की दसवीं अनुसूची जिसमें दल-बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया।
  - इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में 'दल-बदल' की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी।

दल-बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान:

दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि:

- एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है।
- कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।
- छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

अयोग्य घोषित करने की शक्ति:

- कानून के अनुसार, सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है।
- यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।

दल-बदल विरोधी कानून के अपवाद:

- यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना जाता है तो वह अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे सकता है और अपने कार्यकाल के बाद फिर से राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उसे यह उन्मुक्ति पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिये दी गई है।
- दल-बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।

नोट :

लाभ:

- यह कानून सदन के सदस्यों की दल- बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है।
- यह राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर होने वाले अप्रगतिशील खर्च को कम करता है।
- यह कानून विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान देता है।

वैश्विक रोज़गार पर COVID-19 का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर बेरोज़गारी में भारी वृद्धि होगी और इस दौरान कर्मचारियों की आय में भी कटौती होगी।

मुख्य बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ (International Labour Organization-ILO) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, श्रमिक बाज़ार पर COVID-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव बहुत ही दूरगामी होंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर भारी मात्रा में बेरोज़गारी में वृद्धि होगी।
- इस अध्ययन में अलग-अलग परिस्थितियों और सरकारों की समन्वित प्रतिक्रिया के स्तरों के आधार पर श्रमिक बाज़ार पर COVID-19 के प्रभावों के संदर्भ में अनुमानित आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं।
- इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2019 में दर्ज किये गए बेरोज़गारी के 188 मिलियन श्रमिकों के आँकड़ों के अलावा 5.3 मिलियन अतिरिक्त श्रमिक भी इस बेरोज़गारी की चपेट में होंगे जबकि सबसे बुरी स्थिति में बेरोज़गारी के आँकड़े 24 मिलियन तक पहुँच सकते हैं।
- ILO के अनुसार, वर्ष 2008-09 के वित्तीय संकट के कारण वैश्विक बेरोज़गारी के मामलों में 22 मिलियन की वृद्धि हुई थी।
- बेरोज़गारी के मामलों में बड़ी मात्रा में वृद्धि की उम्मीद इस लिये भी की जा सकती है क्योंकि COVID-19 के आर्थिक दुष्प्रभावों के कारण काम करने के समय/घंटों (Hours) और मज़दूरी में भी भारी कमी होगी।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ (International Labour Organization-ILO):

- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय संधि (Treaty of Versailles) द्वारा राष्ट्र संघ (League of Nations) की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में हुई थी।
- इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
- वर्तमान में विश्व के 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं।
- ILO के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
  - श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तैयार करना।
  - कार्य स्थलों पर श्रमिकों के अधिकारों को प्रोत्साहित करना।
  - श्रम और रोज़गार से जुड़े मुद्दों पर संवाद और सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देना आदि।
- अध्ययन के अनुसार, विकासशील देशों में जहाँ अब तक स्व-रोज़गार (Self-Employment) ऐसे आर्थिक परिवर्तनों को कम करने में सहायक होता था, वर्तमान में लोगों और वस्तुओं के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों के कारण उतनी मदद नहीं कर पाएगा।
- ILO अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 के अंत तक श्रमिकों की आय में कमी का यह आँकड़ा 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है।

बढ़ती बेरोज़गारी के दुष्प्रभाव:

- ILO प्रमुख के अनुसार, COVID-19 की समस्या अब मात्र एक स्वास्थ्य संकट न होकर श्रमिक बाज़ार और आर्थिक क्षेत्र के लिये भी एक बड़ा संकट है, जिसका लोगों के जीवन पर बहुत ही गंभीर प्रभाव होगा।

- इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की आय में कमी से वस्तुओं और सेवाओं (Services) की मांग में भी कमी आएगी, जिसका सीधा प्रभाव व्यवसायों और अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा।
- एक या एक से अधिक नौकरियों में होने के बावजूद भी गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या में भारी वृद्धि होगी।
- अध्ययन के अनुसार, COVID-19 के आर्थिक दुष्प्रभावों के कारण आने वाले दिनों में अनुमानत: 8.8-35 मिलियन अतिरिक्त लोग 'वर्किंग पूअर' (Working Poor) की श्रेणी में जुड़ जाएँगे।
- ILO के अनुसार, समाज के कुछ समूह जैसे- युवा, महिलाएँ, बुजुर्ग और अप्रवासी आदि इस आपदा से असमान रूप से प्रभावित होंगे, जो समाज में पहले से ही व्याप्त असमानता/पक्षपात को और भी बढ़ा देगा।

समाधान:

- ILO ने इस आपदा से निपटने के लिये बड़े पैमाने पर चलाई जाने वाली समायोजित योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया।
- ILO के अनुसार, कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने के लिये वैतनिक अवकाश (Paid Leave), सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, सब्सिडी जैसे समायोजित प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ILO प्रमुख के अनुसार, वर्ष 2008 के आर्थिक संकट की चुनौतियों से निपटने के लिये विश्व के सभी देश एक साथ खड़े हुए थे, जिससे एक बड़ी आपदा को टाला जा सका था। वर्तमान में हमें इस संकट से निपटने के लिये वैसे ही नेतृत्त्व की आवश्यकता है।

हर्ड इम्युनिटी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटिश सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने ब्रिटेन में तेज़ी से फैल रही COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity) के विकल्प को अपनाने के संकेत दिये हैं।

मुख्य बिंदु:

क्या है हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity):

- हर्ड इम्युनिटी से आशय- "किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना है।"
- इस प्रक्रिया को अपनाने के पीछे अवधारणा यह है कि यदि पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित (Immune) हों तो किसी समाज या समूह में रोग के फैलने की शृंखला को तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार रोग को उन लोगों तक पहुँचाने से रोका जा सकता है, जिन्हें इससे सबसे अधिक खतरा हो या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है।

हर्ड इम्युनिटी कैसे काम करती है?

- किसी संक्रामक बीमारी के प्रसार और उसके लिये आवश्यक प्रतिरक्षा सीमा का अनुमान लगाने के लिए महामारी वैज्ञानिक (Epidemiologists) एक मानक का उपयोग करते हैं जिसे 'मूल प्रजनन क्षमता' (Basic Reproductive Number-R0) कहा जाता है।
- यह बताता है कि किसी एक मामले या रोगी के संपर्क में आने पर कितने अन्य लोग उस रोग से संक्रमित हो सकते हैं।
- 1 से अधिक R0 होने का मतलब है कि एक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है।
- वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार, खसरे (Measles) से पीड़ित एक व्यक्ति 12-18 अन्य व्यक्तियों जबकि इन्फ्लूएंजा (Influenza) से पीड़ित व्यक्ति लगभग 1-4 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है।
- वर्तमान में चीन से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि COVID-19 का R0 2 से 3 के बीच हो सकता है।
- कोई भी संक्रमण किसी समाज/समूह में तीन प्रकार से फैल सकता है:
  1. पहली स्थिति में जहाँ समूह में किसी भी व्यक्ति का टीकाकरण न हुआ हो ऐसे समूह में यदि 1 गुणांक वाले R0 के दो मामले आते हैं तो ऐसे में वह पूरा समुदाय संक्रमित हो सकता है।

2. दूसरी स्थिति में यदि किसी समूह के कुछ ही लोगों का टीकाकरण हुआ हो तो उन लोगों को छोड़कर समूह के अन्य लोग संक्रमित हो सकते हैं।
3. परंतु यदि किसी समूह में पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित हों तो ऐसी स्थिति में समूह के वही लोग संक्रमित होंगे जो बहुत ही कमज़ोर होंगे या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत ना हो।

हर्ड इम्युनिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है?

- विशेषज्ञों के अनुसार हर्ड इम्युनिटी की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे-संक्रमण के बचाव के लिये दिये जाने वाले टीके का प्रभाव, संक्रमण और टीके के प्रभाव की अवधि और समूह का वह भाग जो संक्रमण के प्रसार के लिये उत्तरदाई हो आदि।
- गणितीय रूप में इसे एक निश्चित संख्या से निर्धारित किया जाता है, जिसे 'समूह प्रतिरक्षा सीमा' (Herd Immunity Threshold) कहा जाता है। यह उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन पर संक्रमण का प्रभाव और संचार नहीं हो सकता।
- पोलियो के लिये यह सीमा 80-85% जबकि खसरे के लिये 95% है। वर्तमान में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर COVID-19 के लिये यह सीमा लगभग 60%है अर्थात किसी समूह में COVID-19 के प्रति हर्ड इम्युनिटी प्राप्त करने हेतु समूह के 60% लोगों का प्रतिरक्षित होना आवश्यक है।

COVID-19 से निपटने में हर्ड इम्युनिटी की चुनौतियाँ:

- विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में अधिक जानकारी के अभाव में प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिये समाज के अधिक लोगों को COVID-19 से संक्रमित होने देना जोखिम भरा कदम होगा।
- इतनी बड़ी मात्रा में लोगों में COVID-19 के प्रति प्रतिरक्षा के विकास में बहुत समय लग सकता है, जिससे कई खतरे हो सकते हैं, विशेषकर जब हमें पता यह है कि हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी सह-रुग्णता (Co-morbidities) वाले लोग इस संक्रमण से सबसे अधिक असुरक्षित हैं।
- इस प्रक्रिया में उन्ही लोगों में प्रतिरक्षा का विकास हो सकता है जो एक बार संक्रमित होकर संक्रमण से मुक्त हो सके। परंतु COVID-19 के संदर्भ में इस प्रक्रिया की सफलता के कोई प्रमाण नहीं हैं और न ही यह सुनिश्चित किया जा सका है कि एक बार ठीक होने के बाद कोई व्यक्ति पुन: इस रोग से संक्रमित नहीं होगा।
- इस प्रक्रिया में पहले से ही दबाव में कार्य कर रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर बोझ और बढ़ जाएगा जो इस आपदा के समय में सही निर्णय नहीं होगा।

राज्यसभा के लिये मनोनयन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिये नामांकित किया गया, जिससे राज्य सभा में नामांकित सदस्यों की भूमिका को लेकर अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

- श्री गोगोई, शिक्षाविद मृणाल मिरी (Mrinal Miri) के बाद असम से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं।
- पूर्वोत्तर से दो अन्य व्यक्ति मेघालय से शिक्षाविद् बी.बी. दत्ता और मणिपुर से मुक्केबाज़ एम.सी. मैरीकॉम को भी मनोनीत किया गया है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने असम में 'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर' (National Register of Citizens- NRC) को अद्यतन करने तथा 'राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद' में फैसला सुनाया था।

राज्य सभा में मनोनयन:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है।
- राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है।
- इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है।

विवाद का कारण:

- सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पाबंदी:
  - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया है कि वह न्यायिक निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान न रखें। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्त के बाद न्यायाधिकरणों एवं आयोगों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद भी नियुक्ति किये जाने के निम्नलिखित कारण हैं-
  - प्रथम, पिछले कुछ दशकों में अधिकरणों एवं आयोगों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई हैं, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सदस्यों के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है।
  - दूसरा, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु (उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष) में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभी भी सार्वजनिक हित में अपने व्यापक अनुभव का उपयोग करने की स्थिति मे होते हैं।

मनोनयन को लेकर पूर्व में हुये विवाद:

- सचिन तेंदुलकर के नामांकन को लेकर कुछ तर्कशील भारतीयों ने इस आधार पर यह प्रश्न किया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 (3) में निर्दिष्ट श्रेणियों- 'साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा' में खेल शामिल नहीं हैं, इसलिये कोई भी खिलाड़ी मनोनयन के पात्र नहीं है। परंतु बाद में माना गया कि निर्दिष्ट श्रेणियाँ अपने आप में पूर्ण (Exhaustive) नहीं हैं अपितु उदाहरण (Illustrative) मात्र हैं।

मनोनयन का उद्देश्य:

- प्रसिद्ध लोगों का संसद मे प्रवेश:
  - प्रसिद्ध लोगों के मनोनयन के पीछे उद्देश्य यह है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके।
  - यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अमेरिकी सीनेट में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है।
- समावेशी समाज का निर्माण:
  - राष्ट्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका के एक सदन के रूप मे राज्य सभा का निर्माण करते समय लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण की दिशा में चुनाव (Election) एवं मनोनयन (Nomination) की विशिष्ट सम्मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया तथा राज्य सभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया।
  - संसदीय वास्तुकला मे मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति भारतीय समाज को अधिक समावेशी बनाने वाली व्यवस्था का समर्थन करती है।
- राष्ट्र का प्रतिनिधित्व:
  - मनोनीत सदस्य किसी राज्य का नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सदन में राष्ट्रीय आकाँक्षाओं एवं लोकाचार (Ethos) को प्रतिबिंबित करते हैं तथा सदन का गौरव बढ़ाते हैं।
- संकीर्ण राजनीति से ऊपर:
  - डॉ. ज़ाकिर हुसैन वर्ष 1952 में मनोनीत 12 सदस्यों में से एक प्रमुख शिक्षाविद् थे। उनका मानना था- "राष्ट्रीय पुनर्जागरण (National renaissance) राजनीति के संकीर्ण द्वार से नहीं प्रवेश कर सकता, इसके लिये बाढ़ रूपी सुधारवादी शिक्षा की जरूरत है।"

नुकसान (Disadvantages):

- मनोनीत सदस्यों का प्रावधान लोकतंत्र की परिभाषा- 'लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिये शासन' के खिलाफ है।
- यह प्रावधान जनता के प्रति जवाबदेहिता के सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि मनोनीत सदस्य किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

आगे की राह:

- हालाँकि संविधान में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इस तरह के पदों को स्वीकार करने पर रोक नहीं है, लेकिन ये नियुक्तियाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करती हैं। अत: ऐसी प्रथाओं को रोकने के संसदीय प्रयास होने चाहिये, नहीं तो सेवानिवृत्त होने से पूर्व के फैसले सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली नौकरी से प्रभावित होंगे।

नोट :

मनोनीत सदस्यों से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी:

- संविधान का स्रोत:
  - राज्य सभा के लिये सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
- दल बदल कानून का प्रावधान:
  - अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे दल बदल अधिनियम के तहत निरर्ह करार दिया जा सकता है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग:
  - संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव मे भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं।

पारंपरिक चिकित्सा हेतु विनियामक निकाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने होम्योपैथी और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के लिये अलग आयोग गठित करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 (National Commission for Homoeopathy Bill, 2019) और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 (The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019) पारित किया है।

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 (The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019)

- राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक को 7 जनवरी, 2019 को राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात् इसे समीक्षा के लिये एक स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने नवंबर, 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस विधेयक में भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 को निरस्त करने तथा एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य उद्देश्यों के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता और नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके अलावा इस विधेयक में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो कि मौजूदा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद को प्रतिस्थापित करेगा।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 (National Commission for Homoeopathy Bill, 2019)

- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 को भी 7 जनवरी, 2019 को राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को निरस्त करने के प्रावधान किये गए हैं।
- विधेयक में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि मौजूदा केंद्रीय परिषद का स्थान लेगा।
- यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को रद्द करता है और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है, जो निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित करे-
  - उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल पेशेवरों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराना।
  - होम्योपैथिक मेडिकल पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाना।
  - मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
  - एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करना।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973

- होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन, केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा संबंधित मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिये होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को लागू किया गया था।
- यह अधिनियम होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रैक्टिस के विकास के लिये एक ठोस आधार प्रदान करता है।

होम्योपैथी (Homoeopathy)

- होम्योपैथी की खोज जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चन फ्रेडरिक सैमुएल हैनिमैन (Christian Friedrich Samuel Hahnemann) (1755-1843) द्वारा अठारहवीं सदी के अंत में की गई थी।
  - यह प्रणाली दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की एक ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है।

सदन में बहुमत

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश की हालिया राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच 'शक्ति परीक्षण' या 'विश्वास मत' जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे।

प्रमुख बिंदु:

- संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, राज्य में कोई भी सरकार तभी काम कर सकती है जब उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो।
- जब कभी विपक्ष को लगता है कि वर्तमान सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है तो विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराने की कोशिश करता है।

फ्लोर टेस्ट (Floor Test):

- फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं।
- जब किसी राज्य की विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है, तो मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना होता है। फ्लोर टेस्ट में असफल होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।

विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर:

- विश्वास प्रस्ताव:
  - विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाता है जिससे वह साबित कर सके कि उनके पास बहुमत है।
  - विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है और अंत में इस पर मतदान होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में तथा कितने विपक्ष में हैं ।
  - अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष में होते है तो सरकार को कोई खतरा नही होता है।
- अविश्वास प्रस्ताव:
  - अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया जाता है।
  - यह प्रस्ताव लाने हेतु विधायक/सांसद को विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है। विधानसभा अध्यक्ष से मंज़ूरी के पश्चात् अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है।
  - नोटिस मंज़ूर होने के 10 दिनों के अंदर सदन में इस पर बहस कराने और मत विभाजन कराने का प्रावधान है।
  - अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष इस पर मत विभाजन, ध्वनिमत या मतपत्र के जरिए मतदान कराता है। लोकसभा में नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है।

सदन में मतदान के प्रकार:

- ध्वनिमत (Voice Vote): विधायिका मौखिक रूप से प्रतिक्रिया देती है।
- मत विभाजन (Division Vote): मत विभाजन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्लिप्स या बैलेट बॉक्स का उपयोग करके मतदान किया जाता है।
- मतपत्र (Ballot Vote): बैलेट बॉक्स आमतौर पर एक गुप्त वोट होता है- जैसे राज्य या संसदीय चुनाव के दौरान लोग वोट देते हैं।

विधान सभा अध्यक्ष के अधिकार और शक्तियाँ

- विधान सभा परिसर में सर्वोच्च प्राधिकार।
- सदन में अनुशासन बनाए रखना।
- सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने की ज़िम्मेदारी।
- सदन की कार्यवाही संचालन के लिये नियम बनाने की शक्ति।
- कोरम के अभाव में सदन को स्थगित या निलंबित करने की शक्ति।
- सामान्य स्थिति में मत नही दे सकते हैं लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है।
- सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति देना।
- अशिष्ट आचरण या विशेषाधिकार भंग करने पर संबंधित सदस्य को निष्कासित कर सकते हैं।
- प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार।
- जरूरी होने पर किसी नियम को निलंबित करने की शक्ति।
- अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन के परिसर में सदन के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नही किया जा सकता है।

COVID-19 अधिसूचित आपदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (State Disaster Response Fund-SDRF) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से COVID-19 को एक अधिसूचित आपदा (Notified Disaster) के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में कोरोनावायरस (COVID-19) को एक वैश्विक महामारी घोषित किया था, इसके कारण वैश्विक स्तर पर अब तक 8000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग अब भी इसकी चपेट में हैं।
- यह महामारी दुनिया भर के तकरीबन 168 देशों में पहुँच चुकी है भारत में भी कोरोनावायरस संक्रमण के 190 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
- इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है।
- ऐसी स्थिति में यह काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र सरकार राज्यों को इस महामारी से निपटने के लिये यथासंभव संसाधन उपलब्ध कराए ताकि आपदा की इस स्थिति से जल्द-से-जल्द निपटा जा सके।

COVID-19 अधिसूचित आपदा

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के अनुसार, आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, अथवा अपेक्षाकृत गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से अथवा दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है और जिसमें काफी बड़ी मात्रा में मानव संसाधन की हानि होती है या संपत्ति को हानि पहुँचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) का उपयोग केवल चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटने, हिमस्खलन और कीटों के हमले आदि स्थिति में ही किया जा सकता है।

- अब तक गंभीर चिकित्सा अथवा महामारी की स्थिति अधिसूचित आपदा सूचियों के अंतर्गत नहीं आती थीं, जिसके कारण SDRF का प्रयोग ऐसी स्थितियों में नहीं किया जा सकता था।
- गृह मंत्रालय द्वारा लिये गए इस निर्णय से राज्य सरकारें कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने के लिये SDRF का उपयोग कर सकेंगी।

महामारी और अमेरिका

- COVID-19 महामारी से निपटने के लिये हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी देश में एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए स्टैफोर्ड अधिनियम (Stafford Act) लागू कर दिया है।
- अमेरिका के इस नियम के अनुसार, संघीय सरकार राज्यों के लिये किसी भी आपदा से निपटने हेतु राहत की लागत में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान करती है।
- स्टैफोर्ड अधिनियम राष्ट्रपति को स्थानीय सरकारों, राज्य सरकारों, कुछ निजी गैर-लाभकारी संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिये अधिकृत करता है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (State Disaster Response Fund-SDRF)

- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया जाता है और यह अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों के समक्ष मौजूद प्राथमिक निधि होती है।
- नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये SDRF आवंटन में 75 प्रतिशत का योगदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये यह 90 प्रतिशत से अधिक होता है।
  - विदित हो कि विशेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया जाता है।
- SDRF के लिये केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर दो समान किश्तों में धनराशि जारी करती है।

स्कूल बंद के दौरान छात्रों के लिये खाद्य सुरक्षा भत्ता

चर्चा में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने सभी राज्य सरकारों से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों के लिये मिड-डे मील (MDM) कार्यक्रम को जारी रखने या उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने को कहा है।

प्रमुख बिंदु:

- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों 16 मार्च को कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से स्कूलों में देशव्यापी बंद की घोषणा की थी, वहीं दिल्ली और केरल जैसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने सरकार के इस आदेश से पूर्व ही 31 मार्च तक स्कूलों को बंद कर दिया था।
- इसके अलावा केरल, छात्रों को उनके घर पर पहले से ही मिड-डे मील प्रदान करने की व्यवस्था कर चुका है। केरल सरकार का अनुसरण करते हुए पश्चिम बंगाल ने भी इसी प्रकार के उपाय अपनाने की घोषणा की है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस दिशा में संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि वे किस प्रकार स्कूलों के बंद रहने के दौरान दोपहर के भोजन को सुनिश्चित करेंगे।

कारण

- भारत सहित संपूर्ण विश्व मौजूदा समय में कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है।
- आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर इस वायरस के कारण अब तक 10000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत के संदर्भ में इस वैश्विक महामारी की बात करें तो नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में अब तक 250 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।

- यह वायरस वैश्विक समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है और इससे निपटने के लिये दुनिया भर की सरकारों द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।
- स्कूलों को बंद करने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम की तरह देखा जा रहा है। स्कूलों में पढने वाले बच्चों को इस वायरस के प्रति काफी संवेदनशील माना जाता है, जिसके कारण उन्हें इसकी चपेट में आने से बचाना आवश्यक है।
- हालाँकि आँकड़े बताते हैं कि देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आवश्यक पोषक तत्त्वों और आहार की प्राप्ति के लिये मुख्य रूप से स्कूल से मिलने वाले भोजन पर निर्भर रहता है और यदि स्कूलों को लंबे समय के लिये बंद कर दिया जाता है तो उन बच्चों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

संबंधित नियम

- मिड-डे मील (MDM) 2015 के अनुसार, यदि खाद्यान्नों की कमी, खाना पकाने की लागत, ईंधन या कुक (Cook) की अनुपलब्धता के कारण छात्रों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है तो ऐसी स्थिति में सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह प्रत्येक बच्चे को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करेगी।

मिड-डे मील कार्यक्रम

- मिड-डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।
- इसके पश्चात् सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई।
- इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिये प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है।
- मिड-डे मील योजना में सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले सभी स्कूली छात्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसे भी शामिल हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश के लगभग 9.17 करोड़ छात्र इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है।

आगे की राह

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोनावायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है, यह वायरस वैश्विक समुदाय के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है।
- भारत सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने और इस दौरान छात्रों के लिये मिड-डे मील योजना को जारी रखने अथवा खाद्यान्न भत्ता प्रदान करने का निर्णय सराहनीय है।
- आवश्यक है कि वैश्विक समुदाय इस महामारी से निपटने के लिये एक साथ एक मंच पर एकत्रित हो और इस संदर्भ में WHO तथा प्रशासन द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises-MSME) द्वारा 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' (Prime Minister's Employment Generation Programme- PMEGP) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु:

- PMEGP 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC), राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (State Khadi and Village Industries Board- KVIB) और ज़िला उद्योग केंद्रों (District Industries centres- DIC) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

- PMEGP एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं की मदद कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के कुछ चयनित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा KVIC के माध्यम से MSME मंत्रालय द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी (Margin Money Subsidy) के साथ ऋण प्रदान किया जाता है।
- PMEGP के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिये 79236 लाभार्थियों की सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 15 मार्च, 2020 तक 54361 लाभार्थियों को पहले ही सहायता दी जा चुकी है।

पात्रता हेतु मानदंड:

- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करने का पात्र है।
- विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए है।
- केवल नई इकाइयों की स्थापना हेतु PMEGP के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थी 'ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% ऋण और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 15% ऋण' प्राप्त कर सकते हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, पहाड़ी और सीमा क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थी 'ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35% ऋण और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% ऋण' प्राप्त कर सकते हैं।
- MSME मंत्रालय ने मौजूदा PMEGP/MUDRA इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिये दूसरी वित्तीय सहायता का एक नया घटक भी पेश किया है जिसमें वर्ष 2018-19 से विनिर्माण इकाई की परियोजना लागत 1 करोड़ रुपए एवं सेवा/व्यापार इकाई की परियोजना लागत 25 लाख रुपए पर 15% ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम के तहत आवंटित और वितरित किये गए ऋणों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	आवंटित ऋण (करोड़ रुपए में)	ऋण का वितरण (करोड़ रुपए में)
2016-17	1082.90	1280.94
2017-18	1082.90	1312.40
2018-19	2068.80	2070.00
2019-20 (15/03/2020 तक)	2396.44	1622.50

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission):

- यह 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।

उद्देश्य:

- सामाजिक उद्देश्य: रोज़गार देना।
- आर्थिक उद्देश्य: बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना।
- व्यापक उद्देश्य: गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना एवं एक मज़बूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संवर्द्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु 2 अक्तूबर, 2006 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED Act), 2006 विनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत MSMEs को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:

1. विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम- इसमें उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी (Plant & Machinery) में किये गए निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

नोट :

उद्यम का प्रकार	संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया निवेश (रुपए में)
सूक्ष्म (Micro)	25 लाख तक
लघु (Small)	25 लाख से अधिक किंतु 5 करोड़ से कम
मध्यम (Medium)	5 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम

2. सेवा क्षेत्र के उद्यम- सेवाएँ प्रदान करने में लगे उद्यमों को उपकरणों (Equipment) में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।

उद्यम का प्रकार उपकरणों में किया गया निवेश (रुपए में)

सूक्ष्म (Micro)	10 लाख तक
लघु (Small)	10 लाख से अधिक किंतु 2 करोड़ से कम
मध्यम (Medium)	2 करोड़ से अधिक किंतु 5 करोड़ से कम

सक्रिय दवा सामग्री' के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 की महामारी के कारण चीन से आयात की जाने वाली 'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient-API) की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद सरकार ने अन्य देशों में भारतीय मिशनों/दूतावासों को API के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारत में आयात होने वाली कुल थोक दवाओं का 70% चीन से आयात किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि चीन में COVID-19 की महामारी के कारण चीन से आयात की जाने वाली सक्रिय दवा सामग्री (API) की आपूर्ति बाधित हुई है।

'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient-API):

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, किसी रोग के उपचार, रोकथाम अथवा अन्य औषधीय गतिविधि के लिये आवश्यक दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को 'सक्रिय दवा सामग्री' के नाम से जाना जाता है।

- चीन से आयात की जाने वाली कुल सक्रिय दवा सामग्री (API) का 18% चीन के हुबेई (Hubei) प्रांत से आता है।
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-19 के बीच एंटीबायोटिक दवाओं के लिये चीन से आयात की जाने वाली API की मात्रा में दोगुनी वृद्धि हुई है।
- हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade- DGFT) देश में API की कमी को देखते हुए 13 ऐसे API और उनसे तैयार दवाइयों के निर्यात पर रोक लगा दी है।
- निर्यात के लिये प्रतिबंधित दवाओं में पैरासीटामॉल, विटामिन बी-6, विटामिन बी-12, प्रोजे़स्टेरॉन, ऐसीक्लोविर आदि शामिल हैं।

API के अन्य स्रोत और उनकी चुनौतियाँ:

- भारत में चीन के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों जैसे- हॉन्गकॉन्ग, जापान, बेल्जियम, फ्राँस, अमेरिका, इटली, थाईलैंड और नीदरलैंड आदि से भी API का आयात किया जाता है।
- हालाँकि वर्तमान में इटली के साथ विश्व के कई अन्य देश COVID-19 की महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, ऐसे में ये देश आने वाले कुछ दिनों तक भारत की आवश्यकता के अनुरूप API का निर्यात करने में सक्षम नहीं होंगे।
- इसके अतिरिक्त ये देश केवल मधुमेह-रोधी (Anti-diabetic) और उच्च रक्तदाब रोधी (Anti-hypertension) जैसी दवाइयों के उत्पादन लिये आवश्यक API उपलब्ध करने में ही सक्षम होंगे।

भारत सरकार के प्रयास:

- भारत सरकार द्वारा API के लिये चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने हेतु वर्ष 2015 में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (Department of Health Research-DHR) के सचिव वी. एम. कटोच. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में API की आपूर्ति के लिये अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने हेतु देश में API के उत्पादन को बढ़ावा मेगा फूड पार्क की स्थापना करने का सुझाव दिया था।
- वर्ष 2020 में ही देश में API के स्टॉक की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals- DoP) के तहत एक पैनल का गठन किया गया है।
- API के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश हेतु भारत सरकार की पहल के बाद 6 देशों में भारतीय मिशनों/दूतावासों ने संभावित आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची निर्यात संवर्द्धन परिषदों (Export Promotion Councils) से साझा की है।

अन्य प्रयास:

- भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस (Indian Pharmaceutical Alliance -IPA) महासचिव के अनुसार, API पर निर्भरता के मामले में एंटीबायोटिक्स और विटामिन जैसे किण्वन आधारित उत्पादों (Fermentation-Based Products) का मुद्दा प्रमुख है, जिन पर चीन का प्रभुत्त्व है।
- आने वाले दिनों में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में देश की सभी कंपनियाँ चीन के अलावा अन्य देशों में API के वैकल्पिक स्रोतों की जाँच करेंगी, यह पहल आपूर्ति शृंखला के विकेंद्रीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये बहुत ही आवश्यक है।
- IPA महासचिव के अनुसार, भारत को API के उत्पादन में आत्मनिर्भरता विकसित करनी होगी और भारत सरकार द्वारा फार्मास्युटिकल क्षेत्र की कंपनियों के लिये पर्यावरण मंज़ूरी की तेज़ प्रक्रिया की पहल इस दिशा में एक सही कदम है।

निष्कर्ष: पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में दवाइयों के उत्पादन में भारत का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके साथ ही भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक भी बन गया है। परंतु वर्तमान में भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों को दवाइयों के उत्पादन में आवश्यक रसायनों और API के लिये अन्य देशों (विशेषकर चीन) पर निर्भर रहना पड़ता है। API की आपूर्ति के स्रोतों को विकेंद्रीकृत करने से भविष्य में विषम परिस्थितियों में भी API की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकेगा। API के उत्पादन के लिये स्थानीय क्षमता के विकास से दवाइयों की लागत में कमी आएगी और भविष्य में इस क्षेत्र में भी व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकेगा।

आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत के अंग आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AYUSH Health & Wellness Centre-AYUSH WHC) को राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSH Mission-NAM) में शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24) में देश भर में 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (AYUSH WHC) का संचालन किया जाएगा।
- इस योजना में कुल 3399.35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 2209.58 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और 1189.77 करोड़ रुपए राज्य सरकारों द्वारा दिये जाएंगे।
- आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने इस योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन के लिये दो मॉडल प्रस्तावित किये हैं-
  - वर्तमान आयुष औषधालयों (लगभग 10,000) का उन्नयन (Upgrade) करना।
  - वर्तमान उप स्वास्थ्य केंद्रों (लगभग 2,500) का उन्नयन (Upgrade) करना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत AYUSH WHC के संचालन का उद्देश्य:

- मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के एकीकरण के माध्यम से आरोग्यकर, निवारक, पुनर्सुधारक और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सिद्धांतों और अभ्यासों पर आधारित एक संपूर्ण वेलनेस मॉडल को स्थापित करना।
- आयुष सेवाओं के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को उपचार के नए (सूचित) विकल्प उपलब्ध कराना।
- आयुष सेवाओं के तहत रहन-सहन, योग, औषधीय पौधों आदि के बारे में सामुदायिक जागरूकता फैलाना और चयनित मामलों में आयुष परियोजना की क्षमता के अनुरूप दवाइयों का प्रावधान करना।

पृष्ठभूमि:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में आयुष प्रणाली की क्षमताओं को एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा की बहुवादी व्यवस्था के तहत मुख्यधारा में लाने की बात पर बल दिया गया था।
- भारत सरकार ने फरवरी 2018 में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ मुहैया कराने के लिये मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों (Sub health Centres-SHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary Health Centres-PHCs) को बदलकर 1.5 लाख 'स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों' की स्थापना का निर्णय लिया था।
- केंद्र सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में मौजूद कुल स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से 10% का स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में संचालन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य आयुष सिद्धांतों और अभ्यासों के आधार पर एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना था, जिससे लोगों को स्वत: देखभाल के जरिये बीमारियों से बचने और अतिरिक्त खर्च बचाने में सक्षम बनाया जा सके तथा ज़रूरतमंद लोगों को उपचार का एक नया विकल्प मुहैया कराया जा सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत AYUSH WHC के संचालन के लाभ:

- कम खर्च में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की पहुँच में वृद्धि।
- आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी ज़मीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध की जा सकेंगी जिससे द्वितीयक (Secondary) और तृतीयक (Tertiary) स्वास्थ्य सेवाओं के दबाव में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।
- लोगों में बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में जन-जागरूकता और सेल्फ केयर (Self Care) मॉडल के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले अतरिक्त खर्च में कटौती की जा सकेगी।
- नीति आयोग की योजना के तहत सतत् विकास लक्ष्य-3 (स्वास्थ्य और कल्याण) की प्राप्ति के लिये आयुष योजना का समायोजन।
- आयुष योजना के अंतर्गत एक मज़बूत स्वास्थ्य तंत्र की स्थापना के माध्यम से लक्षित क्षेत्रों में वैध संपूर्ण वेलनेस मॉडल को लागू करने में सहायता प्राप्त होगी।

निष्कर्ष: भारत 133 करोड़ (लगभग) की जनसंख्या के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जबकि इतनी बड़ी आबादी पर डॉक्टर जनसंख्या (नागरिक) का अनुपात 0.62:1000 है, जो बहुत ही चिंताजनक आँकड़ा है। आयुष योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास किया है। भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिये नए सिरे से उच्च कोटि के चिकित्सा तंत्र की स्थापना करना या कुशल चिकित्सकों की नियुक्ति करना बहुत आसान नहीं होगा। ऐसे में ज़मीनी स्तर पर पहले से स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में बदलकर और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर एक बड़ी आबादी तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।

वित्त विधेयक 2020

चर्चा में क्यों?

कोरोनावायरस (COVID-19) के खतरे के बीच लोकसभा ने सर्वसम्मति से वित्त विधेयक, 2020 (Finance Bill, 2020) को पारित कर दिया।

वित्त विधेयक 2020 से संबंधित प्रमुख बिंदु

- वित्त विधेयक 2020 के अनुसार, भारत में अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indians-NRIs) पर 15 लाख रूपए तक की आय सीमा तक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह सीमा तब लागू होगी जब वह वह व्यक्ति 120 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहकर एक डीम्ड रेजिडेंट (Deemed Resident) के रूप में अर्हता प्राप्त कर लेता है।
    - इस प्रकार डीम्ड रेजिडेंट पर कर चुकाने की ज़िम्मेदारी केवल भारत में नियंत्रित व्यवसाय या भारत में स्थापित पेशे के संबंध में होगी और वह भी केवल तब जब ऐसी आय 15 लाख रुपए से अधिक हो।
    - ध्यातव्य है कि 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किये गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवासीय स्थिति (Residential Status) के आधार पर व्यक्तियों की कर-क्षमता का निर्धारण करने के लिये मापदंड और अवधि को संशोधित किया था। संशोधित नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को तब भारत का साधारण निवासी (Resident) माना जाएगा, जब वह पिछले वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 120 दिनों के लिये भारत में रहा हो, यह अवधि पूर्व में 182 दिन थी।
- वित्त विधेयक 2020 के अनुसार, यदि वित्तीय संस्थानों से शिक्षा के लिये धन उधार लिया जाता है और उसे उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme-LRS) के माध्यम से विदेश में हस्तांतरित किया जाता है तो धन के स्रोत पर लगने वाले कर संग्रह (Tax Collected at Source-TCS) की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme-LRS)

- उदारीकृत प्रेषण योजना भारत के निवासियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दूसरे देश में निवेश तथा व्यय करने हेतु एक निश्चित राशि को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करती है।
- यह योजना RBI के तत्वावधान में फरवरी, 2004 में 25,000 डॉलर की सीमा के साथ प्रारंभ की गई थी।
- यदि किस व्यक्ति ने बीते तीन वर्षों में आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है, तो उसके द्वारा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस (TDS) लागू किया जाएगा। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति 1 करोड़ रूपए से अधिक की नकद निकासी करता है तो वह 5 प्रतिशत टीडीएस (TDS) हेतु उत्तरदायी होगा।
    - TDS की संकल्पना के अनुसार एक व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट प्रकार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं, को आय के स्रोत पर कर कटौती करनी होगी तथा इसे केंद्र सरकार के खाते में प्रेषित करना होगा।
- वित्त विधेयक 2020 के तहत सरकार ने ग्लोबल पेंशन फंड (Global Pension Fund) को भी कर छूट की सीमा में शामिल कर दिया है।
    - इससे पूर्व सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में संप्रभु धन निधि द्वारा बुनियादी ढाँचे में किये गए निवेश पर पूंजीगत लाभ, संयोजन और ब्याज पर 100 प्रतिशत कर छूट की घोषणा की थी।
- लाभांश आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है।
- सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty) को क्रमशः 18 रुपए और 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व यह पेट्रोल के लिये 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल के लिये 4 रुपए प्रति लीटर था।

वित्त विधेयक (Finance Bill)

- केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के पश्चात् लोकसभा में प्रत्येक वर्ष वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो कि भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों पर प्रभाव डालता है।
- वित्त विधेयक में उन सभी विधेयकों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त से संबंधित मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे- सरकार के व्यय अथवा सरकार के राजस्व से संबंधित व्यय।

नोट :

- किसी भी कर को प्रत्यारोपित करने अथवा उसमें परिवर्तन करने जैसे विषय वित्त विधेयक के सामान्य विषय हैं। वित्त विधेयक मुख्यत: 3 प्रकार होते हैं:
  - धन विधेयक - अनुच्छेद 110
  - वित्त विधेयक (I) - अनुच्छेद 117 (1)
  - वित्त विधेयक (II) - अनुच्छेद 117 (2)
- सामान्यत: यह कहा जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता।

NRC और केंद्र का मत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा (Affidavit) दायर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) को तैयार करना नागरिकों और गैर-नागरिकों की पहचान हेतु किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिये एक अनिवार्य अभ्यास है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा कि देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उसके पश्चात् उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना केंद्र सरकार को सौंपी गई ज़िम्मेदारी है।
- ध्यातव्य है कि देश के कई राज्यों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का विरोध करते हुए इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किये हैं।
  - उल्लेखनीय है कि नागरिकता नियम, 2003 (Citizenship Rules, 2003) के अनुसार, NPR, NRC की दिशा में पहला कदम है।
- हालाँकि सरकार द्वारा अभी तक संशोधित NPR फॉर्म सार्वजनिक नहीं किया गया है, किंतु इसमें 'माता-पिता के जन्म की तारीख और निवास स्थान' जैसे विवादास्पद प्रश्न शामिल होने की संभावना है।
- गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1964-65 में पूर्वी पाकिस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) से बंगाल, असम और त्रिपुरा में आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) से लोगों के पलायन का सिलसिला जनवरी 1964 में शुरू हुआ और मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में यह अपने चरम पर पहुँच गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से 31 जनवरी, 1965 तक पलायन करने वालों की संख्या 8,94,137 थी। इन व्यक्तियों में से तकरीबन 2,61,899 लोग प्रवास प्रमाण पत्र के साथ भारत आए, जबकि 1,76,602 लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत आए। वहीं लगभग 4,55,636 व्यक्ति बिना किसी यात्रा दस्तावेज़ के साथ भारत आए।
  - हालाँकि कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से आने वाले सभी लोग पहले से ही भारत के नागरिक थे और वे चुनावों में मतदान करते थे।
- गृह मंत्रालय ने वर्ष 1952 और वर्ष 2012 के मध्य गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए 18 आदेशों का हवाला दिया, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 'हिंदुओं और सिखों' के लिये अधिमान्य उपचार की वकालत की गई थी, जिन्होंने वैध वीजा के साथ या बिना भारत में प्रवेश किया था।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC)

- NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।

- भारत में अब तक NRC केवल असम में लागू की गई है, जिसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।
- NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।
- वर्ष 1947 में जब भारत-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) चले गए, किंतु उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बँटवारे के बाद भी जारी रहा। जिसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया गया था।
  - दरअसल वर्ष 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा जिसके चलते राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा। 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ (All Assam Students Union-AASU) ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिये एक आंदोलन शुरू किया। AASU के 6 वर्ष के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे और NRC तैयार करने का निर्णय लिया गया।

निष्कर्ष

सरकार के प्रतिनिधि कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार ने NRC पर अभी तक कोई स्पष्ट करने निर्णय नहीं लिया है, किंतु इसके बावजूद भी गृह मंत्रालय द्वारा NRC को लेकर हलफनामा दायर किया गया है, जो कि आम लोगों के समक्ष भ्रम उत्पन्न करता है। आवश्यक है कि सरकार इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करे और NRC को लेकर उत्पन्न हो रहे तमाम विवादों का एक संतुलित उपाय खोजने का प्रयास करे।

औषध निर्माण को बढ़ावा देने के लिये स्वीकृत योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामग्री/ड्रग्स इंटरमीडिएट्स (Drug Intermediates) और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की मंज़ूरी दी।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न योजनाओं की मंज़ूरी दी है:

- बल्क ड्रग्स पार्कों (Bulk Drugs Parks) को बढ़ावा देने हेतु अगले 5 वर्षों के दौरान 3,000 करोड़ रुपए से 3 बल्क ड्रग्स पार्कों में साझा अवसंरचना को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएँ।
- अगले 8 वर्षों के दौरान के 6,940 करोड़ रुपए की धनराशि से देश में महत्वपूर्ण ड्रग्स मध्यस्थ और APIs के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन आधारित छूट (Production Linked Incentive-PLI) योजना को प्रोत्साहित करना।

सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients-API):

- किसी रोग के उपचार, रोकथाम अथवा अन्य औषधीय गतिविधि के लिये आवश्यक दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को 'सक्रिय दवा सामग्री' के नाम से जाना जाता है।

बल्क ड्रग्स पार्क को बढ़ावा देना:

- विवरण:
  - राज्यों के सहयोग से भारत में 3 बल्क ड्रग्स पार्कों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
  - प्रत्येक बल्क ड्रग्स पार्क के लिये भारत सरकार राज्यों को अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  - पार्कों में आम सुविधाएँ होंगी जैसे:- घोलक संयंत्र, आसवन संयंत्र, बिजली और भाप संयंत्र, साझा उत्सर्जन शोधन संयंत्र इत्यादि।
  - इस योजना के लिये अगले 5 वर्षों के दौरान 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- प्रभाव:
  - इस योजना से देश में बल्क ड्रग्स के उत्पादन लागत एवं अन्य देशों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

- कार्यान्वयन:
  - राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementing Agencies-SIA) इस योजना को लागू करेगी जिसका गठन संबंधित राज्य सरकार करेगी।
  - 3 मेगा बल्क ड्रग्स पार्कों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive-PLI):

- विवरण:
  - चिह्नित 53 महत्त्वपूर्ण बल्क ड्रग्स के योग्य निर्माताओं को अगले 6 वर्षों के दौरान सहायता दी जाएगी जो उत्पादन वृद्धि पर आधारित होगी और इसके लिये वर्ष 2019 -20 को आधार वर्ष माना जाएगा।
  - 53 चिह्नित बल्क ड्रग्स में से 26 किण्वन आधारित बल्क ड्रग्स हैं और 27 रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स हैं।
  - किण्वन आधारित बल्क ड्रग्स के लिये छूट की दर 20% (विक्रय में वृद्धि के आधार पर) एवं रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स के लिये छूट की दर 10% होगी।
  - अगले 8 वर्षों के लिये 6,940 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई है।
- प्रभाव:
  - इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और APIs में बड़े निवेश को आकर्षित करने के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और APIs उत्पादन में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता में कमी आएगी।
  - इससे अगले 8 वर्षों के दौरान 46,400 करोड़ रुपए मूल्य की विक्रय वृद्धि तथा अतिरिक्त रोज़गार सृजन की आशा है।
- कार्यान्वयन:
  - इस योजना को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency-PMA) के माध्यम से लागू किया जाएगा एवं फार्मास्यूटिकल विभाग (Department of Pharmaceuticals) इस एजेंसी को नामांकित करेगा।
  - यह योजना केवल 53 चिह्नित महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और APIs के उत्पादन पर ही मान्य होगी।

लाभ:

- तीन बल्क ड्रग्स पार्क की इस योजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता से साझा अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
- इससे देश में उत्पादन लागत में कमी आएगी और बल्क ड्रग्स के लिये अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी।

पृष्ठभूमि:

- मात्रा के आधार पर भारतीय दवा उद्योग का विश्व में तीसरा स्थान है।
- हालाँकि इस उपलब्धि के बावजूद भारत कच्ची सामग्री (जैसे दवाओं के उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले बल्क ड्रग्स) के लिये आयात पर निर्भर है।
- कुछ विशेष बल्क ड्रग्स के मामले में आयात पर निर्भरता 80-100% तक है।
- नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने के लिये दवाओं की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है।
- आपूर्ति में अवरोध से दवा सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
- बल्क ड्रग्स के निर्माण में आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है।

IPC की धारा 188

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये 21 दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- आदेशानुसार, लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897) के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इस तरह के आदेशों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान करता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 188

- महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3, अधिनियम के तहत किये गए किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने के लिये दंड का प्रावधान करती है। यह दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दिया जाता है, जो कि लोकसेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने से संबंधित है।
- IPC की धारा 188 के अनुसार, जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश, जिसे प्रख्यापित करने के लिये लोक सेवक विधिपूर्वक सशक्त है और जिसमें कोई कार्य करने से बचे रहने के लिये या अपने कब्ज़े या प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिये निर्दिष्ट किया गया है, की अवज्ञा करेगा तो;
  - यदि इस प्रकार की अवज्ञा-विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिये कारावास की सजा दी जाएगी जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 200 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा; और यदि इस प्रकार की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट उत्पन्न करे, या उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती हो, या उपद्रव अथवा दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिये कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
  - ध्यातव्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय क्षति उत्पन्न करने का ही हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से क्षति होना संभाव्य है।

इसकी आवश्यकता

- कोरोनवायरस (COVID-19) जो कि मुख्य रूप से व्यक्ति-से-व्यक्ति में फैलता है, पहली बार चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में सामने आया था और तब से अब तक इसके कारण कम-से-कम 177 देश प्रभावित हुए हैं और लाखों लोग इसकी चपेट में हैं।
- इस महामारी का मुकाबला करने के लिये भारत में कई राज्यों ने सार्वजनिक सभाओं को कम करने के उद्देश्य से 'सोशल डिस्टेंसिंग' (Social Distancing) जैसे उपायों को लागू किया है। देश के लगभग सभी राज्यों में कार्यालयों, स्कूलों, संगीत, सम्मेलनों, खेल आयोजनों और शादियों आदि पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने भी दुनिया भर के राष्ट्रों की सरकारों से महामारी को कम करने के लिये सामुदायिक स्तर पर संचरण को रोकने हेतु कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
- COVID-19 महामारी को देखते हुए देश में 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' (Janata Curfew) की घोषणा की गई और इसके परिणामस्वरूप कई राज्यों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी।
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है और भारतीय जनता से सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिये धारा 188 काफी आवश्यक है।

लॉकडाउन का उल्लंघन:

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दो प्रकार के अपराध दिये गए हैं:

- यदि किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक दिये गए आदेश की अवज्ञा करने से विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति पहुँचती है तो इसके लिये व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिये कारावास अथवा 200 रूपए जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है।
- यदि किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक दिये गए आदेश की अवज्ञा करने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि के लिये खतरा उत्पन्न होता है तो इसके लिये व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिये कारावास अथवा 1000 रूपए जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है।

नोट :

हंतावायरस

चर्चा में क्यों?

दुनिया भर में कोरोनावायरस (COVID-19) का प्रसार काफी तेज़ी से हो रहा है और विश्व के अधिकांश देश इसकी चपेट में आ गए हैं, हालाँकि चीन, जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई थी, में अब कोरोनावायरस (COVID-19) का प्रभाव काफी सीमित हो गया है, किंतु चीन में हंतावायरस (Hantavirus) नामक वायरस का पता लगा है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि चीन के शानदोंग प्रांत (Shandong Province) से लौटते हुए युन्नान प्रांत (Yunnan Province) के एक व्यक्ति की इस वायरस के कारण मृत्यु हो गई है।

क्या है हंतावायरस?

- सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Center for Disease Control and Prevention) के अनुसार, हंतावायरस मूल रूप से मूषकों (Rodents) से फैलता है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मूषकों के मूत्र, मल और लार के संपर्क में आता है, तो यह वायरस मूषकों से मनुष्यों में फैल जाता है।
- हालाँकि आमतौर पर हंतावायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, हंतावायरस के संक्रमण के लक्षण सामने आने में एक से आठ हफ्तों का समय लग सकता है।
- इस वायरस के संपर्क में आने से लोगों को हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (Hantavirus Pulmonary Syndrome-HPS) और हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome-HFRS) हो सकते हैं।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, दुनिया की आबादी को नियंत्रित करना इस वायरस को रोकना का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है।

लक्षण

- थकान, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, चक्कर आना, ठंड लगना और पेट दर्द HPS के शुरुआती लक्षण हैं।
- गंभीर संक्रमण में खाँसी और साँस की तकलीफ जैसी शारीरिक समस्याएँ हो सकती हैं।
- सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, यह वायरस काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें मृत्यु दर लगभग 38 प्रतिशत है।
- इसके अलावा HFRS में भी HPS के समान ही लक्षण होते हैं, किंतु इसमें कुछ गंभीर समस्याएँ जैसे- निम्न रक्तचाप, तीव्र आघात और किडनी फेल आदि भी हो सकती हैं।

इतिहास तथा मौजूदा स्थिति:

- कुछ लोग हंतावायरस को एक नए वायरस के रूप में देख रहे हैं, किंतु यह नया वायरस नहीं है। हंतावायरस को पहली बार 1950 के दशक की शुरुआत में एक संक्रामक बीमारी के रूप में खोजा गया था जब कोरिया में तैनात 3,000 संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों की एक रहस्यमय बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी।
- जनवरी 2019 में हंतावायरस के कारण अमेरिका के पेटागोनिया (Patagonia) में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- एक अनुमान के अनुसार, हंतावायरस से संक्रमित लोगों के 60 मामले सामने आए थे, जिनमें 50 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया था।
- भारत में भी हंतावायरस नया नहीं है। सर्वप्रथम वर्ष 2011 में कर्नाटक में हंतावायरस के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, हालाँकि इसके बाद अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है।

नोट :

खेलों को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक नवाचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिये माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- इन नवाचारों के तहत युवा माताओं की सहायता लेने की योजना है ताकि उनके बच्चों को हर प्रकार की खेल गतिविधियों के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस सामाजिक नवाचार को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु खेल, महिला और बाल विकास सहित सात विभाग कार्य कर रहे हैं।
- विभाग से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि अगर माताएँ अपने बच्चों को खेल के मैदानों में ले जाती हैं, तो आने वाले वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है।
- सरकार जल्द ही 'मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस (Mothers for Sports and Fitness)' नामक एक एप भी लॉन्च करेगी।
- हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्द्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उच्च नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों की पेशकश पहले से ही कर रही है जिससे राज्य में खेल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
- राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक बड़े गाँव के 100 से 200 युवा विभिन्न खेलों से जुड़े हैं।

उपलब्धियाँ

- भारत की जनसंख्या का मात्र 2% और भौगोलिक क्षेत्र का 2% से भी कम होने के बावजूद हरियाणा के युवा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत में आये सभी पदकों का लगभग एक-तिहाई पदक हासिल करते हैं।
- वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games-CWG) में भारत के 66 पदकों में से 22 पदक एवं देश के कुल 26 स्वर्ण पदकों में से 9 स्वर्ण पदक हरियाणा के एथलीटों ने जीते थे।
- उल्लेखनीय है कि फोगाट बहनों सहित देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ पहलवान हरियाणा राज्य से ही संबंधित है।

राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games):

- पहला राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किया गया था, जहाँ 11 देशों ने छह खेलों और 59 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये 400 एथलीटों को भेजा था।
- वर्ष 1930 से हर चार वर्षों में (द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1942 और वर्ष 1946 को छोड़कर) इन खेलों का आयोजन किया जाता है।

मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऐप (Mothers For Sports And Fitness App):

- इस ऐप में सभी खेल के मैदानों एवं मैदानों से संबंधित कर्मचारियों का विवरण होगा।
- यह कोच से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और सरकार द्वारा संचालित खेल के मैदानों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचना प्रदान करेगा।
- यह ऐप खेल के मैदानों की अवस्थिति को प्रदर्शित करेगा ठीक वैसे ही जैसे टैक्सी ऐप (ओला, उबर आदि) उपलब्ध टैक्सी की अवस्थिति को प्रदर्शित करते है।

टोक्यो ओलंपिक 2020 स्थगित

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee- IOC) ने वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक-2020 (ग्रीष्मकालीन) खेलों को वर्ष 2021 के मध्य तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- कोरोनोवायरस की महामारी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कुछ प्रमुख राष्ट्रों द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics-2020) से हट जाने के बाद IOC ने यह निर्णय लिया है।
- कई राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर नियंत्रण, प्रशिक्षण में कठिनाई और बीमारी फैलने के जोखिम के कारण यह फैसला लिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि इससे पहले वर्ष 1916, 1940 एवं 1944 में विश्व युद्ध के कारण इन खेलों को रद्द किया गया था।
- वर्ष 1940 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापान ओलंपिक की मेजबानी करने वाला था किंतु एशिया में सैन्य आक्रामकता के कारण जापान में होने वाले ओलंपिक को रद्द कर दिया गया था।

  आर्थिक लागत:
- ओलंपिक खेलों की मेजबानी हेतु टोक्यो का बजट 12.6 बिलियन डॉलर था किंतु स्थगन के कारण इसपर अतिरिक्त 6 बिलियन डॉलर की लागत आने की संभावना है।
- यह प्रायोजकों और प्रमुख प्रसारकों के लिये एक झटका होगा, जो राजस्व हेतु विज्ञापनों के लिये चार-वर्ष से इस पर आश्रित थे।

पृष्ठभूमि:

- उत्पत्ति (Origin) :
  - ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी और ये धार्मिक उत्सव का एक आंतरिक हिस्सा था।
  - यह ग्रीस के ओलंपिया में ज़ीउस (Zeus) (ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता) के सम्मान में आयोजित किया जाता था।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee-IOC):
  - वर्ष 23 जून, 1894 को IOC की स्थापना की गयी थी और यह ओलंपिक का सर्वोच्च प्राधिकरण है।
  - यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है।
  - यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है।
  - वर्ष 1948 से हर चार वर्ष में एक बार ओलंपिक आयोजित होते हैं।

कोरोनोवायरस (coronavirus):

- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिन्हित करता है।
- इसके सामान्य लक्षणों में खाँसी, बुखार और श्वसन क्रिया में रुकावट मुख्य लक्षण हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं:
  - हाथों को साबुन से धोना चाहिये, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, खांसते और छिंकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर से ढँककर रखें।
- इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने COVID-19 को महामारी घोषित किया है।

COVID-19 के लिये इस्तेमाल हो सकता है MPLADS कोष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MoSPI) ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme-MPLADS) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- MPLADS के दिशा-निर्देशों में संशोधन के तहत सांसद अब MPLADS के अंतर्गत आने वाली निधि को निम्नलिखित कार्यों में उपयोग कर सकते हैं:
    - चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों को एक व्यक्ति का तापमान रिकॉर्ड करने और नजर बनाए रखने में सक्षम बनाने हेतु इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर्स (Infra-Red Thermometers)।
    - चिकित्सा कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षित करने और उन्हें कुशलता से काम के लिये सक्षम बनाने हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protection Equipment-PPE) की व्यवस्था, जिससे बीमारी के प्रसार का जोखिम न्यूनतम हो जाए।
    - रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर थर्मल इमेजिंग स्कैनर या कैमरा (Thermal Imaging Scanners or Cameras) लगाना, जिससे एक सुरक्षित दूरी से तापमान जानना संभव हो सके।
    - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry Of Health and Family Welfare) द्वारा स्वीकृत कोरोना परीक्षण किट।
    - स्वीकृत सुविधाओं के भीतर आईसीयू वेंटिलेटर (ICU Ventilator) और आइसोलेशन/ क्वारंटीन (Isolation/ Quarantine) वार्ड की स्थापना।
    - चिकित्सा कर्मचारियों के लिये फेस मास्क, दस्ताने और सैनिटाइज़र।
    - कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और उपचार के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोई अन्य चिकित्सा उपकरण।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme):

- पृष्ठभूमि:
    - MPLADS 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी।
    - सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें।
    - यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए।
    - इन दिशा-निर्देशों में फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012 और मई 2014 में पुन: संशोधन किये गए।
    - दिशा-निर्देशों को संशोधित करते समय सांसदों, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की समितियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, सभी हितधारकों के सुझावों और विगत वर्ष के कार्य अनुभवों को ध्यान में रखा गया है।
- उद्देश्य:
    - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसके लिये आवश्यक निधि पूर्णत: भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह निधि सहायता अनुदान के रूप में सीधे ज़िला प्राधिकारियों को जारी की जाती है।
    - योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किये जाते है जो विकासमूलक, स्थानीय ज़रूरतों पर आधारित, जनता के उपयोग के लिये हमेशा सुलभ हों। इस योजना के तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे- पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क इत्यादि।
    - इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि अव्यपगत होती है यानी अगर कोई देय निधि किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं होती, तो उसे आगे के वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशियों में जोड़ दिया जाता है। इस समय, प्रति सांसद/निर्वाचन-क्षेत्र के लिये वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपए है।

- इस योजना के तहत सांसदों की भूमिका संस्तुतिपरक है। वे संबंधित ज़िला प्राधिकारियों को अपनी पसंद के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जो संबंधित राज्य सरकार की स्थापित कार्यविधियों का पालन करते हुए इन कार्यों को कार्यान्विति करते है।
- ज़िला प्राधिकारियों को कार्यों की पात्रता की जाँच करने, निधि मंज़ूर करने और कार्यान्वयन अभिकरणों का चयन, कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण और समग्र निष्पादन की देखरेख करने और जमीनी स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग करने का अधिकार प्राप्त है। ज़िला प्राधिकारी संबंधित विभागों, स्थानीय कार्यान्वयन अभिकरणों या अन्य सरकारी अभिकरणों के कार्यों को निष्पादित करवाते है। कुछ मामलों में ज़िला प्राधिकारी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्य संपन्न कराते हैं।

COVID-19 के लिये राहत पैकेज

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'कोरोनावायरस' (COVID-19) के विरुद्ध लड़ाई में गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्री ने कहा कि 'सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों का उद्देश्य निर्धनतम लोगों को भोजन आदि की सुविधा प्रदान कर उनकी भरसक मदद करना है, ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति या वस्तुओं को खरीदने और अपनी अनिवार्य ज़रूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।'
- हाल ही में सरकार ने कोरोनावायरस की महामारी को देखते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो कि इस कोरोनावायरस की वैश्विक महामारी से निपटने के लिये एक सराहनीय कदम के रूप में देखा गया था।
- हालाँकि सरकार के इस निर्णय से भारत के एक बड़े वर्ग के समक्ष आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और उन्हें दैनिक आधार पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

  सरकार द्वारा घोषित उपाय
- स्वास्थ्य कर्मियों के लिये बीमा योजना
  - सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोनावायरस (COVID-19) से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिये बीमा योजना शुरू की जाएगी।
  - इस बीमा योजना के तहत सफाई कर्मचारी, वार्ड-ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्त्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी, टेक्निशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आदि सभी को शामिल किया जाएगा।
  - COVID-19 मरीज़ों का इलाज करते समय यदि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्घटना होती है तो उसे योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
  - सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और केंद्र के साथ-साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत महामारी से लड़ रहे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ प्राप्त होगा।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
  - इस मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों (भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या) को शामिल किया जाएगा।
  - इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आगामी 3 महीनों के दौरान मौज़ूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
  - उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आगामी 3 महीनों के दौरान क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
  - किसानों को लाभ: सरकार की घोषणा के अनुसार, वर्ष 2020-21 में देय 2,000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही 'पीएम किसान योजना' के तहत खाते में डाल दी जाएगी। इसके तहत 7 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा।

- गरीबों को लाभ: कुल 40 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों को आगामी तीन महीनों के दौरान प्रति माह 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- गैस सिलेंडर: पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 3 महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिये जाएंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिये: सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सरकार अगले 3 महीनों के दौरान भारत के लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 1,000 रुपए प्रदान करेगी।
- मनरेग : 'पीएम गरीब कल्याण योजना' के तहत 1 अप्रैल, 2020 से मनरेगा मज़दूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। मनरेगा के तहत मज़दूरी बढ़ने से प्रत्येक श्रमिक को प्रतिवर्ष 2,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। इसके तहत लगभग 62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
- स्वयं सहायता समूह (SHG): राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये जमानत (Collateral) मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी।

- अन्य संबंधित घोषणाएँ
  - कर्मचारी भविष्य निधि नियमनों में संशोधन कर 'महामारी' को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने खातों से कुल राशि के 75 प्रतिशत का गैर-वापसी योग्य अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। EPF के तहत पंजीकृत चार करोड़ कामगारों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
  - राज्य सरकारों को देश के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिये 'भवन एवं अन्य निर्माण कोष' का उपयोग करने के लिये निर्देश दिये जाएंगे, ताकि वे इन श्रमिकों को आर्थिक मुश्किलों से बचाने के लिये आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान कर सकें। 'भवन एवं अन्य निर्माण कोष' केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत बनाया गया है। ध्यातव्य है कि इस कोष में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं।

इन घोषणाओं का प्रभाव

- विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा की गई इस घोषणा को सहायता राशि से अधिक राहत प्रदान करने के लिये एक अभिनव तरीका करार दिया है।
- सरकार द्वारा की गई घोषणा में देश के उन सभी वर्गों को शामिल किया गया है, जिन्हें इस चुनौतीपूर्ण स्थिति मंल सहायता की आवश्यकता है।
- हालाँकि सरकार द्वारा घोषित इन योजनाओं के क्रियान्वयन स्तर पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

कोरोना के कुछ मामलों में घ्राण इंद्रियों का नष्ट होना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोरोनावायरस से ग्रसित कुछ रोगियों में घ्राण इंद्रियों के नष्ट होने (Anosmia) के मामले सामने आए हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस का पता लगाने का एक नया संकेत हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने COVID-19 के सबसे आम संकेतों को बुखार, थकान और सूखी खाँसी के रूप में सूचीबद्ध किया है।

घ्राणशक्ति का नाश- एनोस्मिया (Anosmia):

- एनोस्मिया (Anosmia) गंध की भावना का आंशिक या पूर्ण अभाव होता है। यह अभाव अस्थायी या स्थायी हो सकता है।
- यह नाक में सूजन या किसी प्रकार के ब्लॉकेज के कारण होता है जो गंध को नाक के ऊपरी हिस्से तक पहुँचने से रोकता है।
- श्वसन वायरल संक्रमण गंध के अभाव के सामान्य कारणों में से एक है। गंध का आभास संक्रमण के खत्म होने पर ही होता है।

- एनोस्मिया के अन्य मुख्य कारण इस प्रकार हैं:
  - नाक की श्लेष्मा झिल्ली (Mucous Membranes) परत में चिड़चिड़ाहट या जलन।
  - नाक के मार्ग में रुकावट।
  - मस्तिष्क या तंत्रिका क्षति।

जटिलताएँ:

- एनोस्मिया से ग्रसित व्यक्ति पूरी तरह से खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और खाने में रुचि खो सकते हैं।
- इससे वज़न का कम होना या कुपोषण की समस्या हो सकती है।

स्वाद-अनुभूति का अभाव- एजुसिया (Ageusia):

- एजुसिया (Ageusia) एक ऐसी स्थिति है जो जीभ की स्वाद संबंधी क्रियाएँ को पूर्णतः निष्क्रिय कर देती है।
- ऐसे लोग जिनमें स्वाद की क्षमता कम होती है उन्हें हाइपोगेसिया (Hypogeusia) कहा जाता है।

सामान्य कारण:

- उम्र का बढ़ना
- नाक की वायुमार्ग की समस्याएँ।
- ऊपरी वायुमार्ग संक्रमण, जैसे कि साइनस संक्रमण, गलसुओं की सूजन, या गले में खराश

COVID-19 टेस्टिंग किट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पुणे स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी मायलैब (MyLab) को COVID-19 परीक्षण के लिये टेस्टिंग किट बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है।

मुख्य बिंदु:

- मायलैब (MyLab) भारत का पहला स्थानीय/स्वदेशी निर्माता है, जिसे COVID-19 के परीक्षण के लिये टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति दी गई है।
- मायलैब प्रबंध निदेशक के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' पहल को ध्यान में रखते हुए COVID-19 टेस्टिंग किट को स्थानीय तथा केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है।
- साथ ही इस किट के निर्माण में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) और रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention -CDC) द्वारा निर्धारित आवश्यक दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखा गया है।
- इस टेस्टिंग किट का पूरा नाम 'मायलैब पैथोडिटेक्ट COVID-19 क्वांटिटेटिव पीसीआर किट' (Mylab PathoDetect Covid-19 qualitative PCR kit) है।
- मायलैब प्रबंध निदेशक के अनुसार, निजी प्रयोगशालों द्वारा COVID-19 परीक्षण के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश कंपनी द्वारा जारी कर दिये हैं और अभी तक 12 निजी प्रयोगशालों ने पंजीकरण कराकर काम करना शुरू कर दिया है।
- वर्तमान में मायलैब से जुड़ी इन प्रयोगशालाओं के पास पूरे भारत में 15,000 संग्रह केंद्रों पर COVID-19 के नमूने लेने की व्यवस्था है। अन्य प्रयोगशालाओं के पंजीकरण के साथ संग्रह केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी।
- मायलैब प्रबंध निदेशक के अनुसार, 'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research-ICMR) नेटवर्क के तहत 111 प्रयोगशालाओं के माध्यम से सरकार के पास एक दिन में 10,000 से अधिक नमूनों की जाँच करने की क्षमता है।

टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति के लिये आवश्यक प्रक्रिया:

- हालाँकि COVID-19 के परीक्षण के लिये भारत अधिकांशत: विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा है, परंतु हाल ही में कई स्थानीय कंपनियों ने टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति के लिये 'राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान' (National Institute Of Virology) में आवेदन किया था।
- ICMR के लिखित दिशा-निर्देशों के तहत देश में उन्हीं कंपनियों की टेस्टिंग किट को COVID-19 के व्यावसायिक परीक्षण की अनुमति दी जाती है जिन्हें या तो 'यू.एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' (US Food and Drug Administration- USFDA) की अनुमति प्राप्त हो या यूरोपीय संघ द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- परंतु, 23 मार्च, 2020 को ICMR द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में यदि किसी टेस्टिंग किट को 'राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान' की स्वीकृति प्राप्त है तो उन्हें USFDA या यूरोपीय संघ की अनुमति के बिना भी बनाने की अनुमति दी जा सकती है।

कैसे काम करती है यह टेस्टिंग किट ?

- मायलैब के प्रतिनिधि के अनुसार, इस परीक्षण में कोरोनावायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिये संक्रमित व्यक्ति में वायरस के RNA की पहचान की जाती है।
- किसी व्यक्ति की अंगुलियों की छाप (Fingerprints) की तरह ही हर वायरस के RNA की एक विशिष्ट पहचान होती है।
- इस टेस्ट में 'रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन' (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction- RTPCR) तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव के अनुसार, किसी व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के लिये कम-से-कम दो RNA फिंगरप्रिंट की पहचान की जानी चाहिये।
- साथ ही इस परीक्षण के दौरान व्यक्ति में वायरस के प्रति कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं की भी जाँच की जाती है।
- मायलैब के अनुसार, इस टेस्टिंग किट के माध्यम से मात्र 2.5 घंटों में ही परीक्षण के परिणाम जाने जा सकते हैं।

टेस्टिंग किट के लाभ:

- वर्तमान में विश्व के किसी भी देश में COVID-19 के प्रमाणिक उपचार की की खोज नही की जा सकी है, ऐसे में इस बीमारी के नियंत्रण का एक ही विकल्प इसके प्रसार को रोकना है। इस टेस्टिंग किट के माध्यम से कम समय में ही संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर COVID-19 के प्रसार को रोकने में सहायता प्राप्त होगी।
- इस टेस्टिंग किट के परीक्षण के दौरान सभी प्रयासों में 100% सही परिणाम प्राप्त हुए, जो इस किट की विश्वसनीयता को सिद्ध/ प्रमाणित करता है।
- वर्तमान में COVID-19 से बीमार हो रहे लोगों के अतिरिक्त अन्य स्वस्थ नागरिकों और प्रशासन के लिये यह महामारी एक गंभीर मानसिक तनाव/दबाव का कारण बनी है, ऐसी स्थिति में स्थानीय टेस्टिंग किट के निर्माण जैसी छोटी सफलता से भी इस बीमारी से लड़ने में नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सरकार का मनोबल मज़बूत होगा।

चुनौतियाँ:

- हालाँकि इस टेस्टिंग किट की लागत (लगभग 1,200 रुपए) पहले से उपलब्ध अन्य विकल्पों से कम है परंतु अभी भी बहुत से लोग बिना किसी आर्थिक सहायता के पूरे परिवार के लिये इस परीक्षण को नहीं ले पाएंगे।
- हाल के दिनों में देश में COVID-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है ऐसे में यह अति आवश्यक है कि शीघ्र ही अधिक-से-अधिक संक्रमित लोगों की पहचान की जाए। परंतु किट के निर्माताओं के लिये सरकार के सहयोग के बाद भी कम समय में बड़ी मात्रा में लोगों के लिये किट उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी।

COVID-19 की चुनौती से निपटने के अन्य प्रयास:

- पिछले कुछ दिनों में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अन्य प्रयासों के साथ इस रोग के प्रसार की निगरानी करने व सुदूर क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिये तकनीक की सहायता लेने का निर्णय लिया है।

नोट :

स्वास्थ्य कर्मियों के लिये वेबिनार:

- इस प्रयास के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एक वेबिनार (Webinar) प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। वेबिनार को आसान शब्दों में ऑनलाइन सेमिनार या इंटरनेट आधारित सेमिनार के रूप में समझा जा सकता है।
- इस वेबिनार के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे चिकित्सा-सहायकों, नर्सों, आशा और आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को प्रतिदिन एम्स के डॉक्टरों COVID-19 के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाएगी।
- इस पहल के तहत COVID-19 के संदर्भ में स्थानीय भाषा के माध्यम से ज्यादातर लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिये राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जायेगा।
- इसके साथ ही इस पहल के तहत 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (Ministry of Electronics and Information Technology) के सहयोग से फेसबुक और वाट्सएप पर चैटबॉक्स (Chatbox) की शुरुआत की जाएगी और इन वेबिनार कार्यक्रमों को फेसबुक, वाट्सएप और यूट्यूब आदि के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा।

कोरोना कवच:

- 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (Ministry of Electronics and Information Technology) के सहयोग से कोरोनावायरस के प्रसार की निगरानी करने के लिये एक एप का निर्माण किया गया है।
- यह एप फोन में इंस्टाल करने के बाद फोन के ब्लूटूथ और लोकेशन की सहायता से संक्रमण के संभावित प्रसार की चेतावनी दे सकता है।
- वर्तमान में इस एप को अस्थायी रूप से 'कोरोना कवच' का नाम दिया गया है।
- वर्तमान में ऐसे ही एक एप का प्रयोग सिंगापुर (Singapore) में किया जा रहा है।

कैसे काम करता है यह एप?

- यह एप फोन के ब्लूटूथ के माध्यम से किसी स्थान पर व्यक्ति से 3-5 मीटर की दूरी पर स्थित सभी लोगों के आँकड़े सुरक्षित रखता है। शुरुआत में इस एप में एक हरे रंग का सांकेतिक चिन्ह होगा।
- यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जानकारी लैब में दर्ज की जाएगी, संक्रमण की पुष्टि होने पर एप में सांकेतिक चिन्ह का रंग लाल (Red) हो जाएगा।
- एप से प्राप्त जानकारी के आधार पर पिछले 14 दिनों में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और उनके एप में सांकेतिक चिन्ह का रंग पीला (Yellow) हो जाएगा।
- साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगले 14 दिनों तक किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में न आए।

COVID-19 की जागरूकता के लिये वाट्सएप का प्रयोग:

- COVID-19 के बारे में सही जानकारी प्रदान करने और गलत सूचनाओं/समाचारों (Fake News) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक वाट्सएप नंबर जारी किया है।
- इस सेवा का लाभ लेने के लिये व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी नंबर (9013151515) पर एक 'Hi' लिखकर भेजना होगा।
- यह सेवा वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में उपलब्ध है। साथ ही इसे मराठी में उपलब्ध कराने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
- केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारें भी इस सेवा को स्थानीय भाषा में जारी करने के लिये सहयोग कर रही हैं।
- इस सेवा को दो अन्य नंबरों पर जारी करने की तैयारी की जा रही है।

चिकित्सा केंद्रों की ज़रूरतों के लिये मैप आधारित पोर्टल:

- केंद्र सरकार ने COVID-19 के कारण चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक पोर्टल की शुरुआत करने पर कार्य शुरू कर दिया है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य अस्पतालों और वे लोग जो सहायता प्रदान करने की इच्छा रखते हों के बीच आसानी से संपर्क स्थापित कराना है।

नोट :

- इस योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न अस्पतालों की ज़रूरतों के आँकड़े एक सिस्टम में दर्ज किये जाएँगे।
- 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के सहयोग से एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसमें मानचित्र की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष में स्थित सभी अस्पतालों और उनकी ज़रूरतों का आँकड़ा जारी किया जा सकेगा।
- इस पोर्टल की सहायता से इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएँ अस्पतालों के लिये आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करा सकेंगे।

राष्ट्रीय दूरभाष-परामर्श केंद्र (कॉनटेक)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) द्वारा 'राष्ट्रीय दूरभाष-परामर्श केंद्र- 'कॉनटेक' (National Teleconsultation Centre- CoNTeC) का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- 'कॉनटेक' परियोजना 'COVID-19 नेशनल टेलीकंसल्टेशन सेंटर' (COVID-19 National Teleconsultation Centre) का संक्षिप्त नाम है।
- यह' एक टेलीमेडिसिन केंद्र है जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ((All India Institute of Medical Sciences- AIIMS), नई दिल्ली के द्वारा की गई है।
- इसे एम्स में इसलिये स्थापित किया गया है ताकि छोटे राज्य भी एम्स के चिकित्सकों के व्यापक अनुभवों से लाभ उठा सकें।
- यहाँ देश भर से विशेषज्ञों के बहु-आयामी सवालों का उत्तर देने के लिये विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध होंगे।
- यह एक बहु-मॉडल दूरसंचार केंद्र है जिसके माध्यम से देश के अलावा विश्व के किसी भी हिस्से से दोनों ओर से ऑडियो-वीडियो वार्तालाप के साथ-साथ लिखित संपर्क भी किया जा सकता है।
- संचार साधनों के रूप में, सरल मोबाइल टेलीफोन के साथ-साथ दोनों और से वीडियो वार्तालापों के लिये व्हाट्सएप, स्काइप और गूगल डुओ का उपयोग किया जाएगा।
- 'कॉनटेक', लखनऊ के संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ स्थित राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के साथ राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज नेटवर्क (National Medical College Network-NMCN) के माध्यम से जुड़े 50 मेडिकल कॉलेजों के बीच वीडियो सम्मेलन (Video Conference) का संचालन करने के लिये पूरी तरह से NMCN के साथ एकीकृत है।

लक्ष्य:

- इस केंद्र का लक्ष्य देश भर के चिकित्सकों को आपस में जोड़ना है ताकि वे एक साथ प्रोटोकॉल पर चर्चा कर सकें और तदनुसार सर्वोत्तम उपचार प्रदान कर सके।

उद्देश्य:

- डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं प्रौद्योगिकी की मदद से बड़े पैमाने पर जनता को न केवल COVID-19, बल्कि अन्य बीमारियों के उपचार में भी सहूलियत देना।
  - भारत एक विशाल देश है और गरीबों तक पहुँचने के लिये प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - वर्तमान परिस्थिति में गरीबों को भी देश के सर्वोच्च डॉक्टरों की सुविधा मिल सकेगी।
- प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस केंद्र को चालू करने का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोत्तम उपचार सुलभ कराना है।

आगे कि राह:

- आने वाले समय में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और AIIMS को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में देश के लिये नीति कार्यान्वयन में और अधिक मदद कर सकें।

नोट :

फाइट कोरोना आइडियाथॉन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD) के नवोन्मेष प्रकोष्ठ (Innovation Cell) द्वारा कोरोनावायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के सुलभ और सस्ते तकनीकी समाधान की खोज के लिये 'फाइट कोरोना आइडियाथॉन' (Fight Corona IDEAthon) नामक दो दिवसीय आइडियाथॉन का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- 'फाइट कोरोना आइडियाथॉन' का आयोजन 27-28 मार्च,2020 तक किया गया।
- इस आइडियाथॉन (IDEAthon) को इंटरनेट के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन/वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया।
- इस आइडियाथॉन के लिये स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से कोरोनावायरस से जुड़ी चुनौतियों और समस्याओं की जानकारी लेकर उन्हें 8 श्रेणियों में बाँट कर प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

आइडियाथॉन (IDEAthon): आइडियाथॉन वैचारिक मंथन के लिये आयोजित किया जाने वाला एक तरह का कार्यक्रम होता है। जहाँ छात्र, शोधार्थी, नवोन्मेष से जुड़े उद्यमी आदि किसी समस्या के समाधान के लिये प्रतियोगियों के रूप में अपने विचारों/समाधानों को प्रस्तुत करते हैं।

- इनमें व्यक्तिगत स्वच्छता और संरक्षण, जागरूकता, तैयारी और ज़िम्मेदार व्यवहार, चिकित्सा प्रणाली, स्क्रीनिंग, परीक्षण और निगरानी उपकरण एवं आईटी/ डिजिटल/ डाटा समाधान, सर्वाधिक सुभेद्य (Most Vulnerable) समूहों की रक्षा, सामुदायिक कार्य बल/कार्य समूह, दूरस्थ कार्य और दूरस्थ शिक्षा, प्रभावित व्यवसायों को स्थिर करना शामिल था।
- इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को ओपन कटेगरी (Open Category) का अन्य विकल्प भी दिया गया जिसमें उन्हें अपनी चुनौतियों को स्वयं चुनकर उनका समाधान प्रस्तुत करना था।
- इस दो दिवसीय आइडियाथॉन के दौरान स्वास्थ्य, नवोन्मेष और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम आइडियाथॉन प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया गया।
- इस आइडियाथॉन में भाग लेने के लिये विभिन्न क्षेत्रों से 5000 से अधिक छात्रों, शिक्षकों, शोधार्थियों और कई क्षेत्रों के पेशेवर लोगों आदि ने आवेदन किया था।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत समस्याओं के सार्थक समाधान या समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करने वालों में चुने हुये प्रतिभागियों को 7 लाख तक का पुरस्कार दिया जायेगा।
- साथ ही चुने हुए प्रोटोटाइप (Prototype) और अवधारणाओं के विकास के लिये नवाचार अनुदान (40 लाख रुपए तक) की आर्थिक सहायता के साथ अन्य सहयोग जैसे- औद्योगिक भागीदारी, औद्योगिक स्तर के प्रोटोटाइप लैब तथा उत्पादन केंद्रों की व्यवस्था, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और कॉर्पोरेट अनुदान आदि प्रदान किये जाएंगे।
- 'फाइट कोरोना आइडियाथॉन' का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE), एमईआईटीवाई स्टार्ट हब (MeiTY Startup Hub) आदि के सहयोग से किया गया था।

एमईआईटीवाई स्टार्ट हब (MeiTY Startup Hub- MSH):

- एमईआईटीवाई स्टार्ट हब की स्थापना वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा की गई थी।
- MSH 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के तहत स्टार्टअप, नवाचार आदि क्षेत्रों के लिये नोडल इकाई (Nodal Entity) के रूप में कार्य करती है।
- MSH का उद्देश्य देश में तकनीकी नवोन्मेष, स्टार्टअप (Startup), बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) आदि क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना है।
- MSH देश में स्टार्टअप, नवाचार आदि से संबंधित सभी गतिविधियों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, सुविधा प्रदान करने और निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करता है।

नोट :

आइडियाथॉन के आयोजन का उद्देश्य:

- इस आइडियाथॉन का उद्देश्य ऐसे नए आइडिया/ अवधाराणाओं की खोज करना और उन्हें व्यवहारिक समाधानों में बदलना है, जो इस महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं से निपटने में समाज की सहायता कर सकें।
- इस आइडियाथॉन के आयोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्र से छात्रों, आविष्कारकों और विशेषज्ञों आदि को एक साथ लाकर कोरोनावायरस की महामारी के नियंत्रण हेतु सुलभ और वहनीय समाधानों की खोज करना, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न दबाव को कम करना एवं सामान्य स्थिति की त्वरित वापसी सुनिश्चित करना था।
- इस आइडियाथॉन में प्रतिभागियों के सामने ऐसी समस्याओं को रखा गया जिनके लिये नवीन तकनीकी समाधानों की अपेक्षा की जा रही है जैसे- दोबारा प्रयोग किये जा सकने/धोने योग्य वाले मास्क (Mask) के डिज़ाइन, नोटों और सिक्कों को निस्संक्रामक/कीटाणुरहित करने की तकनीकी, गलत सूचनाओं जैसे-फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने तथा सही जानकारी उपलब्ध करने के लिये एप का निर्माण, डायग्नोस्टिक किट (Diagnostic Kit), वेंटिलेटर (Ventilator) के लिये वैकल्पिक समाधानों की खोज आदि।

आइडियाथॉन के लाभ:

- इस आइडियाथॉन के अंतर्गत सभी हितधारकों के सहयोग से कोरोनावायरस के नियंत्रण, उपचार में विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य, तकनीकी, व्यावसायिक क्षेत्र आदि) के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
- AICTE निदेशक के अनुसार, वर्तमान में विश्वभर में 4 लाख से अधिक लोग COVID-19 से प्रभावित हुए हैं। यह समस्या विश्व के सभी देशों में संक्रमित लोगों की पहचान करने, उन्हें अलग रखने, उनके उपचार और इस संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिये उपलब्ध संसाधनों तथा इससे निपटने में देशों की क्षमताओं की परीक्षा है। फाइट कोरोना आइडियाथॉन' के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने के मार्ग तलाशे जा सकेंगे।

निष्कर्ष: वर्तमान में COVID-19 की महामारी विश्व के सभी देशों के लिये एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इस समस्या से स्वास्थ्य के साथ अन्य क्षेत्र जैसे- आर्थिक, परिवहन, उद्योग आदि गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। 'फाइट कोरोना आइडियाथॉन' जैसे प्रयासों के माध्यम से COVID-19 से निपटने के विकल्पों के साथ ही इस बीमारी के कारण उत्पन्न हुए दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य में ऐसी आपदा से निपटने तथा अन्य उद्देश्यों के लिये भी विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी।

फोर्स मेजर' के तहत रेलवे शुल्क पर राहत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक के समय को 'फोर्स मेजर' (Force Majeure) के रूप में माना जायेगा और इस दौरान भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिये कोई भी शुल्क नहीं लगाया जायेगा।

मुख्य बिंदु:

- 'फोर्स मेजर' (Force Majeure):
  1. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2020 को COVID-19 महामारी को 'Force Majeure' के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की थी।
  2. वित्त मंत्रालय के अनुसार, 'Force Majeure' से आशय ऐसी असाधारण घटनाओं और परिस्थितियों से है, जो मानव नियंत्रण से परे हों। साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोनावायरस को प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिये और इसके लिये 'फोर्स मेजर' के प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है।
  3. वित्त मंत्रालय के अनुसार, इसके तहत सरकारी अनुबंध से जुड़ी वे कंपनियाँ जो आपूर्ति के लिये प्रभावित इलाकों पर निर्भर हैं, पर अनुबंध की शर्तें न पूरी कर पाने पर कोई दंड या अन्य नकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  4. 'फोर्स मेजर' से संबंधित नियम 'भारतीय संविदा अधिनियम, 1872' की धारा 32 और 56 के तहत निर्धारित किये गए हैं।

- 27 मार्च, 2020 रेल मंत्रालय दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा 19 फरवरी को की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक ढुलाई सेवाओं से जुड़े कई प्रकार के शुल्क नहीं लिये जाएंगे। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
  1. विलंब-शुल्क (Demurrage)
  2. घाट या लोडिंग स्टेशन का सेवा शुल्क (Wharfage)
  3. स्टैकिंग (Staking) चार्ज
  4. पार्सल के आवागमन पर विलंब-शुल्क (Demurrage on parcel traffic)
  5. कंटेनर यातायात के मामले में भू-उपयोग शुल्क
- गौरतलब है कि 23 मार्च, 2020 को रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी किये थे कि 24 मार्च, .2020 से 30 अप्रैल, 2020 तक खाली कंटेनरों/खाली फ्लैट वैगनों की आवाजाही के लिये कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- ध्यातव्य है कि देश में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी।
- प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पूरे भारत में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों यातायात (सड़क, रेल, हवाई यात्रा) आदि पर रोक लगा दिया गया था।
- परंतु इस दौरान 'अति आवश्यक वस्तुओं' (Essential Commodities) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कुछ मालवाहक सेवाओं जैसे-रेलवे द्वारा तेल या अन्य वस्तुओं की ढुलाई को जारी रखा गया है।

अतिआवश्यक वस्तुओं' की आपूर्ति में रेलवे का योगदान:

- रेल मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में लगभग 1.6 लाख रेलवे डिब्बों/बोगियों के माध्यम से पूरे भारत में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की जा रही है।
- रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में प्रतिदिन औसतन लगभग 25000 बोगियों (Wagons) के माध्यम से अति आवश्यक वस्तुओं जैसे-दूध, अनाज, खाद्य तेल, चीनी, सब्ज़ियाँ, फल और नमक आदि की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त प्रतिदिन लगभग 20000 बोगियों का उपयोग कोयला और लगभग 1700 बोगियों का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई के लिये किया जा रहा है।
- रेल मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 के कारण लागू हुए अनेक प्रतिबंधों के बीच आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिये रेलवे राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाये हुए है।
- साथ ही रेलवे तंत्र पर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिये रेल मंत्रालय में एक 'इमरजेंसी फ्रेट कंट्रोल' (Emergency Freight Control) काम कर रहा है और वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों द्वारा माल ढुलाई पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

COVID-19 की निगरानी हेतु जीपीएस का प्रयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation- BMC) ने क्षेत्र में COVID-19 के उच्च संवेदनशीलता क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में COVID-19 से संक्रमित लोगों की निगरानी के लिये जीपीएस (GPS) आधारित आँकड़ों का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- BMC के अनुसार, लॉकडाउन और क्वारंटाइन (Quarantine) के तहत लागू प्रतिबंधों के उल्लंघन और COVID-19 के सामुदायिक प्रसार की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

- BMC की योजना के तहत उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों और संक्रमित लोगों की बेहतर निगरानी कर COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित किया जाएगा।
- BMC के अनुसार, शीघ्र ही इस ट्रैकर (Tracker) को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- 30 मार्च, 2020 को शहर के घनी आबादी वाले वर्ली-कोलीवाडा (Worli-Koliwada) क्षेत्र में 8 लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी।
- साथ ही BMC के आँकड़ों के अनुसार, 30 मार्च, 2020 को मुंबई महानगर क्षेत्र में कोरोनावायरस संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए थे।
- BMC के अनुसार, वर्तमान में संक्रमित लोगों और उनके परिसर क्षेत्रों के प्रति भेदभाव तथा अनावश्यक भय को कम करने के लिये कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।
- अभी तक कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों के बारे में जारी आँकड़ों में केवल उनकी आयु, लिंग और आवासीय क्षेत्र की जानकारी ही सार्वजनिक की जा रही थी।

जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग के लाभ:

- जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से संक्रमित लोगों की गतिविधियों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।
- BMC के अनुसार, जीपीएस आधारित आँकड़ों के माध्यम से लोगों को ऐसे क्षेत्रों से दूर रहने के बारे में चेतावनी दी जा सकेगी जहाँ कोरोनावायरस के संक्रमण का खतरा अधिक होगा।
- इन आँकड़ों का प्रयोग वार्ड के अधिकारियों (Ward Officers) द्वारा भी किया जायेगा, इन आँकड़ों के माध्यम से वार्ड अधिकारी ऐसे क्षेत्रों में लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के साथ-साथ अतिआवश्यक वस्तुओं जैसे- दवाई, राशन आदि की अनिवार्य होम डिलीवरी (Home Delivery) को सुनिश्चित कर सकेंगे।

COVID-19 के नियंत्रण के अन्य प्रयास:

- COVID-19 संक्रमण मामलों की बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिये मेडिकल छात्रों को अस्पतालों में तैनात करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके तहत शहर के चार मेडिकल कॉलेजों से अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्रों और दूसरे तथा तीसरे वर्ष के नर्सिंग छात्रों (Nursing Students) को अस्पतालों में सेवाएँ देने के लिये लगाया जाएगा।
- इन छात्रों को सार्वजनिक अस्पतालों के बाह्य रोगी विभाग (Outpatient Department- OPD) और अस्पतालों के प्रशासनिक कार्यों के लिये लगाया जाएगा।
- साथ ही अस्पतालों की भीड़ कम करने तथा उपलब्ध आइसोलेशन (Isolation) बेड का बेहतर प्रयोग करने के लिये संक्रमित लोगों के लक्षणों और उम्र के आधार पर तीन श्रेणियों में बाँटा जाएगा। जो निम्नलिखित हैं-
  1. बगैर लक्षण (Asymptomatic) और सह रुग्णता के 55 वर्ष की आयु से कम के लोग।
  2. बगैर लक्षण या हलके लक्षण वाले 55 वर्ष की आयु से अधिक के लोग।
  3. स्पष्ट लक्षण वाले 55 वर्ष की आयु से अधिक के लोग।

लाभ:

- BMC के अनुसार, इस तरह तीन श्रेणियों में विभाजित कर स्थिर रोगियों के लिये संघरोध केंद्रों (Quarantine Centres) पर आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- साथ ही इस प्रक्रिया के तहत अस्पतालों में भीड़ कम कर गंभीर मरीज़ों को बेहतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

नोट :

पीएम-केयर्स फंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund)' की स्थापना की है।

कोष के बारे में:

- PM-CARES Fund एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust) है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
- कोष में राशि की सीमा निर्धारित नही की गई है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होंगे।
- कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी के तहत योगदान: (Corporate Social Responsibility-CSR)

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने स्पष्ट किया है कि PM-CARES Fund में CSR के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है, जिनका कुल मूल्य (Net Worth) 500 करोड़ रुपए से अधिक हो या कुल कारोबार (Turnover) 1000 रुपए करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ (Net Profit) 5 करोड़ रुपए से अधिक हो।
- CSR के तहत उपरोक्त कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% योगदान करना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में: (Prime Minister's National Relief Fund)

- पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिये जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिये किया जाता है।
- इसके अलावा, हृदय शल्य-चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिये भी इस कोष से सहायता दी जाती है।
- यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है।
- कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष होते हैं और अधिकारी/कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं।
- प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किये गये अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (छ) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है।

ईपीएफ खातों से निकासी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Labour and Employment Ministry) ने 'कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Funds-EPF) योजना' में संशोधन कर जमा धनराशि को निकालने की अनुमति दी है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 की रोकथाम के लिये 'लॉकडाउन' की वजह से लोगों को राहत देने को लेकर यह कदम उठाया गया है।
- कर्मचारी भविष्य निधि नियमनों में संशोधन कर खातों से कुल राशि के 75% का गैर-वापसी योग्य अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
- EPF के तहत पंजीकृत चार करोड़ कामगारों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- EPF योजना के दायरे में आने वाले देश भर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिये पात्र हैं। इसके लिये EPF योजना, 1952 के पैरा 68 एल में उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन:

- यह भारत सरकार का एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन तथा बीमा योजना प्रदान करने वाला संगठन है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना 15 नवम्बर, 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई थी। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया था।
- कर्मचारी भविष्य निधि बिल को संसद में वर्ष 1952 के बिल संख्या 15 के रूप में लाया गया ताकि कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि की स्थापना के प्रावधान हो सके।
- इस संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मंडल, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता एवं कर्मचारी शमिल होते हैं।
- इस संगठन की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री द्वारा की जाती है।

उमंग एप (Umang App):

- उमंग एप की सहायता से सभी बड़ी सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करने में आसानी होगी। वर्तमान में इस कार्य के लिये वेब, एस.एम.एस. एवं आई.वी.आर. जैसी व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है।
- इस एप में आधार, डिजीलॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जैसी बहुत सी महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ भी शामिल की गई हैं।
- इतना ही नहीं उमंग एप को कर का भुगतान करने, एल.पी.जी. सिलेंडर की बुकिंग करने तथा पी.एफ. एकाउंट इत्यादि डिजिटल सुविधाओं के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रमुख योजनाएँ:

- कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund-EPF), 1952
- कर्मचारी पेंशन योजना (Employment Pension Scheme-EPS), 1995
- बीमा योजना (Insurance Scheme), 1976

आर्थिक घटनाक्रम

कोरोना वायरस का आर्थिक प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'कोरोना वायरस महामारी और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रभाव' के अध्ययन ने इस तथ्य को उजागर किया है कि इस महामारी ने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है तथा भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रही है।

अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव:

कोरोना वायरस का आयात पर प्रभाव

- इस वायरस से हवाई यात्रा, शेयर बाज़ार, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं सहित लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।
- यह वायरस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जबकि इसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल स्थिति में है। इन दो अर्थव्यवस्थाओं, जिन्हें वैश्विक आर्थिक इंजन के रूप में जाना जाता है, संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा आगे जाकर मंदी का कारण बन सकता है।

अमेरिका पर प्रभाव:

- निवेशकों के बाज़ारों से बाहर निकलने के कारण शेयर बाज़ार सूचकांक में लगातार गिरावट आई है। लोग बड़ी राशि को अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र यथा- 'सरकारी बॉण्ड' में लगा रहे हैं जिससे कीमतों में तेज़ी तथा उत्पादकता में कमी देखी गई है।
- अमेरिकी बाज़ार में वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे खराब अनुभव हाल ही में कोरोना वायरस के कारण महसूस किया गया, ध्यातव्य है कि अमेरिकी बाज़ार में 12% से अधिक की गिरावट आई है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जो निवेशक ऐसे संकट के समय सामान्यत: स्वर्ण में निवेश करते हैं, इस संकट के समय उन्होंने इसका भी बहिष्कार कर दिया जिससे सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई, तथा लोगों ने सरकारी गारंटी युक्त 'ट्रेज़री बिल' (Treasury Bills) में अधिक निवेश करना उचित समझा।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec):

- ये ऐसी सर्वोच्च प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनकी नीलामी भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के बाज़ार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में की जाती हैं।
- ट्रेज़री बिल:
  - आमतौर पर एक वर्ष से भी कम अवधि की मेच्योरिटी वाली प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिये।
- सरकारी बॉण्ड:
  - एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है।

Apple, Nvidia, Adidas जैसी कंपनियाँ इससे अधिक प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि ये चीन के आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भर हैं, इन्हें भविष्य में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव:

भारत-चीन व्यापार संबंध:

- भारत अपने कुल आयातित माल का 18%, इलेक्ट्रॉनिक घटक का 67% एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का 45% चीन से आयात करता हैं।

नोट :

- भारत जब अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समय में इस वायरस का केवल सतही प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऐसे कठिन समय में समस्या का समाधान मात्र 'एयर लिफ्टिंग' से संभव नहीं है।
- यह समस्या न केवल आपूर्ति शृंखला को प्रभावित करेगी, अपितु यह भारत के फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।
- निर्यात, जिसे अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन माना जाता है, इसमें वैश्विक मंदी की स्थिति में और गिरावट देखी जा सकती है, साथ ही निवेश में भी गिरावट आ सकती है।

सकारात्मक पक्ष:

- भारतीय कंपनियाँ चीन आधारित 'वैश्विक आपूर्ति शृंखला' में शामिल प्रमुख भागीदार नहीं हैं, अत: भारतीय कंपनियाँ इससे अधिक प्रभावित नहीं होंगी।
- दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, जो कि वृहद् अर्थव्यवस्था और उच्च मुद्रास्फीति के चलते अच्छी खबर है।

सामान्य वित्तीय संकट से अलग:

- वायरस जनित यह संकट किसी अन्य वित्तीय संकट से बिलकुल अलग है। अन्य वित्तीय संकटों का समाधान समय-परीक्षणित उपायों (Time-tested Measures) जैसे- दर में कटौती, बेल-आउट पैकेज (विशेष वित्तीय प्रोत्साहन) आदि से किया जा सकता है, परंतु वायरस जनित संकट का समाधान इन वित्तीय उपायों द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

आगे की राह:

- भारत सरकार को लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिये।
- कोरोना वायरस जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की जानी चाहिये ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके।

वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध समाप्त

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में वर्चुअल करेंसी (Virtual Currencies-VC) के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अप्रैल 2018 में एक आदेश के माध्यम से अधिरोपित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- न्यायालय ने अपने आदेश में वर्चुअल करेंसी (VC) पर लगे प्रतिबंध को असंगत बताते हुए कहा कि RBI ने स्वयं वर्चुअल करेंसी (VC) के व्यापार के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव या नुकसान को स्पष्ट नहीं किया है।
- ध्यातव्य है कि अप्रैल 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसके माध्यम से सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर वर्चुअल करेंसी (जिसमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है) से संबंधित व्यापार सुविधाएँ प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थीं।
- RBI ने अपने आदेश के माध्यम से भारत में सभी वर्चुअल करेंसी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके पश्चात् इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने RBI के इस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी।

क्या था RBI का आदेश?

- RBI ने 2018 के अपने आदेश में कहा था कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी इकाइयाँ वर्चुअल करेंसी में लेन-देन नहीं करेंगी तथा किसी व्यक्ति या इकाई को वर्चुअल करेंसी में लेन-देन के लिये भी सुविधा प्रदान नहीं करेंगी।
- RBI ने आदेश में कहा था कि वर्चुअल करेंसी के व्यापार में शामिल सभी विनियमित संस्थाओं को परिपत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर सभी कार्य समाप्त करने होंगे।

निर्णय के निहितार्थ

- वर्चुअल करेंसी से संबंधित विशेषज्ञों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। हालाँकि यह विषय अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी विधायी कार्यवाही शेष है।
- विदित हो कि सरकार ने बीते वर्ष क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक, 2019 का मसौदा तैयार किया था। यह विधेयक क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार को पूर्णत: प्रतिबंधित करता है।
- जब तक क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंध करने वाले मसौदे को इसके मौजूदा स्वरूप से नहीं बदला जाएगा तब तक देश में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से व्यापार को शुरू नहीं किया जा सकेगा।

वर्चुअल करेंसी का अर्थ

- साधारण शब्दों में कहें तो वर्चुअल करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होती है। ध्यातव्य है कि वर्चुअल करेंसी एक वैध मुद्रा नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि यह देश के केंद्रीय बैंक (भारत की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा समर्थित नहीं होती है।
- क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) वर्चुअल करेंसी का एक रूप है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा संरक्षित है। क्रिप्टोग्राफी मूल रूप से एक ग्रीक शब्द है, जो 'गुप्त' और 'लिखावट' का मिला-जुला अर्थ रूप है। यह एक प्रकार का कूट-लेखन (Encode) है, जिसमें भेजे गए संदेश या जानकारी को सांकेतिक शब्दों में बदल दिया जाता है। इसे भेजने वाला या पाने वाला ही पढ़ सकता या खोल सकता है।
  - क्रिप्टोग्राफी का संबंध डेटा की सुरक्षा और उससे संबंधित विषयों, विशेषकर एनक्रिप्शन से होता है।
- बिटकॉइन और एथेरम जैसी डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्भर करती हैं।

ब्लॉकचेन तकनीक

- जिस प्रकार हज़ारों-लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डेटा ब्लॉकों (आँकड़ों) की लंबी श्रृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन नाम दिया गया है।
- ब्लॉकचेन तकनीक में तीन अलग-अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल 'की' (निजी कुंजी) की क्रिप्टोग्राफी अर्थात् जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है।
- ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो-करेंसियों का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल 'सार्वजनिक बही-खाता' (Public Ledger) है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड दर्ज होता है।
- ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन-देन के दर्ज होने पर इसे न तो वहाँ से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- ब्लॉकचेन के कारण लेन-देन के लिये एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे-बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- नेटवर्क से जुड़े उपकरणों (मुख्यत: कंप्यूटर की श्रृंखलाओं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है) द्वारा सत्यापित होने के बाद इसके अंतर्गत किया गया प्रत्येक लेन-देन का विवरण बही-खाते में रिकॉर्ड होता है।

क्रिप्टोकरेंसी के लाभ

- क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिये लेन-देन के दौरान छद्म नाम (Pseudonym) एवं पहचान बताई जाती है। ऐसे में अपनी निजता को लेकर अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को यह माध्यम सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ता है।
- क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन संबंधी लागत अत्यंत ही कम होती है। घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी लेन-देन की लागत एक समान ही होती है।
- क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिये होने वाले लेन-देन में 'थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन' (Third Party Certification) की आवश्यकता नहीं होती। अत: धन एवं समय दोनों की बचत होती है।

क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान

- क्रिप्टोकरेंसी की संपूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है और इसके हैक होने का खतरा बना रहता है।
- क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी समस्या है इसका ऑनलाइन होना और यही कारण है कि क्रिप्टोकरेंसी को एक असुरक्षित मुद्रा माना जा रहा है।

नोट :

- गौरतलब है कि प्रत्येक बिटकॉइन लेन-देन के लिये लगभग 237 किलोवाट बिजली की खपत होती है और इससे प्रतिघंटा लगभग 92 किलो कार्बन उत्सर्जन होता है।

निष्कर्ष

मुद्रा के आविष्कार से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली के ज़रिये वस्तुओं का लेन-देन किया जाता था किंतु जैसे-जैसे तकनीक उन्नत होती गई व्यापार के तरीकों में भी बदलाव आता गया। वर्चुअल करेंसी का लगातार बढ़ रहा प्रचलन 21वीं सदी के सबसे महत्त्वपूर्ण बदलावों में से एक है। न्यायालय के हालिया निर्देश से भारत ने भी इस ओर एक कदम बढ़ा दिया है। हालाँकि डिजिटल मुद्रा को लेकर अभी भी कई चिंताएँ मौजूद हैं, जिनका समाधान जल्द-से-जल्द किया जाया जाना आवश्यक है।

प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने 06 मार्च, 2020 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय इस राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वक्ता थे।
- सम्मेलन के दौरान उद्घाटन सत्र के अलावा दो तकनीकी सत्र भी आयोजित किये गए जिनमें शोधकर्त्ताओं ने प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रवर्तन और आर्थिक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मुद्दों पर अपने अकादमिक पेपर प्रस्तुत किये।
- सम्मेलन में अर्थशास्त्रियों, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं सहित प्रतिस्पर्द्धा कानून और नीति संबंधी अर्थशास्त्र में गहरी रुचि रखने वाले लोगों को लक्षित किया गया था।

उद्देश्य

- प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान और वार्ता को बढ़ावा देना।
- भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना।
- भारत में प्रतिस्पर्द्धा कानून के कार्यान्वयन हेतु ढाँचा विकसित करना।

प्रतिस्पर्द्धा कानून

- बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला तक सुगम पहुँच प्रदान करती है। व्यावसायिक उद्यम अपने हितों की रक्षा के लिये विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और युक्तियों को अपनाते हैं।
- वे अधिक शक्ति और प्रभाव के लिये एक साथ मिल जाते हैं जो उपभोक्ताओं के हितों के लिये हानिकारक हो सकता है और कई बार उनके द्वारा गलत तरीके से मूल्य निर्धारण, कीमत बढ़ाने के लिये जानबूझकर उत्पाद आगत में कटौती, प्रवेश क बाधित करना, बाज़ारों का आवंटन, बिक्री में गठजोड़, अधिक मूल्य निर्धारण और भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण जैसी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं जिसका विभिन्न समूहों के समाजिक और आर्थिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इसलिये न केवल एकाधिकार अथवा व्यापारिक संयोजनों के गठन को रोकना आवश्यक है बल्कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना भी आवश्यक है ताकि उपभोक्ताओं को अपनी खरीद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।
- प्रतिस्पर्द्धा कानून का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता की प्राथमिकता के अनुकूल बाज़ार के सृजन में प्रतिस्पर्द्धा को सहायक साधन के रुप में प्रयोग करते हुए आर्थिक दक्षता का संवर्द्धन करना है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग Competition Commission of India-CCI

- किसी भी अर्थव्यवस्था में 'बेहतर प्रतिस्पर्द्धा' का अर्थ है- आम आदमी तक किसी भी गुणात्मक वस्तु या सेवा की बेहतर कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

नोट :

- 'प्रतिस्पर्द्धा' के इसी वृहद् अर्थ को आत्मसात करते हुए वर्ष 2002 में संसद द्वारा 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' (The Competition Act, 2002) पारित किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग का गठन किया गया।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 2 से कम तथा 6 से अधिक नहीं हो सकती किंतु अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग का आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य (कुल सात) से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य (कुल चार) करने को मंज़ूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि सभी सदस्यों को सरकार द्वारा 'नियुक्त' (Appoint) किया जाता है।
- आयोग के कार्य
  - प्रतिस्पर्द्धा को दुष्प्रभावित करने वाले अभ्यासों (Practices) को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
  - उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।
  - भारतीय बाज़ार में 'व्यापार की स्वतंत्रता' सुनिश्चित करना।
  - किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना।
  - जन जागरूकता का प्रसार करना।
  - प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

COVID-19 और करेंसी स्वैप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) जैसी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा COVID-19 के प्रसार से प्रभावित देशों के लिये करेंसी स्वैप व्यवस्था को लागू किया जाना आवश्यक बताया है।

मुख्य बिंदु:

- कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के वुहान शहर से शुरू होकर हुए दुनिया के करीब 80 देशों तक फैल चुका है। इस वायरस की चपेट में आकर दुनिया भर में 3,300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
- RBI के अनुसार, भारत के पास कोरोना के प्रभावों से निपटने के लिये भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है।
- RBI ने वैश्विक स्तर पर नकदी संकट के दबाव को कम करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मुद्रा विनिमय की आसान, निष्पक्ष और खुली प्रणाली शुरू करने की ज़रूरत बताई है।
- कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के नरम पड़ने की आशंका है।
- सभी केंद्रीय बैंक कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिये साथ मिलकर काम करने को संकल्पित हैं।
- RBI ने घरेलू उद्योगों के बारे में कहा कि देश में कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जो चीन पर निर्भर हैं और वे इस महामारी से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके असर को कम करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।
- कोरोना वायरस का भारत पर सीमित प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति श्रंखला पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है।

मुद्रा विनिमय समझौता (Currency Swap Agreement):

- मुद्रा विनिमय समझौता दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जो संबंधित देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात-निर्यात के लिये अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा के प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है।
- भारत सरकार ने सार्क सदस्य देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते को विदेशी मुद्रा की अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने और अन्य सार्क देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा समस्या का समाधान होने तक भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के उद्देश्य से 15 नवंबर, 2012 को मंज़ूरी दी थी।

आगे की राह:

- वायरस जनित यह संकट किसी अन्य वित्तीय संकट से बिलकुल अलग है। अन्य वित्तीय संकटों का समाधान समय-परीक्षणित उपायों (Time-tested Measures) जैसे- दर में कटौती, बेल-आउट पैकेज (विशेष वित्तीय प्रोत्साहन) आदि से किया जा सकता है, परंतु वायरस जनित संकट का समाधान इन वित्तीय उपायों द्वारा किया जाना संभव नहीं है।
- भारत सरकार को लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कोरोना वायरस जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा की जानी चाहिये ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके।

कोकून उत्पादन

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक राज्य में कोकून उत्पादन के मलबरी डिज़ीज़ (Mulberry Disease) की चपेट में आने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध हैI

मुख्य बिंदु:

- राज्य में लीफ रोलर कीट (Leaf Roller Insect) ने कोकून उत्पादन को प्रभावित किया है।
- यह कीट शहतूत के पौधों के अंकुरित (Shoots) भाग को खा जाता है जिससे कोकून उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इन सबके बावजूद जलवायु परिवर्तन और रोग नियंत्रक कीटनाशकों के उपयोग के चलते राज्य के कोकून बाज़ार में इसकी पर्याप्त मात्रा देखी गई है।
- रामनगरम जो कि राज्य का सबसे बड़ा कोकून बाज़ार है, में पिछले 3-4 महीनों के दौरान प्रतिदिन 25 से 30 टन कोकून का व्यापार हुआ।
- पिछले एक सप्ताह में कोकून व्यापार में 50 टन प्रतिदिन से भी अधिक की वृद्धि देखने को मिली जिसके परिणामस्वरूप कोकून की कीमत में कमी दर्ज की गई है।
- कोकून की कीमत कम होने तथा कच्चे रेशम की मांग बढ़ने के साथ-साथ COVID-19 के कारण चीन से रेशम आयात प्रभावित होने की वजह से स्वदेशी कच्चे रेशम का उत्पाद बढ़ने के आसार हैं।
- चीन से रेशम आयात न होने की वज़ह से स्वदेशी रेशम की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत में उत्पन्न रेशम की गुणवत्ता में भी वृद्धि देखने को मिली है, खासतौर पर बाइवोल्टाइन कोकून (Bivoltine Cocoon) के उत्पादन में। इसके चलते चीन से आयातित रेशम पर निर्भरता में कमी आई है।
- केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board-CSB) के अनुसार, भारत में वर्ष 2003-2004 के दौरान रेशम का कुल उत्पादन 15742 टन था जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 20410 टन तथा वर्ष 2018-19 में 35468 टन पर पहुँच गया।

केंद्रीय रेशम बोर्ड

- यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन वर्ष 1948 में किया गया।
- यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- इसके द्वारा कार्य देश में सेरीकल्चर एवं रेशम उद्योग के विकास के लिये किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखितहै-
  - अनुसंधान और विकास।
  - चार स्तरीय रेशम कीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रखरखाव।
  - वाणिज्यिक रेशम कीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करना।
  - विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता मानकों को मानकीकृत और संस्थापित करना।
  - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय रेशम को बढ़ावा देना तथा सेरीकल्चर और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

नोट :

कोकून:

- यह रेशम के धागे का एक आवरण होता है।
- इसका निर्माण रेशम कीट द्वारा पूर्ण विकसित होने से पहले अपने लार्वा द्वारा किया जाता है।

मुद्रा विनिमय और COVID-19

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में तरलता प्रदान करने के उद्देश्य से 6 महीनों के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिमय (Swap) का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि RBI का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विदेशी निवेशकों ने बीते तीन सत्रों में 13,500 करोड़ रुपए बाज़ार से निकाल लिये हैं।
- RBI के अनुसार, केंद्रीय बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID-19 महामारी के न्यून प्रभाव तथा वित्तीय बाज़ार और संस्थाओं के सामान्य कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय करने हेतु तैयार है।
- RBI एक खरीद/बिक्री विनिमय करेगा, जिसका अर्थ है कि सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक बाज़ार में डॉलर बेचेगा और अंत में 6 महीने बाद उन्हें वापस खरीदेगा।

कारण

- RBI द्वारा इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार, दुनिया भर में COVID-19 संक्रमण के प्रसार के कारण वित्तीय बाज़ारों को गहन विक्रय दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- बाज़ार के आँकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने इस महीने भारतीय पूंजी बाज़ारों से 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है।
- अत: कहा जा सकता है कि RBI ने यह निर्णय वित्तीय बाज़ार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए और बाज़ार में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है।

लाभ

- RBI के इस कदम से विदेशी मुद्रा बाज़ार में तरलता प्रदान करने में मदद मिलेगी। विदित हो कि COVID-19 के प्रसार के कारण भारत सहित विश्व भर के वित्तीय बाज़ार अशांति का सामना कर रहे हैं।

मुद्रा विनिमय

- मुद्रा विनिमय (Currency Swap) एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता है जो दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु एक निश्चित समय के लिये किया जाता है।

COVID-19 क्या है?

- COVID-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बना है। अब संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है।
- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करता है।
- कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप तब सामने आया जब 31 दिसंबर, 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया।
- ध्यातव्य है कि इस खतरनाक वायरस के कारण चीन में अब तक हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह वायरस धीरे-धीरे संपूर्ण विश्व में फैल रहा है।

नोट :

आगे की राह

- स्पष्ट है कि कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस वायरस के कारण हवाई यात्रा, शेयर बाज़ार, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं सहित लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।
- हाल में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, यह वायरस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जबकि इसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल स्थिति में है। उक्त दो अर्थव्यवस्थाएँ, जिन्हें वैश्विक आर्थिक इंजन के रूप में जाना जाता है, संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा आगे जाकर मंदी का कारण बन सकती हैं।
- इस संदर्भ में RBI का निर्णय काफी तर्कपूर्ण दिखाई देता है। आवश्यक है कि संपूर्ण वैश्विक समाज इस महामारी से निपटने के लिये एकजुट हो और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके न्यून प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

चर्चा में क्यों?

44वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System-PFMS) से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की।

प्रमुख बिंदु:

- PFMS ने निधि प्रवाह प्रणाली, भुगतान एवं अकाउंटिंग नेटवर्क के प्रति भारत को जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी होने में सक्षम बनाया है।
- भारतीय सिविल लेखा सेवा (Indian Civil Accounts Service-ICAS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) के ज़रिये 8.46 करोड़ से अधिक पीएम-किसान भुगतान लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसे जमा कर PFMS ने अपनी आईटी (Information Technology-IT) ताकत साबित की है।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:

- PFMS, जिसको पहले केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली (Central Plan Schemes Monitoring System- CPSMS) के नाम से जाना जाता था।
- यह एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका विकास तथा कार्यान्वयन भारत के महानियंत्रक लेखा कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
- CPSMS की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई।
- वर्ष 2013 में इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें योजनागत और गैर-योजनागत दोनों के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान को भी शामिल किया गया।
- वर्ष 2017 में सरकार ने योजना और गैर-योजना व्यय के बीच का अंतर समाप्त कर दिया।
    - योजनागत व्यय: पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले सभी व्ययों को योजनागत व्यय कहते हैं। जैसे- बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों इत्यादि का निर्माण।
    - गैर-योजनागत व्यय: योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर-योजना व्यय के रूप में जाना जाता है। जैसे- ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को संवैधानिक हस्तांतरण इत्यादि।

उद्देश्य:

- भारत सरकार (Government Of India-GOI) के लिये एक मज़बूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना ताकि कुशल निधि प्रवाह के साथ ही भुगतान एवं अकाउंटिंग नेटवर्क (Payment cum Accounting Network) की स्थापना की जा सके।

- वर्तमान में इसके अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत व्यय एवं अन्य व्यय शामिल हैं।
  - केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ:
    - ये योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं।
    - इन्हें केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है।
    - मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर गठित हैं।
    - जैसे- भारतनेट, नमामि गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना इत्यादि।
  - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ:
    - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ वे योजनाएँ हैं जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक निर्धारित हिस्सेदारी के साथ प्रायोजित की जाती हैं।

भारतीय सिविल लेखा सेवा के बारे में:

- केंद्र सरकार ने वर्ष 1976 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ा सुधार किया।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केंद्र सरकार के खाते तैयार करने की ज़िम्मेदारी देकर लेखा परीक्षा और लेखा कार्यों को अलग कर दिया गया।
- लेखांकन कार्य को सीधे कार्यकारी के नियंत्रण में लाने के बाद भारतीय नागरिक लेखा सेवा की स्थापना हुई।
- ICAS को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (Indian Audit & Accounts Service-IA&AS) से शुरू किया गया था
- केंद्रीय लेखा विभाग (Departmentalization of Union Accounts) अधिनियम, 1976 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और 8 अप्रैल, 1976 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम को 1 मार्च, 1976 से प्रभावी माना गया था। तदनुसार, ICAS हर साल 1 मार्च को "नागरिक लेखा दिवस" के रूप में मनाता है।

भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन संबंधी दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- 17 सितंबर, 2019 को RBI ने पहली बार इन संस्थाओं को विनियमित करने के प्रस्ताव संबंधी चर्चा पत्र जारी किया था।
- सितंबर में जारी किये गए इस चर्चा पत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये गए थे।
  - कोई विनियमन नहीं
  - कम विनियमन
  - पूर्ण विनियमन

भुगतान एग्रीगेटर्स: (Payment Aggregators):

भुगतान एग्रीगेटर्स उन कंपनियों को कहते हैं, जो विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या कंपनियों को ग्राहकों की तरफ से भुगतान स्वीकार करने के अलग-अलग प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं।

- अंतिम दिशा-निर्देशों में तीसरे विकल्प का समर्थन किया गया है।

क्या हैं दिशा-निर्देश?

- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक भुगतान एग्रीगेटर (ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को विभिन्न भुगतान उपकरणों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाएँ) कंपनी अधिनियम,1956/2013 के तहत भारत में निगमित कंपनी होनी चाहिये।
- भुगतान एग्रीगेट सेवाओं की पेशकश करने वाली गैर-बैंकिंग संस्थाओं को एग्रीगेटर संबंधी प्राधिकार प्राप्त करने के लिये 30 जून, 2021 या उससे पहले लिये आवेदन करना होगा।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस संस्थाओं को भुगतान एग्रीगेटर की सेवाएँ प्रदान करने के लिये मार्केटप्लेस व्यवसाय से अलग होना होगा और उन्हें 30 जून, 2021 को या उससे पहले भुगतान एग्रीगेटर संबंधी प्राधिकारों हेतु आवेदन करना होगा।
- इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं- फोन-पे, फ्लिपकार्ट और पेटीएम इनके भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय पहले से ही बाज़ार के मॉडल से अलग हैं।
- इन दिशा-निर्देशों में एग्रीगेटर्स के लिये वित्तीय आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट किया है- भुगतान एग्रीगेटर्स संबंधी प्राधिकार प्राप्त करने के लिये संबंधित संस्था के पास 31 मार्च, 2021 तक ₹15 करोड़ की कुल संपत्ति और तीसरे वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च 2023) तक □25 करोड़ की कुल संपत्ति होनी चाहिये।
- इसके बाद इस संस्था को हर समय कम-से-कम ₹ 25 करोड़ का शुद्ध मूल्य बनाए रखना होगा।
- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, भुगतान गेटवे को प्रौद्योगिकी प्रदाता या बैंकों या गैर-बैंकों के आउटसोर्सिंग भागीदारों के रूप में माना जाएगा।

लाभ:

- भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करना केंद्रीय बैंक का कार्य है जिसके द्वारा मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और दक्षता के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही इन उद्देश्यों के संबंध में इनका आकलन किया जाता है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ परिवर्तन किया जाता है। भुगतान और निपटान प्रणाली की देखरेख के माध्यम से केंद्रीय बैंक प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने और प्रणालीगत जोखिम को कम करने, भुगतान एवं निपटान प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है।

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स का भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (Standard & Poor's - S&P) ने वर्ष 2020 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 5.2% कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- इससे पहले S&P ने वर्ष 2020 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।
- S&P के अनुसार, वर्ष 2020 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक विकास 3 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर रही है।
- चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में शटडाउन और COVID-19 वायरस संचरण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मंदी की स्थितियों को जन्म देता है।
- S&P के अनुसार, मंदी के कारण कम से कम दो तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर के गिरने की प्रवृत्ति में वृद्धि से बेरोज़गारी बढ़ सकती है।
- S&P के अनुसार वैश्विक वायरस के प्रसार से भारत में अमेरिका और यूरोप से आने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी जिससे पर्यटन उद्योग पर अधिक दबाव पड़ेगा।
- इस वायरस के प्रसार से यदि अमेरिकी डॉलर की स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो एशिया के उभरते बाजारों को तथा नीति-निर्माताओं को अर्थव्यवस्था की चक्रीय नीति के कठोर दौर से सामना करना पड़ सकता है।
- पूंजी बहिर्वाह के संदर्भ में सबसे कमज़ोर देश भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस हैं।

नोट :

भारत, चीन और जापान की आर्थिक वृद्धि दरः

- S&P ने वर्ष 2020 में चीन,भारत और जापान की आर्थिक वृद्धि दर के लिये 2.9 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत और -1.2 प्रतिशत के पूर्वानुमान संबंधी आँकड़े जारी किये हैं, जो कि पहले जारी किये गए (4.8 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत और पूर्व में -0.4 प्रतिशत) आँकड़ों से काफी कम हैं।
- कमज़ोर क्षेत्रों और श्रमिकों का समर्थन करने के उद्देश्य से स्थानीय उपाय मदद कर सकते हैं लेकिन उनका प्रभाव संकट को लंबे समय तक दूर करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकेगा।
- यह स्थिति इस वायरस के प्रसार को रोकने की प्रगति पर निर्भर करती है।
- भले ही दूसरी तिमाही के दौरान प्रमुख प्रगति हुई हो पर वायरस के प्रसार के कारण नकदी प्रवाह की एक निरंतर अवधि के बाद कई फर्म जल्दी से निवेश करने की स्थिति में नहीं होगी।

आगे की राहः

- स्पष्ट है कि कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस वायरस के कारण हवाई यात्रा, शेयर बाज़ार, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं सहित लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।
- हाल में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, यह वायरस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जबकि इसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल स्थिति में है। उक्त दो अर्थव्यस्थाएँ, जिन्हें वैश्विक आर्थिक इंजन के रूप में जाना जाता है, संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा आगे जाकर मंदी का कारण बन सकती हैं।
- आवश्यक है कि संपूर्ण वैश्विक समाज इस महामारी से निपटने के लिये एकजुट हो और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके न्यून प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।
- हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस प्रभाव के कारण भारत की वर्ष 2020 के लिये भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 5.3 प्रतिशत (5.4 प्रतिशत से) कर दिया था।

WTO पैनल की सिफारिश को लागू करने के लिये बाध्य नहीं भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद को सूचित किया गया है कि भारत अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर WTO के विवाद निपटान पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिये बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत ने पैनल के इस आदेश को उच्च स्तर पर चुनौती दी है।

प्रमुख बिंदु

- बीते वर्ष 31 अक्तूबर, 2019 को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WHO) के विवाद निपटान पैनल ने निर्णय दिया था कि भारत की निर्यात संबंधी योजनाएँ (Export-Related Schemes) "सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय समझौते" के तहत निषिद्ध सब्सिडी (Prohibited Subsidies) की प्रकृति में आती हैं और विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के साथ असंगत हैं।
- WTO के विवाद निपटान पैनल ने भारत को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना को वापस लेने के लिये 180 दिनों की समय-सीमा प्रदान की है।

क्या है विवाद?

- दरअसल 14 मार्च, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative-USTR) कार्यालय ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को चुनौती दी थी।
- USTR का तर्क था कि इन योजनाओं के कारण असमान अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। USTR के अनुसार, भारत सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय समझौते (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures- SCM Agreement) के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है।

- USTR ने इस संदर्भ में भारत की 5 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं (निर्यात उन्मुख इकाइयों की योजनाएँ व क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ) का उल्लेख किया है, जोकि निम्नलिखित हैं-
  - इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (Electronics Hardware Technology Parks Scheme)
  - भारत से मर्चेंडाइज़ निर्यात के लिये योजना (Merchandise Exports from India Scheme)
  - निर्यात संवर्द्धन कैपिटल गुड्स संबंधी योजना (Export Promotion Capital Goods Scheme)
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones)
  - शुल्क मुक्त आयात अधिकार-पत्र योजना (Duty free Import Authorization Scheme)
- USTR का मुख्य तर्क यह है कि भारत की उपरोक्त पाँच निर्यात संवर्द्धन योजनाएँ, SCM समझौते के प्रावधान 3.1 (A) और 3.2 का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि ये दोनों प्रावधान निर्यात सब्सिडी देने पर रोक लगाते हैं।

व्यापार विवाद और भारत

- संसद में दी गई सूचना के अनुसार, भारत वर्तमान में WTO में कुल 15 व्यापार विवादों में शामिल है, जिनमें से अधिकांश अमेरिका के साथ हैं। इन विवादों में से 4 में भारत शिकायतकर्त्ता है जबकि 11 विवादों में भारत प्रतिवादी है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में मराकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
- 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था।
- सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR)

- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) एक अमेरिकी संस्था है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को व्यापार की नीति विकसित करने और अनुशंसा करने तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ता के आयोजन तथा सरकार के भीतर व्यापार नीति के समन्वयन के लिये ज़िम्मेदार है।

भारत: विद्युत का तीसरा बड़ा उत्पादक

चर्चा में क्यों?

'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' (International Energy Agency- IEA) द्वारा प्रकाशित 'की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स' (Key World Energy Statistics) के अनुसार, भारत बिजली उत्पादन में तीसरे (वर्ष 2019 में) तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में 106वें स्थान (2017) पर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- 1,497 टेरावाट-हॉवर (Terawatt-hour- TWh) विद्युत उत्पादन के साथ भारत अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा विद्युत उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है।
- स्वतंत्रता के बाद से विद्युत उत्पादन 100 गुना से अधिक हो गया है, परंतु आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण विद्युत की मांग, उत्पादन से अधिक रही है।

विश्व के शीर्ष विद्युत उपभोक्ता देश:

संबंधित सरकारी पहल:

- सौभाग्य योजना (Saubhagya Scheme):
  - भारत सरकार ने देश में 40 मिलियन से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana) शुरू की है।
- उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana- UDAY):
  - उदय योजना को विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति मे सुधार करने के लिये आरंभ किया था।
- उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All- UJALA):
  - इस योजना का उद्देश्य दक्ष प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना, दक्ष उपकरणों के उपयोग करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तथा विद्युत बिल में कमी लाना है। यह योजना 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड' (Energy Efficiency Services Limited) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है, जो अपने 30 सदस्य देशों और 8 सहयोगी देशों के साथ वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है।
- इसकी स्थापना (1974 में) 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी जब ओपेक दशों ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था।
- IEA के मुख्य क्षेत्र हैं-
  - ऊर्जा सुरक्षा
  - आर्थिक विकास
  - पर्यावरण जागरूकता
  - वैश्विक संबद्धता (Engagement Worldwide)

भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना। इसका मुख्यालय पेरिस में है।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (World Energy Outlook- WEO):

- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) द्वारा जारी की जाती है।

फ्यूचर ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक' (Future of Solar Photovoltaic) रिपोर्ट:

- यह रिपोर्ट ऊर्जा थिंक टैंक 'अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी' (International Renewable Energy Agency-IRENA) द्वारा जारी की जाती है।

'की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स' (Key World Energy Statistics- KWES):

- KWES रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रकटीकरण मानदंडों में सेबी की छूट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत में COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने सूचीबद्ध कंपनियों के हितों की रक्षा के लिये प्रकटीकरण मानदंडों की अनिवार्यताओं में अस्थायी छूट देने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 20 मार्च, 2020 को दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनियों को चौथी तिमाही के परिणाम प्रस्तुत करने के लिये 45 दिनों की छूट के साथ कुछ अन्य मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी।
- इस घोषणा के अनुसार, कंपनियों को अपने वार्षिक आँकड़े/परिणाम प्रस्तुत करने के लिये एक माह की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है।
- सेबी द्वारा कंपनियों को त्रैमाषिक गवर्नेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भी एक माह (15 मई) तक की छूट दी गई है।
- साथ ही सेबी ने कंपनियों की दो बोर्ड बैठकों के बीच अनिवार्य समयांतराल में भी राहत प्रदान की है।
- सेबी के अनुसार, COVID-19 के प्रसार से उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए सूचीबद्ध कंपनियों के लिये नियमों के अनुपालन में अस्थायी राहत प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI):

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992' के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल, 1992 को की गई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित है।
- इसके अतिरिक्त सेबी के चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।
- सेबी प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) का विकास और उसके विनियमन का कार्य करता है।
- इसके अतिरिक्त यह प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों के संरक्षण और प्रतिभूति बाज़ार के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है।

नियमों के अनुपालन में अस्थायी छूट का प्रभाव:

- सेबी ने वर्तमान संशोधनों के आधार पर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिक परिणाम प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। आमतौर पर सूचीबद्ध कंपनियों को एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अपने वार्षिक परिणाम प्रस्तुत करने होते हैं।
- साथ ही सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक मंडल और ऑडिट कमेटी को 1 दिसंबर, 2019 और 30 जून, 2020 की अवधि के बीच होने वाली बैठकों के बीच अनिवार्य समयांतराल का पालन करने से भी छूट प्रदान की गई है।
- हालाँकि सेबी के आदेश के अनुसार, निदेशक मंडल और ऑडिट कमेटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित विनियमों के तहत वर्ष भर में चार बार अवश्य मिलेंगे।
- इस अस्थायी छूट के तहत त्रैमासिक शेयर होल्डिंग पैटर्न और निवेशक शिकायत रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को तीन सप्ताह (15 मई) तक बढ़ा दिया गया है।
- सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को शेयर हस्तांतरण सुविधा के संदर्भ में अर्द्धवार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र (Half-Yearly Compliance Certificate) और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (Annual Secretarial Compliance Report) प्रस्तुत करने के लिये भी एक माह की छूट प्रदान की है।
- इस छूट के बाद अब सूचीबद्ध कंपनियाँ शेयर हस्तांतरण सुविधा के अर्द्धवार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र को 31 मई तक और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट को 30 जून तक प्रस्तुत कर सकेंगी।

पाम ऑयल: आत्मनिर्भरता के लिये सतत् दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

भारत में बढ़ती तेल की मांग तथा पाम ऑयल की भारत में पारिस्थितिक अनुकूलता के कारण पाम ऑयल के उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है, ताकि भारत में बढ़ती तेल मांग समस्या का स्थायी समाधान निकाल सके।

मुख्य बिंदु:

- भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं आयातक है।
- भारत में पाम ऑयल की खपत वर्ष 2001 के 3 मिलियन टन से बढ़कर (300 प्रतिशत से अधिक) वर्तमान में लगभग 10 मिलियन टन हो गई है।

पाम ऑयल उत्पादन की आवश्यकता:

- वर्तमान समय में भारत को अपनी आयात पर निर्भरता में कमी लाने तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है क्योंकि इससे:
  - स्थानीय पाम ऑयल की पैदावार को बढ़ाने से आयात में कमी आएगी तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
  - किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में मदद मिलेगी।
  - देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
  - सस्ता खाद्य तेल जो देश की बढ़ती जनसंख्या की मांग की आवश्यकता पूर्ति के अनुकूल है।

भारत में पाम ऑयल उत्पादन:

- जब प्रमुख पाम उत्पादक देशों को कठोर पर्यावरणीय तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में भारत पाम ऑयल की कृषि के अंतर्गत अधिक-से-अधिक भूमि लाने की दिशा में स्थायी प्रगति कर रहा है।
- वर्तमान में पाम ऑयल को 12 राज्यों के 4 लाख वर्ग हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उगाया जा रहा है।
- आंध्र प्रदेश देश के कुल पाम ऑयल के 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है।

पाम ऑयल सतत् कृषि पद्धति:

- कार्बन प्रच्छादन:
  - आंध्र प्रदेश में पाम ऑयल की कृषि का अधिकतर क्षेत्र लाल मृदा (जो बालू तथा लोमीय कणों से युक्त है) तथा काली मृतिका युक्त (Black Clayish) मृदा से संबंधित है। इन मृदाओं में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण पाम ऑयल की कृषि कार्बन भंडारण में एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।
- प्रति बूँद, अधिक फसल:
  - पाम ऑयल कृषि की सतत विधाओं में 'सूक्ष्म सिंचाई' भी महत्त्वपूर्ण पद्धति है। यह कृषि 'प्रति बूँद, अधिक फसल' के सिद्धांत को आगे बढ़ाती है।
- प्रति इकाई अधिक उत्पादन:
  - पाम ऑयल का, अन्य खाद्य तेलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन अधिक होता है, इससे भारत में तेल उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।
- दीर्घकालिक फसल की तरफ विस्थापन:
  - पिछले 25 वर्षों में, देश में पाम ऑयल क्षेत्र का विस्तार कृषि और बागवानी भूमि से फसल प्रतिरूप में बदलाव के कारण हुआ है, जिसमें किसानों ने अल्प-मध्यम अवधि की फसलों जैसे मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि के स्थान पर दीर्घकालिक पाम ऑयल का उत्पादन करना शुरू किया है।
- अधिक पारिस्थितिकी अनुकूल:
  - इसके अलावा बंजर तथा अवनयित भूमि को भी पाम ऑयल के बागानों के कृषि क्षेत्र में लाया गया है, नतीजतन किसानों द्वारा अपनाई गई बायोमास पुनर्चक्रण पद्धतियों के कारण इन्हें कार्बन प्रच्छादन की विधि के रूप में मान्यता मिली है।
  - भारत की पाम ऑयल की कृषि में विस्तार करते समय 'प्रकृति को कोई नुकसान नहीं' दर्शन के अनुसरण करते हुये वनों के अंतर्गत भूमि को पाम ऑयल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाया गया है। भारत में पाम ऑयल के अंतर्गत औसत कृषि जोत का आकार 2 हेक्टेयर से कम है।

नोट :

- मिश्रित फसल:
  - पाम ऑयल की कृषि में किसानों द्वारा अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिये मिश्रित कृषि तकनीकों को अपनाया जाता है तथा कम आय (Off Season) के दौरान अनेक फसलों को पौधों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में बोया जाता है।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी:
  - पाम ऑयल के ताजे फलों के गुच्छों को शीघ्र उपयोग में लेने के किये संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत संचालित की जाती है, जिसे निगम तथा किसानों के मध्य होने वाले अनुबंध के तहत उचित मूल्य पर किसानों से फलों को खरीदने का आश्वासन दिया जाता है।

सतत् उत्पादन की संभावना:

- भारत दुनिया तिलहन उत्पादन में विश्व के 21 प्रतिशत क्षेत्र तथा उत्पादन के 5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ विश्व में अमेरिका, चीन एवं ब्राज़ील के बाद चौथा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है।
- देश के पास तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के पर्याप्त संसाधन हैं। सरकार की नीतियों, सब्सिडी, आधुनिक कृषि प्रणालियों, नवीन उत्पादन तकनीकों तथा टिकाऊ कृषि प्रथाओं के माध्यम से भारत सभी हितधारकों आपस मे जोड़ सकता है तथा खाद्य तेलों के आयात को कम करते हुए आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है।

एनआरआई विदेशी मुद्रा जमा तथा COVID- 19

चर्चा में क्यों ?

COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में प्रोटोकॉलों की बढ़ती संख्या के बीच, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने नोटों के माध्यम से इस महामारी के संचरण के डर से अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली विदेशी मुद्रा को स्वीकार करने से मना कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- बैंकों का मानना है कि अनिवासी भारतीय (Non-resident Indians- NRIs) खाताधारकों को सरकार ने बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने से रोकने की दिशा में कोई उपाय नहीं किये हैं, जबकि नोटों के माध्यम से COVID-19 के संचरण का जोखिम रहता है तथा इन मुद्राओं का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
- NRIs अपने निवास स्थान तथा अपने मूल देश के बीच व्यापक ब्याज दर का अंतर होने तथा इस ब्याज दर का लाभ उठाने के लिये भारतीय बैंकों में अपना फंड जमा कराते हैं।

विदेशी विनिमय दर (Foreign Exchange Rate):

- विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत 'विदेशी विनिमय दर' कही जाती है। विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है।
- कुछ अर्थशास्त्री इसे घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य भी कहते हैं।

NRIs जमा खाते:

- NRIs भारतीय बैंकों में दो प्रकार के जमा खाते खोल सकते हैं-
  1. प्रत्यावर्तनीय जमा (Repatriable Deposits)
  2. अप्रत्यावर्तनीय जमा (Non Repatriable Deposits)
- NRIs के पास प्रत्यावर्तनीय जमा खाते के 2 विकल्प होते हैं-

विदेशी मुद्रा- अनिवासी- बैंक खाता(Foreign Currency Non-Resident- Banks):

- इसे संक्षिप्त में FCNR- (B) खाते के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुद्रा जोखिम बैंकों द्वारा वहन किया जाता है।

नोट :

गैर-निवासी बाह्य-रुपया- खाता (Non Resident External-Rupee-Account):

- इसे संक्षिप्त में NRE- (RA) खाते के रूप में जाना जाता है, जहाँ विदेशी मुद्रा जोखिम जमाकर्त्ता द्वारा वहन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves):

- विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा के रूप में केंद्रीय बैंक में आरक्षित संपत्ति होती है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेज़री बिल एवं अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- ये परिसंपत्तियाँ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, लेकिन यदि राष्ट्रीय मुद्रा में तेज़ी से अवमूल्यन होता है या पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है, तो केंद्रीय बैंक ऐसे समय में इस परिसंपत्ति का उपयोग बैकअप फंड के रूप मे करता है।

  भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
  - विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (जैसे डॉलर)
  - गोल्ड
  - विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights)
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) में आरक्षित निधि

विदेशी मुद्रा भंडार पर COVID- 19 का प्रभाव:

- नवीनतम आँकड़ों (13 मार्च 2020) के अनुसार मुद्रा आरक्षित 487 बिलियन डॉलर के शिखर से गिरकर 481.9 बिलियन डॉलर हो गया है।
- COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप विदेशी निवेशक उभरते बाज़ारों से निवेश को बाहर खींच रहे हैं।
- ऐसा अनुमान है कि उन्होंने भारतीय बाजारों से करीब 9 बिलियन डॉलर की रकम निकाली है, जिससे रुपये के मुकाबले रुपये में गिरावट आई है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में आगे और तेज़ी से कमी होने की आशंका है, क्योंकि प्रमुख निवेशक प्रमुख वित्तीय बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी ट्रेज़री जैसे सुरक्षित स्थानों में निवेश कर रहे हैं।

कोरोनावायरस के लिये विशेष आपातकालीन ऋण

चर्चा में क्यों?

कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप से प्रभावित लोगों और व्यवसायों की मदद हेतु इंडियन बैंक (Indian Bank) ने आम लोगों, निगमों, MSMEs एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) आदि, को विशेष आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- 'Ind-Covid आपातकालीन क्रेडिट लाइन' के तहत 100 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ कार्यशील पूँजी का 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त धन प्रदान किया जाएगा।
  - बड़े निगम और मध्यम उद्यम, जो मानक श्रेणी में हैं, वे इस ऋण के लिये पात्र होंगे।
  - ऋण की अवधि 36 महीने की होगी।
- 'Ind-MSE COVID आपातकालीन ऋण' सभी MSMEs को अधिकतम 50 लाख रुपए की सीमा के साथ कार्यशील पूँजी सीमा का 10 प्रतिशत अतिरिक्त धन प्रदान किया जाएगा। इस ऋण की अवधि 60 महीने की होगी।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कोरोनावायरस के कारण उत्पन्न संकट से उबारने के लिये इंडियन बैंक ने 'SHG-Covid-Sahaya' ऋण लॉन्च किया है। इसके तहत प्रत्येक सदस्य 5,000 रुपए और प्रत्येक SHG 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर सकता है।
  - इस ऋण की अवधि भी 36 महीने की होगी।
- 'Ind-Covid आपातकालीन वेतन' ऋण वेतनभोगी कर्मचारियों को नवीनतम मासिक सकल वेतन के 20 गुना के बराबर राशि तक दिया जाएगा, जो कि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता।

नोट :

- इस ऋण का उद्देश्य वेतनभोगी लोगों की चिकित्सा एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह ऋण रियायती दर पर प्रदान किया जाएगा और इसके तहत किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 'Ind-Covid आपातकालीन पेंशन' ऋण मासिक पेंशनभोगियों को उसकी पेंशन के 15 गुना के बराबर राशि तक प्रदान किया जाएगा। इसके पुनर्भुगतान कि अवधि 60 महीने की होगी।
  - यह ऋण भी रियायती दर पर प्रदान किया जाएगा और इसके तहत किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कोरोनावायरस- एक महामारी के रूप में

- COVID-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बना है। अब संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है।
- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करता है।
- कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप तब सामने आया जब 31 दिसंबर, 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया।
- ध्यातव्य है कि इस खतरनाक वायरस के कारण चीन, इटली में अब तक हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह वायरस धीरे-धीरे संपूर्ण विश्व में फैल रहा है।
- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अब तक कोरोनावायरस के कारण 21000 से अधिक लोगों कि मृत्यु हो गई है और लगभग 400000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं।
- भारत में भी इसके कारण 13 से अधिक लोगों कि मृत्यु हो चुकी है और लगभग 600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोनावायरस महामारी की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, जो कि महामारी को रोकने की दृष्टि से सराहनीय कदम है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार के लिये 1,340 करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण योजना को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- 25 मार्च, 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना में केंद्र के हिस्से के रूप में 670 करोड़ के परिव्यय के लिये अपनी मंज़ूरी दी है।
- हालाँकि सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत केंद्र के हिस्से की राशि को तभी जारी किया जाएगा जब प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने आनुपातिक हिस्से की राशि जारी की जाएगी।

योजना के लाभ:

- केंद्रीय सरकार की इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के 'पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात' (Capital-to-risk Weighted Assets Ratio- CRAR) में सुधार होगा।

पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात' (Capital-to-risk Weighted Assets Ratio- CRAR):

- CRAR किसी बैंक की कुल संपत्ति और उसकी जोखिम भारित संपत्तियों का अनुपात होता है।
- इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह योजना उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक अतिरिक्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिये न्यूनतम विनियामक पूँजी (Minimum Regulatory Capital) प्रदान करेगी जो वर्तमान में न्यूनतम 'पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात' (9%) बनाए रखने में असमर्थ थे।

- इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संस्थागत मज़बूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।
- COVID-19 के कारण देशव्यापी बंदी (Lockdown) के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता सुनिश्चित करने के लिये ग्रामीण बैंकों का आर्थिक रूप से मज़बूत होना बहुत ही आवश्यक है।

बैंकों का पुनर्पूंजीकरण:

- बैंक पुनर्पूंजीकरण से आशय, बैंकों के लिये अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे बैंक के सफल संचालन के लिये आवश्यक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा किया जा सके।
- भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी शेयरधारक है, अत: संकट की स्थिति में इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की ज़िम्मेदारी भी सरकार की ही होती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण 'के.सी. चक्रवर्ती समिति' के सुझावों के आधार पर किया गया।
- के.सी. चक्रवर्ती समिति ने 21 राज्यों के 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत 2,200 करोड़ रुपए जारी करने का सुझाव दिया था।

पुनर्पूंजीकरण के लिये बजटीय आवंटन:

- वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये केंद्र सरकार ने 1,100 करोड़ रुपए जारी किये थे।
- इसे बाद में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2015-16 और पुन: वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बढ़ा दिया गया था।
- के.सी. चक्रवर्ती समिति के सुझावों के अनुरूप आज तक केंद्र सरकार द्वारा 1,395.64 करोड़ रुपए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये जारी किये जा चुके हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976' के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों और छोटे उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान करना था।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है।
- इन बैंकों में भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमश: 50%, 35% और 15% होती है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (National Bank for Agriculture and Rural Development-NABARD) के द्वारा किया जाता है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूती प्रदान करने और इनके पूंजी आधार को बढ़ने के लिये वर्ष 2011 के बाद सरकार ने तीन चरणों में इन बैंकों के समेकन (Consolidation) की शुरुआत की, जिससे देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 (वर्ष 2005) से घटकर मात्र 45 रह गई है।

निष्कर्ष: आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इनमें से अधिकांश लोग कृषि, लघु और कुटीर उद्योग या ग्रामीण आवश्यकताओं से जुड़े छोटे व्यवसायों से जुड़े हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुरूप ऋण एवं अन्य बैंकिग सेवाएँ उपलब्ध करा कर तथा सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस आबादी को देश के आर्थिक तंत्र से जोड़ने का काम करते हैं। सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा से हाल के वर्षों में देश के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में फैले आर्थिक दबाव और COVID-19 से उत्पन्न अनिश्चितता के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।

नोट :

COVID-19 महामारी में RBI की भूमिका

चर्चा में क्यों?

भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप से बचाने के लिये वित्त मंत्रालय के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी रेपो रेट (Repo Rate) में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक में इस रेपो रेट में कटौती का निर्णय लिया गया और इसी के साथ RBI की रेपो रेट दर 5.15 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत पर पहुँच गई है।
- उल्लेखनीय है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अप्रैल को आयोजित की जानी थी, किंतु कोरोनावायरस के मौजूदा संकट को देखते हुए इसे जल्द आयोजित करना आवश्यक है।

RBI द्वारा लिये गए प्रमुख निर्णय

- सर्वप्रथम RBI ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती कर उसे 4.4 प्रतिशत कर दिया है।
- रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) में भी 90 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का निर्णय लिया है, जिससे यह 4 प्रतिशत पर पहुँच गया है।
    - रिवर्स रेपो दर में अधिक कमी का उद्देश्य बैंकों को RBI के साथ अपनी अतिरिक्त तरलता रखने के बजाय अधिक उधार देने के लिये प्रेरित करना है।
- नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR) में 1 प्रतिशत की कटौती कर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।
- इसके अलावा RBI ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को 1 मार्च, 2020 से बैंकों ने समान मासिक किस्त (EMI) भुगतान पर तीन महीने का समय देने की भी अनुमति दी है।

इन उपायों की आवश्यकता

- उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण भारत समेत दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे आशंका है कि जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर आ जाएगा।
    - इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से भी कुछ खास अच्छी नहीं है, बीते वर्ष नवंबर माह में NSO द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) में देश की GDP वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर पहुँच गई थी, जो कि बीती 26 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर था।
- यदि देश में कोरोनावायरस का प्रसार तेज़ी से हुआ और मौजूदा 21 दिवसीय लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो देश में मांग का स्तर काफी न्यून हो जाएगा, जिसका स्पष्ट प्रभाव देश की आर्थिक वृद्धि पर देखने को मिलेगा।
- इस प्रकार RBI विभिन्न उपायों के माध्यम से देश में मांग के स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करना चाहता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये काफी गंभीर हो सकती है।

प्रभाव

- RBI की गणना के अनुसार, रेपो रेट में कटौती समेत सभी उपायों के माध्यम से देश की वित्तीय प्रणाली को लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए की तरलता प्राप्त होगी।
- इन उपायों के माध्यम से RBI का मुख्य उद्देश्य ऋण को सुगम बनाकर मांग में हो रही कमी को रोकना है।
- गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, मौजूदा समय में RBI मात्र वित्तीय स्थिरता पर फोकस कर रही है।

रेपो दर (Repo Rate)

रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेते हैं। रेपो दर में कटौती कर RBI बैंकों को यह संदेश देता है कि उन्हें आम लोगों और कंपनियों के लिये ऋण की दरों को आसान करना चाहिये।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)

यह रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है अर्थात् जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिज़र्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिज़र्व बैंक उन्हें ब्याज देता है। रिज़र्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio- CRR)

प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिज़र्व का एक निश्चित हिस्सा रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है जिससे किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्त्ताओं को यदि रकम निकालने की ज़रूरत महसूस हो तो बैंक को पैसा चुकाने में दिक्कत न आए।

कॉरपोरेट दिवालियापन से निपटने हेतु प्रारंभिक सीमा में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट दिवालियापन की कार्यवाई शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा (Insolvency Threshold) को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि यह कदम कोरोना वायरस के प्रकोप (Corona Virus Outbreak) के दौरान कंपनियों पर अनुपालन बोझ को कम करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिवालिया होने से रोकने के लिये किया गया है।
- इस कदम से कंपनियों को मौजूदा व्यावसायिक परिस्थितियों में कंपनियों और पेशेवरों पर बोझ को कम करने तथा व्यावसायिक ज़रूरतों को तत्काल पूरा करने की अनुमति मिलेगी।
- यदि 30 अप्रैल तक कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों में सुधार न होने पर सरकार छह महीने के लिये कंपनियों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगा सकती है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के MCA-21 पोर्टल के साथ अनिवार्य फाइलिंग पर स्थगन की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान अनिवार्य फाइलिंग देर से दाखिल करने पर आरोपित अतिरिक्त शुल्क को भी हटा दिया गया है।
  - MCA-21, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों को मंत्रालय की सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुँच के लिये सक्षम बनाता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, दिवाला कार्यवाई की शुरुआत हेतु प्रारंभिक सीमा में वृद्धि से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (MSMEs) को आवश्यक सुरक्षा प्राप्त होगी।
- कंपनी अधिनियम के तहत 'कम-से-कम एक निदेशक के वर्ष में कम-से-कम 182 दिनों तक देश में निवास करने' की आवश्यक शर्त से भी कंपनियों को बाहर रखा जाएगा।

दिवाला एवं दिवालियापन हेतु सामान्य कार्य प्रक्रिया

- अगर कोई कंपनी कर्ज वापस नहीं चुकाती तो 'दिवाला एवं दिवालियापन कानून' (IBC) के तहत कर्ज़ वसूलने के लिये उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके लिये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की विशेष टीम कंपनी से बात करती है और कंपनी के मैनेजमेंट के राजी होने पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्ज़ा हो जाता है और बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना कर्ज वसूल सकता है।
- IBC में बाज़ार आधारित समय-सीमा के तहत इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है।
- IBC की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति (थर्ड पार्टी) ही कंपनी को खरीद सकता है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक 2016 में पारित किया था।
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता,1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920' को रद्द करती है तथा कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईज़ेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करती है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकते हैं और यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुज़रना पड़ता है।

NRIs के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने 1 अप्रैल से गैर-निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिये एक अलग चैनल 'फुली एक्सेसिबल रूट' (Fully Accessible Route-FAR) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान कहा था कि कुछ निश्चित श्रेणियों में बिना किसी प्रतिबंध के सरकारी बॉण्ड पूरी तरह से गैर-निवासी भारतीय निवेशकों के लिये खोले जाएंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, "योग्य निवेशक किसी भी निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। यह योजना दो मौजूदा मार्गों अर्थात मीडियम टर्म फ्रेमवर्क (Medium Term Framework-MTF) और वोलंटरी रिटेंशन रूट (Voluntary Retention Route-VRR) के साथ संचालित होगी।
- शुरुआत के रूप में केंद्रीय बैंक ने कुछ अधिक तरल और बेंचमार्क प्रतिभूतियों को चुना है

लाभ

- रिज़र्व बैंक के इस निर्णय से भारत सरकार के प्रतिभूति बाज़ार में गैर-निवासी भारतीयों की पहुँच को आसान किया जा सकेगा।
- इससे सरकारी बॉन्ड में स्थिर विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- इस कदम से भारत को वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में अपना स्थान खोजने में मदद मिलेगी।
    - बाज़ार विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों का हिस्सा होने से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को प्रमुख वैश्विक निवेशकों से बड़ी धनराशि आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

सरकारी प्रतिभूति (Government Securities)

- सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec) वे सर्वोच्च प्रतिभूतियाँ हैं जो भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेंची जाती हैं।
- ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक या दीर्घकालिक होती हैं।
- अल्पकालिक: आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल (Treasury Bill) कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।
- दीर्घकालिक: आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (State Development Loan-SDL) कहा जाता है।

नोट :

गैर-निवासी भारतीय (NRI)

- अनिवासी भारतीय (NRI) ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक होता है जो किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 120 दिनों के लिये किसी अन्य देश में रहता है।
- ध्यातव्य है कि 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किये गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवासीय स्थिति (Residential Status) के आधार पर व्यक्तियों की कर-क्षमता का निर्धारण करने के लिये मापदंड और अवधि को संशोधित किया था। संशोधित नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को तब भारत का साधारण निवासी (Resident) माना जाएगा, जब वह पिछले वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 120 दिनों के लिये भारत में रहा हो, यह अवधि पूर्व में 182 दिन थी।
- NRIs को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है, जो वे भारत में कमाते हैं।

दृष्टि The Vision

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का मत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया।

मुख्य बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र ने इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिये भारत को बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
- भारत ने इस मुद्दे पर अपना पारंपरिक रुख दोहराया है।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष की पृष्ठभूमि:

- इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1917 में उस समय हुई जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बल्फौर ने 'बल्फौर घोषणा' (Balfour Declaration) के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी 'राष्ट्रीय घर' (National Home) के निर्माण के लिये ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया।
- अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावों का समाधान करने के लिये इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) के विचारार्थ प्रस्तुत किया।
- संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिये एक विभाजन योजना (Partition Plan) प्रस्तुत की जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की।
- वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इज़राइल की घोषणा कर दी और इज़राइल एक देश बन गया, इसके परिणामस्वरूप आस-पास के अरब राज्यों (इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया) ने इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की समाप्ति पर इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
- इसके पश्चात् दोनों देशों के मध्य संघर्ष और तेज़ होने लगा तथा वर्ष 1967 में प्रसिद्ध 'सिक्स डे वॉर' (Six-Day War) हुआ, जिसमें इज़राइली सेना ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी येरुशलम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया।
- वर्ष 1987 में मुस्लिम भाईचारे की मांग हेतु फिलिस्तीन में 'हमास' नाम से एक हिंसक संगठन का गठन किया गया। इसका गठन हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था।
- समय के साथ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के अधिगृहीत क्षेत्रों में तनाव व्याप्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1987 में प्रथम इंतिफादा (Intifida) अथवा फिलिस्तीन विद्रोह हुआ, जो कि फिलिस्तीनी सैनिकों और इज़राइली सेना के मध्य एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष और भारत:

- भारत ने आज़ादी के पश्चात् लंबे समय तक इज़राइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे, जिससे यह स्पष्ट था कि भारत, फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता है, किंतु वर्ष 1992 में इज़राइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और अब यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तित हो गए हैं तथा अपने उच्च स्तर पर हैं।
- दूसरी ओर भारत-फिलिस्तीन संबंध प्रारंभ से ही काफी घनिष्ठ रहे हैं तथा फिलिस्तीन की समस्याओं के प्रति भारत काफी संवेदनशील रहा है। फिलिस्तीन मुद्दे के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनियों के साथ मित्रता बनी रहे, यह सदैव ही भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है।
- ज्ञात हो कि वर्ष 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था।

नोट :

- भारत पहला गैर-अरब देश था, जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी। साथ ही भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था।
- भारत ने फिलिस्तीन से संबंधित कई प्रस्तावों का समर्थन किया है, जिनमें सितंबर 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीनी ध्वज लगाने का भारत का समर्थन प्रमुख है।
- फिलिस्तीन का समर्थन करने के अलावा भारत ने इज़राइल का भी काफी समर्थन किया है और दोनों देशों के साथ अपनी संतुलित नीति बरकरार रखी है।

आगे की राह:

इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिये वैश्विक समाज को एक साथ आने की ज़रूरत है किंतु इस मुद्दे के प्रति विभिन्न हितधारकों की अनिच्छा ने इसे और अधिक जटिल बना दिया है। आवश्यक है कि सभी हितधारक एक मंच पर उपस्थित होकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें।

भारत- यूरोपीय संघ एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत स्मार्ट यूटिलिटी सप्ताह 2020 (India Smart Utility Week 2020) के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत यूगो एस्टुटो (Ugo Astuto) की उपस्थिति में भारत-यूरोपीय संघ के मध्य एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणाली से संबंधित समझौते की महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई।

मुख्य बिंदु:

- स्वीडन और भारत ने भारत स्मार्ट यूटिलिटी सप्ताह में भारत-स्वीडन सहयोगात्मक औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की भी घोषणा की है।
- भारत-यूरोपीय संघ का यह महत्त्वपूर्ण समझौता मिशन इनोवेशन के तहत किया गया है।
- स्वीडन और भारत अपने पहले से ही मज़बूत साझेदारी पोर्टफोलियो में एक और सहयोगी कार्यक्रम जोड़ रहे हैं।

मिशन इनोवेशन: (Mission Innovation):

- यह यूरोपीय संघ की तरफ से 24 देशों की एक वैश्विक पहल है, जो व्यापक स्तर पर मज़बूती और तेजी के साथ स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- स्मार्ट ग्रिड्स इनोवेशन चैलेंज के सह-भागीदार के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 17 भारतीय और 20 विदेशी संस्थानों की साझेदारी के साथ 9 देशों में 9 इनोवेशन मिशन परियोजनाओं का समर्थन किया जा रहा है।

संभावित लाभ:

- यह महत्त्वपूर्ण समझौता भारत-यूरोप के मध्य विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में स्थानीय भागीदारी को शामिल करते हुए एक नवीन समाधान प्रस्तुत करेगा और उच्च ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि करेगा।
- इस कार्यक्रम को भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्वीडिश ऊर्जा एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जो स्मार्ट ग्रिड क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिये स्वीडन और भारत के साथ विश्व स्तरीय विशेषज्ञता स्थापित करेगा।
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता करेगी और ऊर्जा अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में मज़बूती प्रदान करेगी।
- यह सहयोग ऊर्जा आपूर्ति को पारदर्शी बनाएगा, साथ ही अधिक कुशल और सभी के लिये वहनीय बनाएगा।
- विशेष रूप से उच्च अनुसंधान विकास और नवाचार के क्षेत्र में निवेश साझेदारी और सहयोग निकट भविष्य में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के विकास में तेज़ी ला सकते हैं।

- स्मार्ट ग्रिड क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क वर्चुअल सेंटर स्थापित किये गए हैं तथा अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिये 24 देशों के साथ भागीदारी की गई है।
- भारत-स्वीडन ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए संयुक्त रूप से पाँच मिलियन डॉलर का निवेश किया है जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को एक सुरक्षित, अनुकूल, सतत् और डिजिटल रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने और सभी के लिये विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगा।

स्वीडन तथा भारत:

- स्थायी ऊर्जा की आपूर्ति सभी के लिये एक अनिवार्य ज़रूरत है और इसलिये सभी को विद्युत् उर्जा के आधुनिक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है जो अत्यधिक मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सके।
- परिवहन क्षेत्र जीवाश्म मुक्त करना भी एक ऐसा कार्य है जहाँ भारत और स्वीडन साथ-साथ एक-दूसरे के अनुभव साझा करने से लाभान्वित हो सकते हैं।
- भारत, स्वीडन का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साझेदार है और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अनुसंधान और नवाचार शक्तियों में से एक है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और स्वीडिश एनर्जी एजेंसी ने एक फंडिंग मैकेनिज़्म बनाया है जिसके माध्यम से कंपनियाँ संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिये समर्थन प्राप्त कर सकती हैं।
- भारत-स्वीडन कार्यक्रम का उद्देश्य अभिनव उत्पादों या प्रक्रियाओं के संयुक्त विकास को बढ़ावा देना तथा अन्य सहयोगियों को एक साथ लाने वाले अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है।
- इस परियोजना का उद्देश्य भारत और स्वीडन के बीच सहयोग के माध्यम से उन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है जिनका दो साल बाद व्यवसायीकरण किया जा सकता है।
- स्वीडिश ऊर्जा एजेंसी भारत के साथ स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार सहयोग के लिये चार साल में 2.6 मिलियन डॉलर निवेश करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या प्रौद्योगिकियों के लिये सह-विकास एवं नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारतीय भागीदारों के समर्थन के लिये 18 करोड़ रुपए निवेश निधि के रूप में प्रदान करेगा।
- उत्पाद अनुकूलन परियोजनाओं का वित्तपोषण इस नए कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।

आगे की राह:

पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वीडन-भारत के मध्य विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र मे भागीदारी अधिक बढ़ी है। दोनों पक्षों की उच्चस्तरीय यात्राओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया है। भारत में पहली बार नवाचार नीति पर भारत-स्वीडन उच्च स्तरीय संवाद का आयोजन दिसंबर 2019 में स्वीडन के राजा और रानी की राजकीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली में किया गया था।

भारत-बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बेल्जियम के मध्य प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) पर हस्ताक्षर को मंज़ूरी प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- भारत और बेल्जियम के मध्य होने जा रही नई संधि स्वतंत्रता-पूर्व वर्ष 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के मध्य हुई संधि का स्थान लेगी जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत पर भी लागू हो गई थी। वर्तमान में उक्त संधि ही भारत और बेल्जियम के मध्य लागू है। स्वतंत्रता-पूर्व की गई संधि में अपराधों की संख्या काफी सीमित है जिसके कारण यह उपयोगी नहीं रह गई है।

संधि की प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रत्यर्पण हेतु दायित्त्व
  - संधि के अनुसार, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्पण की सहमति प्रदान करता है जो उसके देश के सीमा क्षेत्र में प्रत्यर्पण अपराध का आरोपी है या उसे सजा दी जा चुकी है।
- प्रत्यर्पण अपराध
  - प्रत्यर्पण अपराध का अर्थ ऐसे अपराध से है जो दोनों देशों के कानूनों के अंतर्गत दंडनीय है और जिसमें एक वर्ष के कारावास अथवा अधिक कड़े दंड का प्रावधान है। जब किसी सज़ा प्राप्त व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की जाती है तो शेष सजा की अवधि कम-से-कम 6 महीने होनी अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि बेल्जियम के साथ की जा रही संधि में टैक्स, राजस्व और वित्त से संबंधित अपराध भी शामिल किये गए हैं।
- अस्वीकार्यता के लिये अनिवार्य आधार
  - यदि अपराध की प्रकृति राजनीतिक है तो प्रत्यर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि संधि में कुछ ऐसे अपराधों को भी शामिल किया गया है जिन्हें राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा।
  - यदि प्रत्यर्पण अपराध एक सैन्य अपराध है।
  - यदि किसी व्यक्ति को उसके रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचार के कारण दंडित किया जा रहा है।
  - दंड को लागू करने की समय-सीमा बीत चुकी है।
- दोषी की राष्ट्रीयता
  - राष्ट्रीयता का निर्धारण उस समय के अनुसार किया जाएगा जब अपराध किया गया है।

लाभ

- संधि के माध्यम से भारत को और भारत से प्रत्यर्पित होने वाले आतंकियों, आर्थिक अपराधियों और अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण को कानूनी आधार प्राप्त होगा।
- ध्यातव्य है कि अभिपुष्टि के पश्चात भारत और बेल्जियम के मध्य अभिपुष्टि-पत्रों के आदान-प्रदान के दिन से संधि लागू हो जाएगी।

प्रत्यर्पण

- प्रत्यर्पण का अभिप्राय उस कानूनी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है।
- इसमें एक सरकारी प्राधिकरण औपचारिक और कानूनी रूप से एक कथित अपराधी को अपराध हेतु अभियोजन का सामना करने के लिये किसी अन्य सरकार से उसकी मांग करता है।
- निर्वासन के विपरीत यह एक न्यायिक प्रक्रिया है।

भारत और प्रत्यर्पण (India and Extradition):

- भारत दुनिया के किसी भी देश को प्रत्यर्पण का प्रस्ताव कर सकता है। यदि भारत ने इस संदर्भ में उस देश के साथ किसी प्रकार की संधि की है तो सभी नियम उस संधि के आधार पर ही निर्धारित किये जाएंगे, किंतु यदि भारत की उस देश के साथ संधि नहीं है, तो इस स्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया उस देश की घरेलू कानूनों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
  - उचित संधि के अभाव में प्रत्यर्पण भारत और उस देश के संबंधों पर भी निर्भर करेगा।
- इसी प्रकार कोई भी देश भारत को प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकता है। जिन राज्यों के साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि नहीं की है, उनके साथ प्रत्यर्पण का कानूनी आधार भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 3(4) द्वारा प्रदान किया गया है।

बेल्जियम (Belgium)

- तकरीबन 40 मील लंबे समुद्री तट वाला बेल्जियम पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। यह नीदरलैंडस, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग, फ्राँस और उत्तरी सागर से घिरा हुआ है।

नोट :

- तकरीबन 30230 वर्ग किमी वाले इस क्षेत्र में वर्ष 2014 के अनुमान के अनुसार, 10449361 लोग रहते हैं।
- बेल्जियम की राजधानी और सबसे उसका सबसे बड़ा शहर ब्रसेल्स (Brussels) है, इसके अलावा यहाँ कई अन्य प्रमुख शहर भी हैं।

भारत-बेल्जियम संबंध

- भारत, बेल्जियम का एक बड़ा निर्यात स्थल है और भारत बेल्जियम से अधिकांशत: जवाहरात और आभूषण (अपरिष्कृत हीरा), रसायन, रासायनिक उत्पाद, मशीन तथा मशीनी उत्पादों का निर्यात करता है।
- अनुमानित आँकड़ों के अनुसार, भारत में बेल्जियम की लगभग 160 कंपनियाँ कार्यरत हैं।
- इसके अलावा सूचना तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे- TCS, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और HCL ने बेल्जियम और यूरोपीय बाज़ारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बेल्जियम को ही अपना आधार बनाया है।
- भारत और बेल्जियम के मध्य राजनयिक संबंध वर्ष 1948 में स्थापित किये गए थे। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध काफी सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं तथा बीते कुछ वर्षों में बेल्जियम ने वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को मान्यता प्रदान की है।

G- 20 वर्चुअल समिट

चर्चा में क्यों ?

G- 20 समूह के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- इस आभासी सम्मेलन (Virtual Summit) का नेतृत्त्व सऊदी अरब, जो वर्तमान में (वर्ष 2020 के लिये) इस आर्थिक समूह के अध्यक्ष हैं, कर रहा है ।
- किसी एक देश को प्रतिवर्ष इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जिसे 'G- 20 प्रेसीडेंसी' के रूप में जाना जाता है। अर्जेंटीना द्वारा वर्ष 2018 में तथा जापान द्वारा वर्ष 2019 में G- 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी।
- वर्ष 2020 के सम्मेलन में स्पेन, जॉर्डन सिंगापुर एवं स्विट्ज़रलैंड आमंत्रित देश के रूप में शामिल हो रहे हैं।

शामिल होने वाले प्रमुख समूह व देश:

- इस G- 20 सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के अलावा आमंत्रित देश-स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर एवं स्विट्जरलैंड, के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन- संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations), विश्व बैंक समूह (World Bank Group), विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation), विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation), खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development) के नेता शामिल होंगे।
- वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी संघ का, संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद तथा रवांडा अफ्रीका के विकास के लिये नई साझेदारी (New Partnership for Africa's Development) का प्रतिनिधित्व करेगा।

भारत सरकार द्वारा नेतृत्त्व:

- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) वीडियो शिखर सम्मेलन के बाद यह दूसरा आभासी नेतृत्त्व शिखर सम्मेलन (Virtual Leadership Summit) होगा।
- 15 मार्च 2020 को 'सार्क आभासी शिखर सम्मेलन' का आयोजन 'सार्क COVID-19 आपातकालीन फंड' के निर्माण हेतु किया गया था।
- G- 20 आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन COVID-19 का सामना करने के लिये विस्तृत योजना बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

G- 20 समूह:

- वर्ष 1997 के वित्तीय संकट के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिये।
- G-20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों-अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्राँस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी।

G-20 का उद्देश्य:

- G-20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है।

शामिल देश:

- इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ भी शामिल है। जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

G- 20 मुख्यालय:

- G- 20 एक मंच के रूप में कार्य करता है न कि एक संगठन के रूप में, अत: इसका कोई स्थायी सचिवालय और प्रशासनिक संरचना नहीं है।

नेतृत्त्व संबंधी चुनौतियाँ:

- सऊदी अरब ने हाल ही में उदारीकरण अभियान को बढ़ावा दिया है, जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार देना शामिल है। हालाँकि, पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या जैसी घटनाओं ने सऊदी अरब में मानवाधिकार के मुद्दों पर गहन वैश्विक आलोचना की गई।
- G- 20 सदस्य राज्यों को अपनी आधिकारिक नीतियों द्वारा सऊदी अरब पर दबाव डालना चाहिये और इसे अपने मानवाधिकारों के दायित्त्वों के लिये जिम्मेदार ठहराना चाहिये।

वर्तमान में विश्व के किसी भी देश में COVID-19 के उपचार की दवा की खोज नहीं की जा सकी है, ऐसे में इस इस बीमारी से निपटने के लिये सभी देशों को सार्क COVID-19 आपातकालीन फंड के समान एक आपातकालीन फंड निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिये।

अफगानिस्तान की आर्थिक सहायता में कटौती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के नई सरकार के गठन में विफल होने के पश्चात् अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 1 बिलियन डॉलर की कटौती की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ (Mike Pompeo) ने इस संदर्भ में घोषणा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के नेताओं की इस विफलता के कारण अमेरिका के राष्ट्रीय हितों पर प्रत्यक्ष रूप से खतरा पैदा हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला दोनों ने ही बीते वर्ष स्वयं को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था।
- अमेरिका के अनुसार, दोनों ही नेता तालिबान के साथ जारी गृहयुद्ध सहित देश के समक्ष मौजूद तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिये एक समावेशी सरकार के गठन में विफल रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका 9/11 हमले और तालेबान को उखाड़ फेंकने के पश्चात् से अफगानिस्तान की सरकार का प्रमुख समर्थक रहा है।
- अफगानी नेताओं से वार्ता के पश्चात् विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी के साथ भी बैठक की। माइक पोम्पिओ के अनुसार, अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला बीते महीने हस्ताक्षरित अमेरिकी-तालिबान शांति समझौते का समर्थन करने हेतु किये गए समझौतों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे।

अमेरिकी-तालिबान शांति समझौता

- कतर के दोहा में अमेरिका के शांति प्रतिनिधि जलमय खालिज़ाद और तालिबान के प्रतिनिधि मुल्ला अब्दुल गनी बारादर के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस समझौते के अनुसार, अमेरिका आगामी 14 महीने में अफगानिस्तान से अपने सभी सैन्य बलों को वापस बुलाएगा। उल्लेखनीय है कि इस समझौते के दौरान भारत सहित दुनिया भर के 30 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
- इस समझौते के तहत अमेरिका, अफगानिस्तान में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या में धीरे-धीरे कमी करेगा। इसके तहत अगले 6 महीने में लगभग 8,600 सैनिकों को वापस अमेरिका भेजा जाएगा।
- अमेरिका अपनी ओर से अफगानिस्तान के सैन्य बलों को सैन्य साजो-सामान देने के साथ प्रशिक्षित भी करेगा, ताकि वह भविष्य में आंतरिक और बाहरी हमलों से खुद के बचाव में पूरी तरह से सक्षम हो सकें।
- तालिबान ने इस समझौते के तहत बदले में अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वह अलकायदा और दूसरे विदेशी आतंकवादी समूहों से अपने संबंध समाप्त कर देगा।
- तालिबान अफगानिस्तान की धरती को आतंकवादी गतिविधियों के लिये इस्तेमाल नहीं होने देने में अमेरिका की मदद करेगा।

पृष्ठभूमि

- तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सोवियत संघ सेना की वापसी के पश्चात् हुआ। उत्तरी पाकिस्तान के साथ-साथ तालिबान ने पश्तूनों के नेतृत्व में अफगानिस्तान में भी अपनी मज़बूत पृष्ठभूमि बनाई।
- विदित है कि तालिबान की स्थापना और प्रसार में सबसे अधिक योगदान धार्मिक संस्थानों एवं मदरसों का था जिन्हें सऊदी अरब द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था। प्रारंभ में तालिबान को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर अंकुश लगाने तथा विवादित क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर शांति स्थापित करने जैसी गतिविधियों के कारण सफलता मिली।
- शुरुआत में दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना प्रभाव बढ़ाया तथा इसके पश्चात् ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर अधिकार कर लिया।
- धीरे-धीरे तालिबान पर मानवाधिकार का उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगने लगे। तालिबान द्वारा विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करने की विशेष रूप से आलोचना की गई।
- वर्ष 2001 में न्यूयॉर्क में आतंकी हमले के बाद तालिबान दुनिया की नज़रों में आया। इसी दौरान 7 अक्तूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया।
- हालाँकि, इस हमले के बावजूद तालिबान नेता मुल्ला उमर और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ा नहीं जा सका। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा-बिन-लादेन को अमेरिकी सेनाओं द्वारा मार गिराया गया।

भारत की भूमिका

- भू-राजनैतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में तालिबान के प्रसार से वहाँ की नवनिर्वाचित सरकार को खतरा होगा और भारत की कई विकास परियोजनाएँ प्रभावित होंगी।
- इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाने में लगी भारत सरकार को बड़ा नुकसान होगा।
- इसके साथ ही भारत पहले से ही अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की लागत से कई बड़ी परियोजनाएँ पूरी कर चुका है और इनमें से कुछ पर अभी भी काम चल रहा है।

आगे की राह

अनवरत बदलते वैश्विक परिदृश्य में क्षेत्र विशिष्ट में शांति स्थापित करना काफी आवश्यक है। इस कार्य हेतु सभी नेताओं को अपने राजनीतिक हित एक ओर रखकर एक मंच पर आना होगा। भारत इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, भारत के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत किया जाए।

जुबा शांति वार्ता

चर्चा में क्यों ?

25 मार्च, 2020 को दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में अपने देश की सरकार और विद्रोही समूहों के बीच शांति वार्ता के दौरान सूडान के रक्षा मंत्री जमाल एल्डिन उमर इब्राहिम (Jamal Aldin Omar Ibrahim) का निधन हो गया।

मुख्य बिंदुः

- उमर सूडान की संप्रभु परिषद के सदस्य थे जिसने पिछले वर्ष देश में सैन्य और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बीच 39 महीने के सत्ता साझा करने के समझौते के तहत सत्ता संभाली थी। इस आंदोलन ने पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति उमर अल-बशीर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्त्व किया था।
- सूडान सरकार वर्ष 2019 से विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता को सफल बनाने का प्रयास कर रही है।
- इस शांति वार्ता का आयोजन दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सूडान में राजनीतिक स्थिरता लाना है तथा राष्ट्रपति उमर अल-बशीर के सैन्य शासन को समाप्त करने के बाद राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना करने में मदद करना है।
- सूडान में हुए कई विद्रोहों में हजारों लोग मारे गए जिसमें पश्चिमी सूडान का दारफुर क्षेत्र (Darfur Region) प्रमुख है। इसी क्षेत्र में 2000 के दशक की शुरुआत में उमर अल-बशीर ने क्रूरतापूर्वक नागरिको का दमन किया था जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) ने युद्ध अपराध एवं नरसंहार के आरोप पर उमर अल-बशीर को दोषी ठहराया है।

सूडानः राजनीतिक घटनाक्रम

- 1 जनवरी, 1956 को ब्रिटिश और मिस्र से आज़ादी मिलने के बाद सूडान में सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया।
  - उत्तरी सूडान की अधिकतर आबादी मुस्लिम धर्म जबकि दक्षिणी सूडान की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानती है।
  - उत्तरी सूडान के मुस्लिम समूहों द्वारा सूडान को कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र में बदलने के संदेह के कारण दक्षिणी सूडान के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया जिससे सूडान में गृहयुद्ध छिड़ गया तथा सूडान की सत्ता सेना के हाथ में आ गई।
- वर्ष 1965 में सूडान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुए जिसके तहत एक मुस्लिम प्रभुत्व वाली सरकार सत्ता में आई किंतु वर्ष 1969 में इस मुस्लिम सरकार का गफर मोहम्मद अल-निमरी (Gaafar Mohamed el-Nimeri) के नेतृत्व में तख्तापलट कर दिया गया। निमरी ने सूडानी सोशलिस्ट पार्टी (Sudanese Socialist Party) द्वारा एक दलीय शासन स्थापित किया।
  - निमरी के शासनकाल में वर्ष 1972 में एक्वाटोरिया (Equatoria) की आतंरिक स्वायत्तता के लिये आदिस अबाबा समझौता (Addis Ababa Agreement) हुआ, जिससे सूडान के दक्षिणी प्रांतों में 17 वर्षों से चल रहा गृहयुद्ध समाप्त हो गया।
  - हालाँकि वर्ष 1983 में उत्तरी सूडान में मुस्लिम ब्रदरहुड की बढती ताकत को देखते हुए निमरी ने सूडान मंय कानूनों को सख्त करने तथा इस्लामी कानून संहिता 'शरिया' के अनुरूप लाने के लिये अपनी नीतियों को पलट दिया और दक्षिणी प्रांतो को केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत लेन के लिये इसी वर्ष आदिस अबाबा समझौते को भी निरस्त कर दिया गया जिससे दक्षिण के प्रांतों में फिर से अशांति एवं विद्रोह शुरू हो गया।
- वर्ष 1989 में सूडान सरकार और दक्षिणी प्रांत के विद्रोहियों ने युद्ध को समाप्त करने के लिये बातचीत शुरू की किंतु उमर अल-बशीर के नेतृत्व में सेना ने सरकार का तख्तापलट कर दिया और उमर अल-बशीर ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया।
  - वर्ष 2003 में सूडान में दारफुर के पश्चिमी क्षेत्र में सूडान लिबरेशन मूवमेंट और जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट समूहों द्वारा सूडान सरकार पर दारफुर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए विद्रोह शुरू किया।
- वर्ष 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) ने एक संकल्प पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सूडान सरकार ने दक्षिणी प्रांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया तथा इस संकल्प पत्र में दारफुर क्षेत्र में सैन्य समर्थित हमलों पर चिंता व्यक्त की गई।
  - वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) ने अल-बशीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जिस पर दारफुर क्षेत्र में मानवता एवं युद्ध अपराधों के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था।

- जनवरी 2011 में दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता के लिये जनमत संग्रह कराया गया और 9 जुलाई, 2011 को दक्षिण सूडान गणराज्य एक स्वतंत्र देश बन गया।
- उमर अल-बशीर द्वारा दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया किंतु सूडान और दक्षिणी सूडान गणराज्य द्वारा अब्येई (Abyei) क्षेत्र पर दावा किये जाने के कारण दोनों देशों के बीच यह विवादित क्षेत्र हो गया।

भारत-सूडान संबंध:

- भारत-सूडान के संबंध लगभग 5000 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं। बताया जाता है कि सिंधुवासी अरब सागर और लाल सागर के रास्ते सूडान से व्यापार करते थे।
- वर्ष 1935 में समुद्र के रास्ते इंग्लैंड जाते हुए महात्मा गांधी सूडान के बंदरगाह पर रुके जहाँ भारतीय समुदाय द्वारा उनका स्वागत किया गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश भारतीय सैनिकों ने वर्ष 1941 में इरीट्रिया में सूडान के साथ मिलकर केरेन (Keren) की निर्णायक लड़ाई जीती।
- वर्ष 1953 में सूडान का पहला संसदीय चुनाव भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन द्वारा आयोजित कराया गया था वहीं वर्ष 1956 में सूडान को स्वतंत्रता मिलने के बाद वर्ष 1957 में गठित सूडान चुनाव आयोग (Sudanese Election Commission) में भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित नियम एवं कानूनों की सबसे अधिक मदद ली गई।
- तेल और गैस क्षेत्र पर सहयोग पर भारत-सूडान संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नवंबर 2010 में खार्तूम शहर में हुई थी।
- भारत सूडान के साथ मिलकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है जिसके अंतर्गत भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों द्वारा सूडान के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा सस्ते चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिये भारत सूडान के लिये प्रमुख गंतव्य स्थान बन गया है।

सूडान: भौगोलिक परिदृश्य

- सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह उत्तर में मिस्र, उत्तर-पूर्व में लाल सागर (Red Sea), पूर्व में इरिट्रिया एवं इथियोपिया, दक्षिण में दक्षिण सूडान गणराज्य, दक्षिण-पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य (Central African Republic), पश्चिम में चाड (Chad) और उत्तर-पश्चिम में लीबिया से घिरा हुआ है।
- अल्जीरिया और पूर्वी कांगो के बाद सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- इथोपियन उच्च भूमि (Ethiopian highlands) से निकलने वाली ब्लू नील (Blue Nile) और मध्य अफ्रीकी झीलों (Central African lakes) से निकलने वाली व्हाइट नील (White Nile) नदियाँ खार्तूम शहर में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं जो उत्तर की ओर मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है।
- संसाधन: पेट्रोलियम सूडान का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ क्रोमियम अयस्क, तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, चाँदी, सोना, टंगस्टन और जस्ता के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं।

COVID- 19 तथा G- 20 वर्चुअल समिट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में G- 20 समूह के देशों द्वारा COVID- 19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में 'G- 20 वर्चुअल समिट' (Virtual Summit) का आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया।

मुख्य बिंदु:

- G- 20 समूह के देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के नेतृत्व वाले COVID- 19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष (COVID-19 Solidarity Response Fund) में 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक धन के योगदान की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

नोट :

- COVID- 19 के चलते 'G- 20 आभासी सम्मेलन', भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला दूसरा सम्मेलन है जबकि प्रथम आभासी सम्मेलन 'सार्क आभासी सम्मेलन' का आयोजन भारत की पहल पर हाल ही मे किया गया है।

सहयोग पर सहमति:

- G- 20 देशों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति जाहिर की है-
- महामारी संबंधी जानकारी:
  - इस सम्मेलन में समय पर पारदर्शी जानकारी साझा करने, महामारी विज्ञान एवं नैदानिक संबंधी आँकड़ों का देशों के मध्य आदान-प्रदान करने, अनुसंधान एवं विकास के लिये आवश्यक सामग्री साझा करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- मंत्रीस्तरीय वार्ताओं में वृद्धि:
  - इस सम्मेलन के दौरान नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले 'G- 20 शिखर सम्मेलन' से पहले G- 20 देशों के विदेश मंत्रियों, स्वास्थ्य अधिकारियों तथा संबंधित शेरपाओं (Sherpas) ने COVID- 19 पर अधिक-से-अधिक बातचीत तथा सहयोग करने पर सहमत हुए।
- वित्तीय बाजार पुनर्बहाली:
  - वैश्विक विकास और वित्तीय बाजारों पर COVID-19 महामारी का प्रभाव बहुत प्रभावशाली रहा अत: वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिये अतिशीघ्र वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य प्रवाह (विशेष रूप से चिकित्सा संबंधी) की आवश्यकता पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की।
- सामूहिक सहयोग की आवश्यकता:
  - अब तक महामारी को नियंत्रित करने में, अधिकांश देशों ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किये हैं। अत: सभी देश आगे अधिक सामूहिक सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

असहमति के बिंदु:

- लॉकडाउन पर मतभेद:
  - G-20 देशों द्वारा सामाजिक दूरी (Social Distancing) के माध्यम से महामारी को नियंत्रित करने के लिये अपनाई जाने वाले लॉकडाउन प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण में विभिन्न देशों के मध्य मतभेद देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका में शट्डाउन को हटाना चाहते थे, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है तथा उनका मानना है कि इलाज स्वयं समस्या से बदतर नहीं होना चाहिये।
  - ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने राज्य द्वारा आरोपित लॉकडाउन को एक 'अपराध' कहा, जबकि भारत ने देश भर में 21 दिनों की लिये कठोर लॉकडाउन लागू किया है।
- WHO की विफलता:
  - कई देशों द्वारा WHO की इस तर्क के साथ आलोचना की गई कि 31 दिसंबर 2019 को चीन द्वारा वुहान में COVID- 19 के फैलने की सूचना दिये जाने के बाद भी WHO ने दुनिया को महामारी से संभावित खतरे के प्रति चेतावनी जारी नहीं की गई।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन की महामारी से संबंधित सूचना साझा न करने जानकारी तथा वायरस को 'चीनी वायरस' या 'वुहान वायरस' नाम दिया। चीन ने अमेरिका के इस कदम का विरोध किया तथा WHO की कार्यप्रणाली पर अनेक सवाल खड़े किये।

आगे की राह:

- भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये अधिक व्यापक जनादेश (mandate) तथा अधिक धन का आह्वान किया है क्योंकि भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नई चुनौतियों का सामना करने तथा खुद को अनुकूलित करने में विफल रहा है, अत: WHO सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- वायरस के लिये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है तथा COVID-19 महामारी ने सभी देशों की अंतर्संबंधता तथा कमजोरियों को उजागर किया है अत: इस महामारी से लड़ने के लिये पारदर्शी, मज़बूत, व्यापक स्तरीय तथा विज्ञान-आधारित वैश्विक प्रतिक्रिया के साथ एकजुटता की भावना की आवश्यकता है।
- G- 20 जैसे मंच का उपयोग महामारी के लिये किसी देश को दोषी ठहराने के स्थान पर इस बात के लिये किया जाना चाहिये कि G- 20 के नेतृत्त्व में कैसे इस वैश्विक चुनौती से निपटा जाए तथा बाकी दुनिया को इससे निपटने में मदद की जा सकती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 11-12 अप्रैल को नई दिल्ली में 'सामाजिक सशक्तीकरण के लिये उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-2020' (Responsible AI for Social Empowerment-2020) यानी रेज़-2020 (RAISE 2020) नामक एक वृहद् आयोजन की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- रेज़-2020 सरकार द्वारा उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाने वाला भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिखर सम्मेलन है।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशन एवं परिवर्तन के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का इस्तेमाल करने के साथ-साथ एक पाठ्यक्रम की तैयारी हेतु विश्व भर के विशेषज्ञों द्वारा विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।

उद्देश्य

- केंद्र द्वारा घोषित इस शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य एक बेहतर भविष्य के लिये सामाजिक परिदृश्य को बदलने हेतु उत्तरदायी AI की क्षमता का उपयोग करने हेतु भारत के विज़न को रेखांकित करना है।
- यह शिखर सम्मेलन डिजिटल युग में AI को नैतिक रूप से विकसित करने की आवश्यकता को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिये विचारों के सुचारु आदान-प्रदान को सक्षम करेगा।

रेज़-2020

- रेज़-2020 कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत के विज़न और उत्तरदायी AI के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशन और परिवर्तन के लिये रोडमैप बनाने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली वैश्विक बैठक है।
- यह आयोजन एक स्टार्टअप चैलेंज - पिचफेस्ट के साथ शुरू होगा।
- भारत सरकार द्वारा आयोजित इस दो-दिवसीय शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ विश्व भर की औद्योगिक हस्तियाँ, प्रमुख चिंतक, सरकार के प्रतिनिधि और शिक्षाविद् भाग लेंगे।

महत्त्व

- नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाने एवं बढ़ावा देने से वर्ष 2035 तक भारत की GDP में 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ ही भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।
- कृषि में अनुप्रयोग से यह किसानों की आय तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अपव्यय को कम करने में योगदान कर सकता है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में AI महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुँच को बढ़ा सकता है। इसकी मदद से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है एवं शिक्षा तक लोगों की पहुँच को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही प्रशासन में दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापार एवं वाणिज्य में इसका लाभ सिद्ध है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है।
- सरलतम शब्दों में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है एक मशीन में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को पहली बार 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिये 10-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- इसके पश्चात् अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नाम से एक परियोजना की शुरुआत की। यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

हंटिंगटन रोग

प्रीलिम्स के लिये:

हंटिंगटन रोग

मेन्स के लिये:

आनुवंशिक रोग

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (National Centre for Cell Science- NCCS) पुणे के वैज्ञानिकों की एक टीम ने फ्रूट फ्लाई (Fruit Flies) पर किये अध्ययन में पाया कि हंटिंगटन (Huntingtin- HTT) नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण न केवल हंटिंगटन प्रोटीन मे कमी होती है अपितु यह उत्परिवर्तन समग्र प्रोटीन उत्पादन में कमी का कारण बनता है।

हंटिंगटन रोग (Huntington Disease- HD):

- यह मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला आनुवंशिक विकार है।

रोग का कारण:

- यह रोग HTT नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। HTT जीन हंटिंगटन नामक प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। HTT जीनों का कार्य प्रोटीन निर्माण के लिये निर्देश देना हैं।
- HTT जीन में उत्परिवर्तित होने के कारण इन जीनों की निर्देश देने की क्षमता मे बाधा उत्पन्न होती है तथा इससे त्रुटिपूर्ण प्रोटीन का निर्माण होता है।
- त्रुटिपूर्ण प्रोटीन जिन्हे क्लंपस (Clumps) भी कहा जाता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं के सामान्य कामकाज को बाधित करते हैं। अंतत: मस्तिष्क की न्यूरॉन्स मृत हो जाती है तथा ये त्रुटिपूर्ण प्रोटीन हंटिंगटन रोग का कारण बनते हैं।

रोग का प्रभाव:

- इस रोग के कारण शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है तथा संज्ञानात्मक क्षमता में गिरावट आती है।
- इससे अलावा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, स्मृति विलोप, मूड स्विंग, व्यक्तित्व में बदलाव आदि के लक्षण देखे जाते हैं।

शोध का महत्त्व:

- अब तक वैज्ञानिक समुदाय यह नहीं जान पाए थे कि त्रुटिपूर्ण क्लंपस हंटिंगटन प्रोटीन निर्माण के अलावा अन्य प्रोटीन के निर्माण को भी प्रभावित करते हैं या नहीं।
- इस शोध में वैज्ञानिकों ने HTT जीन के अध्ययन में पाया कि रोगजनक हंटिंगटन प्रोटीन कोशिकाओं के 'समग्र प्रोटीन उत्पादन' में कमी का कारण बनता है।
- अध्ययन के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि मानव में हंटिंगटन रोग को समझने में मदद करेगा।

एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया

चर्चा में क्यों?

प्रसिद्ध वैज्ञान पत्रिका 'फ्रंटियर्स' के एक लेख के अनुसार, चाय के पौधे से जुड़े एंडोफाइटिकैक्टिनो (Endophyticactino) बैक्टीरिया चाय के पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

मुख्य बिंदु:

- एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया सामान्यत: स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिताते है, परंतु 46 विलगित बैक्टीरिया पर वैज्ञानिकों द्वारा किये गए अध्ययन में इन बैक्टीरियों को बिल्कुल अलग वातावरण में उपस्थित पाया गया। ये बैक्टीरिया चाय के पौधों में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं तथा अपने जीवन-चक्र के लिये इन पौधों पर कम-से-कम निर्भर रहते है।
- 46 विलगित बैक्टीरियों में से 21 ने कवक फाइटोपैथोजेन (Phytopathogens- पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले) के विकास को बाधित किया तथा कवक के विकास को रोकने में प्रभावी भूमिका प्रदर्शित की।
- अधिकांश एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया ने कवकनाशी के रूप में कार्य किया जो चिटिनास (Chitinases) की उपस्थिति को दर्शाते हैं। चिटिनास विशेष प्रकार के एंजाइम हैं जो चिटिन के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ते हैं। चिटिन कवक की कोशिका भित्ति का एक घटक है।

शोध का महत्त्व:

- एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया का अनुप्रयोग चाय बागान में रासायनिक आगतों में कमी ला सकता है।
- भविष्य में वाणिज्यिक चाय उत्पादन के विकास को बढ़ावा देने के लिये एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरियल का परीक्षण किया जा सकता है।
- यह शोध इस बात की पुष्टि करता है कि एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया में बहु-वृद्धिकारक गुणों जैसे- IAA उत्पादन, (Indole Acetic Acid- राइजोस्फीयर बैक्टीरिया का कार्य) फॉस्फेट घुलनशीलता, सिड़ेरोफर उत्पादन (Siderophore- सूक्ष्मजीवों में आयरन को स्थानांतरण का कार्य) प्रदर्शित करने की क्षमता है। अत: इस बैक्टीरिया का उपयोग चाय के उत्पादन को बढ़ाने तथा सतत् प्रबंधन में किया जा सकता है।
- यह शोध कार्य 'इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी' (Institute of Advanced Study in Science and Technology- IASST) गुवाहाटी, द्वारा किया गया।
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है।

भारत में चाय का उत्पादन:

- चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियाँ किण्वित होती हैं जबकि चाय की हरी पत्तियाँ अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है।
- यह उत्तरी चीन में पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित (हलकी ढाल वाले) भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है।
- भारत में चाय की खेती वर्ष 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रारंभ हुई जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उपहिमालयी भागों; दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूचबिहार में प्रारंभ की गई।
- दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरि तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है।
- भारत में असम तथा पश्चिम बंगाल चाय के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं।

नए ग्रहों की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा 17 नए ग्रहों की खोज की गई है, जिनमें से एक पृथ्वी के समान रहने योग्य दुर्लभ ग्रह 'KIC-7340288b' भी शामिल हैI

मुख्य बिंदु:

- इन ग्रहों की खोज राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) की सेवानिवृत्त केप्लर अंतरिक्ष दूरबीन (Kepler Space Telescope) के द्वारा की गई है।
- नासा के चार वर्षीय केप्लर मिशन द्वारा पारगमन विधि (Transit Method) के प्रयोग से लगभग दो लाख तारों का अध्ययन किया गया है।
- इन नए ग्रहों की खोज गोल्डीलॉक ज़ोन (Goldilock Zone) में की गई है जहाँ ग्रहों की चट्टानी सतह पर पानी की मौजूदगी का अनुमान भी लगाया जा रहा है।
- सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी के आकार का दो- तिहाई है जो केप्लर द्वारा ज्ञात ग्रहों में अब तक का सबसे छोटा ग्रह भी है।
- अन्य ग्रहों का आकार पृथ्वी के आकार की तुलना में लगभग आठ गुना तक अधिक है।

केप्लर अंतरिक्ष दूरबीन-

- नासा द्वारा इस दूरबीन को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था।
- इसका प्रयोग पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज करने के उद्देश्य से किया गया ।
- केप्लर अंतरिक्ष दूरबीन का नाम खगोलविद जोहान्स केपलर के नाम पर रखा गया।
- नासा द्वारा केप्लर अंतरिक्ष दूरबीन को वर्ष 2009 में प्रयोग में लाया गया तथा अक्टूबर 2018 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

पारगमन विधि-

- एक तारे और पृथ्वी के बीच एक ग्रह के गुजरने को पारगमन (Transit) कहा जाता है।

प्रकाश वर्ष-

- यह एक खगोलीय माप है।
- इसका प्रयोग अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिये किया जाता है।

KIC-7340288b:

- खोजे गए ग्रहों में KIC-7340288b एक अत्यंत दुर्लभ ग्रह है।
- यह ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग डेढ गुना है जो सौर प्रणाली के अन्य ग्रहों की तरह ही छोटी-छोटी चट्टानों से मिलकर बना है।
- यह ग्रह पृथ्वी से एक हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- इस ग्रह का एक वर्ष की अवधि 143.3 दिनों के बराबर होती है।
- यह ग्रह 0.444 खगोलीय इकाइयों (Astronomical Units) में अपने तारे की परिक्रमा करता है।
- सौर मंडल में इस ग्रह की कक्षा (Orbit) बुध ग्रह की कक्षा से बड़ी है।
- पृथ्वी के समान ही यह सूर्य से लगभग एक तिहाई प्रकाश प्राप्त करता है।

इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस, 2020 सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का औषध विभाग, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) के साथ मिलकर गुजरात के गांधी नगर में 5 मार्च से 7 मार्च, 2020 तक 'इंडिया फार्मा 2020' एवं 'इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020' सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- यह सम्मेलन 5वाँ संस्करण है तथा गुजरात राज्य में इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया जा रहा है।

फिक्की (FICCI):

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

कार्यक्रम की विषय:

- इस कार्यक्रम का विषय है "इंडिया फार्मा: वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तथा भारत में चिकित्सीय उपकरण की चुनौतियाँ: सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिये वहनीय ज़िम्मेदार तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों को बढ़ावा देना है।"

लक्ष्य (Aims):

- इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की लागत में कमी लाने के लिये नवाचारों को प्रोत्साहित करना तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों (केंद्र एवं राज्य सरकारें, प्रमुख व्यापारिक नेतृत्वकर्त्ता, उद्योग के शीर्ष अधिकारी, शिक्षाविद, आदि) को साथ लाने के लिये एक मंच प्रदान करना है।

उद्देश्य (Objective):

- इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, हेल्थ डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल और सर्जिकल उपकरणों आदि के विनिर्माण में उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का विकास एवं विनिर्माण क्षेत्र के आधार को सशक्त बनाने वाली पारिस्थितिकी निर्माण की दिशा में विचार-विमर्श करना।

भारतीय फार्मा क्षेत्र:

- वर्ष 2017 मेंफार्मास्यूटिकल क्षेत्र का मूल्य 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- जैव फार्मास्यूटिकल्स, जैव सेवा, जैव कृषि, जैव उद्योग और जैव सूचना विज्ञान से युक्त भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रति वर्ष लगभग 30% की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।
- वित्त वर्ष 2018 में भारत का दवा निर्यात 17.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 19.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

समस्याएँ और चुनौतियाँ:

- शोध का अभाव:
  - वर्ष 2018 में भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश कंपनियों के सकल राजस्व का 8.5% हो गया है जो वित्त वर्ष 2012 में 5.3% के सापेक्ष अधिक है, लेकिन यह अमेरिकी फार्मा कंपनियों की तुलना में अभी भी कम है क्योंकि अमेरिकी फार्मा कंपनियाँ अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 15–20% तक निवेश करती हैं।
- नीतिगत समर्थन का अभाव:
  - भारत में सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाओं के निर्माण तथा कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने हेतु देश के सभी राज्यों में छोटे पैमाने पर कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयों/इनक्यूबेटरों की स्थापना, इनकी स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अवसंरचना और स्वदेशी रूप से उत्पादित अच्छी गुणवत्ता के कच्चे माल का अभाव है।
- कुशल श्रम का अभाव:
  - फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कुशल श्रमशक्ति की कमी है।

- चीन पर निर्भरता:
  - जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के लिये कच्चे माल की आपूर्ति हेतु भारतीय फार्मा उद्योग चीन पर निर्भर है।
- नैदानिक परीक्षणों में अनैतिकता:
  - भ्रष्टाचार, परीक्षण की अल्प लागत, और दवा कंपनियों व चिकित्सकों की मिली भगत ने भारत में अनैतिक दवा परीक्षणों को अवसर दिया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिये फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में संशोधन को कैबिनेट ने मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
- मार्च 2018 में 'ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drugs Controller General of India- DCGI) ने सहमति, अनुमोदन और अन्य जानकारी प्रदान करने के लिये एकल-खिड़की सुविधा शुरू करने की योजना की घोषणा की थी।

आगे की राह:

- दवा नियामक प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने, औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने जैसी पहलों, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के प्रावधानों, को लागू किया जाना चाहिये।
- मानकों का उल्लंघन करने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर अर्थदंड लगाने के साथ ही इनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिये तथा विनियमन कानूनों को सुदृढ़ कर विनियामक निकायों को प्रभावी बनाना चाहिये।

अनगॉर्डेड एक्स हाइपोथिसिस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (University of New South Wales-UNSW) सिडनी के वैज्ञानिकों द्वारा 'बॉयोलॉजी लेटर्स' पत्रिका (Biology Letters Journal) में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, विश्व में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की कम उम्र का कारण लिंग गुणसूत्र (Sex Chromosomes) है।

अन्य बिंदु:

- भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या महिलाओं से 37 मिलियन अधिक थी लेकिन 60 वर्ष से अधिक की आयु वाली जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में 1 मिलियन महिलाएँ अधिक थी।
- विश्व में पुरुष महिलाओं की तुलना में कम समय तक जीवित रहते है जिसके पक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा उनमे जोखिम लेने की प्रवृत्ति का अधिक पाया जाना, धूम्रपान तथा अल्कोहल का सेवन करना जैसे विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किये गये।
- नवीनतम शोध के अनुसार, पुरुषों में कम आयु प्रत्याशा लिंग गुणसूत्र (Sex Chromosomes) से संबंधित है।

गुणसूत्र:

- मनुष्य का शरीर कोशिकाओं (Cells) से मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक (Nucleus) होता है।
- केंद्रक में गुणसूत्र विद्यमान होते हैं जिन पर जीन (Genes) उपस्थित होते हैं।
- जीन द्वारा ही जीवों में विभिन्न लक्षणों जैसे-आँखों का रंग, रक्त समूह तथा लिंग का निर्धारण किया जाता है।
- मानव की किसी भी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाये हैं जिनमें एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों होते हैं।जिन्हें 'X' एवं 'Y' गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग निर्धारण में इन्ही गुणसूत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- लिंग गुणसूत्रों के रूप में महिलाओं में एक जोड़ी 'XX' गुणसूत्र पाये जाते है जबकि पुरुषों में एक 'X'तथा एक 'Y' गुणसूत्र पाया जाता है।

अनगॉर्डेड एक्स हाइपोथिसिस:

- इस परिकल्पना के अनुसार, XY गुणसूत्र में Y गुणसूत्र किसी भी व्यक्ति को उसके X गुणसूत्र पर व्यक्त हानिकारक जीन प्रभाव से बचाने में सक्षम नहीं है।
- पुरुषों में Y गुणसूत्र X गुणसूत्र की तुलना में छोटा होता है जो हानिकारक उत्परिवर्तन (Mutation) करने वाले जीन का सामना करने में समर्थ/सक्षम नहीं होता।
- परिकल्पना के अनुसार, महिलाओं में इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती क्योंकि महिलाओं में लिंग गुणसूत्रों के रूप में दोनों गुणसूत्र XX होते है।
- ऐसी स्थिति में यदि एक X गुणसूत्र में किसी भी कारण से उत्परिवर्तन हो जाता है तो दूसरा स्वस्थ X गुणसूत्र उसके स्थान पर आ जाता है जिससे हानिकारक जीन का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता जो जीवों में लंबी आयु का कारण होता है।

परिकल्पना के लिये परीक्षण:

- शोधकर्त्ताओं ने अपने अध्ययन में न केवल प्राइमेट्स (Primates) तथा स्तनधारियों (Mammals) को शामिल किया बल्कि पक्षियों (Birds), सरीसृपों (Reptiles), मछलियों (Fish), उभयचरों (Amphibians),अरचिन्ड्स (Arachnids), कॉकरोच (Cockroaches), टिड्डों (Grasshoppers), बीटल (Beetles) और तितलियों (Butterflies) को भी शामिल किया गया।
- अध्ययन में शोधकर्त्ताओं द्वारा देखा गया कि विषमलैंगिक लिंग (Heterogametic Sex) यानि XY गुणसूत्र वाली प्रजाति/जीव, की आयु प्रत्याशा होमोगैमिक लिंग (Heterogametic Sex) यानि XX गुणसूत्र वाले जीवों की तुलना में कम हैं।
- अध्ययन में देखा गया कि ऐसी प्रजातियाँ जहाँ नर विषम (XY) हैं वहां मादाएँ पुरुषों की तुलना में लगभग 21% अधिक जीवित रहती हैं।

क्वांटम सिक्कों एवं कंप्यूटर के साथ नया परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (Raman Research Institute-RRI) के शोधकर्त्ताओं द्वारा क्वांटम सिक्कों (Quantum Coins) या क्यूबिट (Qubit) की सटीकता की जाँच करने के लिये एक नई परीक्षण प्रणाली विकसित की गई है।

मुख्य बिंदु:

- इस परीक्षण में क्वांटम सिक्के या क्यूबिट की सटीकता जानने के लिये एन्टैंगलमेंट सिद्धांत (Entanglement Theory) का प्रयोग किया गया है।
- क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट सूचना की बुनियादी इकाई होती है।
- नए परीक्षण के बारे में भौतिक विज्ञान की एक पत्रिका 'प्रमाण' (Pramana) में जानकारी दी गई है तथा इससे संबंधित शोध पत्र को इंटरनेशनल जर्नल आफ क्वांटम इन्फॉरमेशन (International Journal of Quantum Information) में प्रकाशित किया गया।

परीक्षण के बारे में:

- इस परीक्षण में अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर (IBM quantum computer) से जुड़े सैद्धांतिक विचार पर कार्य किया गया।
- अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा IBM कंप्यूटर के साथ कई प्रयोग किये जिसमें प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर की कई कमियाँ भी उभरकर सामने आई।
- अपने इस अन्वेषण में शोधकर्त्ताओं द्वारा आईबीएम क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा (IBM Quantum Computing Facility) पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों यथा-विश्लेषणात्मक तकनीक, संख्यात्मक और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया गया।
- क्वांटम की स्थिति जानने में एन्टैंगलमेंट की भूमिका को समझने के लिये इन सभी उपकरणों का एक साथ प्रयोग किया गया।

नोट :

क्वांटम कंप्यूटर-

- क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है।
- क्वांटम कंप्यूटर में सूचना 'क्वांटम बिट' या 'क्यूबिट' में संग्रहीत होती है।
- क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट (0 और 1) को एक साथ ऑपरेट कर सकता है।

क्वांटम सूचना और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी:

- क्वांटम सूचना और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो अपेक्षित रूप से डेटा प्रोसेसिंग को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका भी निभाती है।
- इसका प्रयोग बैंकिंग से जुड़े लेन-देन, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि में काफी अधिक देखने को मिलता है। अत: क्वांटम की स्थिति की पहचान करने से जुड़ा यह परीक्षण वर्तमान समय में काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

क्यूबिट की संरचना:

- उपर्युक्त आकृति सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार पर, क्यूबिट की ज्यामिती स्थिति को दर्शाती है।
- दाईं ओर के अंडाकार सफेद दीर्घवृत्त के भीतर एक नीले रंग की सीमा के साथ काला दीर्घवृत्त दर्शाया गया है।
- सफेद क्षेत्र क्वांटम से जुडी उस अनुकूल स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक संसाधन के रूप में उपयोग करके प्राप्त की गई है।
- सफेद क्षेत्र दरअसल क्वांटम से जुड़ी उस अनुकूल स्थिति को दर्शाता है जो एक संसाधन के रूप में एन्टैंगलमेंट सिद्धांत का उपयोग करने पर प्राप्त होती है।

गर्भ ब्लड-बैंकिंग की अवधारणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'पूना सिटीज़न डॉक्टर फोरम' (Poona Citizen Doctor Forum- PCDF) जो नागरिकों और डॉक्टरों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण तथा नैतिक-चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है, ने 'गर्भ ब्लड सेल बैंकिंग' क्षेत्र में अनेक अनैतिक तथ्यों को उजागर किया है।

मुख्य बिंदु

- पिछले एक दशक में 'स्टेम सेल बैंकिंग' का आक्रामक रूप से विपणन किया गया है, जबकि इसका उपयोग अभी भी प्रायोगिक चरण में है।
- स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियाँ भावनात्मक विपणन रणनीति (Emotional Marketing Tactics) के माध्यम से माता-पिता का शोषण कर रही हैं।

क्या है समस्या?

- फोरम के अनुसार, स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियाँ डिलीवरी से पहले अपने संभावित ग्राहकों से संपर्क करना शुरू कर देती हैं और प्रतिस्पर्द्धी पैकेज पेश करती हैं।
- निजी कंपनियाँ जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, 50 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच पैकेज प्रदान कर रही हैं। हालाँकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), वाणिज्यिक स्टेम सेल बैंकिंग की सिफारिश नहीं करता है।

ICMR का दृष्टिकोण:

- ICMR का मानना है कि 'गर्भ ब्लड सेल बैंकिंग ' का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, साथ ही इसके साथ नैतिक एवं सामाजिक चिंताएँ भी जुड़ी हैं।
- गर्भनाल रक्त का निजी भंडारण उस समय उचित है जब परिवार में बड़े बच्चे का इलाज इन कोशिकाओं के माध्यम से किया जा सकता है तथा मां अगले बच्चे की उम्मीद कर रही होती है। अन्य स्थितियों में माता-पिता को स्टेम सेल बैंकिंग की सीमाओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।
- इस तरह के दिशा-निर्देशों के बावजूद स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियों का विपणन लगातार बढ़ रहा है।

भारत में स्टेम सेल नियमन:

- भारत में स्टेम सेल थेरेपी अनुमोदित उपचार विधि नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश वर्ष 2017 के अनुसार, केवल रक्त संबंधी कैंसर तथा अन्य विकारों के प्रत्यारोपण के लिये गर्भ ब्लड बैंकिंग के स्रोत के रूप में हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल (अस्थि मज्जा, परिधीय रक्त, या गर्भनाल से उत्पन्न रक्त) की सिफारिश की जाती है।
- अन्य सभी स्थितियों के लिये स्टेम कोशिकाओं के स्रोत के रूप में गर्भनाल रक्त का उपयोग करना अभी तक प्रमाणित, सुरक्षित और प्रभावकारी नहीं माना गया है।

स्टेम सेल बैंक:

- स्टेम सेल बैंकिंग शिशु को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। माता-पिता अब गर्भनाल को स्टेम सेल बैंक में जमा करने का विकल्प अपनाने लगे हैं, ताकि इन जीवनदायी स्टेम सेल्स और ऊतकों का भविष्य में बीमारियों की स्थिति में उपयोग किया जा सके।
- स्टेम सेल बैंकिंग दो प्रकार की होती है- पब्लिक व प्राइवेट।

पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग:

- इसके तहत अभिभावक स्वेच्छा से अपने शिशु की गर्भनाल रक्त कोशिकाएँ बैंक को डोनेट करते हैं। इनकी मदद से किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है।

प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग:

- इसके तहत जिस शिशु की गर्भनाल रक्त कोशिकाएँ स्टोर की जाती हैं, उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिये उन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है।

स्टेम सेल से जुड़े मुद्दे:

- चिकित्सा के रूप में स्टेम कोशिकाओं पर केंद्रित बहस में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक मुद्दे शामिल हैं। डिज़ाइनर शिशुओं से संबंधित चिंताओं ने गंभीर बायोएथिकल मुद्दों को उठाया है।
- विश्व में अभी तक स्टेम सेल से इलाज के लिये जो तरीका मान्यता प्राप्त है, वह अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Tranplantation) का ही है तथा कानूनन अन्य सभी प्रयोग अभी शोध के चरण में हैं। इन पर सवाल यह उठाया जाता है कि जिस तकनीक के अभी तक क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं हुए उस तकनीक को मरीज़ों पर इस्तेमाल करना कितना सही है?

स्टेम सेल थेरेपी पर दशकों से दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। कई बार नैतिकता के आधार पर तो कई बार किन्हीं और वजहों से इस पर रोक भी लगाई गई, लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है कि लाइलाज बीमारियों में इस तकनीक से सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं, अतः इस दिशा में उचित विधिक नियमों का निर्माण करते हुए शोध कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिये।

कैंसर कारक जीन उत्परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नेचर (Nature)' नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित कुछ शोधपत्रों के अनुसार, वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीन (Gene) की पहचान की है, जिनका उत्परिवर्तन (Mutation) कई प्रकार के कैंसर रोगों का कारण बनता है।

मुख्य बिंदु:

- आमतौर पर कैंसर शब्द का प्रयोग कई बीमारियों के लिये किया जाता है, ऐसा इसलिये है क्योंकि कैंसर के बहुत से प्रकार हैं और इन सभी के इलाज का तरीका भी एक-दूसरे से काफी भिन्न होता हैं।
- हाल ही में विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय संघों के वैज्ञानिकों द्वारा 'नेचर (Nature)' पत्रिका में प्रकाशित कुछ शोधपत्रों में ऐसे जीन (Gene) की पहचान का दावा किया गया है जिनमें होने वाले उत्परिवर्तन (Mutation) कई प्रकार के कैंसर का कारण बनते हैं।

- शोध से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार, सामान्यतया प्रत्येक कैंसर जीनोम में 4-5 चालक जीन (Driver Gene) की पहचान की गई है। हालाँकि लगभग 5% मामलों में किसी भी चालक जीन (Driver Gene) की पहचान नहीं की जा सकी।

चालक जीन (Driver Gene):

चालक जीन, वे जीन होते हैं जिनमें होने वाले उत्परिवर्तन किसी अंग या जीन के समूह में किसी रोग (इस मामले में कैंसर) के विकास/प्रसार के लिये उत्तरदायी होते हैं।

- वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्परिवर्तन के लगभग आधे मामले नौ जीन वाले एक ही समूह में पाए गए।
- इस अध्ययन के लिये 'पैन-कैंसर एनालिसिस ऑफ होल जीनोम्स' (Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes-PCAWG), इंटरनेशनल कैंसर जीनोम कंसोर्टियम (International Cancer Genome Consortium-ICGC) और 'द कैंसर जीनोम एटलस' (The Cancer Genome Atlas-TCGA) जैसे संस्थानों के सहयोग से 38 प्रकार के ट्यूमरों के 2658 होल-कैंसर जीनोम (Whole Cancer Genome) और उनके स्वस्थ ऊतकों (Tissue) की तुलना की गई।

जीन उत्परिवर्तन (Gene Mutation) क्या है?

जीन या क्रोमोसोम की संरचना अथवा क्रोमोसोम की संख्या में वंशागत परिवर्तन होना उत्परिवर्तन या म्यूटेशन (Mutation) कहलाता है। म्यूटेशन से कोशिका के आनुवंशिक संदेश में परिवर्तन आ जाता है। म्यूटेशन एक अनियमित प्रक्रिया है जो कम आवृत्ति के साथ अचानक होती है। जीन म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं:

- जीन की संरचना में परिवर्तन: इस तरह के उत्परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन (Point Mutation) अथवा जीन म्यूटेशन (Gene Mutation) कहते हैं।
- क्रोमोसोम की संरचना अथवा संख्या में परिवर्तन: इस तरह के उत्परिवर्तन को क्रोमोसोम म्यूटेशन (Chromosome mutation) कहते हैं। क्रोमोसोम म्यूटेशन में जीन की या तो हानि होती है अथवा उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है।

चालक उत्परिवर्तन की पहचान के लाभ:

- विशेषज्ञों के अनुसार, चालक उत्परिवर्तन की पहचान से कीमोथेरेपी जैसे पारंपरिक उपचार के स्थान पर अलग-अलग व्यक्तियों के लिये लक्षित उपचार के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जा सकेगा।
- चालक उत्परिवर्तनों और उनके लक्षणों के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध होने से कैंसर के ऐसे मामलों की समय रहते पहचान की जा सकेगी।
- चालक जीन और चालक उत्परिवर्तनों की पहचान से इसके उपचार के लिये नई दवाओं और तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ:

- किसी रोग के लिये उत्तरदायी जीन की पहचान करने से लेकर उसकी दवा के विकास तक बहुत लंबा समय लग जाता है। उदाहरण के लिये फेफड़े के कैंसर के लिये उत्तरदायी एक चालक जीन ALK-1 (5-6% मामलों में) की वर्ष 2006-07 में पहचान किये जाने के बाद इसकी दवा के विकास में पाँच वर्ष लगे।
- संसाधनों की कमी: वर्तमान में एक सामान्य चिकित्सा प्रयोगशाला में लगभग 1,000 जीन की जाँच/अध्ययन की क्षमता होती है, जिनमें से अधिकतम 200 को कैंसर के लिये रखा जाता है और उनमें से औसतन 40 से भी कम मामलों में दवा का निर्माण हो पाता है।
- इस शोध के दौरान लगभग 5% मामलों में किसी भी चालक उत्परिवर्तन की पहचान नहीं की जा सकी, अत: ऐसे मामलों में अभी और शोध किये जाने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

चालक जीन और उनके उत्परिवार्तनों की पहचान से कैंसर के उपचार के साथ ही कैंसर के संदर्भ में व्याप्त अनिश्चितताओं को दूर करने में भी सहायता प्राप्त होगी। हालाँकि कैंसर के बारे में बड़े/बृहत् स्तर पर अध्ययनों की कमी और संसाधनों के अभाव के कारण कैंसर का उपचार आज भी एक बड़ी चुनौती है। अत: चिकित्सा क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं वैश्विक संस्थाओं को साथ मिलकर इस क्षेत्र में शोध और क्षमता विकास के लिये सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिये।

नोट :

कृषि और जल प्रौद्योगिकियों के लिये सेक्टोरल एप्लीकेशन हब

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology-IIT) रोपड़, पंजाब द्वारा कृषि और जल प्रौद्योगिकियों के लिये साइबर फिजिकल सिस्टम (Cyber Physical System- CPS) के आधार पर एक सेक्टोरल एप्लीकेशन हब (Sectoral Application Hub) स्थापित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- IIT रोपड़ की यह अपने तरह की पहली परियोजना है।
- इसके माध्यम से मल प्रबंधन(Stubble Managemen), पानी की गुणवत्ता में सुधार (Water Quality Improvement) और पानी/मृदा में खतरनाक पदार्थों के मानचित्रण कर एवं उनका उपचार किया जाएगा।
- इस हब का उद्देश्य अनुवाद संबंधी शोध (Translational Research), प्रोटोटाइप्स (Prototypes), प्रोडक्ट्स (Products) के विकास और इंप्लीमेंटेशन (Implementations) के लिये लाइन विभागों (Line Departments) के साथ मिलकर कार्य करना है।
- यह कृषि और जल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के लिये एक मंच तैयार करेगा।

साइबर फिजिकल सिस्टम:

- यह एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें सेंसर (Sensors), संचार (Communication), एक्चुएटर (Actuators), नियंत्रण (Control), परस्पर कंप्यूटिंग नेटवर्क (Interconnected Computing Networks) और डेटा एनालिटिक्स(Data Analytics) को शामिल किया जाता हैं।
- यह देश में कृषि और जल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये नवाचारों को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक सफलताओं और तकनीकी सहायता बढ़ाने में मदद करेगा।

संभावित अनुप्रयोग:

- चालक रहित कारें, जो स्मार्ट सड़कों पर एक-दूसरे के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करती हैं।
- सेंसर, घर में बदलती स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाने के लिये।
- कृषि पद्धतियों में सुधार हेतु।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिये वैज्ञानिकों को सक्षम करना।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से RTI द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission-NSM) के तहत भारत ने वर्ष 2015 से अब तक मात्र 3 सुपरकंप्यूटर विकसित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि पुणे स्थित प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बंगलूरू को इस मिशन के लिये नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था।
- RTI द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, बीते 5 वर्षों में दोनों एजेंसियों को 750.97 करोड़ रुपए प्रदान किये जा चुके हैं, जो कि मिशन के कुल बजट (4,500 करोड़ रुपए) का 16.67 प्रतिशत है।
- ज्ञात सूचना के अनुसार, बीते वर्षों में इस मिशन के तहत वितरित होने वाले बजट में काफी असमानता देखी गई है।

प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)

प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission-NSM)

- 25 मार्च, 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को मंज़ूरी दी थी।
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास, वैश्विक प्रौद्योगिकी के रुझानों और बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को मंज़ूरी दी थी।
- इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कार्यान्वित कर रहे हैं तथा इसके लिये प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बंगलूरू को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- मिशन के तहत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपरकंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है।

उद्देश्य

- भारत को सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और राष्ट्रीय तथा वैश्विक प्रासंगिकता की चुनौतियों को हल करने में भारत की क्षमता बढ़ाना।
- भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं को अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना और उन्हें संबंधित ज्ञानक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान हेतु सक्षम बनाना।
- सुपरकंप्यूटिंग में निवेश को प्रोत्साहन देना।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने के लिये सुपरकंप्यूटिंग तकनीक के रणनीतिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
- अनुसंधान और विकास संस्थानों को सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ना।

मिशन में देरी के कारण

- विशेषज्ञों के अनुसार, शुरुआती वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के लिये असमान वित्तपोषण ने सुपरकंप्यूटर के निर्माण की समग्र गति को धीमा कर दिया था।
- मिशन के शुरुआती चरण में अतिरिक्त समय लगने का एक मुख्य कारण यह भी है कि उस अवधि में वैज्ञानिकों को सुपरकंप्यूटर से संबंधित समग्र तकनीक शुरू से विकसित करनी थी, जो कि अपेक्षाकृत काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था।

वैश्विक स्तर पर सुपरकंप्यूटर

- वैश्विक स्तर पर चीन सुपरकंप्यूटर के विकास को लेकर चल रही प्रतियोगिता में सबसे आगे है। चीन ने बीते 6 महीनों में 8 और सुपरकंप्यूटरों को अपनी सूची में शामिल कर लिया है और चीन में सुपरकंप्यूटरों की मौजूदा संख्या 227 तक पहुँच गई है।
- इस सूची में चीन के पश्चात् अमेरिका का स्थान है, जिसके पास कुल 119 सुपरकंप्यूटर हैं। इसी श्रेणी में अन्य देशों जैसे- जापान (29), फ्राँस (18), जर्मनी (16), नीदरलैंड (15), आयरलैंड (14) और यूनाइटेड किंगडम (11) का भी स्थान है।

सुपरकंप्यूटर की उपयोगिता

- विदित हो कि मानसून से संबंधित सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये वैज्ञानिकों को तेज़ गणना वाली मशीन की ज़रुरत होती है और सुपरकंप्यूटर इस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं।
- अंतरिक्ष विज्ञान में भी सुपरकंप्यूटर्स का अत्यधिक महत्त्व है, खासकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े राज खोलने के लिये वैज्ञानिक ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं।
- गौरतलब है कि सुपरकंप्यूटर्स की मदद से ही DNA रिसर्च और प्रोटीन रिसर्च नए आयाम तक पहुँची हैं। वैज्ञानिक मौसम में बदलाव और भूकंपों की प्रक्रिया को समझने के लिये भी सुपरकंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही परमाणु शोध में भी सुपरकंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है।

नोट :

आगे की राह

- आधिकारिक सूचना के अनुसार, वर्ष 2020 तक देश में 11 और नए सुपरकंप्यूटर स्थापित कर दिये जाएंगे और ये सभी स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे।
- मिशन का प्रारंभिक चरण समाप्त हो चुका है और इस संबंध में समग्र तकनीक विकसित की जा चुकी है, जिसके कारण अनुमानत: वैज्ञानिकों को आगामी चरणों में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यकृत के कार्यों को विनियमित करने में ग्लूकोज़ की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (Tata Institute of Fundamental Research- TIFR) के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन में यकृत के कार्यों को विनियमित करने में ग्लूकोज़ की भूमिका के बारे में बताया गया है।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट में SIRT1 नामक एक एंजाइम के बारे में चर्चा की गई है जिसे यकृत की गतिविधियों के विनियमन और आयु बढ़ने के एक कारण के रूप में देखा जाता है और इसलिये यह चिकित्साशास्त्र में शोध का केंद्र बन गया है।

क्या है अध्ययन?

- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए इस अध्ययन से पता चलता है कि ग्लूकोज़ सीधे SIRT1 के कार्य को नियंत्रित करता है।
- SIRT1 की कमी या अनुपस्थिति मधुमेह जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जबकि SIRT1 का अत्यधिक और निरंतर घटता हुआ स्तर मोटापा और बढ़ती उम्र का कारण बन सकता है।
- शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि ग्लूकोज़ SIRT1 नामक प्रोटीन के कार्यों को नियंत्रित करता है जो बदले में प्रतिदिन फ़ीड-फास्ट साइकल (Feed-Fast cycle) को बनाए रखता है और दीर्घायु होने से भी जुड़ा हुआ है।
- सामान्यत: स्वस्थ व्यक्तियों में SIRT1 प्रोटीन के स्तर को उपवास के दौरान बढ़ने और खाने के दौरान कम होने के लिये जाना जाता है, जो ग्लूकोज़ और वसा चयापचय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये आवश्यक होता है।

ग्लूकोज़:

- ग्लूकोज़ सरल शर्करा श्रेणी का एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसका रासायनिक सूत्र $C_6H_{12}O_6$ है।
- यह एक मोनोसैकराइड (सरल कार्बोहाइड्रेट) है, जिसमें एक CHO ग्रुप (Aldehyde Group) का अणु भी होता है, इसी कारण इसे एल्डेहेक्सोज़ (Aldehexose) भी कहा जाता है।
- ग्लूकोज़ का प्रयोग हर जीवित प्राणी उर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में करता है। बैक्टीरिया से इंसानों तक हर प्राणी वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration), अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration) या किण्वन (Fermentation) (बैक्टीरिया इस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं) का उपयोग कर ग्लूकोज़ से ऊर्जा निर्मित करके इससे अपने दैनंदिनी कार्यों को करते हैं।
- मानव शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा किया जाता है।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च:

- 'टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान' की स्थापना भारत के ख्याति प्राप्त परमाणु वैज्ञानिक होमी जहाँगीर भाभा ने की थी।
- इस संस्थान की स्थापना 1 जून, 1945 को सर दोराबजी टाटा न्यास की सहायता से की गई।
- इस संस्थान ने सर्वप्रथम भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू के कैंपस में ब्रह्मांड किरण के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। तत्पश्चात् वर्ष 1945 में ही अक्तूबर माह में संस्थान को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 1955-1956 में भारत सरकार, मुंबई सरकार व सर दोराबजी टाटा न्यास के मध्य एक 'त्रिपक्षीय समझौता' हुआ।

नोट :

- इस समझौते के अनुसार संस्थान को भारत सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई व प्रबंध परिषद में सरकार का अधिक स्थायी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ।
- 1960 के दशक में संस्थान ने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए आण्विक जैव विज्ञान समूह (Molecular Biology Group) व रेडियो खगोल विज्ञान समूह (Radio Astronomy Group) प्रारंभ किया।
- अल्प तापमान सुविधा केंद्र व अर्द्धचालक समूह (A low Temperature Facility and a Semi Conductor Group) ने भी इसी समय अपना कार्य प्रारंभ किया।
- वर्ष 1964 में मूल दंत अनुसंधान समूह (Basic Dental Research Group) ने कार्य करना प्रारंभ किया, जो बाद में बंद हो गया।
- 1970 के दशक में संस्थान ने अपने कार्य क्षेत्र में सैद्धांतिक खगोल भौतिकी व होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र को शामिल किया।
- अगले दो दशकों में संस्थान ने अपने कार्य क्षेत्र को और अधिक विस्तृत रूप देकर नए राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना की।
- इन केंद्रों में पुणे में 'राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र', (The National Centre for Radio Astrophysics) बंगलूरु में 'अनुप्रयोज्य गणित केंद्र', (The Centre for Applicable Mathematics) बंगलूरु में 'राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र' (The National Centre for Biological Sciences) शामिल हैं।
- इस संस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय केंद्र 'अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र' (International Centre for Theoretical Sciences) है, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई।
- TIFR का कार्य तीन स्कूलों के अंतर्गत किया जाता है-
  - गणित स्कूल
  - प्राकृतिक विज्ञान स्कूल
  - प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर साइंस स्कूल
- TIFR को वर्ष 2003 में मानद विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई थी।
- स्रोत- द हिंदू

लैब में RBCs का सृजन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय शोधकर्त्ताओं की टीम ने एक ऐसी प्रक्रिया की खोज की है जो 'हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल' (Haematopoietic Stem Cells- HSCs) से लाल कणिकाओं (Red Blood Cells- RBCs) का उत्पादन शरीर के बाहर प्रयोगशाला (इन विट्रो) में करने को गति प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदु:

- खोजी गई प्रक्रिया, एनीमिया, प्रत्यारोपण सर्जरी, गर्भावस्था से संबंधित जटिलता, रक्त कैंसर आदि समस्याओं के उपचार में RBCs के आधान (Transfusion) की प्रक्रिया में सहायक होगी।

आवश्यकता:

- ब्लड बैंकों को विशेष रूप से विकासशील देशों में अक्सर रक्त तथा उनके घटक यथा- लाल रक्त कणिकाओं की कमी का सामना करना पड़ता है।
- विभिन्न समूह HSCs से प्रयोगशाला में RBCs का उत्पादन करने में सक्षम हैं, हालाँकि इस प्रक्रिया में लगभग 21 दिन लगते हैं।
  - गर्भनाल के रक्त में हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल नामक विशेष कोशिकाएँ होती हैं जिनका उपयोग कुछ रोगों के उपचार के लिये किया जा सकता है।
  - हेमटोपोइएटिक स्टेम कोशिकाएँ विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं के निर्माण में समर्थ होती हैं।
- प्रयोगशाला में कोशिकाओं को विकसित करने में अधिक समय लगने के कारण काफी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है।

खोजी गई प्रक्रिया:

- प्रयोगशाला में हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल से RBCs निर्माण प्रक्रिया को `ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर' β1 (TGF- β1) नामक एक छोटे प्रोटीन अणु की बहुत कम सांद्रता तथा एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoietin- EPO) प्रोटीन को मिलाकर तेज़ किया जा सकता है एवं इस प्रक्रिया से RBCs निर्माण में 18 दिन लगते हैं।

प्रकिया का महत्त्व:

- सामान्यत: HSCs प्रक्रिया जिसमें एरिथ्रोपोइटिन का उपयोग किया जाता है, में RBCs के निर्माण में 21 दिन लगते हैं।
- भारतीय शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि EPO के साथ TGFβ1के जुड़ने से RBCs के निर्माण समय में तीन दिन की कमी आई है।

रक्त (Blood)

- यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें प्लाज़्मा, रक्त कणिकाएँ तथा प्लेटलेट्स होते हैं।
- यह शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तथा उतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों का संचरण करने में मदद करता है।
- रक्त कोशिकाओं के प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं:

लाल रक्त कणिकाएँ (RBCs):

- इनको एरिथ्रोसाइट (Erythrocyte) भी कहा जाता है। RBCs का रंग आयरन युक्त प्रोटीन, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है।

सफेद रक्त कणिकाएँ (WBCs):

- WBC को ल्यूकोसाइट (Leucocyte) भी कहा जाता है। ये हीमोग्लोबिन से रहित होने के कारण रंगहीन होती हैं।

सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology- IIT) धनबाद के 'इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स' (Indian School of Mines- ISM) तथा ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी (Ohio State University) की टीम ने पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो कणों का इस्तेमाल कर कोटिंग में प्रयुक्त होने सुपरहाइड्रोफोबिक पदार्थ का निर्माण किया है।

मुख्य बिंदु:

- कोटिंग में प्रयुक्त रसायन देश में आसानी से उपलब्ध हैं तथा वे पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।
- कोटिंग की यह तकनीक सिर्फ स्टील में ही नहीं अपितु अन्य धातुएँ यथा- एल्युमीनियम, तांबा, पीतल एवं ग्लास, कपड़े, कागज़, लकड़ी आदि में भी प्रयोग की जा सकती है

अपनाई गई विधि:

- स्टील कोटिंग से पूर्व टीम ने आसंजन शक्ति में सुधार के लिये विशेष प्रकार के रासायनिक विधि का प्रयोग किया ताकि स्टील की सतह पर खुरदरापन पैदा किया जा सके। इसके बिना, स्टील की चिकनाई के कारण कोटिंग आसानी नहीं हो पाती है।

आसंजन (Adhesion):

- दो भिन्न प्रकार के कणों या सतहों के एक-दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को आसंजन कहते हैं।

संसंजन (Cohesion):

- दो समान कणों या सतहों के आपस में चिपकने की प्रवृत्ति को संसंजन कहते हैं।

उपयोगिता:

- कोटिंग की इस तकनीक में सुपरहाइड्रोफोबिक (सतह पर न चिपकने की प्रवृति) गुण पाया गया। इस कोटिंग तकनीक को अम्लीय (pH 5) और क्षारीय (pH 8) दोनों स्थितियों में छह सप्ताह से अधिक समय तथा 230°C तापमान तक तक टिकाऊ पाया गया।

नोट :

- कोटिंग तकनीक की यांत्रिक स्थिरता को जल-जेट, रेत-अभिघर्षण आदि में भी अत्यधिक स्थिर पाया गया था।
- कोटिंग द्वारा प्रदर्शित एक अन्य क्षमता; स्व-सफाई का कार्य है। पानी की बूँदें तथा धूल कोटिंग सतह से चिपकती नहीं हैं तथा स्वत: सतह से लुढ़क जाती हैं।

नैनो कण एवं स्वास्थ्य:

- नैनो तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। 'नैनो' एक ग्रीक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। 100 नैनोमीटर या इससे छोटे कणों को 'नैनो कण' माना जाता है।
- अत्यधिक सूक्ष्म आकार के कारण नैनो कणों के रासायनिक एवं भौतिक लक्षण बदल जाते हैं। उदाहरण के लिये जिंक धातु के 'नैनो कण' स्तर पर पहुँचने पर पारदर्शी हो जाते हैं।
- नैनो कणों के उपयोग के साथ कुछ चुनौतियाँ भी उभर रही हैं। धात्विक नैनो कणों के उत्पादन और उपयोग में लगातार वृद्धि होने के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।
- नैनो कण वातावरण में, खासतौर पर मृदा में पहुँच जाएँ तो जीवाणुओं और मृदा के जीवों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा नैनो कण प्रदूषकों के साथ मिलकर अधिक विषाक्त प्रदूषकों को जन्म दे सकते हैं।

आगे की राह:

- नैनो कणों की विषाक्तता का पता लगाने में एकीकृत पद्धति उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
- किसी भी नैनो-युक्त उत्पाद के व्यावसायीकरण से पहले उससे होने वाली क्षति का आकलन किया जाना चाहिये।
- उत्पादों में प्रयोग होने वाले नैनो कणों का पूर्ण विवरण उल्लिखित होना चाहिये। इस बात को लेकर अधिक शोध करने की ज़रूरत है कि किस समय और किस सांद्रता पर नैनो कणों का कम-से-कम प्रयोग करके अत्यधिक लाभ उठाया जा सकता है।

नैनो मिशन:

- भारत सरकार ने 'मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के रूप में वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की थी।
- इसका कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) द्वारा किया जा रहा है।
- इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
  - नैनो अनुप्रयोगों एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
  - मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना।
  - नैनो मिशन के नेतृत्व में किये गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष पाँच देशों में शामिल है।

एक्सोमार्स मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोप में Covid-19 के कारण उत्पन्न हुई महामारी जैसी स्थिति की वजह से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) ने जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले एक्सोमार्स मिशन को वर्ष 2022 तक विलंबित/स्थगित करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- पूर्ववर्ती योजना के अनुसार, एक्सोमार्स (ExoMars) मिशन के दूसरे चरण के तहत एक रोवर (Rover) को जुलाई 2020 में मंगल ग्रह के लिये प्रक्षेपित किया जाना था।
- एक्सोमार्स (ExoMars) मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी 'रॉसकॉसमॉस स्टेट कॉर्प' (Roscosmos State Corp) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
- ESA के अनुसार, यूरोप में COVID-19 से उत्पन्न हुई महामारी जैसी स्थिति के कारण अंतरिक्ष एजेंसी और सहयोगी औद्योगिक निर्माता संस्थानों के बीच यातायात बाधित होने से इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।
- ध्यातव्य है कि यूरोप के कई देशों जैसे- इटली, फ्राँस आदि में COVID-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है।
- वर्तमान में इस मिशन के लिये आवश्यक कई प्रयोगों को पूरा नहीं किया जा सका है, इनमें मुख्य पैराशूट और कुछ अन्य सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं।
- ESA की योजना के अनुसार, इस मिशन के अंतर्गत रॉसलिंड फ्रेंक्लिन (Rosalind Franklin) नामक एक रोवर (Rover) को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा जाएगा।
- गौरतलब है कि इस मिशन का प्रक्षेपण पहले वर्ष 2018 में किया जाना प्रस्तावित था परंतु बाद में इसे बदलकर जुलाई 2020 कर दिया गया था।
- वर्तमान अनुमान के अनुसार, अब इस मिशन को अगस्त-अक्तूबर 2022 के बीच प्रक्षेपित किया जाएगा जब पृथ्वी और मंगल एक बार पुन: एक सीध में होंगे। यह खगोलीय घटना 26 माह में सिर्फ एक बार होती है।
- इस योजना के तहत रोवर अप्रैल-जुलाई 2023 के बीच मंगल की सतह पर पहुँचेगा।

एक्सोमार्स (ExoMars) मिशन:

- एक्सोमार्स (ExoMars) मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस स्टेट कॉर्प (Roscosmos State Corp) के सहयोग से तैयार किया गया है।
- इस मिशन के दो भाग हैं, मिशन के पहले हिस्से में वर्ष 2016 में 'ट्रेस गैस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट' (Trace Gas Orbiter spacecraft) को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।
- ट्रेस गैस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन (CH_4), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), एसीटिलीन (C_2H_2) और जलवाष्प का पता लगाना था।

रॉसलिंड फ्रैंकलिन (Rosalind Franklin) रोवर:

- इस रोवर का नाम ब्रिटिश रसायनशास्त्री 'रॉसलिंड फ्रैंकलिन ' के नाम पर रखा गया है। रॉसलिंड फ्रेंक्लिन को डीएनए (DNA) की खोज में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये जाना जाता है।
- रॉसलिंड फ्रेंक्लिन रोवर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मंगल ग्रह की सतह पर 2 मीटर की गहराई तक खुदाई कर जाँच के लिये नमूने एकत्र कर सकेगा।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर की खुदाई क्षमता लगभग 2 इंच ही थी।

स्टार्च आधारित हेमोस्टैट का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने दुर्घटना की स्थिति में शीघ्र रक्तस्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक हेमोस्टैट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है।

मुख्य बिंदु:

- इस हेमोस्टैट पदार्थ का विकास नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Nano Science and Technology-INST) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, स्टार्च (Starch) आधारित यह हेमोस्टैट पदार्थ रक्त से अतिरिक्त द्रव (Excess Fluid) को अवशोषित कर रक्त जमाव (Clotting) में सहायता प्रदान करता है।
- प्राकृतिक स्टार्च में रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ की जैव सुसंगतता (Biocompatibility) और जैवनिम्नीय (Biodegradability) का एक साथ इस्तेमाल करने में सफलता प्राप्त की है।
- इस परिवर्तन से पदार्थ की द्रव अवशोषक क्षमता में 5-10 गुना की वृद्धि हुई है और इसकी आसंजन क्षमता भी बेहतर हुई है।
- इस पदार्थ के जैवनिम्नीय सूक्ष्म कण (Biodegradable Microparticles) मिलकर घाव पर एक जेल (Gel) का निर्माण करते हैं, जो घाव के ठीक होने के साथ-साथ नष्ट हो जाते हैं।
- इस हेमोस्टैट पदार्थ के सूक्ष्मकणों (Microparticles) को तैयार करने के लिए स्टार्च में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सिल (Hydroxyl) समूह के रसायनों को कार्बोक्सीमेथिल (Carboxymethyl) समूह में बदला गया, साथ ही इस प्रक्रिया में उपयोगी कैल्शियम आयनों (Calcium ions) को भी शामिल किया गया।
- इस प्रक्रिया से लाल रुधिर कणिकाओं और प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण (Aggregation) और फाइबर प्रोटीन जाल बनाने की उनकी सक्रियता में वृद्धि होती है, जिससे स्थाई रक्त के थक्कों का निर्माण होता है।
- यह परिवर्तन अणुओं की जल से क्रिया करने की क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे इस पदार्थ की द्रव अवशोषक क्षमता भी बढ़ जाती है।
- इस पदार्थ के सूक्ष्मकणों (Microparticles) को 'कैल्सियम-मॉडीफाइड कार्बोक्सीमेथिल-स्टार्च' (Calcium-modified carboxymethyl-starch) के नाम से जाना जाता है।

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Nano Science and Technology-INST):

- INST भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के नैनो मिशन के तहत वर्ष 2013 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य भारत में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देना है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में स्टार्च आधारित जैवनिम्नीय हेमोस्टैट पदार्थ के कुछ अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं, परंतु उनकी धीमी द्रव अवशोषक क्षमता और घावों के उतकों पर खराब आसंजन क्षमता के कारण उनकी उपयोगिता बहुत ही सीमित है।
- जानवरों पर प्रयोग के दौरान इस पदार्थ के उपयोग से मध्यम से भारी रक्तस्राव को एक मिनट से कम समय मंu रोकने में सफलता प्राप्त हुई।
- साथ ही जानवरों पर किये गए अध्ययनों के दौरान इस पदार्थ के नॉन-टॉक्सिक (Non-Toxic) होने और जैवनिम्नीयता (biodegradibility) की भी पुष्टि की गई।

घर्षण को कम करने वाले नैनोकॉम्पोज़िट कोटिंग्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials-ARCI)' के वैज्ञानिकों ने उपकरणों में घर्षण को कम करने वाला नैनोकम्पोज़िट कोटिंग विकसित किया है।

नैनोकोम्पोज़िट कोटिंग्स:

- गौरतलब है कि यह नव विकसित कोटिंग निकल-टंगस्टन आधारित हैं।

- सस्ती और सरल स्पंदित इलेक्ट्रोप्लेटिंग (Electroplating) या इलेक्ट्रोडिपोज़िशन (Electrodeposition) का उपयोग करते हुए सिलिकॉन कार्बाइड (Silicon Carbide-SiC) के अत्यंत छोटे कणों के साथ निकिल टंगस्टन-आधारित कोटिंग के अंतर्भेदन (Impregnation) से यह प्रक्रिया जंग रोधक का कार्य कर सकती है जिसमें घर्षण गुणांक कम होने के साथ-साथ तेल प्रतिधारण क्षमता भी अच्छी होगी।

विशेषताएँ:

- यह कोटिंग लवणता युक्त स्प्रे होने के कारण एक जंग रोधक का कार्य कर सकती है जो बाज़ार में उपलब्ध अन्य जंग प्रतिरोधी कोटिंग्स की तुलना में अच्छा है।
- कणों का आकार घर्षण विशेषताओं को तय करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नैनोकम्पोज़िट कोटिंग में कणों के आकार की विभिन्नता के कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन (Stress Concentration) से कोटिंग्स समय से पहले ही खराब हो जाती है।
- निकासिल (NIKASIL) और हार्ड क्रोम (Hard Chrome) की तुलना में नैनोकम्पोज़िट कोटिंग्स बेहतर हैं।
- ऑटोमोबाइल उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले हार्ड क्रोम की तुलना में नैनोकम्पोज़िट कोटिंग्स का असर धातुओं पर 1000 घंटो तक रहता है।
- इसके तापमान में वृद्धि कर इसकी क्षमता को दोगुना किया जा सकता है।

उपयोग:

- रक्षा क्षेत्र
- ऑटोमोबाइल
- अंतरिक्ष उपकरण

विद्युत-लेपन प्रक्रिया (Electroplating Process):

- इलेक्ट्रोडिपोज़िशन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है, इसमें धातु के हिस्सों को इलेक्ट्रोलाइट (Electrolyte) के घोल में डुबोया जाता है।
- आसुत जल तथा अन्य योजकों के मिश्रण में निकल (Nickel-Ni) और टंगस्टन (Tungsten-W) के कणों को घोलकर तैयार किया जाता है।
- इस घोल में DC करंट पास करने से धातु के टुकड़े पर Ni-W जमा हो जाता है अत: धात्विक आयनों की गति और जमाव के कारण कैथोड सतह पर एक परत जम जाती है।
- इस प्रक्रिया में कैथोड सतह पर जमी परत की मोटाई के बराबर या उससे कम आकार वाले कणों को ही नैनोक्रिस्टलाइन कोटिंग में शामिल किया जा सकता है।
- विद्युत प्रवाह की अवधि को बदलकर परत की मोटाई व आकार को नियंत्रित किया जाता है।
- यह ईंधन सेल, बैटरियों, कटैलिसिस और इस प्रकार के विभिन्न अनुप्रयोगों के प्रबलन के लिये आवश्यक अनेक कंपोजिट कोटिंग्स के लिये भी उपयुक्त है।

इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials- ARCI):

- वर्ष 1997 में स्थापित इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) का एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास केंद्र है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद एवं परिचालन संबंधी कार्य चेन्नई और गुरुग्राम में होते हैं।

नोट :

ARCI का उद्देश्य:

- उच्च गुणवता वाले पदार्थों की खोज।
- भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करना।

रेडियोधर्मी कचरे की डंपिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान के फुकुशिमा नगर के तटीय भागों में रेडियोधर्मी विकिरण का स्तर जापान सरकार द्वारा अधिसूचित 100 बैकरल (Becquerel-रेडियोधर्मिता मापन की इकाई) की सीमा से कई गुना अधिक पाया गया, जिसने रेडियोधर्मी पदार्थों के अपशिष्ट प्रबंधन को पुन: चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट:

- रेडियोधर्मी अपशिष्ट सामग्री में उन सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है जो- "या तो खुद ही रेडियोधर्मी हैं या रेडियोधर्मिता द्वारा संदूषित होते हैं तथा जिनको भविष्य के लिये उपयोगी नहीं माना जाए।"
- सरकार द्वारा नीति निर्माण करके विशिष्ट सामग्री जैसे- उपयोग किये जा चुके परमाणु ईंधन एवं प्लूटोनियम, को रेडियोधर्मी अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट का वर्गीकरण:

- रेडियोधर्मी अपशिष्ट को रेडियोधर्मिता स्तर के आधार पर निम्न स्तर अपशिष्ट (low level Waste- LLW), मध्यवर्ती स्तर अपशिष्ट (Intermediate Level Waste- ILW), या उच्च-स्तर अपशिष्ट (High Leve Waste- HLW) में वर्गीकृत किया जाता है।
- निम्न स्तर अपशिष्ट (low level Waste- LLW):
  - LLW में ऐसी रेडियोधर्मी सामग्री को रखा जाता है जिसमें अल्फा क्रियाविधि (Alpha Activity) का स्तर 4 गीगा-बैकरल/टन (GBq/t) तथा बीटा-गामा क्रिया विधि का स्तर 12 गीगा-बेकरल/टन (GBq/t) से कम हो।
  - LLW की हैंडलिंग एवं परिवहन के दौरान विशिष्ट परिरक्षण (Shielding) की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनका निपटान ऊपरी सतह के निकट ही किया जा सकता है।
- मध्यवर्ती स्तर अपशिष्ट (Intermediate Level Waste- ILW):
  - ILW, LLW की तुलना में अधिक रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मिता के उच्च स्तर के कारण ILW को कुछ परिरक्षण (Shielding) उपायों की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा इतनी अधिक नहीं होती है कि इनके भंडारण तथा निपटान में विशेष प्रकार के डिज़ाइन के चयन की आवश्यकता हो।
  - इसका रेडियोधर्मी अपशिष्ट के आयतन में 7% तथा रेडियोधर्मिता में 4% योगदान है।
- उच्च स्तर अपशिष्ट (High Level Waste- HLW):
  - HLW इतने अधिक रेडियोधर्मी होते हैं कि वे रेडियोधर्मी क्षय ऊष्मा (Decay Heat) से आसपास के वातावरण का तापमान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। अत: HLW के निपटान में शीतलन और परिरक्षण उपायों की आवश्यकता होती है।
  - परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन के दहन से HLW उत्पन्न होता है। HLW का उत्पादित कचरे के आयतन में केवल 3% परंतु रेडियोधर्मिता में 95% योगदान होता है।
  - HLW को निम्नलिखित 2 वर्गों मे रखा जाता है:
    - प्रयुक्त ईंधन जिसे अपशिष्ट के रूप में नामित किया गया है।
    - उपयोग किये जा चुके ईंधन के पुन: प्रसंस्करण से उत्पन्न अपशिष्ट।

सागरीय रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण:

- परमाणु बम परीक्षण:
    - सर्वप्रथम सागरीय क्षेत्र में परमाणु बम परीक्षण, वर्ष 1946 में अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर के बिकिनी एटॉल (Bikini Atoll) नामक 'कोरल रीफ' के सागरीय क्षेत्र में किया था। अगले कुछ दशकों में 250 से अधिक परमाणु हथियारों के परीक्षण उच्च सागरीय क्षेत्रों मे किये गए।
    - 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (International Atomic Energy Agency- IAEA) के अनुसार, वर्ष 1946-1993 की अवधि के दौरान परमाणु गोला बारूद सहित कई परमाणु पनडुब्बियाँ भी महासागरों मे डूब गईं।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से परमाणु दुर्घटनाएँ:
    - फुकुशिमा डाइची (जापान), चर्नोबिल (यूक्रेन) एवं थ्री माइल द्वीप (अमेरिका) में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटनाएँ हुई हैं।
    - फुकशिमा परमाणु आपदा के कारण प्रशांत महासागर में रेडियोधर्मी विकिरण में व्यापक वृद्धि हुई है। परंतु वास्तव मे देखा जाए तो पूर्व में किये गए परमाणु बम परीक्षण तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट इस आपदा के पूर्व से ही इस महासागर को प्रदूषित कर रहे थे तथा तभी से महासागरों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है।
- रेडियोधर्मी अपशिष्ट की डंपिंग:
    - 1990 के दशक तक सागरीय क्षेत्रों का प्रयोग न केवल परमाणु युद्ध के परीक्षण क्षेत्र के रूप में अपितु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट की डंपिंग करने मे भी किया जाता रहा है।
    - आदर्श वाक्य 'दृष्टि से दूर, दिमाग से बाहर' (Out of Sight, Out of Mind) की विचारधारा के अनुसार 'परमाणु अपशिष्ट' के सागरीय क्षेत्र में डंपिंग को सबसे आसान तरीका माना जाता है।
    - IAEA के अनुसार वर्ष 1946-1993 की अवधि के दौरान 2 लाख टन से भी अधिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट की डंपिंग महासागरों में की गई।
- परमाणु संयंत्र शीतलक (Coolant in Nuclear plant):
    - परमाणु संयंत्रों में शीतलक के रूप में जल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अन्य शीतलकों में भारी जल, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, तरल सोडियम, सोडियम-पोटेशियम मिश्र धातु आदि शामिल हैं।
    - उत्तरी फ्राँस के तटीय भागों में रेडियोधर्मी विकिरण का मुख्य कारण परमाणु ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र है जो प्रतिवर्ष 33 मिलियन लीटर रेडियोधर्मी तरल का बहाव महासागर में करता है।

अंतर्राष्ट्रीय नियम:

- वर्ष 1993 में 'सागरीय प्रदूषण की रोकथाम पर लंदन कन्वेंशन' (London Convention on the Prevention of Marine Pollution) द्वारा ड्रमों के माध्यम से महासागरों में किये जाने वाले परमाणु अपशिष्ट की डंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था परंतु विकिरण युक्त संदूषित तरल की सागरीय भागों में डंपिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी अनुमति प्राप्त है।

लंदन कन्वेंशन एवं प्रोटोकॉल (The London Convention and Protocol):

- 'लंदन कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्टेज़ एंड अदर मैटर' (Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter) 1972, जिसे संक्षेप में 'लंदन कन्वेंशन' के नाम से जाना जाता हैं, मानव गतिविधियों से सागरीय पर्यावरण की रक्षा करने वाले प्रारंभिक वैश्विक सम्मेलनों में से एक है।
- यह कन्वेंशन वर्ष 1975 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा देना तथा सागरीय क्षेत्रों में अपशिष्टों की डंपिंग रोकने के लिये सभी व्यावहारिक कदम उठाना है।
- वर्ष 1996 में 'लंदन प्रोटोकॉल' पर सहमति बनी जो पूर्ववर्ती कन्वेंशन को आधुनिक बनाने तथा समय के साथ इसे प्रतिस्थापित करने की दिशा में एक प्रयास था। इस प्रोटोकॉल के तहत तथाकथित 'रिवर्स सूची' (Reverse List) में शामिल अपशिष्टों के अलावा अन्य सभी अपशिष्टों की डंपिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
- 'लंदन प्रोटोकॉल' 24 मार्च 2006 से प्रभावी हुआ।

रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव:

- रेडियोधर्मी विकिरण के सटीक प्रभाव (Effect) का मापन बेहद मुश्किल है। हम इससे उत्पन्न होने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों (Affect) को ही जान सकते हैं।
- विकिरण प्रदूषण की प्रभावशीलता, विकिरण के स्रोत तथा व्यक्तिगत संवेदनशीलता द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता के अनुसार रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
- उच्च मात्रा में विकिरण के संपर्क से 'क्रॉनिक डिज़ीज़िज़' (Chronic Diseases), जबकि अत्यधिक प्रदूषण से कैंसर या यहाँ तक कि अचानक मृत्यु भी हो सकती है।
- विकिरण की कम मात्रा उन बीमारियों का कारण बन सकती है जो विकिरण संपर्क के समय इतनी गंभीर नहीं होती हैं परंतु समय के साथ विकसित होती है। विकिरण की कम मात्रा भी लंबे समय तक संपर्क में रहने पर कैंसर का कारण बन सकती है।

परमाणु आपदा प्रबंधन:

- सामान्यत: परमाणु या रेडियोधर्मी आपात काल को ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है- "जब परिचालन कर्मी या सामान्य जनता, नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित रेडियोधर्मी विकिरण स्तर से अधिक की चपेट में हो।"
- NDMA दिशा-निर्देशों के अनुसार रोकथाम और शमन उपायों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है-

(i) नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन।

(ii) परमाणु आपातकालीन तैयारी।

(iii) क्षमता निर्माण।

(iv) कानूनी एवं नियामक उपायों के माध्यम से परमाणु आपातकालीन प्रबंधन (Nuclear Emergency Management-NEM) के ढाँचे को मज़बूत करना।

भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, डिज़ाइनिंग, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन एवं डीकमीशनिंग के दौरान सुस्थापित सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाता है।

बिकिनी एटॉल (Bikini Atoll):

यह प्रशांत महासागर में स्थित 'मार्शल द्वीपों' (Marshall Islands)- जिनका निर्माण 29 एटॉल एवं 5 द्वीपों से मिलकर हुआ है, में स्थित एक एटॉल है।

नियमित वायु एवं सागरीय परिवहन मार्गों से दूर होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस द्वीप का चुनाव परमाणु परीक्षण करने के लिये किया।

कीट प्रतिरोधी कपास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute-NBRI) लखनऊ ने कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म का विकास किया है।

प्रमुख बिंदु:

- व्हाइटफ्लाइज़ नामक कीट कपास की फसल को नुकसान पहुँचाने वाले विनाशकारी कीटों में से एक है।
- व्हाइटफ्लाइज़ 2000 से अधिक पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुँचाते हैं एवं पौधों से संबंधित 200 विषाणुओं के प्रति रोग वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं।
- NBRI लखनऊ द्वारा विकसित कपास की इस किस्म का परीक्षण अप्रैल-अक्तूबर 2020 तक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के फरीदकोट केंद्र में किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि ये कीट सबसे अधिक कपास की फसल को नुकसान पहुँचता है तथा वर्ष 2015 में पंजाब में कपास की दो-तिहाई फसल इसी कीट की वजह से नष्ट हो गई थी।

नोट :

आवश्यकता:

- बीटी कपास आनुवंशिक रूप से संशोधित और किसानों हेतु बाज़ार में मौजूद एक कपास है। विशेषज्ञों के अनुसार, बीटी कपास केवल दो कीटों के लिये प्रतिरोधी है, यह व्हाइटफ्लाइज़ के लिये प्रतिरोधी नहीं है।
- गौरतलब है कि व्हाइटफ्लाइज़ न केवल कपास को नुकसान पहुँचाता है बल्कि कई अन्य फसलें भी इससे प्रभावित होती हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में विशेषज्ञों ने कीट प्रतिरोधी एक अन्य कपास पर काम करने का फैसला किया था।

खोज से संबंधित मुद्दे:

- कीटरोधी किस्म विकसित करने हेतु शोधकर्त्ताओं ने 250 छोटे पौधों को चुना ताकि यह चिह्नित किया जा सके कि कौन-सा प्रोटीन अणु व्हाइटफ्लाइज़ को रोकने में सक्षम है।
- चुने गए सभी पौधों के पत्तों का अर्क अलग-अलग तैयार किया गया और व्हाइटफ्लाइज़ को खिलाया गया। खाद्य फर्न (Fern) टेक्टारियामैक्रोडोंटा (Tectariamacrodonta) की पत्ती का अर्क व्हाइटफ्लाइज़ के लिये विषैला साबित हुआ।
- इस फर्न का उपयोग नेपाल में सलाद के रूप में और एशिया के कई क्षेत्रों में गैस्ट्रिक विकारों को दूर करने हेतु एक पाचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
- जब व्हाइटफ्लाइज़ को टेक्टोरियामैक्रोडोंटा कीटनाशक प्रोटीन की खुराक दी जाती है, तो इससे इस कीट का जीवन चक्र प्रभावित होता है जैसे- खराब अंडा देना, अविकसित कीट (Nymph), लार्वा का विकास न होना इत्यादि।
- इस प्रोटीन को अन्य कीटों पर निष्प्रभाव पाया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रोटीन विशेष रूप से व्हाइटफ्लाइज़ के लिये विषाक्त है एवं तितली और शहद जैसे अन्य लाभकारी कीड़ों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।

टेक्टोरियामैक्रोडोंटा (Tectariamacrodonta):

- टेक्टोरियामैक्रोडोंटा एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एवं आमतौर पर भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute-NBRI):

- NBRI वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR), नई दिल्ली के प्रमुख घटक अनुसंधान संस्थानों में से एक है।
- यह वनस्पति विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करता है, जिसमें प्रलेखन, संरक्षण और आनुवंशिक सुधार शामिल है।
- इसकी स्थापना मूल रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान (NBG) के रूप में की गई थी जिसे वर्ष 1953 में CSIR ने अपने अधिकार में ले लिया था।
- यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 [Indian Institutes of Information Technology (IIIT) Laws (Amendment) Bill, 2020] पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक-2020, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून अधिनियम-2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करता है।
- वर्ष 2020 का यह विधेयक IIITs को उनके नवीन और गुणवत्ता बढ़ाने के तरीकों के माध्यम से देश में सूचना और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

- यह विधेयक सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) के माध्यम से सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में पाँच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP):

- PPP समझौता, किसी भी परियोजना के लिये सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता है।
- इस समझौते के तहत शुल्क लेकर ढाँचागत सेवा प्रदान की जाती है। इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (Special Purpose Vehicle-SPV) गठित करते हैं, जो परियोजना पर अमल करने का कार्य करता है।

पृष्ठभूमि:

- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये IIITs की परिकल्पना की गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 26 नवंबर, 2010 को 20 नए IIITs को सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) के तहत स्थापित करने की योजना को स्वीकृत किया गया था।
- 15 IIITs पहले से ही IIIT (PPP) अधिनियम-2017 के तहत शामिल हैं, जबकि शेष 5 को अधिनियम की अनुसूची के तहत शामिल किया जाना है।

लाभ:

- उद्योग और अर्थव्यवस्था की उभरती कुशल तकनीकी जनशक्ति ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त होने की उम्मीद है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 (Indian Institutes of Information Technology Act, 2014):

- इस अधिनियम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर वैश्विक मानकों के अनुरूप मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार के लिये IIITs स्थापित करना था।
- वर्ष 2014 का अधिनियम पहले से स्थापित चार IIITs (उत्तर प्रदेश-1, तमिलनाडु-1 और मध्य प्रदेश-2) को 'स्वायत्त और वैधानिक' संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान करता है।
- इन संस्थानों का उद्देश्य 'सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में निर्देश प्रदान करना, सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा नवाचार का संचालन करना, बुनियादी ढाँचे को स्थापित करना व बनाए रखना' है।

भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धियाँ:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-1000 (QS World University Rankings-1000) में 14 एवं वर्ष 2020 में 24 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान शामिल थे।
- वर्ष 2013 में टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल-1000 (Times Higher Education Global-1000) में 03 एवं वर्ष 2020 में 36 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान शामिल थे।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings):

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी।
- QS एक ऐसा वैश्विक मंच है जो महत्त्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रमुख वैश्विक कैरियर तथा शिक्षा नेटवर्क प्रदान करता है
- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है।

नोट :

इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण संवर्द्धन की योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण संवर्द्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors- SPECS) को स्वीकृति दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण संवर्द्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors- SPECS) का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूती प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिये पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
- इस योजना की कुल अनुमानित लागत 3,285 करोड़ रुपए है।
- जिसमें लगभग 3,252 करोड़ रुपए देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के प्रोत्साहन परिव्यय के रूप में तथा 32 करोड़ रुपए योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक व्यय के रूप में निर्धारित किये गए है।

योजना के लाभ:

- इस योजना के परिणाम स्वरूप देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (Electronics sector) में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है।
- केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार, इस योजना से देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होगा।
- SPECS योजना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों/सेमीकंडक्टरों (Semiconductor) के घरेलू विनिर्माण की वर्तमान चुनौतियों को दूर करने में सहायक होगी।
- इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना से इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- एक अनुमान के अनुसार, इस योजना के तहत सहायता प्राप्त विनिर्माण इकाइयों में लगभग 1,50,000 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उत्पन्न किये जाएंगे।
- साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में इस योजना के परिणामस्वरूप 4,50,000 अप्रत्यक्ष रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न किये जाने का अनुमान है।
- इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर स्थानीय विनिर्माण से इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों की ज़रुरत को पूरा करने के लिये अन्य देशों से होने वाले आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों की स्थानीय उत्पादन तथा आपूर्ति से देश की डिजिटल सुरक्षा (Digital Security) में वृद्धि होगी।

पृष्ठभूमि:

- देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने के लिये 25 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (National Policy on Electronics-NPE 2019) संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (NPE-2019) ने 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2012' (NPE-2012) का स्थान लिया है।
- इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमीकंडक्टरों और चिप सेट आदि के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और इसके लिये क्षमता विकास के माध्यम से देश में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा योग्य औद्योगिक वातावरण तैयार करना तथा इन प्रयासों के माध्यम से भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (Electronics System Design and Manufacturing- ESDM) के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

नोट :

- NPE 2019 के अनुसार, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के सतत् और दीर्घकालिक विकास के लिये देश में एक व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का होना अति आवश्यक है।
- साथ ही यह शुद्ध सकारात्मक भुगतान संतुलन (Net Positive Balance of Payment) को अर्जित करने के लिये भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- NPE, 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विकास के लिये 25% पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का प्रस्ताव किया गया है।
- इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विकास के लिये संयंत्रों, मशीनरी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटक तथा उपकरण विनिर्माण के लिये अनुसंधान औद्योगिक इकाइयों के विकास सहित संबद्ध उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी आदि को शामिल किया गया है।
- यह योजना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आदि क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करेगी।

निष्कर्ष: एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 के अंत तक भारतीय 'इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण' बाज़ार लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जिसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर उद्योग 26.75 की वृद्धि दर के साथ लगभग 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। भारत सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर तकनीकी में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, परंतु उच्च कोटि के हार्डवेयर के निर्माण में भारत उतना सफल नहीं रहा है। ऐसे में सरकार की इस पहल से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विकास के लिये एक मज़बूत तंत्र का निर्माण किया जा सकेगा जिससे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की लागत में कमी के साथ इस क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न किये जा सकेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र स्थानीय क्षमता के विकास से वैश्विक बाज़ार में भारत की स्थिति को मज़बूती प्रदान की जा सकेगी।

COVID- 19: स्वास्थ्य कर्मियों के लिये निवारक दवा को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research's- ICMR) की राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 'SARS-CoV-2' (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) संक्रमण के उच्च जोखिम वाली आबादी के लिये प्रोफिलैक्सिस (Prophylaxis) के रूप में 'हाइड्रॉक्सिल क्लोरोक्विनॉन' (Hydroxyl Chloroquine) का उपयोग करने की सिफारिश की है।

मुख्य बिंदु:

- नेशनल टास्क फोर्स (National Task Force) द्वारा अनुशंसित प्रोटोकॉल को भारत के 'ड्रग्स कंट्रोलर जनरल' (Drug Controller General of India- DCGI) द्वारा आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित रूप से उपयोग (Restricted Use) करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- ICMR इस दवा का उपयोग COVID-19 के संदिग्ध या पुष्ट मामलों की देखभाल में शामिल एसिम्पटोमेटिक (Asymptomatic- जिनमें अभी बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं) वाले स्वास्थ्य तथा प्रयोगशाला कर्मियों पर करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
- ICMR के अनुसार जिन मेडिकल किट्स के निर्माण के लिये अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US Food and Drug Administration- USFDA) के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ICMR के 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी,' पुणे (National Institute of Virology, Pune) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

भारत में प्रमुख दवा एवं औषध विनियमन निकाय:

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO):
  - CDSCO, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य महानिदेशालय के तहत भारत सरकार का राष्ट्रीय नियामकीय प्राधिकरण (National Regulatory Authority- NRA) है, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं-
  - देश में औषधि, प्रसाधनों, नैदानिकी एवं उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मानदंड व उपाय निर्धारित करना।

- नई औषधियों के बाज़ार अनुमोदन और नैदानिक परीक्षण मानकों को नियंत्रित करना।
- आयात होने वाली औषधियों की निगरानी करना एवं उपरोक्त उत्पादों के निर्माण के लिये लाइसेंस की मंज़ूरी देना।

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority- NPPA):
  - NPPA का गठन 29 अगस्त, 1997 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।
  - विनियंत्रित थोक औषधियों व फॉर्मूलों का मूल्य निर्धारित व संशोधित करना। निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप औषधियों के समावेशन व बहिर्वेशन के माध्यम से समय-समय पर मूल्य नियंत्रण सूची को अद्यतन करना।
  - दवा कंपनियों के उत्पादन, आयात-निर्यात और बाज़ार हिस्सेदारी से जुड़े डेटा का रखरखाव। दवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर संसद को सूचनाएँ प्रेषित करने के साथ-साथ दवाओं की उपलब्धता का अनुपालन व निगरानी करना।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत औषधि मूल्य नियंत्रण:

- भारत सरकार दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (Drug Price Control Orders- DPCO) तथा NPAA के माध्यम से आवश्यक औषधियों का मूल्य नियमन करती है।
- इस दिशा में अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, जिसे भारत में स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिये अनिवार्य माना जाता है।
- आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूर्व स्थापित धारणा के विपरीत, नियमित औषधियों के मूल्य में अनियमित औषधियों के मूल्य की तुलना अधिक वृद्धि हुई है।

आर्थिक समीक्षा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त कर बाजार अनुकूल उपायों, यथा- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बाजार का एकीकरण आदि की वकालत की है।

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Food and Drug Administration- FDA) ने वर्ष 2008 में भारत में अपना कार्यालय खोला, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि भारत से अमेरिका को निर्यात किये जाने वाले खाद्य और चिकित्सा उत्पाद सुरक्षित, अच्छी गुणवत्ता वाले एवं प्रभावी हैं।
- भारत में FDA की गतिविधियों में शामिल हैं-
  - ऐसे चिकित्सा उत्पादों एवं खाद्य पदार्थों के निरीक्षण का संचालन करना जो यू.एस. को निर्यात किये जाते हैं।
  - एक दूसरे पर विश्वास बहाली तथा गुणवत्ता मानकों को विकसित करने के लिये भारतीय नियामक अधिकारियों के साथ जुड़ना।
  - द्विपक्षीय पहलों के माध्यम से भारतीय समकक्ष एजेंसियों के साथ साझेदारी करना।

आंतरिक दहन इंजन की ईंधन दक्षता में सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स' (International Advanced Centre for Powder Metallurgy & New Materials-ARCI) ने एक 'अल्ट्राफास्ट लेज़रसरफेस टेक्सचरिंग' (Ultrafast Laser Surface Texturing) तकनीक विकसित की है।

प्रमुख बिंदु:

- अल्ट्राफास्ट लेज़रसरफेस टेक्सचरिंग तकनीक से आंतरिक दहन इंजनों की ईंधन दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
- माइक्रो-सरफेस टेक्सचर (Micro Surface Texture) के आकार, बनावट और घनत्व को सटीक नियंत्रण प्रदान करने वाली लेज़रसरफेस माइक्रो-टेक्सचरिंग तकनीक घर्षण और घिसाव पर प्रभावशाली रूप से नियंत्रण बनाती है

अल्ट्राफास्ट लेज़र सरफेस टेक्सचरिंग तकनीक (Ultrafast Laser Surface Texturing Technology) के बारे में:

- इस तकनीक में, एक स्पंदित लेज़र बीम के माध्यम से बेहद नियंत्रित तरीके से वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म-गर्तिका अथवा खांचे (Micro-Dimples or Grooves) का निर्माण किया जाता है।
- इस तरह के सतह ड्राई स्लाइडिंग की स्थिति में और तेल की आपूर्ति (स्नेहक टंकी) को बढ़ाने जैसे प्रभावों को भी नियंत्रित करने के साथ ही यह घर्षण गुणांक को कम करते हुए घिसने की दर को भी कम करता है।
- सतहों का बनावट:
- इन सतहों पर आकृति का निर्माण 100 एफएस पल्स ड्यूरेशन लेज़र(Fs Pulse Duration Laser) का उपयोग करते हुए ऑटोमोटिव आंतरिक दहन इंजन पुर्ज़ों, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर लाइनर्स पर किया गया था।
- लेज़रबीम के माध्यम से लगभग 5-10 μm गहरी और 10-20 μm व्यास की सूक्ष्म-गर्तिका को नियमित पैटर्न का उपयोग करते हुए बनाया गया है।
- वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म-गर्तिका अथवा खाँचे के निर्माण से सतह स्थलाकृति में परिवर्तन होता है जो अतिरिक्त हाइड्रोडाइनामिक दबाव (Hydrodynamic Pressure) उत्पन्न करता है, जिससे सतहों की भार-वहन क्षमता बढ़ जाती है।

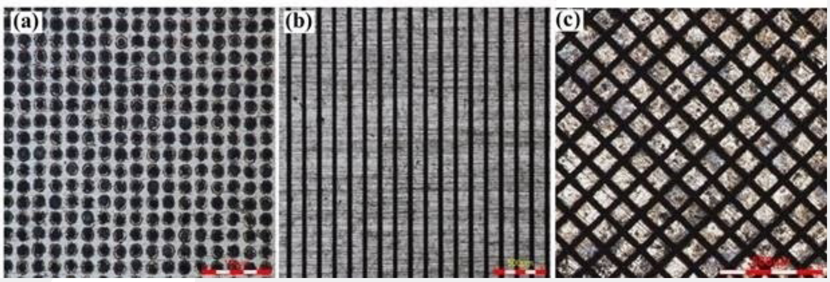

चित्र 1: फैमटोसैकेंड लेज़रसरफेस टेक्सचरिंग (क) डिम्पल्स (Dimples) (ख) ग्रूव्स (Grooves) (ग) क्रास-हैचिस (Cross-Hatches)

- निर्मित किये गए सतह का शीतलक और स्नेहन तेल के विभिन्न गति और तापमान के तहत इंजन रिग में परीक्षण किया गया।
- परिणामस्वरूप पिस्टन रिंग्स पर निर्मित किये गए सतह के उपयोग से स्नेहक ईंधन की खपत में 16% की कमी आई एवं 10 घंटे की ल्यूब ऑयल (Lube Oil) खपत परीक्षण से पता चलता है कि रिंग्स के सतह पर लगने वाले घर्षण में भी काफी कमी हुई है।

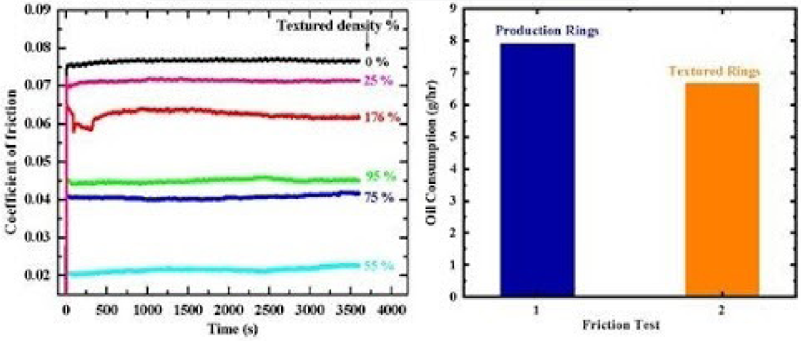

चित्र 2: (क) विभिन्न टेक्सचर्ड सैम्पल्स का बॉल-ऑन-डिस्क परीक्षण (ख) टेक्सचर्ड पिस्टन रिंग्स का इंजन परीक्षण

- अल्ट्राफास्ट लेज़रवैक्यूम रहित स्थितियों के बिना ही माइक्रो अथवा नैनो विशेषताओं का निर्माण करती है।
- इसकी विशेषताएँ विवर्तन-सीमित लेज़रफोकल स्पॉट व्यास (diffraction-limited laser focal spot diamete) की तुलना में छोटी है।

नोट :

इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (International Advanced Centre for Powder Metallurgy & New Materials):

- वर्ष 1997 में स्थापित इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) का एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास केंद्र है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है एवं परिचालन संबंधी कार्य चेन्नई और गुरुग्राम में होते हैं।
- ARCI का उद्देश्य:
  - उच्च गुणवता वाले पदार्थों की खोज।
  - भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करना।

संक्रामक रोगों में लिपिड की भूमिका

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (Indian Institutes of Technology- Bombay) के शोधकर्त्ताओं द्वारा जैविक रूप से सक्रिय लिपिड अणुओं (Active Lipid Molecule) का उपयोग रासायनिक जीव विज्ञान उपकरण के रूप में किया जा रहा है ताकि रोग पैदा करने में उनकी जैविक भूमिका को समझा जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि शोधकर्त्ता इस लिपिड का उपयोग माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacteria Tuberculosis- Mtb) से कर रहे हैं।
- होस्ट (Host) और रोगजनक (Pathogens) की अन्योन्य क्रिया में शामिल महत्त्वपूर्ण तंत्रों में लिपिड की भूमिका का पता लगाया जा रहा है।
- होस्ट झिल्ली और संबंधित कोशिकाओं (मानव की) पर 'माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस' लिपिड की क्रियाओं का महत्त्वपूर्ण तंत्र है। यह तंत्र झिल्ली-आरोपित बैक्टीरिया की उत्तरजीविता, रोगजनन और दवा प्रतिरोध में 'माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस' लिपिड के कार्य की समझ को बढ़ाता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा ड्रग और मेम्ब्रेन की आपसी अंतर्क्रिया में 'माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस' लिपिड की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि लिपिड ड्रग प्रसार, विभाजन और संचय को प्रभावित करने वाली झिल्लियों के साथ दवाओं की आण्विक अंतर्क्रिया को गंभीर रूप से निर्देशित करते हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा माइकोबैक्टीरियल लिपिड के लिये विशिष्ट झिल्ली संरचनाएँ भी विकसित की गई हैं जो टीबी से संबंधित दवाओं की अंतर्क्रिया हेतु 'कोशिकाहीन' प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सकती हैं। ये निम्नलिखित क्रियाओं में मदद प्रदान करेंगी।
  - भविष्य के एंटीबायोटिक डिज़ाइन के लिये माइकोबैक्टीरियल (क्षय रोग का प्रेरक एजेंट) विशिष्ट झिल्ली के साथ एंटीबायोटिक अंतर्क्रिया की जाँच करना।
  - पहले से मौजूद एंटी-टीबी ड्रग अणुओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और नए ड्रग अणुओं के विकास को बढ़ावा देना।
  - रोगजनक कारकों से ग्रसित होस्ट के कोशिकीय मार्गों की जाँच और तपेदिक में संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना।

लिपिड्स (Lipids):

- लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने किया था।
- रासायनिक दृष्टि से लिपिड वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। इनमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम होती है।
  - कार्बनिक अम्ल+एल्कोहल= एस्टर

- लिपिड ऐसे अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं की संरचना और कार्य के निर्माण खंडों को बनाते हैं।
- लिपिड्स कोशिका झिल्ली के गुणों में परिवर्तन करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- किसी संक्रमण और रोग के दौरान लिपिड्स विखंडित हो जाते हैं तथा रोगजनक (Pathogens) अपने अस्तित्व और संक्रमण हेतु कोशिका झिल्ली का दोहन करते हैं।
- लिपिड का प्रयोग कॉस्मेटिक और खाद्य उद्योगों के साथ-साथ नैनो तकनीक में भी किया जाता है।

COVID-19 के लिये एंटीबॉडी किट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) ने COVID-19 संक्रमण के निदान हेतु संदिग्ध रोगियों की जांच में मदद करने के लिये विनिर्माताओं को 5 लाख एंटीबॉडी किट आपूर्ति करने के लिये आमंत्रित किया।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 के परीक्षण के लिये एंटीबॉडी परीक्षण एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगा जो कुछ घंटों में ही त्वरित परिणाम देगा।
- एंटीबॉडी परीक्षण वायरस के कारण शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया का पता लगाता है। यह एक संकेत देता है कि व्यक्ति वायरस के संपर्क में आया है या नहीं।
- यदि परीक्षण सकारात्मक है तो स्वाब (Swab) एकत्र किया जाता है और पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (Polymerase Chain Reaction- PCR) किट का उपयोग करके एक राइबोन्यूक्लिक एसिड (Ribonucleic Acid- RNA) परीक्षण किया जाता है। इसलिए यह परीक्षण दो चरणों में संपन्न होता है।

राइबोन्यूक्लिक एसिड (Ribonucleic Acid- RNA):

- RNA सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह डीएनए से निर्देश लेता है जो प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है।
- यह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए (Deoxyribonucleic acid- DNA) से से ही RNA का संश्लेषण होता है यह डीएनए के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है जिसमें जीवन के विकास एवं रखरखाव के लिये आवश्यक आनुवंशिक निर्देश शामिल होते हैं।
- कुछ वायरस में डीएनए के बजाय RNA आनुवंशिक सूचना का वहन करता है।
- हालाँकि एंटीबॉडी परीक्षण यह निश्चित रूप से संकेत नहीं देता है कि कोई व्यक्ति COVID-19 संक्रमण से संक्रमित है कि नहीं। इसका उपयोग मात्र स्क्रीनिंग के लिये किया जाता है।
- वर्तमान में COVID-19 संक्रमण का पता लगाने के लिये भारत केवल पारंपरिक आरटी-पीसीआर (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) परीक्षण कर रहा है।

एंटीबॉडी किट बनाम आरटी-पीसीआर टेस्ट (Antibody Kit vs RT-PCR Test):

- RT-PCR परीक्षण RNA से संबंधित वायरस आनुवंशिक सामग्री का पता लगाता है। जबकि एंटीबॉडी परीक्षण वायरस से संबंधित शरीर की प्रतिक्रिया का पता लगाता है।
- RT-PCR प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है जबकि एंटीबॉडी किट अप्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करते हैं।

एंटीबॉडी किट की आवश्यकता क्यों?

- जहाँ लोगों की संख्या अधिक है वहाँ RT-PCR परीक्षण किट की कमी को देखते हुए एंटीबॉडी परीक्षण किट का प्रयोग किया जायेगा।
- RT-PCR परीक्षण अत्यधिक जटिल, महंगा तथा अधिक समय लेता है। जिससे जाँच में तेज़ी नहीं आती है परिणामत: संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

नोट :

- दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों में एंटीबॉडी परीक्षण का प्रयोग किया गया था जिसके सकारात्मक परिणाम आए थे।
- दक्षिण कोरिया में यात्रा करने एवं सामूहिक संपर्क में आने वाले लोगों की जाँच के लिये एंटीबॉडी किट का प्रयोग किया जा रहा है।
- दक्षिण कोरिया में एंटीबॉडी किट का प्रयोग करके बड़ी संख्या में संदिग्ध मरीज़ों को संपर्क अनुरेखण (Contact Tracing) द्वारा खोजा जा रहा है।

संपर्क अनुरेखण (Contact Tracing):

- संपर्क अनुरेखण संक्रमित व्यक्तियों से अन्य लोगों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लोगों की पहचान करने, आकलन करने और उन्हें प्रबंधित करने की प्रक्रिया है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लिकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Quantum Technologies and Applications-NMQTA) के तहत पाँच वर्ष के लिये 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- इस मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों को विकसित करना एवं भारत को अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाना है।
- क्वांटम टेक्नोलॉजी से न केवल अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग क्षमताएँ बढेंगी, बल्कि इसके रणनीतिक और आर्थिक फायदे भी होंगे।
- बजट में नई घोषणा से संसाधन समस्या को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी लेकिन संपूर्ण विश्व उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति की कमी से अभी भी जूझ रहा है।

क्वांटम कंप्यूटिंग:

- क्वांटम प्रौद्योगिकी, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है जिसे 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकृति में छोटे परमाणुओं और कणों का वर्णन करने के लिये विकसित किया गया था।
- इस क्रांतिकारी तकनीक ने पहले चरण में भौतिक दुनिया के प्रकाश और पदार्थ के बारे में हमारी समझ विकसित की है, साथ ही लेज़र और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जैसे सर्वव्यापी आविष्कार किये हैं।
- हालांकि, अनुसंधान की एक सदी के बावजूद क्वांटम दुनिया अभी भी रहस्यमय है और रोज़मर्रा की जिंदगी पर आधारित हमारे अनुभवों से दूर है।
- वर्तमान में कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी को केंद्र में बनाए रखने के साथ ही एक दूसरी क्रांति चल रही है।
- क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत आधुनिक कंप्यूटर भौतिकी के विद्युत् प्रवाह के नियमों पर कार्य करता है।
- एक सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को बिट में संग्रहीत करता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में सूचना 'क्वांटम बिट' या 'क्यूबिट' में संग्रहीत होती है।
- सामान्य कंप्यूटर, प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट (0 या 1) में से किसी एक को ही एक बार ऑपरेट कर सकते हैं वहीं क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं।
- 100 क्युबिट से कम की क्षमता रखने वाला क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आँकड़े वाली उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जो किसी आधुनिक कंप्यूटर की क्षमता से बाहर है।
- क्वांटम कंप्यूटर को किसी बड़े वातानुकूलित सर्वर रूम में रखा जाता है जहाँ कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैक में रखा जाता है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग:

- सुरक्षित संचार
- अनुसंधान
- आपदा प्रबंधन
- औषधि
- औद्योगिक क्रांति 4.0 को संवर्द्धित करना

भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ:

- विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में अनुसंधान लगभग दो दशक से चल रहा है, लेकिन भारत में केवल पाँच वर्षों से कुछ ही संस्थानों में गंभीर प्रयोगात्मक कार्य हो रहे हैं।
- भारत इस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधनों, उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति और समयबद्धता की कमी से जूझ रहा है।
- क्वांटम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले क्यूबिट को क्रायोजेनिक तापमान पर ही स्थिर रखा जा सकता है, इसलिये इसका रख-रखाव एक बड़ी चुनौती है।
- क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करने में अत्यधिक विकसित तकनीक तथा भारी निवेश की आवश्यकता होगी।

आगे की राह:

- सरकार को NMQTA के घोषणा के साथ ही हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप द्वारा घोषित कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों पर अत्यधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि, क्वांटम प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियों का तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है जैसे:
    - क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित मुद्दों और इसे जल्दी से पूरा करने हेतु संस्थानों और वैज्ञानिकों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत में प्रवासी प्रजातियों की सूची

चर्चा में क्यों ?

प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (Convention on the Conservation of Migratory Species-CMS) द्वारा वन्यजीवों की सूची में नए बदलाव के साथ ही भारत के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI) ने पहली बार गुजरात में आयोजित सम्मेलन (COP 13) से पहले CMS के तहत भारत की प्रवासी प्रजातियों की सूची तैयार की थी। तब ZSI ने भारत के प्रवासी जीवों की कुल संख्या को 451 बताया गया था। निम्नलिखित छह प्रजातियों को बाद में इस सूची में जोड़ा गया था:
  1. एशियाई हाथी (Elephas maximus)
  2. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps)
  3. बंगाल फ्लोरिकन (Bengal florican)
  4. ओशनिक व्हाइट-टिप शार्क (Carcharhinus longimanus)
  5. यूरियाल (Ovis orientalis vignei)
  6. स्मूथ हैमरहेड शार्क (Sphyrna zygaena)

गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 'प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के कॉप-13 सम्मेलन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के परिशिष्ट-I में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। उक्त तीन प्रजातियों के अलावा सात अन्य प्रजातियों- जगुआर, यूरियाल, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस, ओशनिक व्हाइट-टिप शार्क, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क को भी CMS परिशिष्टों में सूचीबद्ध करने लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

- विश्व स्तर पर 650 से अधिक प्रजातियों को CMS के परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है और 450 से अधिक प्रजातियों के साथ भारत, उनके संरक्षण में अति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पक्षी वर्ग से संबंधित आँकड़े:

- प्रवासी जीवों के इन नवीनतम आँकड़ों में पक्षियों की हिस्सेदारी 83% है। ध्यातव्य है कि COP-13 से पहले, प्रवासी पक्षी प्रजातियों की संख्या 378 थी और अब यह 380 तक पहुँच गई है।
- पक्षी वर्ग में मूसिकैपिडे (Muscicapidae) से संबंधित प्रवासी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या वाला दूसरा समूह राप्टर्स या एक्सीपीट्रिडे (Accipitridae) वर्ग के उल्लू, गिद्ध और चील जैसे शिकारी पक्षियों का है।
- बड़ी संख्या में प्रवास करने वाले पक्षियों का एक अन्य समूह वेडर (wader) या जलपक्षियों का है। भारत में इन प्रवासी पक्षी प्रजातियों की संख्या 41 है, इसके बाद ऐनाटीडे वर्ग से संबंधित बत्तखों का स्थान आता है जिनकी संख्या 38 हैं।

भारत में फ्लाईवे:

ZSI के अनुसार, देश में तीन फ्लाईवे (पक्षियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले उड़ान मार्ग) हैं:

1. मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway)
2. पूर्वी एशियाई फ्लाईवे (East Asian Flyway)
3. पूर्वी एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे (East Asian–Australasian Flyway)

जंतु वर्ग से संबंधित आँकड़े:

- ZSI के वन्यजीव अनुभाग के अनुसार, COP-13 के बाद भारत में प्रवासी स्तनपायी प्रजातियों की संख्या 44 से बढ़कर 46 हो गई है। एशियाई हाथी को परिशिष्ट-I और यूरियाल को परिशिष्ट-II में शामिल किया गया है।
- स्तनधारियों का सबसे बड़ा समूह वेस्पेरिलिओनिडे (Vespertilionidae) से संबंधित चमगादड़ों का है। डॉल्फिन स्तनधारियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, इनमें डॉल्फिन की नौ प्रजातियाँ सूचीबद्ध की गई हैं।

मछलियों से संबंधित आँकड़े:

- मछलियाँ प्रवासी प्रजातियों के एक और महत्त्वपूर्ण समूह का निर्माण करती हैं। COP-13 से पहले ZSI ने 22 प्रजातियों को संकलित किया था, जिसमें 12 शार्क और 10 रे मछली (Ray Fish) शामिल थीं।
- अब ओशनिक व्हाइट-टिप शार्क और स्मूथ हैमरहेड शार्क को शामिल किये जाने के बाद भारत में प्रवासी मछली प्रजातियों की कुल संख्या 24 हो गई है।

सरीसृप वर्ग से संबंधित आँकड़े:

- भारत में पाई जाने वाली सरीसृप प्रजातियों में से कछुओं की पाँच प्रजातियाँ और भारतीय घड़ियाल तथा खारे पानी के मगरमच्छ CMS के अंतर्गत वन्यजीव सूची में शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि ये प्रजातियाँ पहले से ही CMS की सूची में शामिल हैं तथा सरीसृप सूची में किसी नई प्रजाति को शामिल नहीं किया गया है।

ब्लैक कार्बन

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिक पत्रिका 'ऐटमोस्फियरिक एनवायरनमेंट' (Atmospheric Environment) में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, कृषि अपशिष्ट दहन और वनाग्नि से उत्पन्न 'ब्लैक कार्बन' (Black carbon) के कारण 'गंगोत्री हिमनद' के पिघलने की दर में वृद्धि हो सकती है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (Wadia Institute of Himalayan Geology- WIHG) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। WIHG संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology- DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह अध्ययन वर्ष 2016 में गंगोत्री हिमनद के पास चिरबासा स्टेशन पर किया गया था।

हिमनद:

- पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हिमनद पाए जाते हैं।

गंगोत्री हिमनद:

- भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है, जबकि अलकनंदा का उद्गम अलकनंदा हिमनद से है, देवप्रयाग के निकट दोनों के मिलने के बाद इन्हें गंगा के रूप में जाना जाता है।

शोध के मुख्य निष्कर्ष:

- ग्रीष्मकाल में गंगोत्री हिमनद क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की सांद्रता में 400 गुना तक वृद्धि हो जाती है। 'समतुल्य ब्लैक कार्बन' (Equivalent Black Carbon- EBC) की मासिक औसत सांद्रता अगस्त माह में न्यूनतम और मई माह में अधिकतम पाई गई।

- EBC की मौसमी माध्य सांद्रता में मैसमी बदलाव आता है, जिससे यहाँ प्राचीन हिमनद स्रोत (Pristine Glacial Source) की उपस्थिति तथा क्षेत्र में EBC स्रोतों की अनुपस्थिति का पता चलता है।
- शोध के अनुसार, ब्लैक कार्बन की मौसमी चक्रीय परिवर्तनीयता के उत्तरदायी कारकों में कृषि अपशिष्ट दहन (देश के पश्चिमी भाग में) तथा ग्रीष्मकालीन वनाग्नि (हिमालय के कगारों पर) प्रमुख थे।

ब्लैक कार्बन (Black Carbon):

- ब्लैक कार्बन जीवाश्म एवं अन्य जैव ईंधनों के अपूर्ण दहन, ऑटोमोबाइल तथा कोयला आधारित ऊर्जा सयंत्रों से निकलने वाला एक पार्टिकुलेट मैटर है।
- यह एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो उत्सर्जन के बाद कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक वायुमंडल में बना रहता है।

समतुल्य ब्लैक कार्बन (EBC):

- ब्लैक कार्बन अपने उत्पति स्रोत के आधार पर अलग-अलग प्रकार के होते हैं तथा वे प्रकाश के विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का अवशोषण या परावर्तन करते हैं। इसका मापन ऐथेलोमीटर (Aethalometers) उपकरण द्वारा किया जाता है।
- ब्लैक कार्बन के इन मौलिक कणों को द्रव्यमान (Mass) इकाई में बदलने के लिये, इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है तथा परिणाम को समतुल्य ब्लैक कार्बन (EBC) नाम दिया जाता है। यथा- यातायात के ब्लैक कार्बन द्रव्यमान को EBC-TR लिखा जाएगा।

ब्लैक कार्बन के स्रोत:

ब्लैक कार्बन के प्रभाव:

- वायुमंडल में इसके अल्प स्थायित्व के बावजूद यह जलवायु, हिमनदों, कृषि, मानव स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डालता है।
- वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा समतापमंडल (stratosphere) में 18 किमी. की ऊँचाई तक इन कणों के उपस्थित होने के साक्ष्य मौजूद हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि ये ब्लैक कार्बन कण लंबे समय तक वातावरण में उपस्थित रहते हैं तथा 'ओज़ोन परत को नुकसान' पहुँचाने वाली अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिये एक बेहतर स्थिति प्रदान करते हैं।
- ब्लैक कार्बन जैसे वायु प्रदूषक में गर्भवती माँ के फेफड़ों के माध्यम से प्लेसेंटा में स्थापित होने की क्षमता होती है जिसके 'शिशु पर गंभीर स्वास्थ्य परिणाम' प्रदर्शित होते हैं।

हिमनद व परमाफ्रास्ट (Permafrost) पर प्रभाव:

- वर्ष 2005 में प्रकाशित लारेंस रिपोर्ट के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र में समस्त मृदा का लगभग 30% ब्लैक कार्बन भंडार है। वैश्विक तापन के कारण हिमनद तथा परमाफ्रास्ट लगातार पिघल रहा है तथा इसमें दबा हुआ ब्लैक कार्बन और मीथेन बाहर आ रही है जिससे जलवायु तापन में और तेज़ी आएगी।
- ब्लैक कार्बन के कारण 'हिमालयी ग्लेशियरों' पिघलने की गति भी बढ़ गई है।

आगे की राह:

- वनाग्नि को जलवायु परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण आयाम मानते हुए इससे निपटने के लिये हमें वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण की आवश्यकता है, जो 'वनाग्नि और उससे संबंधित पहलुओं' को संबोधित करती हो।
- कृषि अपशिष्टों यथा- 'पराली' आदि का व्यावसायीकरण किया जाना चाहिये ताकि इनके दहन में कमी आ सके।

डॉल्फिन जनगणना

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2020 को ओडिशा राज्य के वन विभाग द्वारा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तथा उसमें स्थित गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में एक दिवसीय डॉल्फिन जनगणना का आयोजन किया गया जिसमें पिछली जनगणना के मुकाबले इस वर्ष डॉल्फिन की संख्या में कमी देखने को मिली।

मुख्य बिंदु:

- 24 फरवरी, 2020 को प्रकाशित डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में डॉल्फिन की कुल संख्या वर्ष 2020 में 233 दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2019 यह संख्या 259 तथा वर्ष 2015 में 270 थी।
- वर्ष 2020 में हुई डॉल्फिन जनगणना में केवल 62 डॉल्फिन्स को ही गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में देखा गया।
- वर्ष 2019 में गहिरमाथा में संपन्न डॉल्फिन जनगणना में जहाँ इनकी संख्या 126 आँकी गई थी, वहीं वर्ष 2015 की जनगणना में यह संख्या 307 थी।
- गहिरमाथा में हुई डॉल्फिन जनगणना में 60 इरावदी डॉल्फिन (Irrawaddy Dolphins) तथा 2 बोटल नोज़ डॉल्फिन (Bottle-nose Dolphins) ही गहिरमाथा में देखी गई हैं। जबकि वर्ष 2019 में हुई डॉल्फिन जनगणना में 14 इरावदी डॉल्फिन, 14 बोटल नोज़ डॉल्फिन तथा 98 हंपबैक डॉल्फिन (Humpback Dolphins) देखी गई।
- गहिरमाथा में प्रथम डॉल्फिन जनगणना वर्ष 2015 में संपन्न हुई जिसमें 58 इरावदी डॉल्फिन, 23 बोटल नोज़ डॉल्फिन्स,123 सूसा चिनेंसिस डॉल्फिन (Sousa Chinensis Dolphins), 50 सोसा प्लम्बेरा डॉल्फिन (Sousa plumbera dolphins),15 पेनट्रोपिक स्पॉटेड डॉल्फिन (Pantropical Spotted Dolphins), 1 फिनलेस प्रपोईस डॉल्फिन (Finless Porpoise Dolphin) यानी वर्ष 2015 में डॉल्फिन की कुल संख्या 270 पाई गई थी।
- हालाँकि प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल डॉल्फिन की संख्या में गिरावट के बावजूद चिल्का झील में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि देखी गई है जो वर्ष 2019 के 130 की तुलना में वर्ष 2020 में बढ़कर 146 हो गई हैं।
- वर्ष 2020 की गहिरमाथा डॉल्फिन जनगणना इस क्रम की चौथी डॉल्फिन जनगणना है।
- सर्वप्रथम गहिरमाथा में डॉल्फिन जनगणना वर्ष 2015 में संपन्न कराई गई उसके बाद वर्ष 2018 और वर्ष 2019 की जनगणना संपन्न की गई।

डॉल्फिन की संख्या में गिरावट के कारण:

- जलवायु परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम, अवैध शिकार आदि कुछ मुख्य कारण हैं जिनके चलते राज्य में डॉल्फिन की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
- इसके अलावा शिकार के दौरान जाल में फँसकर या फिर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से टकराकर भी इनकी मृत्यु हो जाती है जिसके चलते इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई है।
- जलवायु परिवर्तन एवं अत्यधिक वर्षा के कारण जल की लवणता कम होने की वजह से इस वर्ष कई इरावदी डॉल्फिन ने गहिरमाथा से चिल्का झील की तरफ तथा हंपबैक डॉल्फिन ने समुद्र की तरफ प्रवास किया है जिस कारण गहिरमाथा में इस वर्ष जनगणना के दौरान एक भी हमबैक डॉल्फिन को नहीं देखा गया।
- गहिरमाथा में डॉल्फिन की संख्या में हुई कमी स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक नहीं है, यह गहिरमाथा में हुए पारिस्थितिकी बदलाव की तरफ इशारा करता है।

गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य:

- गहिरमाथा ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है।
- यह ओडिशा का एकमात्र समुद्री अभयारण्य है।
- गहिरमाथा का समुद्री तट ओलिव रिडले कछुओं (Olive Ridleys Turtuls) का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है।

चिल्का झील :

- यह ओडिशा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है जो पुरी (Puri), खुर्दा (Khurda), गंजम (Ganjam) ज़िलों में विस्तारित है।
- यह एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की लैगून झील है।
- वर्ष 1971 में इसे रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि स्थल के रूप में शामिल किया गया है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिये सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है।

- चिल्का झील के दक्षिण में स्थित सतपद (Satapada) इरावदी डॉल्फिन के लिये प्रसिद्ध है।
- विश्व में इरावदी डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी चिल्का झील में ही देखी जाती है।

डॉल्फिन:

- डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनयम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है।
- यह लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species) के अनुबंध 1 तथा प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (Convention on Migratory Species) के अनुबंध II में शामिल है।
- प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में डॉल्फिन को संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में शामिल किया गया है।

दिल्ली में जल गुणवत्ता

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, दिल्ली के नौ ज़िलों का भू-जल प्रदूषित है।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं, में कम-से-कम 30 ज़िलों का भू-जल प्रदूषित है। इन ज़िलों के भू-जल में आर्सेनिक, आयरन, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, नाइट्रेट जैसी धातुएँ पाई गईं हैं।
- केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Ground Water Board) के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019 में राजधानी के अधिकांश ज़िले आंशिक रूप से भू-जल प्रदूषण से प्रभावित थे।
- भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) द्वारा घोषित भू-जल मानक की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता कम पाई गई।

प्रदूषण की स्थिति:

- नार्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के भू-जल में आर्सेनिक का स्तर निर्धारित सीमा से ऊपर पाया गया है।
- उत्तर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम ज़िलों में स्थित नजफगढ़ ड्रेन में लेड पाया गया, जबकि दक्षिण-पश्चिम ज़िलों में कैडमियम पाया गया। उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और नई दिल्ली ज़िलों में क्रोमियम पाया गया।
- विद्युत चालकता का स्तर निर्धारित सीमा 3000 micro mhos/cm से ऊपर है।
- फ्लोराइड तथा नाइट्रेट क्रमशः निर्धारित सीमा 1.5mg/litre तथा 45mg/litre से ऊपर है।
- आर्सेनिक निर्धारित सीमा 0.01mg/litre से ऊपर है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी ज़िलों के आँकड़ों में से 30 ज़िलों में नाइट्रेट तथा 25 ज़िलों में फ्लोराइड का स्तर निर्धारित मानकों से काफी ऊपर पाया गया।

भू-जल संरक्षण:

- भू-जल प्रदूषण:
  - भू-जल प्रदूषण वर्तमान दौर की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। भू-जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों का पता लगाना आसान कार्य नहीं है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के जल में घुलने से भी प्रदूषण संबंधी समस्या उत्पन्न होती है जिसे बढ़ाने में मनुष्य की मुख्य भूमिका होती है। भू-जल प्रदूषण मुख्यतः विषैले कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के जल स्रोतों में मिलने से होता है।
- प्रभाव:
  - सेप्टिक टैंकों (Septic Tank) का निर्माण सही ढंग से न किये जाने के कारण भू-जल का स्रोत दूषित हो जाता है। दूषित भू-जल के कारण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

- भू-जल के बहुत अधिक दूषित होने के कारण जलीय जंतु जैसे-मछलियाँ जल्दी मर जाती हैं।
- भू-जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण-चक्र में परिवर्तन हो सकता है।
- इसके कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

- महत्त्वपूर्ण कारक:
  - औद्योगिक कचरा तथा कार्बनिक विषाक्त पदार्थों सहित अन्य उत्पादों का जलस्रोतों में डाला जाना।
  - रिफाइनरियों एवं बंदरगाहों से पेट्रोलियम पदार्थ एवं तेलयुक्त तरल द्रव्य का रिसाव।
  - व्यावसायिक पशुपालन उद्यमों, पशुशालाओं एवं बूचड़खानों से उत्पन्न कचरे का अनुचित निपटान।
  - कृषि क्रियाओं से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट, उर्वरकों और कीटनाशकों से भी भू-जल प्रदूषित होता है।
- केंद्र सरकार की योजनाएँ:
  - अटल भू-जल योजना:
    - इस योजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए है तथा यह योजना पाँच वर्षों की अवधि (2020-21 से 2024-25) के लिये लागू की जाएगी।
    - इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है।
    - इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 ज़िलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
  - राष्ट्रीय जल नीति:
    - सर्वप्रथम 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी, तत्पश्चात् क्रमश: वर्ष 2002 और 2012 में इसे संशोधित किया गया। राष्ट्रीय जल नीति में जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसे जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड:

- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय), भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- इस अग्रणी राष्ट्रीय अभिकरण को देश के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन, अन्वेषण, मॉनीटरिंग, आकलन, संवर्द्धन एवं विनियमन का दायित्व सौंपा गया है ।
- वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत समन्वेषी नलकूप संगठन को पुन:नामित कर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना की गई थी। वर्ष 1972 के दौरान इसका विलय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के भूजल खंड के साथ कर दिया गया था।
- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड एक बहु संकाय वैज्ञानिक संगठन है जिसमें भूजल वैज्ञानिक, भूभौतिकीविद्, रसायनशास्त्री, जल वैज्ञानिक, जल मौसम वैज्ञानिक तथा अभियंता कार्यरत हैं।

आगे की राह:

जल पृथ्वी का सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है, भू-जल प्रदूषण को कम करने एवं भू-जल स्तर को बढ़ाने संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिशीघ्र लिये जाने चाहिये। जलभराव, लवणता, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये, साथ ही सीवेज के जल के पुनर्चक्रण के लिये अवसंरचना का विकास करने की आवश्यकता है जिससे ऐसे जल का पुन: उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

रेड-स्नो: कारण और चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंटार्कटिका में यूक्रेन के वर्नाडस्की रिसर्च बेस (Vernadsky Research Base) के आसपास 'रेड-स्नो' (Red Snow) की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसने 'रेड-स्नो' को लेकर जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओ को पुन: वैज्ञानिक अध्ययन के केंद्र में ला दिया है।

रेड-स्नो की परिघटना:

- रेड-स्नो जिसे लाल तरबूज़ (Watermelon) के रूप में भी जाना जाता है, इसे प्राचीन काल की परिघटना माना जाता है जिसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को बढ़ाया है।
- ऐसा माना जाता है कि रेड-स्नो की परिघटना का लिखित विवरण सर्वप्रथम अरस्तू द्वारा लगभग 2,000 वर्ष पूर्व दिया गया था।
- 'जानवरों के इतिहास' के बारे में अरस्तू ने लिखा है: "जीवित जानवर उन पदार्थों में भी पाए जाते हैं जिनकी सामान्यत: पुष्टि नहीं की जा सकती है। यथा- कृमियों के लंबे समय तक हिम में दबे रहने के कारण हिम का आवरण लाल हो जाता है, साथ ही इस आवरण में जन्मे कृमि-बीज (Grub) भी लाल रंग के होते हैं।"
- अरस्तू ने जिसका वर्णन कृमि और कृमि-बीज के रूप में किया है उसे आज वैज्ञानिक समुदाय के बीच शैवाल के रूप में जाना जाता है। यह शैवाल की एक प्रजाति (Chlamydomonas Chlamydomonas Nivalis) है जो ध्रुवीय और हिमनद क्षेत्रों में मौजूद है, जो खुद को गर्म रखने के लिये एक लाल वर्णक (Red Pigment) को धारण करती है।

रेड-स्नो का प्रभाव:

- रेड-स्नो के कारण आसपास की हिम तेज़ी से पिघलती है। शैवाल जितने अधिक पास-पास होते हैं, हिम का रंग उतना ही लाल एवं गहरा होता है तथा हिम उतनी ही अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर पिघलती है।
- यद्यपि हिम का पिघलना उन जीवाणुओं के लिये अच्छा है जिन्हें जीवित रहने के लिये पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे हिमनदों के पिघलने की दर बढ़ जाती है।
- ये शैवाल हिम के एल्बेडो (Albedo- यह उस प्रकाश की मात्रा को बताता है जिसका हिमावरण से परावर्तन होता है) को बदल देते हैं, जिससे हिमावरण पिघलने लगता है।
- जर्नल नेचर पत्रिका के एक अध्ययन के अनुसार, आर्कटिक में बर्फ के पिघलने के प्रमुख कारकों में से एक हिम एल्बेडो है।

हिमनद के पिघलने के अन्य कारण:

- औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाईऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से ध्रुवों पर भी तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है।
- पर्यटक के कारण भी इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी प्रभावित हुई है। मनुष्यों के साथ वाहनों की आवाजाही से हिम के पिघलने की रफ्तार में तेज़ी आई है।
- एल्बेडो में परिवर्तन से हिमावरण में दबी हुई मीथेन गैस बाहर निकलती है। मीथेन गैस भी वातावरण को गर्म करने में योगदान देती है तथा ग्लोबल वार्मिंग में इज़ाफा करती है।

हिमनद पिघलने का प्रभाव:

- बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप नदियों, झीलों और समुद्रों आदि के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है।
- हिमनदों के पिघलने से जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है तथा जल का बढ़ता तापमान और जलीय जंतुओं एवं जलीय पादपों को प्रभावित करता है।
- इसका प्रभाव प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) पर भी पड़ता है, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिये सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब जलस्तर में वृद्धि होती है तो सूर्य का प्रकाश उन तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता।

संरक्षण के उपाय:

- हिमनदों के आसपास के क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियाँ सीमित करनी होंगी, ताकि इनके पिघलने की गति को कम किया जा सके।
- 'साझा संपत्ति संसाधन' (Common Property Resources- CPRs) के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्माण करना चाहिये।

नोट :

उर्वरकों द्वारा प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

फॉस्फेटिक उर्वरकों (Phosphatic Fertilizers) के अत्यधिक प्रयोग से पंजाब के मालवा प्रांत में कैंसर से लोगों की मृत्यु का मामला सामने आया है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2013 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre-BARC) ने मालवा क्षेत्र से उर्वरक और मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया था तथा भारी मात्रा में यूरेनियम की सांद्रता पाई गई।
- आलू एवं धान के लिये फॉस्फेटिक उर्वरकों की राष्ट्रीय औसत खपत क्रमश: 15-20 किलोग्राम प्रति एकड़ और 10 किलोग्राम प्रति एकड़ है वही पंजाब में आलू एवं धान के लिये इनकी खपत क्रमश: 200 किलोग्राम प्रति एकड़ और 75-100 किलोग्राम प्रति एकड़ है।

फॉस्फेटिक उर्वरक:

- फॉस्फेटिक उर्वरकों को फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड (Phosphorus Pentoxide) (P2O5) के प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तथा ये फॉस्फोरस के मुख्य स्रोत हैं।
- फॉस्फोरस की गतिशीलता बहुत धीमी होती है।
- उर्वरकों में भी विशेषत: फॉस्फेटिक उर्वरक (DAP or Diammonium Phosphate) में यूरेनियम की मात्रा अधिक पाई गई।
- BARC की रिपोर्ट के अनुसार, DAP में यूरेनियम की सांद्रता 91.77 प्रति मिलियन (ppm) के आसपास थी जो निर्धारित मानक से काफी ऊपर है।
- कुल उर्वरक खपत 27 मिलियन टन है जिसमें से लगभग 20-25 प्रतिशत फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आधारित पोषक तत्व अमेरिका, जॉर्डन, ईरान, ओमान, चीन, मोरक्को, इज़राइल, लिथौनिया और मिस्र के आयात पर निर्भर हैं।

यूरेनियम संबंधित मुद्दे:

- 'द यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडिएशन' (The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation-UNSCEAR) के अनुसार, मिट्टी में सामान्य सांद्रता 300 mg/kg से 11.7mg/kg के बीच होनी चाहिये।
- कुछ प्रकार की मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम की उच्च सान्द्रता मौजूद है, खासकर ग्रेनाइट में। यूरेनियम के सभी तीन समस्थानिकों (U-234, U-235, U-238) का अर्द्ध-जीवन काल 0.25 मिलियन वर्ष से 4.47 बिलियन वर्ष के बीच है जो उनकी सापेक्ष स्थिरता को भी दर्शाता है।
- भारत में उर्वरक उद्योगों में यूरेनियम से संबंधित आयातित फॉस्फेटिक रॉक के परिशोधन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इज़राइल में उर्वरक उद्योग से संबंधित कच्चा माल को उपयोग से पहले पूरी तरह परिशोधित करते हैं। अत: इससे स्पष्ट है कि प्रक्रिया के महंगी होने के कारण उर्वरक उधोगों में इसका पालन नही किया जाता है।
- वर्ष 2000 की शुरुआत से ही पंजाब के भू-जल में यूरेनियम का सम्मिश्रण एवं उपजाऊ मालवा क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्टों के साथ पाए जाने वाले यूरेनियम का उच्च स्तर एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, क्योंकि यह भू-जल को प्रदूषित करता है।

द यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडिएशन (UNSCEAR):

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1955 में UNSCEAR की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में इसका मुख्य कार्य आयनीकरण विकिरण के संपर्क के स्तर और प्रभावों का आकलन करके रिपोर्ट तैयार करना है। दुनिया भर की सरकारें और संगठन विकिरण जोखिम का मूल्यांकन तथा सुरक्षात्मक उपायों हेतु वैज्ञानिक आधार के रूप में इस समिति के अनुमानों पर भरोसा करते हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र:

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है एवं इसकी स्थापना 19 दिसंबर,1945 को की गई थी।

नोट :

- यह एक बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान केंद्र है जिसमें उन्नत अनुसंधान और विकास के लिये व्यापक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करना है।
- 15 अप्रैल, 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया तथा 10 अगस्त, 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई।

आगे की राह:

- भारत में उत्पादित उर्वरकों में यूरेनियम की मात्रा के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिशा-निर्देश या स्वीकार्य मानक स्थापित करने चाहिये एवं भू-जल में यूरेनियम की स्वीकार्य सीमा को निर्धारित करना चाहिये।

ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण

चर्चा में क्यों ?

राज्यसभा में दिये गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में पुनर्नवीनीकृत इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) की मात्रा दोगुने से भी अधिक हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 244 उत्पादकों के बिक्री आँकड़ों के आधार पर बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ई-कचरे (E-Waste) की अनुमानित मात्रा 7,08,445 टन थी जिसमें से 69,414 टन का पुनर्नवीनीकरण किया गया था।
- जबकि वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 1,168 कंपनियों के बिक्री आँकड़ों के आधार पर लगभग 7,71,215 टन ई-कचरे का उत्पादन हुआ, जिसमें से 1,64,663 टन ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण किया गया।
- इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में ई-कचरे की पुनर्नवीनीकरण दर 10 प्रतिशत थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसकी पुनर्नवीनीकरण दर 20 प्रतिशत थी।

क्या है ई-कचरा ?

- देश में जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ेशन बढ़ा है, उसी अनुपात में ई-कचरा भी बढ़ा है। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों में तकनीक तथा मनुष्य की जीवन शैली में आने वाले बदलाव शामिल हैं।
- कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण तथा टी.वी., वाशिंग मशीन व फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उनसे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन/उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई-कचरे की संज्ञा दी जाती है।
- ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL जैसी वस्तुएँ जिन्हें हम दैनिक रूप से प्रयोग में लाते हैं, में भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके निष्क्रिय हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- इस कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियाँ तो जुड़ी हैं ही, इसके साथ ही चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है और घरों में इसके निस्तारण का काम बड़े पैमाने पर होने लगा है।

भारत में ई-कचरा

- सरकार द्वारा उपलब्ध किये गए आँकड़ों के अनुसार भारत में उत्पादित ई-कचरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान से काफी कम है।
- ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, 2017 के अनुसार, भारत प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन ई-कचरे का उत्पन्न करता है तथा अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ई-कचरा उत्पादक देशों में यह 5वें स्थान पर है।
- भारत के अधिकांश ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण देश के अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में ई-कचरे के पुनर्नवीनीकरण की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है।

आगे की राह

- भारत में ई-कचरे के संबंध में कई नियम कानून लागू किये गए हैं, जिनका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है। किंतु ई-कचरे के पुनर्नवीनीकरण को लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।
- आवश्यक है कि इस संबंध में निर्मित विभिन्न कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए, ताकि ई-कचरे के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों को समाप्त किया जा सके।

जंगली मांस क्षेत्रों का विनियमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इटली के रोम में 'जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (United Nations Convention on Biological Diversity- CBD) की 'पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क' बैठक में जंगली मांस क्षेत्र को विनियमित करने संबंधी सर्वे के परिणाम जारी किये गए।

मुख्य बिंदु:

- यह ओपन सर्वे (The Open Survey) 31 जुलाई, 2019 से 20 सितंबर, 2019 के बीच आयोजित किया गया। यह वर्ष 2018 में आयोजित CBD, COP-14 बैठक में 'सतत् वन्यजीव प्रबंधन' पर अपनाई गई संधि के बाद किया गया पहला सर्वेक्षण था।
- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जंगली मांस के व्यापार का पता लगाकर इसके व्यापार का विनियमन करना है।

विनिमयन की आवश्यकता:

- नगरीय क्षेत्रों में जंगली मांस की बढ़ती खपत ने इस क्षेत्र को विनियमित करने की आवश्यकता को बढ़ाया है। अफ्रीकी देशों के शहरी क्षेत्रों में जंगली मांस की खपत लगातार बढ़ रही है।
- कांगो बेसिन में लगभग 65 प्रतिशत जानवरों का शिकार जंगली मांस के लिये, शहरी निवासियों की मांग को पूरा करने के लिये किया जाता है।
- यह परिणाम उस मान्यता का खंडन करता है जब अनेक देशों का कहना है कि उन्होंने जंगली मांस की मांग को कम करने के लिये अनेक कदम उठाए हैं।
- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के मुताबिक, 'कोरोनावायरस' का प्राथमिक स्रोत चमगादड़ हो सकता है तथा यह वायरस इंसानों को प्रभावित करने से पूर्व अन्य जानवर में प्रवेश करता हैं। चीन दुनिया में जंगली जानवरों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है जहाँ वैध और अवैध ढंग से इसका व्यापार होता है, अत: चीन में कोरोनावायरस फैलने का कारण वहाँ का वेट (Wet) मांस बाज़ार हो सकता है।

कांगो बेसिन:

- कांगो बेसिन पृथ्वी पर बचे हुए सबसे महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रों में से एक है जो 500 मिलियन एकड़ से अधिक वन क्षेत्र में फैला है और दुनिया का दूसरा बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है।
- नदियों, जंगलों, सवाना जलवायु, दलदलों से युक्त मोज़ेक (Mosaic) कांगो बेसिन में पाया जाता है।
- यहाँ गोरिल्ला, हाथी और भैंस आदि जानवर पाए जाते हैं।
- कांगो बेसिन छह देशों कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन में फैला है।

स्थानीय समुदाय की अवहेलना:

- स्थानीय समुदाय जो सतत् वन्यजीव प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, की इस सर्वेक्षण में अवहेलना की गई है। अत: इस सर्वेक्षण ने इस प्रकार आयोजित किये जाने वाले सर्वेक्षणों तथा उनमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों पर कई सवाल खड़े किये हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल कुछ लोगों में से $\frac{3}{5}$ लोग संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों से संबंधित थे, जबकि $\frac{2}{5}$ लोग CBD के पक्षकार थे।

स्थानीय समुदाय की भूमिका:

- जंगली मांस, वन में निवास करने वाले स्थानीय समुदायों के लिये प्रोटीन और आजीविका का एक अनिवार्य स्रोत है।
- हाल में जंगली मांस के वाणिज्यिक व्यापार में वृद्धि होना वन्यजीवों की संख्या में गिरावट के कारणों में से एक है। संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि स्थानीय समुदाय 'सतत् वन्यजीव प्रबंधन' में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सर्वे के अन्य निष्कर्ष:

- सीबीडी द्वारा अपनाए गए मार्गदर्शन निर्देशों पर संबंधित पक्षों को उम्मीद है कि इससे प्रबंधित जंगली मांस की मांग में कमी आएगी तथा इसे विधिक एवं विनियमित स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा।
- सर्वेक्षण के अनुसार, CBD के सभी पक्षकार देशों में स्थानीय समुदायों को वन्यजीवों के उपभोग करने तथा संबंधित आजीविका को मान्यता देने वाले पर्याप्त कानून हैं।

आगे की राह:

- विकास की अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा है। ज्ञातव्य है कि मानव जाति के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन ही सही मायने में विकास है और मानव जाति, पर्यावरण के जैवमंडल का अटूट हिस्सा है अर्थात् दोनों सह-संबंधित हैं।
- अत: आवश्यकता है कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से विकास और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में तालमेल बिठाया जाए तथा पर्यावरण एवं वन्यजीवों के संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को किसी भी राजनैतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए।

पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क:

- आगामी दशकों में जैव विविधता में सकारात्मक सुधार के लिये नीति-निर्धारण में 'पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क' के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।
- घोषणापत्र में 'पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क' के अंतर्गत पर्यावरण संवर्द्धन के क्षेत्र में बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों, क्षेत्रीय और सीमा पार सहयोग प्रणाली आदि के माध्यम से वैश्विक सहयोग बढ़ाने तथा सामुदायिक स्तर पर योजनाओं का अनुभव साझा करने जैसे प्रयास शामिल करने की सलाह दी गई है।
- इसके साथ ही 'पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क' के तहत योजना की सफलता (लक्ष्यों पर प्रगति की स्थिति, जैव विविधताओं को जोड़ने पर कार्य प्रगति) के मूल्यांकन के लिये प्रवासी प्रजातियों की स्थिति के विभिन्न सूचकांकों जैसे-वाइल्ड बर्ड इंडेक्स, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स आदि को शामिल करने की बात कही गई है।

भारत में लाल पांडा के शिकार के मामलों में कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन्यजीवों के व्यापार की निगरानी करने वाली 'ट्रैफिक (TRAFFIC)' नामक एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में हिमालय क्षेत्र में लुप्तप्राय लाल पांडा (Red Panda) के शिकार के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।

मुख्य बिंदु:

- यह रिपोर्ट जुलाई 2010 से जून 2019 के बीच हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा के शिकार और इनके गैर-कानूनी व्यापार के मामलों के अध्ययन पर आधारित है।
- रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र की युवा पीढ़ी में वन्यजीवों के अंगों से बने उत्पादों के प्रयोग के प्रति रुचि में कमी लुप्तप्राय लाल पांडा के शिकार के मामलों में गिरावट का एक मुख्य कारण है। हालाँकि अन्य जीवों जैसे-कस्तूरी हिरण (Musk Deer), जंगली सूअर आदि द्वारा लाल पांडा का शिकार किया जाना अभी भी इस जीव के अस्तित्व के लिये एक खतरा बना हुआ है।
- रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2010 से जून 2019 के बीच भारत और भूटान की सरकारों द्वारा लाल पांडा के शिकार और इनके गैर-कानूनी व्यापार का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

लाल पांडा (Red Panda):

- लाल पांडा ऐलुरुस (Ailurus) वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है।
- यह स्तनपायी जीव हिमालय क्षेत्र में नेपाल, भारत, भूटान, दक्षिणी चीन और म्याँमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है।
- लाल पांडा को IUCN की रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है।
- साथ ही इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की अनुसूची-I के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
- 'ट्रैफिक (TRAFFIC)' की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व में लगभग 14,500 लाल पांडा ही शेष बचे हैं। इनमें से लगभग 5000-6000 लाल पांडा भारत के चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हैं।
- साथ ही अन्य देशों में लाल पांडा की अनुमानित आबादी चीन में 6000-7000 और नेपाल में 580 है।
- हालाँकि विशेषज्ञों के अनुसार, इस अध्ययन की अवधि के दौरान भूटान के दोरजी नेशनल पार्क (Dorjee National Park) में लाल पांडा के दुर्घटना-वश जाल में फँसने का एक मामला और भारत में लाल पांडा के अवैध शिकार के 6 मामले ही पाए गए।
- विशेषज्ञों के अनुसार, नेपाल में लगभग 25 मौको/अवसरों पर लगभग 55 लाल पांडा के अवैध शिकार के अतिरिक्त 6 अन्य मौको पर 15 लाल पांडा के अवैध शिकार के मामलों का दावा किया गया है।
- इस अध्ययन के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ज़ब्त किये गए जीवों के मामलों के अतिरिक्त बाज़ारों, ई-व्यापार वेबसाइट्स सर्वेक्षण और ग्रामीण स्तर पर हज़ारों लोगों से बातचीत के आधार पर प्राप्त आँकड़ों को शामिल किया गया।
- इस अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश के 38 ग्रामीण बाज़ारों को शामिल किया गया है। जिनमें तवांग (Tawang) के 6 बाज़ारों और अन्य 19 ज़िलों के कम-से-कम एक बाज़ार को शामिल किया गया।

लाल पांडा के शिकार के मामलों में कमी के मुख्य कारण:

- रिपोर्ट के अनुसार, लाल पांडा के शिकार के मामलों में कमी इस बात की ओर संकेत करती है कि समय के साथ इन जीवों के अंगों से बने उत्पादों की मांग में कमी आई है।
- इन जीवों के शिकार के मामलों में कमी इस क्षेत्र में लुप्तप्राय जीवों के प्राकृतिक महत्त्व के संदर्भ में चलाए गए जन-जागरूकता अभियानों की सफलता को भी दर्शाता है।

लाल पांडा के संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव:

रिपोर्ट के अनुसार, लाल पांडा की घटती संख्या और क्षेत्र के पारिस्थितिक-तंत्र में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लाल पांडा के संरक्षण के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिये-

- लाल पांडा के संरक्षण के लिये जन-जागरूकता अभियानों में वृद्धि की जानी चाहिये।
- क्योंकि ऐसे जीवों के वास स्थान (Habitat) सुदूर/दूरस्थ क्षेत्रों तक फैले होते हैं, अत: लाल पांडा और उनके वास स्थान के संरक्षण के लिये समुदाय आधारित संरक्षण अभियानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- साथ ही लाल पांडा के संरक्षण और इनके अवैध व्यापार को रोकने के लिये दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क सम्मेलन (South Asia Wildlife Enforcement Network-SAWEN) जैसे बहु-सरकारी मंचों के माध्यम से सीमा पार सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

विषाक्त पदार्थों से संदूषित स्थल

चर्चा में क्यों?

'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा जारी हाल ही के आँकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 324 संभावित विषाक्त पदार्थ संदूषक स्थलों में से 128 को विषाक्त और खतरनाक पदार्थों से दूषित पाया गया, जबकि 196 स्थलों के परिणामों की अभी पुष्टि की जानी है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ऐसे स्थलों की निगरानी कर रहा है तथा जिन स्थलों को दूषित पाया जाता है उनकी सफाई की व्यवस्था करता है।
- इन संदूषित स्थलों की सफाई के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुपालन 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal- NGT) के निर्देशों के अनुसार होता है।

खतरनाक रासायनिक संदूषक: वे होते हैं जो-

- एक बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं।
- जो अत्यधिक विषाक्त तथा प्रदूषणकारी हैं।
- कचरा उत्पन्न करते हैं तथा जिनका सुरक्षित और पर्याप्त रूप से निपटान नहीं जा सकता है।

खतरनाक संदूषकों का आयात, खरीद एवं बिक्री, भंडारण, परिवहन, लेबलिंग, रिकॉर्ड तथा बिक्री दस्तावेज़ों का रखरखाव के माध्यम से सुरक्षित रूप से निपटान किया जाता है।

प्रमुख संदूषित स्थल:

- ऐसे संदूषित स्थलों के मामलों में पश्चिम बंगाल (27 स्थल) तथा ओडिशा (23 स्थल) शीर्ष पर हैं।
- एजेंसियों ने 6 राज्यों- केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल , मध्य प्रदेश में ऐसे 20 स्थलों की सफाई करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या कार्ययोजना (Plan of Action) तैयार की है।

संदूषण स्थल तथा कारक:

संदूषण स्थल	संदूषण कारक एवं कारण
• तमिलनाडु	• भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिगत तेल पाइपलाइनों के तेल रिसाव के कारण तेल संदूषण
• एलोर (केरल)	• कीटनाशक एवं भारी धातु के कारण खाड़ियों में संदूषण
• रनिया (उत्तर प्रदेश)	• क्रोमियम संदूषण
• मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	• रामगंगा नदी के तट पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का अनुचित तरीके से निपटान
• कोडाइकनाल (तमिलनाडु), गंजम (ओडिशा)	• मिट्टी में पारे का संदूषण
• रानीपेट(तमिलनाड), लोहियानगर (उत्तर प्रदेश)	• क्रोमियम संदूषण

खराब रिकॉर्ड:

- स्वतंत्र संगठनों के अनुसार, रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने में भारत का खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
- 'टॉक्सिक लिंक' (Toxics Link) संगठन जो कि खतरनाक अपशिष्ट निपटान की दिशा में कार्य करता है, के अनुसार, वर्ष 2016-2019 के बीच औसतन प्रतिमाह चार प्रमुख रासायनिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जबकि अनेक दुर्घटनाओं को विधिवत दर्ज ही नहीं किया गया ।
- NGT द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, खतरनाक अपशिष्ट (Hazardous Waste- HW) प्रबंधन की दिशा में अब तक तैयार की गई इन्वेंट्री (पर्याप्त संसाधन) समग्र समाधान करने में कारगर नहीं है।

संदूषण के प्रमुख कारण:

- नदी जल के भारी धातु से संदूषित होने का मुख्य कारण खनन, कबाड़ उद्योग तथा धातु सतह परिष्करण उद्योग हैं जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की ज़हरीली धातुओं को मुक्त करते हैं।
- पिछले कुछ दशकों में नदी के पानी और तलछटों में भी इन भारी धातुओं की सांद्रता तेज़ी से बढ़ी है। नदी जल संदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि है।

- भारत में मौसम के आधार पर भी संदूषण के स्तर में बदलाव देखा जाता है। उदाहरण के लिये मानसून के दौरान गंगा नदी में लोहे द्वारा संदूषण अधिक देखा जाता है लेकिन गैर-मानसून अवधि के दौरान इसमें काफी गिरावट देखी जाती है।

आगे की राह:

- ऐसे उद्योग क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ रसायन एवं अपशिष्ट पदार्थ चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- संवाद शुरू करने हेतु संबंधित उद्योग क्षेत्रों, संगठनों और समूहों को संलग्न करना।
- संकट एवं जोखिमों से निपटने हेतु संचार सुनिश्चित करना, सुरक्षित विकल्पों हेतु जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण एवं अवसरों की पहचान करने की दिशा में कार्य करना होगा।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में "द इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी (The International Military Council on Climate and Security- IMCCS)" द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अगले दशक में वैश्विक सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि IMCCS ने "द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 (The World Climate And Security Report 2020)" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- दिसंबर 2019 में IMCCS ने दुनिया भर के 56 सुरक्षा विशेषज्ञों, सैन्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों को शामिल करते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक सुरक्षा के समझ उत्पन्न खतरों का आकलन करने हेतु एक सर्वेक्षण किया।
- सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2040 तक विस्थापन और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होने की संभावना है।
- 93 प्रतिशत सैन्य विशेषज्ञों ने माना कि वर्ष 2030 तक जल सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वैश्विक सुरक्षा के लिये उच्च जोखिम प्रस्तुत करेगा, जबकि 91% विशेषज्ञों का मत है कि वर्ष 2040 तक यह जोखिम गंभीर या विनाशकारी हो जाएगा।
- 94% विशेषज्ञों का मत है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा।
- रिपोर्ट में क्षेत्रीय और अंतर-राज्यों के बीच तनाव में वृद्धि होगी। कम-से-कम 86% विशेषज्ञों ने माना कि वर्ष 2040 तक वैश्विक सुरक्षा के खतरों का कारण राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा।

खराब मौसम का प्रभाव:

- सैन्य विशेषज्ञों का मत है कि चरम मौसमी घटनाओं के कारण सैन्य बुनियादी ढाँचे प्रभावित होंगे।
- जब देश प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा हो तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है एवं बड़े पैमाने पर विस्थापन वैश्विक सुरक्षा के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- जलवायु परिवर्तन पर अपर्याप्त नीतियों ने भूमि संबंधी संघर्षों को बढ़ा दिया है।

इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी

- IMCCS की स्थापना 19 फरवरी, 2019 को हेग, नीदरलैंड में की गई थी।
- यह दुनिया भर के वरिष्ठ सैन्य विशेषज्ञों का अम्ब्रेला नेटवर्क है जो नियमित रूप से मिलकर जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु वार्ता कर नीति निर्माण करेंगे।

आगे की राह:

- दुनिया भर के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु मज़बूत रणनीति, योजनाओं के निर्माण के साथ ही निवेश को बढ़ावा देना चाहिये।

- सुरक्षा तथा सैन्य संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के समाधान खोजने हेतु नेतृत्व करना चाहिये एवं व्यापक उत्सर्जन में कटौती तथा अनुकूलन के लिये निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकारों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- दुनिया भर के सैन्य संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
- उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया सीनेट समिति ने विदेश मामलों, रक्षा और व्यापार पर जलवायु परिवर्तन को एक "थ्रेट मल्टीप्लायर एंड बर्डन मल्टीप्लायर (threat multiplier and burden multiplier)" के रूप में चिहित किया है।

हिम पर निर्भर प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

चीन की लिनई यूनिवर्सिटी (Linyi University) के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, जो प्रजातियाँ अपने अस्तित्व तथा आजीविका के लिये हिम आवरण पर निर्भर रहती हैं, उन प्रजातियों को ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (Japan Aerospace Exploration Agency- JAXA) के आँकड़ों पर आधारित है।
- इस अध्ययन में वर्ष 2071-2100 के बीच शीतकालीन हिम आवरण में होने वाले संभावित बदलाव की तुलना वर्ष 1982-2014 के आँकड़ों से की गई है।
- अध्ययन के अनुसार, हिम परत का आधार तल तथा जमे शीर्ष पर हिमावरण के बीच का क्षेत्र जिसे 'सबनिवियम' (Subnivium) के रूप में जाना जाता है, को ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है।

सबनिवियम (Subnivium):

- यह लैटिन शब्द Nivis अर्थात् हिम तथा Sub अर्थात उप से मिलकर बना है यानी उपहिम सतह।
- सबनिवियम उपहिम सतह का तापमान लगभग 32°F (0°C) पर स्थिर रहता है। हालाँकि तापमान का यह स्तर शीत प्रतीत होता है परंतु इस सतह का तापमान चरम सर्दियों के मौसम में आसपास की वायु के तापमान से 30-40°C अधिक गर्म होता है।

अधिक तापमान का कारण:

- सबनिवियम उपहिम सतह का तापमान हिम की गहराई तथा घनत्व पर निर्भर करता है।
- जब हिम की परतें (एक के ऊपर दूसरी) बहुत दबी हुई रहती हैं तो कठोर हिम सतह का निर्माण करती हैं परंतु जब इन परतों के मध्य अंतराल अधिक होता है तो वायु इन परतों के मध्य कैद हो जाती है तथा यह वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण इन हिम सतहों को आसपास की वायु की अपेक्षा गर्म रखती है।
- प्रजातियों का संरक्षण:
- सबनिवियम तथा आसपास की वायु के तापांतर के कारण शीतकाल में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जैसे- पक्षियों में रफ्ड ग्राउज (Ruffed Grouse), स्तनधारियों में छछूंदर (Shrews) तथा कई घास की प्रजातियाँ सुरक्षा के लिये सबनिवियम उपसतह पर निर्भर रहती हैं।

ताप वृद्धि का सबनिवियम पर प्रभाव:

- सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का न्यून ताप क्षेत्रों यथा- आर्कटिक क्षेत्र, की प्रजातियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परंतु सबनिवियम
- उपहिम सतह पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 1970 के बाद से हिमपात की अवधि (वह अवधि जब बारिश की तुलना में हिमपात की संभावना अधिक होती है) कम हो गई है।

- अधिक बारिश के कारण हिम का घनत्व अधिक हो जाता है तथा इसकी इन्सुलेट क्षमता (उष्मारोधी क्रिया से तापमान वृद्धि) भी कम हो जाती है और सबनिवियम उपसतह का तापमान अधिक होने के स्थान पर कम हो जाता है। इससे इस उपसतह पर निर्भर प्रजातियों की वातावरण के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाती है।

संभावित प्रभाव:

हिम आवरण युक्त दिनों की संख्या में कमी:

- वर्ष 1982-2014 के बीच शीत काल के दौरान प्रतिवर्ष 126 दिन हिमपात का समय रहा, जिसके आने वाले समय में इसके 110 दिन होने की संभावना है। सर्वाधिक हिम आवरण में कमी 40- 50 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तरी अमेरिका एवं एशिया में होने की संभावना है।

प्रजातियों की सुभेद्यता में वृद्धि:

- ऐसी प्रजातियाँ जिनका जीवन हिमावरण पर निर्भर रहता है उन्हें हिमपात के दिनों की संख्या कम होने पर जीवित रहने के लिये संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रजातियों की शिकारी जानवरों के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाएगी।

जैव विविधता में कमी:

- हिमीकरण तथा हिमद्रवन (Freeze and Thaw Cycle- रात्रि में हिम का जमना और दिन में हिम का पिघलना) चक्रों में वृद्धि होने से पौधों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा अधिक शीत मिट्टी से जीवों की विविधता भी प्रभावित होगी और केवल वे प्रजातियाँ जो इन नवीन परिस्थितियों में वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूल कर पाएंगी वे ही जीवित रहेंगी।

वैश्विक जैव विविधता का पुनर्वितरण:

- जलवायु परिवर्तन से प्रजातियों के वितरण तथा जैव विविधता प्रतिरूप में व्यापक पैमाने पर बदलाव होने की संभावना है क्योंकि इसका अलग-अलग जलवायु पर विभेदी प्रभाव होता है।

परिहिमानी (स्थायी हिमावरण) क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों के कारण कई प्रकार की समस्याएँ पैदा हो गई हैं, अत: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिये इन क्षेत्रों में उपयुक्त भू-तकनीकी एवं इंजीनियरिंग उपायों को अपनाना चाहिये।

मीथेन शमन और मूल्यवर्द्धन

चर्चा में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology- DST) के स्वायत्त संस्थान अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (Scientists at Agharkar Research Institute- ARI) पुणे के वैज्ञानिकों ने मेथनोट्रॉफिक बैक्टीरिया (Methanotrophic Bacteria) के विभिन्न प्रकार के 45 स्ट्रेंस (Strains) का पता लगाया है जो चावल के पौधों से उत्सर्जन मीथेन को कम करने में सक्षम हैं।

मुख्य बिंदु:

- वैज्ञानिकों ने मेथनोट्रॉफ के 45 अलग-अलग स्ट्रेंस (यह जीव विज्ञान में निम्न स्तर की प्रजातीय-वर्गीकरण श्रेणी है जिसका उपयोग एक ही प्रजाति के वर्गीकरण में किया जाता है) को पृथक एवं संवर्द्धित कर पहली स्वदेशी मेथनोट्रॉफ-कल्चर का निर्माण किया है।

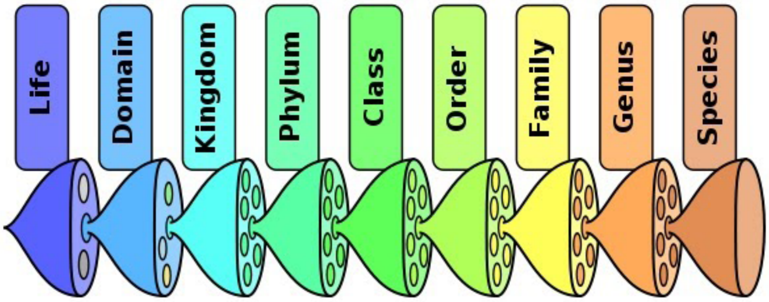

- वैज्ञानिकों ने पाया कि इन स्ट्रेंस की उपस्थिति से पौधों द्वारा मीथेन उत्सर्जन में कमी आई तथा पौधे के विकास में इसका सकारात्मक या निष्क्रिय प्रभाव पड़ा है। इन सूक्ष्म जीवों को धान के पौधों में स्थापित किया जा सकता है तथा ये सूक्ष्म जीव मिथेन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

बैक्टीरिया की क्रिया-विधि:

- मेथनोट्रॉफिक बैक्टीरिया उपापचयन की क्रिया द्वारा मीथेन को कार्बन-डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तथा प्रभावी रूप से मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाते हैं। ये मेथनोट्रॉफ धान के खेतों में पौधे की जड़ों तथा जल युक्त क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं।
- इससे चावल के खेतों से मीथेन शमन के लिये माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स का विकास किया जा सकता है।

माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स (Microbial Inoculants):

- वर्तमान कृषि पद्धतियाँ रासायनिक आगतों जैसे- उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशी आदि पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
- माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स का तात्पर्य उन लाभदायक सूक्ष्मजीवों से है जो सतत् कृषि की दिशा में मिट्टी के पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स पर्यावरण के अनुकूल होते हैं तथा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के संभावित विकल्प हो सकते हैं।
- ये सूक्ष्मजीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाकर मिट्टी की पोषकता में वृद्धि करते हैं।
- ये पादप-वृद्धिकारक (Phyto-Stimulants), जैव-उर्वरक (Bio-Fertilizers), सूक्ष्मजीवीय (Microbial Bio-Control) जैव-नियंत्रक हो सकते हैं।
- ये विभिन्न रोगजनकों से फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा प्रभावी जैव-उर्वरक हैं ।

धान की फसल एवं मीथेन:

- धान के खेतों में लंबे समय तक जल जमाव के कारण कार्बनिक तत्त्वों के अवायवीय विघटन होता है तथा मीथेन गैस बनती है।
- धान के खेत 'वैश्विक मीथेन उत्सर्जन' में 10 प्रतिशत का योगदान करते है। मीथेन दूसरी प्रमुख ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas-GHG) है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 26 गुना अधिक खतरनाक होती है।

शोध का महत्त्व:

- मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में मेथेनोट्रॉप्स उत्कृष्ट मॉडल साबित हो सकता है।
- अपशिष्ट से प्राप्त बायो-मीथेन को मेथेनोट्रॉप्स द्वारा बायो-डीज़ल जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- इस शोध से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता मिलेगी

जगुआर (Jaguar) को यूएन समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुए 'प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के कॉप-13 सम्मेलन (United Nations 13th Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species of Wild Animals) में जगुआर (Jaguar) को 'वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय' के तहत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु:

- कॉप-13 सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के अनुसार, जगुआर को वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS) के परिशिष्ट-I व II में शामिल किया गया है।

- CMS के कार्यकारी निदेशक के अनुसार, अभिसमय में जगुआर के शामिल होने से इस जीव के संरक्षण के लिये सीमा पार सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह अभिसमय जगुआर के प्रवास क्षेत्र के देशों को उनके संरक्षण हेतु प्रवास गलियारों (Migration Cooridors) के रखरखाव जैसे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा।
- जगुआर को CMS के तहत संरक्षित सूची में जोड़ने का प्रस्ताव मध्य अमेरिका के देश कोस्टा रिका (Costa Rica) की तरफ से आया और साथ ही अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, पराग्वे और उरुग्वे जैसे देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

जगुआर (Jaguar):

- वंश (Genus): पैंथेरा (Panthera)
- वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा ओंका (Panthera onca)
- जगुआर प्राय: अमेरिकी महाद्वीपों (उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका) में पाया जाता हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में विश्व में बचे कुल जगुआरों की संख्या लगभग 64,000 है, जो अमेरिकी महाद्वीप के 19 देशों के जंगलों में पाए जाते हैं।
- जगुआर के बच्चे दो वर्ष की आयु के बाद परिवार से अलग अपने आधिपत्य क्षेत्र की तलाश में निकल जाते हैं, इस दौरान वे 70 किमी. तक की यात्रा कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) के अनुमान के अनुसार, पिछले 21 वर्षों में जगुआर की आबादी में 20-25% तक गिरावट देखी गई है।
- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना तक जगुआर के प्रवास क्षेत्र में 50% की कमी आई है और मध्य अमेरिका में इसके प्रवास स्थान का क्षेत्रफल घटकर 23% ही रह गए हैं। वहीं अल सल्वाडोर (El Salvador) और उरुग्वे जैसे देशों में यह जीव अब विलुप्त हो चुका है।
- अपने प्रवास के दौरान जगुआर कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं।
- वर्तमान में 90% जगुआर अमेज़न क्षेत्र के 9 देशों में पाए जाते हैं और इनके वास स्थान के क्षरण के कारण शेष 10% जगुआर 33 अन्य छोटे समूहों में रहते हैं।
- IUCN की रेडलिस्ट में जगुआर को 'निकट संकटग्रस्त (Almost Threatened)' की श्रेणी में रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लाभ:

- CMS के परिशिष्ट-I में संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों को रखा जाता है, जबकि परिशिष्ट-II में उन प्रवासी प्रजातियों को रखा जाता है जिनके संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है।
- CMS के परिशिष्ट-I व परिशिष्ट-II में शामिल होने से जगुआर और उनके प्रवास स्थान के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- इस समझौते से जगुआर व इसके अंगों से बने उत्पादों के अवैध व्यापार के नियंत्रण में सहायता प्राप्त होगी।

जगुआर संरक्षण के अन्य प्रयास:

- वर्ष 2018 में 14 देशों ने जगुआर के संरक्षण के लिये 'जगुआर 2030 रोडमैप (Jaguar 2030 Roadmap)' नामक कार्यक्रम की शुरुआत की और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस (International Jaguar Day) के रूप में घोषित किया।
- क्षेत्र के कई देशों ने CITES के माध्यम से जगुआर और इसके अंगों से बने उत्पादों के अवैध व्यापार तथा व्यापार मार्गों की पहचान करने में शोध को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की।

नोट :

COVID-19: पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, COVID-19 का सबसे संभावित वाहक चमगादड़ है तथा इस वायरस ने मध्यवर्ती मेज़बान, जो घरेलू या जंगली जानवर हो सकता है, के माध्यम से मनुष्य में प्रवेश किया है।

मुख्य बिंदु:

- वैज्ञानिकों का मानना है विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि से वन्यजीव अधिवासों में लगातार कमी आ रही है तथा इसके कारण रोगजनकों का प्रसार तेज़ी से पशुधन और मनुष्यों में हो सकता है।
- पिछले कुछ वर्षों में कई ज़ूनोटिक बीमारियाँ विश्व में सुर्खियाँ में रही तथा वे महामारी का कारण बनी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में इन उभरती बीमारियों से हुई आर्थिक नुकसान की लागत 100 बिलियन डॉलर से अधिक रही।

वन्य आवास में क्षति तथा संक्रामक रोग:

- वैज्ञानिकों का मानना है कि वन्यजीव आवासों की क्षति के कारण मनुष्यों में उभरते संक्रामक रोगों के प्रसार (Emerging Infectious Diseases- EIDs) में वृद्धि हुई है। ये वन्यजीवों से मनुष्यों में फैलते हैं, जैसे- इबोला, वेस्ट नाइल वायरस, सार्स, मारबर्ग वायरस आदि।
- मनुष्यों में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS) का संचरण मुश्कबिलाव (Civet Cats) से तथा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndrome- MERS) का संचरण कूबड़ वाले ऊँटों (अरब के ऊँट) से हुआ।
- वैज्ञानिकों ने वन्य जीवों के आवास में क्षति तथा संक्रामक रोगों के संचरण के मध्य संबंध पर सह विकास प्रभाव (The Coevolution Effect) की अवधारणा दी है।
- इस अवधारणा के अनुसार, जंगल के छोटे विलगित भाग द्वीप के रूप में तथा रोगकारकों के होस्ट का कार्य करते हैं। इससे विभिन्न रोगकारकों की संख्या में वृद्धि होने तथा इनके आसपास की मानवीय आबादी तक पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मनुष्य और प्रकृति दोनों जैवमंडल के ही भाग हैं तथा एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, साथ ही भोजन, दवा, पानी, स्वच्छ हवा आदि के लिये मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है, ऐसे में ज़ूनोटिक रोगों के मनुष्य में संचरण की पूरी संभावना होती है।

वन्यजीवों की भूमिका:

वायरस अपनी आनुवंशिक प्रोफाइल को बदलने में सक्षम होते हैं तथा मनुष्यों में इनका संक्रमण दो प्राथमिक तरीकों से हो सकता है-

उत्परिवर्तन:

- प्रतिकृति निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुई त्रुटियों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। RNA वायरस में यह गुण विशेष रूप से पाया जाता है। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में अधिकांश वायरस सफल नहीं हो पाते है परंतु जो वायरस ऐसा करने में सफल हो जाते हैं वे एक नवीन रोग के जनक होते हैं।

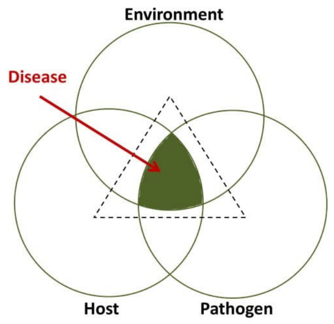

ट्रिपल रिअसॉर्टमेंट (TRIPLE REASSORTMENT):

- जब कोई स्तनपायी एक साथ दो (या अधिक) श्वसन-वायरस से संक्रमित होता है तो वायरस प्रतिकृति निर्माण के समय इन दोनों वायरसों के आनुवंशिक जीन एक साथ मिल जाते हैं, यथा- वर्ष 2009 में फैली H1N1 महामारी वायरस के पूर्ववर्ती वायरस सूअरों में विद्यमान था तथा इसमें मानव इन्फ्लूएंज़ा वायरस एवं एवियन इन्फ्लूएंज़ा के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान होने से इस महामारी का जन्म हुआ था।

मानव-पशु और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- ज़ूनोटिक रोग मानव स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण की अखंडता को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता अधिक होने पर इस रोगकारकों के सभी प्रजातियों को संक्रमित करने की संभावना कम हो जाती है।

COVID-19 एवं पारिस्थितिकी तंत्र:

- COVID-19 एक ज़ूनोटिक रोग है अर्थात् इसका संचरण जानवरों से मनुष्यों में हो सकता है।
- चीन COVID-19 वायरस के प्रति अति संवेदनशील हैं क्योंकि ऐसे स्थान जहाँ मनुष्यों और जानवरों में अनियमित रक्त संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर इस वायरस का अधिक प्रसार होता है।
- दुनिया के पशुधन की लगभग 1.4 बिलियन (50%) आबादी के साथ चीन की पारिस्थितिकी को कोरोनावायरस जैसी बीमारियों का खतरा है जो चीन के साथ-साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में भी खतरा पैदा कर सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, चीन जंगली जानवरों एवं उनके अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा बाज़ार है, ऐसे में वह जंगली जानवरों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम का नेतृत्व कर सकता है। अत: जानवरों से जुड़े उत्पादों के नियमन को वैश्विक स्तर पर लागू करने की दिशा में कार्य करना आवश्यक है।

पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक: रणनीति

चर्चा में क्यों?

हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक' 2021-30 में व्यापक राजनीतिक समर्थन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं वित्तीय सहायता में वैश्विक सहयोग की उम्मीद जाहिर की है।

मुख्य बिंदु:

- मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021–30 के दशक को 'पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक' घोषित किया। 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (United Nations Environment Programme- UNEP) एवं 'खाद्य और कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO) इसके सह-नेतृत्वकर्त्ता हैं।
- दशक की रणनीति में विज़न, उद्देश्य, संगठनों की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ, सफल पुनर्बहाली का निगरानी तंत्र, वित्तपोषण के साधन आदि को मार्च 2019 और जनवरी 2020 के बीच 25 से अधिक कार्यशालाओं, बैठकों, सम्मेलनों में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विकसित किया गया।

विज़न (Vision):

- दशक के लिये एक ऐसे विश्व का निर्माण करना, जहाँ वर्तमान तथा भविष्य में पृथ्वी के सभी जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु मनुष्यों और प्रकृति के बीच संबंधों को बहाल करना तथा स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में वृद्धि करना, पर्यावरण के नुकसान व गिरावट में कमी लाना है।

मुख्य लक्ष्य (Goals):

- वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के निरोध, ठहराव तथा उत्क्रमित करने (Prevent, Halt and Reverse) में मदद मिल सके।
- शिक्षा प्रणालियों तथा सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की निर्णय प्रक्रिया में पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली की समझ विकसित करना तथा लागू करना।

उठाए जाने वाले कदम:

- इस विज़न को पूरा करने के लिये संपूर्ण वैश्विक समुदाय के बीच सहयोग की आवश्यकता है। ऐसे में विभिन्न देशों की सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पुनर्बहाली प्रयासों को लागू करने के लिये राष्ट्रीय बजट बनाएँ।
- गैर-सरकारी संगठनों को स्थानीय समुदायों की क्षमता-निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा।
- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय तथा पुनर्बहाली उपायों को राष्ट्रीय लेखांकन एवं स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्य करेंगी।
- शिक्षाविदों से पुनर्बहाली उपायों की निगरानी के लिये ऑन-द-ग्राउंड डेटा एकत्रित करने के लिये रिमोट सेंसिंग आधारित प्रणाली की दिशा में शोध कार्य करने हेतु कहा जाएगा।
- स्थानीय लोगों, महिलाओं, युवाओं के समूहों तथा नागरिक समाज से व्यापक स्तर पर परामर्श किया जाएगा तथा पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्बहाली प्रयासों को ज़मीनी स्तर पर तैयार करके लागू किया जाएगा।
- अन्य पहलों में स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना, कृषि-पारिस्थितिक प्रणालियों को लागू करना, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन बनाना आदि कार्य शामिल होंगे।

प्रदूषण निगरानी के लिये स्टार रेटिंग कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु जून, 2020 से कई उद्योगों के लिये स्टार रेटिंग कार्यक्रम (Star Rating Program) को अनिवार्य किये जाने की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम के तहत राज्य के अलग-अलग उद्योगों/फैक्टरियों से उनके उत्सर्जन के आँकड़े एकत्रित किये जाएंगे और प्राप्त आँकड़ों तथा उत्सर्जन नियमों के अनुपालन के आधार पर उनकी रेटिंग (Rating) की जाएगी।
- वर्तमान में झारखंड में इस कार्यक्रम को प्रायोगिक स्तर पर चलाया जा रहा है। 5 जून, 2020 से इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू किया जायेगा।
- इससे पहले ओडिशा और महाराष्ट्र में ऐसी ही स्टार रेटिंग प्रणाली को लागू किया गया है।
- झारखंड ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मात्रा की भी जाँच की जाएगी।

निगरानी की प्रक्रिया:

- इस कार्यक्रम के तहत 'अत्यधिक प्रदूषणकारी' (Highly Polluting) उद्योगों के 'पार्टिकुलेट मैटर' (Particulate Matter-PM) उत्सर्जन की 17 श्रेणियों में निगरानी की जाएगी और इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष नए मानकों को जोड़ा जाएगा।
- इस कार्यक्रम में जिन उद्योगों/फैक्टरियों की उत्सर्जन मात्रा नियामकों द्वारा निर्धारित अधिकतम उत्सर्जन सीमा से 50% से कम होगी उन्हें 5 स्टार (5 Star) दिये जाएंगे।
- जबकि जिन उद्योगों/फैक्टरियों की उत्सर्जन मात्रा नियामकों द्वारा निर्धारित अधिकतम उत्सर्जन सीमा 25% से अधिक होगी उन्हें एक स्टार (1 Star) दिया जाएगा।

कार्यक्रम का संचालन:

- इस कार्यक्रम का संचालन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Jharkhand State Pollution Control Board-JSPCB) और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट (University of Chicago Trust- UC Trust) के सहयोग से किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत JSPCB और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के एक नॉलेज पार्टनर (Knowledge Partner) के रूप में जुड़ने के बाद हुई।

नोट :

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Jharkhand State Pollution Control Board- JSPCB):

- JSPCB का गठन जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 के तहत वर्ष 2001 में किया गया था।
- इसका मुख्यालय राँची में स्थित है। साथ ही इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशालाएँ धनबाद, जमशेदपुर, हज़ारीबाग और देवघर में स्थित हैं।
- JSPCB निम्नलिखित कार्य करती है-
  - उद्योगों और प्रदूषण के मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना।
  - प्रदूषण नियंत्रण के लिये कार्यक्रम की योजना बनाना।
  - उत्सर्जन मानकों का निर्धारण करना।
  - निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन का निरीक्षण करना आदि।
- JSPCB अध्यक्ष के अनुसार, पिछले लगभग 18 महीनों में इस कार्यक्रम के तहत आँकड़ों की मात्रा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत 'सतत् उत्सर्जन निगरानी प्रणाली' (Continuous Emission Monitoring System-CEMS) के माध्यम से वर्तमान में प्रत्येक 15 मिनट पर उत्सर्जन के आँकड़े JSPCB सर्वर पर उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- उत्सर्जन मानकों के अनुपालन और विनियमन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना।
- समाज और पर्यावरण के प्रति उद्योगों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करना।

स्टार रेटिंग कार्यक्रम के लाभ:

- विशेषज्ञों के अनुसार, कार्यक्रम के संचालन के बाद उत्सर्जन से जुड़े आँकड़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा और आँकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता की भी जाँच की जा सकेगी, जिससे इस प्रक्रिया में व्याप्त कमियों को आसानी से दूर किया जा सकेगा।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को औद्योगिक प्रदूषण के संबध में बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- जन-जागरूकता और उत्सर्जन के विश्वसनीय आँकड़ों को उपलब्ध करा कर उद्योगों पर मानकों के अनुपालन के संदर्भ में दबाव बनाया जा सकेगा।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के पश्चात् देश के औद्योगिक क्षेत्र के शीघ्र विकास के लिये उद्योगों को अन्य सहयोगों के साथ बहुत से महत्त्वपूर्ण मानकों के अनुपालन में भी कुछ छूट प्रदान की गई थी। परंतु समय के साथ इस व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन नहीं किये गए। सशक्त नियमों और पारदर्शी विनियमन प्रक्रिया के अभाव में औद्योगिक केंद्रों द्वारा इस छूट का गलत इस्तेमाल किया गया जिससे वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के साथ अन्य क्षेत्रों में भी भारी क्षति देखने को मिली है। स्टार रेटिंग कार्यक्रम से इस प्रक्रिया में अधिक प्रदर्शित लाई जा सकेगी जिससे उत्सर्जन मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

समुद्री जैव विविधता के पोषण करने वाले 'वंडर ट्री'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 21 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसमें मैंग्रोव वनों के महत्त्व को स्वीकार कर तत्काल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- वन दिवस वर्ष 2020 का विषय था- 'वन और जैव विविधता' (Forests and Biodiversity)।
- स्थलीय जैव विविधता में 80 प्रतिशत योगदान वनों का है, परंतु मैंग्रोव एक ऐसा वृक्ष है जो स्थलीय जैव-विविधता के साथ-साथ समुद्री जैव-विविधता को भी संरक्षण प्रदान करता है।

नोट :

- मैंग्रोव वनों द्वारा प्रकृति एवं मनुष्यों को दिये जाने वाले अमूल्य योगदान के कारण वर्तमान में उष्णकटिबंधीय देशों में सरकारों तथा तटीय समुदायों के बीच इसे लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है।

मैंग्रोव वन:

- मैंग्रोव वन पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह होता है जो अंत: ज्वारीय भागों में पाए जाते हैं।
- मैंग्रोव पेड़ों की लगभग 80 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये सभी पेड़ कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी के क्षेत्रों में उगते हैं, जहां धीमी गति से चलने वाले जल में तलछट जमाव पाया जाता है।
- मैंग्रोव वन मुख्यत: केवल भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर मुख्यत: पाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंड तापमान का सामना नहीं कर सकते हैं।
- कई मैंग्रोव वनों को उनकी मूल जड़ों से पहचाना जा सकता है, जहाँ इन वृक्षों की जड़ें जल के बाहर निकली दिखाई देती हैं।

मैंग्रोव वनों का बढ़ता महत्त्व:

- **सामुदायिक प्रबंधन:**
  - मैंग्रोव वनों की 'सामुदायिक प्रबंधन आधारित' संरक्षण प्रणाली के माध्यम से पारिस्थितिकी संरक्षण तथा सतत प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
  - नौका-पर्यटन, कयाकिंग, बर्ड वॉचिंग, रात्रि में मत्स्यन पकड़ना, आदि गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को मैंग्रोव जंगलों की जैव विविधता का अनुभव करने जैसे कई विकल्प हैं।
- **पारिस्थितिक संरक्षण:**
  - मैंग्रोव वन का एक महत्त्वपूर्ण लाभ जैव विविधता का संरक्षण है। मेडागास्कर में 'मैंग्रोव लेमर्स (Lemurs)' पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर स्तनधारियों में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक हैं। इन 'दलदल लीमर्स' (Swamp Lemurs) को इन क्षेत्रों में पहली बार कुछ वर्ष पूर्व पहले प्रलेखित (Documented) किया गया था।
- **पारिस्थितिकी सेवाएँ:**
  - ये वन तूफान लहरों से सुरक्षा प्रदान करके, मत्स्य के लिये प्रजनन सतह उपलब्धता, सागरीय जानवरों के लिये मेजबान स्थल, प्रभावी निस्यंदन सिस्टम, खारे जल प्रवाह को रोककर कृषि के क्षेत्र की मिट्टी को लवणीयता से बचाना आदि कार्यों द्वारा तटीय समुदायों की सुरक्षा करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास:

- वर्ष 2019 में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक हितधारकों को निर्वनित तथा अवक्रमित भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के लिये आवश्यक राजनीतिक और वित्तीय सहायता जुटाने की कार्रवाई करने को आमंत्रित किया था।
- पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (The United Nations Decade on Ecosystem Restoration) द्वारा वर्ष 2021-2030 की अवधि में समुद्री नीले मैंग्रोव सहित गंभीर रूप से अवनयित भू-परिदृश्य (Landscapes) तथा वनों की पुनर्बहाली से संबंधित कार्यों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा।

  ब्लू फॉरेस्ट (Blue Forests):
- तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें, मैंग्रोव वन, समुद्री घास तथा लवणीय जल के दलदल- जो दुनिया भर में आजीविका और भलाई (Wellbeing) का समर्थन करते हैं, को नीले वन कहा जाता है।

ब्लू कार्बन (Blue Carbon):

- मैंग्रोव वन अन्य वनों की तुलना में मृदा में अधिक कार्बन संग्रहीत करते हैं। वैश्विक तापन से लड़ने में मैंग्रोव वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका, इन वनों को एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है। इस अवधारणा को ब्लू कार्बन भी कहा जाता है।

नोट :

GEF ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट (GEF Blue Forests Project):

- ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का जनवरी 2015 में 4 वर्ष के लिये कार्यान्वयन शुरू किया गया।
- यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) की एक पहल है, जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility- GEF) द्वारा वित्त पोषित है। भागीदार देश इसे सह-वित्तपोषित कर रहे हैं तथा ग्रिड अरेंडल (GRID-Arendal) संगठन द्वारा प्रबंधित हैं।
- ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की दिशा में तटीय कार्बन एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का वैश्विक पैमाने पर मूल्यांकन किया जाएगा।
- यह प्रोजेक्ट सभी हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा वैश्विक उपयोगिता की दिशा में अधिक-से-अधिक वैश्विक अनुभव तथा उपकरणों को साझा करने पर बल देता है।

ग्लोबल एन्वायरनमेंट फेसिलिटी (Global Environment Facility)

- इसका गठन वर्ष 1991 में किया गया था।
- यह विकासशील व संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि अवमूल्यन, ओजोन क्षरण, पर्सिसटेन्ट आर्गेनिक प्रदूषकों के संदर्भ में परियोजनाएँ चलाने के लिये वित्तपोषित करता है।
- इससे प्राप्त धन अनुदान व रियायती फंडिंग के रूप में आता है।

GEF इंटरनेशनल वाटर्स (GEF- IW):

- GEF के विशेष प्रोजेक्ट GEF- IW के माध्यम से परियोजनाओं में भाग लेने वाले देशों ने ताजा जल संसाधनों से लेकर समुद्री संसाधनों से संबंधित समझौतों, संधियों और प्रोटोकॉल पर बातचीत करके सहमति व्यक्त की है। IW में GEF निवेश के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था के अवसरों को मजबूत करना।
  - पारिस्थितिकी प्रबंधन की दिशा में राष्ट्रीय सीमा से आगे बढ़कर कार्य करना।
  - ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्र में जल सुरक्षा को बढ़ाना।

हमें इस अमूल्य धरोहर को बचाने की दिशा में तुरंत कारगर कदम उठाने चाहिये। इसके लिये भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के धारणीय विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। इन प्रयासों से एक तरफ जहाँ स्थानीय समुदायों को गरीबी जैसी समस्याओं से उभरने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को भी कम किया जा सकेगा।

सिक्किम के ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (Wadia Institute of Himalayan Geology-WIHG) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- साइंस ऑफ द टोटल एन्वायरनमेंट (Science of the Total Environment) नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में वर्ष 1991-2015 की अवधि के दौरान सिक्किम के 23 ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया गया।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1991 से 2015 तक की अवधि के दौरान सिक्किम के ग्लेशियर काफी पीछे खिसक गए हैं और उनकी बर्फ पिघलती जा रही है।
- जलवायु परिवर्तन को सिक्किम के ग्लेशियर में हो रहे परिवर्तन का मुख्य कारण पाया गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण सिक्किम के छोटे आकार के ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं और बड़े ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं।

- अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में आयामी परिवर्तन का पैमाना और मलबे की वृद्धि की मात्रा सिक्किम के ग्लेशियरों में काफी अधिक है।
- सिक्किम के ग्लेशियरों के व्यवहार में प्रमुख बदलाव वर्ष 2000 के आसपास हुआ था। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी और मध्य हिमालयी क्षेत्रों में यह स्थिति काफी विपरीत है, क्योंकि इन क्षेत्रों में हाल के दशकों में ग्लेशियरों के पिघलने की गति धीमी हुई है, जबकि सिक्किम के ग्लेशियरों के पिघलने में वर्ष 2000 के बाद नाममात्र का धीमापन देखा गया है।
- ग्लेशियर में हो रहे बदलावों का प्रमुख कारण तापमान में वृद्धि हुई है।
- सिक्किम हिमालयी ग्लेशियरों की लंबाई, क्षेत्र, मलबे के आवरण, हिमतल की ऊंचाई (Snowline Altitude-SLA) जैसे विभिन्न मापदंडों और उन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिये WIHG के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के 23 प्रमुख ग्लेशियरों का चयन किया, जिसके पश्चात चयनित ग्लेशियरों से संबंधित अध्ययन करते हुए मल्टी-टेम्पोरल (Multi-Temporal) और मल्टी-सेंसर (Multi-Sensor) उपग्रह डेटा प्राप्त किये गए।
- वैज्ञानिकों के समूह ने इन परिणामों का विश्लेषण किया और पहले से मौजूद अध्ययनों के साथ उनकी तुलना की तथा ग्लेशियरों की स्थिति को समझने के लिये उन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया।
- सिक्किम क्षेत्र के ग्लेशियरों का व्यवहार विविधता से भरपूर है और अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि यह प्राथमिक तौर पर ग्लेशियर के आकार, मलबे के आवरण और ग्लेशियर झीलों से निर्धारित होता है।
- हालाँकि छोटे (3 वर्ग किमी. से कम) और बड़े आकार के ग्लेशियरों (10 वर्ग किमी. से अधिक) दोनों के ही द्रव्यमान में सामान्यत: हानि देखी जा रही है, किंतु ऐसा ज्ञात हुआ है कि दोनों प्रकार के ग्लेशियर जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिये अलग-अलग तरीकों का प्रयोग किया है।
- जहाँ छोटे ग्लेशियर विहिमनदन (Deglaciation) से पीछे खिसक रहे हैं, वहीं बड़े ग्लेशियरों में बर्फ पिघलने के कारण द्रव्यमान की हानि हो रही है।

अध्ययन का महत्त्व

- अब तक सिक्किम के ग्लेशियरों का संतोषजनक अध्ययन नहीं किया गया था और 'फील्ड-बेस्ड मास बेलेंस' (Field-Based Mass Balance) आकलन केवल एक ही ग्लेशियर तक सीमित था और यह अल्पावधि (1980-1987) तक ही चला था।
- इन अध्ययनों की प्रकृति क्षेत्रीय है और इसमें अलग-अलग ग्लेशियर के व्यवहार पर बल नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अधिकांश आकलन केवल लंबाई/क्षेत्र के बदलावों तक ही केंद्रित रहे हैं। वेग का आकलन भी अत्यंत दुर्लभ रहा है।
- इस अध्ययन में पहली बार ग्लेशियर के विविध मानकों यथा लंबाई, क्षेत्र, मलबे के आवरण, हिमतल की ऊंचाई, ग्लेशियर झीलों, वेग और बर्फ पिघलने का अध्ययन किया गया और सिक्किम में ग्लेशियरों की स्थिति और व्यवहार की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिये उनके अंतर्संबंध का पता लगाया गया है।
- ग्लेशियरों के आकार साथ ही साथ उनमें हो रहे परिवर्तनों की दिशा की सटीक जानकारी, जिसे मौजूदा अध्ययन में उजागर किया गया है, वह जलापूर्ति और ग्लेशियर के संभावित खतरों के बारे में आम जनता, विशेषकर उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर सकता है।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (Wadia Institute of Himalayan Geology-WIHG):

- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हिमालय के भू-विज्ञान के अध्ययन से संबंधित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
- इसकी स्थापना जून, 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा की गई थी, यह संस्थान अप्रैल, 1976 में देहरादून, उत्तराखंड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

नोट :

कोरोनावायरस: 21 दिन की लॉकडाउन अवधि ही क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के चलते 21 दिवसीय लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया है। ऐसे में इस लॉकडाउन अवधि के पीछे के वैज्ञानिक आधार एवं महामारी विज्ञान (Epidemiological Significance) के महत्त्व को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

मुख्य बिंदु:

- 21 दिवसीय लॉकडाउन अवधि का निर्णय पर्याप्त वैज्ञानिक आँकड़ों के आधार पर लिया गया है। इबोला वायरस के संदर्भ में 21-दिवसीय लॉकडाउन अवधि पर विस्तृत चर्चा की गई थी तथा यह गणना वायरस की मानव मे अनुमानित ऊष्मायन (Incubation Period) अवधि पर आधारित थी।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, 21 दिवसीय क्वारंटाइन (Quarantine) का निर्णय अतीत तथा वर्तमान के महामारी संबंधी आँकड़ों की व्याख्या के आधार पर लिया गया है।

लॉकडाउन का महत्त्व:

- माध्य ऊष्मायन अवधि (Median Incubation Period):
  - यह वायरस के शरीर में प्रवेश तथा रोग के लक्षणों/रोग के प्रकट होने के बीच की अवधि होती है।
  - जीव विज्ञान में, ऊष्मायन अवधि, विकास की किसी विशेष प्रक्रिया के लिये आवश्यक समय है।

प्रसुप्ति अवधि (Latency period):

- यह रोगजनक जीव से संपर्क होने तथा रोगी के शरीर द्वारा संक्रमण फैलाने की क्षमता के आरंभ होने के बीच की अवधि होती है।
- महामारी विज्ञान के अनुसार वर्तमान में मानव में वायरस की ऊष्मायन अवधि 14 दिन की होती है। एक सप्ताह की अवधि बढ़ाने पर अवशिष्ट संक्रमण (वायरस टेल) भी समाप्त हो जाता है तथा इस प्रकार कुल 21 दिनों के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित स्तर में पहुँचते हैं।
- COVID-19 का वायरस एक नवीन प्रकार का कोरोनावायरस है, अत: इसकी ऊष्मायन अवधि 21 दिनों तक हो सकती है।
- साइंस डेली (Science Daily) की एक रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के लिये औसत ऊष्मायन अवधि सिर्फ पाँच दिनों की होती है एवं 97.5% लोग जिनमें इस बीमारी के लक्षण प्रकट हुये, संक्रमण के 11.5 दिनों के भीतर प्रकट होते हैं।
- वर्तमान 14 दिन की वायरस ऊष्मायन अवधि यू.एस. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) द्वारा सक्रिय निगरानी तथा साक्ष्यों के आधार पर अनुशंसित की गई है।
- संपर्क अनुरेखण (Contact Tracing):
  - यह उन लोगों की पहचान, आकलन और प्रबंधन की प्रक्रिया है, जो इस बीमारी की चपेट में है तथा अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों की 28 दिनों तक निगरानी तथा ट्रैस (Trace) किया जाता है।
  - यह समुदाय में पहले से ही संक्रमित लोगों से इस वायरस के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।
- ब्रीदिंग स्पेस (Breathing Space):
  - लॉकडाउन या क्वॉरंटाइन 'ब्रीदिंग स्पेस' भी बनाता है। यह लोगों को स्थिति की गंभीरता को समझने तथा सकारात्मक सार्वजनिक राय बनाने में मदद करता है।
  - सभी भवनों, वाहनों और सतहों के कीटाणुशोधी बनाने तथा अस्पतालों को इस महामारी के अगले चरण के लिये तैयार करने में मदद करता है।

अनिश्चित काल तक लोग घरों में नहीं रह सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता को समझते हुए लोगों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

नोट :

भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस

चर्चा में क्यों?

हाल में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री (Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare) ने राज्यसभा में उत्तर देते हुए बताया कि सरकार अवनयित भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिये अनेक कदम उठा रही है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2011-2013 की अवधि के लिये इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (Space Applications Centre- SAC) द्वारा तैयार किये गए 'भारत में मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस' (Desertification and Land Degradation Atlas of India) के अनुसार, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 96.4 मिलियन हेक्टेयर अर्थात् 29.32% क्षेत्र मरुस्थलीकरण/भूमि क्षरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

IPCC रिपोर्ट:

- अगस्त 2019 में 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल' (Intergovernmental Panel for Climate Change- IPCC) द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं भूमि पर विशेष रिपोर्ट (Special Report on Climate Change & Land) जारी की गई, जिसके अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि उपयोग तीव्रता एवं जलवायु परिवर्तन ने मरुस्थलीकरण तथा भूमि अवनयन को बढ़ाया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन, जिसमें चरम जलवायवीय घटनाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि भी शामिल है, ने खाद्य सुरक्षा एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, साथ ही कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन को बढ़ाया है।

भूमि पूनर्बहाली की दिशा में कदम:

- **वर्षा अपवाह जल संबंधी:**
  - बंजर भूमि की पुन: बहाली के लिये 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद', नई दिल्ली (Indian Council for Agricultural Research- ICAR) भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (Indian Institute of Soil and Water Conservation- IISWC) के माध्यम से ने वर्षा अपवाह जल से मिट्टी के अवनयन रोकने के लिये अवस्थिति विशिष्टता (Location Specific) आधारित जैव-इंजीनियरिंग मानक विकसित किये हैं।
- **वायु अपरदन संबंधी:**
  - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (Central Arid Zone Research Institute- CAZRI), जोधपुर ने वायु अपरदन रोकने के लिये बालुका स्तूप स्थिरीकरण (Sand Dune Stabilization) तथा आश्रय बेल्ट (Shelter Belt) तकनीक विकसित की है।
- **लवणता संबंधी**
  - नमक प्रभावित मृदाओं पर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल (Central Soil Salinity Research Institute, Karnal) तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (All India Coordinated Research Project- AICRP) के माध्यम से ICAR लवणीय मृदा की उत्पादकता में सुधार के लिये भूमि पुनरुद्धार, उप-सतही जल निकासी, जैव-जल निकासी, कृषि वानिकी हस्तक्षेत, लवणता सहिष्णु फसल किस्मों का विकास किया है ताकि देश में लवणीय, क्षारीय तथा जल जमाव युक्त मिट्टी की उत्पादकता में सुधार किया जा सके।
- **कृषि संबंधी:**
  - ICAR जलवायु सुनम्य कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (National Innovations on Climate Resilient Agriculture- NICRA) प्रोजेक्ट के माध्यम से जलवायु सुनम्य तकनीकों, जिसमें सूखा सहन करने वाली छोटी अवधि की फसल, फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली, मिट्टी एवं जल संरक्षण जैसे उपाय शामिल हैं, को जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य 151 ज़िलों में लागू किया जाएगा।

नोट :

- 651 ज़िलों के लिये किसी भी प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिये कृषि आकस्मिक योजनाएँ (Agricultural Contingent Plans) तैयार की गई हैं।

- **वनारोपण संबंधी:**
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) का राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड (National Afforestation & Eco Development Board- NAEB) अवनयित वन क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली के लिये 'राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम' (National Afforestation Programme- NAP) को लागू कर रहा है, जिसके तहत 2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनीकरण के लिये 3.874 करोड़ से अधिक को मंज़ूरी दी गई है।
  - ग्रीन इंडिया मिशन, 'क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण' (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority- CAMPA) के तहत संचित निधि तथा नगर वन योजना आदि के तहत जमा किया गया फंड भी वन परिदृश्य के अवनयन रोकने तथा पुनर्स्थापन में भी मदद करेगा।
  - MoEF&CC वनों के बाहर भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देगा क्योंकि देश में कृषि वानिकी के विस्तार, बंजर भूमि के इष्टतम उपयोग एवं खुली भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के बाहर वृक्ष (Trees Outside Forest- TOF) क्षेत्र को बढ़ाने की बहुत अधिक संभावना है।
- **जल ग्रहण प्रबंधन संबंधी:**
  - भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान 28 राज्यों में (गोवा के अलावा) में (अब 27 राज्य और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश) लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा आधारित भागों के विकास के लिये एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme- IWMP) को लागू किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि IWMP को वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY) के वाटरशेड विकास घटक के रूप में शामिल कर दिया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता:**
  - भारत ने वर्ष 2030 तक भूमि अवनयन तटस्थता (Land Degradation Neutrality- LDN) की स्थिति हासिल करने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है।

भूमि अवनयन तटस्थता (Land Degradation Neutrality- LDN):

- LDN को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें भूमि संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों तथा सेवाओं का समर्थन करने और खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक है, तथा वे कालिक या स्थानिक पैमानों पर स्थिर रहते हैं या उनमें वृद्धि होती है।
- इसके अलावा, सितंबर 2019 में भारत में आयोजित यूनाइटेड 'मरुस्थलीकरण रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCCD) के 'COP- 14' वें सत्र में वर्ष 2030 तक 21-26 मिलियन हेक्टेयर अवनयित भूमि को पुन: बहाल करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा जाहिर की है।

आगे की राह:

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्थिर करने, वन्यजीव प्रजातियों को बचाने , खाद्य सुरक्षा एवं समस्त मानव जाति की रक्षा के लिये मरुस्थलीकरण को समाप्त करना आवश्यक है। वनों की रक्षा करना तथा भूमि संरक्षण करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, अत: दुनिया भर के लोगों एवं सरकारों को इसे निभाने के लिये आगे आना चाहिये।

फिंस का मानव हाथों में रूपांतरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने कनाडा के मिगुशा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पता लगाया कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि शोधकर्त्ताओं ने एल्पिस्टोस्टेज (Elpistostege) के एक जीवाश्म की जाँच की।
- जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार मछलियों की मौजूदा प्रजातियों में वे महत्त्वपूर्ण चरण अनुपस्थित हैं जो मछलियों से चार पैर वाले जानवरों के रूपांतरण में भूमिका निभाते हैं।
- ऐसा लाखों वर्ष पहले डेवोनियन काल (Devonian Period) के दौरान हुआ था, क्योंकि मछलियाँ उथले जल और भूमि जैसे आवासों में विचरण करने लगी थीं।

डेवोनियन काल (Devonian Period):

डेवोनियन काल लगभग 419 मिलियन वर्ष पहले 60 मिलियन वर्ष की अवधि तक रहा। इसका नाम इंग्लैंड के डेवन नामक स्थान के नाम पर पड़ा जहाँ सर्वप्रथम इस युग की चट्टानें पाई गईं।

- एल्पीस्टोस्टिग मछलियों से भूमि कशेरुकों में रूपांतरण के निर्णायक चरण का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस परिवर्तन को मछली के सामने के पंखों द्वारा समर्थित किया गया था जिन्हें पेक्टोरल फिन (Pectoral Fins) कहा जाता है।
- इन पंखों में रेडियल (रेखीय) हड्डियां थीं जो उंगलियों की तरह एक पंक्ति में व्यवस्थित थीं।
- इन हड्डियों को ज़मीन पर वजन सहन करने का लचीलापन देना चाहिये था।

एल्पिस्टोस्टेज:

- एल्पिस्टोस्टेज पूरी तरह से जलीय थे। इनका शरीर मगरमच्छ जैसा, सपाट त्रिकोणीय सिर, जबड़े के आसपास कई दाँत होते थे।
- जीवाश्म वैज्ञानिकों (Palaeontologists) का मानना है कि एल्पीस्टोस्टेज अपने काल में, लवणीय (Brackish) मुहाना पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े शिकारी होते थे।
  - इन एल्पीस्टोटेज से विकसित होने वाले चार अंगों वाले जानवरों को टेट्रापोड (Tetrapods) कहा जाता था।

COVID- 19 के लिये प्रयोगात्मक थेरपी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US Food and Drug Administration- USFDA) ने COVID-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिये रक्त प्लाज़्मा का उपयोग करने को मंज़ूरी प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

- प्लाज़्मा स्थानांतरण की इस प्रणाली को कान्वलेसंट प्लाज़्मा थेरेपी (Convalescent Plasma Therapy- CPT) कहा जाता है। इसमें ऐसे रोगी जो COVID- 19 महामारी से ठीक हो चुके हैं, उनमें विकसित एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ठीक हुए लोगों का पूरा रक्त या प्लाज़्मा लिया जाता है तथा इस प्लाज़्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में मदद मिल सके।
- द लांसेट इंफेक्शियस डिज़ीज़ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, COVID-19 के मरीज़ सामान्यत: 10-14 दिनों में वायरस के खिलाफ प्राथमिक प्रतिरक्षा विकसित कर लेते हैं, इसलिये यदि प्रारंभिक अवस्था में प्लाज़्मा को इंजेक्ट किया जाता है, तो यह संभवत: वायरस से लड़ने तथा गंभीर बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है।
- एक अध्ययन के अनुसार, इस प्रकार के प्लाज़्मा के उपयोग से H1N1रोगियों में श्वसन तंत्र संबंधी विकार दूर करने तथा मृत्यु-दर कम करने में मदद मिली।

CPT के प्रयोग का अनुभव:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेनिश फ्लू (1918-1920 के दौरान) के रोगियों पर प्लाज़्मा इस्तेमाल किया था, इसी प्रकार वर्ष 2005 में हांगकांग ने सार्स रोगियों के इलाज के लिये तथा वर्ष 2009 में H1N1 रोगियों के इलाज में प्लाज़्मा का प्रयोग किया था। वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों पर इबोला तथा वर्ष 2015 में कांगो द्वारा MERS (Middle East Respiratory Syndrome) के रोगियों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है।

नोट :

CPT प्रक्रिया:

- प्लाज़्मा को एकत्रित करने की प्रक्रिया को बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाता है, इसके लिये केवल मानक रक्त संग्रह प्रथाओं तथा प्लाज़्मा संग्रहण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
- यदि संपूर्ण रक्त (350-450 मिलीलीटर) डोनेट किया जाता है, तो प्लाज़्मा को अलग करने के लिये रक्त विभाजन प्रक्रिया (Blood Fractionation Process) का उपयोग किया जाता है, अन्यथा दाता से सीधे प्लाज़्मा निकालने के लिये एक विशेष मशीन जिसे एफ़ैरेसिस मशीन (Aphaeresis Machine) कहा जाता है, का उपयोग किया जा सकता है। जब दाता से रक्त एफ़ैरेसिस मशीन द्वारा निकाल जाता है तो प्लाज़्मा किट का उपयोग करके यह मशीन प्लाज़्मा को अलग करके बाहर निकालती है तथा शेष रक्त घटकों को दाता के शरीर में वापस कर देती है।

WHO के दिशा-निर्देश:

- WHO के वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शरीर से प्लाज़्मा निकालने से पूर्व दाता की अनुमति आवश्यक है एवं ठीक हो चुके मरीज़ों से ही प्लाज़्मा लिया जा सकता है।
- एचआईवी, हेपेटाइटिस, सिफलिस या किसी संक्रामक बीमारी से संक्रमित लोगों के प्लाज़्मा का उपयोग नहीं लिया जाना चाहिये।
- यदि रोगी के पूरे रक्त को एकत्र किया जाता है, तो प्लाज़्मा को अवसादन (Sedimentation) या सेंट्रीफ्यूजेशन (Centrifugation) विधि द्वारा अलग करके रोगी में इंजेक्ट किया जाता है।
- यदि प्लाज़्मा को उसी व्यक्ति से फिर से इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, जिससे पहले भी प्लाज़्मा एकत्रित किया जा चुका हो तो पुरुषों के लिये पहले दान के 12 सप्ताह एवं महिलाओं से 16 सप्ताह के बाद प्लाज़्मा एकत्रित किया जाना चाहिये।

CPT की उपयोगिता:

- COVID-19 के लिये अभी कोई विशिष्ट उपचार नहीं उपलब्ध नहीं है, केवल सहायक देखभाल- जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स, सामान्य मामलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं एक्स्ट्राकोर्पोरियल झिल्ली ऑक्सीकरण (Extracorporeal Membrane Oxygenation) जैसी कुछ प्रणालियाँ शामिल हैं।
- प्लाज़्मा को दो प्रकार के COVID- 19 रोगियों में प्रयोग किया जा सकता है- जिन लोगों को गंभीर बीमारी हो या जिन लोगों को वायरस से संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है।
- ठीक हो चुके मरीज़ों के प्लाज़्मा के साथ न केवल एंटीबॉडी अपितु संक्रमण का भी खतरा हो सकता है, हालांकि इस बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है।

भारत में उपयोगिता:

- भारत में फेरेसिस (Aphaeresis) का उपयोग करके दाता से 500 मिलीलीटर प्लाज़्मा निकालने की सुविधा उपलब्ध है।
- इसे प्रायोगिक रूप में शुरू करने के लिये COVID-19 के रोगियों से प्लाज़्मा निकालने के लिये ब्लड बैंकों को 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drug Controller General of India- DCGI) की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।
- वैज्ञानिकों के अनुसार यह उपचार विधि 40-60 वर्ष की आयु के रोगियों के लिये प्रभावी हो सकती है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में यह अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगी।
- वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में दाता के अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया बहुत लंबी है, अत: भारत में इस तकनीक के प्रयोग में प्रक्रिया एक बहुत बड़ी बाधक है।

आगे की राह:

ऐसे समय में जब नोवल कोरोनोवायरस रोग के लिये कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है तथा अभी वैक्सीन निर्माण में कम-से-कम एक वर्ष और लगने की उम्मीद है ऐसे में CPT विधि एक सहायक विधि के रूप में कारगर साबित हो सकती है।

नोट :

हिमालयन आईबेक्स

चर्चा में क्यों?

'एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रिसर्च' (Endangered Species Research) पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार 'भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण' (Zoological Survey of India- ZSI) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए अध्ययन में यह देखा गया है कि हिमालयन आईबेक्स (Himalayan Ibex) प्रजाति, साइबेरियन आईबेक्स (Siberian Ibex) प्रजाति से अलग तथा विशिष्ट प्रजाति है।

मुख्य बिंदु:

- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Himalayan Studies) के माध्यम से वित्त पोषित एक परियोजना के तहत, लाहौल तथा स्पीति (हिमाचल प्रदेश) में आईबेक्स पर फील्ड सर्वेक्षण किया किया तथा इसके मल के नमूने एकत्र किये गए।
- मध्य एशिया, ताजिकिस्तान, अल्ताई पर्वत, मंगोलिया और रूस की श्रेणियों में पाई जाने वाली आईबेक्स की प्रजातियों के आनुवांशिक अनुक्रम विश्लेषण किया गया तथा इसमें यह पाया गया कि हिमालयन साइबेरियाई आईबेक्स की अन्य सभी श्रेणियों से आनुवंशिक रूप से अलग है।
- आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि साइबेरियन आईबेक्स की आनुवांशिक संरचना में प्लीस्टोसिन युग (2.4 मिलियन वर्ष पहले) में परिवर्तन आया था न कि मायोसीन-प्लायोसीन (6.6 मिलियन वर्ष) युग के दौरान।

आईबेक्स का वितरण:

- **भौगोलिक क्षेत्र:**
  - साइबेरियन आईबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो शीत मरुस्थल, चट्टानी दृश्य भूमि, तीव्र ढाल के क्षेत्र, उच्च समतल भूमि, पर्वतीय कगार तथा पहाड़ों की तलहटी जैसे विभिन्न आवासों में निवास करती है।
- **वैश्विक वितरण:**
  - इसकी आबादी मंगोलिया से अल्ताई, हंगाई (Hangai), गोबी-अल्ताई, हुरुख पर्वत (Hurukh Mountain) जैसी पर्वत शृंखलाओं के साथ-साथ सयान पर्वत (Sayan Mountains) तक पाई जाती है तथा कुछ-कुछ आबादी ट्रांस-अल्ताई गोबी के छोटे पहाड़ों में पाई जाती है।
- **एशिया में वितरण:**
  - एशिया में आईबेक्स भारत, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, दक्षिणी साइबेरिया तथा चीन में 500 मीटर से 6,700 मीटर की ऊँचाई के पर्वतीय आवसों में निवास करती है।
- **भारत में वितरण:**
  - भारत में आईबेक्स मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के ट्रांस-हिमालय पर्वत श्रेणियों तथा हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी क्षेत्र तक पाई जाती है।

हिमालयन आईबेक्स:

- इसे IUCN (International Union for Conservation of Nature) की लीस्ट कंसर्ड (Least Concerned) श्रेणी में रखा गया है।
- इसका वैज्ञानिक नाम कैप्रा सिबेरिका (Capra Sibirica) है।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम) की सूची-1 में रखा गया है।
- यह भारत में मुख्यत: पिन वैली (हिमाचल प्रदेश) तथा कांजी अभयारण्य (जम्मू-कश्मीर) में पाई जाती है।

शोध का महत्त्व:

- इस अध्ययन से आईबेक्स के वितरण तथा विकास प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।

नोट :

- यह अध्ययन वैश्विक विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगा तथा IUCN के तहत प्रजातियों का फिर से मूल्यांकन करने में मदद करेगा।
- भारत-ताजिकिस्तान आईबेक्स की विशिष्ट पहचान वैश्विक स्तर पर इस प्रजाति के संरक्षण को प्राथमिकता देगा।

आगे की राह:

- वैज्ञानिक समुदाय अब यह समझने की कोशिश कर रहे है कि किस प्रकार पर्वतीय दोलन (Mountain Oscillations: पर्वतीय ऊँचाई में समय के साथ परिवर्तन) एलोपैट्रिक प्रजातियों को जन्म देता है।

प्रजातीयकरण (Speciation):

- प्रजातीयकरण नए प्रकार के पौधे या जानवरों की प्रजाति उत्पत्ति संबंधी अवधारणा है। प्रजातीयकरण तब होता है जब एक प्रजाति के भीतर एक समूह अपनी प्रजातियों के अन्य सदस्यों से अलग हो जाता है तथा अपनी अनूठी विशेषताओं को विकसित करता है।
- प्रजातीयकरण के पाँच प्रकार के होते हैं, इनमें से एलोपैट्रिक तथा सिम्पैट्रिक महत्त्वपूर्ण हैं।

एलोपैट्रिक (Allopatric):

- जलवायु परिवर्तन की एक श्रृंखला, कालिक स्थलाकृतिक रुपांतरण प्रजातियों के सतत वितरण को प्रभावित करती है तथा एलोपैट्रिक प्रजातियों को जन्म देती है क्योंकि भौगोलिक तथा प्रजनन अलगाव के कारण विशिष्ट प्रजातियों की उत्पत्ति होती है।

सिम्पैट्रिक (Sympatric):

- यहाँ भौतिक बाधा नहीं होती परंतु नई प्रजाति, शायद एक अलग खाद्य स्रोत या विशेषता के आधार पर अकस्मात विकसित होने लगती है, अर्थात कुछ प्रजातियाँ पर्यावरण के कुछ विशिष्ट कारकों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे कि आश्रय या भोजन के स्रोत, जबकि अन्य प्रजातियाँ इन पर निर्भर नहीं होते हैं।

The Vision

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र में जल संकट

चर्चा में क्यों?

जल नीति (Water Policy) पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन तथा अपर्याप्त शहरी नियोजन के कारण हिंदू-कुश हिमालय (Hindu Kush Himalayan- HKH) क्षेत्र के चार देशों - बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के 13 नगरों में से 12 नगर जल-असुरक्षा (Water Insecurity) का सामना कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

- यह हिंदू-कुश हिमालय पर किया गया प्रथम अध्ययन है जो पानी की उपलब्धता, पानी की आपूर्ति प्रणाली, बढ़ते नगरीकरण और जल की मांग (दैनिक और मौसमी दोनों) में वृद्धि तथा बढ़ती जल असुरक्षा के मध्य संबंध स्थापित करता है।
- इस अध्ययन में भौतिक वैज्ञानिक, मानवविज्ञानी, भूगोलविद् और योजनाकार आदि से मिलकर बनी बहु-अनुशासित टीम शामिल थी।

हिंदू-कुश हिमालयन (HKH) क्षेत्र:

- यह भारत, नेपाल और चीन सहित आठ देशों में फैला हुआ है, जो लगभग 240 मिलियन लोगों की आजीविका का साधन है।
- HKH क्षेत्र को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है क्योंकि यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद स्थायी हिम आवरण का तीसरा बड़ा क्षेत्र है।
- यहाँ से 10 से अधिक नदियों का उद्गम होता है, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेकांग जैसी बड़ी नदियाँ शामिल हैं।

जल-असुरक्षा के कारण:

- इस अध्ययन में जल असुरक्षा के निम्नलिखित कारणों की पहचान की गई है:
  - खराब जल प्रशासन
  - खराब शहरी नियोजन
  - खराब पर्यटन प्रबंधन
  - जलवायु संबंधी जोखिम और चुनौतियाँ
- यहाँ के योजनाकारों और स्थानीय सरकारों ने इन नगरों में दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया।
- ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवासन से हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र में नगरीकरण लगातार बढ़ रहा है। यद्यपि वर्तमान में यहाँ के बड़े नगरों की आबादी केवल 3% तथा छोटे शहरों की आबादी केवल 8% है, लेकिन अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2050 तक नगरीय आबादी 50% से अधिक हो जाएगी, इससे जल तनाव बहुत बढ़ जाएगा।
- यहाँ 8 कस्बों में जल की मांग और आपूर्ति का अंतर 20-70% के बीच है तथा मांग-आपूर्ति का यह अंतर वर्ष 2050 तक दोगुना हो सकता है।
- यहाँ की नियोजन प्रक्रियाओं में नगरों के आसपास के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, इससे प्राकृतिक जल निकायों (स्प्रिंग्स, तालाबों, झीलों, नहरों और नदियों) का अतिक्रमण तथा अवनयन हो गया, साथ ही इन क्षेत्रों की पारंपरिक जल प्रणालियाँ भी नष्ट हो गईं।

जल संकट से प्रभावित नगर:

- हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र के 12 नगरों में जल प्रबंधन संबंधी समस्या देखी गई है, ये इस प्रकार हैं:
  - मुर्रे(Murree) और हैवेलियन (पाकिस्तान)
  - काठमांडू, भरतपुर, तानसेन और दामौली (नेपाल)
  - मसूरी, देवप्रयाग, सिंगतम, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग (भारत)
  - सिलहट (बांग्लादेश)

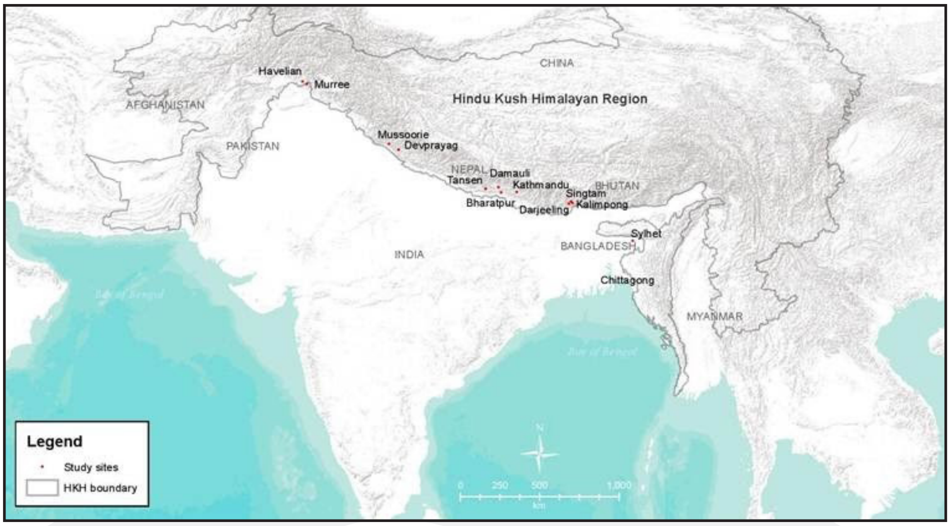

जल संकट का समाधान:

- योजनाकारों और स्थानीय सरकारों को नगरों में सतत् जलापूर्ति के लिये दीर्घकालिक रणनीतियों को अपनाना चाहिये।
- एक समग्र जल प्रबंधन दृष्टिकोण, जिसमें स्प्रिंगसशेड प्रबंधन (Springshed Management) और नियोजित अनुकूलन (Planned Adaptation) शामिल हो, को सर्वोपरि रखकर नीतियों का निर्माण करना चाहिये।

स्प्रिंग्स (Springs):

- स्प्रिंग्स मूल रूप से भूजल निर्वहन के प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका उपयोग विश्व में पर्वतीय क्षेत्रों के साथ-साथ भारत में भी बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है।
- स्प्रिंग्स वह स्रोत बिंदु है जहाँ किसी जलभृत (Aquifer) से जल निकलकर पृथ्वी की सतह पर बहता है। यह जलमंडल का एक घटक है।
- नगरिय जल निकायों तथा आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाना चाहिये क्योंकि ये न केवल बाढ़ आदि रोकने में मदद करते हैं अपितु पारिस्थितिक तंत्र को भी मज़बूती प्रदान करते हैं।

आगे की राह:

हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र के सभी देशों को मिलकर सक्षम वातावरण और संस्थाएँ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो पर्वतीय लोगों को समावेशी विकास और सतत् विकास के लाभों को साझा करने के लिये सशक्त करें।

आपदा प्रबंधन के लिये फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी

प्रीलिम्स के लिये:

फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी

मेन्स के लिये:

आपातकालीन संचालन केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स' (International Advanced Research for Powder Metallurgy & New Materials- ARCI) विकास केंद्र, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने 'पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल' (Polymer Electrolyte Membrane fuel cells- PEMFC) का विकास किया है।

मुख्य बिंदु:

- ARCI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Centre of Department of Science and Technology- DST) का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
- ARCI के फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई द्वारा 1-20 किलोवाट (kW) की पावर रेंज वाले इन-हाउस PEMFC सिस्टम को विकसित किया है।

पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल (PEMFC):

- PEMFC हाइड्रोजन ईंधन में संग्रहीत रासायनिक ऊर्जा को सीधे तथा दक्ष तरीके से विद्युत ऊर्जा में बदलता है साथ ही इसमें पारंपरिक बैटरी; जो ऊर्जा बैकअप के लिये ग्रिड-ऊर्जा पर निर्भर रहती है, की भी आवश्यकता नहीं होती है।
- PEMFC तकनीक पर आधारित फ्यूल सेल का विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों में अनुप्रयोग किया जा सकता है साथ ही इसका परिचालन कम तापमान पर किया जा सकता है।
- ये सेल उप-उत्पाद के रूप में केवल जल का निर्माण करते हैं।

तकनीक के लाभ:

- ऊर्जा के उपभोग में कमी आएगी तथा स्थायी विद्युत आपूर्ति संभव होगी।
- प्रदूषक उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी।
- विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों में अनुप्रयुक्त करना संभव होगा।

आपातकालीन संचालन केंद्र:

- 10 kW क्षमता से युक्त 'आपातकालीन संचालन केंद्र' (Emergency Operation Centres- EOC) का निर्माण किया जाएगा। इन EOC में फ्यूल सेल स्टैक (ग्रिड पावर की आवश्यकता के बिना हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके स्थायी बिजली प्रदान करना) स्थापित किये जाएंगे ताकि लगातार विद्युत की आपूर्ति संभव हो सके।
- इन EOC को एयर मूविंग सब सिस्टम, पावर कंट्रोल डिवाइसेज़ तथा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन उपायों के अनुरूप बनाया गया है।

आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोग:

- आपदा प्रबंधन चक्र में हाल ही में मूलभूत परिवर्तन (Paradigm Shift) आया है तथा वर्तमान समय में आपदा अनुक्रिया-केंद्रित (Response-Centric) चरण के स्थान पर आपदा प्रबंधन चक्र के प्रारंभिक तथा आपदा के दौरान चरण पर अधिक बल दिया जा रहा है, ताकि भविष्य की आपात-स्थितियों का सामना किया जा सके।
- इस हेतु सभी देश आपदा नियंत्रण कक्षों (Control Rooms) को आपातकालीन संचालन केंद्रों (EOC) में बदल रहे हैं।
- EOC अत्याधुनिक संचार प्रणालियों से युक्त होते हैं तथा आपातकालीन स्थिति के दौरान EOC तुरंत प्रतिक्रिया करके आपदा के 'गोल्डन हॉवर' (दुर्घटना के तुरंत बाद के कुछ घंटो का समय) के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करते हैं।

आपदा प्रबंधन के चरण:

- आपदा पूर्व-तैयारी (Pre-Crisis Preparedness):
  - रोकथाम (Prevention)
  - शमन (Mitigation)
  - तैयारी (Preparedness)
- आपदा के दौरान
  - आपातकालीन प्रत्युत्तर तथा तुरंत सहायता उपलब्ध करना।

नोट :

आपदा के बाद का चरण:

- बचाव (Rescue)
- राहत (Relief)
- पुनर्वास (Rehabilitation)
- पुनर्निर्माण (Reconstruction)

तमिलनाडु सरकार की पहल:

- वैज्ञानिकों द्वारा विकसित PEMFC तकनीक तमिलनाडु तथा देश के अन्य राज्यों में ऐसे आपातकालीन संचालन केंद्रों को स्थापित करने में मदद करेगी। अकेला तमिलनाडु राज्य प्रतिवर्ष 5-6 चक्रवातों से प्रभावित होता है, जिनमें से 2-3 चक्रवात गंभीर प्रकृति के होते हैं।
- इन चुनौतियों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 kW क्षमता वाले फ्यूल सेल स्टैक प्रणाली के साथ मौजूदा नियंत्रण कक्ष को EOC में परिवर्तित करने का फैसला किया।

बदलती जनसांख्यिकी एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों ने भारत में आपदा जोखिमों के प्रति सुभेद्यता को बढ़ा दिया है ऐसे में EOC का निर्माण इन आपदाओं से निपटने में मदद करेगा।

सौर कलंक सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी (American Astronomical Society) के शोध पत्र के अनुसार, 'भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान' (Indian Institute of Science Education and Research- IISER) कोलकाता के शोधकर्त्ताओं ने सौर कलंक के नवीन सौर चक्र (Solar Cycle) की पहचान की है।

मुख्य बिंदु

- पिछले कुछ सौर चक्रों में सौर कलंक की तीव्रता कम रही है, जिससे ऐसा अनुमान था कि एक लंबे सौर ह्रास काल के साथ यह चक्र समाप्त हो जाएगा। हालाँकि IISER की शोध टीम के अनुसार, ऐसे संकेत हैं कि 25वाँ सौर चक्र हाल ही में प्रारंभ हुआ है।
- पिछले तीन सौर चक्रों पर सौर गतिविधियाँ कमज़ोर रही हैं अत: 25वें सौर चक्र के प्रारंभ होने से समय को लेकर अनेक विवाद जुड़ गए हैं।
- IISER ने इस शोध कार्य में नासा के अंतरिक्ष-आधारित 'सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी' के डेटा का इस्तेमाल किया।

सौर कलंक

- सौर कलंक सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे स्थान होते हैं, जिनकी संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र में वृद्धि तथा कमी होती है जिन्हें क्रमश: सौर कलंक के विकास तथा ह्रास का चरण कहा जाता है, वर्तमान में इस चक्र की न्यूनतम संख्या या ह्रास का चरण चल रहा है।
- पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 148 मिलियन किमी. होने के कारण यह शांत और स्थिर प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में सूर्य की सतह से विशाल सौर फ्लेयर्स एवं कोरोनल मास इजेक्शन्स (Coronal Mass Ejections- CMEs) का बाहरी अंतरिक्ष में उत्सर्जन होता है।
- इनकी उत्पति सूर्य के आंतरिक भागों से होती है लेकिन ये तभी दिखाई देते हैं जब ये सतह पर उत्पन्न होते हैं। वर्ष 2019 तक खगोलविदों ने 24 सौर चक्रों का दस्तावेज़ीकरण किया है।

सौर प्रज्वला (Solar Flares)

- सौर प्रज्वला सूर्य के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के स्पर्श, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण होने वाली ऊर्जा का अचानक विस्फोट है।

कोरोनल मास इजेक्शन्स (CMEs)

- कोरोनल मास इजेक्शन्स (CME) सूर्य के कोरोना से प्लाज़्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है जिसमें अरबों टन कोरोनल सामग्री उत्सर्जित होती है तथा इससे पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।

नोट :

माउंडर मिनिमम (Maunder Minimum)

- जब न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि दीर्घकाल तक रहती है तो इसे 'माउंडर मिनिमम' कहते हैं।
- वर्ष 1645-1715 के बीच की अवधि में सौर कलंक परिघटना में विराम देखा गया जिसे 'माउंडर मिनिमम' कहा जाता है। यह अवधि तीव्र शीतकाल से युक्त रही, अत: सौर कलंक अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है।
- माउंडर मिनिमम के समय धरातलीय सतह तथा उसके वायुमंडल का शीतलन, जबकि अधिकतम सौर कलंक सक्रियता काल के समय वायुमंडलीय उष्मन होता है।
- इस तरह के संबंधों का कम महत्त्व है, लेकिन सौर गतिविधि निश्चित रूप से अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती है तथा इससे अंतरिक्ष-आधारित उपग्रह, जीपीएस, पावर ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं।

डाल्टन मिनिमम (Dalton Minimum)

- यह वर्ष 1790-1830 के बीच की अवधि है जिसमे सौर कलंक की तीव्रता कम रही, परंतु इस अवधि में सौर कलंकों की संख्या 'माउंडर मिनिमम' से अधिक थी।

सौर गतिकी (Solar dynamo)

- सूर्य में उच्च तापमान के कारण पदार्थ प्लाज़्मा के रूप में उत्सर्जित होते हैं, सूर्य गर्म आयनित प्लाज़्मा से बना होता है, सूर्य की गतिकी के कारण प्लाज़्मा में दोलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
- सौर डायनेमो की इस प्रकृति के कारण चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है तथा इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के साथ सौर कलंक की संख्या में भी परिवर्तन होता है।

25वाँ सौर चक्र

- सौर कलंक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, शोधकर्त्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्रों के ऐसे 74 जोड़ों के अध्ययन में पाया कि इनमें से 41 का अभिविन्यास 24वें चक्र के अनुरूप एवं 33 का अभिविन्यास 25वें चक्र के अनुरूप है। अत: इस प्रकार वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सौर कलंक का 25वाँ चक्र सूर्य के आंतरिक भाग में चल रहा है।
- छोटे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय ध्रुवीयता अभिविन्यास के साथ कुछ पूर्ण विकसित सौर कलंक दिखाई देने लगे हैं जो बताते हैं कि सौर कलंक चक्र का 25वाँ चक्र सौर सतह पर दिखाई देना शुरू हो गया है और यह 25वें सौर चक्र के प्रारंभ को बताता है।

हिमालयी क्षेत्र और भू-जल

चर्चा में क्यों ?

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism-IIG) के शोधकर्त्ताओं ने भू-जल में मौसमी बदलावों के आधार पर हिमालय को घटते और अपनी स्थिति परिवर्तित करते हुए पाया है।

प्रमुख बिंदु

- जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च में प्रकाशित इस नए अध्ययन से पता चलता है कि सामान्य कारणों के अलावा भू-जल में मौसमी बदलाव से भी इस प्रकार की कमी या स्थिति परिवर्तन देखने को मिलता है।
- अध्ययन के अनुसार, जल एक लुब्रिकेटिंग एजेंट (Lubricating Agent) के रूप में कार्य करता है, और इसलिये जब शुष्क मौसम में बर्फ पिघलने पर पानी की मौजूदगी में इस क्षेत्र में फिसलन की दर कम हो जाती है।
- शोधकर्त्ताओं ने ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) और ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (GRACE) डेटा का एक साथ उपयोग किया, जिसके कारण शोधकर्त्ताओं के लिये हाइड्रोलॉजिकल द्रव्यमान की विविधता को निर्धारित करना संभव हो पाया है।
- अनुसंधानकर्त्ताओं के अनुसार, GPS और GRACE का संयुक्त डेटा हिमालय की उप-सतह में 12 प्रतिशत की कमी होने का संकेत देता है।

ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS)

ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) जो कि उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है, मुख्यत: तीन प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है- अवस्थिति, नेविगेशन एवं समय संबंधी सेवाएँ। ये सेवाएँ पृथ्वी की कक्षा में परिभ्रमण करते उपग्रहों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं।

ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (GRACE)

वर्ष 2002 में अमेरिका द्वारा लॉन्च किये गए ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (GRACE) उपग्रह, विभिन्न महाद्वीपों पर पानी और बर्फ के भंडार में बदलाव की निगरानी करते हैं।

लाभ

- चूँकि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु को प्रभावित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिये इस अध्ययन से यह समझने में मदद मिलेगी कि जल-विज्ञान किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है।
- यह अध्ययन वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं के लिये हिमालयी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति से निपटने में मददगार साबित हो सकता है जहाँ जल की उपलब्धता के बावजूद शहरी क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि अब तक किसी ने भी जल-विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण से हिमालय का अध्ययन नहीं किया है। यह अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा वित्तपोषित है।

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism-IIG)

- भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
- भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (IIG) की स्थापना वर्ष 1971 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित है।
- IIG का उद्देश्य भू-चुंबकत्व के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करना और वैश्विक स्तर पर भारत को एक मानक ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- IIG जियोमैग्नेटिज़्म और संबद्ध क्षेत्रों जैसे- सॉलिड अर्थ जियोमैग्नेटिज़्म/जियोफिजिक्स, मैग्नेटोस्फीयर, स्पेस तथा एटमॉस्फेरिक साइंसेज़ आदि में बुनियादी अनुसंधानों का आयोजन करता है।

खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने खनिज कानून (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957] तथा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 [Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015] में संशोधन का प्रावधान करता है।
- उपभोग, बिक्री अथवा किसी अन्य उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी की अनुमति दी जा सकेगी।

विधेयक का उद्देश्य

- संशोधित विधेयक में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी कंपनियाँ जिनके पास भारत में कोयला खनन का अनुभव नहीं है और/अथवा उन्हें अन्य खनिज पदार्थों या अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- इससे न केवल कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि कोयला क्षेत्र में एफडीआई (FDI) नीति के कार्यान्वयन को सरल बनाया जा सकेगा।

- जो कंपनियाँ "स्पेसीफाइड इंड-यूज़ (Specified end-use)" में शामिल नहीं हैं, वे अनुसूची II और III की कोयला खानों की नीलामी में भाग ले सकती हैं।
- विधेयक में कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के लिये लाइसेंस और खनन पट्टे (Prospecting Licence-Cum-Mining lease (PL-cum-ML) देने का प्रावधान है, इससे कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की संख्या बढ़ेगी।

लाइसेंस संबंधी मुद्दे:

- नए पट्टे देने की तारीख से दो साल की अवधि तक के लिये अन्य मंज़ूरियों के साथ पर्यावरण और वन मंज़ूरी स्वत: खनिज ब्लॉकों के नए मालिकों को हस्तांतरित हो जाएगी।
- यह विधेयक नए पट्टा धारक के लिये बगैर किसी समस्या के खनन कार्य जारी रखना सुनिश्चित की अनुमति देगा।
- अवधि खत्म होने से पहले ही, वे दो साल की अतिरिक्त अवधि हेतु नए लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- यह सरकार को खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु अग्रिम कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा ताकि मौजूदा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नए पट्टे धारक का फैसला किया जा सके ताकि देश में खनिजों का बाधारहित खनन हो सके।

विधेयक के लाभ:

- इस संशोधन से भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र में "कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business)" को बढ़ावा मिलेगा।
- खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 से देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा एवं आयात पर निर्भरता कम होगी।

कोयले के अंतिम-उपयोग से प्रतिबंध हटाना:

- वर्तमान में नीलामी के माध्यम से अनुसूची II और अनुसूची III के तहत कोयला खानों का अधिग्रहण करने वाली कंपनियाँ केवल बिजली और इस्पात उत्पादन जैसे निर्दिष्ट के अंतिम उपयोगों के लिये कोयले का उपयोग कर सकती है।
- सफल बोलीदाताओं/आवंटियों को अपने किसी भी प्लांट अथवा सहायक कंपनी अथवा नियंत्रक कंपनी (Holding Company) में खनन किये गए कोयले का उपयोग करने का अधिकार होगा।

कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण:

- भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 में हुआ था।
- कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के कुछ समय बाद ही 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd.) की स्थापना एक होल्डिंग कंपनी के रूप में हुई थी।

खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957:

यह भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है और खनन कार्यों के लिये खनन लीज़ प्राप्त करने और जारी करने संबंधी नियमों का निर्धारण करता है।

कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015:

इस अधिनियम का उद्देश्य कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करना और कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही प्रतिस्पर्द्धी बोली (Bidding) के आधार पर कोयला खानों के आवंटन में सरकार को सशक्त बनाना है।

परिवहन लागत को कम करने के लिये जलमार्ग का उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नौवहन राज्य मंत्री ने राज्यसभा में परिवहन लागत को कम करने हेतु जलमार्ग के उपयोग से संबंधित जानकारी दी है।

मुख्य बिंदु:

- अंतर्देशीय जल परिवहन का उपयोग कर परिवहन की लागत में महत्त्वपूर्ण बचत की जा सकती है।

- RITES, 2014 रिपोर्ट के अनुसार, स्थल परिवहन के साधनों पर लागत का अन्य परिवहन के माध्यमों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित है:

मार्ग	राजमार्ग	रेलवे	अंतर्देशीय जल परिवहन
लागत (रुपए/टन-किमी.)	2.50	1.36	1.06

- राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (कोट्टापुरम से कोल्लम तक वेस्ट कोस्ट नहर) का परिचालन किया जा रहा है एवं इन जलमार्गों पर जहाज़ों का आवागमन जारी है।
- आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के विजयवाड़ा-मुक्ताला खंड में फेयरवे विकास कार्य (Fairway Development Works) (राष्ट्रीय जलमार्ग-4 का हिस्सा) पूरा हो चुका है।
- इब्राहिमपटनम, हरिश्चंद्रपुरम, मुक्ताला और मादीपाडू में फिक्स्ड टर्मिनल (Fixed Terminals) के लिये भूमि अधिग्रहण एवं चार पीपे के पुल का निर्माण किया गया है।

8 नए राष्ट्रीय जलमार्गों जिन पर निर्माण गतिविधियाँ शुरू की गई हैं, विवरण निम्नलिखित है:

राज्य और जलमार्ग	कार्य की स्थिति
1. असम में बराक नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-16)	सिलचर से भंगा तक राष्ट्रीय जलमार्ग -16 के चरण -1 के लिये 76.01 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू किया गया है। इसमें बदरपुर और करीमगंज में टर्मिनलों का उन्नतीकरण एवं ड्रेजिंग (dredging) का रखरखाव शामिल है।
2. बिहार में गंडक नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-37)	आवश्यक प्रारंभिक विकास प्रक्रिया पूरी कर ली गई है एवं आगे का विकास कार्य मांग के अनुसार पूरा किया जाएगा।
गोवा में जलमार्ग 3.. राष्ट्रीय जलमार्ग-27-कंबरजुआ 4. राष्ट्रीय जलमार्ग-68-माण्डवी 5. राष्ट्रीय जलमार्ग-111-जुवारी	• गोवा में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु गोवा सरकार और मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (Mormugao Port Trust) के बीच एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए हैं। • गोवा में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु लगभग 22.65 करोड़ रुपए का कार्य प्रारंभ किया गया है। • माण्डवी नदी पर 11.33 करोड़ रुपए की लागत से 3 तैरती हुई सेतुओं का निर्माण किया गया है।
6. केरल में अलप्पुझा-कोट्टायम-अथिरमपुझा नहर (राष्ट्रीय जलमार्ग-9)	फेरी सेवाओं के लिये जलमार्ग पहले से ही चालू है। मई 2019 में वर्ष 2019-20 के दौरान निष्पादित कार्यों के रख-रखाव के लिये 88 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही रात्रि के समय नेविगेशन की सुविधाएँ सुनिश्चित की गई हैं।
7. पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-86)	24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जलमार्ग का कार्य शुरू किया गया तथा फ्लोटिंग टर्मिनल की स्थापना हेतु भी कार्य शुरू किया गया है।
8. पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग-97)	19.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जलमार्ग का निर्माण शुरू हुआ है। हेमनगर में बुनियादी ढाँचे को उन्नत किया गया।

जलमार्ग विकास परियोजना की वित्तीय स्थिति:

- अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India-IWAI), विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नेविगेशन की क्षमता वृद्धि हेतु 5369.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल मार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project-JMVP) को कार्यान्वित कर रहा है।
- JMVP को वैधानिक मंज़ूरी मिलने के बाद तीन साल की समयावधि के दौरान इस परियोजना के तहत लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से कार्य आरंभ हुआ है इनमें वाराणसी और साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल और तलकर्षण के लिये तीन अनुबंध शामिल हैं।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण:

- अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 27 अक्तूबर, 1986 को की गई।
- IWAI जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह जहाज़रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा (New Okhla Industrial Development Authority-NOIDA) में क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अनुसार, अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- वर्ष 2018 में IWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल 'फोकल' (Forum of Cargo Owners and Logistics Operators-FOCAL) लॉन्च किया था जो जहाज़ों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है।

संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

'भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र' (The Indian National Centre for Ocean Information Services- INCOIS), हैदराबाद ने सूचना दी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization- ISRO) के ओशनसैट सैटेलाइट (Oceansat Satellite) के आँकड़ों का प्रयोग 'संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र' (Potential Fishing Zone- PFZ) संबंधी एडवाज़री (Advisories) तैयार करने में किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- ISRO ने वर्ष 2002 में ही PFZ एडवाज़री जारी करने संबंधी परिचालन सेवा को विकसित कर ली थी।
- सेवा प्रदान करने में इसरो के ओशनसैट -2 उपग्रह से प्राप्त क्लोरोफिल सांद्रता एवं 'नेशनल ओशनिक एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic Atmospheric Administration-NOAA) द्वारा समुद्र सतह के तापमान (Sea Surface Temperatures- SST) पर एकत्रित किये गए डेटा का उपयोग किया जाता है।

तकनीक की कार्यप्रणाली:

- सैटेलाइट के माध्यम से 'ओशन कलर मॉनीटर' (Ocean Colour Monitor- OCM) द्वारा क्लोरोफिल की सांद्रता एवं एडवांस्ड वेरी हाई रेज़ोल्यूशन रेडियोमीटर (Advanced Very High Resolution Radiometer- AVHRR) से सागरीय सतह के तापमान (SST) का मापन किया जाता है।

नोट :

PFZ क्षेत्र:

- PFZ क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में पेलेजिक जीवों (Pelagic) तथा 'वाटर कॉलम हैबिटैट' (Water Column habitat) का प्रतिशत अधिक होता है।

सागरीय पर्यावरणीय की दशाओं के आधार पर सागरीय बायोम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है-

1. पेलेजिक ज़ोन: पैलेजिक ज़ोन का विस्तार सागरीय बायोम में सर्वाधिक है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-

- प्रकाशिक बायोम: उपरी 200 मीटर तक सागरीय जल
- अप्रकाशित बायोम: 200 मीटर से नीचे का सागरीय जल

2. बेन्थिक:

- सागरीय ढालों पर पाया जाने वाला बायोम

पेलेजिक मछली (Pelagic Species):

- पेलेजिक ज़ोन में रहने वाली मछलियों को उनके आवास स्थान के आधार पर पेलेजिक मछली कहा जाता है। यथा- एंकोवी, सार्डिन।

जल स्तंभ आवास (Water Column Habitat):

- यह लंबवत सागरीय प्रकोष्ट होता है जिसका निर्धारण इसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है।
- तथा जल के रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर मछली वितरण सहित पानी के स्तंभ के जैविक घटकों को प्रभावित करता है।

तकनीक का लाभ:

- 'नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च' द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार अंतरिक्ष आधारित इस सेवा से डीज़ल की खपत में कमी होने से कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आई है, जो 36,200 करोड़ रुपए के कार्बन क्रेडिट के समतुल्य (Carbon Credit Equivalent) है।
- एक अन्य अध्ययन के अनुसार, 32 मछली पकड़ने वाली नौकाओं से लगभग 70,000 लीटर डीज़ल की बचत होती है।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS):

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- INCOIS का मुख्य अधिदेश महासागर का अवलोकन कर इससे संबंधित जानकारियों को जनसामान्य के लिये सुलभ बनाना है।
- INCOIS का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA):

- वैज्ञानिक शुद्धता की संस्कृति को बढ़ावा देकर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिये अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत वर्ष 1970 में नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी।
- NOAA का उद्देश्य जलवायु, मौसम, महासागरों और तटीय स्थितियों में परिवर्तन को समझना तथा उनकी भविष्यवाणी करना है।

ओशनसैट- 2 (Oceansat- 2):

- यह IRS प्रकार का मिशन है जिसे 23 सितंबर, 2009 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C14 द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसमें 3 पेलोड शामिल थे:
  - महासागर कलर मॉनीटर (OCM)
  - Ku-बैंड पेंसिल बीम स्कैटरोमीटर (SCAT)
  - वायुमंडलीय ध्वनि वातावरण प्रच्छादन (Radio Occultation Sounder for Atmosphere- ROSA)।

सामाजिक मुद्दे

उड़ीसा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

ओडिशा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (Odisha Scheduled Caste and Scheduled Tribe Research and Training Institute- SCSTRTI) द्वारा ऐसे संभावित क्षेत्रों का एक मानचित्र तैयार किया गया है, जहाँ 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006] लागू किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- 27 फरवरी, 2020 को केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री द्वारा भुवनेश्वर में जारी किये गए मानचित्र में 27,818.30 वर्ग किमी. क्षेत्र को चिह्नित किया गया है जहाँ सामुदायिक वन संसाधन (Community Forest Resources- CFR) अधिकारों को मान्यता दी जा सकती है।
- इस मानचित्र के अनुसार, 7,921.36 वर्ग किमी. क्षेत्र को व्यक्तिगत वन अधिकार (Individual Forest Rights- IFR) के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

CFR और IFR:

- CFR अधिकारों पारंपरिक वन सीमाओं के आधार पर सभी ग्राम सभाओं को प्राप्त होते हैं।
- वन भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को IFR संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल चार हेक्टेयर से अधिक नहीं हो सकता है।
- यह दोनों अधिकार 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' से लिये गए हैं।
- सितंबर 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, CFR अधिकारों के लिये केवल 951.84 वर्ग किमी. और IFR के लिये 2,600.27 वर्ग किमी. क्षेत्र को मान्यता दी गई है।
- इस मानचित्र में वन क्षेत्र की पहचान के लिये वर्ष 1999 के 'भारतीय वन सर्वेक्षण' की रिपोर्ट और जनगणना 2001 के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

लाभ:

यह नीति निर्माताओं और वन आश्रित समुदायों को इस बात का आकलन करने करने में सहायता करेगा कि यह कानून किस हद तक लागू किया गया है।

इस नए अनुमान में 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' की मान्यता की योजना एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिये एक आधार रेखा की पेशकश की गई है।

मानचित्र के लिये किया गया शोध:

- इस मानचित्र संबंधी शोध को ओडिशा SCSTRTI द्वारा 'वसुंधरा' नामक एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- वर्ष 2014 में SCSTRTI ने मयूरभंज जिले में संभावित FRA क्षेत्रों के लिये एक पायलट अध्ययन का निष्पादन किया और निष्कर्ष प्रस्तुत किया। वर्ष 2015 में इस संबंध में सभी राज्यों से अध्ययन की मांग की गई थी परंतु अभी तक केवल ओडिशा ने ही अपना कार्य पूर्ण किया है।

नोट :

- ओडिशा में कई रियासतें थीं। स्वतंत्रता के बाद वनवासियों के अधिकारों का निपटान के लिये उनकी वन भूमि को आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में मान्यता दी गई थी।
- 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' ने इनके खिलाफ होते आए ऐतिहासिक अन्याय को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006:

- वनों में रहने वाले कई आदिवासी परिवारों की विषम जीवन स्थिति को दूर करने के लिये अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 का ऐतिहासिक कानून अमल में लाया गया है।
- इस कानून को वनों में रहने वाले अनुसूचित जातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों को उनका वाज़िब अधिकार दिलाने के लिये जो पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिन्हें वन अधिकारों तथा वन भूमि में आजीविका से वंचित रखा गया है, लागू किया गया है।
- इस अधिनियम में न केवल आजीविका के लिये, स्व–कृषि या निवास के लिये व्यक्ति विशेष को वन भूमि में रहने के अधिकार का प्रावधान है बल्कि यह वन संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये कई अन्य अधिकारों का भी प्रावधान करता है।
- इनमें स्वामित्व का अधिकार, संग्रह तक पहुँच, लघु वन उत्पाद का उपयोग व निपटान, अन्य सामुदायिक अधिकार, आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि समुदायों के लिये निवास के अधिकार, ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन जिसकी वे ठोस उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से सुरक्षा या संरक्षण करते रहे हैं, के पुनर्निर्माण या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है।
- इस अधिनियम में ग्राम सभाओं की अनुशंसा के साथ विद्यालयों, चिकित्सालयों, उचित दर की दुकानों, बिजली तथा दूरसंचार लाईनों, पानी की टंकियों आदि जैसे सरकार द्वारा प्रबंधित जन उपयोग सुविधाओं के लिये वन उत्पाद के उपयोग संबंधी प्रावधान भी हैं।
- इसके अतिरिक्त जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी लोगों के लाभ के लिये कई योजनाएँ भी क्रियान्वित की गई हैं।
- इनमें वन क्षेत्रों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' के जरिये लघु वन उत्पादों के विपणन के लिये एक तंत्र तथा वैल्यू चैन के विकास जैसी योजनाएँ भी शामिल हैं।
- वन ग्रामों के विकास के लिये सड़क, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल, पीने का पानी, स्वच्छता, समुदाय हॉल जैसी बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं से संबंधित ढाँचागत कार्यों के लिये जनजातीय उप योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये विशेष केंद्रीय सहायता से फंड जारी किये जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालय मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day- IWD) 8 मार्च, 2020 के परिप्रेक्ष्य में 1 से 7 मार्च तक विशेष अभियान शुरू कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- सरकार ने 7 दिनों के अभियान के लिये महिलाओं के योगदान के 7 विषय क्षेत्रों की पहचान की है।
- जिन विषयों का अवलोकन किया जा रहा है वे हैं:

1. शिक्षा
2. स्वास्थ्य और पोषण
3. महिलाओं का सशक्तीकरण
4. कौशल और उद्यमिता एवं खेलों में भागीदारी
5. विशेष परिस्थितियाँ
6. ग्रामीण महिलाएँ एवं कृषि
7. शहरी महिलाएँ

अन्य गतिविधियाँ

- इस सप्ताह के दौरान (1-7 मार्च) गर्भावस्था और स्तनपान अवधि के दौरान महिलाओं के लिये स्वस्थ और पौष्टिक भोजन, महिला प्रधान 14 हिंदी फ़िल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण, डीडी किसान चैनल पर महिला कृषकों संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण, स्वास्थ्य-कल्याण और एनीमिया पर महिला शिविरों का आयोजन, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में महिला सशक्तीकरण पर राउंड टेबल, प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने के लिये महिलाओं को शिक्षित और सूचित करना जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:

- प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1909 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1977 में इसे अधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।
- विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।

ऐतिहासिक पहलू:

- 28 फरवरी, 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने इस दिन को न्यूयॉर्क में वर्ष 1908 की कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल के सम्मान में नामित किया, जहाँ महिलाओं ने कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ विरोध किया था।
- हालाँकि अमेरिका में इसके बीज बहुत पहले बोये जा चुके थे जब वर्ष 1848 में महिलाओं को गुलामी विरोधी सम्मेलन में बोलने से रोक दिया गया।

थीम IWD 2020:

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय है, "मैं पीढ़ीगत समानता: महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूँ।" (I am Generation Equality: Realizing Women's Rights)
- इस वर्ष 'यूएन वीमेन' (UN Women) की 10वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी।

IWD 2020 उद्देश्य:

- पीढ़ीगत समानता अभियान के तहत हर लिंग, आयु, नस्ल, धर्म और देश के लोगों को एक साथ लाया जा सके तथा ऐसे अभियान चलाए जाए ताकि लैंगिक-समानता युक्त दुनिया का निर्माण हो सके।
- लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना, आर्थिक न्याय और अधिकारों की प्राप्ति, शारीरिक स्वायत्तता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार, जलवायु न्याय के लिये नारीवादी कार्यवाही तथा लैंगिक समानता के लिये प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में छोटे-छोटे कार्यों द्वारा व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है।

SDG लक्ष्य 5- 'लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना'

(Achieve gender equality and empower all women and girls):

- जबकि दुनिया ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals- MDG) के तहत लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में प्रगति हासिल करने के बावजूद महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुनिया के हर हिस्से में भेदभाव और हिंसा जारी है। SDG में इन भेदभावों की समाप्ति की दिशा में निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं:
  - महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर जगह भेदभाव के सभी प्रकारों को समाप्त करें।
  - सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकारों की समाप्ति, जिसमें तस्करी, यौन और अन्य प्रकार का शोषण शामिल हैं।
  - सभी कुप्रथाओं की समाप्ति, जैसे बाल-विवाह और महिला जननांग विकृति।
  - सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों को पहचान व महत्व देना।
  - राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण व प्रभावशाली भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।
  - यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारों के लिये सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

नोट :

लैंगिक समानता प्राप्ति में चुनौतियाँ:

- नीति आयोग ने अपने 'सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक' (Sustainable Development Goal India Index) रिपोर्ट में यह चिंता ज़ाहिर की है कि यदि राज्य उल्लेखनीय प्रगति नहीं करते हैं तो भारत सतत् विकास लक्ष्यों को नियत समय में प्राप्त करने में पीछे रह जाएगा।
- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट' (Global Gender Gap Report) 2018 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लिंग भेद को कम करने के लिये कम-से-कम 108 साल तथा कार्यबल में समानता हासिल करने के लिए कम-से-कम 202 साल लगेंगे।
- प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, "पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें पुरुष, महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है" तथा भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है।

यद्यपि लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में आज हमने काफी प्रगति की है, लेकिन नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को चाहिये कि वे इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाएँ और आने वाले वर्षों में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कड़ी कार्रवाई करें। न्याय और सामाजिक समानता के साथ-साथ मानव पूंजी के विविध एवं व्यापक आधारों के संदर्भ मंक ऐसा करना बहुत ज़रूरी है।

सुपोषित माँ अभियान

चर्चा में क्यों?

1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा से एक राष्ट्रीय अभियान 'सुपोषित माँ अभियान' (Suposhit Maa Abhiyan) प्रारंभ किया है।

मुख्य बिंदु:

- यह योजना राजस्थान के कोटा में लॉन्च की गई है जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का संसदीय क्षेत्र भी है।

सुपोषित माँ अभियान के बारे में:

- इस अभियान की योजना के अनुसार, 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा साथ ही जच्चे-बच्चे की स्वास्थ्य चिकित्सा जाँच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा।
- यह अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है इस अभियान के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
- इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
- सुपोषित माँ अभियान में एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा।
- सुपोषित माँ अभियान के तहत नवजात बच्चे के स्वास्थ्य की भी विशेष देखरेख की जाएगी।
- अभियान के पहले चरण में 1,000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किग्रा. संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी।
- इस किट में गेहूँ, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी सोयाबीन, घी, मूँगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे।

उद्देश्य तथा लाभ:

- सुपोषित माँ अभियान हमारी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ बनाए रखने का एक विशेष अभियान है।
- सुपोषित माँ अभियान" देश में किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।
- इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों का पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में किये जा रहे अन्य प्रयास:

पोषण अभियान:

- पोषण अभियान (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण मिशन) के तहत 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी ज़िलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया गया है। यह वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये एक एकीकृत बहुमंत्रालयी मिशन है।
- समान लक्ष्य प्राप्ति के लिये एकीकृत योजनाओं की विद्यमान कमी को दूर करने हेतु पोषण अभियान प्रारंभ किया गया जिसमें सभी तंत्रों और घटकों को समग्रता से शामिल किया जा रहा है।
- पोषण अभियान का प्रमुख उद्देश्य आँगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिह्नित ज़िलों में स्टंटिंग को कम करना है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चों हेतु समग्र विकास तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 के लक्ष्य:

- जन्म के समय कम वज़न (Low Birth Weight) में वर्ष 2017 से 2022 तक प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी लाना।
- स्टंटिंग को वर्ष 2022 तक कम करके 25% के स्तर तक लाना।
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 15-49 वर्ष की महिलाओं में विद्यमान एनीमिया के स्तर में वर्ष 2017 से 2022 तक 3 प्रतिशत की वार्षिक कमी लाना।

उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसे वैश्विक संस्थान सतत् विकास लक्ष्य- 2030 के अंतर्गत कुपोषण एवं इससे संबंधित समस्याओं से निपटने के लिये अनेक कदम उठा रहे हैं। इसके तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया गया है:

- जन्म के समय कम वज़न की समस्या हेतु इसमें वर्ष 2012 के स्तर से वर्ष 2030 तक 30% तथा चाइल्ड वेस्टिंग में वर्ष 2030 तक 3% की कमी लाना।
- चाइल्ड स्टंटिंग को वर्ष 2012 के स्तर से वर्ष 2030 तक 50% कम करना।
- 5-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया के स्तर को वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2030 तक 50% कम करना।
- पहले 6 महीनों में अनन्य स्तनपान के प्रचलन को वर्ष 2030 तक 70% करना।

आगे की राह:

- गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिये पर्याप्त आवश्यक पोषक तत्त्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की पर्याप्तता माँ की शारीरिक कमज़ोरी और गर्भावस्था के तनाव से निपटने के लिये तथा गर्भ में पल रहे बच्चे को आवश्यक पोषण प्रदान करने हेतु ज़रूरी है।
- अच्छी बात यह है कि गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

वृद्ध कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) द्वारा वृद्ध लोक कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु "कलाकारों के लियेपेंशन और चिकित्सा सहायता के लिये योजना" नामक योजना प्रारंभ की गई।

प्रमुख बिंदु:

- संस्कृति मंत्रालय ने "कलाकारों के लिये पेंशन और चिकित्सा सहायता के लिये योजना" वृद्ध लोक कलाकारों और विद्वानों जिन्होंने कला, पत्र आदि क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया है तथा ग़रीबी की स्थिति में हैं, की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु यह योजना कार्यान्वित की गई।
- नाटककार भी इस योजना के पात्र है।

- प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम प्रति माह 4000/- रूपए दिया जाएगा, जिसमें से न्यूनतम 500/- रूपए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता शामिल है।
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता को लाभार्थी के पति/पत्नी के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार के अनुरोध हेतु लाभार्थी के पति/पत्नी द्वारा मंत्रालय में मृत्यु की तारीख से छह माह के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

आदिवासियों की भाषाओं, लोक नृत्य, कला और संस्कृति को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने हेतु योजनाएँ :

- प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को पुरस्कार (Award to Young Talented Artists): "युवा प्रतिभाशाली कलाकार" योजना विशेष रूप से दुर्लभ कला के क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और पहचान दिलाने हेतु शुरू किया गया है जिसमे 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को चुनकर 10,000/- रूपए नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है।
- गुरु शिष्य परंम्परा (Guru Shishya Parampara): यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिये हमारी मूल्यवान परंपराओं को प्रसारित करने की परिकल्पना करती है एवं शिष्यों को कला के उन स्वरूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो दुर्लभ और लुप्त हैं। क्षेत्र के दुर्लभ और लुप्त हो रहे कला की पहचान तथा गुरुकुलों की परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये प्रख्यात प्रशिक्षकों का चयन किया जाता है। गुरु को 7500/- रूपए, सहयोगी को 3,750/- रूपए और शिष्य को 1,500/- रूपए मासिक पारिश्रमिक के तौर पर छह महीने से लेकर अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक दिये जाएंगे।
- रंगमंच कायाकल्प (Theatre Rejuvenation): स्टेज शो और प्रोडक्शन आधारित वर्कशॉप सहित थिएटर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये TA और DA को छोड़कर प्रति शो 30,000/- रूपए का भुगतान किया जाता है एवं समूहों ने अपनी साख के साथ-साथ उनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना की योग्यता के आधार पर अंतिम रूप दिया।
- अनुसंधान और प्रलेखन (Research & Documentation): संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललित कला इत्यादि लोक, जनजातीय और शास्त्रीय क्षेत्रों में लुप्त हो रहे दृश्य और प्रदर्शन कला रूपों को बढ़ावा देने तथा प्रचारित करने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया।
- शिल्पग्राम (Shilpgram): ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों को डिजाइन के विकास और विपणन सहायता हेतु संगोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों का आयोजन करके क्षेत्र की लोक, आदिवासी कला एवं शिल्प को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।
- ऑक्टेव (सप्तक) (Octave): उत्तर पूर्व क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने हेतु (जिसमें आठ राज्य हैं-अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है) इस पहल को प्रारंभ किया गया।
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (National Cultural Exchange Programme-NCEP): इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा कहा जा सकता है। इस योजना के तहत सदस्य राज्यों में प्रदर्शन कला, प्रदर्शनियाँ, यात्रा आदि से संबंधित विभिन्न उत्सव आयोजित किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों/राज्यों के कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। देश के अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले समारोहों में कलाकारों की भागीदारी के प्रावधान है। ये त्यौहार हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को जानने-समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस (Freedom House) ने 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020' (The Freedom in the World 2020) नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य बिंदुः

- फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट 195 देशों और 15 क्षेत्रों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करती है।
- इस रिपोर्ट में दो संकेतकों का प्रयोग किया गया है-
    - राजनीतिक अधिकार (0–40 अंक)
    - नागरिक स्वतंत्रता (0–60 अंक)

- इन अंकों को देशों में व्याप्त स्वतंत्रता की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर प्रदान किया जाता है-
  - स्वतंत्र (Free)
  - आंशिक रूप से स्वतंत्र (Partly Free)
  - स्वतंत्र नहीं (Not Free)
- इस रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 अंक मिले हैं।

रिपोर्ट में भारत की स्थिति:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत को दुनिया के 'स्वतंत्र' (Free) देशों की श्रेणी में रखा गया है।
- द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) और सेनेगल (Senegal) के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है।
- 'स्वतंत्र' वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम स्कोर प्राप्त हुआ है।
- इस वर्ष भारत का स्कोर चार अंक गिरकर 71 हो गया, जो इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्रों के स्कोर में सबसे अधिक गिरावट है।
- भारत ने राजनीतिक अधिकार श्रेणी में 40 में से 34 अंक प्राप्त किये हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता श्रेणी में इसे 60 में से केवल 37 अंक प्राप्त हुए हैं।
- पिछले संस्करण में भारत को इस रिपोर्ट में 75 अंक प्राप्त हुए थे।

भारत की स्थिति कमज़ोर होने के कारण:

- इस रिपोर्ट में कश्मीर में शटडाउन, नागरिक रजिस्टर और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की कार्रवाई को स्वतंत्रता की समाप्ति के मुख्य कारणों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, इन तीन कार्यों ने भारत में विधि के शासन को हिला दिया है और इसकी राजनीतिक प्रणाली के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी स्वरूप पर खतरा उत्पन्न कर दिया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान सरकार ने देश की बहुलता और व्यक्तिगत अधिकारों के लिये अपनी प्रतिबद्धता से खुद को दूर कर लिया है, जिसके बिना लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को लंबे समय से चीन के लोकतांत्रिक प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता रहा है और इसलिये इस क्षेत्र में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। हालाँकि यह दृष्टिकोण बदल रहा है और चीन के समान भारत को भी लोकतांत्रिक मुद्दों पर आलोचना झेलनी पड़ रही है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, जिस तरह चीन ने वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उइगर और अन्य मुस्लिम समूहों के खिलाफ दमनात्मक कृत्यों का समर्थन किया उसी तरह वर्तमान भारत सरकार ने अपनी हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों की आलोचना को दृढ़ता से खारिज कर दिया।
- इस रिपोर्ट में कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन को एक लोकतांत्रिक देश द्वारा लगाया गया सबसे लंबा शटडाउन बताया गया।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब सवाल उठे जब राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों को संबोधित करते हुए पत्रकारों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों को उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ रहा था।

अन्य बिंदु:

- यह रिपोर्ट वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनी कार्यप्रणाली का आधार बनाती है।
- यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है।

फ्रीडम हाउस:

- फ्रीडम हाउस दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिये समर्पित सबसे पुराना अमेरिकी संगठन है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिकी भागीदारी और फासीवाद के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिये इसे 1941 में न्यूयॉर्क में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था।

नोट :

- यह संस्था राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर ध्यान देने के साथ मानव अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का कार्य करती है।
- यह संस्था विश्लेषण, वकालत और कार्रवाई के संयोजन के माध्यम से स्वतंत्रता के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

शिक्षा में लैंगिक असमानता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) द्वारा राज्यसभा में जानकारी दी गई कि स्कूलों में सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index-GPI): GPI विभिन्न स्तरों पर स्कूल प्रणाली में लड़कियों की समान भागीदारी को दर्शाता है।
- समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) अभियान जो कि स्कूली शिक्षा के लिये एक समेकित योजना है, (Integrated Scheme for School Education-ISSE) के तहत स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है।
- वर्ष 2018-19 में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर GPI की स्थिति निम्नानुसार है:

Particular	Primary	Upper Primary	Secondary	Higher Secondary
Gender Parity Index	1.03	1.12	1.04	1.04

(Source: UDISE+ 2018-19 provisional)

- GPI इंगित करता है कि स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है।

स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता लाने हेतु समग्र शिक्षा (SamagraShiksha) अभियान के प्रावधान:

- बालिकाओं की सुविधा के लिये उनके निकट क्षेत्र में स्कूल खोलना।
- आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को मुफ्त में पाठ्य-पुस्तकें वितरित करने का प्रावधान।
- सभी लड़कियों को यूनिफार्म प्रदान करना।
- सभी स्कूलों में अलग-अलग शौचालयों का निर्माण।
- लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम।
- छठी से बारहवीं कक्षा तक की लड़कियों के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान।
- विशेष आवश्यकता वाली कक्षा 1 से 12 वीं तक की लड़कियों को वज़ीफा देना।
- दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण करना।
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने और शिक्षा से वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi BalikaVidyalayas-KGBV) खोले गए हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line-BPL) जीवन-यापन करने वाले वंचित समूहों की लड़कियों को छठी से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने के लिये खोले गए KGBV आवासीय सुविधाओं से युक्त हैं।
- 30 सितंबर, 2019 तक कुल 5930 KGBV खोलने की स्वीकृति दी गई।
- इनमें से 4881 KGBV का परिचालन हो रहा है जिसमें 6.18 लाख लड़कियों का नामांकन किया गया।

नोट :

सतत् विकास लक्ष्यों में शामिल किये गए नए संकेतक

चर्चा में क्यों?

6 मार्च, 2020 को न्यूयॉर्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (United Nations Statistical Commission-UNSC) के 51वें सत्र में सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) के लिये 'ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क' (Global Indicator Framework) में 36 प्रमुख परिवर्तनों को मंज़ूरी दी गई है।

मुख्य बिंदु:

- ये परिवर्तन 'यूएन इंटर-एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एसडीजी इंडीकेटर्स' (UN Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators: IAEG-SDG) द्वारा जारी '2020 व्यापक समीक्षा' (2020 Comprehensive Review) पर आधारित हैं।
- इस सत्र में रखे गए प्रस्तावों में वर्तमान फ्रेमवर्क के ढाँचे का प्रतिस्थापन, संशोधन संबंधी 36 महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और 20 कम महत्त्व के परिवर्तन शामिल हैं।

क्या हैं परिवर्तन?

- ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के 36 प्रमुख परिवर्तनों को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:
  - मौजूदा संकेतकों के प्रतिस्थापन हेतु 14 प्रस्ताव
  - मौजूदा संकेतकों के संशोधन हेतु 8 प्रस्ताव
  - अतिरिक्त संकेतकों के लिये 8 प्रस्ताव
  - मौजूदा संकेतकों को हटाने के लिये 6 प्रस्ताव

इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

1. मौजूदा संकेतकों के प्रतिस्थापन हेतु 14 प्रस्ताव:

- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-1 के 2 संकेतकों (1.a.1, 1.b.1) का प्रतिस्थापन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-7 के 1 संकेतक (7.b.1) का प्रतिस्थापन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-11 के 1 संकेतक (11.a.1) का प्रतिस्थापन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-12 के 2 संकेतकों (12.a.1, 12.b.1) का प्रतिस्थापन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-13 के 4 संकेतकों (13.2.1, 13.3.1, 13.a.1, 13.b.1) का प्रतिस्थापन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-15 के 1 संकेतक (15.a.1 और 15.b.1 संयुक्त रूप से) का प्रतिस्थापन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-17 के 3 संकेतकों (17.3.1, 17.17.1, 17.18.1) का प्रतिस्थापन

2. मौजूदा संकेतकों में संशोधन हेतु 8 प्रस्ताव:

- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-2 के 2 संकेतकों (2.5.2, परिभाषा) में संशोधन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-5 के 1 संकेतक (परिभाषा) में संशोधन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-6 के 1 संकेतक (6.3.1) में संशोधन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-8 के 1 संकेतक (8.3.1) में संशोधन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-11 के 1 संकेतक (11.6.1) में संशोधन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-15 के 1 संकेतक (15.9.1) में संशोधन
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-17 के 1 संकेतक (17.5.1) में संशोधन

3. अतिरिक्त संकेतकों के लिये 8 प्रस्ताव:

- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-2 में 1 अतिरिक्त संकेतक (2.2.3) जोड़ने संबंधी प्रस्ताव

- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-3 में 1 अतिरिक्त संकेतक (3.d.2) जोड़ने संबंधी प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-4 में 1 अतिरिक्त संकेतक (4.1.2) जोड़ने संबंधी प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-10 में 3 अतिरिक्त संकेतकों (10.4.2, 10.7.3, 10.7.4) जोड़ने संबंधी प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-13 में 1 अतिरिक्त संकेतक (13.2.2) जोड़ने संबंधी प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-16 में 1 अतिरिक्त संकेतक (16.3.3) जोड़ने संबंधी प्रस्ताव

4. मौजूदा संकेतकों को हटाने के लिये 6 प्रस्ताव:

- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-1 से 1 संकेतक (1.a.1) हटाने का प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-4 से 1 संकेतक (4.2.1) हटाने का प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-8 से 1 संकेतक (8.9.2) हटाने का प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-11 से 1 संकेतक (11.c.1) हटाने का प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-13 से 1 संकेतक (13.3.2) हटाने का प्रस्ताव
- सतत् विकास लक्ष्य संख्या-17 से 1 संकेतक (17.6.1) हटाने का प्रस्ताव

ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (Global Indicator Framework):

- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने वैश्विक निगरानी के लिये अप्रैल, 2015 में 28 सदस्य देशों के साथ मिलकर IAEG-SDG का गठन किया।
- भारत दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाला IAEG-SDG का सदस्य है।
- IAEG-SDG की अनुशंसा के आधार पर, मार्च, 2017 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने अपने 48वें सत्र में ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को अपनाया, जिसमें 232 संकेतक शामिल थे।
- ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को 6 जुलाई, 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया।
- ग्लोबल फ्रेमवर्क में निम्नलिखित 3 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं-
  - टियर-I इंडिकेटर:

ये इंडिकेटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर स्थापित किये जाते हैं। इनसे संबंधित आँकड़े ऐसे देशों द्वारा नियमित रूप से प्रदान किये जाते हैं, जहाँ ये इंडिकेटर प्रासंगिक हैं।

- टियर-II इंडिकेटर:

ये इंडिकेटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थापित किये जाते हैं, और इनसे संबंधित आँकड़े संबंधित देशों द्वारा नियमित रूप से जारी किये जाते हैं।

- टियर-III इंडिकेटर:

इन इंडीकेटर्स के लिये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित कोई कार्यप्रणाली या मानक अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कार्यप्रणाली/मानक का विकास या परीक्षण किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग:

- UNSC वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली की प्रगति हेतु प्रतिबद्ध एक संस्था है।
- UNSC वैश्विक सांख्यिकीय सूचनाओं का संकलन और प्रसार करने के साथ-साथ सांख्यिकीय गतिविधियों के लिये मानक और मानदंड विकसित करता है तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों को मज़बूत करने के लिये विभिन्न देशों के प्रयासों का समर्थन करता है।
- UNSC अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय की सुविधा प्रदान करता है और वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली की सर्वोच्च इकाई के रूप में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के कामकाज का समर्थन करता है।

दवा प्रतिरोधी तपेदिक का सफल इलाज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में दवा प्रतिरोधी तपेदिक (Drug-Resistant TB) के लिये चलाए गए एक प्रायोगिक कार्यक्रम के अंतर्गत 90% मरीज़ों के इलाज में सफलता प्राप्त हुई है।

मुख्य बिंदु:

- इस परीक्षण में दक्षिण अफ्रीका के तीन अलग-अलग स्थानों पर 'निक्स टीबी' (Nix-TB) नामक एक कार्यक्रम के तहत दवा प्रतिरोधी तपेदिक से ग्रसित 109 लोगों को शामिल किया गया था।
- इस कार्यक्रम में 'बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदिक' (Multidrug-resistant TB or MDR-TB) और 'व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी तपेदिक' (Extensively Drug-Resistant TB or XDR-TB) से ग्रसित लोगों को शामिल किया गया था।
- 'बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदिक' (Multidrug-resistant TB or MDR-TB): जब किसी मरीज़ पर तपेदिक के इलाज के लिये उपयोग की जाने वाली दो सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं तो तपेदिक के ऐसे मामलों को MDR-TB के रूप में जाना जाता है।
- 'व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक' (Extensively Drug-Resistant TB or XDR-TB): XDR-TB के मामलों में तपेदिक के इलाज के लिये उपयोग की जाने वाली चार सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स का असर बीमारी पर नहीं होता है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2016 तक XDR के मामलों की संख्या लगभग 1,40,000 थी।
- इस उपचार के तहत मरीज़ों को 26 हफ़्तों तक तीन दवाएँ {बेडाक्यूलाइन (Bedaquline), प्रेटोमैनिड (Pretomanid) और लिनेज़ोलिड (Linezolid)} दी गईं और अगले 6 माह तक नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई।
- कार्यक्रम में शामिल 109 लोगों में 71 मरीज़ XDR-TB और 38 मरीज़ MDR-TB से पीड़ित थे।

उपचार के परिणाम:

- इस कार्यक्रम में शामिल 109 में से 98 (90%) लोगों का सफल उपचार किया गया।
- इसमें XDR-TB के कुल 71 मरीज़ों में से 63 (89%) और 38 MDR-TB के मरीज़ों में से 35 (92%) का सफल उपचार किया गया।
- कार्यक्रम में शामिल 11 अन्य लोगों में से 7 की उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई जबकि 2 मरीज़ों में उपचार के बाद 6 माह के अंदर ही बीमारी के लक्षण पुन: देखे गए।

उपचार में प्रयुक्त दवाओं का दुष्प्रभाव:

- कार्यक्रम में शामिल 88 ऐसे मरीज़ जिन्हें लिनेज़ोलिड (Linezolid) नामक दवा दी गई, में परिधीय तंत्रिका विकृति (कमज़ोरी, तंत्रिका क्षति के कारण हाथ व पैर दर्द) जैसी समस्याएँ देखी गईं। हालाँकि अधिकांश मामलों में ये लक्षण बहुत हल्के थे।
- दो अन्य मरीज़ों में ऑप्टिक न्युरैटिस (Optic Neuritis) और 40 अन्य में एनीमिया के लक्षण पाए गए।

तपेदिक:

- तपेदिक 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस' नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रामक रोग है।
- इस रोग को 'क्षय रोग' या 'राजयक्ष्मा' के नाम से भी जाना जाता है।
- तपेदिक सामान्यत: मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है परंतु पिछले कुछ वर्षों में तपेदिक के ऐसे नए मामले सामने आए, जिनमें फेफड़ों के अलावा अन्य अंग भी टीबी से संक्रमित पाए गए।
- 24 मार्च, 1982 को जर्मन सूक्ष्मजीव विज्ञानी रोबर्ट कोच (Robert Koch) ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी।
- प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है।

नोट :

भारत में XDR-TB के मामले:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट (The Global Tuberculosis Report), 2019 के अनुसार, विश्व में तपेदिक और दवा प्रतिरोधी तपेदिक के सर्वाधिक मामले भारत में पाए गए हैं।
- एक अन्य आँकड़े के अनुसार, महँगे उपचार के कारण वर्तमान में भारत में मात्र 2.2% मरीज़ों को ही दवा प्रतिरोधी तपेदिक मामलों में सही इलाज मिल पाता है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2019 में तपेदिक के उपचार के लिये विश्व बैंक से 400 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- इसके साथ ही वर्ष 2016 में देश में बेडाक्यूलाइन (Bedaquline) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

आगे की राह:

- 'निक्स-टीबी' कार्यक्रम के तहत दवा प्रतिरोधी तपेदिक का सफल उपचार तपेदिक उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।
- इस कार्यक्रम की सफलता के बाद असाध्य माने जाने वाले MDR-TB और XDR-TB के मामलों में इलाज संभव हो सकेगा।
- भारत सरकार को अन्य देशों और WHO जैसी वैश्विक संस्थाओं के सहयोग देश में तपेदिक के उपचार के लिये शोध को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत सरकार को अन्य देशों के सहयोग से प्राप्त होने वाली दवाओं से तपेदिक के कुछ मामलों में उपचार संभव हो सका था, परंतु इस परियोजना का प्रभाव बहुत ही सीमित रहा। तपेदिक के मामलों में उपचार के लिये शोध के साथ-साथ सामुदायिक स्तर जन-जागरूकता, क्षमता विकास और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण और महिलाएँ

चर्चा में क्यों?

'यू.एन. वीमेन' (UN Women) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु आपातकाल, संघर्ष और बहिष्कार की राजनीति के बढ़ते चलन ने भविष्य में लैंगिक समानता की प्रगति को खतरे में डाल दिया है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु संकट की आर्थिक लागतों के साथ-साथ, विस्थापन तथा ज़बरन पलायन में वृद्धि, गरीबी और असुरक्षा का महिलाओं तथा लड़कियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण दुरुपयोग और हिंसा का जोखिम काफी अधिक बढ़ जाता है।
- आँकड़ों के अनुसार, हालाँकि वर्तमान में विश्व की 39 प्रतिशत महिलाएँ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, किंतु फिर भी मात्र 14 प्रतिशत महिलाएँ ही कृषि भूमि धारक हैं।
- रिपोर्ट में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत सांसद पुरुष हैं, 73 प्रतिशत प्रबंधकीय पदों पर पुरुष कार्यरत हैं और तकरीबन 70 प्रतिशत जलवायु वार्ताकार भी पुरुष ही हैं।
  - इस लिहाज़ से विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति काफी चिंताजनक है।

महिलाएँ और पर्यावरण

- विभिन्न विद्वान महिलाओं को भूमि तथा जैव विविधता संसाधनों के प्रबंधन और स्थायी उपयोग के लिये महत्त्वपूर्ण मानते हैं।
- लैंगिक समानता के क्षेत्र में कार्य करना सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- UNEP के ग्लोबल जेंडर एंड एन्वायरनमेंट आउटलुक 2016 (GGEO) में लैंगिक असमानता को स्थायी विकास के पर्यावरणीय आयाम को आगे बढ़ाने हेतु मुख्य चुनौतियों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया है।
  - GGEO में स्थायी विकास की बाधाओं को संबोधित करने में जेंडर रेस्पॉन्सिव अप्रोच (Gender Responsive Approaches) को अपनाने की बात की गई है।

- 'यू.एन. वीमेन' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जेंडर रेस्पॉन्सिव अप्रोच में न केवल महिलाओं के विविध और विशिष्ट हितों तथा ज़रूरतों को पहचाना जाना चाहिये, बल्कि प्रतिक्रिया कार्यों के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी में उनकी भागीदारी तथा नेतृत्व भी सुनिश्चित करना चाहिये।
- 'यू.एन. वीमेन' के अनुसार, प्रणालीगत और स्थायी परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये लैंगिक समानता हेतु वित्तपोषण में बहुत अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है, ताकि प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता का दोहन किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास महिलाओं के समावेशी हो।

'यू.एन. वीमेन' (UN Women)

- वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'यू.एन. वीमेन' (UN Women) का गठन किया गया था। यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य करती है।
- इसके तहत संयुक्त राष्ट्र तंत्र के 4 अलग-अलग प्रभागों के कार्यों को संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है:
  - महिलाओं की उन्नति के लिये प्रभाग (Division for the Advancement of Women -DAW)
  - महिलाओं की उन्नति के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (International Research and Training Institute for the Advancement of Women -INSTRAW)
  - लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नति पर विशेष सलाहकार कार्यालय (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women-OSAGI)
  - महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (United Nations Development Fund for Women-UNIFEM)

ROTTO-SOTTO: संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र ने अंग दान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है।

मुख्य बिंदु:

- पुणे, नागपुर और औरंगाबाद अंग दान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर हैं।
- महाराष्ट्र को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organisation-NOTTO) द्वारा मृतक अंग दान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया था (नवंबर 2019)।

महाराष्ट्र कैसे पहुँचा शीर्ष पर?

ROTTO-SOTTO:

सरकार अंग दान को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित घटकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम लागू कर रही है।

स्तर	घटक/संगठन
राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)
क्षेत्रीय स्तर	क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (ROTTO)
राज्य स्तर	राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTO)

- क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (Regional Organ and Tissue Transplant Organisation-ROTTO) एवं राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (State Organ and Tissue Transplant Organisation-SOTTO) अर्थात ROTTO-SOTTO की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा की गई थी।

नोट :

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के उद्देश्य:

- राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण रजिस्ट्री को बनाए रखना।
- अंग दान पर जागरूकता में सुधार के लिये सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication-IEC) गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सरकारी अस्पतालों में रियायती लागत पर प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करना।
- प्रशिक्षण में सहयोग, वित्तीय सहायता जैसे अन्य कार्य करना।

अंग दान और प्रत्यारोपण का अर्थ:

- अंग प्रत्यारोपण का अभिप्राय सर्जरी के माध्यम से एक व्यक्ति के स्वस्थ अंग को निकालने और उसे किसी ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने से है जिसका अंग किन्हीं कारणों से विफल हो गया है।

अंग दान का महत्त्व:

- एक एकल अंगदाता आठ से अधिक लोगों के जीवन को बचा सकता है या सुधार सकता है।
- अंगदान जागरूकता के बारे में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है लेकिन अभी इस क्षेत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण:

- ग्लोबल ऑब्ज़र्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट' के अनुसार, अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक अंग प्रत्यारोपण भारत में किये जाते हैं। हालाँकि इसके बावजूद भारत में अंग दान की दर 0.65 प्रति मिलियन बनी हुई है, जो कि इस लिहाज़ से चिंता का विषय है।

भारत में अंग प्रत्यारोपण संबंधी मुद्दे:

- आधारिक संरचना का अभाव।
- मांग और पूर्ति के बीच अंतर।
- प्रत्यारोपण की उच्च लागत।
- जागरूकता की कमी।

सरकार द्वारा किये गए प्रयास:

- 'मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम' (Transplat of Human Organ and Tissue Act- THOA), 1994, मानव अंग प्रत्यारोपण (अनुसंधान) अधिनियम, 2011, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम (THOT), 2014 आदि कानून भारत में अंग प्रत्यारोपण संबंधी कार्यों का नियमन करते हैं।

आगे की राह:

- सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएँ समाज के कमज़ोर वर्ग तक भी पहुँच सकें। इसके लिये सार्वजनिक अस्पतालों की अंग प्रत्यारोपण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
- अंग दान के बारे में गलत धारणाओं और मिथकों को दूर करना देश में अंग दान करने वालों की कमी को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम

चर्चा मे क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री (Union Minister of Minority Affairs- UMMA) ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न (जिनका जवाब लिखित मे दिया आता है) के जवाब में बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक समुदायों के लिये क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न तरीकों से समय- समय पर मूल्यांकन करता है ताकि विभिन्न योजनाओं के तहत किये जाने वाले परिव्यय का 15% अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिये आवंटित किया जा सके।

मुख्य बिंदु:

- ‘प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम’ (PM’s New 15 PP) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं एवं पहलों को शामिल करता है।
- प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/पहलों का संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा सतत् मूल्यांकन किया जाता है।

अल्पसंख्यक समुदाय:

- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs- MMA) की योजनाएँ विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिये होती हैं।
- अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्म शामिल हैं।

प्रमुख योजनाएँ

- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षिक सशक्तीकरण, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास तथा बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना हैं। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

शैक्षिक सशक्तीकरण:

1. छात्रवृत्ति योजनाएँ:

- प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति और मेरिट आधारित छात्रवृत्ति।

2. नया सवेरा:

- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों पाने के लिये कौशल प्रदान करना तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों एवं उम्मीदवारों को नि:शुल्क कोचिंग व अन्य सहायता प्रदान करना।

3. नई उड़ान:

- संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission- UPSC) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (State Public Service Commissions) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करना।

4. पढ़ो परदेश:

- विदेश मे अध्ययन हेतु ‘ब्याज सब्सिडी’ प्रदान करने के लिये वर्ष 2013-14 में प्रारंभ की गई एक योजना है।

5. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (Maulana Azad National Fellowship Scheme):

- अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को M. Phil एवं Ph. D. के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6. मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन निम्नलिखित दो अन्य योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा हैं-

a. बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृति योजना:

- कक्षा 9 से 12 के लिये।

b. गरीब नवाज़ रोज़गार कार्यक्रम

आर्थिक सशक्तीकरण:

रोज़गारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम:

a. सीखो और कमाओ योजना:

- इस योजना में अल्पसंख्यक युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार आधुनिक और पारंपरिक कौशल प्रदान किया जाता है।

नोट :

b. उस्ताद (USTAAD):

- इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की परंपरागत कला के संरक्षण के लिये प्रशिक्षण एवं कौशल में सुधार करना है।

c. नई मंज़िल:

- मदरसे एवं मुख्य धारा के छात्रों के मध्य शैक्षणिक एवं कौशल अंतराल को कम करने के लिये एक सेतु पाठ्यक्रम (Bridge Course) है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (National Minorities Development Finance Corporation-NMDFC) ऋण योजनाएँ:

- यह निगम अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये रियायती दर पर ऋण प्रदान करती हैं।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

अवसंरचना सहायता (Infrastructure Support):

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram- PMJ VK):

- इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना प्रदान करना है।

योजनाओं की निगरानी:

- विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न तंत्रों एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर की जा रही है ताकि इन योजनाओं की प्रभावशीलता एवं दक्षता सुनिश्चित की जा सके। कुछ उपाय इस प्रकार हैं:
    - थर्ड पार्टी स्टडी/मॉनिटरिंग
    - ज़िला/राज्य स्तरीय समिति
    - अधिकार प्राप्त समिति
    - अधिकारियों द्वारा फील्ड/क्षेत्र भ्रमण
    - क्षेत्रीय समन्वय बैठक का आयोजन

सांस्कृतिक एवं सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित किये बगैर देश में विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, अत: समाज में सामाजिक सौहार्द का माहौल बनाना होगा तभी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम' (School Health Programme- SHP) की शुरुआत की है।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में (School Health Programme-SHP):

- SHP स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करता है।
- इसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रखना।
- SHP के तहत कुल ग्यारह विषयों की पहचान की गई है जिनमें प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम शामिल हैं।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2005 का अनुसरण करते हुए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education & Literacy) किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (Adolescence Education Programme-AEP) को कार्यान्वित कर रहा है।

- गौरतलब है कि किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (National Population Education Project-NPEP) का हिस्सा है।
- भारत सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के स्कूली बच्चों की चिकित्सा जाँच के महत्त्व पर ज़ोर दिया है।
- स्कूल हेल्थ ग्रोथ गतिविधियों को देश के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा।

उद्देश्य:

- स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना।
- बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना।
- कुपोषित और एनिमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान करना तथा बच्चों व किशोरों में रोगों का जल्द पता लगाना, उनका इलाज करना।
- स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग तथा ध्यान को बढ़ावा देना।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सेवाएँ:

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (Adolescence Education Programme-AEP)

- किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सकारात्मक और उत्तरदायी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिये सटीक, आयु उपयुक्त तथा सांस्कृतिक दृष्टि से संबंधित सूचना, स्वस्थ्य मनोवृत्ति तथा कौशल विकसित करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training-NCERT) इस कार्यक्रम का समन्वय करती है और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2005 के अनुरूप युवाओं के समग्र विकास की दिशा में कार्य करती है।

आयुष्मान भारत:

- यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सुझाव पर की गई थी।
- आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवा वितरण के 'क्षेत्रीय और विभाजित दृष्टिकोण' से व्यापक तथा ज़रूरत आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवा की ओर बढ़ने का एक प्रयास है।
- इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समस्याओं (रोकथाम, प्रोत्साहन, एंबुलेटरी देखभाल) को समग्र रूप से संबोधित करना है।

वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट- 2020

चर्चा मे क्यों ?

हाल ही में सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network- SDSN) ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट-2020 (World Happiness Report- 2020) जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- 'विश्व खुशहाली रिपोर्ट' के आँकड़े वर्ष 2018 एवं 2019 दौरान एकत्रित किये गए थे, अत: यह रिपोर्ट कोरोनोवायरस बीमारी (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं हुई।
- SDSN ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट-2020 में 153 देशों को शामिल किया है।

शीर्ष देश:

- सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड शीर्ष पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: डेनमार्क एवं स्विटज़रलैंड हैं।

भारत की स्थिति:

- इस वर्ष भारत का स्थान 144वाँ है जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है।
- भारत का स्थान अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन से खराब स्थिति में है।

निम्नतर स्थिति वाले देश:

- रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान पाने वाले देश हिंसक संघर्ष एवं तीव्र गरीबी से पीड़ित हैं। ज़िम्बावे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में स्थान दिया गया है।

खुशहाल राष्ट्र का अर्थ:

- जहाँ लोगों में अपनेपन का अहसास, एक-दूसरे पर भरोसा हो एवं साझा संस्थानों का (Shared Institutions) आनंद लेते हैं, वे राष्ट्र खुशहाल होते हैं।
- इन राष्ट्रों में अधिक सहन क्षमता (Resilience) होती है, क्योंकि साझा-विश्वास कठिनाइयों के बोझ को कम करता है तथा स्वस्थ (well-being) समाज का निर्माण करता है।

नगर एवं खुशी (Cities and Happiness):

- नगर आर्थिक क्रियाओं के केंद्र (Economic Powerhouses) होते हैं। तीव्र नगरीकरण के कारण नगरों का महत्त्व लगातार बढ़ रहा है, अत: वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में नगरों को भी शामिल किया गया है।
- नगरों के लिये पहली बार 'वैश्विक खुशहाली रैंकिंग' जारी की गई। यह रैंकिंग 'द इकोनॉमिस्ट' (The Economist's) द्वारा जारी 'ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स' (Global Liveability Index- GLI) से अलग है क्योंकि GLI 5 संकेतकों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है, जबकि 'खुशहाल नगर सूचकांक' नगरीय निवासियों द्वारा निर्धारित भलाई (Well-Being) के मानकों पर आधारित है। शीर्ष 3 'खुशहाल नगर' हेलसिंकी (फिनलैंड), आरहूस (डेनमार्क), वेलिंगटन (न्यूज़ीलैंड) हैं।

रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network- SDSN) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
    - वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2012 से शुरू हुआ था। इस वर्ष इसका आठवाँ संस्करण प्रकाशित किया गया है।
    - खुशहाली को आँकने के लिये सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है।

सतत् विकास समाधान नेटवर्क:

- संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network- SDSN) वर्ष 2012 से काम कर रहा है।
- SDSN सतत् विकास हेतु व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है, जिसमें सतत् विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते का कार्यान्वयन भी शामिल है।
- SDSN संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है।

एकलव्य मॉडल आवासीय तथा डे बोर्डिंग विद्यालय

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs- MTA) ने COVID- 19 महामारी के चलते उत्पन्न आकस्मिक स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनज़र राज्य सरकारों को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools- EMRS) एवं एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (Eklavya Model Day Boarding Schools- EMDBS) में अवकाश के पुनर्निर्धारण करने के लिये पत्र लिखा है।

मुख्य बिंदु:

- अवकाश पुनर्निर्धारण का निर्णय COVID- 19 महामारी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली संवेदनशील स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए लिया गया है।
- स्थानीय प्रशासन ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये अवकाश की घोषणा सहित अनेक निवारक उपाय अपनाने के लिये निर्देश जारी किये हैं। कुछ मामलों में, जारी किये गए निर्देश निर्धारित वार्षिक परीक्षाओं को पूरा करने की अनुमति देते हैं।

EMRS योजना:

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी तथा इस तरह के प्रथम विद्यालय का शुभारंभ वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में हुआ था।
- EMRS आदिवासी छात्रों के लिये उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में कार्यरत हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 480 छात्रों की क्षमता वाले EMRS की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 275 (1) के अंतर्गत अनुदान द्वारा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (Special Area Programme-SAP) के तहत की जा रही है।
- अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिये EMRS एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। EMRS में छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय की इमारत के निर्माण के अलावा खेल के मैदान, छात्रों के लिये कंप्यूटर लैब, शिक्षकों के लिये संसाधन कक्ष आदि का भी प्रावधान किया गया है।

एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग विद्यालय (EMDBS):

- जिन उप-ज़िला (Sub-District) क्षेत्रों की 90% या इससे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंधित है, उन क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- इन विद्यालयों का उद्देश्य, बिना आवासीय सुविधा के ST छात्रों को विद्यालय शिक्षा का लाभ देना है।

जवाहर नवोदय विद्यालय (Jawahar Navodaya Vidyalayas- JNV):

- JNV की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखे बिना सांस्कृतिक मूल्यों युक्त, पर्यावरण शिक्षा, साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के साथ प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है।

नवीन संशोधन:

- वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) ने 50 प्रतिशत से ज़्यादा जनजातीय आबादी एवं 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रत्येक प्रखंड (block) में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अथवा एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (Eklavya Model Residential Schools-EMRSs) खोलने को सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की थी।
- पहले से स्वीकृत EMRS में प्रति स्कूल 5 करोड़ रुपए तक की अधिकतम राशि की लागत के आधार पर आवश्यकता के अनुसार सुधार कार्य किया जाएगा।
- 163 जनजातीय बहुल ज़िलों में प्रति 5 करोड़ रुपए लागत वाली खेल सुविधाएँ (Sports Facilities) स्थापित की जाएंगी, इसमें से प्रत्येक का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

संशोधन का प्रभाव:

- 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी और 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले 102 प्रखंडों में पहले से ही EMRS का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार देश भर में इन प्रखंडों में 462 नए EMRS की स्थापना की जाएगी।
- पूर्वोत्तर (North East), पर्वतीय क्षेत्रों (Hilly Areas), दुर्गम क्षेत्रों (difficult areas) तथा वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्रों (areas affected by Left Wing Extremisma) में निर्माण के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिये EMRS एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। जनजातीय लोगों की शिक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु विशेष हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किये जाने से उनके जीवन में सुधार लाने के साथ ही उनके अन्य सामाजिक समूहों के समकक्ष आने की संभावना है।

नोट :

दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के अंतर्गत दिव्ययांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) ने COVID-19 को देखते हुए दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार ने COVID-19 से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8 ऐसी स्थितियों में दिव्यांगजनों के समान संरक्षण और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है।
- यह जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों को दिव्यांगजनों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों में शामिल करने के उपाय करने और उनको इनसे पूरी तरह अवगत रखने के लिये भी अधिदेशित करती है।
- अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के दौरान दिव्यांगजनों से संबंधित राज्य आयुक्त को शामिल करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

दिशा-निर्देश:

- COVID-19 के बारे में समस्त सूचना, प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएँ और बरती जाने वाली सावधानियों को सरल और स्थानीय भाषा में सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिये अर्थात दृष्टि बाधित लोगों के लिये सूचना 'ब्रेल और ऑडिबल टेप्स' में उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- बधिरों के लिये सूचना 'सब-टाइटल (Sub-Titles) और सांकेतिक भाषा व्याख्या' (Sign Language Interpretation) के साथ वीडियो-ग्राफिक सामग्री के जरिए वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- आपातकालीन और स्वास्थ्य स्थितियों में काम करने वाले 'सांकेतिक भाषा व्याख्याकारों' को कोविड-19 से निपटने वाले अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण दिया जाना चाहिये।
- आपातकालीन सेवाओं के लिये उत्तरदायी सभी व्यक्तियों को दिव्यांगजनों के अधिकारों और विशिष्ट प्रकार की असमर्थता वाले व्यक्तियों को होने वाली अतिरिक्त समस्याओं से जुड़े जोखिमों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- दिव्यांगजनों की देखभाल करने वालों को लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों से छूट देकर या प्राथमिकता के आधार पर सरलीकृत तरीके से पास प्रदान कर उनको दिव्यांगजनों तक जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (Resident Welfare Associations) को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के बारे में सचेत होना चाहिये एवं नियत सैनिटाइजिंग प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही नौकरानी, देखभाल करने वाले या अन्य सहायता प्रदाताओं को उनके घर में प्रवेश करने की अनुमति हो।
- दिव्यांगजनों को जहाँ तक संभव हो सके आवश्यक भोजन, पानी, दवा उपलब्ध कराई जानी चाहिये एवं ज़रूरी वस्तुओं को उनके निवास स्थान या उस स्थान पर पहुँचाया जाना चाहिये जहाँ उनको एकांत में रखा गया है।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिये सुपर मार्केट्स सहित खुदरा रसद की दुकान (Retail Provision Stores) के खुलने का समय निर्धारित करने पर विचार कर सकती हैं, जिससे उनकी दैनिक जरूरत की वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- दिव्यांगजनों को उपचार में प्राथमिकता दी जानी चाहिये एवं विशेष कर दिव्यांग बच्चों और महिलाओं के संबंध में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में दृष्टिबाधित और अन्य गंभीर दिव्यांग वाले कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं से छूट दी जानी चाहिये क्योंकि वे आसानी से संक्रमित हो सकते हैं।

नोट :

आपातकालीन अवधि के दौरान दिव्यांग से संबंधित मामलों के समाधान हेतु तंत्र:

- दिव्यांगजनों के लिये राज्य आयुक्त:
    - दिव्यांगजनों के लिये राज्य आयुक्तों को दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य नोडल प्राधिकारी घोषित किया जाना चाहिये।
    - राज्य आयुक्त को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों के साथ ही साथ ज़िला अधिकारीयों और दिव्यांगजनों के लिये कार्य कर रहे ज़िला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करेंगे।
    - COVID-19, सार्वजनिक प्रतिबंध योजनाओं, प्रस्तुत की जा रही सेवाओं के बारे में समस्त जानकारी को स्थानीय भाषाओं में सुलभ प्रारूपों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होंगे।
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित ज़िला अधिकारी:
    - दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित ज़िला अधिकारी को दिव्यांगजनों के संबंध में ज़िला नोडल प्राधिकारी घोषित किया जाना चाहिये।
    - ज़िला अधिकारी के पास ज़िले के दिव्यांगजनों की सूची होनी चाहिये और उन्हें समय-समय पर दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं की निगरानी करनी चाहिये तथा उनके पास गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की एक अलग सूची होनी चाहिये जिन्हें इलाके में अधिक सहायता की आवश्यकता हो।
    - ज़िला अधिकारी उपलब्ध संसाधनों से समस्या को हल करने के लिये जिम्मेदार होंगे और यदि आवश्यक हो तो गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिशंस की मदद ले सकता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment):

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य एक ऐसे समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसके अंतर्गत लक्षित समूह के सदस्यगण अपने विकास और वृद्धि के लिये उपयुक्त समर्थन प्राप्त करके अपने लिये उपयोगी, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं।
- आवश्यक जगहों पर लक्षित समूहों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन प्रदान करना और उनका सशक्तिकरण करना है।

नोट :

कला एवं संस्कृति

सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने आदिवासियों की भाषा, लोकनृत्य, कला और संस्कृति को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने के लिये कई योजनाएँ शुरू की हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (Zonal Cultural Centres- ZCCs) स्थापित किये हैं।
- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत ये ZCCs लोक/जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये कई योजनाएँ लागू कर रहे हैं।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा प्रारंभ की गईं योजनाएँ:

युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार:

- 'युवा प्रतिभाशाली कलाकार' योजना का प्रारंभ विशेष रूप से दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और पहचानने के लिये किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत 18-30 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को चुना जाता है और उन्हें 10,000/- रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

गुरु शिष्य परंपरा:

- यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिये हमारी मूल्यवान परंपराओं को प्रसारित करने की परिकल्पना करती है।
- शिष्यों को कला के उन स्वरूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के दुर्लभ और लुप्त हो रहे कला रूपों की पहचान की जाती है और गुरुकुलों की परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु प्रख्यात प्रशिक्षकों का चयन किया जाता है।
- इस योजना में गुरु को 7,500 रुपए, सहयोगी को 3,750 रुपए और शिष्य को 1,500 रुपए मासिक पारिश्रमिक के तौर पर छह महीने से लेकर अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक दिये जाएंगे।

रंगमंच कायाकल्प:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टेज शो और प्रोडक्शन आधारित वर्कशॉप सहित थिएटर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये TA और DA को छोड़कर प्रति शो 30,000 रुपए का भुगतान किया जाता है।
- इन समूहों को इनकी साख के साथ-साथ इनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट की योग्यता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुसंधान और प्रलेखन:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललित कला आदि के माध्यम से क्षेत्रीय लोक कला, आदिवासी और शास्त्रीय संगीत सहित लुप्त दृश्य और प्रदर्शन कला रूपों को बढ़ावा देना और उनका प्रचार करना है।
- राज्य सांस्कृतिक विभाग के परामर्श से कला को अंतिम रूप दिया जाता है।

शिल्पग्राम:

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों को डिज़ाइन के विकास और विपणन सहायता के लिये संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों का आयोजन कर क्षेत्र की लोक कला, आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देना।

ऑक्टेव (सप्तक) (Octave):

- इस कार्यक्रम के तहत उत्तर-पूर्व क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार करना है जिसमें आठ राज्य- अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल हैं।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम: (National Cultural Exchange Programme-NCEP):

- इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवनरेखा कहा जा सकता है। इस योजना के तहत सदस्य राज्यों में कला प्रदर्शन, प्रदर्शनियाँ, यात्रा आदि से संबंधित विभिन्न उत्सव आयोजित किये जाते हैं।
- अन्य क्षेत्रों/राज्यों के कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है।
- देश के अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले समारोहों में कलाकारों को भाग लेने हेतु सुविधा प्रदान की जाती है।
- क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी सदस्य राज्यों के प्रमुख त्योहारों में भाग लेते हैं, इन त्योहारों के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं जहाँ बड़ी संख्या में दर्शकों को अन्य क्षेत्रों के कला रूपों का आनंद लेने और समझने का मौका मिलता है।
- ये त्योहार हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

साहित्य अकादमी जो कि संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन को बढ़ावा देता है, विशेषकर लोक और आदिवासी भाषाओं को।

दृष्टि The Vision

आंतरिक सुरक्षा

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (Land Ports Authority of India-LPAI) के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीमा पार व्यापार की सुविधा हेतु सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे के निर्माण और भारत की भूमि सीमाओं पर यात्रा हेतु किये गए उत्कृष्ट कार्य के लिये LPAI की सराहना की।
- ज्ञात हो कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर में यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

करतारपुर गलियारा

गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 3-4 किमी. दूर है। यह भारत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक से लगभग 4 किमी. दूर है और पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 120 किमी. उत्तर-पूर्व में है। कहा जाता है कि सिख समुदाय के पहले गुरु ने अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्ष यहाँ गुज़ारे जिसके कारण यह स्थान सिख धर्म के अनुयायियों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिये करतारपुर साहिब की ओर जाने वाले गलियारे को खोलने की मांग भारत द्वारा कई अवसरों पर उठाई जाती रही है। इसके पश्चात् नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने का प्रस्ताव पारित किया और साथ ही गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण और विकास को मंज़ूरी दी गई।

- इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भूमि पत्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे- यात्रा और क्षेत्रीय संपर्क, एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) पर कार्गो संचालन में चुनौतियाँ और एकीकृत चेक पोस्ट के बुनियादी ढाँचे संबंधी आवश्यकताएँ आदि पर चर्चा की गई।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (Land Ports Authority of India)

- भारत की अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्याँमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ लगभग 15000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों, माल और वाहनों के आवागमन के लिये कई निर्दिष्ट प्रवेश और निकास स्थान हैं।
- इस संबंध में विभिन्न सरकारी कार्यों जैसे- सुरक्षा, आव्रजन और सीमा शुल्क आदि के समन्वय तथा नियंत्रण हेतु 1 मार्च, 2012 को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) की स्थापना की गई थी।
- भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 11 के तहत LPAI को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिये सुविधाओं को विकसित एवं प्रबंधित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2003 में व्यक्तियों, वाहनों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिये अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे पर चिंता व्यक्त करते हुए सचिव स्तर की एक समिति ने भारत की भूमि सीमाओं के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) स्थापित करने की सिफारिश की। इसके पश्चात् इस कार्य को करने के लिये एक स्वायत्त एजेंसी की संरचना की सिफारिश करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी कार्यदल का गठन किया गया। अंतर-मंत्रालयी कार्यदल ने विभिन्न विकल्पों पर विचार कर ICPs के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव के लिये एजेंसी हेतु सबसे उपयुक्त मॉडल के रूप में एक सांविधिक निकाय की सिफारिश की। इस प्रकार भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) का गठन किया गया।

प्राधिकरण के कार्य

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 11 की उप-धारा (2) में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है:

- एकीकृत चेक पोस्ट पर राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और रेलवे के अतिरिक्त सड़कों, टर्मिनलों एवं सहायक भवनों की योजना, निर्माण तथा रखरखाव करना;
- एकीकृत चेक पोस्ट पर संचार, सुरक्षा, माल की हैंडलिंग और स्कैनिंग उपकरणों को खरीदना, स्थापित करना और उनका रखरखाव करना;
- एकीकृत चेक पोस्ट पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करना;
- प्राधिकरण को सौंपे गए किसी भी कार्य के निर्वहन के लिये संयुक्त उपक्रम स्थापित करना।

इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड: 2019 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (The United Nations Office of Drugs and Crime-UNODC) ने 'इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड' (International Narcotics Control Board- INCS) की वर्ष 2019 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- UNODC में भारत ने लाइसेंस प्राप्त दवा एवं संबंधित कच्चे माल के विनिर्माण, आयात, तथा निर्यात संबंधी सांख्यिकीय रिपोर्ट को तय समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध और लाइसेंस प्राप्त दवाओं के शीर्ष निर्माता होने के साथ ही इन दवाओं की तस्करी करने वाले शीर्ष देशों में से एक है।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC):

- UNODP संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम (UNDCP) तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग (Crime Prevention and Criminal Justice Division- CPCJD) के संयोजन में की गई थी।
- इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय (Office for Drug Control and Crime Prevention) के रूप में की गई थी। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) कर दिया गया।
- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।

इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCS):

- इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण अभिसमयों के कार्यान्वयन के लिये स्वतंत्र एवं अर्द्ध-न्यायिक निगरानी निकाय है।
- इसकी स्थापना नारकोटिक ड्रग्स कन्वेंशन, वर्ष 1961 के अनुसार वर्ष 1968 में की गई थी।
- इसका सचिवालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है।

वैश्विक परिदृश्य:

- फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बढ़ती तस्करी:
  - ड्रग ट्रैफिकर्स द्वारा अवैध दवाओं के बजाय फार्मास्यूटिकल दवाओं की तस्करी की जाती है, यथा- गांजा (Hashish), हेरोइन आदि, क्योंकि नियंत्रित फार्मास्यूटिकल दवाओं की तस्करी पर देशों द्वारा कम दंड लगाया जाता है।

- फेनोबार्बिटल ड्रग (Phenobarbital Drug):
    - यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वैधानिक मन:प्रभावी (Psychotropic) पदार्थों में से एक है, वर्ष 2018 में 161 से अधिक देशों में इसका आयात किया गया।
    - यह मिर्गी (Epilepsy- एक न्यूरोलॉजिकल विकार) के इलाज के लिये आवश्यक दवाओं की WHO की मॉडल सूची में शामिल है।
    - चीन फेनोबार्बिटल का अग्रणी विनिर्माता देश है, जिसके बाद क्रमश: भारत और हंगरी का स्थान हैं।
- निर्यात पूर्व सूचना (Pre-Export Notification- PEN) का सीमित उपयोग:
    - यह देखा गया कि चीन, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने PEN ऑनलाइन प्रणाली का पालन नहीं किया।

PEN ऑनलाइन सिस्टम:

- PEN प्रणाली को UNODC/INCB द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उपयोग INCB सदस्य देशों द्वारा निर्यात-आयात की पूर्व सूचना देने तथा राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम अधिकारियों को रसायन के बारे में सचेत करने के लिये किया जाता है।
- यह सदस्य राज्यों के बीच अवैध रसायनों के शिपमेंट (निर्यात और आयात) संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये उन्हें सक्षम बनाता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य:

- फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का डायवर्ज़न:
    - भारत में नियमित फार्मास्यूटिकल दवाओं यथा- इफेड्रिन (Ephedrine) और स्यूडोएफेड्रिन (Pseudoephedrine) आदि के वैध से अवैध मार्ग की ओर डायवर्ज़न में वृद्धि हुई है। इन दोनों दवाओं को भारत में 'नियंत्रित पदार्थ' (Controlled Substance) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
    - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances- NDPS) अधिनियम, 1985 केंद्र सरकार को किसी भी पदार्थ को 'नियंत्रित पदार्थ' घोषित करने का अधिकार देता है।
- ट्रामाडोल औषधि (Tramadol Drug):
    - विश्व स्तर पर वर्ष 2013-2017 के बीच ज़ब्त अधिकांश ट्रामाडोल औषधियों का उत्पादन भारत में हुआ था।
    - ट्रामाडोल, जिसे 'अल्ट्राम' (Ultram) ब्रांड नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल मध्यम से तीव्र दर्द निवारक के रूप में किया जाता है।

भारत और मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा:

- भारत की अवस्थिति:
    - भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम में 'स्वर्णिम अर्द्धचंद्र' (Golden Crescent- अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान) और पूर्व में 'स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle- म्याँमार, लाओस और थाईलैंड) के बीच अवस्थित है।
- सामाजिक मुद्दा:
    - नशीली दवाओं का दुरुपयोग न केवल नशा करने वाले के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके समुदायों व उनके परिवारों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है।

आगे की राह:

- भारत को न केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये अपितु नशीली दवाओं संबंधी घरेलू नियमों को भी कठोर बनाना चाहिये।

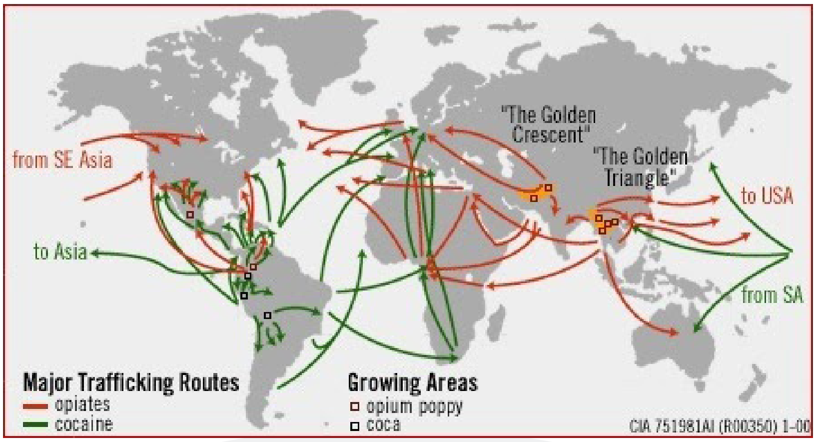

- भारत को पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान हेतु कार्य करना चाहिये, साथ ही व्यापक सीमा सुरक्षा प्रबंधन के उपायों को अपनाना चाहिये।

नौसेना में महिलाएँ

चर्चा में क्यों?

लैंगिक समानता पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय नौसेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी अपने पुरुष समकक्षों के समान स्थायी कमीशन की हकदार हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराज और अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 'लैंगिक समानता की लड़ाई मानसिकता की लड़ाई है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा दिये गए तर्क रुढ़िवादी मानसिकता को दर्शाते हैं।

पृष्ठभूमि

- बीते दिनों 17 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। इन अधिकारियों का तर्क था कि इन्हें SSC अधिकारी के रूप में 14 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था।
- सभी महिला SSC अधिकारियों ने सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में SSC अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने वाली सरकार के नीति पत्र को चुनौती दी थी।

न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने अपने निर्देश में 26 सितंबर, 2008 के उक्त नीति पत्र में उल्लिखित शर्तों को रद्द कर दिया, जिससे महिलाओं के लिये स्थायी कमीशन का मार्ग स्पष्ट हो गया।
- न्यायालय ने कहा कि स्थायी कमीशन की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाली महिला SSC अधिकारी सभी प्रकार के लाभों जैसे- पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभ आदि की हकदार होंगी।
- इसके अलावा जिन महिला SSC अधिकारियों को 26 सितंबर, 2008 के नीति पत्र के आधार पर स्थायी कमीशन देने से इनकार कर दिया गया था, उन्हें भी सभी प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाएंगे।
- न्यायालय ने कहा कि महिला अधिकारियों ने सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर कार्य किया है और इसीलिये इस संदर्भ में दिये गए सभी स्पष्टीकरण बिल्कुल भी तार्किक नहीं हैं।
  - ध्यातव्य है कि इस मामले में दिये गए स्पष्टीकरण में कहा गया था कि भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किये गए रूसी मूल के जहाज़ों में महिला अधिकारियों के लिये बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को आधारहीन घोषित किया है।

नौसेना में महिलाएँ

- 9 अक्तूबर, 1991 तक भारतीय नौसेना में महिलाओं को कमीशन नहीं दिया जाता था। इसके पश्चात् 9 अक्तूबर, 1991 को सरकार ने अधिसूचना जारी की और नौसेना अधिनियम की धारा 9(2) का प्रयोग कर यह निश्चित किया कि महिलाएँ भी भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त हो सकें।
- हालाँकि उस समय महिलाओं की नियुक्ति नौसेना की मात्र 4 शाखाओं (लॉजिस्टिक्स, कानून, हवाई यातायात नियंत्रण और शिक्षा) तक ही सीमित थी।
- इसी समय सरकार ने यह भी कहा था कि वर्ष 1997 तक महिलाओं के लिये स्थायी कमीशन संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाएंगे किंतु वर्ष 2008 तक इस विषय में कोई प्रगति नहीं हो सकी।
- 26 सितंबर, 2008 को सरकार ने पहली बार तीनों सेनाओं में SCC महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया, हालाँकि यह प्रस्ताव कुछ श्रेणियों तक ही सीमित था।

सशस्त्र बल में महिलाएँ

- लंबे समय तक सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका चिकित्सीय पेशे जैसे- डॉक्टर और नर्स तक ही सीमित थी। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की शुरुआत वर्ष 1992 से हुई।
- शुरुआत में महिला अधिकारियों को नॉन-मेडिकल जैसे- विमानन, रसद, कानून, इंजीनियरिंग और एक्ज़ीक्यूटिव कैडर में नियमित अधिकारियों के रूप में पाँच वर्ष की अवधि के लिये कमीशन दिया जाता था, जिसे समाप्ति पर पाँच वर्ष और बढ़ाया जा सकता था।
- वर्ष 2006 में नीतिगत संशोधन किया गया और महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत 10 वर्ष की सेवा की अनुमति दे दी गई, जिसे 4 वर्ष और बढ़ाया जा सकता था।
- वर्ष 2006 में हुए नीतिगत संशोधनों के अनुसार, पुरुष SSC अधिकारी 10 वर्ष की सेवा के अंत में स्थायी कमीशन का विकल्प चुन सकते थे, किंतु यह विकल्प महिला अधिकारियों के लिये उपलब्ध नहीं था।
- इस प्रकार सभी महिला अधिकारी कमांड नियुक्ति से बाहर हो गईं और वे सैन्य अधिकारियों को दी जानी वाली पेंशन की आवश्यक योग्यता को भी पूरा नहीं करती थीं, जो एक अधिकारी के रूप में 20 वर्षों की सेवा के पश्चात् ही शुरू होती है।

आगे की राह

- हम यह समझना होगा कि जब नौसेना की महिला अधिकारियों को भी उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जो उनके पुरुष समकक्षों को दी जाती है तो महिलाएँ किस आधार पर पुरुषों से भिन्न हैं?
- सेना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने और इस विषय से संबंधित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को समझने के लिये एक समेकित अध्ययन करने की आवश्यकता है जिसमें नागरिक समाज के अलावा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय को शामिल किया जाना चाहिये ताकि हम निकट भविष्य में इस क्षेत्र में अपेक्षित चुनौतियों का सामना करने एवं उनसे निपटने में सक्षम हो सकें।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई अध्यादेश -2020

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, बंद इत्यादि के दौरान नष्ट होने वाली संपति के नुकसान की भरपाई के लिये 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई अध्यादेश -2020' (Uttar Pradesh Recovery of Damage to Public and Private Property Ordinance-2020) पारित किया।

अध्यादेश के प्रावधान:

- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति की नुकसान की वसूली के दावे के लिए एक नया अधिकरण का गठन किया गया जिसका नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा और इसमें एक अतिरिक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी को शामिल किया जा सकता है।

- यह अध्यादेश एक ही घटना के लिये कई अधिकरणों के गठन की अनुमति देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यवाही तीन महीने के भीतर संपन्न हो जाए, साथ ही अधिकरण को एक ऐसे मूल्यांकनकर्त्ता की नियुक्ति का अधिकार है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल में हानि का आकलन करने हेतु तकनीकी रूप से योग्य हो।
- अधिकरण के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होंगी एवं यह उसी तरीके से कार्य करेगा।
- उसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकेगी ।
- अधिकरण के पास सबूतों और गवाहों की उपस्थिति से संबंधित मुद्दे की जाँच करने की शक्ति है।
- अध्यादेश की धारा 3 के अनुसार, पुलिस का एक क्षेत्राधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर घटना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु दावा याचिका रिपोर्ट तैयार करेगा।
- इस अध्यादेश में प्रावधान है कि क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट तैयार हो जाने पर ज़िला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त 'दावा याचिका' दायर करने हेतु तत्काल कदम उठाएंगे।
- अध्यादेश की धारा 13 के तहत यदि आरोपी उपस्थित होने में विफल रहता है तो अधिकरण उसकी संपत्ति की कुर्की करने का आदेश जारी करेगा, साथ ही अधिकारियों को निर्देश देगा कि वे सार्वजनिक रूप से नाम, पता आदि के साथ उसकी तस्वीर प्रकाशित करें।

लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984:
(The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984):

- इस अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अनुसार, लोक संपत्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है-
  - कोई ऐसा भवन या संपत्ति जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन और वितरण किया जाता है।
  - लोक परिवहन या दूर-संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति।
  - खान या कारखाना।
  - सीवेज संबंधी कार्यस्थल।
  - तेल संबंधी प्रतिष्ठान।

आगे की राह:

सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से इस मुद्दे से उत्पन्न वैचारिक संकट को हल करने में सफल होगा लेकिन लोगों को यह भी समझना होगा कि आखिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या है एवं राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक संपति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिये। मुआवज़े के उद्देश्य से यह अध्यादेश उपयुक्त है लेकिन इसे संवैधानिक ढाँचे का पालन करके लागू किया जाना चाहिये।

तेजस लड़ाकू विमान

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) ने बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited-HAL) द्वारा निर्मित 83 तेजस एमके-1ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Tejas Mk-1A Light Combat Aircraft) की खरीद को मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा विभाग (DoD) और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के कार्यक्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात् रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की पहली बैठक हुई। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया।

- ध्यातव्य है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत विमान विकास एजेंसी (ADA) ने हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' (Tejas) का स्वदेशी डिज़ाइन तैयार किया है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने निर्मित किया है।
  - विशेषज्ञों के अनुसार, यह लड़ाकू विमान भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिये काफी मददगार साबित होगा।
- भारतीय वायुसेना द्वारा 40 'तेजस' विमानों के खरीद आदेश दिये जा चुके हैं। DAC ने 83 विमानों की खरीद की मंज़ूरी दी है जो इस विमान का आधुनिक एमके-1ए वर्जन होगा।
- लगभग 38000 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को सुरक्षा पर संसदीय समिति (CCS) के समक्ष विचार के लिये रखा जाएगा।

लाभ

- इस खरीद से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि विमान का डिज़ाइन और विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है। इसका निर्माण HAL के अतिरिक्त कई अन्य स्थानीय निर्माताओं के सहयोग से किया गया है।
- भारतीय वायु सेना में लड़ाकू स्क्वाड्रन की ताकत बनाए रखने के लिये यह समझौता काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारतीय वायु सेना में कुल 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की कमी है और यदि HAL समय पर उक्त विमानों की पूर्ति कर देता है तो भी भारतीय वायु सेना के पास 26 लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की कमी होगी।
  - विदित है कि भारतीय वायुसेना के प्रत्येक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 विमान होते हैं।
- इन 83 विमानों की पूर्ति के साथ ही भारतीय वायु सेना के पास कुल 123 तेजस लड़ाकू जेट हो जाएंगे।

तेजस (Tejas)

- यह एक 'स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान' (Indigenous Light Combat Aircraft) है, जिसे 'विमान विकास एजेंसी' (Aeronautical Development Agency- ADA) तथा 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (Hindustan Aeronautics Limited- HAL) के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह सबसे छोटे-हल्के वज़न का एकल इंजन युक्त 'बहु-भूमिका निभाने वाला एक सामरिक लड़ाकू विमान' (Multirole Tactical Fighter Aircraft) है।
- गौरतलब है कि इसे रूस के MIG-21 लड़ाकू विमानों पर अपनी निर्भरता को कम करने तथा स्वदेशी युद्ध संबंधी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited-HAL)

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। HAL का इतिहास और विकास भारत में विगत 77 वर्षों के वैमानिकी उद्योग के विकास को दर्शाता है।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को मैसूर सरकार के सहयोग से वालचंद हीराचंद द्वारा 23 दिसंबर, 1940 को बंगलूरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
  - दिसंबर 1945 में इसे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया और जनवरी 1951 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लिया गया।
  - 1 अक्तूबर, 1964 को भारत सरकार द्वारा जारी विलय आदेश के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड का विलय संपन्न हुआ और विलय के बाद कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (HAL) रखा गया।
- कंपनी का मुख्य कार्य विमानों, हेलिकॉप्टरों और इंजनों तथा संबंधित प्रणालियों जैसे- उड्डयानिकी, उपकरणों और उपसाधनों का विकास, निर्माण, मरम्मत और पुनर्कल्पन करना है।

नोट :

रक्षा खरीद प्रक्रिया मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure-DPP) 2020 का मसौदा जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- सरकार द्वारा जारी DDP 2020 में सस्ती दरों पर रक्षा उपकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से 'पट्टे' (Lease) को एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभिक पूंजीगत व्यय को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से मौजूदा 'खरीद' (Buy) और 'निर्माण' (Make) श्रेणियों के साथ-साथ अधिग्रहण के लिये लीज़िंग (Leasing) यानी 'पट्टे' को एक नई श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - उल्लेखनीय है कि ये उन सैन्य उपकरणों के लिये उपयोगी साबित होगा जो वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किये जाते हैं जैसे- परिवहन बेड़े, ट्रेनर, सिम्युलेटर आदि।
- इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' (Make In India) पहल का समर्थन करने के लिये खरीद की विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित स्वदेशी सामग्री को बढ़ाया गया है।
  - उदाहरण के लिये नए DDP की 'खरीद (इंडियन-आईडीडीएम)' [Buy (Indian-IDDM)] श्रेणी के तहत एक भारतीय विक्रेता के केवल उन भारतीय उत्पादों को किया जाएगा जो कुल अनुबंध मूल्य के न्यूनतम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किये गए होंगे।
- ध्यातव्य है कि रक्षा खरीद के दौरान उक्त श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और मौजूदा नियमों के अनुसार, इस श्रेणी के तहत उन उत्पादों का वर्गीकरण किया जाता है जो कुल अनुबंध मूल्य के न्यूनतम 40 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किये जाते हैं।
- कुल अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर न्यूनतम 50 फीसदी स्वदेशी सामग्री के साथ नई श्रेणी 'खरीद (वैश्विक-भारत में निर्माण)' [Buy (Global-Manufacture in India)] को लाया गया है। इसके तहत केवल न्यूनतम आवश्यक सामग्री को ही विदेश से खरीदा जाएगा जबकि शेष मात्रा का निर्माण भारत में किया जाएगा।
- सॉफ्टवेयर और सिस्टम संबंधित परियोजनाओं की खरीद के लिये एक नया खंड शुरू किया गया है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के कारण अप्रचलन बहुत तेज होता है और प्रौद्योगिकी के साथ गति बनाए रखने के लिये खरीद प्रक्रिया में लचीलापन आवश्यक है।
- इसके अलावा DDP में 'मूल्य-परिवर्तन खंड' (Price Variation Clause) शामिल किया गया है जो उन सभी मामलों पर लागू होगा जहाँ अनुबंध की कुल लागत 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
  - इस खंड का प्रयोग अनुबंध के मूल्य में परिवर्तन की स्थिति में किया जाएगा।

उद्देश्य

सरकार द्वारा जारी किये गए रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) मसौदे का मुख्य उद्देश्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिये स्वदेशी विनिर्माण को अधिक-से-अधिक बढ़ावा देना है और उसमें लगने वाली समय सीमा को कम करना है।

रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure- DPP)

- DPP 2020 का मसौदा निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों की सिफारिशों के आधार पर महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति द्वारा तैयार किया गया है।
- पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure-DPP) को वर्ष 2002 में लाया गया था और तब से इसे कई बार संशोधित किया गया है ताकि बढ़ते घरेलू उद्योग को गति प्रदान की जा सके और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।

नोट :

चर्चा में

एकम उत्सव EKAM Fest

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Union Ministry of Social Justice & Empowerment) ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम (National Handicapped Finance Development Corporation-NHFDC) द्वारा आयोजित प्रदर्शनी-सह-मेला 'एकम उत्सव' (EKAM Fest) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- यह दिव्यांगजन समुदाय के बीच उद्यमशीलता एवं ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु एक प्रयास है जिसका उद्देश्य समाज में PwDs की संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, साथ ही PwDs उद्यमियों को एक प्रमुख विपणन अवसर प्रदान करना है।
- NHFDC इन उद्यमियों के उत्पादों के विपणन हेतु एक ब्रांड एवं मंच के विकास के लिये प्रयास कर रहा है।
- तदनुसार ब्रांड का नाम एकम (उद्यमिता, ज्ञान, जागरूकता, विपणन) तय किया गया है।

NHFDC के बारे में

- NHFDC दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तत्त्वावधान में एक सर्वोच्च निगम है और यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत वर्ष 1997 से कार्य कर रहा है।
- यह निगम लाभ के उद्देश्य से पंजीकृत नहीं किया गया है और दिव्यांगजन/विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन/PWDs) को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा उन्हें अपने उद्यमों को विकसित करने और उनको सशक्त बनाने के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत मदद भी देता है।

द्वार प्रदाय योजना Dwar Praday Yojana

द्वार प्रदाय योजना (Dwar Praday Yojana) एक पायलट परियोजना है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर में शुरू किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation- IMC) क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन करके 24 घंटे के भीतर घर बैठे पाँच प्रकार के दस्तावेज़ (आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,खसरा-खतौनी की नकल) प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके लिये प्रशासन द्वारा एक स्थानीय कूरियर एजेंसी की सेवा ली जा रही है जो दस्तावेज़ों को सार्वजनिक सेवा केंद्रों से एकत्र करने के बाद लोगों तक पहुँचाती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना है।

प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के नाम पर पीठों की स्थापना
Establishment of Chairs in the Name of Eminent Women Scientists

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी) के अवसर पर भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिकों के नाम पर 11 पीठों की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- यह कार्यक्रम महिलाओं को प्रोत्साहित करने, उन्हें सशक्त बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली युवा महिला शोधकर्त्ताओं को उचित पहचान दिलाने के लिये है।
- 11 पीठों को कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, इम्यूनोलॉजी, फाइटोमेडिसिन, जैव रसायन, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान एवं मौसम विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी सहित अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development- MWCD) ने संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों में 10 पीठों की स्थापना की जा चुकी है।

फिशिंग कैट एंड ओटर्स Fishing Cat and Otters

हाल ही में चिल्का झील में फिशिंग कैट (Fishing Cat), स्मूथ कोटेड ओटर (Smooth-Coated Otter) और एक यूरेशियन ओटर (Eurasian Otter) की उपस्थिति दर्ज की गई है।

फिशिंग कैट (Fishing Cat):

- इसका वैज्ञानिक नाम परिओनैलुरस विवेरिनस (Prionailurus Viverrinus) है।
- यह भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों, पश्चिमी घाट, हिमालय की तलहटी, सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में मुख्य रूप से पाई जाती है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में संवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है और इसे CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) के परिशिष्ट II (Appendix II) में, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I में रखा गया है।

स्मूथ कोटेड ओटर (Smooth-Coated Otter):

- इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूट्रोगाले पेरस्पिसिल्लाटा (Lutrogale Perspicillata) है।
- ये पूरे भारत में हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक में पाए जाते हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में संवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है और इसे CITES के परिशिष्ट II (Appendix II) में, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची II में रखा गया है।

यूरेशियन ओटर (Eurasian Otter):

- इसका वैज्ञानिक नाम लुट्रा लुट्रा (Lutra lutra) है।
- ये यूरेशिया में (पश्चिम में आयरलैंड से लेकर पूर्वी रूस एवं चीन तक) पाए जाते हैं। इसके अलावा ये उत्तरी अफ्रीका (मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया) और मध्य पूर्व (इज़राइल, जॉर्डन, इराक और ईरान) में भी पाए जाते हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में निकट संकट (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है और इसे CITES की परिशिष्ट I (Appendix I) में जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची II में रखा गया है।

गिर राष्ट्रीय उद्यान Gir National Park

गिर राष्ट्रीय उद्यान (Gir National Park) और वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य के जूनागढ़ ज़िले में स्थित हैं।

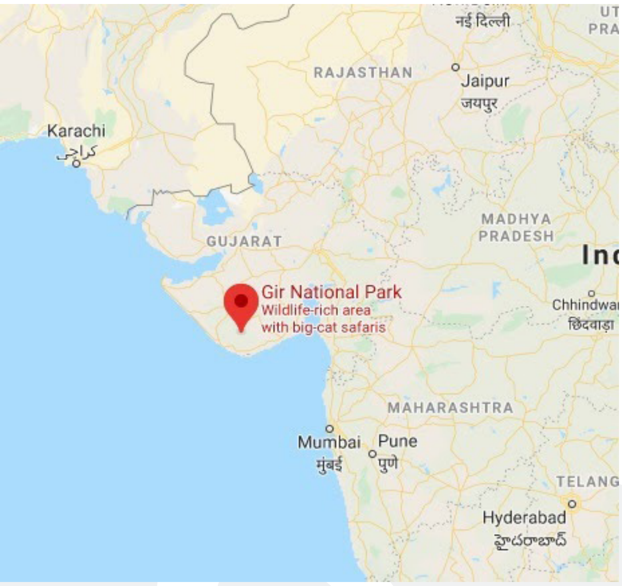

मुख्य बिंदु:

- गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इसे वर्ष 1965 में अभयारण्य और वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

एशियाई शेर (Asiatic Lion):

- इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका (Panthera leo Persica) है।
- ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में रखा गया है और इसे CITES के परिशिष्ट I (Appendix I) में, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I में रखा गया है।
- भारत के अर्द्ध-शुष्क पश्चिमी भाग में गिर वन शुष्क पर्णपाती वन हैं। गिर वन में कई प्रकार के स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों एवं कीट प्रजातियों के साथ-साथ समृद्ध वनस्पतियों के लिये एक अनूठा निवास स्थान है।
- गिर को अक्सर 'मल्धारिस' (Maldharis) के साथ जोड़ा जाता है जो शेरों के साथ सहजीवी संबंध होने से युगों तक जीवित रहे हैं।
  - मल्धारिस गिर क्षेत्र में रहने वाले धार्मिक ग्रामीण समुदाय हैं। उनकी बस्तियों को 'नेस्सेस' (Nesses) कहा जाता है।
- गुजरात में अन्य राष्ट्रीय उद्यान काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान (Black buck National Park), वंसदा नेशनल पार्क (Vansda National park) और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (Marine National Park) हैं।

फ्लो डायवर्टर स्टेंटस टेक्नोलॉजी Flow Diverter Stents Technology

श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Sree Chitra Thirunal Institute of Medical Science and Technology- SCTIMST) तिरुवंतपुरम की शोध टीम ने मस्तिष्क की रक्त धमनियों में एन्यूरिज़्म (Aneurysms) के उपचार के लिये एक इंट्राक्रानियल फ्लो डायवर्टर स्टेंटस (Flow Diverter Stents) तकनीक विकसित की है।

मुख्य बिंदु:

- श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) तिरुवंतपुरम केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology) के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व का एक संस्थान है।

- इस तकनीक का पहला परीक्षण जानवरों में और इसके बाद मानव में किया जाएगा।
- फ्लो डायवर्टरों को जब एन्यूरिज़्म से ग्रस्त मस्तिष्क की धमनी में तैनात किया जाता है तब यह एन्यूरिजम से रक्त के प्रवाह को मोड़ देता है इससे रक्त प्रवाह के दबाव से इसके टूटने की संभावना कम हो जाती है।
- फ्लो डायवर्टर धमनी के लिये यह लचीला एवं अनुकूलन योग्य है। साथ ही फ्लो डायवर्टर रक्त के प्रवाह पर लगातार ज़ोर न देकर धमनी की दीवार को भी मज़बूत करता है।

एन्यूरिज़्म (Aneurysms):

- एन्यूरिज़्म मानव शरीर में धमनी का विस्तार है जो धमनी की दीवार में कमज़ोरी के कारण होता है। अर्थात् एन्यूरिज़्म एक धमनी की दीवार के कमज़ोर पड़ने को संदर्भित करता है जो धमनी में उभार या विकर्षण बनाता है।

व्हेल शार्क Whale Shark

ओडिशा के गंजम ज़िले के सुनापुर तट के पास 14.9 फीट लंबी व्हेल शार्क (Whale shark) मृत पाई गई।

मुख्य बिंदु:

- इसका वैज्ञानिक नाम रिंकोडॉन टायपस (Rhincodon Typus) है। वर्तमान मछली प्रजातियों में व्हेल शार्क सबसे बड़ी शार्क मछली है।
- व्हेल शार्क हानिरहित, धीमी गति से चलने वाले स्तनधारी होते हैं। उनके दाँतों की कई पंक्तियाँ होती हैं किंतु इनकी भोजन ग्रहण करने में कोई भूमिका नहीं होती है।
- वे भोजन के लिये प्लवक (Plankton) पर निर्भर रहते हैं और अपने विशाल आकार को बनाए रखने एवं प्रजनन के लिये पर्याप्त भोजन खोजने हेतु लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।
- व्हेल शार्क विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों (Tropical Oceans) में पाए जाते हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में रखा गया है और इसे CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) के परिशिष्ट II (Appendix II) में, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I में रखा गया है।

डोगरा वंश Dogra Dynasty

जम्मू नगर निगम (Jammu Municipal Corporation- JMC) ने जम्मू हवाई अड्डे को हिंदू डोगरा सम्राट महाराजा हरि सिंह और जम्मू विश्वविद्यालय को महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है।

डोगरा वंश (Dogra Dynasty):

- महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की और वर्ष 1846 में जम्मू-कश्मीर के पहले सम्राट बने।
- डोगरा वंश के महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 'अमृतसर की संधि' पर हस्ताक्षर किये। इस संधि के तहत वर्ष 1846 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कश्मीर और कुछ अन्य क्षेत्रों के बदले 75 लाख रुपए दिये।
- वर्ष 1846 में जम्मू और कश्मीर को एक एकल इकाई के रूप में एकीकृत किया गया था।
- वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के समय तक जम्मू और कश्मीर (J & K) एक रियासत थी।
- महाराजा हरि सिंह अंतिम डोगरा सम्राट थे जिन्होंने वर्ष 1947 में भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के विलय को लेकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये।

लेस्बोस आईलैंड Lesbos Island

लेस्बोस (Lesbos) के तट पर आप्रवासियों से भरी एक नाव के पलटने से कुछ लोगों की मौत हो गई।

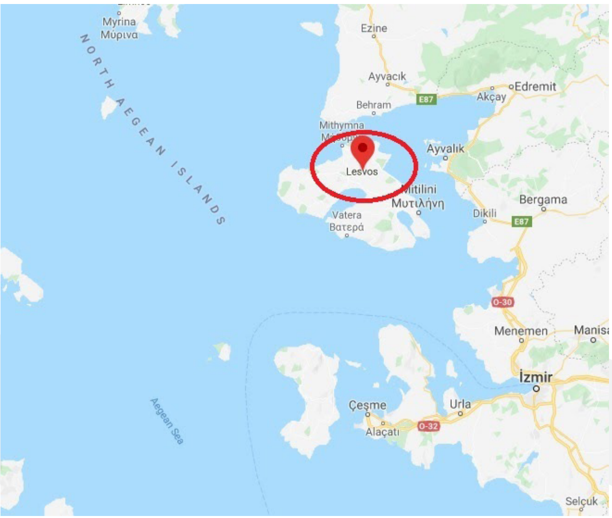

मुख्य बिंदुः

- लेस्बोस उत्तर-पूर्व एजियन सागर (Aegean Sea) में स्थित एक यूनानी द्वीप है।
  - एजियन सागर भूमध्य सागर का ही एक विस्तृत भाग है। यह दक्षिणी बाल्कन क्षेत्र और एनाटोलिया प्रायद्वीप के बीच में स्थित है इस प्रकार यह यूनान और तुर्की के मध्य स्थित है।
- इसका क्षेत्रफल 1,633 वर्ग किमी. है और इसकी तटरेखा की लंबाई 321 किलोमीटर है।
- यह ग्रीस में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह संकीर्ण मयटिलिनी जलडमरूमध्य (Mytilini Strait) द्वारा तुर्की से अलग होता है।

जीडीपी के एक हिस्से के रूप में रक्षा व्यय Defence Expenditure as a part of GDP

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Defence) ने राज्यसभा में जीडीपी के एक हिस्से के रूप में रक्षा व्यय के बारे में जानकारी दी।

मुख्य बिंदुः

- रक्षा व्यय प्रत्येक वर्ष निरपेक्ष रूप से बढ़ रहा है जो उच्च व्यय को दर्शाता है। हालाँकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट जीडीपी में वृद्धि के कारण घटता हुआ दिखाई दे सकता है।
  - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
- वर्ष 2019-20 के बजट व्यय (Budget Expenditure) में कुल रक्षा बजट (विविध खर्च एवं पेंशन सहित) केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.47% है।
- वर्ष 2019-20 के बजट व्यय (Budget Expenditure) में रक्षा मंत्रालय का पूंजीगत बजट केंद्र सरकार के कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 31.97% है।
  - पूंजीगत व्यय भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण साथ ही शेयरों में निवेश जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च किया गया धन है।
- संचालन एवं रखरखाव तथा रक्षा क्षेत्र के आधारभूत ढाँचे पर खर्च का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया गया है।

जनौषधि सप्ताह Janaushadhi Week

देश भर में 1-7 मार्च, 2020 तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य जाँच शिविर, 'जन औषधि परिचर्चा' एवं 'जन औषधि का साथ' जैसी विभिन्न गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं।

मुख्य बिंदु:

- इसका आयोजन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) द्वारा किया जा रहा है।
- इस सप्ताह के दौरान जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश भर में रक्तचाप, मधुमेह की जाँच, डाक्टरों द्वारा निशुल्क चिकित्सा जाँच एवं दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है।
- 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है जो सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध करा कर आम जनता को लाभ पहुँचा रही है।
- वर्तमान में देश में ऐसे औषधि केंद्रों की संख्या 6200 से अधिक हैं और 700 ज़िलों को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान फरवरी 2020 तक इन केंद्रों से 383 करोड़ रुपए से अधिक की दवाएँ बेची गईं। औसत बाज़ार कीमतों पर बेची जाने वाली दवाओं की तुलना में 50-90% तक सस्ती होने के कारण इससे आम जनता को करीब 2200 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई।

विश्व वन्यजीव दिवस World Wildlife Day

विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम 'पृथ्वी पर जीवन कायम रखना' (Sustaining all life on Earth) है।

पृष्ठभूमि:

- 20 दिसंबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) के 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था क्योंकि वर्ष 1973 में 3 मार्च के दिन वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) को अपनाया गया था जोकि 1 जुलाई, 1975 से प्रभावी हुआ।

मुख्य बिंदु:

- इसमें सभी जंगली जानवरों एवं पौधों की प्रजातियों को विश्व की जैव विविधता के प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों 1, 12, 14 व 15 तथा गरीबी को कम करने, संसाधनों सतत् उपयोग सुनिश्चित करने व जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु भूमि एवं जल के नीचे जीवन के संरक्षण पर व्यापक प्रतिबद्धताओं को संरेखित करता है।

सुखना झील Sukhna Lake

सुखना झील (Sukhna Lake) को एक कानूनी इकाई (Legal Entity) के रूप में मान्यता देते हुए पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय ने तीन महीने के भीतर इसके आसपास के जलग्रहण क्षेत्र में सभी अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और दोनों राज्यों पर जुर्माना लगाया था।

सुखना झील (Sukhna lake) के बारे में

- सुखना झील चंडीगढ़ शहर में स्थित है। यह हिमालय की तलहटी (शिवालिक पहाड़ियों) में स्थित एक जलाशय है।

नोट :

- इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किमी. है। इसे वर्ष 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली एक मौसमी जलधारा सुखना चो (Sukhna Choe) पर बाँध बनाकर निर्मित किया गया था।
  - मौसमी जलधारा सुखना चो (Sukhna Choe) के सीधे झील में प्रवेश करने के कारण इसमें गाद की समस्या बनी रहती है। वर्ष 1974 में सुखना चो को मोड़ दिया गया था जिससे झील में गाद की मात्रा में कमी आई।

सुखना झील के वास्तुकार:

- इस झील का निर्माण ली कोर्बुसीयर (Le Corbusier) एवं मुख्य अभियंता पी. एल. वर्मा द्वारा किया गया था। ली कोर्बुसीयर (Le Corbusier) एक स्विस-फ्राँसीसी वास्तुकार, डिज़ाइनर, चित्रकार, शहरी योजनाकार एवं लेखक थे। इन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूत के रूप में पहचान मिली।
- इस झील के दक्षिण में एक गोल्फ कोर्स और पश्चिम में चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है।

सुखना झील: प्रवासी पक्षियों के लिये एक अभयारण्य

- सुखना झील सर्दियों के मौसम में साइबेरियाई बत्तख, स्टोर्क्स (Storks) एवं क्रेन (Cranes) जैसे कई विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिये एक अभयारण्य है। भारत सरकार द्वारा झील को संरक्षित राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया है।

सुखना झील: एक समारोह स्थल

- सुखना झील कई उत्सव व समारोहों का भी स्थल है। इनमें सबसे लोकप्रिय मैंगो फेस्टिवल है जो मानसून के आगमन के दौरान आयोजित किया जाता है।

नौसेना अभ्यास मिलन- 2020 Naval Exercise MILAN- 2020

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने बहु-राष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास 'मिलन 2020' को टाल दिया है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की नौ सेनाओं के बीच व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना एवं सामुद्रिक क्षेत्र में एक-दूसरे की शक्तियों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से ज्ञान प्राप्त करना है।

मुख्य बिंदु:

- मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की श्रृंखला है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
- वर्ष 1995 के बाद से अब तक नौसेना ने विदेशी नौसेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण पेशेवर बातचीत को बढ़ाने और एक-दूसरे के सर्वोत्तम तरीकों को सीखने के लिये 'समुद्र पार तालमेल' के विषय के साथ मिलन अभ्यास के 10 संस्करण आयोजित किये हैं।
- वर्ष 2018 तक इसका आयोजन अंडमान एवं निकोबार कमान में किया गया। परंतु अभ्यास की बढ़ती संभावना और जटिलता के कारण पहली बार इसका आयोजन विशाखापत्तनम कमान में किया जाना था।
- इस अभ्यास में दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ऐसे 41 देशों को आमंत्रित किया गया था जिनके साथ भारत के सैन्य संबंध हैं।

बाई-ल्यूमिनसेंट सुरक्षा स्याही Bi-luminescent Security Ink

सीएसआईआर की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के शोधकर्त्ताओं ने करेंसी नोटों की जालसाज़ी और पासपोर्ट की नकली छपाई को रोकने के लिये एक बाई-ल्यूमिनसेंट सुरक्षा स्याही विकसित की है।

मुख्य बिंदु:

- यह स्याही 254 नैनो मीटर तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश के स्रोत के संपर्क में आने पर तीव्र लाल रंग का, जबकि पराबैंगनी प्रकाश स्रोत के बंद होने के तुरंत बाद हरे रंग का उत्सर्जन करती है।

- लाल रंग का उत्सर्जन प्रतिदीप्ति (Fluorescence) के कारण होता है, जबकि हरे रंग का उत्सर्जन स्फुरदीप्ति (Phosphorescence) की घटना के कारण होता है।
- जब 254 नैनोमीटर व 365 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य पर दो अलग-अलग स्रोतों द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तो एक बाई-ल्यूमिनेसेंट सुरक्षा स्याही क्रमश: लाल एवं हरे रंग की रोशनी में दिखाई देती है।
- पिछले वर्ष ज़ारी आरबीआई (RBI) की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 के दौरान बैंकों द्वारा पाए गए कुल नकली भारतीय मुद्रा नोटों में से RBI द्वारा 5.6 % और अन्य बैंकों द्वारा 94.4 % का पता लगाया गया था।

ललित कला अकादमी पुरस्कार Lalit Kala Akademi Awards

भारत के राष्ट्रपति ने 4 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया।

मुख्य बिंदु:

- ललित कला अकादमी ने सम्मानित होने वाले कलाकारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिये देश भर के प्रतिष्ठित कला प्रशिक्षक, कलाकारों एवं आलोचकों की सात सदस्यीय चयन ज़ूरी को नामित किया।
- ललित कला अकादमी प्रत्येक वर्ष कला को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिये कला प्रदर्शनियों एवं पुरस्कार समारोहों का आयोजन करती है।
- कला की 61वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पुरस्कार विजेता कलाकारों की कलाकृतियाँ 22 मार्च, 2020 तक ललित कला अकादमी की दीर्घाओं में प्रदर्शित की जाएंगी।

प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 Pragyan Conclave 2020

भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 'प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020' (Pragyan Conclave 2020) का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस कॉन्क्लेव का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ (Centre for Land Warfare Studies) द्वारा किया जा रहा है।

सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ (Centre for Land Warfare Studies- CLAWS)

- नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ (CLAWS) भारतीय संदर्भ में रणनीतिक अध्ययन एवं ज़मीनी युद्ध पर एक स्वायत्त थिंक टैंक है।
- CLAWS सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और यह सदस्यता आधारित संगठन है।
- इसका संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर और एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है।
- इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ज़मीनी युद्ध के बदलते तरीकों और सेना पर इसके प्रभाव के बारे में विचार-विमर्श करेंगे।
- इस कॉन्क्लेव में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारतीय सेना के लिये चीफ-ऑफ-डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff) की नियुक्ति तथा सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) की स्थापना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
- इसमें 'प्रौद्योगिकी क्रांति- एक मौलिक चुनौती' (The Technological Revolution– A Seminal Challenge) विषय के तहत बहुपक्षीय इन्फॉरमेशन वारफेयर, साइबर एवं स्पेस वारफेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स के प्रभाव पर चर्चा की गई।

गौरा देवी Gaura Devi

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री (Union HRD Minister) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में चिपको आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्त्ता गौरा देवी की याद में एक पौधा लगाया।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) 1-8 मार्च, 2020 तक महिला सप्ताह मना रहा है।
- इसी क्रम में केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।

गौरा देवी:

- खेजड़ली (जोधपुर) राजस्थान में वर्ष 1730 के आस-पास अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर उनको बचाने के लिये आंदोलन चलाया था।
- इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद 1970 के दशक में हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली, उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था।

गैरसैण Gairsain

उत्तराखंड सरकार ने गैरसैण (Gairsain) को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया।

मुख्य बिंदु:

- 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वाँ राज्य बना जिसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था।
- वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। किंतु जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
- इसकी सीमाएँ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं।
- देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ-साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है।

ब्लैक रेडस्टार्ट Black Redstart

ब्लैक रेडस्टार्ट (Black Redstart) एक छोटे आकार का पक्षी है जो औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों में रहने के लिये अनुकूल है।

मुख्य बिंदु:

- इसका वैज्ञानिक नाम फॉनिकुरुस ऑक्रूरोस (Phoenicurus Ochruros) है।
- नर ब्लैक रेडस्टार्ट का ऊपरी भाग काला होता है जो सर्दियों में कुछ ग्रे रंग का दिखाई देता है। इसके सिर का ऊपरी हिस्सा एवं पीठ का निचला हिस्सा ग्रे रंग का होता है। जबकि मादा ब्लैक रेडस्टार्ट का ऊपरी हिस्सा हल्का भूरा-धूसर होता है और इसकी पूँछ नर ब्लैक रेडस्टार्ट के समान ही होती है।
- यह पक्षी मुख्य रूप से अकशेरुकी कीटों एवं जामुन जैसे छोटे फलों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है।
- यह हिमालय क्षेत्र में 2400-5200 मीटर की ऊँचाई पर प्रजनन करता है और सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी एवं पठारी भागों में निवास करता है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में बहुत कम संकट (Least Concern) श्रेणी में रखा गया है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020
QS World University Subject Rankings 2020

हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग (QS World University Subject Rankings 2020) के 2020 संस्करण में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को विश्व के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 को क्वैकरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds) द्वारा लंदन में जारी किया गया।
  - क्वैकरेली साइमंड्स वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है।
- क्यूएस रैंकिंग के लिये चार प्रमुख कारकों का उपयोग किया जाता है जिसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति पेपर उद्धरण और एच-इंडेक्स शामिल हैं।

एच-इंडेक्स (h-Index):

- एच-इंडेक्स एक लेखक-स्तर का मापक है जो एक वैज्ञानिक या विद्वान के प्रकाशनों की उत्पादकता एवं उद्धरण प्रभाव दोनों को मापता है।
  - लेखक-स्तर का मापक व्यक्तिगत लेखकों, शोधकर्त्ताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों के ग्रंथ सूची प्रभाव को मापता है।
- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology- MIT) ने लगातार नौवें वर्ष क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- इंजीनियरिंग में QS वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष 100 में 5 भारतीय संस्थान– आईआईटी बॉम्बे (44वें), आईआईटी दिल्ली (47वें), आईआईटी खड़गपुर (86वें), आईआईटी मद्रास (88वें) और आईआईटी कानपुर (96वें) शामिल हैं।
- कला एवं मानविकी के क्षेत्र में QS वर्ल्ड रैंकिंग में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को 163वाँ स्थान एवं दिल्ली विश्वविद्यालय को 231वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के 26 विभागों को स्थान दिया गया है। ये सभी 26 विभाग केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी और दिल्ली विश्वविद्यालय) के अंतर्गत आते हैं।

जीवन कौशल पाठ्यक्रम Jeevan Kaushal Curriculum

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिये जीवन कौशल पाठ्यक्रम (Jeevan Kaushal Curriculum) विकसित किया है।

मुख्य बिंदु:

- यह पाठ्यक्रम संचार कौशल, व्यावसायिक कौशल, नेतृत्व क्षमता एवं प्रबंधन कौशल और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित है।
- UGC ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों में इस पाठ्यक्रम पर विचार करने का अनुरोध किया है।

उद्देश्य: जीवन कौशल पाठ्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- सभी आशंकाओं एवं असुरक्षाओं को दूर करने हेतु स्वयं की मदद करके किसी को पूरी तरह से जागरूक करने तथा उसके पूर्ण विकास के लिये क्षमताओं को बढ़ाना।
- अध्ययन/कार्य के स्थान पर भावनात्मक सामर्थ्य एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ज्ञान तथा जागरूकता बढ़ाना।
- व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से किसी की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिये अवसर प्रदान करना।
- पारस्परिक कौशल विकसित करना और स्वयं एवं दूसरों के सशक्तिकरण के लिये अच्छे नेतृत्व व्यवहार को अपनाना।
- उचित लक्ष्य निर्धारित करना तथा प्रभावी ढंग से तनाव एवं समय प्रबंधन करना।
- नैतिकता के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये सभी स्तरों पर विभिन्न योग्यताओं का प्रबंधन करना।

नोट :

भरतनाट्यम Bharatanatyam

भरतनाट्यम (Bharatanatyam) भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है। इस नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है।

मुख्य बिंदुः

- भरतनाट्यम का उद्भव भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र से हुआ है।
- यह संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi) द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य के आठ रूपों में से एक है और यह दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों एवं आध्यात्मिक विचारों विशेष रूप से शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद को व्यक्त करता है।
- दूसरी शताब्दी में भरतनाट्यम का वर्णन प्राचीन तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम (Shilappatikaram) में मिलता है।

शिलप्पादिकारमः

- शिलप्पादिकारम को 'तमिल साहित्य' के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना चेर वंश के शासक सेनगुट्टुवन (Cenkuttuvan) के भाई इंगालोआदिकल (Ingaloadikal) ने लगभग ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी में की थी।
- इसमें मदुरै नगर का सुन्दर वर्णन किया गया है और इसमें मुख्य चरित्रों में कोवलन एवं कन्नगी दंपत्ति तथा माध्वी नामक नर्तकी हैं।
- यह महाकाव्य तीन भागों पुहारक्कांडम, मदरैक्कांडम और वंजिक्कांडम में विभाजित है। इन तीनों भागों में क्रमशः चोल, पाण्ड्य और चेर राज्यों का वर्णन किया गया है।
- दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किये गए भरतनाट्यम को 20वीं सदी में रुक्मिणी देवी अरुंडेल और ई. कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला।
- नंदिकेश्वर द्वारा रचित 'अभिनय दर्पण' भरतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है।
- इस नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बाँसुरी वादक, एक मृदंगम वादक, एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है।
- भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। इसमें कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को 'नडन्वनार' कहते हैं।

भरतनाट्यमः नृत्य पदानुक्रम

- भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को तीन भागों में बाँटा जाता है-समभंग, अभंग और त्रिभंग।
- इसमें नृत्य क्रम इस प्रकार होता है- आलारिपु (कली का खिलना), जातीस्वरम् (स्वर जुड़ाव), शब्दम् (शब्द और बोल), वर्णम् (शुद्ध नृत्य और अभिनय का जुड़ाव), पदम् (वंदना एवं सरल नृत्य) तथा तिल्लाना (अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ)।

भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारः

- इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रह्मण्यम्, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंतीमाला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि शामिल हैं।

सोलर चरखा मिशन Solar Charkha Mission

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro,Small & Medium Enterprises) द्वारा 27 जून, 2018 को सोलर चरखा मिशन (Solar Charkha Mission) की शुरुआत की गई।

मुख्य बिंदुः

- यह एक उद्यम संचालित योजना है। इसमें सोलर चरखा समूहों (Solar Charkha Clusters) की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिसमें 200 से 2042 लाभार्थी (स्पिनर, बुनकर, सिलाई और अन्य कुशल कारीगर) होंगे। प्रत्येक स्पिनर को 10 स्पिंडल के दो चरखे दिए जाएंगे।
- इस योजना के तहत कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है हालाँकि चरखा और करघों की खरीद के लिये 9.60 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

नोट :

- बिहार में वर्ष 2016 में नवादा ज़िले के खानवा गाँव में पायलट परियोजना के तहत स्थापित सौर चरखे से 1180 कारीगरों को लाभान्वित किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने ऐसे 50 क्लस्टर स्थापित करने की स्वीकृति दी।
- ब्याज की अभिव्यंजना (Expression of Interest- EOI) पर आधारित योजना के एक हिस्से के रूप में अब तक कुल 10 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है जिससे लगभग 13784 कारीगरों/श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद की गई।
    - ब्याज की अभिव्यंजना (EOI) एक व्यवसाय की खरीद के लिये एक रणनीतिक या वित्तीय खरीदार द्वारा की गई एक अनौपचारिक पेशकश है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक मूल्यांकन रेंज का सुझाव देना है जो एक खरीदार कंपनी हेतु भुगतान करने के लिये तैयार है।
- जिन राज्यों में सौर चरखा क्लस्टर स्वीकृत हैं वे निम्नलिखित हैं।

राज्य	सब्सिडी की राशि (लाख में)	सोलर चरखा समूहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
छत्तीसगढ़	578.49	1	1200
गुजरात	405.45	1	1000
कर्नाटक	1920.49	2	4042
महाराष्ट्र	1336.76	2	2742
ओडिशा	676.25	1	1400
राजस्थान	959.95	1	2000
उत्तर प्रदेश	754.24	2	1400
कुल	6631.65	10	13784

लाभ:

- ये सोलर चरखे सौर ऊर्जा का उपयोग करके संचालित किये जायेंगे जो एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। यह हरित अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करेगा क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रम है। यह कारीगरों के लिये स्थायी रोज़गार भी पैदा करेगा।

नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
International Conference on Nano Science and Nano Technology

नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Nano Science and Nano Technology- ICONSAT) का आयोजन 5-7 मार्च, 2020 को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- इस सम्मेलन का उद्देश्य नैनो तकनीक की मदद से भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान (Materials Science) के साथ-साथ जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास को बढ़ावा देना तथा सतत् विकास एवं नई तकनीकों (मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि) के साथ नैनो तकनीक को एकीकृत करना है।

मुख्य बिंदु:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तत्वावधान में नैनो मिशन के अंतर्गत ICONSAT भारत में आयोजित द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला है।

नोट :

नैनो मिशन:

- भारत सरकार ने 'मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के रूप में वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की थी।
- यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
  - नैनो अनुप्रयोगों एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
  - मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना।
- नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गये प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष पाँच देशों में शामिल है।
- इस सम्मेलन में 5M (मैकेनिकल, मटेरियल, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग और मैनपावर) और नैनो-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ इन 5M के एकीकरण पर ज़ोर दिया गया।
- इस अवसर पर नैनो-विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बनाने और ऊर्जा, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य एवं इस तरह के अन्य क्षेत्रों में ज्ञान का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र

Indian National Centre for Ocean Information Services

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS), हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को मनाया गया।

मुख्य बिंदु:

- INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences -MoES) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह हैदराबाद में स्थित है जिसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था।
- यह निरंतर महासागरों के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को सर्वोत्तम संभव महासागरीय संबंधी जानकारी और सलाह सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन:

- पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यकारी के रूप में कार्य करता है।
- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य मौसम, जलवायु और जोखिम की भविष्यवाणी से संबंधित सूचना तंत्र का विकास एवं सुधार करना जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ मिल सके।
- यह जलवायु परिवर्तन विज्ञान एवं जलवायु सेवाओं से संबंधित पहलुओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।
- यह समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन की दिशा में प्रौद्योगिकी के विकास के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- इसकी चार प्रमुख शाखाएँ हैं-
  - महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
  - वायुमंडलीय एवं जलवायु विज्ञान
  - जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
  - ध्रुवीय विज्ञान एवं क्रायोस्फीयर

नोट :

आयुष ग्रिड AYUSH Grid

आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर 'आयुष ग्रिड' (AYUSH Grid) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिये पहल की गई।

उद्देश्य:

- इस पहल का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित आयुष संबंधी सभी सुविधाओं को शुरू करने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (AYUSH Hospital Information Management System), टेली-मेडिसिन (Tele-Medicine), योगलोक्टओर एप्लीकेशन (Yogaloctaor Application), भुवन एप्लीकेशन (Bhuvan Application), योगा पोर्टल (Yoga Portal), केस रजिस्ट्री पोर्टल (Case Registry Portal) इत्यादि जैसे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किये गए हैं जिन्हें भविष्य में आयुष ग्रिड परियोजना के साथ जोड़ा जाएगा।
- आयुष मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य सेवा और दवाओं की पारंपरिक प्रणाली के लिये देश भर में 12,500 आयुष केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया है।
- वर्ष 2023-24 तक मौजूदा राज्य सरकार द्वारा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिये 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres- HWCs) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
- इस योजना के तहत पाँच वर्ष की अवधि के लिये प्रस्तावित कुल वित्तीय आवंटन 3399.35 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

किशोरी हेल्थ कार्ड Kishori Health Card

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किशोरी हेल्थ कार्ड (Kishori Health Card- KHC) के बारे में लोकसभा को सूचित किया।

मुख्य बिंदु:

- महिला एवं बाल विकास द्वारा किशोरी हेल्थ कार्ड के माध्यम से किशोर लड़कियों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास की स्थिति की निगरानी की जाती है।
- राज्यों ने किशोर लड़कियों को योजना के तहत प्रदान की गई अन्य सेवाओं के साथ वज़न, ऊँचाई, बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index-BMI) के बारे में जानकारी हेतु किशोरी हेल्थ कार्ड बनाए हैं।

बॉडी मास इंडेक्स:

BMI की गणना किसी व्यक्ति की ऊँचाई और वज़न के आधार पर की जाती है। वस्तुत: विश्व भर में बी.एम.आई. को मोटापे की एक माप के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- सभी किशोर लड़कियों के लिये ये स्वास्थ्य कार्ड आँगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centres) पर बनाए जाते हैं।
- इस योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों/परिणामों का विवरण किशोरी हेल्थ कार्ड पर अंकित होता है।
- पिछले तीन वर्षों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किये गए धनराशि का विवरण अनुबंध- II में है।
- मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में किशोरी हेल्थ कार्ड का कार्य क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

कत्चाथीवु आईलैंड Katchatheevu Island

कत्चाथीवु आईलैंड (Katchatheevu Island) हिंद महासागर के पाक जलडमरूमध्य में एक छोटा निर्जन द्वीप है जिसका स्वामित्व मूल रूप से तमिलनाडु के रामनद (रामनाथपुरम) के एक राजा के पास था।

मुख्य बिंदु:

- इस द्वीप का उपयोग मछुआरे अपने जाल को सुखाने के लिये करते हैं।
- ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का संचालन भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था।
- 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रीलंका ने इस द्वीप पर क्षेत्रीय स्वामित्व का दावा किया था, इसलिये वर्ष 1974 में भारत ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था।
    - दो वर्ष बाद एक और समझौते के ज़रिये भारत ने इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार को भी छोड़ दिया।

अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या ह्रास

Depopulation in Border Areas of Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन (विशेष रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से) को रोकने के लिये केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है।

मुख्य बिंदु:

- भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन के साथ 1,080 किमी. की सीमा, म्याँमार के साथ 440 किमी. और भूटान के साथ 160 किमी. की सीमा साझा करता है।
- चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के ज़िलों में मैकमोहन रेखा के पार तिब्बत के लोगों द्वारा घुसपैठ के कई उदाहरण बताए गए हैं।
    - मैकमोहन रेखा (McMahon Line) भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है।
- तिब्बत क्षेत्र से घुसपैठ के बाद अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँवों में जनसंख्या ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा माना जा रहा है क्योंकि विदेशी सेनाओं के लिये खाली गाँवों पर कब्ज़ा करना आसान होता है।
- हालाँकि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के रूप में 10 जनगणना शहरों (Census Towns) के चयन की सिफारिश की है।

जनगणना शहर (Census Town):

- जनगणना शहर ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा एक शहर के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उनमें शहरी विशेषताएँ हैं।
- राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4.60 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज देने का भी प्रस्ताव दिया है।

पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन

National Conference on Role of Women in Police and CAPFs

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा नई दिल्ली में 7 मार्च, 2020 को पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा किया गया था।
- इस सम्मेलन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अधिक महिला फोरेंसिक जाँचकर्त्ताओं और साइबर अपराध विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- इस सम्मेलन में बाल कल्याण समितियों (Child Welfare Committees- CWC) के सदस्यों के प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव रखा गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय, बाल कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों तथा आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
- इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित दो विषयों पर विचार-विमर्श करना था।
    - साइबर स्टाकिंग एवं महिलाओं को धमकाना: सुरक्षा के लिये कदम (Cyber Stalking and Bullying of Women : Steps for Protection)
    - परिचालन क्षेत्रों में सीएपीएफ की महिलाओं द्वारा चुनौतियों का सामना (Challenges faced by CAPF Women in Operational Areas)
- इस अवसर पर एक हैंडआउट 'बीपीआर एंड डी मिरर- जेंडर बेंडर' (BPR&D Mirror– Gender Bender) भी जारी किया गया।

महिला उद्यमी सशक्तीकरण सम्मेलन 2020

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Union Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) द्वारा महिला उद्यमी सशक्तीकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

थीम:

- इस सम्मेलन की थीम 'महिला उद्यमी सशक्तीकरण के लिये एक सशक्त अनुकूल व्यवसाय पारितंत्र का निर्माण करना' (Creating a Conducive Business Ecosystem for Empowering Women Entrepreneurs) है।

मुख्य बिंदु:

- तीन दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय, फिक्की-फ्लो (FICCI-flo), सीआईआई और इंडिया एसएमई फोरम (India SME Forum) जैसे विभिन्न उद्योग संघों के सहयोग से किया गया है।
- इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश के एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 80 लाख महिला उद्यमी हैं और पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Ministers Employment Generation Programme- PMEGP) के तहत महिला उद्यमियों की संख्या में लगभग 38% की वृद्धि हुई।

एमएसएमई मंत्रालय के तहत प्रशिक्षित महिलाएँ:

- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 6000 से अधिक महिलाओं को अगरबत्ती विनिर्माण एवं पैकेजिंग के लिये प्रशिक्षित किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर में बारामुला ज़िले के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक पॉटरी बनाने के काम में 150 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा पुलवामा में लगभग 25 लड़कियों और कठुआ में लगभग 100 लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है।
- वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 25% खरीदारी एमएसएमई से कर रहे हैं। इसमें 4% खरीदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और 3% खरीदारी महिला उद्यमियों से करने का निर्देश दिया गया है।
- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 3.13 लाख महिलाएँ लाभान्वित हुईं।
- महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिये एक पोर्टल 'एमएसएमई संबंध' (MSME SAMBANDH) और एक विशेष पोर्टल 'उद्यम सखी' (Udyam Sakhi) भी शुरू किया गया है तथा शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को 25% अनुदान और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को 35 % अनुदान दिया जा रहा है।

नोट :

किरण योजना

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2014 में महिला केंद्रित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किरण योजना (KIRAN Scheme) में समाहित कर दिया था।

मुख्य बिंदु:

- किरण (KIRAN) का पूर्ण रूप 'शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी' (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing) है।
- KIRAN विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों का समाधान कर रही है।
- इसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, स्वरोज़गार आदि के अवसर उत्पन्न करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिये महिला विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके लिये प्रतिवर्ष 75 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया जाता है।

किरण की उपलब्धियाँ:

- महिला वैज्ञानिक योजना के माध्यम से 2100 से अधिक महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान की मुख्य धारा में वापस लाया गया है जो अब विभिन्न विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि में अपनी WOS परियोजनाएँ चला रही हैं।
- STEM में महिलाओं के लिये इंडो-यूएस फेलोशिप 2017-18 में शुरू की गई थी और 20 महिलाओं ने पहले वर्ष में 3-6 महीने के लिये अमेरिकी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों का दौरा किया था।
- आठ महिला विश्वविद्यालयों को क्यूरी (महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिये अनुसंधान कार्यों का समेकन Consolidation of University Research for Innovation and Excellence in Women Universities- CURIE) के तहत मदद दी गई।
- 6 महिला वैज्ञानिकों को बायोकेयर कॉन्क्लेव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2019) के अवसर पर जानकी अम्माल महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार (Janaki Ammal Women Bioscientist Awards) से सम्मानित किया गया था।
- गुणवत्ता नियंत्रण, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती, मशरूम, बाँस, फल प्रसंस्करण, मूल्य वर्द्धित कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु 412 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

बंजारा समुदाय

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बीड ज़िले के बंजारा समुदाय (Banjara Community) की महिला उद्यमी विजया पवार की एक कहानी साझा की।

मुख्य बिंदु:

- पिछले दो दशकों से बंजारा हस्तशिल्प क्षेत्र में काम करने वाली महिला उद्यमी विजया पवार ने बंजारा समुदाय की पुरानी गोरमती (Gormati) कला से दुनिया का परिचय कराया।
- वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission) के मार्गदर्शन में विजया पवार महाराष्ट्र के बीड ज़िले में चार तालुकाओं में काम कर रही हैं।
- इसके तहत कुल 982 महिला कारीगर जो 90 स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य भी हैं, उनके साथ काम कर रही हैं।

बंजारा समुदाय (Banjara Community):

- बंजारा लोगों को कई अन्य नामों जैसे- लमन, लंबाडी और बंजारी से भी जाना जाता है।
- यह एक घुमंतू जनजाति है जिसका मूल स्थान उत्तर भारत का मारवाड़ क्षेत्र है। किंतु वर्तमान में ये भारत के कई राज्यों में निवास करते हैं।
- ये पारंपरिक रूप से 'गोरबोली' 'गोर माटी बोली' या 'ब्रिंजारी' एक स्वतंत्र बोली बोलते हैं जो इंडो-आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है।

नोट :

- बंजारा जनजाति ने वृक्षारोपण के लिये अपनी भूमि को जब्त करने और उन्हें श्रम के रूप में नामांकित करने के ब्रिटिश प्रयास का विरोध किया था।
  - उनके निरंतर विद्रोह ने अंग्रेजों को परेशान किया जिसके कारण वर्ष 1871 में बंजारों एवं कई अन्य जनजातियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम (Criminal Tribes Act) के तहत लाया गया।
  - इस समुदाय को 1950 के दशक में आपराधिक जनजाति अधिनियम से विमुक्त किया गया था किंतु आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 (Habitual Offenders Act, 1952) के तहत सूचीबद्ध किया गया था।

वारली आदिवासी विद्रोह

वारली आदिवासी विद्रोह वर्ष 1945 में महाराष्ट्र में तालासारी तालुका के ज़ारी (Zari) गाँव से शुरू हुआ था।

मुख्य बिंदु:

- जमींदारों और साहूकारों के शोषण के कारण लगभग 5,000 गिरमिटिया आदिवासियों ने दैनिक मजदूरी में 12 आने (पुराना भारतीय मूल्य मापक) न मिलने तक जमींदारों के खेतों पर काम करने से इनकार कर दिया।
  - वारली आदिवासियों के प्रतिरोध ने क्षेत्र के अन्य स्वदेशी समुदायों के बीच अधिकार आधारित आंदोलनों की प्रथम पहल थी।
- इस विद्रोह में महिलाओं ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी संभावित तरीकों से पुरुषों की मदद की।
- महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किसान सभा की नेता गोडावेरी पारुलेकर (Godaveri Parulekar) (जिन्हें आदिवासियों द्वारा गोडुताई (Godutai) (बड़ी बहन) के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा किया गया था।
  - महिलाओं ने उनका अनुसरण किया तथा अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बैठकों में चर्चा की और अन्य महिलाओं को संघर्ष में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया।

नामदा पारंपरिक कला

नामदा एक स्थानीय शब्द है जिसका इस्तेमाल फर्श को ढकने के लिये किया जाता है यह मोटे किस्म के ऊन से बना होता है।

मुख्य बिंदु:

- नामदा शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द 'नामता' (ऊनी सामान के लिये संस्कृत शब्द) से हुई है।
- नामदा को विभिन्न संस्कृतियों विशेष रूप से एशियाई देशों जैसे- ईरान, अफगानिस्तान और भारत में एक शिल्प कला के रूप में जाना जाता है।
- भारत में नामदा पारंपरिक कला ईरानी लोगों के साथ आई और मुगल एवं राजपूत शासकों के संरक्षण में इसको पहचान मिली।

विशेषताएँ:

- समृद्ध रंग और उत्कृष्ट आकृति हस्तनिर्मित नामदा कला की मुख्य विशेषताएँ हैं। इसकी अन्य विशेषताएँ अद्वितीय थीम, पुष्प पैटर्न जिनमें फूल, पत्ती, कली व फल शामिल हैं।

भारत में नामदा पारंपरिक कला के केंद्र:

- भारत में नामदा पारंपरिक कला के दो मुख्य केंद्र (कश्मीर में श्रीनगर और राजस्थान में टोंक) हैं।

फूडबैंक इंडिया

भारतीय खाद्य बैंकिंग नेटवर्क (India Food Banking Network- IFBN) भारत में भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिये सरकार, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को एक साथ लाकर भारत में हजारों आहार कार्यक्रमों का समर्थन करने हेतु खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेपों के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है।

विज़न:

- इसका लक्ष्य भूख एवं कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है जो सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी- 2 में वर्ष 2030 तक ज़ीरो हंगर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है) के अनुरूप है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य पूरे देश में फूडबैंक्स का एक मज़बूत एवं कुशल नेटवर्क स्थापित करना है ताकि वर्ष 2030 तक प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक फूडबैंक की स्थापना हो सके।

यह वैश्विक, घरेलू और स्थानीय सामुदायिक भागीदारों की एक बहु-हितधारक पहल है जो मानवीय एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये स्वेच्छा से योगदान करते हैं।

केरल ब्लॉकचेन अकादमी

केरल ब्लॉकचेन अकादमी (Kerala Blockchain Academy- KBA) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, केरल के तहत केरल सरकार की एक पहल है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य अनुसंधान, विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता का पता लगाना है।

मुख्य बिंदु:

- इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। इस अकादमी ने प्रमाणन कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, परामर्श देने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से एक आधुनिक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया है।
- केरल ब्लॉकचेन अकादमी, लाइनेक्स फाउंडेसन हाइपरलेडगर प्रोजेक्ट (Linux Foundation Hyperledger Project) का एक सहयोगी सदस्य और आधिकारिक प्रशिक्षण भागीदार है।
- केरल ब्लॉकचेन अकादमी, कॉर्डा ब्लॉकचेन (Corda Blockchain) के आर3 कंसोर्टियम का एक जनरल पार्टनर भी है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 मार्च, 2020 केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने को 'जलियाँवाला बाग हत्याकांड' पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, यह प्रदर्शनी जनता के लिये 30 अप्रैल, 2020 तक खुली रहेगी।

मुख्य बिंदु:

- यह प्रदर्शनी मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध जलियाँवाला बाग नरसंहार से संबंधित अभिलेखीय दस्तावेज़ों की मूल एवं डिजिटल प्रतियों की मदद से आयोजित की गई है।
- यह प्रदर्शनी अभिलेखाधारित सामग्री के माध्यम से ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ भारतीय लोगों के अथक संघर्ष को चित्रित करने का एक प्रयास है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) के बारे में

- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है।
- इसकी स्थापना 11 मार्च, 1891 को कोलकाता (कलकत्ता) में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी।

नोट :

- वर्ष 1911 में राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का निर्माण वर्ष 1926 में किया गया था। इसे सर एडविन लुटियन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। कलकत्ता से नई दिल्ली में सभी अभिलेखों के हस्तांतरण का कार्य वर्ष 1937 में पूरा हुआ।
- यह सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 1993 (Public Records Act, 1993) और सार्वजनिक रिकॉर्ड नियमावली, 1997 (Public Record Rules, 1997) के कार्यांवयन के लिये एक नोडल एजेंसी है।

महुआ न्यूट्रिबेवरेज

भारत सरकार पहली बार बाज़ार में एक महुआ आधारित मादक पेय लॉन्च करेगी जिसे महुआ न्यूट्रिबेवरेज (Mahua Nutribeverage) कहा जाता है।

मुख्य बिंदु:

- यह महुआ न्यूट्रिबेवरेज छह फलों के स्वाद में आएगा। यह पेय उच्च पोषक तत्त्व और अपेक्षाकृत अल्कोहल की कम मात्रा (केवल 5%) से युक्त होगा।
- इसे आईआईटी-दिल्ली ने ट्राइफेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED) के सहयोग से दो वर्ष के शोध के बाद विकसित किया है।
  - ट्राइफेड (TRIFED) ने पेय के उत्पादन और विपणन हेतु उपयुक्त उद्यमियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (National Research Development Corporation- NRDC) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- ट्राइफेड इस पेय बनाने की तकनीक को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा चयनित दलों को देने की योजना बना रहा है ताकि ऐसे उद्यम स्थापित किये जा सकें जो यह पेय बना सकें।
  - सर्वप्रथम आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति सोसायटी (Adivasi Bahuuddeshiya Co-operative Society) रायगढ़ ने 6 मार्च, 2020 को NRDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये ताकि पेय का उत्पादन एवं विपणन किया जा सके।
- वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (Union Tribal Affairs Ministry) की मूल्यवर्द्धन योजना 'वन धन विकास कार्यक्रम' (Van Dhan Vikas Karyakram) के तहत विपणन किया जा रहा है।
  - इसके तहत जनजातीय समूहों को प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 500-600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि उनकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके।
  - इससे पहले ट्राइफेड को इस योजना को लागू करने के लिये वन धन विकास केंद्रों की स्थापना का कार्य सौंपा गया था, इसने चटनी, जैम, स्क्वैश और गैर-मादक पेय बनाने हेतु महुआ फूल से निर्मित सिरप का उपयोग करने के लिये आईआईटी-दिल्ली के साथ समझौता किया था।

महुआ (Mahua):

- महुआ जिसका वैज्ञानिक नाम मधुका इंडिका (Madhuca Indica) है, छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रमुख वृक्ष है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- महुआ का फूल शर्करा का एक समृद्ध स्रोत है और बताया जाता है कि इसमें विटामिंस, खनिज और कैल्शियम पाया जाता है।
- महुआ के फूलों का किण्वन एवं आसवन करके स्प्रिट युक्त शराब बनाई जाती है जिसे 'देशी बीयर' के रूप में जाना जाता है।
- महुआ के फूलों के वार्षिक उत्पादन का लगभग 90% का उपयोग पेय बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है।

पोंगल महोत्सवम

9 मार्च, 2020 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास अट्टुकल भगवती मंदिर में पोंगल महोत्सवम (Pongala Mahotsavam) का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- यह त्योहार केरल में महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक है। अट्टुकल भगवती मंदिर को महिलाओं के सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है।
- दस दिवसीय यह उत्सव मलयालम महिने मकरम्-कुंभम् (फरवरी-मार्च) में शुरू होता है। पूरम तारे (Pooram Star) जो पूर्णिमा के साथ मेल खाता है, के शुभ दिन पोंगाला समारोह का आयोजन किया जाता है।
- 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में लाखों महिलाएँ अट्टुकल भगवती देवी को प्रसाद के रूप में मीठे चावल अर्पित करने के लिये जलावन की लकड़ी, मिट्टी के बर्तन, चावल, गुड़, नारियल और अन्य सामग्री के साथ मंदिर के चारों ओर लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में इकट्ठा होती हैं।

सोनेरीला सुल्फेई

केरल के वायनाड में स्थित पश्चिमी घाट के मेप्पडी वन रेंज (Meppadi forest range) के अंतर्गत थोलैइराम (Thollayiram) वन क्षेत्र से पौधे की एक नई प्रजाति सोनेरीला सुल्फेई (Sonerila Sulpheyi) की खोज की गई है।

मुख्य बिंदु:

- यह प्रजाति मेलास्टोमैटेसी (Melastomataceae) परिवार के सोनेरीला (Sonerila) वंश से संबंधित है।
- इस वंश को 'गोल्डन लीफ' के नाम से जाना जाता है जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है। विश्व भर में इस पौधे की 183 से अधिक प्रजातियाँ हैं।
- ये पौधे वर्षा ऋतु के दौरान जल धाराओं के पास की चट्टानों पर उगते हैं इन पौधों में मांसल कंद, पत्ते एवं फूल होते हैं। इस पौधे का जीवन चक्र चार महीने का होता है।
- इस नई प्रजाति को सोनेरीला सुल्फेई (Sonerila Sulpheyi) नाम प्रिंस सत्तम बिन अब्दुलाज़ीज़ विश्वविद्यालय (Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Saudi Arabia), सऊदी अरब के प्रोफेसर एम.एम. सुल्फेय (M.M. Sulphey) के पर्यावरण में अहम योगदान का सम्मान करने के लिये दिया गया है।

सह्याद्रि मेघा

धान की खेती के घटते रकबे की दर को रोकने के लिये कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (University of Agricultural and Horticultural Sciences- UAHS) ने धान की नई किस्म सह्याद्रि मेघा (Sahyadri Megha) विकसित की।

मुख्य बिंदु:

- सह्याद्रि मेघा धान की एक नई लाल किस्म है जो ब्लास्ट रोग (Blast Disease) के लिये प्रतिरोधी और पोषक तत्त्वों से भरपूर है।

ब्लास्ट रोग (Blast Disease):

- ब्लास्ट एक फफूंद जनित रोग है जो मैग्नाफोर्ट ओरिज़ा (Magnaporthe Oryzae) के कारण होता है। इस बीमारी को रॉटेन नेक (Rotten Neck) या राइस फीवर (Rice Fever) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह रोग 80 चावल उत्पादक देशों में फैला है। भारत में इस रोग का प्रसार वर्ष 1918 में दर्ज किया गया था।
- यह रोग धान की वृद्धि के दौरान सभी चरणों में पौधों के सभी वायवीय भागों को संक्रमित करता है। इस रोग से धान की पैदावार में लगभग 70 से 80% की कमी आती है।

- इसे रोग प्रतिरोधी और प्रोटीन युक्त धान की एक देशी किस्म 'अक्कालु' (Akkalu) के साथ 'ज्योथि' (Jyothi) किस्म की क्रॉस-ब्रीडिंग कराके संकरण प्रजनन विधि (Hybridization Breeding Method) के तहत विकसित किया गया था।
- नई किस्म शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा फाइबर और प्रोटीन से भरपूर लाल चावल की मांग को भी पूरा करेगी।

मिशन ज़ीरो एक्सीडेंट

केंद्रीय रेल बजट 2016-17 में मिशन ज़ीरो एक्सीडेंट (Mission Zero Accident) की घोषणा की गई थी।

मुख्य बिंदु:

- इस मिशन के अंतर्गत दो उप-मिशन शामिल हैं-

1. अगले 3-4 वर्षों में ब्रॉड गेज़ पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (Unmanned Level Crossings) का उन्मूलन।

2. ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (Train Collision Avoidance System- TCAS): यह एक रेडियो संचार आधारित प्रणाली है जो कि निरंतर ट्रेन की आवाजाही की निगरानी करती है। यह प्रणाली उस स्थिति में जब ट्रेन को किसी खतरे का सिग्नल मिलता है या ट्रेन चालकों द्वारा गति नियंत्रित नही हो पा रही हो तब सिग्नल के रूप में ड्राइवर को सूचित करता है।

- मिशन ज़ीरो एक्सीडेंट के तहत दो उप-मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है-
  - मानव रहित लेवल क्रॉसिंग के उन्मूलन के अंतर्गत ब्रॉड गेज़ पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (UMLC) को जनवरी 2019 से पहले ही समाप्त किया जा चुका है।
  - ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली भारतीय निर्माताओं के सहयोग से विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (Automatic Train Protection- ATP) प्रणाली है। यह प्रणाली दक्षिण-मध्य रेलवे के अंतर्गत कर्नाटक के बीदर खंड के लिंगमपल्ली-विकाराबाद-वादी और विकाराबाद के 250 किमी. लंबे रेलमार्ग पर स्थापित की गई है। इसके अलावा यह प्रणाली दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत 1199 किमी. रेलमार्ग पर लागू की जा रही है।
- भारतीय रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिये सुरक्षा कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिये कॅरियर के विभिन्न चरणों में नियमित रूप से भारतीय रेलवे के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  - सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के तहत राहत, बचाव व पुनर्वास तथा खतरों का अनुमान लगाना व आपातकालीन प्रतिक्रिया, अग्निशामक यंत्रों का उपयोग, प्राथमिक उपचार पर ध्यान देने के लिये प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

दिव्य कला शक्ति

12 मार्च, 2020 को पहली बार दिव्य कला शक्ति (Divya Kala Shakti) क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कलाइवनार आरंगम, चेन्नई में किया गया।

थीम:

- इस कार्यक्रम की थीम 'दिव्यांगों की क्षमताओं का साक्षी होना' (Witnessing the Abilities in Disabilities) है।

सहयोगी पार्टनर:

- इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स फॉर मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ (दिव्यांगजन) (NIEPMD), चेन्नई द्वारा किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम में पाँचों दक्षिणी ज़ोन्स (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना) और लक्षद्वीप एवं पुद्दुचेरी के दिव्यांग बच्चों व युवाओं ने भाग लिया।
- यह सांस्कृतिक कार्यक्रम कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी आदि क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों व युवाओं की क्षमता प्रदर्शित करने के लिये एक व्यापक मंच प्रदान करता है।

नोट :

सफेद जिराफ

केन्या के ग्रासिया काउंटी (Garissa County) में शिकारियों ने दुर्लभ नस्ल के दो सफेद जिराफों (White Giraffes) को मार दिया।

मुख्य बिंदुः

- इशाकबीनी हिरोला सामुदायिक संरक्षण वेबसाइट (Ishaqbini Hirola Community Conservancy website) के अनुसार, सफेद जिराफ को पहली बार वर्ष 2016 में देखा गया था।
- वर्ष 2017 में विश्व में कुल तीन सफेद जिराफ थे जिनमें अब मात्र एक जिराफ बचा हुआ है।
    - रंग के आधार पर इनकी विभिन्नता का कारण ल्युसिज़्म नामक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें त्वचा की कोशिकाएँ पिग्मेंटेशन को रोकती हैं जिसके कारण इन जिराफों का रंग सफेद हो गया था।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार जिराफों की आबादी में पिछले तीन दशकों में 40% की कमी दर्ज की गई है।
- मांस, हड्डियों और पूँछ के व्यापार के कारण अफ्रीकी महाद्वीप में जिराफों के अवैध शिकार में तेज़ी आई है।

हुबली-अंकोला रेल-लाइन परियोजना

प्रस्तावित परियोजना के तहत 164.44 किलोमीटर लंबी हुबली-अंकोला रेल-लाइन काली टाइगर रिज़र्व (Kali Tiger Reserve) और बेद्थी कंज़र्वेशन रिज़र्व (Bedthi Conservation Reserve) से होकर गुज़रेगी जिससे लगभग 2.2 लाख पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी।

मुख्य बिंदुः

- 80% से अधिक रेलवे लाइन पश्चिमी घाट से होकर गुज़रेगी जिससे 727 हेक्टेयर क्षेत्र के वनों का नुकसान होगा।
- हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना के कारण जैव विविधता को होने वाले नुकसान को देखते हुए कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड (Karnataka State Wildlife Board) के अधिकांश सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया है।

काली टाइगर रिज़र्व (Kali Tiger Reserve):

- काली टाइगर रिज़र्व कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ ज़िले में स्थित है।
- इस टाइगर रिज़र्व में दो महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र- डंडेली वन्यजीव अभयारण्य (Dandeli Wildlife Sanctuary) और अंशी राष्ट्रीय उद्यान (Anshi National Park) हैं।
- ये दोनों संरक्षित क्षेत्र एक-दूसरे से सन्निहित हैं और जैविक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाटों में स्थित संरक्षित क्षेत्र की एकल प्रणाली बनाते हैं।
- इस टाइगर रिज़र्व के वन नम पर्णपाती एवं अर्द्ध-सदाबहार हैं जिनमें पश्चिमी क्षेत्रों के साथ-साथ गहरी घाटियों में सदाबहार वनों के उत्कृष्ट भाग भी शामिल हैं।

राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Wildlife Board- SBWL):

- राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत किया गया है।
- मुख्यमंत्री राज्य वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष और राज्य का वन मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है।
- वन्यजीवों के लिये राज्य बोर्ड, राज्य सरकारों को संरक्षित क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों में सलाह देता है।

नोट :

क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के 35वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (CRIME MULTI AGENCY CENTRE- Cri-MAC) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य अंतर-राज्य समन्वय से संबंधित जघन्य अपराध एवं अन्य मुद्दों की जानकारी साझा करना है।

मुख्य बिंदु:

- इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, अभियोजकों और अन्य हितधारकों के लिये बड़े पैमाने पर साइबर अपराधों की जाँच हेतु पेशेवर गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग सेवाओं से संबंधित राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (National Cybercrime Training Centre- NCTC) का शुभारंभ किया गया।
- अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली (Crime & Criminals Tracking Network and Systems-CCTNS) परियोजना के तहत देश भर में 15993 पुलिस स्टेशनों एवं 8208 उच्च पुलिस कार्यालयों का एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। सीसीटीएनएस का विशाल डेटाबेस, जाँचकर्त्ताओं को अपराध के मामलों को तेज़ी से सुलझाने में मदद करेगा।

निधि कंपनियाँ

निधि कंपनियों (Nidhi Companies) के लिये विनियामक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और कॉर्पोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता एवं निवेशकों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार ने हाल ही में कंपनी अधिनियम और नियमों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया।

मुख्य बिंदु:

कंपनी अधिनियम (धारा 406) और निधि नियमों के संशोधित प्रावधानों के तहत यह आवश्यक है कि निधि कंपनियों को प्रपत्र NDH-4 में निधि कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को अपडेट कराने के लिये केंद्र सरकार को एक आवेदन भेजना होगा।

निधि कंपनियों के बारे में:

- भारतीय संदर्भ में 'निधि' का अर्थ 'खजाना' होता है।निधि नियम, 2014 के तहत निधि एक ऐसी कंपनी है जिसे निधि के रूप में निगमित किया गया है, निधि कंपनियाँ मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच बचत और बचत की आदत पैदा करने के लिये बनाई गई हैं।
- निधि का कारोबार करने वाली कंपनियाँ केवल अपने सदस्यों से ऋण लेने और उन्हीं को ऋण देने का काम करती हैं। इन्हें निधि, स्थायी निधि, लाभ निधि, म्युचुअल बेनिफिट फंड और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है।
- निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620A के तहत पंजीकृत किया जाता है और इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- निधियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non- Banking Financial companies- NBFC) के रूप में भी शामिल किया गया है जो मुख्य रूप से असंगठित मुद्रा बाज़ार में भाग लेती हैं।
  - चूँकि निधियाँ एनबीएफसी के अंतर्गत आती हैं, इसलिये भारतीय रिज़र्व बैंक को उनकी जमा स्वीकृतियों से संबंधित मामलों में दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार है।

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय

भारत सरकार ने कंपनियों में होने वाली बड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिये गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office- SFIO) के पुनर्गठन का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदुः

- कंपनियों में होने वाली गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करने की योजना बनाई गई है।
- गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अधीन कंपनियों में होने वाली गड़बड़ी से जुड़े अपराधों की जाँच करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वर्तमान में गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ (IL&FS) में हुई गड़बड़ियों समेत अन्य मामलों की जाँच कर रहा है।
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) के लिये जाँच नियमावली तैयार करने हेतु 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। इसके अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास (Injeti Srinivas) हैं।
    - यह समिति गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) की जाँच में बाधा उत्पन्न करने वाली संभावित बाधाओं को दूर करने हेतु नियमावली तैयार करने के अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता और एजेंसी पर नागरिक प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट करेगी।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.- SPMCIL) ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

मुख्य बिंदुः

- यह योगदान भारत के शीर्ष एथलीटों जिन्हें टोक्यो ओलंपिक, 2020 और उसके बाद के लिये चुना गया है, को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme- TOPS) के तहत दिया गया है।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बारे में

- इसकी स्थापना वर्ष 1998 में चैरिटेबल एंडॉवमेंट्स एक्ट, 1890 (Charitable Endowments Act, 1890) के तहत की गई थी।
- यह कोष खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कोचों से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने में मदद करता है।
- यह खेलों के संवर्द्धन के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास और अन्य गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- इस कोष का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जाता है। इसका अध्यक्ष युवा मामलों एवं खेल का प्रभारी केंद्रीय मंत्री तथा सदस्यों में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, खेल संवर्द्धन बोर्ड के प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं।

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Security Printing & Minting Corporation of India Limited- SPMCIL):

- यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची 'ए' की मिनीरत्न श्रेणी-I की कंपनी है। इसे 13 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय निदेशक मंडल के माध्यम से इस पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
- SPMCIL मुद्रा एवं बैंक नोट, सिक्योरिटी पेपर, नॉन-ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर्स, पोस्टल स्टैम्प्स एवं स्टेशनरी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट अर्थात् पासपोर्ट व वीज़ा, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, चेक, बॉण्ड, वारंट, सिक्योरिटी फीचर्स के साथ स्पेशल सर्टिफिकेट, सुरक्षा स्याही, परिसंचरण और स्मारक सिक्के, पदक, सोना व चाँदी शोधन का कार्य करती है।

बियर और बुल मार्केट्स

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) द्वारा कोरोनावायरस के प्रकोप को महामारी घोषित किये जाने के कारण नेशनल स्टाक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक सहित शेयर बाज़ार से संबंधित कई अन्य भारतीय सूचकांक 'बियर मार्केट' (Bear Market) क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।

बियर मार्केट (Bear Market):

- एक बियर मार्केट उस बाज़ार को संदर्भित करता है जहाँ शेयर की कीमतें लगातार घट रही होती हैं।
- इसका गिरता ग्राफ निवेशकों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है। बियर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि कई इक्विटी अपना मूल्य खो देते हैं। इस प्रकार अधिकांश निवेशक बाज़ारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं।
- एक बियर मार्केट की स्थिति के दौरान अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाती है और बेरोज़गारी बढ़ जाती है क्योंकि कंपनियाँ श्रमिकों को काम देना बंद कर देती हैं।

बुल मार्केट (Bull Market):

- एक बुल मार्केट उस बाज़ार को संदर्भित करता है जहाँ शेयर की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं।
- इसका उठता ग्राफ निवेशकों को यह विश्वास दिलाता है कि लंबी अवधि तक यह वृद्धि जारी रहेगी।
- बुल मार्केट यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत है और रोजगार का स्तर उच्च है।

भूमि राशि पोर्टल

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भूमि राशि पोर्टल (Bhoomi Rashi Portal) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये भूमि अधिग्रहण में तेज़ी आई है।

मुख्य बिंदु:

- 2018-19 में लगभग 3000 सूचनाएँ जारी की गई थीं, जबकि इससे पिछले दो वर्षों में केवल 1000 प्रति वर्ष ही जारी की जाती थीं।
- वहीं पिछले 21 महीनों (01.04.2018 से) में 37078 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित किया गया, जबकि उससे पहले के चार वर्षों में केवल 33005 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित किया गया था।

भूमि राशि पोर्टल के बारे में

- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये इस पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल के रूप में 01 अप्रैल, 2018 को की गई थी।
- इस पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्रुटि मुक्त एवं पारदर्शी हुई है।
- इस पोर्टल को रियल टाइम के आधार पर प्रभावित/इच्छुक व्यक्तियों के बैंक खाते में मुआवज़ा जमा करने के लिये सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System- PFMS) के साथ एकीकृत किया गया है।
- भूमि राशि पोर्टल मॉडल अनुकरणीय है और इसका उपयोग राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत सरकार के उन अन्य मंत्रालयों द्वारा भी किया जा सकता है जो सीधे तौर पर अपने प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण करते हैं।

पाई (π) डे

14 मार्च को पूरे विश्व में पाई डे (Pi Day) मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- गणित में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और उसके व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई (π) कहा जाता है।

नोट :

- पाई (π) एक गणितीय स्थिरांक (Mathematical Constants) है जिसका मान 3.14159 (दशमलव के पाँच स्थानों तक) होता है।
- पाई के मान की खोज 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने की थी, जबकि आधुनिक युग में पाई का मान सबसे पहले वर्ष 1706 में गणितज्ञ विलिया जोन्स ने सुझाया था।

आर्यभट्ट (Aryabhatta):

- आर्यभट्ट पाँचवीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे।
- आर्यभट्ट गुप्त काल (320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक) के महान गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टीयम् (Aryabhattiyam) की रचना की जो उस समय के गणित का सारांश है। इसके चार खंड हैं। पहले खंड में उन्होंने वर्णमाला द्वारा बड़े दशमलव संख्याओं को दर्शाने की विधि का वर्णन किया है।
- दूसरे खंड में आधुनिक गणित के विषयों जैसे कि संख्या सिद्धांत, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित का उल्लेख किया गया है।
- आर्यभट्ट के अनुसार, शून्य केवल एक अंक नहीं था बल्कि एक प्रतीक और एक अवधारणा भी थी। शून्य की खोज ने भी नकारात्मक अंकों के एक नए आयाम को खोल दिया। उन्होनें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी का पता लगाया।
- आर्यभट्टीयम् के शेष दो खंड खगोल विज्ञान पर आधारित हैं जिन्हें खगोलशास्त्र भी कहा जाता है। 'खगोल' नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला थी जहाँ आर्यभट्ट ने अध्ययन किया था।
- उन्होंने इस दृष्टिकोण की अवहेलना की कि हमारा ग्रह स्थिर है तथा अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने यह भी कहा कि सौरमंडल में चंद्रमा एवं अन्य ग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं जो आधुनिक समय में सच साबित हुआ।
- आर्यभट्ट द्वारा रचित अन्य कृतियाँ दशगीतिका सूत्र तथा आर्याष्टशत हैं।

जोसेर का पिरामिड

हाल ही में मिस्र ने आम नागरिकों के प्रवेश के लिये जोसेर के पिरामिड (Pyramid of Djoser) को फिर से खोल दिया है।

- गौरतलब है कि 14 वर्षों से की जा रही मरम्मत के बाद लगभग 6.6 मिलियन डॉलर की लागत से निर्मित यह मिस्र का पहला एवं सबसे प्राचीन पिरामिड है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 1992 में मिस्र में आए भूकंप से पिरामिड को गंभीर नुकसान पहुँचा था और वर्ष 2006 में इसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था।
  - वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान इसके जीर्णोद्धार कार्य को बंद कर दिया गया था जिसे वर्ष 2013 में पुन: शुरू किया गया।
- माना जाता है कि इस पिरामिड के प्रारूप को इम्होटेप (Imhotep) द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिन्हें कुछ लोगों द्वारा विश्व के पहले वास्तुकार के रूप में वर्णित किया गया।
- 4,700 वर्ष पुराने इस पिरामिड की लंबाई 60 मीटर है। यह मेम्फिस (Memphis) की शाही राजधानी के बाहर काहिरा (Cairo) शहर से 24 किमी. दक्षिण-पश्चिम में सक्कारा (Saqqara) पुरातात्त्विक स्थल पर स्थित है।
- इस पिरामिड के चारों ओर हॉल एवं कोर्ट का एक परिसर स्थित है। यूनेस्को की इस विश्व धरोहर स्थल (जोसेर का पिरामिड) का निर्माण प्राचीन मिस्र के तीसरे राजवंश (2650 ईसा पूर्व - 2575 ईसा पूर्व) के दूसरे राजा फारोह जोसेर (Pharaoh Djoser) के समय किया गया था।
  - फारोह जोसेर के 19 वर्ष के शासनकाल में शैल वास्तुकला से संबंधित महत्त्वपूर्ण तकनीकी नवाचार हुए।
  - पिरामिड के वास्तुकार इम्होटेप एक चिकित्सक एवं ज्योतिषी के साथ-साथ कुछ समय तक फारोह जोसेर के मंत्री भी रहे।
- जीर्णोद्धार के दौरान इस पिरामिड से 16 फीट लंबी ग्रेनाइट की कब्र प्राप्त हुई है जिसका वज़न 176 टन है। इस पिरामिड में स्थित राजा फारोह जोसेर की कब्र की भी मरम्मत की गई।

चैत्र जात्रा उत्सव

ओडिशा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर (Tara Tarini Hill Shrine) में 17 मार्च, 2020 को आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक चैत्र जात्रा उत्सव (CHAITRA JATRA FESTIVAL) को COVID -19 संक्रमण के खिलाफ ज़रूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के प्रत्येक मंगलवार को ओडिशा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में मनाया जाता है।
- चैत्र महीने के दूसरे व तीसरे मंगलवार को सबसे बड़ी सभाएँ आयोजित की जाती हैं।
- रुशिकुल्या नदी के किनारे कुमारी पहाड़ी पर स्थित तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर ओडिशा में शक्ति की उपासना का एक प्रमुख केंद्र है।

रुशिकुल्या नदी (Rushikulya river):

- रुशिकुल्या नदी का उद्गम पूर्वी घाट की दारिंगबाड़ी (Daringbadi) पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर की ऊँचाई पर होता है। दारिंगबाड़ी को 'ओडिशा का कश्मीर' कहा जाता है।
- यह ओडिशा की प्रमुख नदियों में से एक है जो ओडिशा के कंधमाल एवं गंजम ज़िलों के जलग्रहण क्षेत्र को समाहित करती है।
- यह बंगाल की खाड़ी में गंजम ज़िले के पुरूना बांध के पास मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ बघुआ, धनेई, बाड़ानदी आदि हैं। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है।
- भारतीय नौसेना की सेलबोट आईएनएसवी तारिणी का नाम तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर के नाम पर रखा गया था।

तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर (Tara Tarini Hill Shrine):

- ओडिशा के गंजम ज़िले में ब्रह्मपुर शहर के पास रुशिकुल्या नदी के किनारे कुमारी पहाड़ियों पर स्थित तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर को चरण पीठ एवं आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है।
- तारा तारिणी शक्ति पीठ भारत के चार प्रमुख तंत्र पीठों और शक्ति पीठों में से एक है। भारत में चार प्रमुख शक्तिपीठ निम्नलिखित हैं।
  - पुरी में जगन्नाथ मंदिर
  - गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर
  - कोलकाता में दक्षिण कालिका
  - ब्रह्मपुर के पास तारा तारिणी मंदिर
- यह मंदिर ओडिया (Odia) मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक रेखा शैली के अनुसार बनाया गया था। इसी वास्तुकला शैली में पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बनाया गया है।
- इस मंदिर की स्थापना किसी राजा ने नहीं बल्कि बसु प्रहाराज (Basu Praharaj) नामक एक ब्राह्मण ने की थी।

ज़ोजिल ला

सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) ने हिमस्खलन की आशंका वाले ज़ोजिल ला (Zojil La) दर्रे के सभी अवरोधों को हटा दिया है जिससे रणनीतिक श्रीनगर-लेह राजमार्ग मार्च महीने के अंत तक खुल सकता है।

ज़ोजिल ला (Zojil La) के बारे में

- लद्दाख (भारतीय केंद्रशासित प्रदेश) में स्थित ज़ोजिल ला दर्रा श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ने वाला महत्त्वपूर्ण सड़क संपर्क मार्ग है।
- कारगिल ज़िले में स्थित यह दर्रा पश्चिम में कश्मीर घाटी को उत्तर-पूर्व में द्रास एवं सुरू घाटियों से जोड़ता है।
- इस मार्ग से गुज़रने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-1D के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। भारत सरकार ने सीमा सड़क संगठन (BRO) को सर्दियों के दौरान सड़क आवागमन को बनाए रखने के लिये इस मार्ग में आने वाले बर्फ अवरोधों को हटाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। इन सभी प्रयासों के बावजूद यह मार्ग दिसंबर से मध्य मई तक बंद रहता है।

- श्रीनगर से लेह तक दुर्गम सड़क मार्ग को आसान बनाने वाली रणनीतिक जोज़िला सुरंग को वर्ष 2018 में मंज़ूरी प्रदान की गई थी। सात वर्ष में पूरी होने वाली इस सुरंग की लंबाई 14.5 किलोमीटर है।

रोपैक्स सेवा

केंद्रीय जहाज़रानी राज्य मंत्री (Minister of State for Shipping) ने मुंबई में भौचा ढाक्का (Bhaucha Dhakka) से मांडवा (Mandwa) के बीच रोपैक्स सेवा (ROPAX Service) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- पूर्वी वाटरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत रोपैक्स सेवा एक 'जल परिवहन सेवा परियोजना' (Water Transport Service Project) है।
- मुंबई से मांडवा के बीच सड़क के माध्यम से दूरी 110 किलोमीटर हैं, अत्यधिक यातायात जाम की स्थिति में 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3-4 घंटे लगते है जबकि जलमार्ग से यह दूरी मात्र 18 किलोमीटर है और इसे रोपैक्स सेवा से तय करने में केवल एक घंटा ही लगेगा।

ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट (Eastern Waterfront Development):

- ईस्टर्न वाटरफ्रंट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की योजना है इस योजना के तहत मुंबई की पूर्वी तटीय बंदरगाह भूमि को सस्सून डॉक (Sassoon Dock) से वडाला तक विकसित किया जाएगा।
- मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भारत सरकार के जहाज़रानी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- इस परियोजना के तहत कुछ प्रमुख प्रस्तावों में हाजी बंदर (Haji Bunder) के पास 93 हेक्टेयर का पार्क तथा पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं जैसे कि उन्नत सड़कों एवं किफायती आवासों के लिये 17 हेक्टेयर के पार्क का निर्माण शामिल है।

डब्लूएएसपी-76बी

वैज्ञानिकों ने उच्च तप्त एक्सोप्लैनेट डब्लूएएसपी-76बी (WASP-76b) पर तरल लौह वर्षा (Liquid Iron Rain) का पता लगाया है।

मुख्य बिंदु:

- वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि तरल लौह वर्षा का कारण एक्सोप्लैनेट WASP-76b पर खराब मौसम की स्थिति उत्पन्न होना है। WASP-76b ग्रह हमारे सौरमंडल में लगभग 390 प्रकाशवर्ष की दूरी पर स्थित है।
- WASP-76b जुपिटर के समान एक विशालकाय गैसीय ग्रह है किंतु अपने तारे के चारों ओर बहुत छोटी कक्षा (दो दिनों से भी कम) में चक्कर लगाता है।
- यह ग्रह अपने तारे के चारों ओर इतने करीब से परिक्रमा करता है कि दिन में तापमान रात की तुलना में 1000 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है और दिन में तापमान लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है।

कृष्णराजा सागर जलाशय

कर्नाटक के मांड्या ज़िले में स्थित कृष्णराजा सागर जलाशय (Krishnaraja Sagar Reservoir) में पारे के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ वाष्पीकरण की दर में वृद्धि और अंतर्वाह जल में कमी के कारण जल स्तर में तेज़ी से कमी आ रही है।

मुख्य बिंदु:

- कृष्णराजा सागर बाँध वर्ष 1924 में कावेरी नदी पर बनाया गया था। कर्नाटक के मैसूर एवं मांड्या ज़िलों में सिंचाई के अलावा यह जलाशय मैसूर एवं बंगलूरू शहर के लिये पेयजल का मुख्य स्रोत है।

- इस प्रोजेक्ट की संकल्पना भारत रत्न से सम्मानित मैसूर के मुख्य अभियंता एम. विश्वेश्वरैया ने की थी।
- यह एक प्रकार का गुरुत्व बाँध है। इस बाँध से छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य के सलेम ज़िले में स्थित मेट्टूर बाँध में इकठ्ठा होता है।
- बृंदावन गार्डन (Brindavan Garden) इस बाँध के पास स्थित है।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (Sundarbans National Park) पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन डेल्टा में स्थित एक बाघ एवं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।

मुख्य बिंदु:

- इसके मुख्य क्षेत्र को वर्ष 1973 में टाइगर रिज़र्व, वर्ष 1977 में वन्यजीव अभयारण्य तथा 4 मई, 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- यह उद्यान लगभग 1,355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन क्षेत्र स्थित है।
- यहाँ जीव-जंतुओं की लगभग 2,487 प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यह रॉयल बंगाल टाइगर तैर भी सकता है।
- अन्य जीव प्रजातियाँ: एशियाई छोटे पंख वाले ऊदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला और रीसस बंदर।
- पक्षी प्रजातियाँ: यहाँ पक्षियों की लगभग 356 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ऑस्प्रे, ब्राह्मिनी चील, श्वेत पेट वाला समुद्री बाज़, गुलाबी सिर वाला तोता, फ्लाईकेचर, वार्बलर्स और किंगफिशर आदि।

सुंदरबन का डेल्टा:

- सुंदरबन का डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं। यह डेल्टा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है।
- भारतीय क्षेत्र में विस्तृत सुंदरबन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना ज़िले के 19 विकासखंडों में फैला हुआ है।
- भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन यूनेस्को (UNESCO) के विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) का हिस्सा है।

वेरिली योजना

गूगल की सहायक कंपनी वेरिली (Verily) अमेरिकी सरकार को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करेगी।

मुख्य बिंदु:

- वेरिली (Verily) की देखरेख में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये एक वेबसाइट विकसित की जा रही है जो किसी संक्रमित व्यक्ति को उसके आसपास के सुविधाजनक स्थान पर परीक्षण की सुविधा से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी।
- इस वेबसाइट के माध्यम से लोग संक्रमण से संबंधित अपने शारीरिक लक्षणों को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे जिसके बाद उन लक्षणों के विश्लेषण के आधार पर उन्हें परीक्षण केंद्रों पर जाँच कराने के लिये निर्देशित किया जाएगा।
- वेरिली (Verily) गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी है जो लाइफ साइंस एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है।
- वेरिली (Verily) कंपनी को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था जिसका लक्ष्य 'विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य डेटा को उपयोग में लाया जाये ताकि लोग स्वस्थ जीवन का आनंद लें सकें'। इसलिये वेरिली द्वारा व्यवस्थित एवं सक्रिय स्वास्थ्य डेटा को एकत्र करने के लिये टूल एवं डिवाइस का विकास किया है जो बीमारी को रोकने एवं प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।
- वेरिली द्वारा वर्ष 2017 में प्रोजेक्ट बेसलाइन की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य 'चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान तथा रोगी की देखभाल के बीच की खाई को पाटना है।

शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती

भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती समारोह में भाग लिया।

मुख्य बिंदु:

- शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। वह बांग्लादेश के लोगों के बीच 'बंगबंधु' के रूप में लोकप्रिय थे।
- वह अवामी लीग के नेता थे जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में पूर्वी पाकिस्तान की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में हुई थी।
- शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक स्वायत्तता दिलाने और बाद में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन तथा वर्ष 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान ने आज़ादी प्राप्त की तो बंगाल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसे 'पूर्वी पाकिस्तान' कहा जाने लगा।
- पूर्वी पाकिस्तान अपनी विषम परिस्थितियों के कारण न केवल भौगोलिक रूप से समकालीन पाकिस्तान से अलग था बल्कि जातीयता और भाषा के आधार पर भी पाकिस्तान से काफी अलग था। इस विषमता के कारण जल्द ही पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष शुरू हो गया।
- 21 मार्च, 1948 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि पूर्वी बंगाल के लोगों को राजभाषा के रूप में उर्दू भाषा को अपनाना होगा तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। तब शेख मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम लीग के इस पूर्व नियोजित फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
- 1958 से 1962 के बीच तथा 1969 से 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान मार्शल लॉ के अधीन रहा।
- 1970-71 के संसदीय चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के अलगाववादी दल अवामी लीग ने उस क्षेत्र को आवंटित सभी सीटें जीत लीं।
- पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य वार्ता की विफलता के पश्चात् 27 मार्च, 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
- तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान ने अलगाव को रोकने के पूरे प्रयास किये और इसके विरुद्ध जंग शुरु कर दिया। साथ ही परंतु भारत ने बांग्लादेशियों का समर्थन करने के लिये वहाँ अपनी शांति सेना भेज दी।
- 11 जनवरी, 1972 को लंबे संघर्ष के पश्चात् बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया।
- हाल ही में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब 'जॉय बांग्ला' होगा। यह नारा वर्ष 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान प्रमुख नारा था। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने भी 7 मार्च, 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के उद्घोष के बाद 'जॉय बांग्ला' के नारे का प्रयोग किया था।

उन्नत भारत अभियान 2.0

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan) की प्रगति के बारे में सूचना दी।

मुख्य बिंदु:

- उन्नत भारत अभियान 2.0, उन्नत भारत अभियान 1.0 का उन्नत संस्करण है। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
- यह योजना सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिये है, हालाँकि उन्नत भारत अभियान 2.0 के तहत प्रतिभागी संस्थानों को कुछ मानदंडों की पूर्ति के आधार पर चुना जाता है।

उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan):

- उन्नत भारत अभियान की अवधारणा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों के समूह की पहल के साथ तब अस्तित्व में आई जब ये सदस्य लंबे समय से ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे।

- सितंबर 2014 में IIT दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (RuTAG) के समन्वयकों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद यह अवधारणा और अधिक परिपक्व हुई।
- इस कार्यशाला को काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 11 नवंबर, 2014 को भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- इस अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच विकास एजेंडे से संबंधित आपसी तालमेल तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास करना और राष्ट्र की आवश्यकताओं विशेष रूप से ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।

बोको हराम

बोको हराम (Boko Haram) उत्तरी नाइजीरिया में एक आतंकवादी समूह है जिसने हज़ारों लोगों की हत्या की है और इसकी वजह से 3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए।

मुख्य बिंदुः

- बोको हराम के आतंकवादी मुख्य रूप से नाइजीरिया के उत्तरी राज्यों योब, कानो, बाउची, बोर्नो और कडूना में फैले हुए हैं।
- बोको हराम का मतलब 'पश्चिमी शिक्षा निषिद्ध' है। इस समूह की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी।
- यह समूह स्वयं को जमात अहलू सुन्ना लिद्दावती वाल-जिहाद के रूप में भी संदर्भित करता है जिसका अर्थ 'पैगंबर के उपदेशों एवं जिहाद के प्रचार के लिये प्रतिबद्ध लोग' है।
- इस समूह का प्रारंभिक उद्देश्य नाइजीरिया में भ्रष्टाचार एवं अन्याय को दूर करना था। इसे पश्चिमी प्रभावों और शरिया या इस्लामी कानून लागू करने के लिये दोषी ठहराया गया था।
- वर्ष 2015 में इस समूह ने इराक में इस्लामिक स्टेट एवं लेवेंट (Islamic State in Iraq and the Levant- ISIL) के प्रति निष्ठा जताई और नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट पश्चिम अफ्रीकी प्रांत (Islamic State (or State's) West African Province- ISWAP) कर लिया। इसे पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट के रूप में भी जाना जाता है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

हाल ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (THE CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITIES BILL, 2019) को राज्यसभा से पास कर दिया गया। इस विधेयक को दिसंबर 2019 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

उद्देश्यः

- इस विधेयक का उद्देश्य भारत के तीन डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना है। ये तीन डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित हैं-
  - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
  - श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
  - राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

मुख्य बिंदुः

- प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य करेंगे-
  - संस्कृत के उन्नत ज्ञान को बढ़ावा तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।
  - मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिये विशेष प्रावधान करना।
  - संस्कृत एवं संबद्ध विषयों के समग्र विकास एवं संरक्षण के लिये जनशक्ति को प्रशिक्षित करना।

- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों का कुलपति होगा। वह विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा एवं निरीक्षण करने के लिये व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
- इन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये मुख्य कार्यकारी निकाय के रूप में एक कार्यकारी परिषद होगी। इस 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में केंद्र द्वारा नियुक्त कुलपति जो इस परिषद का अध्यक्ष होगा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव और संस्कृत या संबद्ध विषयों के दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद शामिल होंगे।

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) द्वारा भीख मांगने वाले लोगों के उत्थान के

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (National Institute of Social Defence- NISD) को 1 करोड़ रुपए दिये गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के तहत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की स्थापना मूल रूप से वर्ष 1961 में केंद्रीय सुधारात्मक सेवाओं के ब्यूरो के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1964 में इस ब्यूरो को सामाजिक सुरक्षा विभाग (Department of Social Security) में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- वर्ष 1975 तक यह संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) के अधीनस्थ अधीनस्थ कार्यालय था।
- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है।
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत यह एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है।

विज़न:

- इस संस्थान का लक्ष्य वृद्धावस्था तथा मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार सहित हाशिये के वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति सार्वजनिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और प्रभावी सेवा वितरण को मजबूत करना है।

यद्यपि सामाजिक रक्षा संस्थान समाज के संरक्षण के लिये विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है किंतु वर्तमान में यह संस्थान नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत में किशोरों के स्वास्थ्य एवं विकास ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनवरी 2014 में शुरू किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा रोग एवं जोखिम संबंधी कारकों की रोकथाम करना है।
- सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behaviour Change Communication) के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा रहा है।
  - त्रैमासिक किशोर स्वास्थ्य दिवस (Quarterly Adolescent Health Day)
  - समुदाय एवं स्कूलों में पीयर एजुकेटर प्रोग्राम (Peer Educator Programme in the community and schools)

- इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संवर्द्धन संदेशों को टीवी एवं रेडियो केंद्रों, पोस्टर, पत्रक और अन्य पारस्परिक संचार सामग्री के रूप में बड़े पैमाने पर संचार मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है।
- वर्तमान में 2040 किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की कुल स्वीकृत संख्या में से देश भर में सिर्फ 1671 किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये परामर्शदाताओं की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक एवं कार्मिक मामले राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक: राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

- सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न स्तरों पर किशोर हितैषी स्वास्थ्य क्लिनिक (Adolescent Friendly Health Clinics- AFHC) की स्थापित किए गए हैं।
- स्कूल जाने वाले किशोर लड़के एवं लड़कियों के लिये साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (Weekly Iron Folic Acid Supplementation- WIFS) कार्यक्रम लागू किया गया है।
- पीयर एजुकेटर प्रोग्राम (Peer Educator Programme) को 200 ज़िलों में लागू किया गया है जो समग्र स्वास्थ्य सूचकांक (Composite Health Index) पर आधारित है और इन्हें उच्च प्राथमिकता वाले ज़िले (High Priority Districts) के रूप में पहचाना जाता है। इन ज़िलों के 50% ब्लॉकों में पूर्ण रूप से पीयर एजुकेटर प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- माहवारी स्वच्छता योजना (Menstrual Hygiene Scheme) के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में किशोर लड़कियों (आयु 10-19 वर्ष) को सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिये धन का आवंटन किया गया है।

प्रमुख प्राथमिकताएँ:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों एवं किशोरियों के लिये छह रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान की गई है:
  - पोषण (Nutrition)
  - यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health- SRH)
  - गैर-संचारी रोग (Non-communicable Diseases- NCDs)
  - पदार्थ का दुरुपयोग (Substance Misuse)
  - चोट एवं हिंसा (लिंग आधारित हिंसा सहित)
  - मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)
- इस कार्यक्रम में समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर एवं क्वीर (LGBTQ) को भी शामिल किया गया है।

शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने राज्यसभा में शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (National Guidelines on Infant and Young Child Feeding) के बारे में सूचना दी।

उद्देश्य:

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शिशुओं एवं छोटे बच्चों के लिये इष्टतम आहार साधनों (Optimal Feeding Practices) में सुधार लाना और इष्टतम आहार साधनों को प्राप्त करने के लिये जागरूकता बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु:

- शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार (Infant and Young Child Feeding- IYCF) पर राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार, शिशु को जन्म के पहले छह महीनों में विशेष रूप से स्तनपान कराया जाना चाहिये ताकि इष्टतम विकास एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके और इसके बाद उनकी विकसित होती पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शिशुओं को पर्याप्त एवं सुरक्षित पूरक खाद्य पदार्थ दिये जाने चाहिये जबकि स्तनपान दो साल या उससे अधिक समय तक कराया जाना चाहिये।

- वर्ष 2003 में शिशु दूध स्थानापन्न आहार बोतलें और शिशु खाद्य पदार्थ (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1993 में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत देश में स्तनपान को बढ़ावा, संवर्द्धन और समर्थन दिया जा रहा है।
- आँगनवाड़ी सेवा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशु एवं छोटे बच्चों को स्तनपान कराने के बारे में परामर्श प्रदान किया जाता है।
  - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है।
  - पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पर केंद्रित है, यह अभियान कुपोषण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने और इष्टतम पोषण एवं छोटे बच्चे के लिये आहार की प्रथाओं को बढ़ावा देने सहित समग्र पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये चलाया जा रहा है।
- शुरुआती छह महीनों में विशेष स्तनपान और उपयुक्त शिशु एवं छोटे बच्चे के लिये आहार प्रथाओं को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर माताओं के पूर्ण स्नेह (Mother's Absolute Affection- MAA) के तहत बढ़ावा दिया जाता है।
- होम बेस्ड चिल्ड्रेन केयर फॉर यंग चिल्ड्रेन (Home Based Care for Young Children- HBYC) को विस्तारित करके होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर (Home Based Newborn Care- HBNC) शुरू किया गया है जिसके तहत आशा (ASHA) कार्यकर्त्रिओं द्वारा बच्चों की पालन-पोषण प्रथाओं एवं शिशु के जन्म के 15 महीने बाद तक स्तनपान प्रथाओं के बारे में ध्यान देने के साथ समुदाय आधारित देखभाल प्रदान की जाती है।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (Village Health Sanitation and Nutrition Days- VHSNDs) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर मातृ एवं बाल देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये मनाया जाता है।
- संशोधित माँ एवं बाल संरक्षण कार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यह बच्चों में पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने और IYCF प्रथाओं में सुधार करने के लिये प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के उपयोग हेतु एक प्रभावी साधन है।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers Agribusiness Consortium- SFAC) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

मुख्य बिंदु:

- किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations-FPOs) थोक दरों पर बड़ी मात्रा में आवश्यक सामग्री की खरीददारी, विपणन लागत घटाने के लिये उत्पाद एवं परिवहन के एकीकरण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं दूर-दराज के बाजारों तक उनकी पहुँच का विस्तार करके उत्पाद की लागत घटाने के लिये छोटे किसानों की मदद करने वाला एक संस्थागत नवाचार है। इस नीति का उद्देश्य लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राज्य स्तर संगठनों के माध्यम से एफपीओ के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
- इस समझौते के तहत SFAC बड़े पैमाने पर निर्यात को बढ़ावा देने एवं एकीकरण करने के लिये एपीडा के साथ विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि क्लस्टरों की सूची साझा करेगा।
- APEDA और SFAC किसानों की आय दोगुनी करने के लिये निर्यातकों के साथ FPOs/FPCs को जोड़ने के लिये मिलकर काम करेंगे।
- समय-समय पर पहचान किये गए विभिन्न माध्यमों के द्वारा एफपीओ क्षेत्र के हितधारकों द्वारा भारतीय एवं वैश्विक बाजार, उत्पाद प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, ज्ञान एवं सेवाओं का मिलकर प्रदर्शन करेंगे।
- APEDA, किसान उत्पादक कंपनियों (Farmer Producer Companies- FPCs) द्वारा सहायता प्राप्त या SFAC द्वारा पहचान किये गए जैविक उत्पादों/क्षेत्रों के प्रमाणीकरण में सुविधा प्रदान करेगा।
- पूर्वोत्तर भारत में कृषि व्यापार संवर्द्धन इकाई की पहुँच विकसित करना और पूर्वोत्तर भारत के FPO को परामर्श देना।

नोट :

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

- यह लघु और सीमांत किसानों को किसान हित समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों को संगठित करने के लिये एक अग्रणी संघ है।
- यह छोटे एवं लघु किसानों तक कृषि निवेशकों की पहुँच और सस्ती दर पर उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये एक मंच उपलब्ध कराता है। इसे दिल्ली किसान मंडी और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को ई-प्लेटफॉर्म पर लागू करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- यह किसानों को मुक्त कृषि व्यापार के साथ-साथ उचित मूल्य प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता हैं। वर्तमान में SFAC के साथ लगभग 1000 FPOs/FPCs पंजीकृत हैं।

ओपन मार्केट ऑपरेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिये 10,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक कई मूल्य पद्धति का उपयोग करके एक बहु-सुरक्षा नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद के लिये 20 मार्च, 2020 को ओपन मार्केट का संचालन करेगा।
- इस प्रक्रिया के तहत COVID-19 महामारी से जोखिमों के बढ़ने के कारण वित्तीय बाजार खंडों में वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। जिससे सभी बाज़ार खंडों में तरलता एवं स्थिरता की स्थिति बनी रहे और वे सामान्य रूप से कार्य करते रहें।

  ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO):
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिलों की बिक्री एवं खरीद प्रक्रिया है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना है।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ओपन मार्केट ऑपरेशन:

- जब RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना चाहता है तो वह बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है और वित्तीय प्रणाली में तरलता को कम करने के लिये सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है।
- RBI लोगों से प्रत्यक्ष रूप न जुड़कर वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ओपन मार्केट का संचालन करता है।
- ओपन मार्केट ऑपरेशन एक उपकरण है जिसके माध्यम से RBI किसी वर्ष के दौरान तरलता की स्थिति को बनाये रखता है और ब्याज दर एवं मुद्रास्फीति की दर पर इसके प्रभाव को कम करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC) के सदस्यों के बीच एकजुटता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ चीन ने मार्च 2020 के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है।

मुख्य बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक महीने अपने सदस्यों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बदलती रहती है। वियतनाम ने जनवरी 2020 में तथा बेल्जियम ने फरवरी 2020 में इसकी अध्यक्षता की थी।
- जबकि मार्च 2020 में चीन के बाद इसकी अध्यक्षता अप्रैल 2020 में डोमिनिकन गणराज्य (Dominican Republic) को मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC):

- UNSC, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसके पास सदस्य राष्ट्रों को बाध्यकारी संकल्प पत्र जारी करने का अधिकार है।
- सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन को 7 दशक पहले केवल एक युद्ध जीतने के आधार पर परिषद के किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार प्राप्त है।
- गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो वर्ष के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है।
- अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। अस्थायी सदस्यता के लिये सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें पाँच सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, दो दक्षिण अमेरिकी देशों से, एक पूर्वी यूरोप से और दो पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (The Department of Social Justice and Empowerment) ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana) का शुभारंभ आंध्रप्रदेश के नेल्लौर जिले से 1 अप्रैल, 2017 को किया था।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से संबद्ध वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरण प्रदान करना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरणों को शिविरों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। ये सहायक उपकरण उच्च गुणवत्ता से युक्त हैं और इन उपकरणों को भारत मानक ब्यूरो द्वारा तय मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय योजना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (Senior Citizens Welfare Fund- SCWF) से वित्त पोषित है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत अब तक देश भर में कुल 138 कृत्रिम अंग वितरण शिविर आयोजित किये जा चुके हैं।
- इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक लगभग 44806 लोगों को लाभ पहुँचाया जा चुका है।

कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation) और राष्ट्रीय वयोश्री योजना:

- इस योजना को कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation- ALIMCO) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है।
- कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय कानपुर (उत्तरप्रदेश) में है।

रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम

भारतीय रेलवे प्रणाली के अंतर्गत ट्रेनों की आवाजाही पर बेहतर नज़र रखने के लिये लोकोमोटिव में रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम (Real Time Train Information System-RTIS) स्थापित की जा रही है।

मुख्य बिंदु:

- रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग (Control Office Application) प्रणाली में ट्रेनों के नियंत्रण चार्ट पर स्वचालित रूप से स्थापित किये जाते हैं।
- यह प्रणाली प्रत्येक 30 सेकंड के अंतराल में अपडेट देती है। इस प्रणाली के द्वारा ट्रेन नियंत्रक अब बिना किसी नियमावली हस्तक्षेप के RTIS सक्षम लोकोमोटिव/ट्रेन के स्थान एवं गति को अधिक बारीकी से ट्रैक कर सकते हैं जिससे ट्रेन नियंत्रण दक्षता में सुधार आएगा।
- RTIS के रियल टाइम डेटा को नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (National Train Enquiry System- NTES) से भी जोड़ा गया है। जिससे ट्रेनों के आवागमन से संबंधित सटीक जानकारी यात्रियों को दी जा रही है।
- इसके अतिरिक्त किसी भी व्यवधान या आपदा के मामले में तेज़ी से प्रतिक्रिया में मदद करने हेतु यह लोकोमोटिव से नियंत्रण केंद्र तक आपातकालीन संदेश भेजने के लिये बेहद आसान है।
- RTIS को 2700 लोकोमोटिव में स्थापित करने की योजना थी जो दिसंबर 2019 तक पूरी हो चुकी है।
- RTIS 'मेक इन इंडिया' के तहत देश में ही पूरी तरह से डिज़ाइन, विकसित एवं निर्मित किया गया है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) के सहयोग से RTIS परियोजना को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railway Information Systems- CRIS) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railway Information Systems- CRIS):

- रेल मंत्रालय ने जुलाई 1986 में CRIS की स्थापना की थी। यह भारतीय रेलवे की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा है।
- यह भारतीय रेलवे के प्रमुख कार्यों जैसे यात्री टिकटिंग, माल परिचालन, ट्रेन प्रेषण एवं नियंत्रण, चालक दल प्रबंधन और ई-प्रोक्योरमेंट आदि का कार्य करता है।
- नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (National Train Enquiry System- NTES) को CRIS द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Right Day) 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम पर्यावरण के नुकसान और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये 'सतत् उपभोक्ता' (The Sustainable Consumer) है।

उद्देश्य:

- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों एवं ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) ने इस दिवस के अवसर पर एक वेबिनार (COVID19 महामारी के कारण भौतिक उपस्थिति के स्थान पर डिजिटल उपस्थिति) का आयोजन किया।
- इस वेबिनार का आयोजन MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर किसी संवाद का यह 7वाँ संस्करण था।
- इस वेबिनार आयोजन में आठ विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसमें भोजन से लेकर फैशन तक की सारी चीजें शामिल की गई हैं जिसमें मुख्य रूप से पानी, पैकेजिंग, गतिशीलता, उत्पाद एवं सूचना विषमता को अहम स्थान दिया गया है।

ऐतिहासिक तथ्य:

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी का अहम योगदान है, जिन्होंने 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कॉन्ग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। वह ऐसा करने वाले विश्व के पहले नेता थे।

कंज़्यूमर्स इंटरनेशनल (Consumers International):

वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों का नेतृत्व कंज्यूमर्स इंटरनेशनल (Consumers International) कर रहा है जो विश्व भर के उपभोक्ता समूहों के लिये एक गैर लाभकारी सदस्यता संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय लंदन में स्थित है।

नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम

केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Ground Water Board- CGWB) द्वारा नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (National Aquifer Mapping and Management program- NAQUIM) लागू किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- इस प्रोग्राम में भूजल स्रोतों के स्थायी प्रबंधन की सुविधा के लिये तथा जलभृत प्रबंधन योजनाओं की विशेषता तथा विकास के लिये जलभृत मैपिंग की परिकल्पना की गई है।
- अब तक देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 11.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिये जलभृत मानचित्र एवं प्रबंधन योजनाएँ विकसित की गई हैं।
- देश भर में जलभृत मैपिंग मूल्यांकन इकाइयाँ जैसे- ब्लॉक, तालुका, मंडल, फिरक्का (Firkka) के स्तर पर किया जा रहा है और 6881 मूल्यांकन इकाइयों में लगभग 3600 मूल्यांकन इकाइयाँ केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा कवर की गई हैं।
- केंद्रीय भू-जल बोर्ड भूजल डेटा एकत्र करता है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे केंद्रीय भू-जल बोर्ड की वेब-साइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (National Aquifer Mapping and Management program- NAQUIM):

- NAQUIM देश के संपूर्ण भूजल स्तर मापन प्रणालियों के मानचित्रण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) की एक पहल है।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म स्तर पर भूमि जल स्तर की पहचान करना, उपलब्ध भूजल संसाधनों की मात्रा निर्धारित करना तथा भागीदारी प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था करना और भूमि जल स्तर की विशेषताओं के मापन के लिये उपयुक्त योजनाओं का प्रस्ताव करना है।

चूँकि जल भारतीय संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत आता है, अत: देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में भूजल संरक्षण एवं कृत्रिम जल पुनर्भरण संबंधी पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की ज़िम्मेदारी है।

भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक संबंधों के आधार पर भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (Indo-U.S. Science & Technology Forum- IUSSTF) आधारित विटेर्बी प्रोग्राम (Viterbi Program) चल रहा है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- इस विटेर्बी प्रोग्राम (Viterbi Program) के तहत 14 भारतीय छात्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया (University of Southern California) के विटेर्बी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (Viterbi School of Engineering) में एक शोध इंटर्नशिप के लिये चुना गया है।
- इस इंटर्नशिप के अंतर्गत छात्र नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Natural Language Processing), मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क (Neural Network), संचार सर्किट, एनालॉग एवं डिजिटल सर्किट डिज़ाइन (Analog and Digital Circuit Design) आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से शोध करेंगे।

विटेर्बी प्रोग्राम (Viterbi Program):

- IUSSTF के विटेर्बी प्रोग्राम को IUSSTF और Viterbi School of Engineering द्वारा विकसित किया गया था।
- यह कार्यक्रम भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक, सतत् एवं जीवंत संबंध बनाने हेतु तथा मेधावी भारतीय छात्रों के बीच अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार की एक पहल है।

भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (Indo-U.S. Science & Technology Forum- IUSSTF):

- IUSSTF को मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था।
- यह एक स्वायत्त द्विपक्षीय फोरम है इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से सरकार, शिक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आपसी तालमेल के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस फोरम को दोनों देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
- भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) और संयुक्त राज्य अमेरिका का अमेरिकी राज्य विभाग (The U.S. Department of State) इस कार्यक्राम से संबंधित नोडल विभाग हैं।
- IUSST एक विकसित कार्यक्रम पोर्टफोलियो है जो सामयिक विषयों पर दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदायों के लिये संगोष्ठी, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन कराता है।

नवरोज़

भारतीय प्रधानमंत्री ने नवरोज़ (Navroz) के अवसर पर देश को शुभकामनाएँ दी।

मुख्य बिंदु:

- प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाने वाला नवरोज़ पारसियों, ज़रथुस्ट्र पंथ (Zoroastrianism) के अनुयायियों और मुस्लिम के विभिन्न संप्रदायों (शिया व सुन्नी दोनों) के लिये नए वर्ष की शुरुआत होने का एक उत्सव है।
- 1079 ईस्वी में एक फारसी (ईरानी) राजा जलालुद्दीन मालेकशाह (Jalaluddin Malekshah) ने राजस्व इकट्ठा करने और लोगों से कर वसूलने के लिये नवरोज़ (नव वर्ष) त्योहार की शुरुआत की।
- 21 मार्च को वसंत ऋतु की शुरुआत और विषुव (Equinox) के दिन को चिह्नित करने के तौर पर देखा जाता है। यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है।
- इसे यूनेस्को के अंतर्गत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत की मानवता (UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity of India) सूची में अंतर्लिखित किया गया है। भारत में इसे जमशेद नवरोज़ (Jamshed Navroz) के नाम से जाना जाता है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) ने देश भर में 51-59 आयु वर्ग के हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana-MGBBY) को लागू किया है।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार ने जनश्री बीमा योजना (Janshree Bima Yojana) के संयोजन के साथ वर्ष 2003 में बुनकर बीमा योजना (Bunkar Bima Yojana) शुरू की थी। वर्ष 2005-06 के बाद इस योजना को संशोधित किया गया और इसे महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (MGBBY) नाम दिया गया।
- इस योजना के तहत भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India- LIC) के साथ मिलकर हथकरघा बुनकरों को बीमा सुविधा प्रदान कर रही है।
    - इस योजना के तहत भारत सरकार प्राकृतिक मौत तथा आकस्मिक मृत्यु के मामले में और दुर्घटना के कारण आंशिक एवं स्थायी विकलांगता के मामले में सभी समुदाय के बुनकरों को बीमा सुविधा प्रदान करती है।
    - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे LIC द्वारा दावा लाभ प्रदान किया जाता है।
- भारत सरकार सभी हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को प्रभावी तरीके से लाभ प्रदान करने के लिये तथा बुनकरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये राज्य सरकारों और LIC के सहयोग से देश भर में हथकरघा समूहों में हस्तकला सहयोग शिविरों का आयोजन कर रही है।

टेक फॉर ट्राइबल्स

जनजातीय उद्यमिता के विकास के लिये भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) ने राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के साथ मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स (Tech For Tribals) परियोजना की शुरुआत की।

उद्देश्य:

- इस परियोजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana- PMVDY) के तहत नामांकित जनजातीय वनोपज संग्रहकर्त्ताओं का क्षमता निर्माण एवं उद्यमिता कौशल प्रदान करना है। ये जनजातीय वनोपज संग्रहकर्त्ता वन धन विकास केंद्र (VDVK) के अंतर्गत आते हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस परियोजना को आईआईटी रुड़की, आईआईएम इंदौर, भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और जयपुर स्थित सृजन (SRIJAN) के साथ ट्राइफेड और आईआईटी कानपुर द्वारा 19 मार्च, 2020 को लॉन्च किया गया।
- इस परियोजना के पहले चरण के तहत आदिवासी उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ जनजातीय उद्यमियों को लाभ पहुँचाया जायेगा।
- टेक फॉर ट्राइबल्स (Tech For Tribals) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES) द्वारा समर्थित ट्राइफेड की एक पहल है।
- टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम के तहत सहयोगी पार्टनर वन उपज का मूल्य संवर्द्धन और प्रसंस्करण में उद्यमशीलता से संबंधित एक पाठ्यक्रम विकसित करेंगे।

वन धन विकास केंद्र

- भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत 28 राज्यों में 1200 वन धन विकास केंद्र (VDVK) की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत 3.6 लाख जनजातीय वन उत्पादकों को संगठित किया गया हैं।
- एक विशिष्ट वन धन विकास केंद्र (VDVK) में 15 स्वयं सहायता समूह शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक में 20 जनजातीय लोग सम्मिलित हैं।

एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग

भारत सरकार एमओओसीएस (MOOCs) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं (SWAYAM) का उपयोग करके उच्च शिक्षा संकाय के पेशेवर विकास के लिये एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग (Annual Refresher Programme In Teaching- ARPIT) चला रही है।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसंबर, 2018 में ARPIT कार्यक्रम लॉन्च किया था।
- ARPIT को शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और यह भारत सरकार के 'हर एक काम देश के नाम' पहल का हिस्सा है।
- ARPIT एक ऑनलाइन पहल है जिसके द्वारा MOOCs (Massive Open Online Courses) प्लेटफॉर्म स्वयं का उपयोग करके 15 लाख उच्च शिक्षा संबंधी शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- ARPIT के क्रियान्वयन के लिये 75 विषय-विशिष्ट संस्थानों की पहचान की गई है जिन्हें पहले चरण में 'नेशनल रिसोर्स सेंटर्स' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- इन संस्थानों को विषयों पर नवीनतम विकास, नई एवं उदीयमान प्रवृत्तियों, शैक्षिक सुधार और संशोधित पाठ्यक्रम को करने की पद्धतियों पर केंद्रित ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इस पाठ्यक्रम में अकादमिक विकास के हिस्से के रूप में अंतर्निहित मूल्यांकन अभ्यास और गतिविधियाँ शामिल हैं।
- ARPIT के अंतर्गत अब तक लगभग 1.8 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना को मंज़ूरी दी।

लक्ष्य:

- इस योजना के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन के विनिर्माण तथा एसेम्बली (Assembly), परीक्षण (Testing), मार्किंग (Marking) एवं पैकेजिंग (Packaging) इकाइयों सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में व्यापक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत भारत में निर्मित तथा लक्षित खंडों के दायरे में आने वाली वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष के बाद पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 4-6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना से मोबाइल विनिर्माण एवं विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में कार्यरत 5-6 प्रमुख वैश्विक कंपनियों एवं कुछ घरेलू कंपनियों के लाभान्वित होने तथा भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण होने की संभावना है।

योजना लागत:

- इस योजना की कुल लागत लगभग 40,995 करोड़ रुपए है जिसमें लगभग 40,951 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन परिव्यय और 44 करोड़ रुपए का प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

लाभ:

- इस योजना में अगले पाँच वर्षों में 2,00,000 से अधिक प्रत्यक्ष तथा इसके तीन गुना अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता है। इस प्रकार इस योजना में कुल रोज़गार सृजन क्षमता लगभग 8,00,000 है।

नोट :

गौरतलब है कि भारत में मोबाइल उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2014-15 के लगभग 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए हो गया और मोबाइल फोन की घरेलू मांग की आपूर्ति घरेलू उत्पादन से ही की जा रही है। इस प्रकार विश्व के लिये 'असेम्बल इन इंडिया' को 'मेक इन इंडिया' से एकीकृत कर भारत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक वृद्धि कर सकता है।

तीस्ता नदी

पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी (Teesta River) पर सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation-BRO) द्वारा निर्मित पुल को यातायात के लिये खोला दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- स्वास्तिक परियोजना (Project Swastik) के तहत सीमा सड़क संगठन (BRO) ने अक्तूबर 2019 में उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी पर पुल का निर्माण शुरु किया और इसे जनवरी 2020 में पूरा कर लिया था।
    - जून 2019 में इसी स्थान पर बना 180 फुट लंबा पुल बादल फटने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे सिक्किम के उत्तरी ज़िले में संचार व्यवस्था बाधित हो गई थी।
    - सीमा सड़क संगठन की स्वास्तिक परियोजना के तहत पूर्वी एवं उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सड़क नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक विस्तारित किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में कई पर्यटक स्थलों का निर्माण भी किया गया है।
    - गौरतलब है कि नाथुला (Nathula) दर्रे से चीन के साथ व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन एक कुशल एवं विश्वसनीय सड़क नेटवर्क पर निर्भर करता है।
- इस पुल का निर्माण सिक्किम के चुंगथांग (Chungthang) शहर के पास मुंशीथांग (Munshithang) में तीस्ता नदी पर किया गया है। इससे उत्तरी सिक्किम के लाचेन क्षेत्र के निवासियों को आने-जाने में आसानी होगी।
- इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन (BRO) ने पुल से जुड़े संपर्क मार्गों का निर्माण भी किया है। जिससे उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुर्गम इलाकों में तैनात सैन्य बलों के लिये माल ढुलाई आसान हो जाएगी।

तीस्ता नदी (Teesta River):

- तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर (Kangse Glacier) के पास चारामु झील (Charamu Lake) से होता है।
- यह भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में ब्रहमपुत्र नदी से मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- इसकी लंबाई लगभग 315 किलोमीटर है। और इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के हिस्से में आता है।
- ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं मेघना के बाद तीस्ता नदी बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना (Jamuna) नदी कहा जाता है।
- रंगित (Rangeet) जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी है। रंगित नदी जिस स्थान पर तीस्ता से मिलती है उसे त्रिबेनी (Tribeni) के नाम से जाना जाता है।
- इसके बाएँ तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ दिक् छू (Dik Chhu), रान्पो (Rangpo), लाचुंग (Lachung), रानी खोला (Rani Khola) हैं तथा दाँये तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ रंग्घाप छू (Ranghap Chhu), रंगित (Rangeet), रिंगयोंग छू (Ringyong Chhu) हैं।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (Electronics Manufacturing Clusters- EMC 2.0) योजना के लिये वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी।

नोट :

मुख्य बिंदुः

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये अपेक्षित बुनियादी ढाँचा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (Electronics Manufacturing Clusters- EMC) योजना की शुरुआत की थी।
- देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बुनियादी ढाँचे के आधार को और मज़बूत करने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिये इस योजना का संशोधित रूप जारी किया गया।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC2.0) योजनाः

- उद्देश्यः इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) के माध्यम से सामान्य ज़रूरतों एवं सुविधाओं के साथ विश्व स्तर के बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
- यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (EMCs) और सामान्य सुविधा केंद्र (Common Facility Centers- CFCs) दोनों की स्थापना का समर्थन करेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) को उन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण (Electronics System Design and Manufacturing- ESDM) क्षेत्र की इकाइयों के लिये बुनियादी ढाँचे, सुविधाएँ और अन्य सामान्य ज़रूरतों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs) की स्थापना उन्ही क्षेत्र में की जाएगी जहाँ मौजूद ESDM इकाइयों की एक महत्वपूर्ण संख्या के साथ-साथ ESDM इकाइयों के लिये सामान्य तकनीकी बुनियादी ढाँचे के उन्नयन एवं सामान्य सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

लाभः

- यह योजना ESDM क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और अधिक-से-अधिक रोज़गार सृजन करने हेतु भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिये एक मज़बूत बुनियादी ढाँचा आधार तैयार करेगी।

विश्व जल दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस (World Water Day) मनाया जाता है।

उद्देश्यः

- इसका उद्देश्य पेयजल की पहुँच के बिना रह रहे 2.2 बिलियन लोगों के प्रति अन्य लोगों को जागरुक करना है।

थीमः

- वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'जल और जलवायु परिवर्तन' (Water and Climate Change) है, जिसका उद्देश्य जल एवं जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध का पता लगाना है।

मुख्य बिंदुः

- विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी और यह मीठे पानी के महत्त्व पर केंद्रित है।
- इस दिवस का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी के लिये सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal- SDG-6): स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का समर्थन करना है।
- इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास के लिये जल की उपलब्धता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक (2018-2028) मनाया जा रहा है।

कैरिसा कोपिली

एक अध्ययन में भारत के असम राज्य में कैरिसा कैरेंडस (Carissa Carandas) की एक अन्य प्रजाति कैरिसा कोपिली (Carissa kopilii) का पता लगाया गया है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नगालैंड विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा किया गया और इसे एशिया-प्रशांत जैव विविधता के जर्नल (Journal of Asia-Pacific Biodiversity) में प्रकाशित किया गया।
- कैरिसा कोपिली (Carissa kopilii) कैरिसा कैरेंडस की एक मृदु किस्म है। कैरिसा कैरेंडस एक बहु-उपयोगी जंगली बेरी (छोटा फल) है। इसे हिंदी में करौंदा (Karonda), तमिल में कलक्काई (Kalakkai), बंगाली में कोरोम्चा (Koromcha) और असमिया में कर्जा टेंगा (Karja Tenga) के नाम से जाना जाता है।
    - कैरिसा कोपिली, कोपिली नदी (Kopili River) के किनारे समुद्र के स्तर से 85-600 मीटर की ऊँचाई पर पाई जाती है।

कोपिली नदी (Kopili River):

- कोपिली नदी मेघालय के पठार से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले मध्य असम के पहाड़ी ज़िलों से होकर बहती है।
- कोपिली नदी एक अंतर्राज्यीय नदी है जो मेघालय एवं असम राज्यों से होकर बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है।
- इसे दस्त, एनीमिया, कब्ज, अपच, त्वचा संक्रमण और मूत्र विकारों जैसे कई बीमारियों के लिये एक पारंपरिक हर्बल दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- इसकी पत्तियों को रेशम के कीड़ों के लिये चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जबकि इसकी जड़ें कीट विकर्षक का कार्य करती हैं।
- भारत में अंग्रेजों ने नमक की तस्करी को रोकने के लिये 1870 के दशक में इसके कँटेदार पौधों का उपयोग 1,100 मील के एक अवरोधक निर्माण करने में किया था।
    - ब्रिटिश लेखक रॉय मोक्स्हम (Roy Moxham) ने अपनी पुस्तक 'द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया' (The Great Hedge of India) में इस अल्पकालिक अवरोध की तुलना चीन की महान दीवार (Great Wall of China) से की।
- मेघालय में कोयला खनन तथा कोपिली नदी पर पनबिजली परियोजनाओं के कारण नदी का जल अम्लीय हो रहा है जिससे मेघालय से संबद्ध मध्य असम क्षेत्र में इस पौधे (कैरिसा कोपिली) को नुकसान हो रहा है।

मिशन रक्षा ज्ञानशक्ति

भारत में रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में योगदान करने के लिये 27 नवंबर, 2018 को मिशन रक्षा ज्ञानशक्ति (Mission Raksha Gyanshakti) की शुरूआत की गई।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right- IPR) की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (Directorate General of Quality Assurance- DGQA) को दी गई है।
    - गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (DGQA) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
    - यह महानिदेशालय सशस्त्र बलों को आपूर्ति किये जाने वाले हथियारों, गोला-बारूद, उपकरणों की पूरी श्रृंखला के लिये गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance- QA) प्रदान करता है।

- इस मिशन को बढ़ावा देने के लिये बौद्धिक संपदा सुविधा सेल (Intellectual Property Facilitation Cell- IPFC), रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence- MoD) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (National Research Development Corporation- NRDC) के बीच वर्ष 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (National Research Development Corporation- NRDC):

- राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में की गई थी।

उद्देश्य:

- इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/विश्वविद्यालयों में विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों/जानकारियों/आविष्कारों/पेटेंट/प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और उनका व्यवसायीकरण करना है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):

- बौद्धिक संपदा अधिकार, निजी अधिकार हैं जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कानूनी कंपनियों की रचनात्मकता अथवा नव प्रयोग के संरक्षण के लिये उन्हें दिये जाते हैं।

रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2018 में रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (Innovations for Defence Excellence- iDEX) की शुरूआत की गई।

उद्देश्य:

- iDEX का उद्देश्य रक्षा एवं एयरोस्पेस से संबंधित समस्याओं का हल निकालने, प्रौद्योगिकी विकसित करने और नवाचार करने के लिये स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- यह MSMEs, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर, शोध एवं विकास संस्थानों और अकादमियों को अनुसंधान एवं विकास के लिये अनुदान प्रदान करता है।
- भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (BEL) और हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा वित्तपोषित रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organization- DIO) द्वारा iDEX का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- DIO, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 के तहत गठित एक गैर लाभकारी संगठन है।
- रक्षा नवाचार संगठन ने वर्ष 2018-19 में अपनी गतिविधियाँ शुरू की और तब से यह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (Defence India Startup Challenges- DISCs) का संचालन तथा रक्षा क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (Defence India Startup Challenges- DISCs):

- राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा (National Defence and Security) के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप/ व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्टअप/MSMEs/इनोवेटर्स का समर्थन करने के उद्देश्य से डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) की शुरुआत की गई थी।
- इसे अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) के साथ साझेदारी में रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।

विज़न:

- इसका विज़न राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रासंगिक उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने में मदद करना एवं भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना तथा निर्मित उत्पादों के लिये बाज़ार एवं ग्राहक खोजना है।

DISC कार्यक्रम में स्टार्ट-अप, भारतीय कंपनियाँ और व्यक्तिगत इनोवेटर्स (अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान) भाग ले सकते हैं।

नोट :

यक्षगान लिपि

कर्नाटक के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान (Yakshagana) की 900 से अधिक लिपियों (Script) को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- इन लिपियों में वर्ष 1905 में छपा 'प्रह्लाद चरित्र' (Prahlada Charitre), वर्ष 1907 का 'रामाश्वमेध' (Ramashwamedha), वर्ष 1913 का 'पुत्राकामेस्ती' (Putrakamesti), वर्ष 1929 का 'कनकंगी कल्याण' (Kanakangi Kalyana), वर्ष 1931 का कुमुधावती कल्याण (Kumudhwati Kalyana) और वर्ष 1938 में छपे 'संपूर्ण रामायण' (Sampoorna Ramayana) को मुख्य रूप से शामिल किया गया है।
- इन लिपियों का डिजिटलीकरण करके गूगल ड्राइव में पीडीएफ प्रारूप में संरक्षित किया गया है। ये लिपियाँ www.prasangaprathisangraha.com पर उपलब्ध हैं और इनको 'प्रसंग प्राथी संग्रह' (Prasanga Prathi Sangraha) एप के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है।

यक्षगान (Yakshagana):

- यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यक्षगान का शाब्दिक अर्थ है- यक्ष के गीत।
- कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यक्षगान भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है। इसके बाद एक हास्य अभिनय प्रस्तुत किया जाता है।
- यक्षगान की संगीत शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत 'कर्नाटक' और 'हिन्दुस्तानी' शैली दोनों से अलग है।
  - यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का एक समृद्ध कलात्मक मिश्रण है, इस कला में संगीत नाटक के साथ-साथ नैतिक शिक्षा और जन मनोरंजन जैसी विशेषताओं को भी महत्त्व दिया जाता है।
- यक्षगान की कई समानांतर शैलियाँ हैं जिनकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जाती है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये शुरू किये गए उपायों के मद्देनज़र नई दिल्ली स्थित भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के केंद्रीय संगठन ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme- ECHS) के तहत अप्रैल महीने में एक बार में आवश्यक दवाओं की खरीद की अनुमति दी।

मुख्य बिंदु:

- वयोवृद्ध सभी दवाओं को पॉली क्लीनिक्स, सेवा अस्पतालों और सूची में सम्मिलित अन्य अस्पतालों से निर्धारित पर्चे के आधार पर खरीद सकते हैं।
- इसे 30 अप्रैल, 2020 तक तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme- ECHS):

- इस योजना को वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था।
- ECHS भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (Department of Ex-Servicemen Welfare) की एक प्रमुख योजना है।
  - पूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल (Adjutant General) के माध्यम से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (Chiefs of Staff Committee) के अधीन कार्य करता है।

नोट :

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य देश भर में फैले ECHS पॉली क्लीनिक्स, सरकारी अस्पतालों, विशेष सरकारी आयुष अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से पूर्व सैनिक पेंशनरों एवं उनके आश्रितों को एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है।

अनुदान:

- इस योजना को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इस योजना को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme- CGHS) की तर्ज पर प्रबंधित किया गया है ताकि रोगियों के लिये जहाँ तक संभव हो कैशलेस लेन-देन सुनिश्चित किया जा सके।

अन्य बिंदु:

- वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ECHS के तहत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों, आपातकालीन कमीशन अधिकारियों (Emergency Commissioned Officers- ECOs), शॉर्ट सर्विस कमीशंड ऑफिसर्स (Short Service Commissioned Officers- SSCOs) और समय पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को भी चिकित्सा सुविधा देने को मंज़ूरी दी थी।

डॉ. राम मनोहर लोहिया

भारतीय प्रधानमंत्री ने डॉ. राम मनोहर लोहिया (Dr. Ram Manohar Lohia) को उनकी जयंती (23 मार्च) पर श्रद्धांजलि दी।

मुख्य बिंदु:

- डॉ. राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च, 1910 को ब्रिटिशकालीन भारत में संयुक्त प्रांत के अकबरपुर (Akbarpur) में हुआ था।
- डॉ. लोहिया समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे।
- वर्ष 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress) के अंदर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (Congress Socialist Party- CSP) में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने CSP कार्यकारी समिति में कार्य किया और इसकी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया।
- उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का विरोध किया और वर्ष 1939 तथा वर्ष 1940 में ब्रिटिश विरोधी टिप्पणी के लिये गिरफ्तार किये गए।
- लोहिया ने अन्य CSP नेताओं के साथ मिलकर वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिये समर्थन जुटाया।
- वर्ष 1948 में लोहिया एवं अन्य CSP सदस्यों ने कांग्रेस छोड़ दी और वर्ष 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (Praja Socialist Party) के सदस्य बने और कुछ समय के लिये इसके महासचिव के रूप में कार्य किया किंतु पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण वर्ष 1955 में त्यागपत्र दे दिया।
- वर्ष 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जिसके वे अध्यक्ष बने और साथ-साथ इसकी पत्रिका मैनकाइंड (Mankind) का संपादन भी किया। वर्ष 1963 में लोहिया लोकसभा के लिये चुने गए और वर्ष 1967 में उनका निधन हो गया।
- उन्होंने एक पार्टी नेता के तौर पर विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक सुधारों की वकालत की जिसमंन जाति व्यवस्था का उन्मूलन, भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता और नागरिक स्वतंत्रता का मज़बूत संरक्षण शामिल है।
- उनके कुछ प्रमुख लेखन कार्यों में शामिल हैं: 'मार्क्स (Marx), गांधी और समाजवाद (Gandhi and Socialism), भारत विभाजन के दोषी पुरुष (Guilty Men of India's Partition) आदि।

निर्माण उपकर निधि

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने सभी राज्यों को COVID -19 के मद्देनज़र निर्माण क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के कल्याण के लिये 'निर्माण उपकर निधि' (Construction Cess Fund) का उपयोग करने की एडवाइज़री जारी की।

मुख्य बिंदु:

- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996 (Building and Other Construction Workers Cess Act, 1996) के तहत श्रम कल्याण बोर्डों (Labour Welfare Boards) द्वारा एकत्र किये गए उपकर को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों के निर्माण श्रमिकों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
- राज्यों के पास लगभग 52000 करोड़ रुपए निर्माण उपकर निधि के रूप में उपलब्ध हैं और वर्तमान में लगभग 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिक निर्माण कल्याण बोर्डों के तहत पंजीकृत हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) के अनुसार, COVID -19 वैश्विक महामारी के कारण विश्व भर में 25 मिलियन नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 90% अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) में कार्यरत है।

चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुडी पड़वा, चेती चाँद, नवरेह एवं साजिबु चेरोबा

भारत के राष्ट्रपति ने 25 मार्च से शुरू हो रही बसंत ऋतु पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी।

- भारत के विभिन्न हिस्सों में बसंत ऋतु को चैत्र शुक्लादि (Chaitra Sukladi), उगादि (Ugadi), गुडी पड़वा (Gudi Padava), चेती चाँद (Cheti Chand), नवरेह (Navreh) एवं साजिबु चेरोबा (Sajibu Cheiraoba) जैसे विभिन्न त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- चैत्र शुक्लादी पारंपरिक हिंदू कैलेंडर में नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह नया वर्ष पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने (मार्च-अप्रैल) में चंद्रमा के एपिलेशन चरण (Waxing Phase) के पहले दिन मनाया जाता है।
- शुक्लादि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक चंद्र मास (Lunar Month) निर्धारित किया जाता है। शुक्लादि का तात्पर्य किसी महीने में पूर्णिमा के दिनों से है।
- दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शुक्लादि पद्धति का पालन किया जाता है। वहीं उत्तर भारत में भी विक्रम संवत के आधार पर नए वर्ष मनाने के लिये शुक्लादि पद्धति का उपयोग किया जाता है किंतु यहाँ एक महीने की गणना पूर्णिमा से पूर्णिमा (पूर्ण चंद्र की स्थिति) तक की जाती है।
  - चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। अर्थात् विक्रम संवत 2077 या हिन्दू नववर्ष 2077 का प्रारंभ हो गया है। इसे नव संवत्सर 2077 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने की थी।
- यह चैत्र (बसंत) महीने का पहला दिन होता है। भारत के उत्तरी भागों में इस दिन को चैत्र शुक्लादि (Chaitra Shukladi) के रूप में मनाया जाता है।
- आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादि (Ugadi): युग + आदि अर्थात् नए युग की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है।
- महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुडी पड़वा (Gudi Padava) के रूप में मनाया जाता है। 'पड़वा' का अर्थ 'फसल' है। यह रबी की फसल के अंत और एक नए वसंत ऋतु की शुरुआत को चिह्नित करता है।
- सिंधी लोग नए वर्ष को चेती चाँद (Cheti Chand) के रूप में मनाते हैं। चैत्र माह को सिंधी भाषा में 'चेती' (Cheti) कहा जाता है, इस दिन को संत झूलेलाल (Saint Jhulelal) के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
- कश्मीरी लोग इस दिन को नवरेह (Navreh) के रूप में मनाते है यह नाम संस्कृत भाषा के 'नववर्ष' से लिया गया है।
- भारत के मणिपुर राज्य में इस दिन को साजिबू चिरोबा (Sajibu Cheiraoba) के रूप में मनाया जाता है। 'साजिबू' छह ऋतुओं में से पहली ऋतु अर्थात् बसंत को इंगित करता है और 'चिरोबा' का अर्थ 'नए वर्ष की घोषणा' है।

नोट :

कुरील द्वीप

रूस के कुरील द्वीप (Kuril Island) पर 25 मार्च, 2020 को 7.5 तीव्रता के भूकंप आने के बाद अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (US Geological Survey) ने सुनामी की संभावना को खारिज कर दिया।

मुख्य बिंदु:

- कुरील रूस के सखालिन ओब्लास्ट (Sakhalin Oblast) में एक ज्वालामुखीय द्वीपसमूह है जो उत्तर-पूर्व में जापान के होक्काइडो (Hokkaido) से लेकर रूस के कमचटका (Kamchatka) प्रायद्वीप तक लगभग 1300 किमी. क्षेत्र में फैला है।
- इस कुरील द्वीप श्रंखला में लगभग 56 द्वीप एवं कई छोटी चट्टानें शामिल हैं। इसमें ग्रेटर कुरील श्रंखला (Greater Kuril Chain) और लेसर कुरील श्रंखला (Lesser Kuril Chain) मुख्य हैं। इसका क्षेत्रफल 10503.2 वर्ग किलोमीटर है।
- यह उत्तरी प्रशांत महासागर (North Pacific Ocean) से ओखोटस्क सागर (Sea of Okhotsk) को अलग करता है।
- कुरील द्वीप समूह प्रशांत महासागर को घेरने वाले विवर्तनिक अस्थिरता वलय (Ring of Tectonic Instability) का एक हिस्सा है जिसे अग्नि वलय (Ring of Fire) भी कहा जाता है।
- कुरील द्वीपों की श्रृंखला में चार सुदूर दक्षिणी द्वीप- हबोमई (Habomai), शिकोतन (Shikotan), एटोरोफू (Etorofu) और कुनाशिरि (Kunashiri) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- इस विवादित कुरील द्वीपों को जापान में 'उत्तरी क्षेत्र' (Northern Territories) के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि रूस और जापान ने कुरील द्वीप विवाद सुलझाने के लिये वर्ष 2018 में फिर से वार्ता शुरू की।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने COVID-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC) के नियंत्रण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं का दौरा किया।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को पूर्व में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (National Institute of Communicable Diseases- NICD) के रूप में जाना जाता था।
- वर्ष 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली (Kasauli) में इसकी स्थापना केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो (Central Malaria Bureau) के रूप में की गई थी।
  - NICD को वर्ष 2009 में पनप चुके एवं फिर से पनप रहे रोगों को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया था।
- यह देश में रोगों की निगरानी के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रयोगशाला विज्ञान एंटोमोलॉजिकल (Entomological) सेवाओं हेतु विशेष कार्यबल के प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी है और विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है।

NCDC के प्रमुख कार्य:

- पूरे देश में किसी रोग के प्रकोप की जाँच करना।
- संचारी रोगों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों के कुछ पहलुओं में एकीकृत अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- व्यक्तियों, समुदायों, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों एवं राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों को परामर्श नैदानिक सेवाएँ प्रदान करना।

प्रशासनिक नियंत्रण:

- NCDC भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (Director General of Health Services) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

नोट :

इन्वेस्ट इंडिया बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म

21 मार्च, 2020 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 'इन्वेस्ट इंडिया' (Invest India) ने इन्वेस्ट इंडिया बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म (Invest India Business Immunity Platform) की शुरुआत की।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य व्यवसायों एवं निवेशकों को COVID-19 से निपटने के लिये भारत की ओर से की गई वास्तविक तैयारियों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करता है।

लक्ष्य:

- यह बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफार्म लोगों को उन सभी सूचनाओं तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा जो उन्हें अपने घरों में रहते हुए चाहिये। इस मंच के माध्यम से इन्वेस्ट इंडिया का लक्ष्य लोगों के द्वार तक सुविधाएँ पहुँचाना है।

मुख्य बिंदु:

- बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म (BIP) बिज़नेस से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिये समर्पित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम के साथ जल्द-से-जल्द प्रश्नों का जवाब देने के लिये एक सक्रिय मंच है जो 24*7 काम करता है।

विशेषताएँ:

- यह COVID-19 के संबंध में प्रतिदिन की जानकारी रखता है।
- यह केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा COVID-19 से संबंधित की जा रहीं पहलों की नवीनतम जानकारी प्रदान करता है और ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है।
- यह प्लेटफॉर्म प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा COVID-19 से निपटने के लिये उठाये गए कदमों जैसे- कर्मचारियों के वाहनों की स्वच्छता, बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अक्षम करना, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग व टेली-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, ऑनलाइन समाधान देना एवं अन्य अनूठी पहलों की जानकारी भी प्रदान करता है।

इस प्लेटफॉर्म के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं से जुड़े सवालों के समाधान के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India) के साथ साझेदारी भी की गई है।

एमएसीएस 4028

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (Agharkar Research Institute- ARI), पुणे के वैज्ञानिकों ने एक बायोफोर्टीफाइड ड्यूरम (Biofortified Durum) गेहूँ की किस्म 'एमएसीएस 4028 (MACS 4028)' विकसित की।

मुख्य बिंदु:

- इस नई गेहूँ की किस्म में 14.7% प्रोटीन, 40.3 पीपीएम जिंक, 46.1 पीपीएम लोहे की मात्रा पाई जाती है।
- एमएसीएस-4028 एक अर्द्ध-बौनी (Semi-Dwarf) किस्म है और यह 102 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही इसमें 19.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उच्च उपज क्षमता है।
- यह डंठल, पत्तों पर लगने वाली फंगस, पत्तों एवं जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूँ के घुन (Brown Wheat Mite) की प्रतिरोधी है।
- भारत में कुपोषण को दूर करने के लिये एमएसीएस-4028 किस्म को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) द्वारा सराहा गया है और यह नई किस्म भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति: कुपोषण मुक्त भारत- 2022 को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है।

नोट :

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) ने भी वर्ष 2019 के दौरान बायोफोर्टीफाइड श्रेणी के तहत इस किस्म को टैग किया है।
- अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ एवं जौ सुधार कार्यक्रम (All India coordinated Wheat and Barley Improvement Programme) के तहत पुणे स्थित अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्षा की स्थिति में उच्च पैदावार वाली, कम समय में तैयार होने वाली, रोग प्रतिरोधी और सूखा सहिष्णु किस्मों के विकास के लिये प्रयास कर रहा है। MACS-4028 अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे की इसी पहल का एक हिस्सा है।
    - अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ एवं जौ सुधार कार्यक्रम हरियाणा के करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है।

राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवीज़ की छूट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च, 2020 को परिधान और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामान के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवीज़ की छूट (Rebate of State and Central Taxes and Levies- RoSCTL) के विस्तार को मंज़ूरी प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

- यह छूट 1 अप्रैल, 2020 से तब तक जारी रहेगी जब तक इस योजना (RoSCTL) का निर्यात 'उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट' (Remission of Duties and Taxes on Exported Products- RoDTEP) योजना के साथ विलय नहीं हो जाता।
- RoSCTL योजना के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र को सभी करों/लेवी की छूट देकर प्रतिस्पर्द्धी बनाने की कोशिश की जा रही है।
- 7 मार्च, 2019 को घोषित RoSCTL को उन राज्य और केंद्रीय शुल्कों एवं करों के लिये प्रस्तुत किया गया था जो वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) के माध्यम से वापस नहीं किये जाते हैं। यह केवल परिधानों एवं कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों (Made-ups) के लिये उपलब्ध था। इसे भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) द्वारा शुरू किया गया था।

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (Remission of Duties and Taxes on Exported Products- RoDTEP):

- भारत सरकार ने निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करके निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'निर्यात उत्पादों पर शुल्कों तथा करों में छूट' (Remission of Duties or Taxes on Export Product- RoDTEP) योजना शुरू की थी।
- RoDTEP ने 1 जनवरी, 2020 से 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम' (Merchandise Export from India Scheme- MEIS) योजना का स्थान लिया और साथ ही इसके तहत निर्यातकों के लिये उत्पादन के बाद की लागत को कम करने हेतु विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के साथ समन्वय भी किया गया क्योंकि MEIS के कारण विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था।

मामल्लपुरम

भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित विश्व धरोहर स्थल मामल्लपुरम (Mamallapuram) परिसर के 11 एकड़ में फैली चोझिपोइगई (Chozhipoigai) को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।

- इस चोझिपोइगई को मामल्लपुरम झील (Mamallapuram lake) भी कहा जाता है।

मुख्य बिंदु:

- मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, एक शहर है जो चेन्नई (तमिलनाडु) से 60 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है।

नोट :

- यह पूर्ववर्ती पल्लवकालीन एक महत्वपूर्ण शहर है, पल्लव वंश ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन किया था।
- इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी।
- मामल्लपुरम शब्द की उत्पत्ति 'मामल्लन' (Mamallan) से हुई है जिसका अर्थ 'महान योद्धा' होता है। मामल्लन शब्द का प्रयोग पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के लिये किया जाता था।
- ब्रिटिश काल के दौरान मामल्लपुरम नाम विकृत होकर महाबलीपुरम हो गया।

पल्लवकालीन मंदिर स्थापत्यकला:

- पल्लवकालीन स्थापत्यकला शैलियों को क्रमशः महेंद्र शैली (610-640 ई.), मामल्ल शैली (640-674 ई.) और राजसिंह शैली (674-800 ई.) में विभाजित किया जाता है।

महेंद्र शैली (610-640 ई.):

- पल्लव राजा महेन्द्र वर्मन के समय वास्तुकला में 'मंडप' निर्माण प्रारंभ हुआ। जिनमें पल्लवकालीन आदि-वराह, महिषमर्दिनी, पंचपांडव, रामानुज आदि मंडप विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

मामल्ल शैली (640-674 ई.):

- राजा नरसिंह वर्मन के समय महाबलीपुरम में 'रथ' निर्माण का शुभारंभ हुआ। 'रथमंदिर' मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें द्रौपदी रथ, नकुल- सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलैयंकुट्टै प्रमुख हैं।
  - इन आठ रथों में द्रौपदी रथ एकमंज़िला एवं छोटा है शेष सातों रथों को सप्त पैगोडा कहा गया है।
- मामल्लपुरम में 7-8वीं शताब्दी के कई जीवंत मंदिर एवं स्मारक हैं जो मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर निर्मित किये गए है जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में 'अर्जुन की तपस्या' (Arjuna's Penance) या 'गंगा का अवतरण' (Descent of the Ganges) और शोर मंदिर (Shore Temple) अधिक लोकप्रिय हैं।

राजसिंह शैली (674-800 ई.):

- पल्लव काल की अंतिम एवं महत्त्वपूर्ण 'राजसिंह शैली' में रॉक कट आर्किटेक्चर के स्थान पर पत्थर, ईंट आदि से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ।
- इस शैली के उदाहरण महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, अर्काट का पनमलाई मंदिर, कांची का कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरूमल का मंदिर आदि हैं।

गौरतलब है कि मामल्लपुरम के स्मारक और मंदिर, जिनमें शोर मंदिर परिसर शामिल हैं, को सामूहिक रूप से वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था।

महत्त्व:

- मामल्लपुरम से प्राप्त प्राचीन चीनी, फारसी और रोमन सिक्कों से पता चलता है कि यह एक बंदरगाह था।
- वैश्विक दृष्टिकोण से प्राचीन समय में मामल्लपुरम और पल्लव वंश की भूमिका अधिक प्रासंगिक हैं। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन और पल्लव राजा राजसिम्हन या नरसिंह वर्मन द्वितीय के मध्य एक सुरक्षा समझौता हुआ जिसमें चीन ने तिब्बत का मुकाबला करने के लिये पल्लव राजा से मदद मांगी थी।
- अक्तूबर, 2019 में यहाँ पर भारत और चीन के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।

फीवर क्लीनिक

कर्नाटक सरकार ने 27 मार्च, 2020 को बंगलूरु में 31 फीवर क्लीनिक (Fever Clinic) शुरू करने की घोषणा की है जिसमें उन लोगों की जाँच की जाएगी जिनको COVID-19 लक्षण होने की आशंका है।

मुख्य बिंदु:

- फीवर क्लीनिक लोगों का आकलन, परीक्षण, उपचार एवं उनको आश्वस्त करने के लिये समर्पित सुविधाएँ प्रदान करता हैं और जहाँ आवश्यक हो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के माध्यम से उन्हें चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करता है।
- कर्नाटक सरकार अगले 14 दिनों तक राज्य में COVID-19 महामारी की स्थिति का विश्लेषण करने के लिये 25,000 लोगों की जाँच करेगी।
- COVID-19 महामारी से निपटने के लिये कर्नाटक सरकार ट्रेस (Trace), टेस्ट (Test) और ट्रीट (Treat) के दृष्टिकोण को अपना रही है। इस तरह के एहतियाती कदम उठाने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य है।
- फीवर क्लीनिक की अवधारणा उन शंकाग्रस्त लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिये लाई गई है जो आपातकालीन विभागों एवं सामान्य स्वास्थ्य केंद्रों जहाँ पहले से ही संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है, में जाँच कराने के लिये जाते हैं।
- यह न केवल पारंपरिक चिकित्सीय सेवाओं की मांग को कम करता है बल्कि संभावित रूप से बीमार लोगों एवं बुजुर्गों के बीच बीमारी के प्रसार को सीमित करता है।

डॉ. इग्नाज़ सेम्मेल्वेईस

COVID-19 जैसी अन्य वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिये डॉ. इग्नाज़ सेम्मेल्वेईस (Dr Ignaz Semmelweis) द्वारा किये गए शोध कार्यों का सम्मान करते हुए गूगल कंपनी ने एक एनिमेटेड डूडल (Doodle) प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु:

- डॉ. इग्नाज़ सेम्मेल्वेईस (Ignaz Semmelweis) को COVID-19 सहित कई बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिये सबसे प्रभावी तरीकों में से एक 'साबुन एवं पानी से हाथ धोने' की सिफारिश करने वाला पहला डॉक्टर माना जाता है।
- इग्नाज़ फिलिप सेम्मेल्वेईस (1818-1865) एक हंगेरियन चिकित्सक एवं वैज्ञानिक थे जिन्हें अब एंटीसेप्टिक प्रक्रियाओं के शुरुआत करने वाले अग्रदूत के रूप में जाना जाता है।
- 'माताओं का उद्धारकर्त्ता' (Saviour of Mothers) के रूप में प्रसिद्ध सेम्मेल्वेईस ने पाया कि प्रसवजन्य बुखार [जिसे 'प्रसूति बुखार' (Childbed fever) भी कहा जाता है] की बीमारी को हाथ कीटाणुशोधन द्वारा काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- वर्ष 1847 में सेम्मेल्वेईस ने क्लोरीनयुक्त चूना विलयन से हाथ धोने की प्रथा शुरु की थी।
- सेम्मेल्वेईस ने अपने निष्कर्षों पर आधारित एटिओलॉजी (Etiology) की एक पुस्तक 'कॉन्सेप्ट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चाइल्डबेड फीवर' (Concept and Prophylaxis of Childbed Fever) प्रकाशित की।
- जब लुई पाश्चर (Louis Pasteur) ने रोगों के जीवाणु सिद्धांत (Germ Theory of Disease) की पुष्टि की तब सेम्मेल्वेईस की हाथ धोने की प्रथा ने उनकी मृत्यु के पश्चात व्यापक स्वीकृति अर्जित की।

रेपो दर और रिवर्स रेपो दर

COVID-19 महामारी के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने रेपो दर (Repo Rate) में 75 आधार अंकों की कटौती कर 4.4% कर दी है जबकि रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) में 90 आधार अंकों की कटौती करके 4% कर दी है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 मार्च से 1 वर्ष के लिये सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio- CRR) को 100 आधार अंक घटाकर 3% कर दिया।.
- जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF) 4.65% है। वहीं सांविधिक चलनिधि अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR) 18.25% है।

रेपो दर (Repo Rate):

- रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेते हैं। रेपो दर में कटौती कर RBI बैंकों को यह संदेश देता है कि उन्हें आम लोगों और कंपनियों के लिये ऋण की दरों को आसान करना चाहिये।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate):

- यह रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है अर्थात् जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिज़र्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिज़र्व बैंक उन्हें ब्याज देता है। रिज़र्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio- CRR):

- प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिज़र्व का एक निश्चित हिस्सा रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है जिससे किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्त्ताओं को यदि रकम निकालने की ज़रूरत महसूस हो तो बैंक को पैसा चुकाने में दिक्कत न आए।

सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF):

- यह वह दर है जिससे रिज़र्व बैंक से एक रात के लिये कर्ज़ लिया जा सकता है। यह 2011-2012 में आरबीआई की मौद्रिक नीति के बाद अस्तित्व में आया।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR):

- वाणिज्यिक बैंकों के लिये अपने प्रतिदिन के कारोबार के बाद नकद, सोना और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में एक निश्चित धनराशि रिज़र्व बैंक के पास रखना ज़रूरी होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी आपात देनदारी को पूरा करने में किया जा सकता है। वह दर जिस पर बैंक यह धनराशि सरकार के पास रखते हैं उसे सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) कहते हैं। इसके तहत अपनी कुल देनदारी के अनुपात में सोना सरकारी अनुमोदित बॉन्ड के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है।
- RBI द्वारा लिये गए इन निर्णयों से भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

गौरतलब है कि RBI के ये निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 26 मार्च, 2020 को 21 दिन के कोरोनवायरस लॉकडाउन के प्रभाव को सीमित करने के लिये 1.7 ट्रिलियन रुपए के राहत पैकेज की घोषणा के बाद किये गए हैं।

इल्युशिन (IL) 38 SD

COVID-19 के मद्देनज़र 21 दिन के लॉकडाउन के कारण गोवा में फेस मास्क की आपूर्ति करने के लिये भारतीय नौसेना के एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकोनिसेंस एयरक्राफ्ट (Long Range Maritime Reconnaisence Aircraft) इल्युशिन (आईएल) 38 एसडी (IlyushinIL- 38 SD) का उपयोग किया गया।

इल्युशिन (आईएल) 38 एसडी के बारे में

- IL 38 SD विमान इल्युशिन (IL) 18 का उन्नत संस्करण है। यह एक समुद्री गश्ती और एंटी सबमरीन वारफेयर (ASW) विमान है जिसे रूस स्थित इल्युशिन ऐविऐशन कॉम्प्लेक्स (Ilyushin Aviation Complex) द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- IL 38 SD विमान के पहले वायु गतिकीय प्रोटोटाइप ने वर्ष 1961 में अपनी पहली उड़ान भरी थी।
- वर्तमान में यह विमान रूसी नौसेना एवं भारतीय नौसेना में सेवाएँ प्रदान कर रहा है। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2001 में पाँच विमानों को उन्नत करने के लिये रूस से अनुबंध किया था।
- रूसी नौसेना और भारतीय नौसेना के उन्नत IL 38 को क्रमश: IL 38N और IL 38SD के रूप में नामित किया गया।
- विमान के एंटी-सब सिस्टम को आधुनिक एवं कॉम्पैक्ट सिस्टम से बदल दिया गया जिसे नोवेल्ला (Novella) अर्थात् सी ड्रैगन (Sea Dragon) के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान में यह विमान आईएनएस हंसा (INS Hansa) में तैनात है, आईएनएस हंसा भारत के गोवा राज्य में डाबोलिम (Dabolim) के पास स्थित एक भारतीय नौसैनिक हवाई अड्डा है।

अर्र-रिनाम

26 मार्च, 2020 को पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक जनजातीय लाकडाउन अनुष्ठान अर्र-रिनाम (Arr-Rinam) आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से चीन के हुबेई प्रांत से सबसे नज़दीक है जहाँ से COVID-19 का प्रकोप शुरू हुआ था।

मुख्य बिंदुः

- सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग (West Siang) ज़िले में औपचारिक रूप से 26 मार्च, 2020 को शाम 5 बजे से यह जनजातीय लॉकडाउन शुरू किया गया था।
- 48 घंटे का यह लॉकडाउन अनुष्ठान गालो (Galo) जनजाति द्वारा COVID-19 महामारी के प्रकोप से बचने के लिये स्थानीय लोगों की सर्वसम्मति से लगाया गया है।
    - गालो अरुणाचल प्रदेश की 26 प्रमुख जनजातियों में से एक है जो पश्चिमी सियांग ज़िले में निवास करती है।
- महामारी से बचने के लिये अर्र रिनाम में गालो संस्कृति के अली-तरणम (Ali-Ternam) अनुष्ठान का पालन किया जाता है।
    - अली-तरणम में अली (Ali) का अर्थ 'महामारी' जबकि तरणम (Ternam) का अर्थ 'पहले से ही रोकना' है।
    - अर्र-रिनाम को अंतिम बार लगभग चार दशक पहले जब पानी से होने वाली बीमारी ने गालो जनजाति के लोगों को प्रभावित किया था, मनाया गया था।
    - गालों लोगों द्वारा समय-समय पर पशुओं, मुख्य रूप से जंगली मिथुन (Mithun) के लिये ये अनुष्ठान किया जाता है, जो संक्रामक रोगों से बहुत जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। 40 वर्षों में यह पहली बार है जब यह अनुष्ठान मनुष्यों की सुरक्षा के लिये किया गया।
- इस अनुष्ठान में भारत सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए केवल कुछ लोगों ने ही भाग लिया और पश्चिमी सियांग ज़िले के पाँच प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को सील करने के साथ यह अनुष्ठान समाप्त हो गया। तथा लोगों ने 48 घंटे के लिये अपने आपको घरों में बंद कर लिया और बाहर से किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।

मोटोर (Motor):

- पूर्वी सियांग और लोअर दिबांग घाटी ज़िलों में निवास करने वाले आदि (Adi) समुदाय ने भी अर्र-रिनाम की तरह का एक अनुष्ठान मोटोर (Motor) का आयोजन किया जो उन्हें विश्वास दिलाता है कि महामारी से निपटने हेतु जंगली जड़ी-बूटियों का पता लगाने के लिये पौराणिक शक्तियाँ ओझा (झाड़-फूंक करने वाला) को आज्ञा देती हैं।

अर्रुए (Arrue):

- अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे (Papum Pare) और पूर्वी कामेंग (East Kameng) जैसे ज़िलों के प्रमुख न्याशी (Nyishi) समुदाय ने अर्रुए (Arrue) का आयोजन किया जिसके तहत लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया।
- अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग (East Kameng) ज़िले के गाँवों में महामारी को रोकने के लिये ख्यासंग-रातार (Khyasang-Ratar) और मेरी (Merii) जैसे अनुष्ठान भी आयोजित किये जाते हैं।

COVID-19 से निपटने के लिये सार्क का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म

27 मार्च, 2020 को भारत ने COVID-19 महामारी से निपटने हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) के सदस्य देशों की मदद के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदुः

- भारत द्वारा की गई इस घोषणा को 15 मार्च, 2020 के वर्चुअल सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान तय किया गया था।
- इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संयुक्त रूप से सार्क देशों के बीच COVID-19 महामारी से निपटने हेतु सूचनाओं एवं ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।

नोट :

- जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुरू नहीं हो जाता तब तक सार्क देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में मदद करने के लिये एक व्हाट्सएप या ईमेल समूह की मदद ली जा रही है।
- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सार्क COVID-19 इमरजेंसी फंड (SAARC COVID-19 Emergency Fund) के लिये 10 मिलियन डॉलर की घोषणा के बाद COVID-19 महामारी से निपटने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की घोषणा इस दिशा में भारत द्वारा उठाया गया पहला कदम है।
    - सार्क COVID-19 इमरजेंसी फंड में भारत के अतिरिक्त नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के सहयोग से $15 मिलियन का फंड इकठ्ठा किया गया है।
- प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से आपातकालीन कर्मियों के प्रशिक्षण, रोग निगरानी और संयुक्त अनुसंधान में मदद मिलने की उम्मीद है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का सॉलिडेरिटी ट्रायल

27 मार्च, 2020 को भारत ने COVID -19 के उपचार हेतु वैश्विक स्तर पर दवाओं की खोज के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सॉलिडेरिटी ट्रायल (Solidarity Trial) में शामिल होने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- सॉलिडैरिटी ट्रायल चार अलग-अलग दवाओं या संयोजनों का परीक्षण करेगा जिनमें रेमडेसिविर (Remdesivir), दो दवाओं लोपिनावीर (Lopinavir) एवं रिटोनावीर (Ritonavir) का संयोजन, प्लस इंटरफेरॉन बीटा (Plus Interferon Beta) और क्लोरोक्वीन (Chloroquine) शामिल की गई हैं।
- सॉलिडैरिटी ट्रायल में इन दवाओं की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा। इन दवाओं को COVID-19 रोगियों की देखभाल के मानक के तौर पर उपयोग किया जाता हैं।
- वर्तमान में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) COVID-19 का इलाज खोजने के उद्देश्य से दवाओं की आण्विक संरचना का विश्लेषण कर रहा है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

- जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्धन के लिये भारत का यह शीर्ष निकाय विश्व के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। यह मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (Department of Health Research) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

भारत VIX सूचकांक

वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण भारतीय शेयर बाज़ार के अस्थिरता संकेतक 'भारत VIX सूचकांक' (India VIX Index) में गिरावट आई।

प्रमुख बिंदु

- 'भारत VIX सूचकांक' निकट भविष्य में बाज़ार में होने वाले उतार चढ़ाव की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
- सरल शब्दों में कहें तो, जहाँ एक ओर अस्थिरता (Volatility) स्टॉक अथवा सूचकांक के मूल्य में परिवर्तन की दर को दर्शाती है, वहीं 'भारत VIX सूचकांक' में परिवर्तन आगामी 30 दिनों में समग्र बाज़ार में होने उतार-चढ़ाव की उम्मीद को दर्शाता है।
- इस प्रकार 'भारत VIX सूचकांक' में बढ़ोतरी का अर्थ होता है कि बाज़ार निकट भविष्य में उच्च अस्थिरता की उम्मीद कर रहा है।
- 'भारत VIX सूचकांक' की गणना निफ्टी ऑप्शंस की ऑर्डर बुक के आधार पर राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) द्वारा की जाती है।

पृष्ठभूमि

- 'VIX सूचकांक' सर्वप्रथम वर्ष 1993 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन्स एक्सचेंज (Chicago Board Options Exchange-CBOE) द्वारा S&P 500 इंडेक्स (S&P 500 Index) की कीमतों के आधार पर विकसित किया गया था।
- तब से 'VIX सूचकांक' अमेरिकी इक्विटी बाज़ार में अस्थिरता के माप हेतु वैश्विक मान्यता प्राप्त सूचकांक बन गया है।
- 'भारत VIX सूचकांक' को वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था।

मौजूदा परिदृश्य

- वर्तमान में भारत समेत संपूर्ण विश्व कोरोनावायरस (COVID -19) महामारी ने दुनिया भर के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और भारतीय बाज़ार भी इस महामारी से बच नहीं सका है, इस महामारी के प्रभाव से 'भारत VIX सूचकांक' पाँच गुना बढ़कर 67 के स्तर पर पहुँच गया है।
- इसका स्पष्ट अर्थ है कि बाज़ार निकट भविष्य में उच्च अस्थिरता की उम्मीद कर रहा है।

गोंड जनजाति

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के तीव्र प्रसार के कारण देश में मास्क और ग्लव्स आदि की भारी कमी देखी जा रहा है, किंतु विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कोया और गोंड जनजाति के आदिवासी लोग कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये औषधीय पत्तियों के साथ अन्य पारंपरिक तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं।

जनजाति

- जनजातियाँ वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भू-भाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, रीति-रिवाज़ और भाषा होती है।
- सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंश, पूर्वज तथा देवी-देवता होते हैं। ये आमतौर पर प्रकृति पूजक होते हैं।
- जहाँ एक ओर भारतीय संविधान में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में परिभाषित किया गया है, वहीं देश भर में इन्हें कई अन्य नामों जैसे- आदिवासी, आदिम-जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक और कबीलाई समूह आदि के नाम से जाना जाता है।

गोंड जनजाति

- गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है इसका संबंध प्राक-द्रविड़ प्रजाति से है।
- गोंड जनजाति अधिकांशत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पाई जाती है।
- गोंड को चार भागों में उपविभाजित किया गया है:
  - राज गोंड
  - माड़िया गोंड
  - धुर्वे गोंड
  - खतुलवार गोंड
- गोंड जनजाति का प्रधान व्यवसाय कृषि है किंतु ये कृषि के साथ-साथ पशु पालन भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन बाजरा है जिसे ये लोग दो प्रकार (कोदो और कुटकी) से ग्रहण करते हैं।
- गोंडों का मत है कि पृथ्वी, जल और वायु देवताओं द्वारा शासित है। अधिकांश गोंड हिंदू धर्म को मानते हैं और बारादेव (जिनका अन्य नाम भगवान और श्री शंभू महादेव है) की पूजा करते हैं।

नोट :

रेड फ्लैग हवाई अभ्यास

अमेरिकी वायु सेना ने 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, रेड फ्लैग (Red Flag) के चरण-1 को रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी वायु सेना के इस बहुपक्षीय हवाई अभ्यास में भारतीय वायु सेना (IAF) अपने सुखोई Su-30 लड़ाकू जेट विमानों के साथ भाग लेने वाली थी।
- अमेरिकी वायु सेना के अनुसार, इस हवाई अभ्यास को रद्द करने का निर्णय COVID-19 के कारण यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए लिया गया है।

रेड फ्लैग एयर एक्सरसाइज़

- रेड फ्लैग हवाई अभ्यास एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जो अमेरिकी वायु सेना द्वारा एक वर्ष में कई बार आयोजित किया जाता है।
- इस अभ्यास में अमेरिकी वायु सेना, नाटो और अन्य संबद्ध देशों के सैन्य पायलटों तथा अन्य उड़ान चालक दल के सदस्यों को वास्तविक हवाई-युद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- इस बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास की की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी।
- इस अभ्यास का मूल उद्देश्य वियतनाम युद्ध के दौरान वायु सेना के लड़ाकू पायलटों के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारणों को जानना और उसमें सुधार करना था।
- यह अभ्यास अमेरिकी वायु सेना, अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी समुद्री सैन्य दल, अमेरिकी सेना और कई नाटो तथा अन्य संबद्ध देशों की वायु सेना को एक मंच पर लाता है।

COVID-19 समाधानों को मापने एवं प्रोत्साहित करने हेतु देशव्यापी प्रयास

COVID-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न जन स्वास्थ्य संकट से लड़ने की देशव्यापी ज़रूरत को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इसकी स्वायत्त संस्थाओं व वैज्ञानिक निकायों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को समन्वित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- DST के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) ने उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अनुसंधान की तीव्र आवश्यकता (Intensification of Research in High Priority Area-IRHPA) योजना के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।
  - इस योजना को COVID-19 और संबंधित श्वसन वायरल संक्रमण के लिये तैयार किया गया है।
  - इसका उद्देश्य नए वायरल रोधी टीके और किफायती जाँच व इलाज के लिये R&D प्रयासों को मजबूती प्रदान करना है।
- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) भारत सरकार की वैधानिक संस्था है जो DST के अंतर्गत कार्य करती है। बोर्ड ने COVID-19 मरीज़ों की सुरक्षा एवं आवास आधारित श्वसन हस्तक्षेपों के लिये प्रस्ताव मांगे हैं।
  - TDB में लगभग 190 कंपनियां पंजीकृत हैं और ये कंपनियां कोविड-19 जाँच किट, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर का निर्माण/कलपुर्जे, मास्क निर्माण आदि के लिये समाधान का प्रस्ताव दे रही हैं।
- श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (SCTIMST) त्रिवेन्द्रम, DST के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जिसने COVID-19 की चुनौतियों के समाधान के लिये 8 अलग-अलग प्रकार के प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया है।

नोट :

- DST के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के पास पूरे देश में 150 से अधिक इनक्यूवेशन केंद्र हैं।
  - ये केंद्र COVID-19 जैसी बीमारियों से लड़ने के लिये नए नवाचारों की मैपिंग कर रहे हैं।
- R&D प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थाओं, इनक्यूवेशन केंद्रों तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों में तकनीकों की मैपिंग के लिये DST ने "COVID-19 टास्क फोर्स" का गठन किया है।
- उल्लेखनीय है कि DST ने वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं, अनुसंधानकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों, इनक्यूबेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों से तालमेल स्थापित किया है ताकि COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

अर्थ ऑवर-2020

विश्व भर में प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में मनाये जाने वाले अर्थ ऑवर (Earth Hour) को इस वर्ष 28 मार्च, 2020 को मनाया गया।

थीम:

- इस वर्ष के अर्थ ऑवर का थीम 'जलवायु परिवर्तन एवं सतत् विकास' (Climate Change and Sustainable Development) है।

उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण के लिये गैर-जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिये प्रोत्साहित करना है।

आयोजित किया जाता है?

- इसे विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund- WWF) द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को पहली बार वर्ष 2007 में सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में मनाया गया था।

मुख्य बिंदु:

- अर्थ आवर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके तहत लोगों, सरकारी कार्यालयों एवं शहरी केंद्रों को पर्यावरण संरक्षण हेतु एक प्रतीक के रूप में घंटे भर (स्थानीय समयानुसार रात 8:30 से रात 9:30 तक) के लिये गैर-आवश्यक रोशनी बंद करने की आवश्यकता होती है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के मद्देनज़र दुनिया भर के राष्ट्रों द्वारा लाकडाउन किये जाने के कारण इस वर्ष अर्थ आवर से संबंधित सभी कार्यक्रम डिजिटल तरीके से आयोजित किये गए।
- वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर 180 देशों की भागीदारी के साथ अर्थ आवर अब एक अग्रणी पर्यावरण संरक्षण आंदोलन बन गया है।

पोर्टेबल यूवी सैनिटाइज़र

हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर (IDC) ने एक पोर्टेबल यूवी सैनिटाइज़र (UV Sanitiser) विकसित किया है जो वॉलेट, पर्स एवं अन्य छोटी वस्तुओं को जीवाणुरहित बना सकता है।

मुख्य बिंदु:

- इस पोर्टेबल यूवी सैनिटाइज़र को स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों एवं एल्यूमीनियम जाल का उपयोग करके बनाया गया है।
- अभी यह प्रूफ-आफ-कॉन्सेप्ट (Proof-of-Concept) चरण में है और इसे यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (US National Library of Medicine) द्वारा 'PubMed' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है।
  - यह अध्ययन इस वर्ष जनवरी 2020 में प्रकाशित हुआ था जो बताता है कि कैसे पराबैंगनी सी लाइट (Ultraviolet- C Light) सार्स कोरोनोवायरस, क्रीमियन-कांगो हेमोर्रेजिक फीवर वायरस (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus) और निपाह वायरस (Nipah Virus) को निष्क्रिय कर सकती है।

क्रीमियन-कांगो हेमोर्रजिक फीवर वायरस
(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus- CCHF Virus):

- क्रीमियन-कांगो हेमोर्रजिक फीवर (CCHF) एक विषाणुजानित रोग है।
- CCHF के शुरूआती लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, उल्टी, दस्त एवं त्वचा से रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं।
- यह वायरस अफ्रीकी देशों, बाल्कन देशों, मध्य पूर्व एवं एशिया में किसी विशेष समय एवं स्थान पर अचानक फैलता है।
- वर्ष 2013 में ईरान, रूस, तुर्की एवं उज्बेकिस्तान में इस वायरस से कई लोग संक्रमित हुए थे किंतु पहली बार इस वायरस का पता 1940 के दशक में लगाया गया था।

ऑपरेशन नमस्ते

28 मार्च, 2020 को भारतीय सेना ने COVID-19 महामारी के खिलाफ भारत सरकार की मदद करने के लिये एंटी COVID-19 अभियान ऑपरेशन नमस्ते (Operation Namaste) लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु:

- इस ऑपरेशन के तहत सैनिकों को निर्देश दिया गया जहाँ उनकी कोई परिचालन भूमिका नहीं है वे लॉकडाउन का पालन करें एवं फिट रहें और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके परिवारों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा।
  - ऑपरेशन नमस्ते अभियान के हिस्से के रूप में सेना ने प्रत्येक कमांड के लिये अलग- अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं। इसके अलावा सैनिकों के परिवारों के लिये आपातकालीन स्थिति में नज़दीकी आर्मी कैंप में चिकित्सा सुविधाएँ भी स्थापित की गई हैं।
- इसके अंतर्गत कोरोनोवायरस प्रभावित देशों से वापस लाए गए 1463 लोगों के लिये मानेसर, जैसलमेर, जोधपुर, चेन्नई, हिंडन एवं मुंबई में अब तक छह क्वारंटाइन सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।
  - भारतीय सेना कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोच्चि, डंडीगल, बेंगलुरु, कानपुर, जैसलमेर, जोरहाट एवं गोरखपुर में ऐसी और सुविधाएँ स्थापित कर रहे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर 72 घंटों के भीतर तैयार हो सकती हैं।
- देश भर के 28 सशस्त्र बल अस्पतालों को COVID अस्पताल के रूप में चिह्नित किया गया है। इन अस्पतालों में सशस्त्र बल के रोगियों के साथ-साथ राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्थानांतरित किये जाने वाले आम रोगी भी शामिल किये जायेंगे।
  - थल सेना, नौसेना और वायु सेना के पाँच अस्पतालों में आरटी-पीसीआर पद्धति (RT-PCR Methodology) का उपयोग करके कोरोनोवायरस परीक्षण किया जा रहा है तथा अन्य अस्पतालों को भी शीघ्र ही विभिन्न संसाधनों से सुसज्जित कर दिया जायेगा।
  - 62 छावनी बोर्डों को अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की पहचान करने तथा किसी भी परिस्थिति में COVID-19 से संबंधित सुविधाएँ प्रदान करने के निर्देश दिये गए हैं।

गौरतलब है कि इस ऑपरेशन के तहत गोवा में फेस मास्क की आपूर्ति करने के लिये हाल ही में भारतीय नौसेना के इल्युशिन (आईएल) 38 एसडी का उपयोग किया गया था।

केकियांग सूचकांक

COVID-19 महामारी के परिदृश्य में चीन के जीडीपी से संबंधित आँकड़े जो विशेषत: केकियांग सूचकांक (Keqiang Index) द्वारा दर्शाए जाते हैं, चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं।

मुख्य बिंदु:

- तीन संकेतकों का उपयोग करके चीनी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिये द इकोनामिस्ट (The Economist) द्वारा विकसित किया गया 'ली केकियांग सूचकांक' (Li Keqiang Index) या केकियांग सूचकांक (Keqiang Index) एक आर्थिक माप सूचकांक है।

द इकोनामिस्ट (The Economist):

- द इकोनॉमिस्ट पत्रिका-प्रारूप में छपने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र है जो विश्व समाचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति पर केंद्रित है।
- इंग्लैंड में स्थित इस समाचार पत्र का स्वामित्त्व इकोनॉमिस्ट ग्रुप (Economist Group) के पास है जिसके उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया एवं मध्य-पूर्व के प्रमुख शहरों में संपादकीय कार्यालय हैं।
- इस सूचकांक में निम्नलिखित तीन विश्वसनीय संकेतकों का उपयोग किया जाता है:
  1. रेलवे कार्गो की क्षमता
  2. बिजली की खपत
  3. बैंकों द्वारा वितरित किया गया ऋण
- ली केकियांग ने वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर चीन के एक तटीय प्रांत लिओनिंग (Liaoning) की आर्थिक वृद्धि मापने के लिये तीन संकेतकों रेलवे कार्गो क्षमता, बिजली की खपत और बैंकों द्वारा वितरित ऋण का इस्तेमाल किया था।
  - ली केकियांग (Li Keqiang) वर्तमान में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (People's Republic of China) के प्रमुख हैं। ली केकियांग जीडीपी की आधिकारिक आँकड़ों की तुलना में केकियांग सूचकांक को बेहतर आर्थिक संकेतक मानते हैं।
- ली केकियांग (Li Keqiang) के अनुसार, इन तीन आँकड़ों के आधार पर चीन के आर्थिक विकास की गति को अधिक सटीकता के साथ मापा जा सकता है।

विविध

रेडर-एक्स (RaIDer-X)

पुणे में आयोजित राष्ट्रीय विस्फोटक डिटेक्शन कार्यशाला (NWED-2020) में आज रेडर–एक्स (RaIDer-X) नामक एक नए विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का अनावरण किया गया। रेडर-एक्स में एक दूरी से विस्फोटकों की पहचान करने की क्षमता है। शुद्ध रूप में अनेक विस्फोटकों के साथ-साथ मिलावट वाले विस्फोटकों का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिये सिस्टम में डेटा लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। इस डिवाइस के द्वारा छुपाकर रखे गए विस्फोटकों के ढेर का भी पता लगाया जा सकता है। हाई एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL), पुणे तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरू ने मिलकर रेडर-एक्स को विकसित किया है।

मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस

भारतीय वायुसेना की एक विशिष्ट पहल के रूप में भारतीय वायुसेना और पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ की स्थापना करने के लिये 26 फरवरी, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर शैक्षिक सहयोग स्थापित किया है। वायुसेना के दिग्गज मार्शल को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा एम.आई.ए.एफ. के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने इस पीठ को 'मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस' का नाम दिया है। यह पीठ वायुसेना के अधिकारियों को रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन तथा संबद्ध क्षेत्रों में डॉक्टरल अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन करने में समर्थ बनाएगी साथ ही राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र और वायु सेना अधिकारियों के संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगी। यह पीठ रणनीतिक दृष्टिकोण को विकसित करने तथा रणनीतिक विचारकों के पूल का निर्माण करने में भी मदद करेगी।

शून्य भेदभाव दिवस

1 मार्च, 2020 को 'महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव' की थीम के साथ विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस को महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव तथा असमानता को चुनौती देने के लिये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2014 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस को एड्स कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र (UN) का मानना है कि एड्स के उन्मूलन के लिये महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना सबसे महत्त्वपूर्ण है।

विश्व वन्यजीव दिवस

3 मार्च, 2020 को दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस वन्यजीवों के संरक्षण के महत्त्व के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया था। ज्ञात हो कि 3 मार्च, 1973 में वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को अंगीकृत किया गया था। वर्ष 2020 के लिये विश्व वन्यजीव दिवस की थीम "धरती पर सभी जीवों का संरक्षण (Sustaining all life on Earth) है। वर्ष 2020 को जैव विविधता का वर्ष माना गया है। भारत के लिये यह वर्ष मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष भारत ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई के लिये संगठन CoP-13 की अध्यक्षता प्राप्त की है। इस अवसर पर देश में जागरूकता शिविर, फोटो प्रदर्शनी तथा छात्रों और आम जनता को वन्यजीवों के संरक्षण का महत्त्व बताने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं।

'हमसफर' मोबाइल एप

श्रम एवं रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोरस्टेप डिलीवरी के लिये 'हमसफर' मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप की सहायता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटल, अस्पताल और हाउसिंग सोसाइटी अपने घर पर डीज़ल की डिलीवरी की जाएगी। अभी यह सुविधा गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हापुड, कुंडली, माणेसर और बहादुरगढ़ में उपलब्ध होगी। हमसफर के पास अभी 12 टैंकर हैं। इनकी क्षमता 4000 से 6000 लीटर की है। इन टैंकरों के अलावा हमसफर के पास 35 लोगों की एक अनुभवी टीम भी है।

जन औषधि सप्ताह

देश भर में 1 मार्च से 7 मार्च, 2020 तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य जाँच शिविर, जन औषधि परिचर्चा और "जन औषधि का साथ" जैसी विभिन्न गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। सप्ताह के दौरान जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश भर में रक्तचाप, मधुमेह की जाँच, डॉक्टरों द्वारा निशुल्क चिकित्सा जाँच और दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में आने वाले लोगों को जन औषधि केंद्रों में बेची जा रही रही दवाओं की गुणवत्ता और उनकी कम कीमतों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

बलबीर सिंह कुलार

पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुलार का 28 फरवरी, 2020 को निधन हो गया। हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह का जन्म वर्ष 1942 में पंजाब के संसारपुर गाँव में हुआ था। बलबीर सिंह कुलार ने हॉकी की शुरुआत स्कूल में पढ़ाई के दौरान की थी। पढ़ाई के साथ-साथ अच्छा खेलने के कारण उन्हें पंजाब की हॉकी टीम में स्थान मिला। वर्ष 1962 में बलबीर सिंह कुलार को पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस में ASI के तौर पर नियुक्त किया। बलवीर सिंह कुलार ने वर्ष 1963 में भारतीय टीम की तरफ से अपना पहला इंटरनेशनल हॉकी मैच फ्राँस में खेला था। ध्यातव्य है कि कुलार वर्ष 1966 में बैंकॉक एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक, वर्ष 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। बलबीर सिंह कुलार को वर्ष 1999 में अर्जुन अवार्ड और 2009 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

क्रिप्टोकरेंसी

सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगी रोक को हटा दिया है। ध्यातव्य है कि अप्रैल 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर रोक लगा दी थी, किंतु अब सर्वोच्च न्यायालय ने RBI द्वारा जारी आदेश को खारिज कर क्रिप्टोकरेंसी पर रोक को हटा दिया है। गौरतलब है कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी के क्रय, विक्रय, वितरण, माइनिंग पर रोक लगाने के लिये ड्राफ्ट विधेयक भी तैयार कर चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का अर्थ है कि अब देश में क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन शुरू हो सकेगा। क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर-टू-पीयर कैश सिस्टम है। इसे डिजिटल वालेट में रखा जा सकता है। दरअसल क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल के लिये बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं होती।

संजय कुमार पांडा

अनुभवी राजनयिक संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। पांडा 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं और वर्तमान में वह सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। तुर्की में संजय कुमार पांडा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भारत और तुर्की के संबंधों में तनाव बना हुआ है। 370 पर प्रतिक्रिया के पश्चात् भारत ने तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों से अलग रहने को कहा था।

स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार

असम में वन संरक्षण में बहुमूल्य योगदान देने वाले और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पर्यावरणविद् जादव मोलाई पायेंग को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पूर्वोत्तर भारत से जुड़े विषयों पर कार्य करने वाली संस्था माय होम इंडिया के तत्वावधान में आयोजित स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। असम के जोरहट के निवासी जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया और पर्यावरण कार्यकर्त्ता के रूप में जाना जाता है। जादव मोलाई पायेंग ने अपने जीवन के 30 वर्ष पर्यावरण संरक्षण में बिताए हैं।

गूगल क्लाउड क्षेत्र

गूगल ने वर्ष 2021 तक दिल्ली में भारत का अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि यह भारत में गूगल का दूसरा क्लाउड क्षेत्र होगा, इससे पूर्व गूगल ने अपना पहला क्लाउड क्षेत्र वर्ष 2017 में मुंबई में खोला था। वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल के कुल 22 क्लाउड क्षेत्र हैं। गूगल क्लाउड सेवाएँ दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध हैं। गूगल क्लाउड क्षेत्रों में डाटा संग्रहीत किया जाता है। ये डेटा स्टोरेज क्षेत्र कई कंपनियों को अपना डेटा स्टोर करने और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। भारत में 5 करोड़ से अधिक छोटे और मझोले उद्योग (SMB) हैं, जो भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाता है। अत: भारत में गूगल के लिये अच्छा बाज़ार मौजूद है।

शुद्धानंद महात्रो

बंग्लादेश बौद्ध क्रिस्टी प्रचार संघ के प्रमुख संघनायक शुद्धानंद महात्रो का 88 वर्ष की उम्र में ढाका में निधन हो गया है। शुद्धानंद महात्रो बंग्लादेश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रमुख थे। वे अनेक सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों और अपने अनाथालय धर्मराजिका बौद्ध मठ के माध्यम से 350 से अधिक बच्चों का पालन-पोषण कर रहे थे। बंग्लादेश सरकार ने वर्ष 2012 में उन्हें एकुशे पदक से सम्मानित किया। 2011 की जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार, बंग्लादेश में बौद्ध अनुयायियों की संख्या कुल जनसंख्या का 0.6 प्रतिशत है। बंग्लादेश में अधिकांश बौद्ध अनुयायी चटगाँव और उसके आसपास रहते हैं।

सुनील जोशी

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सुनील जोशी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया है। जोशी चयन समिति में एम. एस. के. प्रसाद का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल इसी वर्ष जनवरी में समाप्त हुआ। एम. एस. के. प्रसाद चार वर्ष तक चीफ सेलेक्टर के पद पर रहे। सुनील जोशी का जन्म 6 जून, 1970 को कर्नाटक के गदग ज़िले में हुआ। सुनील जोशी एक ऑलराउंडर हैं, जो बाएँ हाथ के धीमी गति के गेंदबाज़ थे और बाएँ हाथ से बल्लेबाज़ी करते थे। सुनील जोशी ने भारत की ओर से कुल 15 टेस्ट मैच और 69 एक दिवसीय मैच खेले। सुनील जोशी ने 21 जून, 2012 को प्रथम श्रेणी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की औपचारिक घोषणा की थी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका कुल परिव्यय 1,40,881 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के दूसरे चरण में शौचालय तक पहुँच और उपयोग के संदर्भ में पिछले पाँच वर्षों में कार्यक्रम के पहले चरण में हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है । अभियान के दूसरे चरण में सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए।

राम वन गमन पथ

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में ''राम वन गमन पथ'' निर्माण के लिये ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में 'राम वन गमन पथ' निर्माण के लिये ट्रस्ट के गठन को मंज़ूरी मिल गई है। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा जहाँ भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास काल में पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया था। आधिकारिक सूचना के अनुसार, ट्रस्ट के पदेन सचिव प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। ट्रस्ट में अन्य सदस्य भी शामिल किये जाएंगे किंतु अभी उनकी संख्या तय नहीं की गई है।

स्टूडेंट हेल्थ कार्ड

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 5 मार्च को जम्मू में 'स्टूडेंट हेल्थ कार्ड' योजना की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल जी.सी. मुरमू ने एक कार्यक्रम में किया। इसका आयोजन शिक्षक दिवस पर जम्मू के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्कूल शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की नियमित जाँच सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नियमित जाँच के माध्यम से स्कूल के बच्चों और उनके माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इससे पहले सरकार ने ज़रूरतमंद स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये कुपोषण को रोकने के उद्देश्य से मिड-डे मील योजना लॉन्च की थी।

बिमल जुल्का

बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। विदित हो कि इससे पूर्व वे सूचना आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे थे। पिछले मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव 11 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। बिमल जुल्का 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्तूबर, 2005 को किया गया था। आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है। आयोग की शक्तियाँ और कार्य सूचना अधिकार अधिनियम की धारा- 18, 19, 20 और 25 में उल्लिखित हैं।

नोट :

महाराजा रणजीत सिंह

BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगज़ीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में महाराजा रणजीत सिंह का चयन विश्व में सर्वकालिक 'सबसे महान नेता' के रूप में किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह को एक सहिष्णु साम्राज्य बनाने के लिये 38 प्रतिशत से अधिक वोटों के साथ चुना गया। सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहे एमिलकर कैबरल को 25 प्रतिशत वोट मिले। कैबरल अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अफ्रीकी स्वतंत्रता में प्रमुख भूमिका निभाई थी। महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सदी के सिख साम्राज्य के भारतीय शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर, 1780 को गुजरांवाला, पाकिस्तान में हुआ था। उन्हें 'पंजाब का शेर' नाम से भी जाना जाता है और सबसे महान सिख नेताओं में गिना जाता है। रणजीत सिंह ने न केवल पंजाब को एकजुट रखा, बल्कि अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी।\

गौरा देवी

चिपको वूमन के नाम से मशहूर गौरा देवी को वर्ष 1974 में शुरु हुए विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। गौरा देवी का जन्म वर्ष 1925 में चमोली ज़िले के लाता गांव में हुआ था। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के पश्चात् भारत सरकार ने चमोली में सैनिकों के लिये सुगम मार्ग बनाने हेतु पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जिससे बाढ़ से प्रभावित लोगों में पहाड़ों के प्रति चेतना जागी। इसी चेतना के कारण प्रत्येक गांव में महिला मंगल दलों की स्थापना की गई, वर्ष 1962 में गौरा देवी को रैंणी गांव की महिला मंगल दल का अध्यक्ष चुना गया। गौरा देवी पेड़ों के कटने से रोकने के साथ ही वृक्षारोपण के कार्यों में भी संलग्न रहीं, उन्होंने ऐसे कई कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। गौरा देवी को ग्राम स्वराज्य मंडल की 30 महिला मंगल दल की अध्यक्षाओं के साथ भारत सरकार ने वृक्षों की रक्षा के लिये वर्ष 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार भी प्रदान किया था। गौरा देवी का 4 जुलाई, 1991 को निधन हो गया।

नारी शक्ति पुरस्कार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2019 के लिये नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किये। ये पुरस्कार 15 प्रतिष्ठित महिलाओं को विशेष रूप से असहाय और वंचित महिलाओं के उत्थान की दिशा में किये गए उत्कृष्ट प्रयासों हेतु प्रदान किये गए। नारी शक्ति पुरस्कार के लिये नामित केरल के कोल्लम के अलाप्पुझा की भागीरथी अम्मा पुरस्कार प्राप्त करने के लिये दिल्ली नहीं आ सकीं। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित की जानी वाली कुछ प्रमुख हस्तियाँ इस प्रकार हैं: रश्मि उर्ध्वदेशे (60), ताशी मलिक और नुंग्शी मलिक (28), पडाला भूदेवी (40), कलावती देवी (58), कौशिकी चक्रवर्ती (38), अवनी चतुर्वेदी (26), भवान् कंठ (27), मोहना सिंह जीतवाल (28), भगीरथी अम्मा (105), कारथायिनी अम्मा (98), चामी मुर्मू (47), निलजा वांगमो (40), बीना देवी (43), मान कौर (103), आरिफा जान (33)। नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है जो व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा समाज में महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की दिशा में किये गए असाधारण योगदान को स्वीकारोक्ति देने के रूप में मनाया जाता है।

परिसीमन आयोग

जम्मू-कश्मीर व चार पूर्वोत्तर राज्यों के लिये परिसीमन आयोग गठित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा-3 के तहत निहित शक्तियों से ही केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड राज्यों में संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है। विदित है कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अब इस केंद्र शासित प्रदेश में सात विधानसभा सीटें बढ़नी हैं।

ICC महिला टी20 विश्व कप

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पाँचवीं बार टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 08 मार्च, 2020 को फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को 85 रन से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। 185 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम केवल 99 रन ही बना सकी। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 184 रन बनाए थे।

नोट :

हॉकी इंडिया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में वर्ष 2019 के लिये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि तीन बार के ओलंपियन हरविंदर सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान प्रदान किया गया। मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को इन पुरस्कारों के तहत 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 बनने के लिये दस लाख रुपए की राशि भी प्रदान की। जबकि हरविंदर सिंह को 30 लाख रुपए प्रदान किये गए। ध्यातव्य है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी हरविंदर सिंह ने अपने कॅरियर में एक ओलंपिक स्वर्ण और दो ओलंपिक कांस्य पदक के अलावा एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक भी जीता है।

बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा

बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब 'जॉय बांग्ला' होगा। यह फैसला बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने लिया है। उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस संबंध में सभी संवैधानिक पदों पर कार्यरत लोगों और राज्य के अधिकारियों को राष्ट्रीय दिवस तथा अन्य उचित अवसरों पर भाषण के अंत में 'जॉय बांग्ला' कहने के लिये उचित कदम उठाने को कहा है। साथ ही अधिकारियों से अध्यापकों और छात्रों को सभा के बाद 'जॉय बांग्ला' नारा बोलना सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। विदित है कि 'जॉय बांग्ला' वर्ष 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान प्रमुख नारा था। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने भी 7 मार्च, 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के उद्घोष के बाद 'जॉय बांग्ला' के नारे का प्रयोग किया था।

'विज्ञान ज्योति' पहल

8 मार्च, 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद (TIFAC) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'विज्ञान ज्योति' पहल को लॉन्च किया है। 'विज्ञान ज्योति' पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान को अपने भविष्य के रूप में चुनने के लिये प्रोत्साहित करना और STEM शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत चयनित महिलाओं को देश के NITs, IITs और अन्य प्रमुख संस्थानों में आयोजित होने वाले विज्ञान शिविरों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। STEM का पूर्ण स्वरूप विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (Science, Technology, Engineering, Mathematics) है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force-CISF) का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में CISF अधिनियम, 1968 के तहत की गई थी। यह एक अर्द्धसैनिक बल है, जिसका कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह देश के विभिन्न महत्त्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल के जवानों की संख्या लगभग 1.50 लाख है।

एस.एस. देसवाल

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक एस.एस. देसवाल को सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं BSF के निदेशक विवेक जौहरी को वापस मध्य प्रदेश कैडर में भेज दिया गया है। इससे पूर्व एस.एस. देसवाल सीमा सुरक्षा बल (BSF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक रह चुके हैं। वे 1984 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की सुरक्षा करती है, इसे भारतीय क्षेत्र की सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। BSF का गठन 1 दिसंबर, 1965 को किया गया था, इसका उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसका गठन कई राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के विलय से किया गया था। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का गठन वर्ष 1962 में किया गया था, ITBP को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मध्य तैनात किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय ITBP देश भर में बचाव और राहत अभियान चलाता है।

COVID एक्शन प्लेटफॉर्म

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने कोरोनोवायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से 'COVID एक्शन प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य निजी क्षेत्र की सहायता से कोरोनावायरस के प्रकोप को रोकने के लिये कार्य करना है। इस प्लेटफॉर्म का प्रमुख कार्य आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत बनाना है ताकि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण और दवाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण विश्व भर के 200 कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ विचार-विमर्श करके किया गया है। विश्व आर्थिक मंच एक गैर-लाभकारी

एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है।

विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य समझौता

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश में कुछ चयनित ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) की जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। हिमाचल प्रदेश में जल की स्रोत स्थिरता और जलवायु लचीली वर्षा-आधारित कृषि के लिये एकीकृत परियोजना 10 ज़िलों की 428 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी, इससे 4,00,000 से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और देहाती समुदायों को लाभ होगा। कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियों के लिये जलवायु लचीलेपन को बढ़ाना इस परियोजना का एक प्रमुख घटक है जिसके लिये पानी एक कुशल उपयोग केंद्र बिंदु है। इस परियोजना के तहत जल गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिये हाइड्रोलॉजिकल निगरानी स्टेशन भी स्थापित किये जाएंगे।

वसीम जाफर

प्रसिद्ध भारतीय बल्लेबाज़ वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 42 वर्षीय वसीम जाफर ने भारत के लिये अपना अंतिम टेस्ट मैच अप्रैल 2008 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कानपुर में खेला था। ध्यातव्य है कि रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने के साथ-साथ सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड वसीम जाफर के नाम ही है। घरेलू क्रिकेट में अद्वितीय प्रदर्शन के कारण वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2008 तक वसीम जाफर ने कुल 31 टेस्ट मैचों और 2 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम परिवर्तन

12 मार्च, 2020 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन के नाम में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल किया जाएगा। यह प्रस्ताव रेल मंत्रालय के पास भेजा गया है। जगन्नाथ शंकर सेठ एक शिक्षाविद् थे। विदित है कि वर्ष 1845 में भारत में रेलवे की स्थापना के लिये उन्होंने जमशेदजी जीजीभाय के साथ मिलकर भारतीय रेलवे एसोसिएशन का गठन किया था। साथ ही नाना जगन्नाथ शंकर सेठ ने बॉम्बे एसोसिएशन की भी स्थापना की जो बॉम्बे प्रेसीडेंसी में पहला राजनीतिक संगठन था। रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन के लिये कानून या संविधान में कोई नियम या प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर राज्य सरकार रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करती है। इसके पश्चात् यह प्रस्ताव केंद्र में रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाता है। वहीं शहरों, कस्बों या गाँवों का नाम परिवर्तन प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा जाता है और इस संदर्भ में अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय का होता है।

आरोग्य मित्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है, जो सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, ये आरोग्य मित्र अपने निर्धारित क्षेत्र में न सिर्फ प्रदेश व केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और पोषण मिशन की जानकारी देंगे बल्कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिये मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे।

एशियाई विकास बैंक

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने COVID -19 की महामारी से निपटने के लिये दवा निर्माता कंपनियों को 200 मिलियन डालर की सहायता देने की घोषणा की है। यह वित्तीय सहायता ADB की आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और चयनित कंपनियों को प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कंपनियों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना है ताकि कोरोनावायरस के प्रकोप को दूर किया जा सके। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को की गई थी। इस बैंक ने 1 जनवरी, 1967 को कार्य करना शुरू किया था। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था। इसकी अध्यक्षता जापान द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। वर्ष 2019 में निउए (Niue) को इस समूह में शामिल किया गया था।

नोट :

'प्रगति' CSR पहल

फेसबुक ने हाल ही में 'प्रगति' नाम से भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल शुरू की है। इस पहला का उद्देश्य भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह परियोजना महिलाओं के उद्यमिता पर कार्य करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराएगी। इस पहल के तहत प्रत्येक गैर-लाभकारी संगठन के लिए को 50 लाख रुपए तक के चार वित्तीय अनुदान प्रदान किये जाएंगे। CSR से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, जैसे- संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है।

दिल्ली विधानसभा में NRC और NPR के विरुद्ध प्रस्ताव पारित

हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR) के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस संदर्भ में आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से NRC और NPR वापस लेने की अपील की। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व बिहार विधानसभा में NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों का विवरण शामिल किया गया था। वहीं NPR 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है। गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' वह व्यक्ति है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशिष्ट स्थान पर रहने का इरादा रखता है।

ग्राहक भुगतान पोर्टल

हिल (इंडिया) लिमिटेड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 'ग्राहक भुगतान पोर्टल' लॉन्च किया है। हिल (इंडिया) लिमिटेड के इस 'कस्टमर पेमेंट पोर्टल' का उद्देश्य अपने ग्राहकों से विभिन्न ऑनलाइन तरीकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना है, ताकि बकाया धनराशि का त्वरित एवं सुगम संग्रह हो सके। इस पोर्टल से हिल (इंडिया) लिमिटेड के ग्राहकों को किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अथवा ऑनलाइन वॉलेट से अपनी बकाया रकम का भुगतान त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से करने में मदद मिलेगी। हिल (इंडिया) लिमिटेड 'पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (HIL)', रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार का एक उद्यम है, इसकी स्थापना मार्च 1954 में भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को DDT नाम के आधुनिक कीटनाशक की आपूर्ति करने के उद्देश्य से की गई थी।

हरित राजमार्ग परियोजना

केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 7,660 करोड़ रुपए लागत की 780 किलोमीटर लंबी हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। ये चार राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इस परियोजना के तहत सड़कों के आसपास पेड़-पौधे लगाए जाएंगे और पुन: उपयोग होने वाली सामग्री का सड़क निर्माण आदि में प्रयोग किया जाएगा। इस परियोजना में विश्व बैंक की तरफ से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (GNHPC) के तहत दी जाने वाली 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी शामिल है। परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत् विकास और रखरखाव, संस्थागत क्षमता में बढ़ोतरी, सड़क सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

अमेरिका में COVID-19 राष्ट्रीय आपदा

अमेरिका में कोरोनावायरस (COVID-19) की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। साथ ही इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिये फेडरल कोष से 50 बिलियन डॉलर जारी किये गए हैं। विदित हो कि इस संक्रमण से दुनिया भर में पाँच हज़ार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें 41 लोग अमेरिका के हैं। अनुमानत: अमेरिका में लगभग 2000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। राष्ट्रपति ने सभी अस्पतालों को आपात योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इस महामारी के कारण विश्व में आर्थिक मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस संपूर्ण विश्व में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1983 में कंज्यूमर्स इंटरनेशनल (Consumers International) नामक संस्था द्वारा की गई थी। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों

नोट :

के संदर्भ में जागरूक करना है। सर्वप्रथम उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का विधेयक पेश किया गया। अमेरिका के पश्चात् भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1966 में मुंबई से हुई थी। वर्ष 1974 में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के पश्चात् विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिये संस्थाओं का गठन किया गया और यह आंदोलन तेज़ होता गया जिसके पश्चात् 9 दिसंबर, 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। ध्यातव्य है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आपातकाल

दक्षिण अफ्रीका में कोरोनावायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 61 तक पहुँचने के कारण वहाँ राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) ने राष्ट्रीय टेलीविज़न पर लाइव प्रसारण में यह घोषणा की। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक चैरिटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। COVID-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बना है। अब संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करता है।

रणजी ट्रॉफी

वर्ष 2020 में सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। सौराष्ट्र की टीम ने फाइनल मैच की पहली पारी में बंगाल के खिलाफ लीड हासिल की थी जिसके आधार पर सौराष्ट्र को विजेता घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि सौराष्ट्र की टीम को पहले नवानगर और पश्चिमी भारत के रूप में जाना जाता था। सौराष्ट्र की टीम ने इससे पूर्व वर्ष 1936-37 और वर्ष 1943-44 में ट्रॉफी जीती थी। वर्ष 1950 में इसका नाम बदलकर सौराष्ट्र कर दिया गया और इसने घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू कर दिया। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता भारत के क्षेत्रीय (राज्य) क्रिकेट टीमों के बीच आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का नाम भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है जिन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की निगरानी में यह प्रतियोगिता पहली बार 1934 में शुरू की गई थी।

बशीर अहमद खान

IAS अधिकारी बशीर अहमद खान को जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू का सलाहकार नियुक्त किया गया है। बशीर अहमद खान 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और वर्तमान में कश्मीर के संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव (जम्मू-कश्मीर और लदाख विभाग) आनंदी वेंकटेश्वरन द्वारा यह आदेश जारी किया गया।

रंजन गोगोई

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिये मनोनीत किया है। ध्यातव्य है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनका स्थान मौजूदा मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने लिया था। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 80 के खंड(3) के तहत राष्ट्रपति के पास विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिये मनोनीत करने की शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान होना अनिवार्य है। रंजन गोगोई असम के निवासी हैं और उनका जन्म 18 नवंबर, 1954 को हुआ। वे असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशब चंद्र गोगोई के पुत्र हैं। रंजन गोगोई ने अपने कैरियर की शुरुआत एक वकील के तौर पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय से की। इन्हें संवैधानिक, टैक्सेशन और कंपनी मामलों में विशेषज्ञता हासिल है।

बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान

बांग्लादेश अपने संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की और बांग्लादेश की प्रगति में उनके योगदान की सराहना भी की। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म अविभाजित भारत के गोपालगंज ज़िले के तुंगीपारा गाँव में 17 मार्च, 1920 को हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था और वर्ष 1971 में इसे पाकिस्तान से आज़ाद करा लिया। बंगबंधु नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने।

नोट :

कौशल सतरंग कार्यक्रम

प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के बेहतर व अधिक अवसर प्रदान कराने और उनमें उद्यमिता विकसित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल सतरंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण सृजित करने के साथ रोज़गार के बेहतर व अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

तीन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

केंद्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति की पहचान अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की जाएगी। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने पर ये नए विश्वास, उत्साह ऊर्जा और संकल्प के साथ संस्कृत के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे।

COVID-19 का पहला टीका

हाल ही में अमेरिका ने COVID-19 के टीके की जाँच करने वाला पहला मानव परीक्षण शुरू किया है। इस टीके के परीक्षण हेतु अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा 18-55 वर्ष के आयु वर्ग के 45 स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों का नामांकन किया जाएगा। यह वैक्सीन मॉडर्ना (Moderna) नामक एक निजी फर्म द्वारा विकसित की गई है। COVID-19 के टीकाकरण के तहत, तीन अलग-अलग खुराकों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के चरण के दौरान यह अध्ययन किया जाएगा कि क्या टीके सुरक्षित हैं और क्या वे COVID-19 को रोकने के लिये एंटीबॉडी बनाने हेतु मनुष्यों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, यदि यह परीक्षण सफल रहा तो आगामी 12 से 18 महीनों के बाद ही यह वैक्सीन दुनिया भर में इस्तेमाल की जा सकेगी।

भारत-नेपाल के मध्य स्कूल निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन

हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ नए स्कूलों के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के तहत भारत नेपाल को 107.01 मिलियन नेपाली रुपए उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय है कि इस समझाते के प्रारंभिक चरण के रूप में भारत ने 8 लाख भारतीय रुपए का चेक नेपाल को सौंपा है। इस निर्माण कार्य में कपिलवस्तु ज़िला समन्वय समिति भी मदद करेगी। ज़िला समन्वय समिति नेपाल का ज़िला-स्तरीय प्राधिकरण है। यह समिति प्रांतीय विधानसभा और ग्रामीण नगरपालिकाओं के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

NCLAT की चेन्नई पीठ

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) की एक पीठ का गठन चेन्नई में किया जा रहा है। यह पीठ दक्षिणी राज्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार, NCLAT की चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेशों के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अधिसूचना के अनुसार, NCLAT की नई दिल्ली पीठ को प्रधान पीठ के नाम से जाना जाएगा। वह NCLAT की चेन्नई पीठ के अधिकार क्षेत्र वाली अपीलों को छोड़कर अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करती रहेगी। NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत NCLT के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये किया गया था।

अश्विनी लोहानी

आंध्र प्रदेश सरकार ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अश्विनी लोहानी को राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है। अश्विनी लोहानी को आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गयी है। इससे पूर्व अश्विनी लोहानी भारत पर्यटन विकास निगम के CMD तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं।

आयुध कारखानों का स्थापना दिवस

18 मार्च, 2020 को आयुध कारखानों ने अपना 219वां स्थापना दिवस मनाया। विदित है कि पहला आयुध कारखाना वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपोर में स्थापित किया गया था, जिसे अब 'गन एंड शेल फैक्टरी' के रूप में जाना जाता है। दरअसल आयुध कारखाने 41 आयुध कारखानों का एक समूह है, जिनका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) है। आयुध कारखाने दो शताब्दियों से भी अधिक समय से हथियारों, गोला बारूद एवं उपकरणों की आपूर्ति कर सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं।

नोट :

इन्नोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया

हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी (NASSCOM) ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ 'इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया' (Innovate for Accessible India) अभियान शुरू किया है। इस पहल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और अन्य तकनीकों की मदद से दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे-ई-गवर्नेंस, आजीविका, स्वास्थ्य और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। NASSCOM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) उद्योग का वैश्विक गैर-लाभकारी व्यापार संगठन है।

उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त

उत्तरखंड में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 सितंबर, 2012 का वह शासनादेश प्रभावी हो गया है, जिसमें पदोन्नति से आरक्षण समाप्त करते हुए विभागीय पदोन्नति करने के आदेश जारी किये गए थे। अनुमानतः इस निर्णय से तकरीबन 30 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् राज्य के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएँ देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख कारण हैं। सरल शब्दों में आरक्षण का अभिप्राय सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में किसी एक वर्ग विशेष की पहुँच को आसान बनाने से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किये गए हैं। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्यवाही का आधार प्रदान किया गया है।

COVID-19 महामारी से निपटने के लिये ADB का राहत पैकेज

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने हेतु विकासशील सदस्य देशों के लिये 6.5 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। ADB के अनुसार, कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए विकासशील सदस्य देशों की तात्कालिक सहायता के लिये शुरूआती पैकेज की घोषणा की गई है। एशियाई विकास बैंक (ADB) का मुख्यालय मनीला में स्थित है। यह बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत् विकास और गरीबी उन्मूलन के लिये कार्य करता है। ADB के अध्यक्ष ने कहा कि यह महामारी एक बड़ी वैश्विक समस्या बन गई है। इससे निपटने के लिये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर ठोस कदम की ज़रूरत है।''

COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरानावायरस (COVID-19) के आर्थिक प्रभाव से निपटने हेतु एक विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की है। यह 'COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल' कोरोनावायरस महामारी से प्रभावित उद्योगों के लिये राहत पैकेज से संबंधित निर्णय करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला यह कार्यबल कोरोनावायरस के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट से निपटने के उपायों पर विचार करेगा। ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण पर्यटन, विमानन और होटल जैसे क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। चीन में कारोनावायरस संक्रमण के कारण कामकाज बंद होने से कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे औषधि के साथ इलेक्ट्रानिक उद्योग पर भी असर पड़ा है।

लाइट मशीन गन खरीद समझौता

रक्षा मंत्रालय ने इज़रायल वेपन इंडस्ट्रीज़ (Israel Weapon Industries-IWI) के साथ 880 करोड़ रुपए में 16,479 लाइट मशीन गन (LMG) खरीदने के लिये अनुबंध किया है। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मशीन गनों में शामिल यह लाइट मशीन गन प्रति मिनट 850 फायर करने में सक्षम है। इज़रायल के रामात हाशैरोन शहर स्थित कारखाने से 7.62 एमएम कैलिबर की नेगेव एलएमजी (MM Caliber Negev LMG) भारतीय सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस मशीन गन का वज़न मात्र 7.5 किलोग्राम है औ इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, छोटे समुद्री जहाज़ों और ज़मीनी लड़ाई में आसानी से किया जा सकता है।

अरुंधती भट्टाचार्य

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य को सेल्सफोर्स इंडिया की CEO नियुक्त किया गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, अप्रैल 2020 को अरुंधति भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया के चेयरमैन और CEO का पदभार संभालेंगी। सेल्सफोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉफ्टवेयर की दुनिया भर की टॉप की कंपनियों में शामिल है। अरुंधति भट्टाचार्य इस समय विप्रो में

स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम कर रही हैं। अरुंधती भट्टाचार्य का जन्म वर्ष 1956 में कलकत्ता में हुआ था। अरुंधती भट्टाचार्य SBI की पूर्व चेयरपर्सन हैं, इन्होने वर्ष 1977 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भारतीय SBI को जॉइन किया था और उन्हें वर्ष 2013 में SBI का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था।

मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वकीलों के लिये 'मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम' की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत वकीलों के कल्याण के लिये कार्य किया जाएगा। सरकार ने इस स्कीम के लिये कुल 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस स्कीम के तहत वही वकील ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और दिल्ली के मतदाता हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस स्कीम के तहत वकीलों, उनकी पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 5 लाख का ग्रुप मेडी-क्लेम का लाभ मिल सकेगा। साथ ही वकील को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा।

विश्व गौरेया दिवस 2020

प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में विश्व गौरेया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गौरेया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके संरक्षण की दिशा में कार्य करना है। ध्यातव्य है कि गौरेया की आबादी में तेज़ी से आ रही गिरावट को देखते हुए भारतीय पर्यावरणवविद् मोहम्मद दिलावर की नेचर फॉरएवर सोसायटी (Nature Forever Society) द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। विश्व गौरेया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। गौरेया भारत में पाई जाने वाली एक सामान्य चिड़िया है, किंतु बीते कुछ वर्षों में यह देश के शहरी क्षेत्रों में विलुप्ति के कगार पर है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में बीते 40 वर्षों में अन्य पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु गौरेया की संख्या में 60 प्रतिशत की कमी आई है। दुनिया भर में गौरैया की 26 प्रजातियाँ हैं, जबकि उनमें से 5 भारत में पाई जाती हैं।

'वंडरचिकन' (Wonderchicken)

जीवाश्मविज्ञानी (Palaeontologists) के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने आधुनिक पक्षी के सबसे पुराने जीवाश्म की पहचान की है। खोजकर्त्ताओं ने इस जीवाश्म को 'वंडरचिकन' (Wonderchicken) नाम दिया है। इस जीवाश्म में पक्षी की लगभग संपूर्ण खोपड़ी शामिल है। खोजकर्त्ताओं के अनुमानों के अनुसार, यह जीवाश्म डायनासोर की समाप्ति से भी लाखों वर्ष पहले का है। खोजकर्त्ताओं का मानना है कि इस नए जीवाश्म की खोज से दुनिया भर के शोधकर्त्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि क्रीटेशस अवधि (Cretaceous Period) के अंत में पक्षी बड़े पैमाने पर विलुप्त होने से बच गए, जबकि विशालकाय डायनासोर ऐसा नहीं कर सके। जीवाश्म में प्राप्त खोपड़ी के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार, इसकी विभिन्न विशेषताएँ आधुनिक मुर्गी और बत्तख जैसे पक्षियों के समान हैं।

पी.के. बनर्जी

भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी प्रदीप कुमार बनर्जी का 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है। 23 जून, 1936 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी शहर में जन्मे पी.के. बनर्जी को वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1990 में पद्मश्री से नवाज़ा जा चुका है। इसके अलावा पी.के. बनर्जी वर्ष 1962 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे, उन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत के लिये गोल भी किया था। पी.के. बनर्जी ने अपने संपूर्ण करियर में भारत की ओर से कुल 84 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 65 गोल किये। इसके अलावा पी.के बनर्जी ने तीन बार एशियाई खेलों में और 2 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय फुटबॉल में पी.के. बनर्जी के योगदान की सराहना करते हुए फीफा (FIFA) ने वर्ष 2004 में अपने सौ साल पूरे होने पर उन्हें 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया था। उल्लेखनीय है कि यह फीफा का सर्वोच्च सम्मान है।

'स्वावलंबन एक्सप्रेस'

हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India-SIDBI) ने उद्यमियों के लिये 'स्वावलंबन एक्सप्रेस' शुरू करने की घोषणा की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, स्वावलंबन एक्सप्रेस 5 जून, 2020 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से चलेगी और 11 उद्यमशील शहरों की यात्रा करेगी जिसमें जम्मू, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बंगलूरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता और वाराणसी शामिल हैं। स्वावलंबन एक्सप्रेस 15 दिनों में 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान कई कार्यशालाएँ और कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिनका उद्देश्य युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना है।

टॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर विसू

टॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, डायरेक्टर और लेखक विसू (Visu) का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विसू का जन्म 1 जुलाई, 1945 को तमिलनाडु में हुआ था और उनका मूल नाम मीनाक्षीसुंदरम रामासामी विश्वनाथं (Meenakshisundaram Ramasamy Viswanthan) है किंतु वे फिल्म उद्योग में विसू के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। विसू ने अपने कैरियर की शुरुआत निर्देशक के. बालचंदर के सहायक के रूप में की थी, जिसके पश्चात् उन्होंने स्वयं निर्देशन शुरू कर दिया। अपने कैरियर में उन्होंने एक्टिंग में भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त की, अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म एस. पी मुथुरमन द्वारा निर्देशित कुदुम्बम ओरु कदम्बम (Kudumbam Oru Kadambam) थी। विसू ने 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था और 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया था।

टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया

कोरोनावायरस (COVID-19) के खतरे के कारण कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों में भाग लेने से इनकार कर दिया है। दोनों देशों की ओलंपिक समिति द्वारा जारी आधिकारिक बयान में इस निर्णय की सूचना दी गई है। दोनों देशों ने यह मांग की है कि इन खेलों को वर्ष 2021 तक के लिये स्थानांतरित कर दिया जाए। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त (2020) तक आयोजित किया जाना था। गौरतलब है कि कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण दुनिया भर के तमाम देश प्रभावित हुए हैं और वैश्विक स्तर पर तकरीबन 3 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हो गई है। इसके कारण खेल जगत से लेकर आर्थिक क्षेत्र सभी प्रभावित हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक इस वर्ष की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है और इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है।

हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल

हाल ही में अमेरिका ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस संदर्भ में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से पाँच गुना अधिक है और यह मिसाइल 6,200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से हमला कर सकती है। साथ ही यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इससे पूर्व रूस ने दिसंबर 2019 में हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया था और चीन भी अपने DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को प्रदर्शित कर चुका है। उल्लेखनीय है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रक्षेपक (Trajectory) का पता नही लगाया जा सकता, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपवक्र को ट्रेस किया जा सकता है। विश्व के अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत भी अपनी रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये प्रयासरत है, इसी दिशा में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (DRDO) ने भी भारत की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है।

शहीद दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को ही वर्ष 1931 में भारत के तीन स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दिया गया था। लाहौर षड़यंत्र मामले में इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिये 24 मार्च, 1931 को मृत्युदंड का आदेश दिया गया था, किंतु उन्हें 23 मार्च, 1931 की शाम को ही फांसी दे दी गई थी। अपनी मृत्यु के समय भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे किंतु उनके क्रांतिकारी विचार बहुत व्यापक थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय आंदोलनों का बहुचर्चित नारा 'इंकलाब जिंदाबाद' पहली बार भगत सिंह ने ही बोला था। भगत सिंह मानते थे कि व्यक्ति को दबाकर उसके विचार नहीं दबाए जा सकते हैं।

विश्व क्षय रोग दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को इस बीमारी के विषय में जागरूक करना और क्षय रोग की रोकथाम के लिये कदम उठाना है। वर्ष 2020 के लिये विश्व क्षय रोग दिवस का थीम 'It's Time' है। विश्व क्षय रोग दिवस को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) जैसे संगठनों का समर्थन भी प्राप्त है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो कि मुख्यत: फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे बचाव अथवा इसकी रोकथाम संभव है। यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आँकड़ों के अनुसार, विश्व की एक चौथाई जनसंख्या लेटेंट टीबी (Latent TB) से ग्रस्त है। लेटेंट टीबी का अर्थ है कि लोग टीबी के जीवाणु से संक्रमित तो हो जाते हैं, किंतु उन्हें यह रोग नहीं होता है और वे इसका संचरण अन्य व्यक्तियों तक नहीं कर सकते हैं। टीबी के जीवाणु से संक्रमित व्यक्ति के टीबी से ग्रसित होने की संभावना 5-15 प्रतिशत ही होती है।

COVID-19 के रोकथाम हेतु उच्चस्तरीय समिति

केंद्र सरकार ने देश में कोरोनावायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिये नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के महानिदेशक, दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक, पुणे के संक्रामक रोग संस्थान के निदेशक और केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि कोरोनावायरस (COVID-19) दुनिया भर में एक वैश्विक महामारी के तौर पर तेज़ी से फैल रहा है और विश्व के तमाम क्षेत्र इसके कारण प्रभावित हुए हैं।

राज्यसभा चुनाव स्थगित

कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव स्थगित कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान में 18 सीटों पर चुनाव होने थे जिन्हें अगली तारीख तक के लिये स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है और देश के अधिकांश क्षेत्रों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है जिसे देखते हुए राज्यसभा चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कोरोनावायरस (COVID-19) के खतरे को देखते हुए लोकसभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है।

प्रोब-फ्री-डिटेक्शन एस्से तकनीक (Probe-Free Detection Assay Technology)

IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कोरोनावायरस (COVID-19) जाँच के लिये सस्ती, आसान और सटीक तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को प्रोब-फ्री-डिटेक्शन एस्से (Probe-Free Detection Assay) नाम दिया गया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (National Institute of Virology) IIT दिल्ली द्वारा विकसित इस तकनीक की प्रमाणिकता की जाँच कर रहा है। IIT दिल्ली के डायरेक्टर के अनुसार, इस तकनीक को कुसुम स्कूल ऑफ बॉयोलोजिकल साइंसेज़ की लैब में विकसित किया गया है। इस तकनीक को विकसित करने वाले समूह के मुताबिक, इसके कारण जाँच का खर्च काफी कम हो सकता है।

एबेल पुरस्कार (Abel Prize)

नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर (Norwegian Academy of Science and Letters) ने हाल ही में वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार (Abel Prize) देने की घोषणा की है। इस वर्ष यह पुरस्कार दो गणितज्ञों इजरायल के हिलेल फुरस्टेनबर्ग (Hillel Furstenberg) एवं रूसी-अमेरिकी ग्रेगरी मारगुलिस (Gregory Margulis) को दिया जाएगा। दोनों ही लोगों को गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सम्मानित किया गया है, ध्यातव्य है कि उन्होंने उन्होंने गणित के विविध क्षेत्रों में गहरी समस्याओं को हल करने के लिये संभाव्य तरीकों (Probabilistic Methods) का उपयोग किया है। एबेल पुरस्कार 1 जनवरी, 2002 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों को करना है। इस पुरस्कार के तहत 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर (625000 अमेरिकी डॉलर) की राशि प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि गणित के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार 'फील्ड मेडल' (Fields Medal) है जो कि 40 वर्ष तक के गणितज्ञों को प्रत्येक 4 वर्ष पर प्रदान किया जाता है।

मनु डिबंगो (Manu Dibango)

प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक और सैक्सोफोन वादक (Saxophone Player) मनु डिबंगो का कोरोनोवायरस (COVID-19) के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मनु डिबंगो का जन्म 12 दिसंबर, 1933 को फ्रेंच कैमरून (French Cameroon) में हुआ था। मनु डिबंगो को वर्ष 1972 में जारी उनके गाने 'सोल मकोसा' (Soul Makossa) के लिये जाना जाता था। सोल मकोसा वैश्विक संगीत परिदृश्य में सबसे शुरुआती हिट गानों में से एक था। मनु डिबंगो इस बात के लिये भी काफी प्रसिद्ध है कि उन्होंने वर्ष 2009 में माइकल जैक्सन और रिहाना के खिलाफ संगीत चोरी करने का मुकदमा दायर किया था।

भारत-फ्राँस संयुक्त गश्त

भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना ने रीयूनियन द्वीप (Reunion Island) से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया। भारतीय दृष्टिकोण से इसके आयोजन का मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना और विदेशी भागीदारों के साथ साझेदारी में

सुधार करना था। यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीकी तटरेखा से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक किया गया। भारत ने अब तक इस प्रकार की संयुक्त गश्त का आयोजन केवल अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ किया है, इससे पूर्व भारत ने अमेरिका के साथ इसी प्रकार के एक अभ्यास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। संयुक्त गश्त भारतीय नौसेना के क्षमता निर्माण की महत्त्वपूर्ण गतिविधि है।

भारत का पहला कोरोनावायरस समर्पित अस्पताल

हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने 100 बेड की क्षमता वाले भारत के पहले कोरोनावायरस (COVID-19) समर्पित अस्पताल की स्थापना की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने सरकार की मदद के लिये महाराष्ट्र के मुंबई में एक अस्पताल का निर्माण करवाया है जो पूर्ण रूप से कोरोनावायरस के मरीज़ों के लिये समर्पित है। यह अस्पताल कोरोनावायरस से निपटने के लिये सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन कोरोनावायरस (COVID-19) की जाँच हेतु टेस्ट किट भी आयात कर रहा है।

भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के मध्य रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिये सहमति पत्र को मंज़ूरी प्रदान की है। इस समझौते पर भारत की ओर से रेल मंत्रालय और जर्मनी की ओर से 'डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग' (DB Engineering & Consulting) द्वारा फरवरी, 2020 को हस्ताक्षर किये गए थे। रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिये हुए इस समझौता ज्ञापन (MoU) से माल परिचालन, यात्री परिचालन, बुनियादी ढाँचा निर्माण एवं प्रबंधन, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्द्धी रेलवे संगठन का विकास, भविष्यसूचक रख-रखाव और निजी ट्रेन संचालन आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय को अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर (Aligarh-Harduaganj Flyover) के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इस रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही थी और इसके निर्माण से क्षेत्र विशिष्ट में भीड़-भाड़ को काम किया जा सकेगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस रेलवे फ्लाईओवर की लंबाई 22 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2024-25 में पूरा होने की संभावना है और इस पर 1285 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ध्यातव्य है कि भीड़-भाड़ के कारण अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेनों को काफी देर तक रुकना पड़ता है। यह स्थान एक अवरोध बन गया है और इसके कारण ट्रेनों का परिचालन काफी प्रभावित होता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

भारतीय राजस्व सेवा (Indian Revenue Service-IRS) के अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लिया है। सतीश कुमार गुप्ता वर्तमान में मुंबई के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हैं, जबकि कृष्ण मोहन प्रसाद दिल्ली में ई-आकलन केंद्र में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हैं। दोनों अधिकारियों को विशेष सचिव का दर्जा दिया गया है। उक्त अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् भी CBDT में एक सदस्य का स्थान रिक्त है। CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है।

मार्क ब्लम

हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मार्क ब्लम (Mark Blum) का कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मार्क ब्लम को थिएटर और सिनेमा में उनके अतुल्य काम के लिये जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने नेटफ्लिक्स (Netflix) की बहुचर्चित सीरिज़ 'यू' (You) में भी अभिनय किया था। मार्क ब्लम का जन्म 14 मई, 1950 को अमेरिका के न्यू जर्सी (New Jersey) में हुआ था। मार्क ब्लम ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1970 में की थी। उन्होंने 'लॉस्ट इन यॉन्कर्स' (Lost in Yonkers), 'द बेस्ट मैन' (The Best Man) और 'द एसेंबल्ड पार्टीज़' (The Assembled Parties) जैसे थिएटर्स में शानदार अभिनय किया था। फिल्म जगत में उन्हें एक अभिनेता और निर्माता के रूप में उनकी फिल्म 'क्रोकोडाइल डंडी' (Crocodile Dundee-1986) और 'डेस्पेरेटली सीकिंग सुसान' (Desperately Seeking Susan-1985) के लिये याद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने थिएटर और फिल्म के अलावा TV में भी कार्य किया था।

सतीश गुजराल

पद्‌म विभूषण से सम्मानित और प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक तथा वास्तुकार सतीश गुजराल का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उल्लेखनीय है कि सतीश गुजराल पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। वर्ष 1999 में कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये उन्हें पद्‌म विभूषण से सम्मानित किया था। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर, 1925 में ब्रिटिश इंडिया के झेलम शहर (अब पाकिस्तान) में हुआ था। सतीश गुजराल को मूर्तिकला के लिये एक बार में तीन बार और चित्रकला के लिये दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किये गए, जिनमें मेक्सिको का 'लियो नार्डो द विंसी पुरस्कार' (Leonardo da Vinci Award) और बेल्जियम के राजा का 'आर्डर ऑफ क्राउन' पुरस्कार (Order of the Crown) शामिल हैं। उनकी चित्रकारी में पशु और पक्षियों को विशेष स्थान प्राप्त है।

स्टे होम इंडिया विद बुक्स

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHDR) के तहत कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट (National Book Trust-NBT) ने 'स्टे होम इंडिया विद बुक्स' पहल लॉन्च की है। इस पहल के तहत 100 से अधिक किताबें NBT की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। इस स्थिति में HRD मंत्रालय ने गुणवत्ता समय बिताने में लोगों की मदद करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। मंत्रालय के अनुसार, अधिकांश पुस्तकें बच्चों से संबंधित हैं और विभिन्न भाषाओं में मौजूद हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में की गयी थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्य करती है।

विश्व रंगमंच दिवस

दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस (World Theatre Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में थिएटर अथवा नाटक कला के महत्त्व के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना है। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थियेटर इंस्टीट्यूट (International Theatre Institute) द्वारा की गई थी। प्रथा के अनुसार, इस दिन किसी थिएटर के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा रंगमंच की मौजूदा स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए संदेश दिया जाता है। वर्ष 1962 में पहला विश्व थिएटर दिवस संदेश जीन कोक्टयू द्वारा दिया गया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के सबसे प्रसिद्ध थिएटर कलाकार गिरीश कर्नाड ने दिया था। नाटक अथवा थिएटर रंगमंच से जुड़ी एक विधा है, जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस संदर्भ में शेक्सपियर की निम्नलिखित पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं-

ये दुनिया एक रंगमंच है, और सभी स्त्री-पुरुष सिर्फ पात्र हैं

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा

हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को कोरोनावायरस (COVID-19) के उपचार के लिये एक आवश्यक दवा घोषित किया गया था, जिसके पश्चात् भारत सरकार ने इस दवा को अनुसूची H1 में शामिल कर कर दिया है, जिसके साथ ही इस देश में इस दवा के निर्यात पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और उसके फार्मूले के साथ बनने वाली अन्य सभी दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) की अनुसूची H1 में शामिल किया है। नियमों के अनुसार, अनुसूची H1 में शामिल दवा को पंजीकृत डाक्टर की अनुशंसा के बिना नहीं बेचा जा सकता है। साथ ही विक्रेता के लिये डॉक्टर की उस पर्ची को ड्रग विभाग के पास भी जमा करना अनिवार्य होता है। यह अनुसूची वर्ष 2013 में प्रस्तुत की गई थी। अभी तक इस सूची में एड्स समेत ऐसी गंभीर बीमारियों की दवाएँ शामिल की गई हैं, जिनका शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होता है, किंतु मरीज़ की जान बचाने के लिये इन दवाओं का प्रयोग आवश्यक होता है।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी- मूडीज़

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि के पहले के अपने अनुमान को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। इससे पूर्व मूडीज़ ने इस अवधि के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। मूडीज़ के अनुसार, कोरोनावायरस संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कारोनावायरस आर्थिक गतिविधियाँ लगभग रुक गई हैं और इसी वजह से देश की वृद्धि दर घटने का अनुमान है। मूडीज़ के अनुसार, भारत में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास नकद की कमी के चलते भारत में ऋण प्राप्त करने को लेकर पहले से ही बड़ी बाधा चल रही है।'

नोट :

'ऑपरेशन नमस्ते'

हाल ही में भारतीय थल सेना ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये 'ऑपरेशन नमस्ते' लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत सेना भारत सरकार को घातक बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। इस ऑपरेशन के तहत थल सेना ने अब तक 8 क्वारंटाइन स्थापित किये हैं। साथ ही, हेल्प लाइन नंबर भी जारी किये गए हैं। सैनिकों के परिवारों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। सेना ने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं, क्योंकि परिचालन और सामरिक कारणों से सामाजिक दूरी को बनाए रखना मुश्किल है। भारतीय थल सेना भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1 अप्रैल, 1895 को ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में की गई थी। भारतीय सेना का प्राथमिक कार्य राष्ट्रीय की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना है।

हिमाचल प्रदेश 100 प्रतिशत LPG प्राप्तकर्त्ता

हाल ही में हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम '100 प्रतिशत LPG गैस प्राप्तकर्त्ता' राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की 'हिमाचल गृहणी सुविधा योजना' के तहत राज्य में लगभग सभी लोगों के पास LPG गैस की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् राज्य सरकार ने मई 2018 में शेष घरों को कवर करने के लिये 'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना' शुरू की थी। 27 दिसंबर, 2019 तक राज्य में 2.64 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन जारी किये गए है, उल्लेखनीय है की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 68.64 लाख है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत राज्य के उन सभी लोगों को शामिल किया गया था, जिनके परिवार में पेंशनभोगी, आयकरदाता या सरकार, बोर्ड अथवा निगम आदि में परिवार का कोई सदस्य नहीं है।

कोरोना अध्ययन श्रृंखला

भविष्य में मानव समाज पर वैश्विक महामारी कोरोना के असाधारण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को महसूस करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट ने 'कोरोना अध्ययन श्रृंखला' के तहत पुस्तकों के प्रकाशन का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत कोरोना के बाद के समय में सभी आयु वर्गों के लिये प्रासंगिक पठन सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा। 'कोरोना अध्ययन श्रृंखला' के तहत प्रकाशित पुस्तकों में पाठकों को इस महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट के अनुसार, इस विषय पर योगदान देने के इच्छुक लेखकों तथा शोधकर्त्ताओं को भी यह उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व नेशनल बुक ट्रस्ट ने 'स्टे होम इंडिया विद बुक्स' पहल भी लॉन्च की थी। इस पहल के तहत 100 से अधिक किताबें NBT की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय निकाय है जो पुस्तकों का प्रकाशन करती है और पुस्तकों को बढ़ावा देती है। NBT की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में की गयी थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्य करती है।

इंडियन साइंटिस्ट्स रेसपोंस टू CoViD-19 (ISRC)

कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार से संबंधित चिंताओं के मद्देनज़र कई भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर एक गूगल (Google) समूह बनाया है। इंडियन साइंटिस्ट्स रेसपोंस टू CoViD-19 (ISRC) नाम का यह गूगल समूह वैज्ञानिकों का एक स्वैच्छिक समूह है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगातार बदलते परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। समूह के प्रवक्ता और चेन्नई के वैज्ञानिक आर. रामानुजम के अनुसार, "वर्तमान स्थिति में वैज्ञानिक समुदाय की एक सामाजिक और लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी है।" इस समूह में 200 से अधिक वैज्ञानिक सदस्य हैं, जो IISc, TIFR, IIT, IISER और कई अन्य संस्थानों से संबंधित हैं। समूह का लक्ष्य मौजूदा और उपलब्ध आँकड़ों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकलना है ताकि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें अपने कार्यों को सफलता पूरा कर सकें।

PM-CARES फंड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM-CARES फंड की घोषणा की है। इसके तहत कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के संकट से निपटने के लिये धन राशि एकत्रित की जाएगी। PM-CARES का पूर्ण रूप 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत' (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations) है। इस कोष की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य COVID-19 जैसी महामारियों से निपटना है। PM-CARES फंड को इकट्ठा करने के लिये एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हैं। PM-CARES ट्रस्ट को दी जा रही धन राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 (G) के तहत कर से मुक्त किया गया है। इस फंड का खाता भारतीय स्टेट बैंक में है।

राजस्थान दिवस

देश में प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस की शुरुआत 30 मार्च, 1949 को हुई थी, क्योंकि इसी दिन जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर 'वृहत्तर राजस्थान संघ' बना था। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है- 'राजाओं का स्थान', क्योंकि यहाँ गुर्जर, राजपूत, मौर्य और जाट आदि ने राज्य किया था। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के एक बड़े हिस्से मंर थार रेगिस्तान है, जिसे 'ग्रेट इंडियन डेजर्ट' के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत की एकमात्र लवणीय नदी 'लूनी नदी' राजस्थान में ही बहती है। राजस्थान में तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर-मंतर (जयपुर), राजस्थान के पहाड़ी किले (चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथम्भोर और जैसलमेर)।

प्रगयाम' एप

झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई-पास जारी करने के लिये 'प्रगयाम' नाम से एक मोबाइल एप शुरू किया है। एंड्रोएड प्लेटफॉर्म पर चलने वाला और स्थानीय तौर पर डिज़ाइन किया गया यह एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ज़िला यातायात अधिकारी इस एप पर अपलोड किये गए दस्तावेजों की जाँच के बाद गाड़ियों को ऑनलाइन ई-पास जारी कर सकते हैं। यह एप 21 दिन की लॉकडाउन अवधि के दौरान रोज़मर्रा की मेडिकल, बैंकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। झारखंड सरकार के अनुसार, किसी भी तरह की अनियमितता या नकली पास दिखाने पर व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, एप के माध्यम से मिलने वाले पास के अप्रूवल के लिये ज़िला स्तरीय पदधिकारियों की विभिन्न टीमें बनाई गई हैं।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund) के माध्यम से भारत की अवसंरचना में 100 मिलियन डॉलर की राशि का निवेश करने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि ADB द्वारा यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के माध्यम से किया जा रहा निवेश. निजी क्षेत्र की कंपनियों के दीर्घावधि वित्तपोषण के लिये लाभदायी होगा। इससे देश की अवसंरचना के विकास के साथ देश का आर्थिक विकास और गुणवत्तापूर्ण रोज़गार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को की गई थी। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।

पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च-स्तरित पैनल

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि के पश्चात् सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन किया है। यह उच्च-स्तरीय पैनल स्वास्थ्य देखभाल और अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये उपाय सुझाएगा। इस पैनल का गठन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इस पैनल में अलग-अलग कार्य समूह हैं और प्रत्येक समूह में 6 सदस्य हैं। इसमें सभी 20 सचिवों और 40 अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 'अर्थव्यवस्था और कल्याण' पैनल आर्थिक मामलों के सचिव के अधीन गठित किया गया है। इस पैनल को औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान का कार्य दिया गया है। वहीं नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल के नेतृत्व में एक और समूह का गठन किया गया है। यह समूह चिकित्सा उपकरणों, दवाओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने और अस्पताल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएगी।

ऑस्ट्रेलिया में वेतनभोगियों के लिये 130 अरब डॉलर का पैकेज

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन ने देश में कोरोनावायरस (COVID-19) से प्रभावित 60 लाख से अधिक लोगों के वेतन के लिये

130 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया में इस महामारी से अब तक 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार इस पैकेज से लोगों को कार्य पर बनाए रखने में कारोबारियों की सहायता करने के लिये प्रत्येक कर्मचारी के आधार पर प्रत्येक सप्ताह एक हजार पाँच सौ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की वेतन सब्सिडी देगी। ध्यातव्य है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 'कोरोनावायरस' (COVID-19) के विरुद्ध लड़ाई में गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इससे पूर्व अमेरिका ने भी कोरोनावायरस (COVID-19) संचालित आर्थिक मंदी से निपटने के लिये 1 ट्रिलियन डॉलर का प्रस्ताव किया था, इसके अलावा जर्मनी ने कोरोनावायरस से प्रभावित हुई कंपनियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 610 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी।

दृष्टि The Vision

नोट :